सप्तम माला, खंड 32, अंक 9 गुरुवार, 14 अक्तूबर, 1982/22 आश्विन, 1904 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

(दसवां सत्र)

(खंड 32 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 9, गुरुवार, 14 अक्तूबर, 1982/22 आश्विन, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 164, 165, 167, 169, 171, 173 और 174	1—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या : 166, 168, 170, 172 और 175 से 184	23—31
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1735 से 1795, 1797 से 1810, 1812 से 1902 और 1904 से 1966	31— 219
दिनांक 22.7.82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2385 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	219—222
सभा पटल पर रखे गये पत्र	222
राज्य सभा से सन्देश	223—225
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	225
राजधानी में दहेज के कारण हुई मौतें	225 – 250
श्रीमती सुशीला गोपालन	225
श्री पी० वेंकटसुब्बय्या	225
श्रीमती गुरबिन्दर कौर वारैच	233
श्रीमती प्रमिला दंडवते	238
श्रीमती गीता मुखर्जी	244
विधेयक—पुर:स्थापित	251
(एक) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक	251
(दो) चीनी उपकर (संशोधन) विधेयक	251
(तीन) चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक	251
नियम 377 के अधीन मामले	252—255
(एक) बरेली और गोरखपुर में नए पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मांग (श्री हरीश कुमार गंगवार)	252
(दो) अहमदाबाद और बड़ोदरा के बीच एक नया राजमार्ग बनाने की आवश्यकता (श्री आर०पी० गायकवाड़)	252
(तीन) किसानों को गन्ने की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता (श्री राम नगीना मिश्र)	252
(चार) जेल में कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार करने की आवश्यकता (श्री मनीराम बागड़ी)	253
(पांच) कावेरी जल विवाद का समाधान करने में केन्द्रीय सरकार की असफलता के कारण तमिलनाडु बंद (श्री के० मायातेवर)	254

*किसी नाम पर अंकित *चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
(छः) दुधारू पशु खरीदने के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को ऋण (श्री राम विलास पासवान)	254
(सात) कोयला खान श्रम कल्याण संगठन का कोल इंडिया लिमिटेड में विलय (श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा)	255
रबड़ (संशोधन) विधेयक—जारी	256—273
विचार करने का प्रस्ताव	
श्रीमती सुशीला गोपालन	256
प्रो० पी०जे० कुरियन	259
श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार	262
श्री बी०डी० सिंह	264
श्री जार्जजोसफ मुंडाकल	266
श्री जगन्नाथ पाटिल	268
श्रीमती गीता मुखर्जी	269
श्री मूलचन्द डागा	270
देश के विभिन्न भागों में बाढ़ और सूखे की स्थिति पर चर्चा	273—364
श्री हरिकेश बहादुर	273
श्री उमाकान्त मिश्र	282
श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी	285
श्री समर मुखर्जी	287
श्री भीखाभाई	298
श्री जयपाल सिंह कश्यप	300
श्री के०टी० कोसलराम	303
श्री चतुर्भुज	306
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	310
श्री भीमसिंह	312
श्री जैनल बशर	315
प्रो० नारायण चन्द्र पराशर	317
श्री के० मायातेवर	319
श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी	323
श्रीमती गीता मुखर्जी	329
डा० कृपासिंध् भोई	333
श्री केदार पांडे	338
श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी	344
श्री राम स्वरूप राम	348
श्री मोतीभाई आर० चौधरी	352
श्री केयूर भूषण	353
श्री राम प्यारे पनिका	355
श्री कृष्ण प्रताप सिंह	356
श्री दिलीपसिंह भूरिया	357
श्री गोदिल प्रसाद अनुरागी	359
श्री अनन्त रामुलु मल्लु	360

लोक सभा

गुरुवार, 14 अक्तूबर, 1982/22 आश्विन, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : 388 के अन्तर्गत श्री जगपाल सिंह की गिरफ्तारी के बारे में जिसको दो दिन हो गए हैं, मैंने नोटिस दिया हुआ है—

अध्यक्ष महोदय : एक्शन मैं आपके खिलाफ लेने के लिए तैयार बैठा हूं—और उन्होंने जिन्होंने देरी की है लूंगा ही—जो रोज घंटी बजवाते हैं।

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : बहुत गंभीर मामला है—

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : हमने भी 388 के अन्तर्गत नोटिस दिया है —

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी है। मैं अपने सदस्यों के बारे में जानकारी अनुचित रूप से रोके रखना नहीं चाहता। मैंने पहले ही कार्यवाही कर दी है, और सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस मामले पर विचार करूंगा।

श्री रामविलास पासवान : बिहार सरकार तो प्रेस बिल को लेकर पागल हो गई है।

(व्यवधान)

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दवाओं का अवैध विपणन और दुरुपयोग

*164. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मोर्फीन, हिरोइन और कोकीन जैसी दवाओं के दुरुपयोग में वृद्धि हो रही है;

(ख) सरकार इस बारे में स्वास्थ्य की रक्षा और लोगों को इसकी लत से बचाने के लिए क्या उपाय कर रही है;

(ग) इस प्रकार की लत वाली दवाओं की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) सरकार दिल्ली में इन वस्तुओं और दवाओं के अवैध विपणन पर कैसे नियंत्रण करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) मोर्फिन, हिरोइन और कोकीन नशीली दवाइयाँ हैं और उनका आयात, निर्माण, उन्हें रखना, उनकी बिक्री और वितरण करना खतरनाक औषधि अधिनियम, के उपबन्धों के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है। इस अधिनियम को वित्त मन्त्रालय लागू करवाता है। खतरनाक औषधि अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत नशीली दवाओं की बिक्री पर कड़ा प्रतिबन्ध है। नशीली दवाएं बेचने वाले केमिस्टों को राज्य उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों से लाइसेंस लेना होता है और उन्हें इनके स्टाक और सप्लाई का विस्तृत रिकार्ड रखना होता है।

सम्बन्धित कानून को लागू करने वाली एजेंसियाँ इस समस्या के प्रति सतर्क हैं और इससे मुकाबला करने के लिए समय-समय पर आवश्यकतानुसार निरन्तर रोकथाम के और अन्य उपाय करती रहती हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में जिन एजेंसियों की ओर इशारा किया है, वे एजेंसियां सजग नही हैं, क्योंकि गत दो वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय तथा इससे सम्बद्ध अन्य परिसरों में और दिल्ली के तथाकथित धनी लोगों वाले क्षेत्रों में दवाओं के दुरुपयोग में वृद्धि हुई है तथा यह दुरुपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस वृद्धि के बारे में कोई बात नहीं कही है।

श्री जगदीश टाइटलर : वे सभी एजेंसियां, जिन्हें इस समस्या को नियंत्रित करने से सम्बद्ध समझा जाता है, सजग नहीं है, क्योंकि स्वयं दिल्ली में दवाओं का दुरुपयोग व्यापक सीमा तक बढ़ा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डाक्टरों के अनुसार, ऐसा अनुमान किया जाता है कि 16 वर्ष से 25 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोगों में अकेले दिल्ली में ही 75 हजार से 90 हजार तक लोग इन दवाओं के आदी हैं। ये ऐसे लोग हैं जो डाक्टरों के पास पंजीकृत हैं अथवा जिन्हें डाक्टर जानते हैं अथवा जिन्होंने कुछ चिकित्सा उपचार कराया है। उनमें से उन लोगों की, जो उपयुक्त चिकित्सा केन्द्रों पर नहीं पहुंचते हैं, उनकी संख्या के बारे में अनुमान लगाया जाना है। एक-दो बार समाचार-पत्रों में यह खबर भी प्रकाशित हुई है कि समाज विरोधी तत्वों के कुछ ऐसे गिरोह हैं जो विश्वविद्यालयों में अपनी गतिविधियां जारी रखते हैं और कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में इन युवा छात्रों को ये दवाएं प्रयोग करने हेतु बाध्य करते हैं। अब प्रश्न यह हैं कि ये दवाएं कहां पर उपलब्ध हैं ? मंत्री महोदय ने बताया है कि दवाओं पर नियंत्रण है। दिल्ली विश्वविद्यालय में ये दवाएं पान की दुकानों पर भी उपलब्ध होती हैं। यदि ये दवाएं केवल

कारखाने के लिए जाने के लिए नियमित होती हैं तो ये किस तरह उन स्थानों पर पहुंच जाती हैं ?

श्रीमन्, मन्त्री महोदय ने इस प्रकार की केवल चार दवाओं के नाम लिए हैं। मुझे नहीं मालम कि चरस उनके अन्तर्गत हैं अथवा नहीं। मैं कुछ और अधिक दवाओं के नाम बताऊंगा। एल०एस०डी०, ट्रिक्विलाइजर्स, हिपनोटिक्स, बर्बीट्यूरेट्स, अफीम पेथिड्राइन, मारफिन और हिरोयन और कोकिन ऐसी औषधियां हैं जो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और युवा वर्ग उनका आदी होता जा रहा है।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि उन लड़कों में से एक ने, जिसका हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज किया गया है, स्वीकार किया है कि पुलिस के लोग इसमें शामिल हैं और वे इन दवाओं की प्राप्ति में सहायता करते हैं। श्रीमन्, यह बात अत्यन्त खतरनाक है क्योंकि दिल्ली के युवक इसके चंगुल में हैं और वे एजेंसियां, जिनका माननीय मन्त्री महोदय ने उल्लेख किया है, और जो इन पर नियंत्रण रखती हैं उनका इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है।

अब मैं माननीय मन्त्री महोदय से एक विशेष प्रश्न करता हूं। महानगरों के खासतौर पर दिल्ली के विश्वविद्यालयों और कालेजों के गुमराह हुए छात्रों का दवाओं के दुरुपयोग की गतिविधियों से मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष योजनाएं बनाई गई हैं और दवाओं को अवैध रूप से बाजार में पहुंचाने, खासतौर पर भण्डारों से आने वाली दवाइयों की, गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या दन्ड सोचा है ? यह मेरा पहला प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न करने में ही बहुत समय ले लिया है।

श्री बी० शंकरानन्द : श्रीमन्, मैंने पहले ही सदन को बता दिया है कि इस औषधि प्रशासन पर वित्त मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनेक प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निगरानी रखी जाती है। श्रीमन्, यह सच है, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारे बहुत से युवक इन खतरनाक दवाओं के बढ़ते हुए उपयोग में सम्मिलित होते जा रहे हैं। इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक बात से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि स्वयं यह अधिनियम 1930 में अस्तित्व में आया और इस अधिनियम में पिछला संशोधन संभवतः 1952 अथवा 1953 में किया गया था। यह समझा जाता है कि वित्त मन्त्रालय एक विधेयक लाने का प्रयास कर रहा है जिसमें इन सभी समस्याओं का, जिनका कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, ध्यान रखा जाएगा। लेकिन क्योंकि यह सीधे मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं है, मैं यह नहीं कह सकता कि मैं ऐसा करने में सफल रहूंगा। लेकिन दिल्ली प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, केवल 381 व्यक्ति अफीम के आदी व्यक्ति के रूप में हैं जिनके नाम आबकारी विभाग में इस समय पंजीकृत हैं। इन दवाओं का पता लगाने, दंड देने अथवा छापे मारने का कार्य सम्बद्ध राज्य सरकारों का है।

आंकड़े जो उन्होंने बनाए हैं, उनके अनुसार मै कह सकता हूं कि इनके द्वारा मारे गए छापों के परिणामस्वरूप.....

अध्यक्ष महोदय : शंकरानंद जी, मैं समझता हूं कि वे उन व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं जो अवैध रूप से ये दवाएं लेते हैं और ये दवाएं युवा पीढ़ी को सप्लाई की जा रही है, और यदि हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते तो यह अत्यन्त खतरनाक है। आपको प्रवर्तन (एन फोर्सिंग) अधिकारियों के साथ सम्पर्क रखना होगा और इस पर हमें अवश्य नियंत्रण करना चाहिए। यह बात उन्होंने कही।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन यदि मैं आपको ये आंकड़े बताऊं कि दवाओं के इस अवैध विक्रय के प्रति हम किस तरह कार्य कर रहे हैं और प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो उससे यही जाहिर होगा कि हम इस सम्बन्ध में सजग रहे हैं। दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रदर्शित आंकडो के अनुसार, पुलिस और आबकारी आसूचना ब्यूरो द्वारा मारे गए छापों के परिणामस्वरूप 1981 में 784 अफीम के मामलों का पता लगाया गया।

परन्तु जून, 1982 तक वे 215 मामलों का पता लगा चुके थे अर्थात् आधे वर्ष में। प्रवर्तन एजेंसियां इन मामलों का पता लगाने में सावधानी से कार्य कर रही हैं।

खतरनाक औषधि अधिनियम के अन्तर्गत 1981 में 16 मामलों का पता लगाया गया। परन्तु वर्ष 1982 में जून तक 23 मामलों का पता लगाया गया। इससे पता चलता है कि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पकड़ के मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः वे उचित कार्यवाही कर रही हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा उपलब्ध किए गए आंकड़ों में बताया गया है कि संस्थान में इलाज कराने वाले व्यक्तियों की संख्या 75,000 से बढ़कर 90,000 हो गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का क्लीनिक सप्ताह में एक बार खुलता है। मैं नहीं समझता कि इलाज करवाने वाले इतने व्यक्तियों के लिए सप्ताह में एक बार क्लीनिक खोलना पर्याप्त है। मैं चाहता हूं कि इसे सप्ताह में सात दिन या एक दिन से अधिक दिन खोलने पर विचार किया जाए।

मेरा दूसरा प्रश्न है : आप कहेंगे कि इस प्रश्न का सम्बन्ध गृह मन्त्रालय से है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया प्रश्न पूछें। आप पहले ही 10 मिनट ले चुके हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : क्या सरकार इस बात का पता लगाने में समर्थ है कि दिल्ली परिसर में नशीली वस्तुएं, मार्फीन, कोकिन तथा अन्य औषधियां कहाँ से तस्करी द्वारा लाई जाती हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कैमिस्टों के माध्यम से लाई जाती हैं जोकि आपके मंत्रालय के अधीन है।

श्री बी० शंकरानंद : मैं पहले ही बता चुका हूं कि खतरनाक औषधि अधिनियम

के उपबन्धों तथा उनके अन्तर्गत नियमों के अन्तर्गत इन औषधियों के रखने तथा बेचने के बारे में कुछ उपबन्ध दें और यदि वे नियमों का उल्लंघन करके ये औषधियाँ रखते तथा बेचते हैं तो यह दंडनीय होगा। और जैसाकि मैंने बताया है कि दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस की आसूचना शाखा इस ओर ध्यान दे रही हैं।

जहां क्लीनिक का सम्बन्ध है, क्लीनिक को अधिक खोलने से हमें व्यसनियों का इलाज करना पड़ेगा।

पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा में मार्क्सवादी शिक्षा

*165. †श्री सूरज भान

श्री अटल विहारी वाजपेयी : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में छपे इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा द्वारा मार्क्सवादी शिक्षा दी जा रही है और वहाँ के लोग अपने देश की तुलना में मार्क्स तथा लेनिन के बारे में अधिक सीखते हैं;

(ख) इस बारे में तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सम्बद्ध राज्यों को क्या परामर्श दिया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) ऐसी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में शिक्षा को राजनीति का क्षेत्र बनाया जा रहा है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे बच्चों की शिक्षा में अव्यावहारिक दृष्टिकोण से बचकर रहें और इस बात को भी सुनिश्चित करें कि पाठ्य पुस्तकों से समुचित मूल्योन्मुख और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले।

श्री सूरज भान : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री के अलफाज कोट करके अपना प्रश्न पूछना चाहूंगा। प्रधान मन्त्री ने कहा है कि—

> "लंदन से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक पत्रिका "पीपल" के सम्पादक को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि मार्क्सवादी राज्यों में मार्क्सवादी शिक्षा दी जाती है।"

इसके बाद उन्होंने कहा है कि :

> "लोग अपने देश की बजाय मार्क्स तथा लेनिन के बारे में अधिक सीख रहे हैं।"

श्रीमती शीला कौल : माननीय सदस्य ने पूछा है कि हमने इस बारे में स्टेट्स से क्या बातचीत की है। मैं बताना चाहती हूं कि एजूकेशन मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर,

त्रिपुरा को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि "टु स्टीयर क्लीयर आफ दि आइडियालोजिकल कनसिडरेशन्ज इन दि स्कूल एजूकेशन"। फिर एजूकेशन मिनिस्टर ने लिखा था एजूकेशन मिनिस्टर, वेस्ट बंगाल को भी। पहले वाले साहब का तो जवाब आ गया था, दूसरे का जवाब नहीं आया। एजूकेशन मिनिस्टर ने एजूकेशन मिनिस्टर्ज कान्फरेन्स में इसका जिक्र किया था कि किस तरह से स्टेट्स को एजूकेशन के सिलसिले में इन बातों से अलग रहना चाहिए।

एजूकेशन मिनिस्टर्ज की एक कान्फरेंस की गई थी। उसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी यह कहा था कि एजूकेशन में हमें और वैल्यूज पर जोर देना चाहिए और इस विषय में हमें छोटे लेवल पर.....

एक माननीय सदस्य : कांफरेंस कब हुई थी ?

श्रीमती शीला कौल : यह हुई थी जून, 1981 में।

उसके बाद हम बराबर चिट्ठियां लिखते रहे हैं। एजूकेशन मिनिस्टर ने, एजूकेशन सेक्रेटरी ने, सारे दफ्तर वालों ने और डायरेक्टर, एन०सी०ई०आर०टी० ने भी इसी पर चिट्ठी लिखी कि हमारी टैक्स्ट-बुक्स को रीव्यु करना चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप गलत जगह चिट्ठी लिख रहे हैं। मास्को चिट्ठी लिखनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सूरज भान : मैंने सवाल किया था कि क्या मंत्री महोदय राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाकर इस बारे में निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा है कि चिट्ठियाँ लिखी हैं।

श्रीमती शीला कौल : ये शिकायतें हैं अप्रैल, 1981 की। अप्रैल के बाद ही तो जून आता है।

श्री सूरज भान : क्या मन्त्री महोदय बताएंगी कि कौन सी क्लास से बच्चों की किताबों में इस किस्म की चेंज आई है ? क्या यह भी सच है कि कुछ किताबें हिन्दी, अंग्रेजी और बंगाली में मास्को और पूर्वी जर्मनी में छपकर यहाँ भेजी जा रही हैं, जिसमें इस तरह का इनडाक्ट्रिनेशन किया जाता है और जिनमें सुभाषचन्द्र बोस, रवीन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी पर छींटाकशी की गई है; यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है और क्या मास्को और पूर्वी जर्मनी को कोई प्रोटेस्ट भेजा गया है ?

श्रीमती शीला कौल : मुझे यह जानकारी नहीं है कि ये किताबें कहाँ छपी हैं। लेकिन यह जरूर है कि एक शिकायत आई थी कि वहां **सहज पाठ** को रोका गया था, दो साल हुए, जिसमें इन बातों का जिक्र था। फिर मिनिस्ट्री ने इसको टेक अप किया था और उन्होंने कहा था कि हम **सहज पाठ** को भी चालू रखेंगे और उनको अपनी किताब थी किशलय, उसको हम चलाएंगे **सहज पाठ** के साथ। माननीय सदस्य फरमा रहे हैं कि

इसके बारे में क्या किया है । हमने यही किया है कि हमने रिजेंटमेंट दिखाई, जिससे यह किताब वहां पर अभी तक चल रही है ।

प्रो० के०के० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालयों में राजनीति के प्रवेश का प्रश्न बहुत दिनों से एक ज्वलंत प्रश्न बना हुआ है और इससे देश के अध्यापक, बुद्धिजीवी और समझदार व्यक्ति उत्तेजित हो रहे हैं । माननीय सदस्य मूल प्रश्न से दूर हट गए हैं । मूल प्रश्न यह नहीं है कि क्या शिक्षा को राजनीति का क्षेत्र बनाया जा रहा है, शायद शिक्षा का क्षेत्र देश की राजनीति से अछूता नहीं रह सकता । महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा एक विशिष्ट विचारधारा की शिक्षा देना है । प्रश्न में पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा का हवाला दिया गया है । जैसा आपको पता है कि इन राज्यों में 'वन्दे मातरम्' के स्थान पर 'लाल सलाम' का नारा दिया जा रहा है । इस उद्देश्य को लेकर मार्क्सवाद से प्रभावित प्राधिकारियों द्वारा स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की इतिहास की पुस्तकों को विकृत किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आपको तथ्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । आप प्रश्न पूछें ।

प्रो० के०के० तिवारी : अतः मैं शिक्षा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें पश्चिम बंगाल के शिक्षकों और बुद्धिजीवियों से असंख्य ज्ञापन प्राप्त हुए हैं और क्या हमारे देश के इतिहास को विकृत करने के विरोध में उन्होंने हड़ताल की है और क्या पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में विश्वविद्यालयों तथा स्कूलों में एक क्रमबद्ध तरीके से शिक्षा दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

श्रीमती शीला कौल : जिन शिकायतों का मेरे मित्र ने जिक्र किया है वे असंख्य प्राप्त हुई हैं । मेरे पास सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट है । पश्चिम बंगाल के कुछ व्यक्तियों और शिक्षाविदों ने एक सर्वेक्षण किया है । रिपोर्ट हमें भेजी गई है । जिस बात का मेरे मित्र ने जिक्र किया है उन्होंने भी वही बात कही है..... (व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं यह जानना चाहता हूं... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका ठीक नहीं है । मैं अनुमति नहीं देता ।
(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : लालकिले के सामने जो कालपात्र दबाया गया था उसे निकाला गया था और उसमें पाया गया कि इतिहास का स्वरूप बिगाड़ दिया गया है । किसी बात की चर्चा न करें ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । रुकावट डालने का प्रयास न करें ।

श्रीमती शीला कौल : कक्षा-4 के बारे में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं । साम्यवादी

विचारधारा के बारे में प्रश्न पूछे गए थे । ये सब शिकायतें गलत हैं या ठीक हैं, मुझे नहीं पता । हमें शिकायतें प्राप्त हुई हैं । मुझे उत्तर देना है ।·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । इस तरह का व्यवहार न करें ।

श्रीमती शीला कौल : भर्ती के बारे में भी शिकायतें की हैं, विशेषकर प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की भर्ती में, सी०पी०आई० (एम०) के कार्यकर्ताओं को नौकरी दी जाती है·····(व्यवधान)

प्रशिक्षित अध्यापकों और स्नातक व्यक्तियों को छोड़ दिया जाता है और लोगों का खर्च·····(व्यवधान)

संसद सदस्यों ने भी शिकायतें की हैं·····(व्यवधान)

चूंकि प्रश्न पूछा गया है और मुझे उत्तर देना है । अन्यथा मैं ऐसी बात नहीं कहती । संसद सदस्यों ने पश्चिम बंगाल में शिक्षा क्षेत्र में पाठ्यक्रम के बारे में भी शिकायत की है ।

उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी अपनी पद्धति की शुरूआत करने के लिए पाठ्यक्रम पुनर्निर्मित करने के नाम पर शिक्षा का राजनीतिकरण किया जा रहा है । (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अध्यक्ष महोदय, मैं विषय के अनुसार ही बोलूंगा । शिक्षा मन्त्री जी की तरह विषयान्तर नहीं करूंगा । आपको मुझे समय देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न कीजिए ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : सर्वप्रथम, मैं विनयपूर्वक उल्लेख करता हूं कि शिक्षा मन्त्री ने अपने उत्तर में कहा है कि उन्हें प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं । प्रतिवेदन किनसे प्राप्त हुए हैं ? वे कौन सी एजेंसियां हैं जिन्होंने आपको निवेदन किया है ? क्या यह सच है कि आपके ही दल के लोगों ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों से आपको निवेदन किया ?

दूसरा, यदि उन्होंने आपसे निवेदन किया भी है तो क्या आप चाहते हैं भारतीय विश्वविद्यालयों में मार्कसवाद की पढ़ाई पर रोक लगा दी जाए ? यदि ऐसा है तो, मैं आपको कहूंगा कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, गुजरात, बम्बई में से किसी भी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को देखें । सभी विश्वविद्यालयों में मार्कसवाद की पढ़ाई होती है, मार्कसवाद पाठ्यक्रम का एक भाग है । पश्चिमी देशों में भी संयुक्त राज्य अमेरिका में···(व्यवधान) जब शिक्षा मन्त्री इस सदन में आरोप लगा रही हैं, तो क्या वह आरोप लगाने से पहले इस बात की जिम्मेदार नहीं हैं कि वह सत्य का पता लगाएं ? मैं शिक्षा मन्त्री को इस मामले में चुनौती देता हूं क्योंकि मैं भी शिक्षा से सम्बन्ध रखता हूं, मैं पाठ्यक्रम के विषय में जानता हूं और पाठ्यक्रम में क्या परिवर्तन

किए गए हैं यह भी जानता हूं। जो परिवर्तन किए गए थे, सदन को मालूम हो कि वे सिद्धार्थ शंकर राय के शासन के दौरान जब वह मुख्य मन्त्री थे स्वीकार किए गए थे। (व्यवधान) क्या शिक्षा मन्त्री जानती हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो भी परिवर्तन किए गए हैं, वे सिद्धार्थ शंकर राय के मुख्य मंत्रित्व काल के दौरान सभी शिक्षाविदों द्वारा स्वीकार किए गए थे ? उन्हें वामपंथी सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। (व्यवधान) क्या वे इस तथ्य से अवगत हैं कि सम्पूर्ण पाठ्यक्रम समिति श्री सिद्धार्थ शंकर राय द्वारा गठित की गई थी ?

अध्यक्ष महोदय : यह सब ठीक है। आप इसे दोहरा क्यों रहे हैं ? आपने इसे तीन बार कह चुके हैं। आप प्रश्न करिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह आरोप अप्रमाणित और निराधार है। मैं सरकार और शिक्षा मन्त्री पर आरोप लगाता हूं कि वह अप्रमाणित तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार की छवि धूमिल करने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए। प्रोफेसर क्या यही प्रश्न है ?

(व्यवधान)

आप मजाक करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ? आप मुझे इसे नियम से चलाने क्यों नहीं देते ?

(व्यवधान)

श्रीमती शीला कौल : माननीय सदस्य ने मुझसे पूछा है कि मुझे ये विवरण कहां से प्राप्त हुए। मैं वही विवरण दे रही हूं जो मेरे पास है। जैसाकि मैंने कहा, यह मुख्याध्यापक एसोशिएशन..... (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वह आपके अपने दल की एसोशिएशन है। (व्यवधान) यह बात उनके दल ने कभी भी पश्चिम बंगाल विधान सभा में नहीं उठाई क्योंकि उन्हें पता है कि वे हार जाएंगे। (व्यवधान)**

(व्यवधान)

डा० कृपासिंधु भोई : महोदय, आप इस पर एक आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं इससे सन्तुष्ट नहीं होता तो मैं इस विषय पर चर्चा की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

** अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सदस्य मन्त्री को इस प्रकार नीचा नहीं दिखा सकते हैं। यह बहुत अनुचित है ।

श्रीमती शीला कौल : मैं आपका संरक्षण चाहती हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं वह दे रहा हूं ।

श्रीमती शीला कौल : माननीय सदस्य जोर-जोर से बोलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको नीचा नहीं दिखाया जा सकता है ।

श्रीमती शीला कौल : वे सच नहीं सुनना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : असत्य ।*

अध्यक्ष महोदय : जो उन्होंने कहा वह कार्यवाही वृतान्त का भाग नहीं बन सकता है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मार्क्सवादियों ने सदैव ही अपने दल की नीतियों में प्रचार किया है कि भारत एक देश नहीं है बल्कि यह बहु-राष्ट्रीय देश है । वे ऐसा अपने दल में ही कर सकते हैं । परन्तु, क्या मन्त्री महोदय को पता है कि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के छात्रों को यही पढ़ाया जा रहा है कि भारत एक देश नहीं है बल्कि बहु-राष्ट्रीय देश है ? क्या मन्त्री महोदय इसे बन्द कराने के लिए कदम उठाएगी क्योंकि मेरा विश्वास है कि की गई शिकायतों में से यह ही एक है ? (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह इस शताब्दी की सबसे बुरी**....है ।

अध्यक महोदय : जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वह संसदीय नहीं है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मुझे खेद है, असत्य ।

श्रीमती शीला कौल : माननीय सदस्य मेरे दल के नहीं हैं । वह भी वही बात कह रहे हैं...(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरे माननीय मित्र, श्री नीरेन घोष यह स्वीकार करते हैं कि यह एक बहु-राष्ट्रीय देश है ।

श्री नीरेन घोष : जी हाँ, वे हमारी झूठी निन्दा कर रहे हैं । यह एक बहु-राष्ट्रीय देश है परन्तु एक है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर सत्यसाधन ने इससे पुरजोर इन्कार किया है ।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

श्री ए०के० राय : महान व्यक्ति किसी एक देश से सम्बन्धित नहीं होते हैं, वे पूरे विश्व से सम्बन्धित होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : पहले वे देश से सम्बन्धित हैं बाद में विश्व से।

एक माननीय सदस्य : जी, नहीं। पहले विश्व से फिर देश से।

श्री ए०के० राय : क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदय का ध्यान जवाहर लाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक **'डिस्कवरी आफ इंडिया'** के पृष्ठ 14-15 पर दिलाया गया है, जिसके अनुसार :

> 'मार्क्स और लेनिन के अध्ययन ने मेरे मस्तिष्क पर एक जबरदस्त प्रभाव डाला और इतिहास और सामयिक घटनाओं को नए दृष्टिकोण से देखने में सहायता की। लगता है कि इतिहास और सामाजिक विकास की लम्बी कड़ियों का कुछ अर्थ है, कुछ क्रम है और भविष्य ने इसकी थोड़ी सी अस्पष्टता कम कर दी है।"
>
> **(व्यवधान)**

श्री ए०के० राय : मैं जवाहरलाल नेहरू को उद्धृत कर रहा हूं।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : वे उससे भी डटे हुए हैं।

श्री ए० के० राय : यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के उदाहरण का पालन करेगी और सभी राज्यों में, विशेषकर संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में, मार्क्स और लेनिन का गहन अध्ययन करने का सुझाव देंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : यह असम्बद्ध है।

श्री ए०के० राय : जवाहरलाल नेहरू असम्बद्ध है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री राय, आपका प्रश्न असम्बद्ध है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या वे पंडित नेहरू को अस्वीकार कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह अस्वीकार करनें का प्रश्न नहीं है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सूरज भान जी ने हो सकता है कि राजनीति से प्रेरित होकर यह प्रश्न न पूछा हो लेकिन श्री तिवारी जी ने इस प्रश्न के अन्दर आग लगाकर यह सिद्ध कर दिया कि यह राजनीतिक प्रश्न है। मैं इसे राजनीतिक नहीं बनाना चाहता। **(व्यवधान)**

मुझे खेद है कि शिक्षा मंत्री भी राजनीति में उलझ गए। मैं यह जानना चाहता हूं कि त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी शिक्षा जो दी जा रही है, उसके लिए मंत्री जी ने कहा है कि उन्हें सूचना मिली है, शिकायत मिली है। जब यह शिकायत इनको

मिली तो यह बताएं कि वह शिकायत इनको कब मिली थी और कौन-कौन से सदस्यों ने शिकायत की है और अब तक इस ओर क्या कार्यवाही की है।

अध्यक्ष महोदय : इसका पहले ही जवाब दिया जा चुका है। अगला प्रश्न।

रेल कर्मचारियों के वेतनमानों और संवर्गों को पुनर्व्यवस्थित करना

*167. †**श्री मोहम्मद असरार अहमद**

श्री डी०एस०ए० शिव प्रकाशम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारियों के संवर्गों और वेतनमानों को पुनर्व्यवस्थित करने के बारे में कई महीनों पहले लिए गए निर्णयों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया तथा इससे पूरे देश के रेल कर्मचारी बेचैन हो गए हैं,

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या विचार है, और

(ग) उपरोक्त निर्णयों के कब तक कार्यान्वित किए जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) : संयुक्त वार्ता तंत्र योजना के अधीन गठित विभागीय परिषद (रेलवे) की संवर्ग पुनर्संरचना समिति द्वारा वर्ग 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों के लिए दिए गए कुछ प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कार्यान्वित करने के लिए बकाया नहीं है।

मो० असरार अहमद : अध्यक्ष महोदय, रेल के तीन मन्त्री बदल गए। चौथे मंत्री आए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि ये प्रपोजल क्या हैं, कब आए और अभी कितना वक्त लगेगा सरकार को इसमें निर्णय लेने में ?

श्री मल्लिकार्जुन : कैडर रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी आफ दी डिपार्टमैंटल काउंसिल रेलवेज जो ज्वायंट कंसलटेटिव मशीनरी के तहत स्थापित हुई थी उसकी जो 13वीं और 14वीं रिपोर्ट्स हैं वे मेनली कर्मचारियों के पे स्केल के रिविजन, अपग्रेडेशन, आदि के सम्बन्ध में हैं। इस विषय पर रेलवेज ने बड़ी शीघ्रता के साथ फाइनेंस मिनिस्टरी और होम मिनिस्टरी के साथ सलाह मश्विरा किया लेकिन कुछ टैक्नीकल चीजें हैं जिनके कारण इस मामले को कैबिनेट के सामने उसकी अनुमति के लिए, स्वीकृति के लिए पेश किया जाएगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : कैसे भेजा जाएगा प्रोपोजल्ज को, कब भेजा जाएगा। जनरली प्रोपोजल्ज क्या हैं ? कौन सी प्रोपोजल्ज को मानने में कठिनाई है और वे कौन सी हैं जिनको मानने में कठिनाई नहीं है ?

श्री मल्लिकार्जुन : इसको कैबिनेट कमेटी के सामने रखा जा चुका है किन्तु कोई निर्णय नहीं लिया गया। हम आशा करते हैं कि तुरन्त कैबिनेट कमेटी के विचार इस समस्या पर प्राप्त हो जाएंगे।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : यह पूछा है कि प्रोपोजल्ज कब आई थीं, कम अज कम यह तो बताया जाए।

अध्यक्ष महोदय : बताइये और उनका गुस्सा ठंडा करिये।

श्री बासुदेव आचार्य : महोदय, दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत पुरूलिया से हावड़ा के लिए एक एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलाने की बहुत बड़ी मांग थी। माननीय मंत्री ने भी एक वक्तव्य दिया था कि इस पर विचार किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलाने के लिए पुरूलिया के लोगों की मांग को देखते हुए इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, यह प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : विशिष्ट उत्तर के लिए आपको एक विशिष्ट प्रश्न करना होगा, परन्तु इस प्रकार नहीं पूछा जा सकता है।

भारत और श्रीलंका के बीच नौवहन सेवाएं

*169. **श्री के० डी० कोसलराम :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा भारत में रामेश्वरम और श्रीलंका में तलाइ मन्नार के बीच जहाज सेवाएं बन्द करने के क्या कारण हैं,

(ख) यह सेवाएं पुनः कब से चालू करने की सम्भावना है,

(ग) क्या श्रीलंका ने कोलम्बो और तूतीकोरीन के बीच कोई सेवा शुरू की है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) भारत में रामेश्वरम और श्रीलंका में तलइमन्नार के बीच भारतीय नौवहन निगम द्वारा परिचालित जहाजी सेवा बन्द नहीं है बल्कि यह प्रतिवर्ष अक्टूबर के मध्य से दिसम्बर के अन्त तक मौसम के खराब रहने और समुद्र के प्रायः तूफान ग्रस्त रहने के कारण स्थगित रहती है।

(ख) यह सेवा प्रति वर्ष मानसून की अवधि के समाप्त होने के बाद जनवरी के प्रथम सप्ताह में फिर शुरू हो जाती है जब मौसम सामान्य हो जाता है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय ने मेसर्ज लंका मेरीन्स लिमिटेड, कोलम्बो द्वारा टूटीकोरिन और कोलम्बो के बीच यात्रियों के लिए जहाजी सेवा शुरू करने के बारे में विदेश मंत्रालय को अपनी अनापत्ति 2 सितम्बर, 1982 को सूचित कर दी है। यह सेवा मुख्यत: भारत और श्री लंका के बीच पर्यटकों और धार्मिक यात्रियों के लिए होगी।

श्री के० टी० कोसलराम : महोदय, मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह इस तथ्य के कारण नहीं है कि तलाईमनार में इतनी तेजी से गाद एकत्र हो रही है कि इस सेवा को बन्द करना पड़ा है ? भारतीय नौवहन निगम की सेवा क्यों नहीं शुरू करें ? यदि यह सेवा श्रीलंका के नौवहन के लिए लाभकारी है तो भारतीय नौवहन निगम के लिए लाभकारी क्यों नहीं होगी ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : महोदय, माननीय सदस्य कोलम्बो और तूतीकोरीन के बीच सेवा के बारे में पूछ रहे हैं। महोदय, हमने स्वय मूल्यांकन किया है। दो अथवा तीन बार मूल्यांकन किया गया था और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह सेवा आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं होगी। प्रश्न अनुमान का है। श्रीलंका की प्राइवेट कम्पनी ने स्वयं अपना मूल्यांकन किया हो सकता है उन्होंने यह सेवा चलाने का निर्णय किया हो, भले ही उन्हें हानि हो, और उस हानि के लिए उन्हें राज सहायता मिलती हो। इस तरह की कोई व्यवस्था होगी। अत: हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जैसा कि भारत और श्रीलंका के बीच सेवा है। इस समय जो सेवा तलाइमनार और कोलम्बो के बीच चलाई जा रही है उससे प्रयोजन पूरा हो जाएगा और तूतीकोरिन तथा कोलम्बो के बीच सेवा शुरू न करने का निर्णय हमारे द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

श्री के० टी० कोसलराम : क्या माननीय मन्त्री को पता है कि तूतीकोरीन पत्तन न्यास के भूतपूर्व चेयरमैन, श्री कॉयल पिल्ले ने, जिन्हें एक सदस्यीय आयोग के रूप में नियुक्त किया गया था, भारतीय नौवहन निगम द्वारा सेवा चलाए जाने के बारे में व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : एक रिपोर्ट मंगाई गई थी। रिपोर्ट प्रस्तुत की भी गई। रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दिया गया है कि यह सेवा व्यवहार्य नहीं होगी।

श्री के० राममूर्ति : इस संबंध में माननीय मंत्री का उत्तर बिल्कुल सही है। 'कोपू' रिपोर्ट में यह पाया गया था कि यद्यपि हानि हो रही थी तथापि वे इस परम्परागत लाइन, अर्थात् पेनांग से मद्रास और तलाइमनार (कोलम्बो से भारत), को बनाए रखना चाहते थे। अत: इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि खराब मौसम की बात तथा अन्य बातें कहने के बजाए वे इसे सारा साल चला सकते हैं। इस

सम्बन्ध में माननीय मन्त्री क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ?

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री के० मायातेवर : माननीय मन्त्री मेरे माननीय मित्र श्री टी० कोसलराम द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि इन दो स्थानों के बीच पोतों का चलाया जाना प्रत्येक वर्ष अक्तूबर और दिसम्बर के बीच बन्द कर दिया जाता है । मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इस वर्ष समूचा दक्षिण सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है - कोई बादल नहीं हैं, कोई आंधी नहीं, कोई वर्षा नहीं, कोई बादलों की गरज नहीं है·····।

अध्यक्ष महोदय : बादल के बिना आप वर्षा की आशा कैसे कर सकते हैं ?

श्री के० मायातेवर : यदि जलवायु सभी पोतों को चलाने के लिए उचित नहीं है तो ऐसी परिस्थितियों में, जो पोतों को चलाने के लिए उचित नहीं हैं, हम पोतों को चलाना बन्द कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं ।

श्री वी० ओ० चिदम्बरम पिल्ले, जो कि एक महान योद्धा, कार्यकर्ता, देशभक्त तथा शूरवीर था, इस देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ा । उसने पोत चलाया, बर्तानिया सरकार के विरुद्ध वह लड़े । यह दक्षिण में तूतीकोरिन तथा अन्य स्थानों, जैसे कोलम्बो का एक इतिहास है । वह पहला व्यक्ति था जिसने ब्रिटिश राज के विरुद्ध एक पोत चलाया था । मैं नहीं जानता कि यह आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य है अथवा नहीं । लेकिन, भले ही आर्थिक दृष्टि से हमें हानि क्यों न होती हो, क्या सरकार का यह सामाजिक कर्तव्य नहीं है, क्या यह एक सार्वजनिक उपयोगिता नहीं है, कि इस सामाजिक दायित्व को निभाया जाए और कुछेक स्थानों के लिए पोत चलाए जाएं, जैसा कि रेल सेवा के सम्बन्ध में किया जाता है । श्री वी० ओ० चिदाम्बरम की स्मृति में तूतीकोरीन और श्रीलंका के बीच निरन्तर पोत चलने दिए जाने चाहिए ।

श्री सी० एम० स्टीफन : सामाजिक प्रयोजन के लिए सेवा चलाना एक बात है । लेकिन श्रद्धापूर्ण स्मृति में सेवा चलाना एक भिन्न बात है । एक महान देशभक्त की स्मृति को आदर देने का तरीका यह नहीं है कि उनके रहने के स्थान और किसी अन्य देश के बीच कोई पोत चलाया जाए । प्रश्न व्यवहार्यता का है । अब यह प्रश्न बिल्कुल नहीं उठता, क्योंकि कोई इस सेवा को चलाने के लिए तैयार है और हम यह कह चुके हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं । उन्हें यह सेवा चलाने दीजिए । सामाजिक प्रयोजन पूर्णतया सफल हो जाएगा ।

जहाँ तक मौसम की बात है, समुद्र की स्थिति के बारे में आपका अनुमान, यहाँ की परिस्थितियों का अनुमान, एक आम दृष्टिकोण द्वारा जायजा लेने का मामला नहीं है । यह एक ऐसा मामला है जिसका सामुद्रिक दृष्टि से जायजा लिया जाना है, और

मूल्यांकन यह है कि मौसम खराब होता है और इस अवधि विशेष में इस सेवा को चलाना खतरनाक होगा, इसलिए नहीं कि सेवा चल नहीं सकती, बल्कि इसलिए कि उस क्षेत्र में पत्तन के किनारे यात्रियों को उतारना कठिन होगा, और इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है।

श्री राममूर्ति द्वारा पूछे गए इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या कोई अन्य पोत यह सेवा चला सकता है, जिससे कि वे पोत में बैठने के स्थान तक पहुंच सकें, मैंने पहले ही बताया है कि इस मामले पर मैं विचार करूंगा।

रेल डिब्बों की औसत गति और परिचालन के घंटे

*171. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्री रेल गाड़ी के एक आधुनिक डिब्बे की अनुमत अधिकतम गति और प्रति घंटा वास्तविक औसत गति कितनी है; और

(ख) यात्री रेल गाड़ी के आधुनिक डिब्बे का प्रतिदिन कितने घटे औसत परिचालन होता है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) बड़े आमान के आधुनिक डिब्बों की अधिकतम गति 130 कि०मी० प्रति घंटा और मीटर आमान के डिब्बों की गति 100 कि०मी० प्रति घंटा है।

यह गति प्राप्त की जा सकती है बशर्ते ये डिब्बे विनिर्दिष्ट स्तर के रेलपथ पर चलें और इनमें बेहतर और आधुनिक फिटिंग लगी हो और इनका बार-बार अनुरक्षण किया जाये। औसत गति गाड़ियों के लिए निकाली जाती है न कि प्रति सवारी डिब्बा। 1981-82 के दौरान (नवीनतम वर्ष जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं) विभिन्न यात्री गाड़ियों की औसत गति नीचे निर्दिष्ट की गयी है:—

	औसत गति (कि०मी० प्रति घंटा)	
	ब०ला०	मी०ला०
बिजली गाड़ियां	32·5	31·3
डाक/एक्सप्रेस गाड़ियां	47·2	35·0
पैसेंजर गाड़ियां	27·0	24·4
मिश्रित गाड़ियां	24·8	18·6

(ख) एक सवारी डिब्बे का प्रतिदिन परिचालन दिखाने के लिए नियमित आंकड़े संकलित नहीं किये जाते हैं। लेकिन, आधुनिक और पुराने दोनों कोचिंग वाहनों का उपयोग वाहन कि०मी० प्रति वाहन दिन के सूचकांक से आंका जाता है (जिनमें सभी डिब्बों को लेखे में लिया जाता है जिसमें निष्क्रिय डिब्बे, कारखानों में पड़े डिब्बे और टर्मिनलों में पड़े हुए डिब्बे शामिल हैं)।

1981-82 के लिए यात्री कोचिंग वाहन कि०मी० प्रति वाहन दिन के आंकड़े

ब०ला०	मी०ला०
317	181

श्री सत्य नारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, सब को पता है कि हमारे देश में रेल के यात्री गाड़ियों के डिब्बों की बहुत कमी है। आपको यह पढ़कर और सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ रेल गाड़ियों की औसत गति, जो फास्ट ट्रेन हैं, बिजली से चलने वाली गाड़िया हैं उनकी गति 32·5 किलो मीटर पर अवर है, डाक एक्सप्रेस गाड़ियों की 47·2 किलोमीटर प्रति घंटा है, पेसेन्जर गाड़ियों की 27 किलोमीटर प्रति घंटा है और मिश्रित गाड़ियों की 24·8 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस तरह से हमारे यहाँ गाड़ियां चलती नहीं रेंगती हैं।

अध्यक्ष महोदय : जटिया जी आपने सुना है—स्लो एंड स्टडी विन्स दी रेस।

श्री सत्य नारायण जटिया : मेरा मंत्री जी से यह कहना है कि यात्री डिब्बों की कमी को पूरा करने के लिए इन गाड़ियों की रफ्तार को बढ़ाकर इस बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सकता है।

मेरा प्रश्न यह है कि जिन गाड़ियों की रफ्तार काफी कम है, उनकी रफ्तार के सुधार करने के लिये रेल मंत्रालय क्या उपाय करने जा रहा है ?

क्या यह भी सच है कि उज्जैन और गुना के बीच चलने वाली गाड़ी के एक फेरे से दूसरे फेरे में 21 घंटे का अन्तर है ? 21 घंटे गाड़ी वहीं पड़ी रहती है। जनता की मांग के अनुसार उज्जैन और इन्दौर के बीच में क्या इसका "फास्ट ट्रेन" के रूप में उपयोग किया जा सकता है ?

श्री मल्लिकार्जुन : मेल एक्सप्रेस गाड़ी की 47 किलोमीटर की स्पीड जो बताई गई है, वह तो एवरेज स्पीड है, लेकिन इनकी परमिटेड स्पीड 100 किलोमीटर है। एक ट्रेन एक स्टेशन से आरम्भ होकर गन्तव्य स्थान तक पहुंचने तक कई स्टेशनों के बीच में आने के कारण और कई कारणों से इसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा होने के बावजूद भी कम होती है। फिर स्पीड टेक-अप करके एक्सेलरेशन लेकर चलती है। इस तरीके से यह एवरेज स्पीड दी गई है। माननीय सदस्य का असली प्रश्न उज्जैन और इन्दौर के बीच गाड़ी का है। इस बारे में गाड़ी चलाने की फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं हो सकता ?

श्री सत्य नारायण जटिया : यह अन्तर अगर दूर हो जाये तो हिन्दुस्तान का उद्धार हो जाये ।

श्री फूल चन्द्र वर्मा : मंत्री महोदय ने गोलमोल जवाब दिया है ।

श्री सत्य नारायण जटिया : मेरा प्रश्न यह है कि कोचेज में सुधार करने के लिये जितना औसत समय लिया जाता है, गाड़ी के डिब्बे जो सुधार के लिए जाते हैं और पड़े रहते हैं, तो कितना औसत समय एक डिब्बे के सुधार करने में लगता है, यह बताया जाये ?

श्री मल्लिकार्जुन : हर वी०जी० कोच में 40 परसेंट रनिंग टाइम होता है और एम० जी० कोच में 33 परसेंट रनिंग टाइम होता है । कोच की रिपेयर और उनकी मेन्टीनेन्स में बाकी का टाइम होता है ।

श्री सत्य नारायण जटिया : औसत समय कितना लगता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह छोटी सी बात है कर लेंगे ।

श्री सत्य नारायण जटिया : मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : महोदय, प्रश्न तो औसत गति और कार्य के घंटों से संबंधित है । लेकिन माननीय सदस्य रखरखाव के समय के बारे में पूछ रहे हैं । उनका प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि बिजली की गाड़ियों के डिब्बों की गति पुराने परम्परागत डिब्बों की गति से अधिक है । निस्संदेह, रेलवे की कुछ लाइनों पर औसत गति भी नहीं रखी जाती । कभी-कभी डिब्बों को भी काट दिया जाता है । अतः रेल यात्रियों में असन्तोष व्याप्त है । रेल मंत्री, श्री गनी खाँ चौधरी यहां उपस्थित हैं । आसनसोल-वर्दवान लाइन पर बहुत भीड़भाड़ रहती है । मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि रेलों के बेहतर कार्यकरण के लिए क्या आसनसोल-वर्दवान लाइन को उप-नगरीय लाइन घोषित किया जाएगा तथा बिजली की गाड़ियां चलाई जाएंगी ।

श्री मल्लिकार्जुन : आसनसोल-वर्दवान लाइन के सम्बन्ध में माननीय सदस्य जो चाहते हैं वह इस प्रश्न से संबंधित नहीं हैं । यह पूर्णतया एक भिन्न प्रस्ताव है । वे उन बातों को चाहते हैं । इस समय हम उनकी मांग को पूरा नहीं कर सकते । आशा है कि भविष्य में हम यह कर सकेंगे ।

महाराष्ट्र में केलों की रेल से ढुलाई में कठिनाई

*173. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने भाड़े में वृद्धि की है और महाराष्ट्र के केला-उत्पादकों के लिए माल गाड़ी के डिब्बों की सप्लाई कम कर दी है जिसके कारण व्यापारियों और उत्पादकों को अपना माल ट्रकों से भेजना पड़ रहा है और रेलवे को भारी नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति को सामान्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 1-4-1982 से पार्सल की दरों में, जिनमें केले के पार्सल भी शामिल हैं, संसद के अनुमोदन से आम वृद्धि की गयी थी । यह वृद्धि रेल भाड़ा-दर जाँच समिति की सिफारिशों पर आधारित थी । फिर भी, जब यह यातायात मध्य रेलवे के भुसावल मंडल से माल डिब्बा भार में ढोया जाए तो इस पर सामान्य भाड़ा दर से 40 प्रतिशत की छूट अनुमेय है । माल डिब्बों की सप्लाई के लिए व्यापारियों की मांग को पूर्णतः पूरा किया जाता है ।

डा० ए० यू० आजमी : बनाना की कीमत डिपेंड करती है उसे पैदा करने के खर्चे पर और उसे सप्लाई करने के खर्च पर । जनता पीरियड में बनाना ग्रोअर्ज को एक वैगन के किराये में 50 परसेंट कनसेशन दिया गया था । हमारी सरकार ने उस कनसेशन को कम करके 30 परसेंट कर दिया । आज मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में कहा है कि उसे बढ़ा कर 40 परसेंट कर दिया गया है । इसके अलावा एक वैगन का किराया 3215 रुपए से बढ़ा कर 4250 रुपए कर दिया गया । इसके नतीजे के तौर पर दोहरा घाटा हुआ । चूंकि लोगों ने बनाना रेल के बजाए ट्रकों से ले जाना शुरू कर दिया, इस लिए रेलवे को घाटा हुआ । दूसरे पब्लिक को महंगा केला खरीदना पड़ा है । मेरा सवाल यह है कि क्या कनसेशन को 40 परसेंट से बढ़ा कर 50 परसेंट किया जाएगा या नहीं । दूसरे, जो वैगन का रेट बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से रेलवे और पब्लिक दोनों सफर कर रहे हैं, क्या उसको रिवाइज करके ऐसे हालात पैदा किए जाएगे कि बनाना रेलवे से सप्लाई कराया जा सके ?

श्री मल्लिकार्जुन : रेट में परिवर्तन तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए बजट में सदन की अनुमति ली गई है । कनसेशन 40 परसेंट से 50 परसेंट नहीं हो सकता । जहां तक रेल डिब्बों की बात है, जून में 244 डिब्बो की मांग हुई और 244 डिब्बे सप्लाई किए गए । अगस्त में 1538 डिब्बों की मांग की गई और 1271 डिब्बों की सप्लाई

की गई। 182 डिब्बे कैंसिल किए गए हैं। सितम्बर में तकरीबन 4589 डिब्बों की मांग की गई, 4600 सप्लाई किए गए और 385 कैंसिल किए गए हैं।

डा० ए० यू० आजमी : जहां तक वैगन प्रोवाइड करने का सवाल है, जहां तक मुझे मालूम है यह हुआ नहीं है। लेकिन जवाब में कहा गया है कि हमने किया है। उसमें फर्क है। लेकिन हम मान लेते हैं कि आपने वैगन की सप्लाई पूरी कर दी लेकिन बनाना के साथ-साथ कन्ट्री को ग्रीन वेजिटेबल की भी जरूरत होती है और उसको पहुंचाने के लिए भी वैगन्स की जरूरत रहती है। मेरी कांस्टीटुएन्सी, जौनपुर में ग्रीन वेजिटेबल बहुत पैदा होती है लेकिन उसको बाहर भेजने के लिए वैगन्स की शार्टेज है। पिछले साल भी मैंने कहा था तो कह दिया गया था कि प्रोवाइड कर दिए हैं लेकिन जौनपुर के लिए वैगन्स प्रोवाइड नहीं किए गए। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं क्या वे जौनपुर में ग्रीन वेजिटेबल्स को बाहर भेजने के लिए जो वैगन्स की डिमाण्ड है उसको पूरा करेंगे ?

श्री मल्लिकार्जुन : ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए बैगन सप्लाई करने के लिए हम तैयार हैं। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने हमारे पास पत्र भी लिखा है, इसकी हम जांच करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप हमदर्दी के साथ देखें। केला तो भगवान ने पत्तों में हलवा डाल के भेजा है, यह आम जनता के लिए है। दूसरे फलों के लिए आप देखें।

भारत सरकार के विज्ञापन में प्रकाशित मानचित्र में जम्मू तथा काश्मीर के अधिकृत क्षेत्र को सम्मिलित न किया जाना

*174. †**श्री के० मालन्ना :**

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "हिन्दुस्तान टाइम्स" दिनांक 21 सितम्बर, 1982 में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका, न्यूयार्क, में प्रकाशित हुए भारत सरकार के एक विज्ञापन में भारत के मानचित्र में काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया गया है, हालांकि नई दिल्ली उस क्षेत्र को देश का अभिन्न अंग होने का दावा करती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रकाशित मानचित्र में काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत भागों को भारतीय क्षेत्र से पूरी तरह निकाल दिया गया है, हालांकि चीन अधिकृत क्षेत्रों को उसमें सम्मिलित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी, हाँ। "साईंटिफिक अमेरिकन" ने अगस्त, 1982 के अपने अंक में विज्ञापन खण्ड में भारत पर एक विशेष रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उल्लिखित मानचित्र इस विशेष रिपोर्ट के सम्पादक ने पारिश्रमिक देकर एक मानचित्रविद् से तैयार करवाया था। इस मानचित्र के सही होने के सम्बन्ध में न तो भारत सरकार से अनुमति ली गई थी और न भारत सरकार के किसी अधिकारी से।

(ख) जी, हाँ।

(ग) इस मामले को तत्काल 'साईंटिफिक अमेरिकन" के साथ उठाया गया और उन्होंने, उनके शब्दों में, अनजाने में हुई इस भूल के लिए खेद प्रकट किया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे इस मामले को सुधारने के सर्वप्रथम सुलभ अवसर पर, यानी नवम्बर के अंक में, इसके लिए यथोचित रूप से क्षमा याचना और अपना स्पष्टीकरण प्रकाशित करेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुझे यह कहते हुए खेद है कि क्योंकि काश्मीर के मसले पर सरकार स्पष्ट नहीं है अत: अनेक देश भारत के मानचित्र प्रकाशित कर रहे हैं जिनमें काश्मीर के कई भाग नहीं दिखाए जा रहे हैं।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं.....

प्रो० एन० जी० रंगा : चीन, रूस तथा अन्य देश ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी, हाँ; चीन, रूस, सभी देश।

प्रो० एन० जी० रंगा : अमेरिका भी ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : निस्संदेह, प्रश्न ही अमेरिका के बारे में है।

(व्यवधान)

लेकिन, आप रूस के बारे में कदापि नहीं पूछेंगे। मैं यह जानता हूं।

अत: मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन "सांइटिफिक अमेरिकन" जैसी तथा अन्य पत्रिकाओं में उलझन इसलिए पैदा हुई है क्योंकि कश्मीर के संबंध में सरकार का कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है।

क्या आप शिमला समझौते के बावजूद काश्मीर, समूचे कश्मीर, को भारत का एक अभिन्न अंग समझते हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : इस मामले के संबंध में हमारी स्थिति और हमारे दृष्टिकोण से यह सभा भली प्रकार परिचित है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : दोबारा बताइए। दोबारा बताइए।

श्री ए० ए० रहीम : हमारा दृष्टिकोण वही है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वही दृष्टिकोण ?

श्री ए० ए० रहीम : कश्मीर के बारे में ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हां, हां । क्या आप कश्मीर को एक विवादाग्रस्त क्षेत्र समझते हैं अथवा कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग समझते हैं और इस पर कोई विवाद नहीं है ?

श्री ए० ए० रहीम : हम कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग समझते हैं । यह सभा को भली-भान्ति मालूम है ।

श्री रतनसिंह राजदा : हम इस मसले पर चर्चा चाहते हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : नहीं, नहीं, नहीं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सोवियत संघ के विश्व मानचित्र की तरह ही अन्य देशों के भी अधिकृत मानचित्र हैं जो अभी भी कश्मीर के भागों को किसी अन्य देश से सम्बन्धित दर्शाते हैं ।

श्री ए० ए० रहीम : ऐसी त्रुटियां नहीं होनी चाहिए थीं ।

अध्यक्ष महोदय : डा० स्वामी अन्य देशों द्वारा प्रकाशित विश्व मानचित्रों के बारे में पूछ रहे हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अन्य देशों के विश्व मानचित्र कश्मीर के भागों को किसी अन्य देश से सम्बन्धित दर्शाते हैं जैसे सोवियत संघ, के दर्शाते हैं ।

श्री ए० ए० रहीम : मुझे इसकी जानकारी नहीं है और मैं उत्तर नहीं दे सकता ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या ? मन्त्री को मालूम नहीं है ?

श्री रतनसिंह राजदा : यह कितना गम्भीर मामला है । यदि सरकार को जानकारी नहीं है तो सरकार क्या कर रही है ?

श्री ए० ए० रहीम : मैं इसके बारे में नहीं जानता ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सोवियत विश्व मानचित्र में कश्मीर को भारत से असम्बन्धित भाग के रूप में दर्शाया गया है ।

श्री ए० ए० रहीम : मुझे यह अभी तक मालूम नहीं है और मैं इसकी जांच करूंगा तथा आवश्यक कार्यवाही करूंगा ।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली और सीकर के बीच सीधी रेलगाड़ी

*166. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीकर जंक्शन, राजस्थान से दिल्ली के लिए सीधी रेलगाड़ी चलाने के लिए सीकर और झुनझुनू जिलों के लोग कब से मांग कर रहे हैं, और

(ख) इस मांग पर सरकार का कब तक कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी) : (क) यद्यपि कोई निश्चित तारीख तत्काल उपलब्ध नहीं है, सीकर और दिल्ली के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने की मांग कई बार प्राप्त हुई है ।

(ख) इस समय सीकर और दिल्ली के बीच दो थ्रू सवारी डिब्बे चल रहे हैं। ये सवारी डिब्बे इन स्टेशनों के बीच यातायात की वर्तमान मांग के स्तर को संतोषप्रद रूप से पूर्ति कर रहे हैं । सीकर और दिल्ली के बीच सीधी गाड़ी चलाना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है और संसाधनों के अभाव में परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक भी नहीं है ।

ब्रिटेन से सहायता प्राप्त क्षेत्र विकास स्वास्थ्य कार्यक्रम

*168. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन से सहायता प्राप्त कुछ क्षेत्र विकास स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत में कुछ राज्यों में क्रियान्वित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रमों के नाम क्या हैं; और

(ग) ऐसी परियोजनाओं में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) ब्रिटेन की आंशिक सहायता से उड़ीसा के पुरी, कटक, गंजाम, फुलबनी और कालाहांडी नामक पांच चुने हुए जिलों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए ब्रिटेन की सहायता प्राप्त एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है । यह परियोजना इस प्रकार बनाई गई है कि इससे लगभग पांच वर्षों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं को मिले जुले रूप में लोगों तक पहुंचाने की सुविधाएं और जनशक्ति उस स्तर तक बढ़े और सुदृढ़ हो जाए जिस स्तर तक इससे अधिक समय में इन्हें सारे देश में अन्ततोगतवा पहुंचाया जाना होगा । इस परियोजना में सूचना शिक्षा और संचार सम्बन्धी कार्य शामिल हैं । इन कार्यों में ओपीनियन लीडरों

के कैम्प आयोजित करना, जन प्रचार के कार्य, स्टाफ को प्रबन्ध प्रशिक्षण देना, मानीटरिंग और मूल्यांकन का काम तथा नवीनता लाने सम्बन्धी कार्य शामिल हैं।

इन जिलों में इन विभिन्न कार्यों को कार्यान्वित करने में हुई प्रगति सन्तोषजनक है।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों का निरीक्षण

*170. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस समय चल रहे परिवार नियोजन कार्यक्रमों का कोई मूल्यांकन किया है तथा उन्हें और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन संबंधी योजनाएं कम संतोषजनक हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किन नए उपायों पर विचार किया गया है कि जनता के उन कुछ वर्गों को भी जिन्होंने अभी तक परिवार-नियोजन नहीं अपनाया है इन योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ मिल सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) : कार्यक्रम को आंकना और उसका मूल्यांकन करना परिवार कल्याण कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा है जो समय-समय पर किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे पहले से ही शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कम ही अपनाया गया है। लेकिन पिछले दो सालों में इस स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

छोटे परिवार की धारणा के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने और उन्हें जानकारी देने के लिए किए जा रहे प्रयासों को तेज करने के अलावा ग्राम स्वास्थ्य गाईड योजना को और भी सुदृढ़ बना दिया गया है ताकि लोगों को अपने घरों के पास ही इसकी जानकारी और सूचना सुलभ हो जाय और गैर क्लिनिकी तरीकों से सम्बन्धित सेवाएं और सामग्री भी मिलने लगे। कार्यनीति के रूप में यह भी निर्णय लिया गया है कि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में क्षेत्र विशेष की स्थितियों के अनुसार ही कार्य किए जायें।

स्वयंसेवी एजेंसियों के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा

*172. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनौपचारिक शिक्षा का प्रचार करने के लिए स्वयसेवी एजेंसियों को प्रोत्साहन दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो वे एजेंसियां किन-किन राज्यों में यह कार्य आरम्भ करने हेतु आगे आई हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ।

जापान के साथ द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्ध

*175. **श्री बी० डी० सिंह**

श्री रशीद मसूद : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान ने भारत के साथ वर्तमान आर्थिक सहयोग के अतिरिक्त राजनैतिक तथा द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्ध बढ़ाने की आवश्यकता व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) जापान के साथ हाल ही की उच्चस्तरीय बैठक में दोनों पक्षों ने आपसी सम्बन्धों को सुधारने की इच्छा व्यक्त की है तथा सहयोगात्मक आर्थिक सम्बन्धों की दिशा में नई घटनाओं का स्वागत किया है ।

माल डिब्बों का कम उपयोग किया जाना

*176. **श्री दौलत राम सारण**

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों में माल डिब्बों को लेने वाले नहीं थे और बड़ी लाइन और छोटी लाइन पर माल डिब्बों का उपयोग बहुत कम हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और रेल के माल डिब्बों की मांग में कमी होने के क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना नुकसान हुआ है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी) : (क) जी नहीं । तथापि,

मानसून के महीनों में माल डिब्बों की मांग में कमी आयी थी। चालू महीने के दौरान माल डिब्बों की मांग में वृद्धि हुई है।

(ख) अप्रैल, 1982 से जुलाई, 1982 तक माल डिब्बों का दैनिक लदान 26500 तथा 27000 के बीच रहा। बड़ी लाइन पर अगस्त, 1982 में यह घटकर 25660 माल डिब्बे रह गया। सितम्बर में यह बढ़कर 26594 (अनुमानित) हो गया। वर्तमान रुख को देखते हुए, अक्तूबर में इसके 26485 माल डिब्बे होने की प्रत्याशा है।

मीटर लाइन पर, शुरू के महीनों के 4700 से 5000 माल डिब्बों के दैनिक लदान के रुख की तुलना में अगस्त में यह घटकर 4590 माल डिब्बे हो गया। सितम्बर में यह बढ़कर प्रतिदिन 4919 माल डिब्बे (अनुमानित) हो गया।

लदान में कमी का मुख्य कारण यह था कि रेल यातायात के प्रमुख उपयोगकर्ताओं द्वारा कम यातायात प्रस्तुत किया गया। तथापि, उत्पादकता वर्ष के प्रत्येक महीने में पिछले वर्ष के प्रत्येक महीने की तुलना में रिकार्ड लदान हुआ है।

केवल यातायात की मांग में कमी के कारण हुई हानि की मात्रा निर्धारित करना सम्भव नहीं है। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष में राजस्व अर्जन में पिछले वर्षों की रिकार्ड प्राप्तियों के मुकाबले पर्याप्त वृद्धि हुई है।

विश्वविद्यालयों तथा स्कूलों के अध्यापकों के मामलों की जांच के लिये आयोग

*177. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के लिए एक आयोग तथा स्कूलों के अध्यापकों के लिए एक अन्य आयोग मिलाकर दो आयोग स्थापित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोगों के निर्देश पद क्या हैं और उनके सदस्य कौन-कौन हैं एवं ये आयोग कब से कार्य करना आरम्भ कर देंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन्हें किस सम्भावित तारीख तक स्थापित कर दिया जायेगा और किस अवधि तक इनको प्रतिवेदन देने के लिए कहा जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) भारत सरकार ने दो राष्ट्रीय आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया है, इनमें से एक स्कूल-शिक्षा के लिए होगा और दूसरा उच्चतर शिक्षा के लिए। इन दोनों आयोगों के विचारार्थ विषय और इनके गठन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

दिल्ली के माध्यमिक स्कूलों के लिये योग अध्यापकों की भर्ती

*178. **श्री फूलचन्द वर्मा :**

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राजकीय माध्यमिक स्कूलों में योग शिक्षा प्रदान करने के लिये अध्यापकों की भर्ती करने के लिए कोई चयन समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समिति के सदस्यों और चेयरमैन के नाम क्या हैं; और

(ग) इस समिति ने अब तक कितने अध्यापक नियुक्त किये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में नियुक्ति के लिए योग अध्यापकों का चयन करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा एक चयन समिति गठित की गई थी। चयन समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

(1)	स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, निदेशक, केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान	...	अध्यक्ष
(2)	शिक्षा निदेशक, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली	...	सदस्य
(3)	उप-सचिव (सेवाएं) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली	...	सदस्य
(4)	प्रशासन में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति से संबंधित अधिकारी जो उप सचिव से कम पद का न हो।	...	सदस्य
(5)	उप-शिक्षा निदेशक, (योग योजना से संबंधित)	...	सदस्य

उम्मीदवारों का चयन चल रहा है और दिल्ली प्रशासन द्वारा अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

दिल्ली में नए केन्द्रीय विद्यालय

*179. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की

संख्या बढ़ रही है और उनके बच्चों को केन्द्रीय विद्यालयों में पर्याप्त सीटें न होने के कारण उन विद्यालयों में दाखिला नहीं मिल रहा है; और

(ख) क्या सरकार दिल्ली में कुछ नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रश्न पर विचार करेगी, और यदि हां, तो कब तक ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हाँ ।

(ख) नए केन्द्रीय विद्यालय खोलते समय, दिल्ली सहित देश के विभिन्न भागों से प्राप्त हुई मांगों को ध्यान में रखा जाता है । राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए अलग से कोई कोटा नहीं है । इस वर्ष दिल्ली में दो नए विद्यालय खोले गए हैं । हर वर्ष विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, नए विद्यालयों के स्थान के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है ।

उड़ीसा में सकरी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

*180. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना अवधि में कुछ सकरी लाइनों की बड़ी लाइनों में बदलने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन सकरी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का विचार है;

(ग) क्या उड़ीसा को किसी ऐसी सकरी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो सकरी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) नडियाद से कापड़वेज (45 कि०मी०) ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

ब्रिटेन में भारतीय डाक्टर

*181. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में रह रहे अनेक भारतीय डाक्टर भारत आने के इच्छुक हैं जैसा कि दिनांक 15 अगस्त, 1982 के टाइम्स आफ इंडिया में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार इस मामले में कोई रुचि नहीं दिखा रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) ओवरसीज डाक्टर्स एसोसिएशन, बरमिंघम तथा दि फैडरेशन ऑव इंडियन आर्गन इन्जेशन्स, यू० के० बरमिंघम ने एक संयुक्त ज्ञापन में भारत में विदेशी छात्रों और चिकित्सा व्यवसायियों की आवश्यकताओं के लिए एक अस्पताल सह-मेडिकल कालेज बनाने की इच्छा व्यक्त की है। चूंकि इस ज्ञापन में उक्त प्रस्ताव का कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया गया, इसलिए इसके भेजने वालों से एक विस्तृत योजना मांगी गयी है। यह योजना अभी प्राप्त नहीं हुई है। ब्रिटेन में चिकित्सा कार्य कर रहे भारतीय डाक्टरों से सरकार को कोई अन्य प्रस्ताव नहीं मिला है।

राज्यों में कीटनाशी दवाओं का छिड़काव

*182. **श्री के० राममूर्ति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के कार्य का मूल्यांकन करने के लिये राज्यो में गये आत्मनिर्भर मूल्यांकन दलों को पता लगा है कि जब कि राज्यों ने कीटनाशी पदार्थों के 75 प्रतिशत से 95 प्रतिशत छिड़काव का दावा किया है परन्तु उसकी तुलना में यह छिड़काव बहुत ही कम किया गया है जो 30 प्रतिशत और 50 प्रतिशत के बीच है; और

(ख) राज्यों में कीटनाशी पदार्थों का पूरा छिड़काव करवाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) फरवरी, 1982 में अपने द्वारा निरीक्षण किए गए 17 राज्यों में से स्वतन्त्र मूल्यांकन दलों/पी० फाल्सीपेरम मूल्यांकन दलों ने, जिन्होंने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत हुए कार्य का मूल्यांकन किया है, यह पाया कि छिड़काव का काम आन्ध्र प्रदेश में 72 से 84 प्रतिशत तक, असम में 45 से 90 प्रतिशत तक, महाराष्ट्र में 71 से 91 प्रतिशत तक, मेघालय में 45 से 90 प्रतिशत तक और तमिलनाडु में 50 से 75 प्रतिशत तक हुआ है। दूसरे राज्यों में हुए छिड़काव कार्य के बारे में उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की।

(ख) छिड़काव के कार्य में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: (i) कीटनाशक दवाइयां समय पर उपलब्ध हो जाएं इसकी व्यवस्था कर दी गई है। (ii) राज्यों को सलाह दी गई है कि वे छिड़काव सम्बन्धी स्टाफ की मंजूरी समय से पहले दे दें। (iii) बेहतर जन सहयोग प्राप्त करने के लिए स्थानीय निकायों के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा के उपाय बढ़ा दिए गए हैं।

जलपाईगुड़ी में पोतान्तरण कर्मचारियों की वैकल्पिक नियुक्ति

*183. **श्री आनन्द पाठक :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि न्यू जलपाईगुड़ी में पोतान्तरण कार्य बन्द होने के कारण सैकड़ों कर्मचारी बेकार हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की वैकल्पिक नियुक्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खां चौधरी) : (क) जी नहीं। न्यू जलपाईगुड़ी में यानान्तरण कार्य समाप्त नहीं किया गया है और इसे एक सहकारी समिति के माध्यम से किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में बाढ़ के कारण सड़कों और पत्तनों को हुआ नुकसान

*184. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र के किसी दल ने हाल की बाढ़ के कारण सड़कों और पत्तनों को हुए नुकसान का पता लगाने के लिए उड़ीसा का दौरा किया हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) वहां पर हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनकी मरम्मत के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां। कृषि मंत्रालय ने, जो प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित मामलों की देख-रेख करता है, उड़ीसा में केन्द्रीय दल भेजा था। इस दल ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का 16-9-82 से 21-9-82 तक दौरा किया था।

(ख) दल की रिपोर्ट कृषि मंत्रालय के अधीन विचाराधीन है।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार से प्राप्त ज्ञापन के अनुसार सड़कों की क्षति का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(क) लोक निर्माण की सड़कें—5000 किलोमीटर

(ख) पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की सड़कें—30,000 किलोमीटर

(ग) जंगल की सड़कें—720 किलोमीटर

(घ) ग्रामीण सड़कें—4224 किलोमीटर।

(घ) जहां तक पराद्वीप पत्तन का सम्बन्ध है, मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को हाल की बाढ़ से पत्तन को हुई हानि का अनुमान लगाने के लिए भेजा गया था। बाढ़ की क्षति से बचने के लिए पत्तन प्रशासन ने सड़क और रेलवे की पुश्तादीवार को कहीं-कहीं काट दिया था, जिससे बाढ़ का पानी निकल सके। इस बाढ़ से पत्तन की सम्पत्ति को न तो कोई भारी हानि हुई और न जानें ही गईं। जहां-जहां सड़क काट दी गई थी वहां पत्तन प्रशासन पुलियों के निर्माण पर लगभग 20 लाख रुपये खर्च करेगा।

महाराष्ट्र के कोंकण तट के पत्तनों को सभी मौसमों में उपयोग किये जाने योग्य बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता

1735. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र ने कोंकण तट पर पत्तनों को सभी-मौसमों में उपयोग के योग्य बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को कोई केन्द्रीय सहायता दी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी सहायता किये जाने की संभावना है और इन पत्तनों को कब तक सभी मौसमों में उपयोग योग्य बनाए जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

बेनीपट्टी तथा सोनई स्थित परिवार (कल्याण) केन्द्रों का बन्द होना

1736. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेनीपट्टी सब-डिवीजनल मुख्यालय से परिवार कल्याण केन्द्र पिछले कई महीनों से बन्द है और उमगाँव ब्लाक में, सोनई केन्द्र कई वर्षों से बन्द है, यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, इसके कारण क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या इन केन्द्रों के प्रभारी डाक्टरों तथा सिविल सर्जन ने केन्द्र पर जबरन कब्जा कर लेने औषधियों और उपकरण आदि लूट लेने के विरुद्ध अपराधिक मामले दर्ज कराए हैं; यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी संसद सदस्य ने स्वास्थ्य मन्त्री को कोई पत्र लिखा है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम को क्रियान्वित करना जिसमें परिवार कल्याण केन्द्रों की स्थापना तथा उनका संचालन भी शामिल है । राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है जिसके लिए उन्हें स्वीकृत पैटर्न के अनुसार भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है । बेनीपट्टी सब डिवीजनल मुख्यालय और सोनई (उमगाँव ब्लाक) में केन्द्रों के बन्द किए जाने की बात की जांच करने और उसकी रिपोर्ट देने के लिए बिहार सरकार से कहा गया था । बिहार राज्य द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार यह प्रतीत होता है कि बेनीपट्टी सब डिवीजन के परिवार कल्याण केन्द्र पर 6-7-82 को सिविल अधिकारियों ने कब्जा कर लिया था और उसी दिन सिविल सर्जन ने पुलिस के पास इसकी एफ०आई०आर० दर्ज करा दी थी। इस केन्द्र को खाली कराने के लिए बिहार सरकार ने कार्यवाही शुरू कर दी है । सोनई में एक उप-केन्द्र है जो हरलखी ब्लाक में पड़ता है । यह किराए के मकान में चल रहा बतलाया जाता है और इसे बन्द नहीं किया गया है । यह भी बतलाया गया है कि उमगांव (हरलखी ब्लाक) में एक औषधालय है जो काम कर रहा है ।

(ग) और (घ) माननीय सदस्य ने निम्नलिखित जानकारी दी है :—

(1) बेनीपट्टी में परिवार कल्याण केन्द्र का जबरदस्ती बन्द किया जाना और दवाइयों आदि का बाहर फेंका जाना;

(2) कार्यभारी चिकित्सा अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के विरोध के बावजूद फर्नीचर और अलमारियों का हटाया जाना;

(3) एक स्थानीय पुलिस अधिकारी की शह पाकर एक व्यक्ति द्वारा उमगांव ब्लाक के अन्तर्गत सोनई गांव के केन्द्र पर गैर-कानूनी और जबरदस्ती कब्जा किया जाना;

चूंकि केन्द्रों को चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है इस लिए प्राप्त हुए पत्र की एक प्रतिलिपि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग को इस अनुरोध के साथ भेज दी गई थी कि वे इस मामले की जांच करें और एक विस्तृत रिपोर्ट इस विभाग को भेजें जैसा कि बिहार सरकार की रिपोर्ट बतलाती है, इस मकान को खाली कराने की कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी गई है।

राजधानी एक्सप्रेस को सप्ताह में चार दिन चलाने का प्रस्ताव

1737. **प्रो० रूप चन्द पाल :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली और बम्बई के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस को सप्ताह में चार दिन चलाने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो क्या नई दिल्ली और हावड़ा के बीच भी राजधानी एक्सप्रेस को सप्ताह में चार दिन चलाने पर विचार किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ। मामला विचाराधीन है।

नई दिल्ली से अक्तूबर में दक्षिण के लिए नई गाड़ियां

1738. **श्री राम लाल राही :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अक्तूबर, 1982 में नई दिल्ली से दक्षिण के लिए कुछ नई गाड़ियाँ चलाने का विचार है,

(ख) यदि हाँ, तो गाड़ियों के नाम क्या हैं और वे गाड़ियां किस-किस समय पर किन-किन नगरों के लिए चलेंगी,

(ग) क्या सरकार का विचार नई दिल्ली अथवा पुरानी दिल्ली से बरास्ता मुरादाबाद कोई नई गाड़ी चलाने का विचार है, और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : भूतपूर्व दो इंजनों वाली 125/126 नयी दिल्ली-तिरुवनन्तपुरम-बेंगलूरू केरल कर्नाटक एक्सप्रेस के बदले 1-10-1982 से दो इंजनों वाली दो गाड़ियां अर्थात् सप्ताह में 2 बार चलने वाली 127/128 नयी दिल्ली-बेंगलूरू कर्नाटक एक्सप्रेस और सप्ताह में 2 बार चलने वाली 125/126 नयी दिल्ली-तिरुवनन्तपुरम केरल एक्सप्रेस चलायी गयी है।

इसके अलावा, 123/124 आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस के फेरे भी सप्ताह में दो बार से बढ़ाकर सप्ताह में 4 बार कर दिये गये हैं।

इन गाड़ियों के समय इस प्रकार हैं :—

128 कर्नाटक एक्स०	126 केरल एक्स०	124 आन्ध्र प्रदेश एक्स०			123 आन्ध्र प्रदेश एक्स०	125 केरल एक्स०	127 कर्नाटक एक्स०
0615	1410	1410	छू० नयी दिल्ली	प०	0625	1600	0625
2030			प० बेंगलूरु	छ०			1615
	1645		प० तिरुवनन्त-पुरम	छू०		1315	
		1410	प० सिकन्दराबाद	छू०	0600		

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली प्रशासन द्वारा भारतीय कला केन्द्र संगीत भारती तथा गंधर्व महाविद्यालय को अनुदान

1739. **श्री डी० पी० यादव :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा ने वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान भारतीय कला केन्द्र, संगीत भारती तथा गंधर्व महाविद्यालय के लेखों की जांच की थी;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं के लिए कमी कितनी मात्रा में थी जैसा कि परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा ने तीन वर्षों में से प्रत्येक के लिए हिसाब लगाया था;

(ग) दिल्ली प्रशासन ने तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त संस्थाओं को किन मानदण्डों पर अनुदान दिए;

(घ) दिल्ली प्रशासन ने किन कारणों से गंधर्व महाविद्यालय के लिए 1979-80 के लिए 10,000 रुपये के अनुदानों को बढ़ा कर 1980-81 में 20,000 रुपये कर दिया; और

(ङ) दिल्ली प्रशासन ने किन कारणों से अन्य संस्थाओं को प्रतिवर्ष दिए जा रहे अनुदानों में ऐसी ही वृद्धि नहीं की ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, दिल्ली प्रशासन ने इन संस्थाओं के लिए घाटे की मात्रा निम्नलिखित बताई है :—

संस्थाएं	घाटे की बताई गई राशि		
	1979-80	1980-81	1981-82
	रु०	रु०	रु०
1. श्रीराम भारतीय केन्द्र	1,31,828.40	1,81,334·85	3,23,301
2. संगीत भारती	23,485.52	28,445·52	34,412
3. गन्धर्व महाविद्यालय	1,32,443.89	52,528·07	69,043

(ग) ये स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठन हैं, और इन संस्थाओं को दिल्ली प्रशासन के सहायक अनुदान की अदायगी करने से सम्बन्धित नियमों के अनुसार लेखों के अदयतन परीक्षित विवरण तथा संस्थाओं/संगठनों द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट प्राक्कलनों के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित घाटे की राशि के अधिक से अधिक 50 प्रतिशत तक सहायक अनुदान दिया जा सकता है। क्योंकि स्वैच्छिक सांस्कृतिक और शैक्षिक संगठनों की समयक अनुदान का भुगतान करने के लिए 2·50 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गई है अतः दिल्ली प्रशासन के पास उपलब्ध निधि को ध्यान में रखते हुए सहायक अनुदान की मात्रा निर्धारित की जाती है।

(घ) धन के अभाव के कारण गन्धर्व महाविद्यालय के सहायक-अनुदान को 1979-80 में 18,000/- रुपये से घटाकर 13,370/- रुपये कर दिया है। तथापि, संस्था के 1,32,443/- रुपये के घाटे को ध्यान में रखते हुए 1980-81 के दौरान 20,000/- रुपये का सहायक अनुदान दिया गया था।

(ङ) यह धन के अभाव के कारण है।

कटनी और चोपन के बीच फास्ट रेल गाड़ी

1740. श्री मोती लाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कटनी से चोपन तक कोई फास्ट रेलगाड़ी चलाने हेतु कोई कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : धीमी रेलपथ गति, प्रत्याशित भारी कोयला यातायात तथा संसाधनों की कमी के कारण कटनी से चोपन तक कोई तेज गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

मुरैना-अम्बा सड़क पर पुल

1741. **श्री बाबू लाल सोलंकी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरैना जिले में (मध्य प्रदेश) मुरैना-अम्बा सड़क पर एक रेल पुल को मंजूरी दे दी गई है, और

(ख) यदि हां, तो इस पुल का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने की सम्भावना है और इसमें कितना परिव्यय होगा ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) निर्माण कार्य राज्य सरकार की अनुमानों पर स्वीकृति-प्राप्त होने पर शुरू कर दिया जायेगा, जिसकी कई अनुस्मारकों के भेजने के बावजूद अभी प्रतीक्षा है। निर्माण-कार्य की कुल अनुमानित लागत 1·20 करोड़ रुपए है जो आधी राज्य सरकार और आधी रेलवे द्वारा वहन की जाएगी।

चीफ इंजीनियर (निर्माण) उत्तर रेलवे के अधीन नैमित्तिक कर्मचारियों की छंटनी

1742. **श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीफ इंजीनियर (निर्माण) उत्तर रेलवे के अधीन विभिन्न स्थानों पर नियमित वेतनमान में ढाई वर्ष से अस्थायी तौर पर कार्य कर रहे हजारों नैमित्तिक कर्मचारियों को 14 अक्तूबर 1982 से छंटनी की जा रही है और उन्हें भूखा मरने की स्थिति में लाया जा रहा है क्योंकि इनमें अधिकांश कर्मचारी बाढ़/सूखाग्रस्त क्षेत्रों के हैं,

(ख) यदि हां, तो रेलवे में 120/180 दिन कार्य करने के बाद नियमित करने का उपबन्ध रहते हुए इस छंटनी के क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार का विचार श्रमिकों को दिए गए छंटनी के नोटिस को वापस लेने और इन श्रमिकों की लम्बी सेवा अवधि को दखते हुए उन्हें नियमित करने का है, और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) : क्षेत्रीय रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अप्रयुक्त राष्ट्रीय परमिटों के अन्तरण का प्रस्ताव

1743. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे अन्य राज्यों को राष्ट्रीय परमिटों का अप्रयुक्त कोटा अन्तरित करने का कोई प्रस्ताव है, जिन्होंने उसका पूरा उपयोग कर लिया हो, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं । अभी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण पूर्वी रेलवे के हावड़ा पुरूलिया सेक्शन पर एक्सप्रेस गाड़ी

1744. **श्री चित्त महाटा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण पूर्व रेलवे को हावड़ा पुरूलिया सेक्शन पर एक्सप्रेस गाड़ी शुरू करने का है, जिसके बारे में समान्यतः पश्चिम बंगाल के तथा विशेष रूप से उस क्षेत्र के लोग लम्बे समय से मांग कर रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो कब तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पुरूलिया में टर्मिनल सुविधाओं के अभाव और सवारी डिब्बों की भारी कमी के कारण हावड़ा और पुरूलिया के बीच एक्सप्रेस गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है । इसके अलावा, पुरूलिया में रेकों के अनुरक्षण के लिए टर्मिनल सुविधाओं का सृजन करना वांछनीय नहीं है क्योंकि ऐसा करने से इस्पात संयंत्र कारखाने के यातायात को सुचारू रूप से चलाने में गम्भीर रुकावट आ जाएगी ।

खाद्य पदार्थों में खराबी तथा विषाक्तता लाने वाले तत्व

1745. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पिछले कुछ वर्षों में खाद्य पदार्थों में

खराबी तथा विषक्तता लाने वाले ऐसे अनेक पदार्थों का पता लगा था जो प्राकृतिक रूप से पैदा हो जाते हैं, सहयोगवश खराबी ले आते हैं अथवा जानबूझ कर मिलाए जाते हैं जिनके कारण अनेक बीमारियां फैलती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि तैथीरिजम केसरी दाल अथवा लेथाइरस सेटीवस दाल को मुख्य भोजन के रूप में खाये जाने के कारण मध्य प्रदेश के किन्हीं क्षेत्रों में व्याप्त है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विषजन्य सिद्धान्त को असामान्य ऐमीना एसिड के रूप में माना गया था और विषकृता समाप्त करने का काम बीजों को पानी में उबालने, पानी को फेंक देने तथा बीजों के सुखाने जैसे आसान घरेलू तरीकों से किया जाता था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा खाद्यान्न में खराबी लाने वाले पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए खतरों के सम्बन्ध में कोई सुझाव दिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सरकार को विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाये जाने वाले प्राकृतिक तौर पर पैदा होने वाले, संयोगवश खराब होने वाले या अन्य प्रकार के अपमिश्रकों और ऐसे खाद्य पदार्थों के सेवन से होने वाले रोगों की जानकारी है ।

(ख) यह सच है कि मुख्य आहार के रूप में केसरी दाल के नियमित उपयोग से लेथीरस-रुग्णता हो जाती है ।

(ग) और (घ) यह सच है कि विषाक्त तत्व एक एमीनो-एसिड है और अच्छी तरह उबालने की साधारण विधि से इस विषाक्तता को समाप्त किया जा सकता है जिसकी सिफारिश भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भी की है ।

दिल्ली प्रशासन के अधीन शिक्षकों के लिए अर्जित अवकाश

1746. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के अधीन विद्यालयों में काम कर रहे शिक्षक अर्जित अवकाश लेने के अधिकारी हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब से दी गई है और क्या यह अवकाश चिकित्सा अवकाश के अतिरिक्त है ;

(ग) शिक्षक किन परिस्थितियों में अर्जित अवकाश ले सकते हैं ;

(घ) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य शिक्षकों को अर्जित अवकाश पहले से स्वीकृत कराने के लिए विवश करते हैं अन्यथा उन्हें आधे वेतन पर अवकाश दिया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का नियमों में किस प्रकार सुधार करने का विचार है ताकि शिक्षकों को उसी आधार पर अवकाश प्राप्त हो सकें जिस आधार पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) यह सुविधा 1-9-1981 से दी गई है और यह 20 दिनों की आधे दिन की छुट्टी के बदले में है जो पहले अध्यापकों को अनुमत्य थी ।

(ग) अध्यापक किसी भी विशिष्ट कारण के लिए उसके पास जमा अर्जित अवकाश ले सकता है ।

(घ) इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

आदिवासी, ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के लिए राज्यवार नियतन

1747. **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आदिवासी, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस उद्देश्य के लिए वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में राज्यवार, कितनी कितनी धनराशि का नियतन किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) देश के आदिवासी, ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाएं क्रमिक रूप से प्रदान की जा रही हैं :—

(i) प्रत्येक गांव/1000 ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक स्वास्थ्य गाइड,

(ii) प्रत्येक गांव में कम से कम एक प्रशिक्षित दाई,

(iii) 5000 ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक पुरुष तथा एक महिला कार्यकर्ता

वाला एक उप-केन्द्र (आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 ग्रामीण जनसंख्या के लिए)

(iv) 30,000 ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में 20,000 ग्रामीण जनसंख्या के लिए)

(v) औसतन 1,00,000 ग्रामीण जनसंख्या के लिए दर्जा बढ़ाया गया एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/समुदाय स्वास्थ्य केन्द्र जिसमें काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, प्रसूति तथा स्त्रीरोग विज्ञान और बालरोग चिकित्सा विज्ञान विशेषज्ञ हों।

(vi) मौजूदा ग्रामीण औषधालयों का सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में दर्जा बढ़ाना।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1981-82 तथा 1982-83 के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का नियतन।

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1981-82	1982-83
1.	आन्ध्र प्रदेश	562.30	2474.98
2.	असम	271.93	1228.57
3.	बिहार	608.80	3720.20
4.	गुजरात	462.42	2040.10
5.	हरियाणा	176.00	866.39
6.	हिमाचल प्रदेश	142.74	516.64
7.	जम्मू कश्मीर	186.44	910.01
8.	कर्नाटक	238.10	2040.38
9.	केरल	239.42	965.40
10.	मध्य प्रदेश	640.23	3664.30
11.	महाराष्ट्र	723.87	3090.06
12.	मणिपुर	116.11	533.25
13.	मेघालय	86.21	448.79

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1981-82	1982-83
14.	नागालैण्ड	71.41	298.55
15.	उड़ीसा	299.08	1663.12
16.	पंजाब	375.79	1393.39
17.	राजस्थान	227.38	1781.68
18.	सिक्किम	25.15	139.46
19.	तमिलनाडू	491.70	2246.39
20.	त्रिपुरा	62.58	339.14
21.	उत्तर प्रदेश	1589.90	7803.20
22.	पश्चिम बंगाल	683.86	2704.20
23.	अण्डमान, निकोबार, द्वीपसमूह	9.00	44.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	80.78	400.00
25.	चण्डीगढ़	17.83	85.08
26.	दादर, नगर हवेली	8.35	37.05
27.	दिल्ली	4.05	12.05
28.	गोवा, दमन और द्वीप	11.00	55.00
29.	लक्ष्यद्वीप	4.33	22.04
30.	मिजोरम	70.75	326.40
31.	पाण्डिचेरी	6.04	30.10

जनसंख्या सलाहकार परिषद के सुझावों का अध्ययन करने के लिए कार्यकारी दल

1748. **श्री अनन्त रामुलु मल्लू :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त जनसंख्या सलाहकार परिषद के सुझावों का अध्ययन करने के लिए कार्यकारी दल की स्थापना करने की आवश्यकता के बारे में सरकार ने विचार किया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने कुछ स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग भी मांगा है ; और

(ग) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में इस काम में ऐसे कौन-कौन से संगठन लगे हुए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) हां ।

(ख) हां ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश में परिवार कल्याण के कार्यक्रम में लगे स्वैच्छिक संगठनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम में लगे स्वैच्छिक संगठनों की सूची

आन्ध्र प्रदेश

1. आन्ध्र महिला सभा, यूनिवर्सिटी रोड, हैदराबाद ।
2. आन्ध्र महिला सभा, महबूब नगर ।
3. आन्ध्र महिला सभा, संगारेड्डी ।
4. भारतीय रैड क्रास सोसाइटी, सेंट मैरी रोड, सिकंदराबाद ।
5. भारतीय परिवार नियोजन संघ, ए० पी० शाखा, चलापल्ली हाउस के सामन बेगमपट, हैदराबाद ।
6. जनसंख्या से सम्बन्धित केन्द्र, बशीरबाग, हैदराबाद ।
7. अनकापले मर्चेन्ट संघ, वेकटास्वामी नायड्यू मट्रनटी अस्पताल, अंकापल्ली, विशाखापटनम जिला ।
8. मेरी लोट लायन्स अस्पताल, मदनापल्ली, जिला चितूर ।
9. दक्षिण भारतीय चर्च अस्पताल, नागरी जिला चितूर ।
10. एम०बी०एम० अस्पताल, जडचीरला, जिला महबूब नगर ।
11. नरसापुर क्रिश्चियन अस्पताल, जिला नरापुर ।
12. स्टार ऑव होप अस्पताल, ऐकोवीदु वेस्ट गोदावरी जिला ।
13. क्रिश्चियन मेडिकल सेन्टर, पिथापुरम, ईस्ट गोदावरी ।
14. गिफार्ड मेमोरियल अस्पताल, दुजवीद, कृष्णा जिला ।
15. जी०बी०एम० बेथल अस्पताल, रेलवे स्टेशन, विजयवाड़ा, वियूरयू, कृष्णा जिला ।
16. सालवेशन आर्मि इवानगीलन बोथ अस्पताल, निदूरुलयू, जिला गंटूर ।
17. बी०एस०आर० अस्पताल, अत्मकुर नीलोरे जिला ।
18. राजारेड्डी अस्पताल, पुलीवेन्दाला, कुडप्पा जिला ।

लुम्बिनी (नेपाल) में संग्रहालय

1749. **श्री एन०ई० होरो :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने नेपाल में महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी में, जिसका धार्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा पर्यटन के एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में विकास किया जा रहा है, एक संग्रहालय का निर्माण करने का हाल में निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी लागत के सम्बन्ध में ब्यौरे क्या हैं और इसमें कितना समय लगेगा ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) लुम्बिनी विकास परियोजना में भारतीय योगदान के रूप में भारत सरकार ने लुम्बिनी में संग्रहालय भवन के निर्माण कार्य में वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है।

(ख) इस परियोजना का लागत व्यय लगभग 2.1 मिलियन डालर अर्थात् (लगभग) अर्थात् 2 करोड़ रुपए के बराबर होगा। इसका निर्माण कार्य नेपाल के लुम्बिनी विकास प्राधिकरण द्वारा आरम्भ किया जाना है और उसे ही निर्माण कार्य का कार्यक्रम सुनिश्चित करना है।

सड़क दुर्घटनाएं

1750. **श्री अजय विश्वास :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे देश में गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और वर्षवार सड़क दुर्घटनाओं में से कितने व्यक्ति मरे और,

(ख) क्या सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की सरकार की कोई योजना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पर्याप्त कदम उठाने के संदर्भ में इस विषय पर चर्चा के लिए 31-5-1982 को परिवहन मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी। सुझाए गए उपायों में सड़क सुरक्षा आयुक्त, की नियुक्ति, राजमार्ग पेट्रोलियंग स्कीम की शुरूआत, दुर्घटनाओं की देख-रेख मशीनरी का गठन, ड्राइविंग लाइसेंस की कड़ाई से विनियमन और गाड़ियों के ठीक होने का प्रमाण पत्र शामिल है। इसके अलावा, परिवहन

मन्त्रियों ने इच्छा व्यक्त की कि केन्द्रीय सरकार इस समस्या के गहराई से अध्ययन करने और सड़क सुरक्षा के लिए शौर्ट टर्म और लौंग टर्म कार्यक्रम बनाने और उचित कार्यवाही के लिए विशेषज्ञों की एक समिति तत्काल नियुक्त करें।

विवरण

वर्ष 1979-80 के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ क्षेत्र	1979	1980	1981
1.	आंध्र प्रदेश	2444	2602	2786
2.	असम	371	313	381
3.	बिहार	851*	850*	उपलब्ध नहीं
4.	गुजरात	1551	2037	1815
5.	हरियाणा	576	597	713
9.	हिमाचल प्रदेश	171	164	312
7.	जम्मू और काश्मीर	234	228	389
8.	कर्नाटक	1800	1987	2087
9.	केरल	1065	1065	उपलब्ध नहीं
10.	मध्य प्रदेश	1477	1597	1663
11.	महाराष्ट्र	1760	3102	2996
12.	मणिपुर	39	40	73
13.	मेघालय	52	61	60
14.	उड़ीसा	569	507	582
15.	पंजाब	395	488	उपलब्ध नहीं
16.	राजस्थान	989	758	1290
17.	सिक्किम	14	16	75
18.	तमिलनाडु	2466	2432	3009
19.	त्रिपुरा	52	41	62
20.	उत्तर प्रदेश	3124	2965*	उपलब्ध नहीं
21.	पश्चिमी बंगाल	1389	1308	1833

क्रम संख्या	राज्य/संघ क्षेत्र	1979	1980	1981
	संघ क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6	9	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	6	19	30
3.	चण्डीगढ़	32	46	58
4.	दादरा और नागर हवेली	0	6	उपलब्ध नहीं
5.	दिल्ली	763	663	1050
6.	गोवा, दमण और दियू	—95	94	94
7.	लक्षद्वीप	—	—	—
8.	मिजोरम	14	17	56
9.	पांडीचेरी	35	50	36
	जोड़	22,595	24,085	21,513*

*अनंतिम

डी०टी०सी० की बसों पर विज्ञापन

1751. **श्री निहाल सिंह** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम ने बसों पर विज्ञापनों का प्रदर्शन कब से आरम्भ किया है, और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विज्ञापनों से कितनी आय हुई ?

नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) वर्ष 1956 से ही दिल्ली परिवहन निगम अपनी बसों पर विज्ञापन देता आ रहा है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली परिवहन निगम की बसों/शेल्टरों/टी०के० बूथों पर विज्ञापन से निम्नलिखित आय हुई है :

वर्ष	राजस्व (लाख रुपयों में)
1979-80	34.52
1980-81	34.94
1981-82	44.23

काल्वे स्टेशन का सुधार

1752. **श्री जगन्नाथ पाटिल :** क्या रेल मन्त्री काल्वे स्टेशन में सुधार के बारे में 17 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4360 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काल्वे स्टेशन (मध्य रेलवे, जिला ठाणे, महाराष्ट्र) पर अप एण्ड डाउन प्लेटफार्मों पर शेड का विस्तार किए जाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) विद्युतचालित संकेतक, जन-सम्बोधन सम्बन्धी पद्धति आदि जैसी अन्य सुविधाओं का कब तक व्यवस्था होने की आशा है ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अप और डाउन लाइन के प्लेटफार्मों की छतों का विस्तार करने के एक प्रस्ताव का अनुमोदन शुरू में 1981-82 के रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में किया गया था । सामग्री और श्रमिकों के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप इस कार्य की मूल अनुमानित लागत में वृद्धि हो गयी है और संशोधित अनुमान की लागत, जो कि लगभग 6·1 लाख रुपये होगी, के स्वीकृति के सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है ।

(ख) सार्वजनिक उद्घोषण प्रणाली की व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष में कर दिये जाने का प्रस्ताव है । बिजली संसूचकों सहित अन्य मदों की व्यवस्था करने के बारे में आने वाले वर्षों में विचार किया जायेगा ।

दिल्ली परिवहन निगम के चेयरमैन द्वारा ड्राइवरों के लिये जारी किये गये निदेशों का उल्लंघन

1753. **श्री सनत कुमार मण्डल ; क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री** दिनांक 5 अगस्त, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2184 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि दिल्ली परिवहन निगम के चेयरमैन द्वारा जारी किए गए 10-सूत्री आदेश व्यवहार में निष्क्रिय समान है, क्योंकि ड्राइवरों द्वारा उनमें से किसी का भी पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या ड्राईवर दिल्ली परिवहन निगम के किसी कर्मचारी को अथवा पुलिस कर्मियों को—चाहे वे ड्यूटी पर हों अथवा ड्यूटी पर नहीं, चाहे वे वर्दी में हों/आधी वर्दी पहने हों अथवा ढोंग से अपने आप को दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी बताने वालों के निकास द्वार से बस में चढ़ने अथवा और बस चलने के स्थान से ही लाईन तोड़ने और सीट पर बैठने से मना नहीं करते;

(ग) क्या इन बातों को और एशियाड के लिये आने वाली भीड़ से पहले ही

बिगड़ती बस सेवा को देखते हुए दैनिक यात्रियों को दिल्ली परिवहन निगम कर्मचारियों के हाथों प्रतिदिन अनेक प्रकार की दिक्कतों एवं बेइज्जती का सामना करना पड़ता है ; और

(घ) क्या वे इन आदेशों को बसों में ड्राइवरों की सीटों के सामने छपवाने की वांछनीयता पर विचार करेंगे ताकि सताये गए दैनिक यात्री प्रतिदिन इस प्रकार के खुले उल्लंघनों की ओर उनका ध्यान खींच सकें ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जुलाई 1982 में एक पत्र रूप में सभी ड्राइवरों को अनुदेश जारी किए गए थे। चेकिंग स्टाफ के 500 से अधिक व्यक्तियों ने इन अनुदेशों का सख्ती से पालन किया है ।

(ख) यह एक स्थाई आदेश है कि किसी को भी निकास द्वार से प्रवेश नहीं करने दिया जाए।

(ग) और (घ) पर्यवेक्षण और चैकिंग के द्वारा यह प्रयास किए जा रहे है कि सेवा की कोटि को सुधारा जाए और जारी किए गए आदेशों का पालन हो ।

पूर्वी रेलवे के दानापुर डिवीजन में रिक्त पद

1754. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे की दानापुर डिवीजन के विभिन्न विभागों में अनेक पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में 'ईस्टर्न रेलवे वर्कर्स यूनियन' के दानापुर डिवीजन के सचिव ने दानापुर के 'डिवीजनल मैनेजर' को कोई ज्ञापन भेजा है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मद्रास मंगलौर वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस का अपहरण करने का प्रयास

1755. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 11 सितम्बर, 1982 को कसारागोड से 30 किलोमीटर दूर

मन्जेश्वर स्टेशन पर नं० 27 मद्रास-मंगलौर वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस का अपहरण करने का प्रयास किया गया था;

(ख) क्या भारतीय रेलवे के सन्दर्भ में गाड़ी के अपहरण का यह प्रयास अपने किस्म की पहली घटना थी अथवा इससे पहले भी ऐसे प्रयास किये जा चुके हैं ; और

(ग) महत्वपूर्ण गाड़ियों के अपहरण की ऐसी घटनाओं को न होने देने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) 16-10-79 को उत्तर रेलवे पर केवल एक मामले की रिपोर्ट मिली थी, जिसमें फर्रूखाबाद-दिल्ली यान को जो कि । /टी०एफ० फर्रूखाबाद-टूंडला पैसेंजर गाड़ी के साथ इंजन के पीछे लगा था, अरांव स्टेशन पर कुछ सशस्त्र बदमाशों द्वारा जबर्दस्ती अलग कर दिया गया और इसे कुछ दूरी तक ले जाया गया । इस मामले में पुलिस ने 14 अपराधियों को गिरफ्तार किया था ।

(ग) महत्वपूर्ण गाड़ियों को ऐसी घटनाओं से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) लगभग सभी यात्री गाड़ियों में रात्रि के समय सशस्त्र मार्गरक्षियों की व्यवस्था की जाती है ।

(2) स्टेशनों, प्लेटफार्मों और प्रतीक्षालयों में गश्त लगायी जाती है ।

(3) अपराधियों और जाने-माने बदमाशों पर नजर रखी जाती है ।

(4) भेद्य स्टेशनों पर पुलिस की टुकड़ियां तैनात की जाती हैं ।

भारत को जहाजों द्वारा अमरीका गेहूं भेजा जाना

1756. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की जहाजरानी कम्पनियां भारत को अमरीका से आयातित गेहूं की ढुलाई के लिए ट्रांसपोर्ट के साथ बातचीत कर रही थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि भाड़े की कम दरों के बावजूद किसी भी जहाजरानी कम्पनी ने आयातित गेहूँ की ढुलाई करने से इन्कार नहीं किया है;

(ग) यदि हाँ, तो अगस्त में चालू अन्तर्राष्ट्रीय भाड़ा दर क्या थी तथा भारत को अमरीका गेहूं भेजने के लिए क्या भाड़ा दरें तय हुई थी;

(घ) क्या ये दरें उस समय की विद्यमान दरों से अधिक थी;

(ङ) कौन-कौन सी कम्पनियाँ भारत को अमरीकी गेहूं की ढुलाई करने के लिए सहमत हुई हैं; और

(च) अब तक कितने गेहूं की ढुलाई हो चुकी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी ।

(ख) किसी भारतीय नौवहन कम्पनी ने आयातित गेहूं ढोने से इन्कार नहीं किया है ।

(ग) लाइनर व्यापार की तरह बल्क माल की ढुलाई करने के लिए लगे जहाज के लिए कोई निर्धारित भाड़ा दर नहीं है और दर का स्तर चार्टर करने के समय में विभिन्न मुद्दों पर निर्भर करता है, अथवा चढ़ाने और उतारने का क्षेत्र, जहाज की किस्म, पार्सल का आकार, चढ़ाने और उतारने की शर्त, सम्बन्धित पार्टियों की सापेक्ष सौदेबाजी करने की शक्ति जो उपलब्ध टनेज आदि की मात्रा पर निर्भर करती है ।

(घ) प्रश्न नहीं होता ।

(ङ) सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1982 के महीनों में गेहूं की डिलिवरी के लिए अब तक के कार्यक्रम के तहत विभिन्न किस्म और आकार के 20 भारतीय जहाजों को चार्टर किया गया है । ये जहाज अलग-अलग कम्पनियों के हैं और सम्बन्धित कम्पनियां हैं :—

शिपिंग कारपोरेशन आफ़ इण्डिया,
मुगल लाइन लिमिटेड,
सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी,
ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी लिमिटेड,
साउथ इंडियन शिपिंग कारपोरेशन,
सेवन सीज ट्रांसपार्टेशन कारपोरेशन लि०,
टेक्समेक्सो लिमिटेड,
लार्सन एण्ड टोब्रो लि०,
जय श्री शिपिंग, और
सुरेन्द्रा ओवरसीज लि०

(च) अब तक लगभग 2,66,681 मी० टन माल बाहर भेजा गया ।

विकलांगों के पुनर्वास के लिये केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन

1757. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकलांगों के पुनर्वास सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति ने दिसम्बर 1982 को देशपर्यन्त विकलांग रोजगार माह के रूप में मनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन हैं तथा इसके कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सलाहकार समिति में किसी संसद सदस्य को भी शामिल किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या मापदंड अपनाया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) जी, हाँ ।

(ख) समिति की संरचना और कार्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) और (घ) विकलांगों को प्रदान किए गए आरक्षण आदेशों और अन्य रियायतों की पुनरीक्षा करने और विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास से सम्बन्धित मामलों पर सरकार को सलाह देने जैसे समिति के सीमित कार्यों को मध्यनजर रखते हुए किसी भी संसद सदस्य को सलाहकार ससिति का सदस्य नहीं बनाया गया है । चूकि आरक्षण आदेशों के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिलाने सम्बन्धी जानकारी रखना मुख्य नियोक्ता मंत्रालयों का विषय है, इसलिए केवल उनके प्रतिनिधियों और प्रमुख अखिल भारतीय स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों को समिति में सम्मिलित किया गया है ।

विवरण

समिति के कार्य ये होंगे :—

(1) समय-समय पर विकलांग व्यक्तियों को प्रदान किए गए आरक्षण आदेशों और अन्य रियायतों की पुनरीक्षा ।

(2) विकलांगों के आर्थिक पुनर्वास से सम्बन्धित मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना ।

समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(1) सचिव, समाज कल्याण मंत्रालय	अध्यक्ष
(2) रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
(3) रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
(4) संचार मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य

(5) गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
(6) उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
(7) पर्यटन और नगर विमानन मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
(8) शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
(9) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
(10) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
(11) ब्यूरो आफ पब्लिक एण्टरप्राइजेज के प्रतिनिधि	सदस्य
(12) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक तथा श्रम मंत्रालय के पदेन संयुक्त सचिव	सदस्य
(13) नेशनल फेडरेशन आफ ब्लाइण्ड, नई दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
(14) नेशनल एसोशिएशन फार ब्लाइण्ड, बम्बई के प्रतिनिधि	सदस्य
(15) नेशनल सोसायटी फार इक्वल औपोरच्यूनिटीज आफ दी हैन्डीकैप्ड, बम्बई के प्रतिनिधि	सदस्य
(16) मंद बुद्धि कल्याण संघ, नई दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
(17) अखिल भारतीय बधिर संघ, नई दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
(18) संयुक्त सचिव (इस विषय से सम्बन्धित)	सदस्य-सचिव

श्रमिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाना

1728. **श्री नवीन रवाणी :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश भर में स्कूलों एवं कालेजों के पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) दस वर्षीय स्कूल की पाठ्यचर्या में सामाजिक "नैतिक" तथा आध्यात्मिक मूल्यों के विकास पर बल दिया जा चुका है, जिसको अपनाने की सिफारिश राज्य सरकारों को की गई है। वर्ष 1980 में राष्ट्रीय क्षैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा किए गए

सर्वेक्षण के अनुसार, दस राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र में नैतिक शिक्षा की व्यवस्था पहले से ही है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा मई, 1981 में आयोजित नैतिक शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय सम्मेलन में नैतिक शिक्षा के कार्यक्रम से सम्बन्धित कुछ बुनियादी मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था। सेमिनार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात की भी सिफारिश की कि देश के सभी स्कूलों में नैतिक शिक्षा के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए और इस प्रयोजन के लिए रा०शै०अ०प्र०प० को पाठ्यचर्या तथा शिक्षण सामग्री और शिक्षक अनुस्थापन को विकसित करने के सम्बन्ध में कारंवाई करनी चाहिए। सेमिनार की सिफारिशें सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उनके विचारार्थ तथा कार्यान्वयन के लिए भेज दी गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को यह सलाह दी गई है कि वे इस मामले में कार्रवाई करें।

फालतू स्टीम इंजनों पर ब्याज और मूल्य ह्रास प्रभार

1759. **श्री सूरज भान**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में और चालू वर्ष में कितने रेलवे स्टीम इंजन फालतू रहे हैं;

(ख) इन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष "रख रखाव, चालकों और कर्मचारियों सहित प्रचालन की लागत ईंधन व्यय" शीर्ष के अधीन इन फालतू स्टीम इंजनों पर कितनी राशि व्यय की गई, और इन इंजनों तथा उनके अतिरिक्त पुर्जों के लिए कितनी राशि बराबर व्यय की जा रही है; और

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित व्यय पर कितना ब्याज और मूल्य ह्रास प्रभार लगा ?

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जो भाप रेल इंजन गलायु हो जाते हैं या आवश्यकता से फालतू हो जाते हैं उन्हें उनकी हालत के आधार पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नाकारा किया जाता है। 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान नाकारा किए गए भाप इंजनों की संख्या क्रमश: 164, 437 और 247 थी। 1982-83 के दौरान अभी तक लगभग 450 रेल इंजनों को नाकारा करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं।

(ख) जिन रेल इंजनों की आवश्यकता नहीं होती उन्हें शेडों में भण्डार कर दिया जाता है और इन रेल इंजनों के अनुरक्षण पर कोई खर्च नहीं किया जाता।

(ग) जिन रेल इंजनों को नाकारा कर दिया जाता है उनका शीघ्र ही बिक्री द्वारा निपटान कर दिया जाता है ।

मुरूड-जंगीडा में नौपरिवहन अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए तट-आधारित संस्थान

1760. **श्री वी०एन० मराडगिल :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्ताव किया है कि नौपरिवहन अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए तट-आधारित संस्थान मुरूड-जंगीड़ा में स्थापित किया जाना चाहिए,

(ख) क्या यह संस्थान दोनों नौवहन और परिवहन मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा,

(ग) क्या सरकार के संस्थान के स्थान के बारे में निर्णय कर लिया है, और

(घ) यदि हां, तो संस्थान किस स्थान पर स्थापित किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री सी०एम० स्टीफन) : (क) से (घ) सरकार को महाराष्ट्र सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि नए बम्बई स्थित नौचालन अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए तट स्थित संस्था स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । यद्यपि प्रस्ताव में रक्षा मन्त्रालय को सम्मिलित करने की परिकल्पना नहीं की गई है ।

विदेशी अनुदानों से लोक कलाओं का संवर्द्धन

1761. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कलाओं, विशेषकर लोक कलाओं के संवर्द्धन के लिए विदेशों की अनेक सोसायटियाँ और संस्थाएं अनुदान दे रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) मंत्रालय को उन विदेशी सोसाइटियों तथा संस्थाओं के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है जो कलाओं आदि के विकास के लिए भारतीय संस्थानों को अनुदान देती हैं ।

जाली टिकट बेचने पर गिरफ्तार किए गए डी०टी०सी० कर्मचारी

1762. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के कुछ कर्मचारी हाल में अन्तर्राज्जीय बस मार्गों पर जाली टिकट बेचने और सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इन टिकटों को छापने और सप्लाई करने के स्त्रोतों का पता लगा लिया है, और

(ग) यदि हाँ, तो इस घुटाले में शामिल लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन एवं परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां । 28-8-82 को एक सहायक मशीन परिचालक को अवैध टिकट की आपूर्ति के आरोप में गिरफ्तार किया गया था ।

(ख) दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा द्वारा मामले की जांच की जा रही है ।

(ग) जाँच के पूरा होने तक प्रेस के कर्त्तव्य विमुख कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है ।

रेल सेवा आयोग के भूतपूर्व चेयरमैन के कार्यकाल के दौरान तृतीय श्रेणी के पदों के उम्मीदवारों के चयन के बारे में शिकायतें

1763. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या रेल मन्त्री रेल सेवा आयोग के बारे में 9 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7123 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में दिए गए विवरण में उल्लिखित रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद के अध्यक्ष का चयन और उनकी नियुक्ति किस प्रकार की गई थी;

(ख) क्या उनकी पदावधि के दौरान आयोग और उत्तर रेलवे द्वारा विज्ञापित तृतीय श्रेणी के विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन के मामले में अनियमितायें और कदाचार होने सम्बन्धी शिकायतें रेलवे बोर्ड को प्राप्त हुई थी;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ये शिकायतें जाँच के लिए किसी निष्पक्ष निकाय को भेजी गई थीं और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद के अध्यक्ष का चयन रेल सेवा आयोगों के अध्यक्ष के पद के लिए भर्ती नियमा में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार किया गया था ।

(ख) और (ग) इस मन्त्रालय को उत्तर रेलवे के लिए आयोग द्वारा विज्ञापित

श्रेणी-III के विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन के मामले में कुछ अनियमितताओं के बारे में कई आरोप पत्र प्राप्त हुए थे। जांच पड़ताल सामान्यतः पूरी कर ली गई है और रिपोर्ट की छानबीन की जा रही है।

(घ) किसी स्वायत निकाय को शिकायतें भेजने का प्रश्न जाँच पड़ताल और रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों के परिणाम पर निर्भर करता है।

विश्वविद्यालयों में भिन्न-भिन्न शैक्षिक सत्र होना

1764. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न शैक्षिक सत्रों का पालन किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप छात्रों को एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो एक समान शैक्षिक सत्र रखने और परीक्षाओं की एक समान तारीखें रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और उसके परिणाम क्या निकले हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) देश में अधिकांश विश्वविद्यालयों प्रत्येक वर्ष अपने शैक्षणिक सत्र जून-जुलाई में शुरू करते हैं और अप्रैल-मई तक समाप्त करते हैं। यद्यपि इस समय सारणी का सामान्यतः पालन किया जाता है तथापि विश्वविद्यालयों के नियंत्रण से बाहर के कुछ कारणों से कुछ मामलों में गड़बड़ी हो जाती है।

(ख) यद्यपि शैक्षणिक सत्रों के शुरू करने या परिणाम घोषित करने में कठोर रूप से एक समान तारीखें निर्धारित करना संभव नहीं है फिर भी विश्वविद्यालय ज्यादातर सामान्य शैक्षणिक समय सारणी का पालन करने का प्रयास करते हैं जिससे छात्र एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में जा सकें।

पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में मस्तिष्क ज्वर की बीमारी रोकने के लिए उपाय

1765. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तर-पश्चिमी बिहार में मस्तिष्क ज्वर की बीमारी फिर से उभरने लगी है;

(ख) क्या मस्तिष्क ज्वर की बीमारी के गत दस वर्षों में बार-बार उभरने के बावजूद भी सरकार इसे रोकने के प्रभावी उपाय करने में असफल रही है;

(ग) क्या भारत में उस बीमारी को रोकने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन तैयार की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो प्रभावी क्षेत्रों में इस वैक्सीन के प्रयोग के क्या परिणाम रहे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती और देवरिया जिलों से जापानी एन्सेफलाइटिस के कुछ रोगियों की सूचना मिली है लेकिन इस सम्बन्ध में बिहार से कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) जापानी एन्सेफलाइटिस के प्रकोप को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

1. वैक्टर पर कारगर रूप से नियंत्रण पाने के लिए जापानी एन्सेफलाइटिस के खतरे वाले क्षेत्रों में स्थानीय छिड़काव कार्य करने के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में से कीटनाशक औषधियाँ दे दी गई हैं । सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को यह सलाह दे दी गई है कि जिस क्षेत्र से किसी भी रोगी की सूचना मिले उस क्षेत्र के 2/3 कि०मी० इर्द-गिर्द बी०एच०सी०/डी०डी०टी० का छिड़काव करायें;

2. वैक्टर नियंत्रण के एक और उपाय के रूप में इस रोग के प्रभावित क्षेत्रों में मलथियन का धूम्रां छोड़ा जाए;

3. राज्यों और केन्द्र क्षेत्र सरकारों को आवश्यक छिड़काव और फागिंग उपकरण उपलब्ध कर दिए गए हैं ।

4. राज्यों और केन्द्र क्षेत्र सरकारों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जापानी एन्सेफलाइटिस से प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कारगर उपाय करने के लिए लोगों तथा मेडिकल और पैरा-मेडिकल कार्मिकों का सहयोग प्राप्त किया जाए । इसमें इस रोग के पैदा होने के कारण, मानदेय, मरक विज्ञान, कीट विज्ञान क्लिनिकल निदान के बारे में तकनीकी सलाह तथा इस रोग से सम्बन्धित अन्य संगत पहलू भी शामिल है ।

5. जापानी एन्सेफलाइटिस वैक्सीन राज्य सरकारों को उनके अनुरोध पर दी जाती है । देश में जापानी एन्सेफलाइटिस वैक्सीन का उत्पादन करने के उपाय किए जा रहे हैं ।

(ग) और (घ) अभी तक भारत में कोई वैक्सीन तैयार नहीं की गई है । वैसे, जापानी एन्सेफलाइटिस से बचाव करने के लिए केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में वैक्सीन बनाने की एक परियोजना तैयार की गई है ।

मस्तिष्क तथा शरीर जाँच उपकरण

1765. **श्री चिंगवांग कोनयक :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय मस्तिष्क जांच उपकरण तथा सम्पूर्ण शरीर जांच उपकरण कहाँ-कहां पर हैं;

(ख) इन उपकरणों के आयात पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) क्या इन्हें देश में बनाने का विचार है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार उन संस्थानों/अस्पतालों और जगहों का एक विवरण संलग्न है जहां ब्रेन स्केनर्स और सम्पूर्ण शरीर के लिए स्केनर्स लगे हुए हैं।

(ख) **ब्रेन स्केनर**

लगभग 12 लाख रुपये।

सम्पूर्ण शरीर के लिए स्केलर लगभग 60 लाख रुपये।

(ग) और (घ) ब्रेन स्केनर्स बनाने के लिए एक फर्म मैसर्स यूनिस्कैन्स एण्ड सोनिक्स लिमिटेड. चण्डीगढ़ डी०जी०टी०डी० के साथ पंजीकृत हैं। इसने अभी उत्पादन कार्य शुरू करना है।

विवरण

उन संस्थानों/अस्पतालों और संस्थानों का विवरण जहां पर ब्रेन स्केनर्स लगे हुए हैं।

1. कर्नाटक तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर
2. मंगलौर तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान केन्द्र मंगलौर
3. बम्बई तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान संस्थान, बम्बई
4. संयुक्त नैदानिक अन्तर्राष्ट्रीय, बम्बई
5. बम्बई तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान संस्थान, बम्बई
6. पूना चिकित्सा केन्द्र पूना
7. मद्रास तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, मद्रास
8. सरकारी जनरल अस्पताल, मद्रास

9. चण्डीगढ़ तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, चण्डीगढ़

10. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

11. दिल्ली तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली

उन संस्थानों/अस्पतालों का विवरण जिसमें सम्पूर्ण शरीर के लिए स्कैनर्स लगे हुए हैं।

1. के०जे० अस्पताल, मद्रास

अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी में रिक्त पद भरना

1767. **श्री एस०बी० सिदनाल :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में खाली पड़े विभिन्न पदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी की फेकल्टी आफ मैडिसिन में पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक के खाली पद बिना भरे पड़े हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और उन्हें कब तक भरा जाएगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा संभव सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में विश्व हिन्दी सम्मेलन

1768. **श्रीमती संयोगिता राणे**

श्रीमती माधुरी सिंह : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1982 में दिल्ली में विश्व हिन्दी सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या उक्त उद्देश्य के लिए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के पहले ही से पुनर्नियुक्त निदेशक की पुनर्नियुक्ति की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया था ;

(ग) क्या इस निर्णय से केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के कर्मचारियों में अप्रसन्नता और असन्तोष व्याप्त हो गया है ; और

(घ) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कौन से उपाय किए जाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) तीसरे विश्व हिन्दी सम्मेलन की राष्ट्रीय समिति के महा सचिव (संगठन) द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1982 में नई दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव है । महा सचिव ने आगे यह भी सूचित किया है कि अभी तक कोई अन्तिम तारीख निर्धारित नहीं की गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

425-640 के ग्रेड में सहायक स्टेशन मास्टर्स के रिक्त पदों पर कार्य कर रहे 330-560 रुपये के ग्रेड के सहायक स्टेशन मास्टर

1769. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद डिवीजन में बड़ी संख्या में रुपए 330-560 के ग्रेड में सहायक स्टेशन मास्टरों को उन्हें नियमों के अनुसार उच्च ग्रेड में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए वेतन के अन्तर का भुगतान किए बिना, रुपये 425-640 के ग्रेड में सहायक स्टेशन मास्टरों के रिक्त पदों की एवज में कार्य लिया जा रहा है और उन्हें उनकी विधिसम्मत पदोन्नति से भी वंचित किया जा रहा है ;

(ख) क्या जून, जुलाई और अगस्त 1982 के महीनों, धनबाद बरकाकन स्थित मुख्यालयों से कार्य-मुक्त होने वाले सभी सहायक स्टेशनों के यात्रा भत्ता बिलों में से चार दिन के यात्रा भत्ते की बिना किसी औचित्य के कटौती कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय एवम् संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में सहायक अध्यापकों के लिए विभागीय कोटा

1770. **श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा निदेशालय में टी०जी०टी० मेथ्स के पदों पर नियुक्ति हेतु, दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में सहायक अध्यापकों के लिए कोई विभागीय कोटा है;

(ख) यदि हाँ, तो उस कोटे को पूरा करने का क्या मानदण्ड है ; और

(ग) सरकार किन कारणों से इस कोटे को दिल्ली नगर निगम के ऐसे सहायक अध्यापकों में से नहीं भर रही है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीय पुस्तकन्यास के प्रकाशन

1771. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव**

श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय पुस्तकन्यास अधिकांशत: अंग्रेजी की पांडुलिपि का प्रकाशन करता है और हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की पांडुलिपियों का प्रकाशन नहीं करता है ;

(ख) भारतीय भाषाओं की पांडुलिपियों के प्रकाशन में सुधार लाने और इस क्रम में बिहार का भूगोल नामक पुस्तक शीघ्र प्रकाशित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) रजत जयंती वर्ष के दौरान राजभाषा में अधिक प्रकाशन निकालने के लिए बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं । राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने 30 सितम्बर, 1982 तक अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में पुनर्मुद्रित पुस्तकों को छोड़ कर, 1918 पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें से 262 पुस्तकें अंग्रेजी में हैं ।

(ख) और (ग) देश की शासकीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करना न्यास के प्रकाशन कार्यक्रम का अभिन्न अंग है ।

"बिहार का भूगोल" (श्री राधा कांत भारती द्वारा लिखित) नामक पाण्डुलिपि न्यास द्वारा प्रकाशित नहीं की गई थी क्योंकि इसी शीर्षक के अन्तर्गत इसी लेखक की यही सामग्री व्यवहारिक रूप से बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा पहले ही प्रकाशित की जा चुकी थी ।

अपने स्वर्ण जयंती समारोहों के एक भाग के रूप में न्यास का हिन्दी में निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित करने का प्रस्ताव है:—

I. श्री नरोत्तम पुरी द्वारा रचित एशियाई खेलों की कहानी।

II. श्री कृष्णा कृपलानी एवं श्रीमती वर्षा दास द्वारा रचित गांधी एक जीवनी।

दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के बारे में ब्रिटेन के विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन

1772. **श्री भीकू राम जैन :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन के विशेषज्ञों ने दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का अध्ययन किया है ;

(ख) क्या विशेषज्ञों ने राजधानी में सार्वजनिक प्रणाली में सुधार के बारे में सिफारिशें पेश की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) एसोसिएशन ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट अन्डर टेकिंग्स ने परिवहन और सड़क अनुसधान प्रयोगशाला (यू०के०) के सहयोग से देश में सार्वजनिक परिवहन पर अध्ययन करना शुरू किया था। दिल्ली परिवहन निगम से सम्बन्धित तीन रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिस पर विचार किया जा रहा है।

रक्षित विद्युत केन्द्र

1773. **श्री उत्तमभाई एच० पटेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल विभाग द्वारा गुजरात और अन्य राज्यों में पिछले दो वर्षों के दौरान आयोजित और चालू किए गए रक्षित विद्युत केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) आगामी दो वर्षों के लिए प्रस्ताव और प्राक्कलन क्या हैं, और कहां-कहां ये स्थापित किए जाएंगे ; और

(ग) क्या यह सच है कि विद्यमान पुरानी पद्धति की तुलना में इन रक्षित विद्युत केन्द्रों का कार्यकरण बेहतर है ?

रेल मन्त्रालय एवम् संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विगत दो वर्षों के दौरान, गुजराज या किसी अन्य राज्य में रेलों द्वारा किसी निजी बिजली घरों की योजना नहीं बनायी गयी है और न ही किसी को प्रारम्भ किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम रेलवे में रेल दुर्घटना

1774. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में 1 जुलाई, 1982 और 30 सितम्बर, 1982 के बीच दिल्ली-अहमदाबाद, दिल्ली-बम्बई और गुजरात में अन्य स्थानों के बीच कुछ रेल दुर्घटनाएं हुई थीं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितना मुआवजा दिया गया ; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाएं कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय एवम् संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दुर्घटनाओं के आंकड़े रेलवेवार रखे जाते हैं न कि राज्यवार 1 जुलाई से सितम्बर/82 की अवधि के दौरान पश्चिम रेलवे पर 17 गाड़ी दुर्घटनायें हुई थीं। इन दुर्घटनाओं का कोटिवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

कोटि	दुर्घटनाओं की संख्या
गाड़ियों का पटरी से उतरना	16
समपारों पर हुई दुर्घटनायें	1
	17

इनमें पश्चिम रेलवे के दिल्ली-अहमदाबाद खण्ड पर गाड़ियों के पटरी से उतरने की 4 और दिल्ली-बम्बई खण्ड पर 2 दुर्घटनायें शामिल हैं।

(ग) अभी तक मुआवजे की किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। बहरहाल, पश्चिम रेलवे पर जुलाई से सितम्बर, 82 तक की अवधि के दौरान हुई गाड़ी

दुर्घटनाओं के शिकार हुए व्यक्तियों को अनुग्रह राशि के रूप में 1,000 रुपए की राशि का भुगतान किया गया है ।

(घ) हाल ही में गाड़ी दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए किए गए उपायों में से कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

1. रेल कर्मचारियों के बीच सभी स्तरों पर संरक्षा की भावना जागृत करना ।
2. निरीक्षणों का गहन किया जाना ; किसी भी क्षेत्र में मौजूद त्रुटियों को तुरन्त दूर करने के लिए क्षेत्र कामगारों के प्रतिनिधि वर्गों से भेंट करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेडों वाले उच्च भ्रमणकारी दलों की नियुक्ति की गयी थी ।
3. परिसम्पत्तियों अर्थात् सवारी डिब्बों, माल डिब्बों, रेल इंजनों, रेल पथ सिग्नलिंग आदि के बकाया अनुरक्षण काम को पूरा करना ।
4. रेल पथ परिपथन, धुरा काउंटरों, ट्रैक रिकार्डिंग और अभिलेखीकारों, पराश्रव्य दोष सूचकों और परिष्कृत सिगनलिंग प्रणाली जैसे संरक्षा उपायों की व्यवस्था करना ।
5. आपत्तिक स्थिति में ज्वाइनिंग ट्रैक पर ड्राइवरों को चेतावनी देने के लिए डीजल/बिजली रेल इंजनों में फ्लैश बत्तियों की व्यवस्था करना ।
6. इंजन कर्मचारियों का ड्यूटी पर आने से पहले श्वास परीक्षण किया जाता है ताकि (इंजन कर्मचारी) नशे की हालत में ड्यूटी पर न आ सकें ।

"ब्हैन इनटर्न एबोर्ट्स इन डी ह्यूमैनाइजड हास्पिटल" शीर्षक से समाचार

1775. **श्री सूर्य नारायण सिंह**
श्री रामावतार शास्त्री

श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 सितम्बर, 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि लेडी हार्डिंग मैडिकल कालिज, नई दिल्ली में एक महिला इनटर्न को बिना वेतन के भी छुट्टी देने से इंकार कर दिया गया था और उसका 7 सप्ताह का गर्भ क्षीण हो जाने के दो दिन पश्चात् उसे 12 घंटे की ड्यूटी पर रखा गया था ;

(ख) क्या दूसरे दिन (5-9-1982) वह सीजेरियन सेक्शन करते समय, जबकि वह

पूरी तरह थकी हुई थी और तेज ज्वर से पीड़ित थी आपरेशन थेटर में बेहोश हो गई थी और 7 सितम्बर, 1982 को उसे अस्पताल में भरती किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई है और अमानवीय व्यवहार के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) 12 सितम्बर, 1982 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित रिपोर्ट के संदर्भ में यह बताया जाता है कि सम्बन्धित इंटर्न ने 5-9-82 को यह सूचित नहीं किया था कि उसे तेज बुखार था। वह उस दिन आपरेशन थियेटर में बेहोश नहीं हुई थी। उसने 6.9.82 को अस्पताल में अपनी ड्यूटी की। लेकिन 7 सितम्बर, 1982 को वह ड्यूटी पर नहीं आई। ज्वर की शिकायत के कारण उसे 8.9.82 को अस्पताल के मेडिकल वार्ड में दाखिल किया गया और निदान करने पर यह पता चला कि उसे आंत्र ज्वर था जिसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया।

(घ) इस मामले की जांच-पड़ताल की गई है। सम्बन्धित इंटर्न ने जब कभी छुट्टी के लिए आवेदन किया, उसे छुट्टी दे दी गई थी। अस्पताल के किसी भी अधिकारी ने कभी भी अमानवीय बर्ताव नहीं किया।

व्यापारी पोत-कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं

1776. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापारी पोत-कार्मिकों को दी जाने वाली चालू प्रशिक्षण सुविधाएं अपर्याप्त और अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड से काफी पीछे है ;

(ख) कितनी नौसैनिक अकादमियों व्यापारी बेड़े के केडेटों को सैद्धान्तिक प्रशिक्षण दे रही है ;

(ग) क्या नौसैना कार्मिकों का अद्यतन प्रशिक्षण देने के लिए आधुनिक पद्धति पर एक समुद्र तट पर नौसैनिक अकादमी स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो योजना, इसका स्थान, प्रशिक्षण क्षमता और उस पोत को जिस पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) इस समय नौवहन

उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नेविगेटिंग और इन्जीनियरिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने की मौजूदा क्षमता पर्याप्त नहीं है। प्रशिक्षण का दर्जा सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप है। कुछ नये पाठ्यक्रम और नवीन प्रशिक्षण साज समान को शुरू करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ख) कोई नौसैनिक एकादमी मर्चेन्ट नेवी केडेटों को प्रशिक्षण नहीं दे रहा है। लेकिन निम्नलिखित मर्चेन्ट नेवी प्रशिक्षण संस्थान मर्चेन्ट नेवी केडेटों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

(i) **प्रशिक्षण पोत (राजेन्द्र)** : यह नेवीगेटिंग केडेटों को प्रशिक्षण देने के लिए एक पूर्व समुद्र संस्था है।

(ii) **समुद्री इन्जीनियरिंग प्रशिक्षण निदेशालय, कलकत्ता** : यह इन्जीनियरिंग केडेटों को प्रशिक्षण देने के लिए एक पूर्व समुद्र संस्था है।

(iii) **समुद्री इन्जीनियरिंग प्रशिक्षण निदेशालय, बम्बई** : यह ग्रेजुएट केडेटों को प्रशिक्षण देने के लिए एक पूर्व समुद्र संस्था है।

(iv) **लाल बहादुर शास्त्री नोटिकल और इन्जीनियरिंग कालेज, बम्बई** : यह नौवहन और परिवहन मन्त्रालय द्वारा की जाने वाली विभिन्न व्यावसायिक परीक्षाओं के लिए अधिकारियों को तैयार करने के लिए एक उत्तर समुद्र प्रशिक्षण संस्था है।

(ग) और (घ) हां। सरकार ने केरल में एझिमाला में भारतीय नौसैनिक के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक नए नौसैनिक एकादमी की स्थापना करने का निर्णय किया है। इस अकादमी की स्थापना के लिए प्रारम्भिक तैयारियाँ की जा रही हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्षय और कुष्ठ रोग के लिये जीवन रक्षक औषधियों का अभाव

1777. **श्री राम विलास पासवान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जीवन रक्षक औषधियों का बहुत अभाव है, विशेष कर क्षय और कुष्ठ रोगों के लिए ;

(ख) क्या इसका क्षय और कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में सरकार को क्षय और कुष्ठ रोगों के उन्मूलन के लिए अनुदान बन्द कर देने की धमकी दी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) यद्यपि गणन तथा अन्य कारणों से किसी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अनिवार्य दवाइयों की कमी हो सकती है, तथापि व्यापक रूप से बहुत भारी कमी होने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नहीं।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15

1778. **श्री भेरावदन के० गधावी** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य के बारे में मालूम है कि जिला वास कांठा, गुजरात और उससे लगे राज्य राजस्थान से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए घोषित मानदण्डों के अनुरूप नहीं है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि पर्याप्त वित्तीय सहायता के अभाव में यह राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य राजमार्ग की तुलना के योग्य भी नहीं है ; और

(ग) इस राजमार्ग के सीमान्त राजमार्ग होने के तथ्य को देखते हुए क्या सरकार इस राष्ट्रीय राजमार्ग के उचित रखरखाव और मरम्मत पर विचार करेगी ताकि इसे गुजरात राज्य राजमार्ग की प्रशस्त सड़क की मोटाई के स्तर तक लाया जा सके ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) वस्तुतः राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 15 पंजाब में पठानकोट से शुरू होता है और राजस्थान में जैसलमेर से गुजरता है और अन्त में गुजरात में समख्याली राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 क में मिल जाता है। यह राजमार्ग एक लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निर्धारित मानक पर खरा उतरता है और यातायात योग्य है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास और अनुरक्षण एक अनवरत प्रक्रिया है और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग को अच्छी हालत में बनाए रखने के सतत प्रयास किए जाते हैं। गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र बनसकंठा और कच्छ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग को विशेष मरम्मत/बाढ़ से हुई क्षति की मरम्मत के लिए 220 लाख रुपये के अनुमान की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा इस खण्ड में पटरी को सुदृढ़ करने के लिए 143 लाख रुपये के अनुमान की स्वीकृति दी गई है।

समुद्री सन्धि का कानून

1779. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या हाल में स्वीकृत समुद्री संधि कानून पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले कौन-कौन हैं और क्या भारत को इसकी समुद्री तट जल सीमा का अधिकार मिला है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्षेत्र कितना है;

(ग) क्या दूसरे देशों के वैज्ञानिकों को आर्थिक सीमा में अनुसंधान से वंचित रहना पड़ता है, यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यूनेस्कों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री आयोग ने विकासशील देशों की समुद्री सीमा के बाहर समुद्री स्रोतों का पता लगाने के लिए 10. मिलियन डालर के कार्यक्रम की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी नहीं । समुद्री कानून से सम्बन्धित अभिसमय समुद्री कानून से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने 30 अप्रैल, 1982 को लिखित मतदान द्वारा स्वीकार किया था । इस अभिसमय पर 6 से 10 दिसम्बर, 1982 तक किंगस्टन (जमैका) में होने वाली सम्मेलन की बैठक में हस्ताक्षर किए जा सकेंगे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इस अभिसमय में तटीय देशों के लिए 12 मील के प्रादेशिक समुद्र, 200 मील के अनन्य आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय शेल्फ की ठीक-ठीक वाह्य सीमा निर्धारित की गयी है । जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है संसद 1976 में ही राज्य क्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम पास कर चुका है । इस अधिनियम के अनुसार प्रादेशिक समुद्र में उपयुक्त आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक भारत की संप्रभुता होगी । भारत ने प्रादेशिक समुद्र से परे 12 मील के समीपस्थ क्षेत्र का भी दावा किया है जिसके सम्बन्ध में उसे (क) भारत की सुरक्षा और (ख) आप्रवासन, स्वास्थ्य-रक्षा, सीमा शुल्क सम्बन्धी और अन्य आर्थिक उपाय करने का अधिकार है । भारत ने उपयुक्त आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी स्थापित किया है जहाँ से प्रादेशिक समुद्र नापा जाता है । अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को सजीव और निर्जीव प्राकृतिक साधनों पर संप्रभुता संपन्न अधिकार, वैज्ञानिक अनुसंधान को प्राधिकृत, विनियमित और नियंत्रित करने का अनन्य क्षेत्र अधिकार और समुद्री पर्यावरण को बनाए और बचाए रखने तथा समुद्री प्रदूषण को रोकने तथा नियंत्रित करने का अनन्य क्षेत्राधिकार होगा । भारत को अपने महाद्वीपीय शेल्फ और उसके साधनों पर अनन्य संप्रभुता सम्पन्न अधिकार है जिसमें समुद्री प्रदूषण को रोकने तथा नियंत्रित करने का अनन्य क्षेत्राधिकार शामिल है ।

(ग) समुद्री कानून में सम्बन्धित अभिसमय की व्यवस्थाओं के अनुसार एक तटीय देशों को अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में क्षेत्राधिकार

है । इसलिए भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में दूसरे देश भारत सरकार की अनुमति के बिना वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं कर सकते । यह अनुमति आम तौर पर तभी दी जाएगी यदि अनुसंधान कार्य पूर्णतया शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए हो और सम्पूर्ण मानव जाति के लाभ के लिए समुद्री पर्यावरण विषयक वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ाने के लिए किया जाता हो । यदि अनुसंधान संसाधन-सम्बद्ध हो या उसके लिए खुदाई करनी हो या कृत्रिम द्वीप, संस्थापन आदि बनाने हों तो यह अनुमति देने से इन्कार भी किया जा सकता है ।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र विज्ञानी आयोग विकासशील देशों को सहायता की योजना तैयार कर रहा है । ये योजनाएं अभी विचाराधीन हैं और अभी इन्हें अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

इण्डियन रेलवे कोल एण्ड एश हैडलिंग मजदूर यूनियन की मांगें

1780. **श्री वासुदेव आचार्य :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोल एण्ड एश हैडलिंग कांट्रेक्टर जमालपुर लोकोशेड को संशोधित 14 अगस्त, 1982 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें इंडियन रेलवे कोल एण्ड हैडलिंग मजदूर यूनियन का मांग पात्र प्रस्तुत किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मांगों के निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय एवम् संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मलिल्कार्जुन) : (क) जी हाँ । यूनियन द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार के साथ बातचीत के लिए उठाए गए मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं :—

1) यूनियन और ठेकेदार द्वारा ठेका श्रमिकों की छटनी और पुनर्नियुक्ति का मामला बातचीत के द्वारा निपटाया जाना चाहिए ।
2) प्रति माह 450 रुपये मजदूरी का भुगतान ।
3) 15 दिन की बीमारी की छुट्टी प्रदान करना ।
4) त्यौहार अग्रिम प्रदान करना ।
5) दुर्गापूजा के अवसर पर 8·33 प्रतिशत बोनस का भुगतान ।
6) वर्दी के बदले 100 रुपये का भुगतान ।
7) प्रतिदिन 8 घंटे की ड्यूटी तथा 8 घंटे के बाद काम लेने की स्थिति में समयोपरि का भुगतान ।
8) राष्ट्रीय छुट्टियां आदि प्रदान करना ।

(ख) यूनियन द्वारा उठाए गए मुद्दे ऐसे विषय हैं जिन्हें श्रमिकों तथा सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा निपटाया जाना है, और तद्नुसार रेल प्रशासन को इन मांगों की ओर सम्बन्धित ठेकेदार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कह दिया गया है ।

दिल्ली परिवहन निगम की लाटरी योजना

1781. **श्री तारिक अनवर :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम की लाटरी योजना असफल हो गई है और बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो असफलता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस योजना का उद्देश्य दिल्ली परिवहन की बसों में विना टिकट यात्रा रोकना था; और

(घ) क्या दिल्ली परिवहन निगम का विचार बसों में विना टिकट यात्रा रोकने के लिए अन्य कोई उपाय करने का है ?

नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम ने 9-5-1982 से लौटरी स्कीम को रोक दिया है क्योंकि यह न तो लोकप्रिय था और न ही कम खर्चीला ।

(ग) जी, हाँ ।

(घ) दिल्ली परिवहन निगम ने नियमित चेकिंग स्टाफ में वृद्धि कर तथा विशेष प्रबन्ध के द्वारा चेकिंग प्रबन्ध को तेज कर दिया है । एक मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट दिल्ली परिवहन निगम के चेकिंग कर्मचारियों और पुलिस की मदद से प्रतिदिन बसों में चेक करता है और टिकट रहित यात्रियों के मामले का निपटान तत्काल नियमानुसार करता है ।

रेलवे सेवा आयोगों का गठन

1782. **श्री जैनुल बशर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रत्येक नए रेल सेवा आयोग का क्षेत्र क्या होगा ?

रेल मंत्रालय एवम् संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : अजमेर, अहमदाबाद, चण्डीगढ़, जम्मू और श्रीनगर, भुवनेश्वर, तिरुवनन्तपुरम और भोपाल में नए रेल सेवा आयोग स्थापित किए जा रहे हैं । इनके अधिकार क्षेत्र के साथ-साथ मौजूद रेल सेवा आयोगों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

अनुबन्ध

आयोग का स्थान	मण्डलों/उत्पादन इकाइयों के अनुसार अधिकार क्षेत्र	
1	2	
अहमदाबाद	बडोदरा	पश्चिम रेलवे
	राजकोट	
	भावनगर	
अजमेर	रतलाम)	
	कोटा)	पश्चिम रेलवे
	जयपुर)	
	अजमेर)	
	जोधपुर	उत्तर रेलवे
चण्डीगढ़	मुख्यालय	उत्तर रेलवे
	बीकानेर	,,
	दिल्ली	,,
	डी० सी० डब्ल्यू०, पटियाला	
जम्मू और श्रीनगर	फिरोजपुर	उत्तर रेलवे
इलाहाबाद	इलाहाबाद	उत्तर रेलवे
	लखनऊ	
	मुरादाबाद	
	इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे
	लखनऊ	
	डी० एल० डब्ल्यू०, वाराणसी	
मुजफ्फरपुर	मुख्यालय	पूर्वोत्तर रेलवे
	वाराणसी	
	समस्तीपुर	पूर्वोत्तर रेलवे
	सोनपुर	

1	2	
पटना	मुगलसराय	पूर्व रेलवे
	धनवाद	
	दानापुर	
	कटिहार	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
गुवाहाटी	मुख्यालय	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
	अलीपुर द्वार	
	लमडिंग	
	तिनसुकिया	
कलकत्ता	दक्षिण पूर्व और पूर्व रेलवे का मुख्यालय	
	हावड़ा)	
	आसनसोल)	पूर्व रेलवे
	सियालदह)	
	आद्रा	दक्षिण पूर्व रेलवे
	खड़गपुर	
	चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चित्तरंजन	
भुवनेश्वर	खुर्दा रोड	
	वाल्टेयर	दक्षिण पूर्व रेलवे
	चद्राधरपुर	
मद्रास	मुख्यालय दक्षिण रेलवे	
	मद्रास	
	त्रिच्चरापल्लि	दक्षिण रेलवे
	मदुरे	
	सवारी डिब्बा कारखाना, पैरम्बूर	
त्रिवेन्द्रम	पालघाट	दक्षिण रेलवे
	त्रिवेन्द्रम	
बंगलौर	मैसूर	दक्षिण रेलवे
	बंगलौर	
	हुबली	दक्षिण मध्य रेलवे
	पहिया एवम् धुरा संयंत्र, बंगलौर	

1	2
सिकन्दराबाद	मुख्यालय दक्षिण मध्य रेलवे
	सिकन्दराबाद ब०ला०
	हैदराबाद छो०ला० दक्षिण मध्य रेलवे
	जिजयवाड़ा
	गुन्तकल
बम्बई	मध्य एवम् पश्चिम रेलवे मुख्यालय
	बम्बई
	भुसावल
	नागपुर मध्य रेलवे
	शोलापुर
	बम्बई पश्चिम रेलवे
भोपाल	जबलपुर मध्य रेलवे
	झांसी
	बिलासपुर दक्षिण पूर्व रेलवे
	नागपुर

छोटा उदयपुर, प्रतापनगर, छुछापुरा, तनखला और अकलेश्वर राजपिपला लाईन को बड़ी लाईन में बदलना

1783. **श्री आर० पी० गायकवाड :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे ने यातायात सम्बन्धी उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो नर्मदा परियोजना के कारण उत्पन्न हो जायेगी, छोटा उदयपुर प्रतापनगर और छुछापुरा, तनखला तथा अंकलेश्वर-राजपिपला छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा इसे गोरा तक बढ़ाने के लिए गत वर्ष कोई यातायात सम्बन्धी सर्वेक्षण किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि सर्वेक्षण दल ने रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है तथा इसके शीघ्र ही राज्य सरकार को भेजे जाने की आशा है;

(ग) यदि हाँ, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों अर्थात् कुल परिव्यय आदि की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी इस परियोजना में वित्तीय सहयोग देने का है ?

रेल मंत्रालय एवम् संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) छोटा उदयपुर-प्रतापनगर तथा छछपाड़ा-तुंखला की छोटी लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन की लागत लगभग 44.85 करोड़ रुपए है तथा गोरा, नर्मदा डाम स्थल तक विस्तार सहित अंकलेश्वर-राजपिपला की छोटी लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन की लागत लगभग 30.41 करोड़ रुपए होगी। यह परियोजना, प्रारम्भिक मूल्यांकन के अनुसार, सम्भवत: व्यवहार्य नहीं है।

(घ) इस परियोजना के निर्माण-कार्य का निर्णय सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होने तथा उसके सभी पहलुओं की जांच करने के बाद किया जाएगा।

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय दर्जा

1784. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के विकास के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस लाइब्रेरी की कितनी शाखाएं 1 अप्रैल, 1983 से पहले खोलने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी नहीं। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है। हाल ही में, भारत सरकार ने, पुस्तक और समाचार पत्र वितरण (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954 के अधीन, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को चौथी प्रापक लाइब्रेरी घोषित की है।

(ग) फिलहाल, 1 अप्रैल, 1982 से पहले दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की एक और शाखा खोलने के किसी विशिष्ट प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। तथापि, लाइब्रेरी ने सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में अपने एक क्षेत्रीय भवन का निर्माण किया है। जैसे ही भवन कब्जा लेने के लिए तैयार हो जाएगा उसके बाद दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड, इसके लाभप्रद उपयोग के बारे में निर्णय करेगा।

चारपहिया वाले वैगनों की बिक्री

1785. श्री राम जेठमलानी :

श्री बापू राव परांजपे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्लेन बियरिंग के चार पहियों वाले कितने वैगन जोनवार बेचे जाने वाले हैं सारे रेल विभाग में प्रति माह कितने डिब्बे जोड़े जाते हैं और बेचे जाते हैं;

(ख) प्रत्येक डिब्बे को बेचने में कितनी धन राशि खर्च होती है और उससे औसतन कितनी आमदनी होती है;

(ग) इस बारे में भविष्य की योजना क्या है; और

(घ) आगामी तीन वर्षों में बेचे जाने वाले ऐसे डिब्बों का कुल मूल्य कितना होगा ?

रेल मन्त्रालय एवम् संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) प्रत्येक माल डिब्बे को बेचे जाने की औसत कुल लागत इस प्रकार है :—

बड़ी लाइन 153 रुपये (लगभग)

मीटर लाइन 140 रुपये (लगभग)

औसत आय—

बड़ी लाइन 6729 रुपये (लगभग)

मीटर लाइन 5955 रुपये (लगभग)

(ग) रेलों की सामान्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में रेलें, उन रद्दी माल डिब्बों का निपटान कर देती हैं जिनकी आर्थिक दृष्टि से कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है । इनमें वे औसत माल डिब्बे सम्मिलित हैं जो किफायती मरम्मत के योग्य नहीं रहते । ऐसे माल डिब्बों को रद्द करने और उनके निपटान में तेजी लाने के लिए 1981-82 के दौरान एक अभियान चलाया गया था । इस अभियान को जारी रखा जा रहा है ।

(घ) लगभग 27·80 करोड़ रुपये

विवरण

1-10-82 को बेचे जाने वाले प्लेन बियरिंग चौपहिया माल डिब्बों की संख्या		प्रत्येक मास में जुड़े जाने वाले माल डिब्बों की संख्या (चालू वर्ष की औसत)	प्रतिमास निपटान किए गए माल डिब्बों की संख्या (चालू वर्ष की औसत)
मध्य	38	191	271
पूर्व	2447	160	30
उत्तर	327	350	350
पूर्वोत्तर	110	64	57
पूर्वोत्तर सीमा	247	12	7
दक्षिण	211	126	93
दक्षिण मध्य	111	186	59
दक्षिण पूर्व	326	225	130
पश्चिम	155	158	165
जोड़	3972	1472	1162

वर्ष 1980-81, 1981-82 के दौरान पंजीकृत विकलांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध किया जाना

1786. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या समाज कल्याण **मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितने पंजीकृत विकलांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया और नेत्रहीन, गुंगे, बहरे-विकलांग व्यक्तियों तथा ब्रोकाइटिस से पीड़ित व्यक्तियों को उपलब्ध किए रोजगार का रोजगारवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) यह कार्यक्रम कब तक जारी रहेगा और अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) और (ख) 1980-81 और 1982 के दौरान (जनवरी से मार्च) नौकरी पर लगाए गए विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या के बारे में एक विवरण संलग्न है। नौकरियों के बारे में कार्य-वार बंटवारे की जानकारी एकत्रित नहीं की गई है। यह अनवरत कार्यक्रम है।

विवरण

1980 से मार्च, 1982 के दौरान रोजगार कार्यालय द्वारा केन्द्रीय सरकार में नौकरी पर लगाए गए विकलांग व्यक्तियों की संख्या

वर्ष	केन्द्रीय सरकार में नौकरी पर लगाए गए व्यक्तियों की संख्या				
	अन्धे	बहरे और गूंगे	अस्थि विकलांग	श्वसन बाध्यता	कुल
1980	45	52	684	10	791
1981	275	236	2410	10	2931
1982 (जनवरी से मार्च)	40	20	308	1	377

भारतीय रेल अधिनियम में संशोधन

1787. श्रीमती किशोरी सिन्हा
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
श्रीमती प्रमीला दंडवते : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान भारतीय रेल अधिनियम 1890 पुराना हो गया है; और

(ख) क्या नई प्रतिशतता आधार पर उसकी प्रक्रिया तथा हानि के मूल्यांकन को अधिक यथार्थ बनाने के लिए इसमें संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 में बदलती परिस्थितियों के साथ चलने के लिए 42 संशोधन किए गए हैं, यद्यपि यह 1890 को अधिनियमित किया गया। बहरहाल, इस अधिनियम के स्थान पर नया कानून बनाने के उद्देश्य से इसकी विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के परामर्श से समीक्षा की जा रही है।

कछार एक्सप्रैस का रोजाना चलाया जाना

1788. श्री सन्तोष मोहन देव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को गोहाटी और सिलचर के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली 'कछार एक्सप्रैस' गाड़ी को रोजाना चलने वाली गाड़ी के रूप में बदलने के बारे में कछार के तीन डी०सी०सी० (1) की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) असम सरकार सहित जनता के विभिन्न वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) 1-10-1982 से 201/202 कछार एक्सप्रैस के फेरे सप्ताह में दो बार से बढ़ाकर सप्ताह में तीन बार कर दिए गए हैं। लमडिंग-बदरपुर खंड पर लाइन क्षमता की कठिन स्थिति के कारण तथा इस खंड के रास्ते इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई के हित में इस गाड़ी को प्रतिदिन चलाना व्यावहारिक नहीं पाया गया।

मैट्रो रेलवे का रख-रखाव

1789. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता मैट्रो रेलवे के शुरू हो जाने के बाद इसके रख-रखाव का काम कौन मंत्रालय करेगा ?

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : सरकार ने राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है कि मेट्रो रेलवे परिवहन द्वारा चालन शुरू कर देने पर उनके अनुरक्षण के लिए, परिवहन प्राधिकरण का गठन किया जाये। निर्माण एवं आवास मंत्रालय की इस बारे में रेल मन्त्रालय, योजना आयोग और राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करके नोडल मन्त्रालय के रूप में नामित किया गया है। इस बारे में सम्बन्धित मन्त्रालयों द्वारा विचार किया जा रहा है।

छात्र नर्सों के प्रशिक्षण अवधि को कम करने और वजीफे को बढ़ाने की मांग

1790. **श्री राजनाथ सोनकर**

श्री जगपाल सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1965 के छात्र नर्सों को दी जाने वाली वजीफे की धनराशि 125 रुपये प्रति मास स्थिर रही है और उन्हें साढ़े तीन वर्षीय सर्टिफिकेट या डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वजीफे की धनराशि को बढ़ाने और प्रशिक्षण की अवधि को कम करने के लिए बराबर मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार छात्र नर्सों के वजीफे की धनराशि बढ़ाने और उनके प्रशिक्षण की अवधि को कम करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी प्रशिक्षण कोर्स साढ़े तीन वर्ष का है। भिन्न-भिन्न राज्यों में छात्र नर्सों को भिन्न-भिन्न वजीफा दिया जाता है।

(ख) और (ग) वजीफे की रकम में वृद्धि करने तथा प्रशिक्षण की अवधि को कम करने की कभी-कभी मांग की गई है। जबकि वजीफे की रकम निर्धारित करना मुख्यत: राज्यों का काम है, भारतीय नर्सिंग परिषद् प्रशिक्षण की अवधि के बारे में विचार कर रही है।

द्वितीय हुगली पुल के लिए धनराशि का आबंटन

1791. **श्री नीरेन घोष** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वितीय हुगली पुल के निर्माण के लिए 124.32 करोड़ रुपए इस आधार पर देने के लिए सहमत हुआ था कि यह दिसम्बर, 1983 तक पूरा हो जायेगा;

(ख) यदि हां, तो धनराशि क्यों नहीं दी गई है;

(ग) सरकार अब कितनी धनराशि देने के लिए सहमत हो गई है;

(घ) क्या इससे पुल के निर्माण में विलम्ब नहीं होगा;

(ङ) यदि हां, तो क्या इससे लागत मूल्य नहीं बढ़ जाएगा; और

(च) यदि हां, तो उस लागत को किस प्रकार पूरा किया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (च) दूसरा हुगली पुल राज्य की परियोजना में है और केन्द्रीय सरकार इसके लिए केवल 57.13 करोड़ रुपए तक की सहायता देने के लिए वचनबद्ध है। 57.13 करोड़ रुपए से अधिक खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। केन्द्रीय सरकार के 124.32 करोड़ रुपये के प्रावधान के लिए वचनबद्ध नहीं है। 57.13 करोड़ रुपए में से 48.99 करोड़ की धनराशि पहले ही रिलीज की जा चुकी है और शेष धनराशि शीघ्र ही रिलीज किए जाने की सम्भावना है। 1986 तक पुल के तैयार हो जाने की सम्भावना है।

ब्रिज इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण

1792. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**
श्री सुभाष यादव : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिज इन्जीनियरिंग विभाग में छः वर्षों से अधिक समय से कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं जिन्हें अभी तक स्थाई नहीं किया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें स्थाई करने का है; यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

खाद्य पदार्थों के राज्यवार लिए गए नमूने

1793. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन खाद्य पदार्थों के, राज्यवार, लिए गए नमूनों की कुल संख्या क्या है;

(ख) खाद्य पदार्थों में मिलावट के कुल कितने मामले न्यायालयों में दायर किए गए और कितने व्यक्ति दोषी पाए गए और तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट थी अभी तक रोका नहीं गया है कि इसके लिए कड़ा कानून है और भविष्य में मिलावट के ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अंधेपन के बढ़ते मामलों के बारे में सरकारी अध्ययन दल की रिपोर्ट

1794. **श्री रवीन्द्र वर्मा**
श्री बापू साहिब परुलेकर
श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सरकारी अध्ययन दल की उस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसको यह बताया गया है कि भारतवासियों में अंधेपन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल की रिपोर्ट का पूरा विवरण क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही का विवरण क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) दृष्टि-हीनता नियंत्रण पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है । इस कार्यकारी

दल की सिफारिशें दृष्टिहीनता नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में हैं तथा उनमें निम्नलिखित क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है :

1. संगठन और प्रबन्ध
2. बुनियादी ढांचे का विकास
3. जनशक्ति
4. प्रशिक्षण
5. सामग्री और उपकरण
6. स्वास्थ्य शिक्षा
7. निजी क्षेत्र तथा स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका और
8. अनुसंधान और विकास

(ग) सरकार इस कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर विचार कर रही है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजातियों के लोगों की शिक्षा

1795. **श्री जयनारायण रौत :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजातियों के कितने लोगों को अब तक राज्यवार और संघ क्षेत्रवार साक्षर बनाया गया है ; और

(ख) जनजातिय क्षेत्रों में इस कार्यक्रम की प्रगति पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें उन अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या दर्शाई गई है जो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं। वर्ष 1981-82 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए कुल दाखिले में से उस वर्ष के दौरान शामिल किए गए अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की प्रतिशतता 18.47 है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को सहयोगिता, कुल जनसंख्या के उनके अनुपात की अपेक्षा अधिक है। अतः यह देखा गया है कि अनुसूचित जनजाति के छात्र इस कार्यक्रम में रुचि ले रहे हैं।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित	उन अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की संख्या जिन्होंने निम्नलिखित वर्षों के दौरान सफलतापूर्वक अध्ययन पूरा किया है		1981-82 के दौरान दाखिल किए गए छात्रों की संख्या	1981-82 के कुल दाखिले के मुकाबले उनकी प्रतिशतता
		1979-80	1980-81		
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	301	12166	35,247	16.80
2	असम	7	22004	55,574	26.68
3.	बिहार	5586	11077	24,881	12.64
4.	गुजरात	83174	53369	55,819	40.35
5.	हरियाणा	—	—	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं	1212	1,651	10.24
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	581	9220	14,447	7.07
9.	केरल	1341	147	2,842	3.56
10.	मध्य प्रदेश	21979	36855	97,024	30.07
11.	महाराष्ट्र	13654	30729	73,958	23.68
12.	मणिपुर	2944	18705	12,644	58.11
13.	मेघालय	8132	6102	17,247	99·86
14.	नागालैण्ड	14726	11836	22,210	100.00
15.	उड़ीसा	25517	51668	38,608	33.00
16.	पंजाब	—	71	—	—
17.	राजस्थान	10971	32446	32,120	19.09
18.	सिक्किम	—	1290	3,156	28.04
19.	तमिलनाडु	926	4196	7,236	2.29
20.	त्रिपुरा	3769	3322	14,970	38.17

1	2	3	4	5	6
21.	उत्तर प्रदेश	980	3140	3,706	1.69
22.	पश्चिम बंगाल	13654	24588	33,924	15.08
23.	अंडमान तथा निकोबार प्रशासन	223	279	375	15.47
24.	अरुणाचल प्रदेश	4520	6528	13,372	98.53
25.	चंडीगढ़	—	—	—	—
26.	दादरा और नगर हवेली	—	1607	1,822	100.00
27.	दिल्ली	105	146	141	0.49
28.	गोवा, दमन व दीव	—	—	—	—
29.	लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं	360	1,717	100.00
30.	मिजोरम	—	3152	7,775	100.00
31.	पांडिचेरी	—	—	—	—
		योग : 2,13,080	3,46,215	5,72,466	18.47

दक्षिण पूर्व रेलवे में टिकटों की काला बाजारी

1797. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण पूर्व रेलवे में रेल टिकटों की काला बाजारी की जानकारी है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनके मंत्रालय ने रेल टिकटों की काला बाजारी करने वाले गिरोह को समाप्त करने के लिए कोई अभियान चलाया है ; और

(ग) इस गिरोह के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय एवम् संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अनधिकृत ट्रेवल एजेन्टों और असामाजिक तत्वों द्वारा रेलों में स्थान घेरने और फिर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) और (ग) पिछले 6 महीनों के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे पर चलाए गए गहन अभियानों के परिणामस्वरूप (1) 10 अनधिकृत ट्रेवल एजेन्टों को गिरफ्तार किया गया था । (2) मांग पर्चियों की गहराई से जांच की गयी थी और संदेहजनक मामलों में किए

गए आरक्षणों की प्रमाणिकता का सत्यापन करने के लिए घर-घर जाकर जांच-पड़ताल की गयी थी। (3) गाड़ियों में अचानक छापे मारे गए जिनके परिणामस्वरूप हस्तांतरित मामलों के 788 मामले पकड़े गए थे। (4) मुख्य बुकिंग/आरक्षण कार्यालयों पर 26 छापे मारे गए जिनके परिणामस्वरूप 190 दलालों को पकड़ा गया और (5) 147 गाड़ियों और 51 बुकिंग एवम् आरक्षण कार्यालयों पर विशेष निरोधात्मक जांचें की गयीं और गाड़ियों के आरक्षण में धोखाधड़ी में लिप्त 17 संदेहास्पद व्यक्तियों को राजकीय रेलवे पुलिस को सुपुर्द किया गया था।

रेलगाड़ियों में डकैतियां

1798. **श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले दो वर्षों के दौरान डकैतों ने रेल यात्रियों की किन राज्यों में कहाँ-कहाँ हत्या की और उसमें रेलवे के कितने कर्मचारी थे ; और

(ख) सरकार द्वारा मृतकों के परिवारों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय एवम् संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राज्यों सहित उन स्थानों के नाम इस प्रकार हैं, जहाँ पिछले दो वर्षों अर्थात् अक्तूबर, 80 से सितम्बर, 82 के दौरान गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्री डाकूओं द्वारा मार दिए गए थे :

स्थानों के नाम	राज्य
झाझा—कियुल के बीच	बिहार
जमालपुर, —भागलपुर के बीच	बिहार
जोरों—जखोलों के बीच	उत्तर प्रदेश
लालपुर – मलासा के बीच	उत्तर प्रदेश
पटियारा—उन्नाव के बीच	उत्तर प्रदेश
गुड़गांव – गढ़ी हरसरु के बीच	हरियाणा
चान्दपुर—सियाऊ और मण्डी धनोरा के बीच	उत्तर प्रदेश
हरदत्तपुर रेलवे स्टेशन	उत्तर प्रदेश
भगवानपुर—गोरौल	बिहार
लाखा दानौली फुलवारिया के बीच रेलवे स्टेशन	बिहार
पनवाड़ी—ठाकुर कूची के बीच	असम
हुबली—नवल गुंड रोड के बीच	कर्नाटक
टाडेपल्लीगुडम—मारम्पल्ली के बीच	आन्ध्र प्रदेश
बान्द्रा-अन्धेरी	महाराष्ट्र

इन डकैतियों में, दो रेलवे कर्मचारी मारे गए थे ।

(ख) ऐसे मामलों में कोई क्षतिपूर्ति अनुमेय नहीं है ।

दिल्ली-अहमदाबाद लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1799. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-अहमदाबाद छोटी रेल लाइन के बड़ी लाइन में बदलने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस परियोजना को योजना आयोग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस परियोजना पर कब तक काम शुरू हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय एवम् संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस परियोजना पर कोई प्रगति नहीं हुई है ।

(ख) संसाधनों की कमी के कारण, योजना आयोग द्वारा इस परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गयी है ।

(ग) आवश्यक धन उपलब्ध होने और योजना आयोग द्वारा इस परियोजना की स्वीकृति मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा ।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह और मेनलेड के बीच भाड़े की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव

1800. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से मेनलेड तक माल लाने के लिए शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा लिए जाने वाले भाड़े की वर्तमान दरें क्या हैं ;

(ख) क्या भाड़े की दरें 244 रुपये प्रति टन से बढ़ा कर 500 रुपये प्रति टन करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लकड़ी पर आधारित उद्योगों को भाड़े की दरों में इतनी अत्यधिक वृद्धि से दुख नहीं होगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) भारतीय नौवहन

निगम भारत और उसके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच मुख्य-मुख्य माल लाने ले जाने के लिए जो भाड़ा लेती है उसकी दरें निम्नलिखित हैं :

क्रम संख्या	माल	भाड़े की दर
1.	फुटकर माल	3ऽ7 रुपये प्रति टन या 262 रुपये प्रति घनमीटर
2.	सुपारी	यगक्त
3.	प्लाईवुड, आदि	115.10 रुपये प्रति घनमीटर (नौतल नि:शुल्क)
4.	लकड़ी के लट्ठे	132.50 रुपये प्रति टन/घनमीटर (नौतल नि:शुल्क)
5.	शहतीर	88.50 रुपये प्रति टन/घनमीटर (नौतल नि:शुल्क)
6.	बोरों में बन्द नारियल	296 रुपये प्रति टन/घनमीटर (नौतल नि:शुल्क)
7.	जलाने वाली लकड़ी	176.60 रुपये प्रति टन/घनमीटर (नौतल नि:शुल्क)
8.	दियासलाई की लकड़ी	224.20 रुपये प्रति टन

(ख) और (ग) जहाज में माल रखने का काम अधिक होने के कारण दियासलाई की कटी हुई लकड़ियों के भाड़े की दर को 22420 रुपये प्रति मीट्रिक टन से कर 501.80 रुपये प्रति मीट्रिक टन करने के बारे में इंडियन कोस्टल कान्फ्रेंस से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा मनाया गया विरोध दिवस

1801. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों ने अपनी मांगों पर जोर देने के लिए दिनांक 4 सितम्बर, 1982 को पूरे देश में विरोध दिवस मनाया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनकी मांगों पर शीघ्र ध्यान देने और निर्णय लेने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) समाचार-पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार, केन्द्रीय विद्यालयों के कुछ शिक्षकों ने शिक्षक दिवस (5 सितम्बर) को अपनी मांग मनवाने के लिए विरोध दिवस के रूप में मनाया था।

(ख) अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ (अ०भा०के०वि०शि०सं०) की मुख्य मांगें निम्नलिखित थीं :

(i) अ०भा०के०वि०शि०सं० को मान्यता ;

(ii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा इसके शासी बोर्ड में प्रतिनिधित्व ;

(iii) सभी स्तरों पर संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र का गठन ;

(iv) आन्तरिक पदोन्नति कोटा को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक करना ;

(v) वेतनमानों में संशोधन ;

(vi) स्कूल-समय कम करना ;

(vii) समयबद्ध प्रवरण ग्रेड शुरू करना ;

(viii) युक्तियुक्त स्थानान्तरण नीति की घोषणा ;

(ix) बड़े पैमाने पर स्थानान्तरणों को वापिस लेना।

(ग) कर्मचारियों की मांगों पर विचार करना एक सतत प्रक्रिया है। अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ (अ०भा०के०वि०शि०सं०) के प्रतिनिधि, अपने सेवा सम्बन्धी मामलों पर विचार करने के लिए संगठन के विभिन्न अधिकारियों से बार-बार मिलते रहे हैं। ऐसे विचार-विमर्शों के परिणाम स्वरूप कई मामलों का पहले ही निपटान कर दिया गया है।

दिल्ली में एम०बी०बी०एस० की परीक्षा आयोजित करने में विलम्ब

1802. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में एम०बी०बी०एस० की परीक्षा आयोजित करने में होने वाले अत्यधिक विलम्ब के समाचार को देखा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या उपचारात्मक कार्रवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) इस आशय की रिपोर्टें सरकार के ध्यान में आई हैं।

(ख) एम०बी०बी०एस० की दूसरी परीक्षा सितम्बर, 1982 में निर्धारित समय के अनुसार आयोजित की गई। पहले ही घोषित किए गए सामान्य शैक्षिक कार्यक्रम के अनुसार, एम०बी०बी०एस० की प्रथम और अन्तिम परीक्षा 20 नवम्बर, 1982 के आस-पास होनी है। तथापि, 19 नवम्बर से 4 दिसम्बर, 1982 तक होने वाले एशियाई खेलों को ध्यान में रखते हुए, इन परीक्षाओं को 6 दिसम्बर, 1982 से आयोजित करने का निर्णय किया गया है।

प्रौढ़ शिक्षा के लिए अनाकर्षक सुविधायें

1803. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की आशानुकूल प्रगति नहीं हो पाई है क्यों विशेषकर ग्रामीण लोगों को प्रदान की गई सुविधायें इतनी अपर्याप्त और अनाकर्षक हैं कि वे प्रौढ़ लोगों को आगे बढ़ने और स्वयं को शिक्षित बताने के लिए प्रेरित नहीं करतीं ; और

(ख) क्या सरकार इस सम्बन्ध में बनाए गए कार्यक्रम से सन्तुष्ट है ; और यदि नहीं, तो क्या विभिन्न कदम उठाने का विचार है ताकि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को वास्तविक सफलता प्राप्त हो सके विशेषकर अपने देश के ग्रामीण क्षेत्र में ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) सरकार को इस आशय की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि ग्रामीण लोगों को प्रदान की सुविधाएं अपर्याप्त और अनाकर्षक हैं।

(ख) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल किया गया है। प्रौढ़ निरक्षरता के उन्मूलन को भी नए बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में शामिल किया गया है। 15-35 आयु वर्ग में अधिक प्रौढ़ निरक्षरों को सम्मिलित किए जाने के लिए 1982-83 को सुनिश्चित करने के दौरान और 75 जिलों को शामिल करके ग्राम्य कार्यात्मक साक्षरता परियोजना कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त स्वैच्छिक एजेंसियों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है।

त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में रेल मार्ग का निर्माण

1804. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में कितने नये रेल मार्ग बनाए गए हैं ; और

(ख) विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में छह नई रेल लाइनें बिछाने के लिए पिछले वर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई ?

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान त्रिपुरा और अरुजाचल प्रदेश में किसी नई रेलवे लाइन का निर्माण नहीं किया गया है ।

(ख) सूचना राज्यवार नहीं बल्कि रेलवेवार समेकित की जाती है । इसलिए 1981-82 के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों में छः नयी लाइनों के निर्माण के लिए व्यय की गयी राशि का राज्यवार ब्यौरा देना सम्भव नहीं है । बहरहाल, इन छः लाइनों पर अलग-अलग व्यय की गयी राशि निम्नलिखित है :

क्रमांक	लाइन का नाम	जिस राज्य को सेवित करती है ।	राज्यवार कि०मी० में लम्बाई		1981-82 के दौरान व्यय की गयी राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	बालीपाड़ा-भालुकपोंग मीटर लाइन रेल सम्पर्क	असम/ अरुणाचल प्रदेश	असम अरुणाचल प्रदेश कुल	33.86 1.60 35.46	0.85
2.	घर्मनगर-कुमारघाट मीटर लाइन रेल सम्पर्क	त्रिपुरा	त्रिपुरा	33.00	2.10
3.	सिलचर जिरोबाम बड़ी लाइन रेल सम्पर्क	असम/ मणिपुर	असम मणिपुर कुल	47.87 1.29 49.16	1.43
4.	लालावजार-भैरावी मीटर लाइन रेल सम्पर्क	असम/ मिजोरम	असम मिजोरम कुल	47.28 1.49 48.77	1.05
5.	आमगुड़ी-तुली मीटर लाइन रेल सम्पर्क	असम/ नागालैंड	असम नागालैंड कुल	10.98 6.09 17.07	0.18
6.	गुवाहाटी-बर्नीहाट बड़ी लाइन रेल सम्पर्क	असम/ मेघालय	असम मेघालय कुल	9.00 15.82 24.82	0.00

केरल में त्रिवेन्द्रम 'बाईपास' के निर्माण की प्रगति

1805. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम में 'बाईपास' के निर्माण की प्रगति क्या है ;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार क्विलोन में भी 'बाई-पास' का निर्माण करने का है ; और

(घ) केरल में अन्य स्थानों पर बाई-पासों के निर्माण की प्रगति क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) केजुकुट्टम और बेजमुटम के बीच कोवलम के पास 20.5 किलोमीटर लम्बे भू खंड को 205.07 लाख रुपये की लागत से प्राप्त करने के लिए मंजूरी जनवरी 1978 में दी गई थी । यह काम अभी जारी है । जहाँ तक बेजमुटम के दक्षिण में स्थित बाई पास का सम्बन्ध है, राज्य सरकार इसके दागबेल को सुनिश्चित करने के बारे में हवाई सर्वेक्षण करा रही है ।

(ग) व्यापक आर्थिक कठिनाई के कारण क्विलोन बाईपास के निर्माण का काम शुरू करना अभी तक सम्भव नहीं हो सका है ।

(घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

केरल में स्थित बाई पासों की स्थिति

बाई पास का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	वर्तमान स्थिति
1. पालघाट	47	पूरा हो गया है
2. अलवाय	47	पूरा हो गया है
3. शेरतलड्	47	पूरा हो गया है
4. बदगरा	17	पूरा हो गया है
5. त्रिचूर	47	भूमि प्राप्त कर ली गई है। मिट्टी के काम और पुलियों के लिए तख्मीने मंजूर कर दिए गए हैं। काम हाल ही में शुरू किया गया है ।

बाई पास का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	वर्तमान स्थिति
6. कोचीन	47	काम लगभग पूरा होने वाला है। केवल दो बड़े पुलों और उनके पहुंच मार्गों और पोन्नु-रुन्नि के पास रेलवे ओवर ब्रिज के पहुंच मार्ग का निर्माण अभी जारी है।
7. चल कुड्डी	47	यथोक्त
8. अलेप्पी	47	यथोक्त
9. कालिकट	17	इसका दागबेल अनुमोदित कर दिया गया है। छठी योजना में भूमि अधिग्रहण करने का काम शामिल है। इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार से तफ्सीलें प्राप्त होने की प्रतीक्षा है।
10. तेलीचेरी	17	भूमि अधिग्रहण करने का काम छठी योजना में शामिल है। इसके दागबेल को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार का लोक निर्माण विभाग हवाई सर्वेक्षण करा रहा है।

दक्षिण रेलवे के सेवानिवृत कर्मचारियों को देय धनराशि का भुगतान

1806. **श्री एम०एम० लारेंस :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें दक्षिण रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय राशि के निर्धारण में असाधारण विलम्ब के बारे में सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन का 1 अगस्त 1982 का ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) सेवा-निवृत्त रेल कर्मचारियों की पावने की राशि का शीघ्रता से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रीय रेल प्रशासनों को पहले ही अनुदेश जारी कर दिए

गए हैं। जब कभी पावने की राशि के भुगतान में देरी के किसी विशेष मामले की ओर इस मन्त्रालय का ध्यान दिलाया जाता है तो उसके सम्बन्ध में कार्रवाई की जाती है।

इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ एडवान्स स्टडीज, शिमला में शुरू की गई अनुसंधान परियोजनायें

1807. **श्री आनन्द सिंह :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एडवान्स स्टडीज, शिमला में इस समय कितने स्कालर हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी अनुसंधान परियोजनाओं का काम शुरू किया गया और प्रकाशित हुई;

(ग) क्या इन्स्टीच्यूट का अनुसंधान कार्य इसके वार्षिक योजना और गैर-योजना बजट के अनुरूप है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इसके कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) संस्थान ने 1978 से कोई नई शिक्षावृत्ति अथवा अनुसंधान परियोजनाएं प्रदान नहीं की हैं। तथापि, जो फेलो दीर्घकालीन परियोजनाओं का कार्य कर रहे हैं वे अपना-अपना अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान उनमें से केवल दो ही कार्य कर रहे थे। क्योंकि उनकी परियोजनाएं दीर्घकालीन अवधि की है इसलिए न तो वे अभी तक पूरी हो गई हैं और न ही प्रकाशित की गई हैं।

(ग) और (घ) संस्थान में मुख्यत: भवनों के अनुरक्षण, संस्थान में कार्यरत गैर-शैक्षिक स्टाफ के वेतन के भुगतान तथा फेलो के वेतन सहित अन्य व्यय और पुस्तकालय अनुरक्षण पर व्यय किया गया था विशेषज्ञ समिति, जिसने संस्थान की पुन: संरचना की जांच की थी, की सिफारिश पर संस्थान के शैक्षिक कार्यक्रम शीघ्र पुन: आयोजित किए जायेंगे।

और अधिक मेडिकल कालेज न खोलने का निर्णय

1808. **श्री बापूसाहिब परुलेकर**
श्री रवीन्द्र वर्मा
श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में इस समय और मेडीकल कालेज न खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय लेने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन छात्रों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है जो मेडीकल शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) देश में चिकित्सकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मेडिकल कालेजों की वर्तमान संख्या पर्याप्त समझी गई है ।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक विद्यालयों में पेय जल की अपर्याप्त सुविधायें

1809. **श्री भीखा भाई** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक विद्यालयों तथा अन्य पब्लिक स्कूलों में पेय जल की सुविधाए अपर्याप्त और स्वास्थ्य के लिए हानिकर हैं;

(ख) क्या निगम के विद्यालयों में पानी जमा करने के लिए बनाई गई कंकरीट की टंकियों को साफ करने की कोई व्यवस्था नहीं है और जल प्रदूषण अवश्यंभावी है;

(ग) क्या विद्यालयों द्वारा उन कंकरीट की टंकियों का प्रयोग किया जाता है; और

(घ) टंकियों को साफ करने और बच्चों को गम्भीर रोगों से बचाने के लिए क्या प्रबन्ध है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जैसाकि दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है जहां कहीं पानी जमा करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें नियमित रूप से साफ किया जाता है, अतः जल-प्रदूषण का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) नगर निगम के स्कूलों में पानी वाहक हैं, जो पानी की उन टंकियों को साफ करते हैं, जिनमें पीने का पानी जमा किया जाता है ।

विदेशियों द्वारा बच्चों के दत्तक-ग्रहण की जांच और उसे नियमित करने के लिए केन्द्रीकृत एजेंसी

1810. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय बाल कल्याण परिषद् 1974 से सरकार से अनुरोध कर रही है कि वह विदेशियों द्वारा बच्चों के दत्तक-ग्रहण के लिए आवेदन-पत्रों की जांच और उनको नियमित करने के लिए केन्द्रीकृत एजेंसी बनाएं; और

(ख) कितने विदेशी और भारतीय दोनों ही संगठन इस समय देश में विदेशियों द्वारा भारतीय बच्चों को दत्तक लिए जाने में मदद करने के लिए चल रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी नहीं । लेकिन भारतीय बाल कल्याण परिषद ने देश के विभिन्न भागों में "दत्तक-ग्रहण" कार्यवाईयों के समन्वय का समर्थन किया है ।

(ख) हमारे देश में विदेशियों द्वारा भारतीय बच्चों के गोद लेने के लिए कोई भी कानून नहीं है । फिर भी, अभिभावक और आश्रित अधिनियम, 1890 के उपबन्ध के अन्तर्गत भारतीय अबोधों की अभिभावकता के लिए विदेशी लोग उचित न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि ये प्राइवेट पार्टियों के मध्य न्यायालयों में सिविल प्रक्रिया है, सरकार को उन सभी संगठनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है जो विदेशियों की ओर से न्यायालयों में उपस्थित होंगे ।

बंगला देश के राष्ट्रपति की यात्रा

1812. **श्री अमर राय प्रधान**

श्री सन्त कुमार मंडल : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के राष्ट्रपति ले० जनरल एच० एम० इर्शाद ने हमारे प्रधान मन्त्री और अन्य नेताओं के साथ फरक्का के पानी जैसे द्विपक्षीय मामले पर बातचीत करने के लिए हाल में भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) बंगला सरकार के मख्य मार्शल ला प्रशासक और मन्त्रिपरिषद् के अध्यक्ष ले० जनरल एच०एम० इर्शाद ने

प्रधान मन्त्री के आमंत्रण पर 6 और 7 अक्तूबर, 1982 को भारत की दो दिन की यात्रा की ।

(ख) इस यात्रा के दौरान किए गए विचार-विमर्श के निष्कर्षों का पूर्ण उल्लेख, सदन में 11 अक्तूबर को विदेश मन्त्री के वक्तव्य में किया गया है । इस यात्रा के दौरान, संयुक्त आर्थिक आयोग के गठन, तीन बीघा क्षेत्र के स्थायी पट्टे सम्बन्धी शर्तों पर हुए समझौतों, गंगा के पानी के बंटवारे सम्बन्धी समझौता ज्ञापन तथा इस यात्रा के अन्त में जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति की प्रतियाँ भी सदन की मेज पर रखी जा चुकी हैं ।

जखीरा में न्यू रोहतक रोड पर एक उपरिपुल का निर्माण

1813. **श्री सज्जन कुमार :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार जखीरा में न्यू रोहतक रोड़ पर एक उपरिपुल बनाने का था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है और किस तारीख तक इस उपरिपुल का निर्माण शुरू किए जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जी, हाँ । दिल्ली नगर निगम के अनुसार प्रस्ताव अभी भी प्रारंभिक चरण में है और इसलिए अभी पुल पर काम प्रारम्भ करने के समय के बारे में बताना सम्भव नहीं है ।

झांसी में पदोन्नत किए गए तथा नियुक्त किए गए डिवीजनल अधिकारी

1814. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झांसी में रेलवे बोर्ड के इन आदेशों के बावजूद ऐसे कितने डिवीजनल अधिकारी हैं जो पदोन्नति द्वारा इन पदों पर पहुंचे हैं और अनेक वर्षों से झांसी में ही नियुक्त हैं कि किसी भी अधिकारी को एक स्थान पर पांच से अधिक वर्षों तक नहीं रहना चाहिए,

(ख) क्या ऐसे अधिकारी हैं जो इस समय झांसी में नियुक्त हैं तथा वहीं पर सदा से सेवारत हैं, और

(ग) यदि हां, तो ऐसे अधिकारी कितने हैं और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय एवम् संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) केवल चार पदोन्नत अधिकारी हैं जो चार वर्षों से अधिक समय से झांसी में तैनात हैं । लेकिन, इस विषय पर रेलवे बोर्ड के आदेश उसी स्टेशन पर बने रहने के विरुद्ध कोई

रोक नहीं लगाते । इन आदेशों के तहत एक अधिकारी केवल उसी पद पर रहते हुए अधिक से अधिक चार वर्षों तक एक स्थान पर रह सकता है ।

(ख) और (ग) केवल एक सहायक कार्मिक अधिकारी है जो 15.5.78 से श्रेणी-2 में अपनी पदोन्नति की तारीख से झांसी में है और झांसी से बाहर स्थानान्तरण के उसके आदेश पहले ही जारी हो चुके हैं ।

नीम हकीमों द्वारा आंखों का आपरेशन किये जाने के कारण नेत्र ज्योति का चला जाना

1815. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में 1981-82 और 1 अप्रैल, 1982 से 31 अगस्त, 1982 तक की अवधि के दौरान लगाए गए शिविरों में नीम हकीमों द्वारा आंखों का आपरेशन किए जाने के कारण कितने व्यक्तियों की नेत्र ज्योति चली गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को कोई निदेश दिए हैं कि वे राज्यों में ऐसे जाली नेत्र शिविरों को रोके और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसे शिविर रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या अन्य कदम उठाए हैं और क्या पीड़ितों को कोई वित्तीय सहायता दी गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1981-82 के दौरान अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किए गए आंखों के आपरेशनों से मध्य प्रदेश में 19 और राजस्थान में 11 व्यक्तियों की नेत्र ज्योति पर बुरा असर पड़ा । पहली अप्रैल, 1982 से पहली अगस्त, 1982 की अवधि के दौरान ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है ।

(ख) और (ग) अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा नेत्र शिविरों के आयोजन को रोकने के लिए राज्य तथा केन्द्र शासित क्षेत्र सरकारों को भेजे गए दिशा निर्देश संलग्न विवरण में दिए गए हैं । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने दृष्टिहीनता नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम को अप्रैल, 1981 से शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम बनाकर उसके कार्यान्वयन को और अधिक सुदृढ़ बना दिया है और आंखों के केम्पों का आयोजन करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ा दी है । नेत्र रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन वित्तीय सहायता देने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

विवरण

नेत्र शिविरों के बारे में सभी राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों को जारी की गई हिदायतें।

(i) अनधिकृत, चरित्रहीन तथा अयोग्य व्यक्तियों द्वारा आंखों के ऐसे आपरेशनों का आयोजन करना रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। राजस्व, पुलिस तथा स्वास्थ्य प्राधिकारियों को इस सम्बन्ध में सतर्कता बरतने के लिए चेतावनी दी जाए तथा ऐसे किसी भी अनधिकृत कैम्प के आयोजन को रोका जाए।

(ii) सभी प्रचार माध्यमों से इस बात का और अधिक प्रचार किया जाए कि जिन लोगों को आंखों के इलाज की आवश्यकता हो वे अपनी आंखों की तकलीफ के सम्बन्ध में सलाह और मार्ग निर्देशन के लिए अपने क्षेत्र के जन-स्वास्थ्य गाइड/स्वास्थ्य कार्यकर्ता/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर से सम्पर्क करें।

(iii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डाक्टरों को ये हिदायत दी जाए कि वे अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने के लिए प्रेरित करें जिन्हें आंखों के इलाज या आपरेशन सम्बन्धी नेत्र परिचर्या सेवाओं की जरूरत हो। ऐसे रोगियों को आवश्यक मार्ग निर्देशक और मददद भी प्रदान की जाए।

(iv) जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि स्वैच्छिक संगठनों द्वारा उनके जिलों में आयोजित किए जाने वाले सभी शिविर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार आयोजित किए जाते हैं।

(v) स्वैच्छिक संगठनों को और अधिक नेत्र शिविर आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण लोग अपने घरों के पास मिलने वाली सेवाओं का लाभ उठा सकें।

(vi) मौजूदा कानूनों के अन्तर्गत पूरी कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि उक्त किस्म के घोटाले करने वाले व्यक्तियों को दण्ड आवश्य मिल जाए इससे न केवल बेईमान व्यक्ति गल्त काम करने से रुकेंगे बल्कि समाचार पत्रों की रिपोर्टों के कारण जनता में व्याप्त सन्देह भी समाप्त हो जाएंगे।

(vii) जैसा कि पहले भी सुझाव दिया गया है, लोगों, समाज और स्वैच्छिक एजेन्सियों के पूरे सहयोग के साथ प्रत्येक जिले में क्षेत्र शिविरों के प्रबन्ध

और कार्यकरण के लिए जिला समन्वय समितियों को गठन किया जाए। जिला समन्वय समितियों में अध्ययन के रूप में स्थानीय उपायुक्त/जिलाधीश हो और स्थानीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिविल सर्जन तथा जाने माने स्वैच्छिक संगठनों अर्थात् रोट्रेरी इंटरनेशनल, लायन्ज इंटरनेशनल, दृष्टिहीनता निवारण की राष्ट्रीय सोसाइटी की (जिला शाखा) यदि कोई हो तो, भारतीय चिकित्सा संघ (जिला शाखा), नेत्र शिविर लगाने वाले तथा नेत्र अस्पताल चलाने वाले अन्य स्वैच्छिक संगठन स्थानीय मेडिकल कालेज, यदि कोई हो तो, के नेत्र विज्ञान विभाग का विभागाध्यक्ष के प्रतिनिधि सदस्य हों और जिला अस्पताल तथा नेत्र विज्ञान सर्जन सदस्य-सचिव हो।

वातानुकूलित टू टियर डिब्बों से कोच एटेंडेन्टों को हटाना

1816. **श्री नारायण चौबे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 अप हावड़ा कालका मेल, जो 2 सितम्बर, 1982 को हावड़ा से रवाना हुई थी, में वातानुकूलित टू टियर डिब्बे में कोई 'कोच एटेन्डेन्ट' नहीं था ;

(ख) क्या सरकार ने सभी वातानुकूलित टू टियर डिब्बों से कोच एटन्डेन्ट हटाने का निर्णय किया है ;

(ग) क्या सरकार को ऐसे प्रस्तावों के विरुद्ध यात्रियों से कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे अभ्यावेदन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विशेष पोषाहार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये उड़ीसा को धनराशि का आबंटन

1817. **श्री हरिहर सोरन :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विशेष पोषाहार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उड़ीसा को पिछले दो वर्षों में कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : विशेष पोषाहार कार्यक्रम राज्य क्षेत्र का विषय है। उड़ीसा में विशेष पोषाहार कार्यक्रम के लिए गत दो वर्षों के दौरान निम्नलिखित योजना व्यय स्वीकृत किया गया है :---

1981-82 = 75·00 लाख रुपए
1982-83 = 70·00 लाख रुपए

सेवा रिकार्ड में विभागीय दण्ड के बारे में प्रविष्टि

1818. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुछ पार्सल क्लर्कों को वर्ष 1980 तथा 1981 में कुछ सतर्कता मामलों में विभागीय दण्ड दिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन विभागीय दण्डों को उनके सेवा रिकार्ड में अभी तक दर्ज नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस गम्भीर चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय एवम् संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) वर्ष 1980 से सम्बन्धित केवल कुछ मामलों में 16 पार्सल क्लर्कों को दिया गया दण्ड उनकी सेवा पंजिका में दर्ज नहीं किया गया था जिसके लिए सम्बन्धित लिपिक को उत्तरदायी ठहराया गया है। उसे वहां से हटाया जा चुका है। इसके अलावा, उसके विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की गयी है। दण्ड सम्बन्धी इन 16 मामलों के सम्बन्ध में प्रविष्टियां उनकी सेवा रेकार्ड में दर्ज कर दी गयी हैं।

कथित भ्रष्टाचार के लिए रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

1819. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत बड़ौदा, बम्बई, अजमेर और कोटा डिवीजनों में चालू वर्ष के दौरान रेलवे को प्राप्त हुए भ्रष्टाचार और घूस के आरोपों के लिए रेल अधिकारियों के विरुद्ध रेलवे द्वारा कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) चालू वर्ष में अगस्त 1982 के अन्त तक भ्रष्टाचार और गैर-कानूनी घूस से सम्बन्धित कुल 392 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उपर्युक्त में से 105 शिकायतें छद्मनाम/बेनाम पायी गयी। 24 मामलों में जांच-पड़ताल पूरी हो चुकी हैं और उन पर अनुवर्ती अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है जिनमें 9 बड़ी तथा 15 छोटी शास्ति के मामले हैं। शेष 263 शिकायतों की जांच-पड़ताल अभी चल रही है।

भावनगर और राजकोट मण्डल में भ्रष्टाचार की शिकायत

1820. श्री राजी भाई मावाणी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 जनवरी, 1982 से 30 अगस्त, 1982 के बीच जनता तथा रेलवे और अन्य संघ तथा एसोसियेशनों से पश्चिम रेलवे के भावनगर और राजकोट मण्डल में रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई ;

(घ) क्या उसके लिए रेलवे बोर्ड या मुख्यालय से कोई सतर्कता अधिकारी भेजा गया था ;

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है और क्या कार्यवाही की गई; और

(च) यदि किसी उत्तरदायी अधिकारी को नहीं भेजा गया तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) भ्रष्टाचार और गैर-कानूनी रिश्वतखोरी की 40 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) जांचों से पता चला कि 8 शिकायतें गुमनाम और अन्य 10 शिकायतें निराधार थीं। 8 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है तथा शेष 14 मामलों में अभी भी छान-बीन चल रही है।

(घ) से (च) पश्चिम रेलवे मुख्यालय से सम्बद्ध उत्तरदायी सतर्कता अधिकारियों द्वारा शिकायतों की जांच पड़ताल की गयी थीं इसलिए रेलवे बोर्ड से किसी सतर्कता अधिकारी को प्रतिनियुक्त करना आवश्यक नहीं समझा गया था।

विदेशी नागरिकों द्वारा भारतीय बच्चों को गोद लिए जाने सम्बन्धी नीति

1821. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी अभिभावकों द्वारा भारतीय बच्चों को गोद लिए जाने से पहले अपनाए जाने वाले मानदण्डों के बारे में अपनी नीति स्पष्ट रूप से परिभाषित की है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की सहायता भी मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) वर्तमान में, अभिभावक और आश्रित अधिनियम, 1890 के उपबन्धों के अन्तर्गत भारतीय बच्चों की अभिभावकता के लिए विदेशी नागरिकों द्वारा केवल आवेदन किया जा सकता है। दिसम्बर 1980 में लोक सभा में पेश किया गया दत्तक ग्रहण विधेयक, 1980 संसद के समक्ष प्रस्तुत है।

(ख) अभिभावक और आश्रित अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत कार्यवाहा प्राइवेट पार्टियों के मध्य है। ऐसे मामलों में केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

फालतू स्टीम इंजन

1822. **श्री सूरज भान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में स्टीम इन्जन फालतू पड़े हैं और उनके रख रखाव, मरम्मत, उनके चालक दल, ईंधन और अतिरिक्त पुर्जों पर काफी धन राशि खर्च की जा रही है;

(ख) क्या ऐसे फालतू स्टीम इन्जनों में निवेश करने पर ब्याज और मूल्यह्रास प्रभार भी चुकाने पड़ते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन इन्जनों की देख भाल आदि पर ऐसे व्यय की बचत करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेल इन्जनों की मांगों की आवधिक समीक्षा की जाती है। वे रेल इन्जन जो मांग से अधिक होते हैं, उन्हें शीघ्र ही अलग रख दिया जाता है और बाद में आयु एवं हालत के आधार पर उन्हें नाकारा घोषित कर दिया जाता है। किसी भी समय कुछ रेल इन्जन अधिशेष के रूप में उपलब्ध होंगे, जिन्हें अभी नाकारा किया जाना हो परन्तु उन्हें सेवा से हटा दिया गया है।

चूंकि इस प्रकार के इन्जन शीघ्र ही अलग कर दिए जाते हैं, इसलिए उन पर अनुरक्षण या परिचालन सम्बन्धी कोई खर्च नहीं करना पड़ता है तथा ब्याज और मूल्यह्रास प्रभार भी नगण्य होते हैं।

(ग) भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हाल ही में उठाये गये कदम

1823. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न समितियों द्वारा समय-समय पर दी गई सिफारिशों को ध्यान में रख कर कुछ प्रभावशाली कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये कदम क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दुर्घटनाओं की रोकथाम एक सतत प्रक्रिया है। बेहतर दृश्यता के लिए बहु संकेती रोशनी वाले सिगनलों का अधिक उपयोग, रेल पथ की व्यस्तता की निगरानी करने तथा सिगनलों को नियंत्रित करने के लिए रेलपथ परिपथ और धुरा काउंटर, पटरियों और धुरों में आन्तरिक दोषों का पता लगाने के लिए पराश्रव्य दोष संसूचक, रेलपथ रिकार्डिंग कारों और अभिलेखी कारों द्वारा रेल पथ की हालत की जांच करना, रोलर बियरिंग पुर्जों में जाम्रों परीक्षण उपस्कर लगाना जैसे कुछ संरक्षा उपाय हैं जिन्हें दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए भारतीय रेलों पर लागू किया गया है।

इंजन कर्मियों की स्वास-परीक्षण जाँच करना, आपातिक स्थिति में निकटवर्ती रेल-पथ पर ड्राइवरों को चेतावनी देने के लिए डीजल/बिजली इंजनों में कोंधक प्रकाश की व्यवस्था करना और बिना खोले रोलर बियरिंगों की जांच के लिए इलेक्ट्रानिक शाक पल्स मानीटर का उपयोग करना हाल में किए गए कुछ अतिरिक्त ऐसे उपाय हैं जिनसे रेल दुर्घटनाओं की रोकथाम की जा सके।

पूर्वी भारत में नौवहन और निर्यात में कठिनाईयां

1824. **श्री नीरेन घोष :** क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी भारत नौवहन सेवा और निर्यात सम्बन्धी कठिनाईयों से ग्रस्त है ;

(ख) क्या बम्बई की तुलना में कलकत्ता से जहाजों की उपलब्ध संख्या अत्यधिक कम है ;

(ग) क्या पारम्परिक स्थानों की ओर नौचालन में कमी आ रही है तथा नौवहन सेवाएं बन्द कर दी गई हैं ;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं, और उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) बर्मा तक नियमित जहाजी सेवा के अभाव और अन्य क्षेत्रों में कुछ छोटे पत्तनों के होने के अतिरिक्त, पूर्वी भारत से नौवहन सेवाओं के बारे में किसी भारी कठिनाई की सूचना नहीं मिली है।

(ख) वर्ष 1980 और 1981 में विभिन्न व्यापारिक मार्गों पर कांफ्रेंस लाइनों द्वारा परिचालित जहाजी सेवाओं के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार रही :

	कलकत्ता		बम्बई	
	1980	1981	1980	1981
यू० के०	34	42	39	34
यूरोप	84	121	53	47
मध्य पूर्व	56	73	146	126
जापान	40	62	40	45
पश्चिमी एशिया खाड़ी	27	23	158	131

बम्बई और कलकत्ता से गैर-कान्फ्रेंस लाइनों द्वारा परिचालित जहाजी सेवाओं के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। लेकिन बम्बई की अपेक्षा कलकत्ता से यू०के०/यूरोप/मध्य पूर्व को गैर-कान्फ्रेंस लाइनों के अधिक जहाज चलते हैं।

(ग) जहाजी सेवाएं पहले से जिन स्थानों तक चलती रही हैं उसकी संख्या में कमी होने की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(घ) और (ङ) ऊपर भाग "ग" में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं होता।

रेलों में अपराधों को रोकने के लिए किए गए उपाय

1825. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चलती हुई रेलों में बिगड़ी हुई कानूनी व्यवस्था, अपराधों और डकैतियों को रोकने के लिए पिछले तीन महीनों के दौरान क्या कदम उठाए हैं, और

(ख) क्या रेलवे सुरक्षा दल रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए है या रेलों में यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी है ?

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों का संवैधानिक दायित्व होने के कारण, चलती गाड़ियों में अव्यवस्था और अपराधों को रोकथाम के लिए उन्होंने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

1. लगभग सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों में रात्रि के समय सशस्त्र मार्ग रक्षियों की व्यवस्था की जा रही है ।
2. स्टेशनों, प्लेटफार्मों और प्रतीक्षालयों में गश्त तेज कर दी गई है ।
3. अपराधियो और जाने-माने बदमाशों की निगरानी पर जोर दिया जा रहा है ।
4. पर्यवेक्षी पुलिस अधिकारियों द्वारा रात्रि में चलने वाली गाड़ियों की जांच करने के आदेश दिए गए हैं ।
5. भेद्य स्टेशनों पर पुलिस दस्ते तैनात किए गए हैं ।
6. महत्वपूर्ण मामलों की जाँच-पड़ताल करने में सहायता करने के लिए राज्य सरकारों की खुफिया पुलिस विशेष दस्तों की व्यवस्था कर रही है ।

रेलें अपनी ओर से राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ सभी स्तरों पर निकट सम्पर्क बनाए रखती है और वित्तीय और जन शक्ति सहित हर संभव सहायता दे रही हैं । महाप्रबंधकों से कहा गया है कि वे राज्य के मुख्य सचिवों से सम्पर्क स्थापित करें और राज्य के मुख्य मन्त्रियों के साथ बैठक आयोजित करें और स्थिति से उन्हें अवगत करायें और उनके साथ विचार-विमर्श करें । रेल मन्त्री ने राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को पत्र लिखे हैं/उनसे मुलाकात की है और रेलों पर अपराध की स्थिति जिससे पर्याप्त रूप से आतंक और असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, का मुकाबला करने के लिए राज्य पुलिस को अत्यन्त सतर्क रहने की अनिवार्य आवश्यकता पर बल दिया है ।

(ख) रेलवे सुरक्षा बल का गठन रेलों को चुक किए गए परेषणों सहित रेल परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और निगरानी करने के लिए किया गया है । यात्रियों और

उनके सामान की सुरक्षा के सम्बन्ध में रे०सु०ब० की कोई भूमिका नहीं है । तथापि वे यथासम्भव सहायता प्रदान कर रहे हैं । यात्रियों के जानमाल की संरक्षा के साथ-साथ कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों के अधीन राजकीय रेलवे पुलिस का दायित्व है ।

रूट सं० 910 पर बसों की आवृति में वृद्धि

1826. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रूट सं० 910 पर बसों की आवृति में वृद्धि करने और मार्ग को छोटा करने का है,

(ख) यदि हाँ, तो कब तक, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) रूट संख्या 910 पश्चिम बिहार और रोगल के बीच चलती है जिसकी फ्रीक्वेन्सी 5.52 सुबह से 17/34 मिनट की है । इस समय इसकी फ्रीक्वेन्सी को ठीक करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि मौजूदा सेवा काफी हद तक पर्याप्त है ।

हिन्द महासागर के सम्बन्ध में सम्मेलन

1827. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 81 के संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार हिन्द महासागर के सम्बन्ध में सम्मेलन बुलाने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ख) क्या हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने के लिए हिन्द महासागर के सम्बन्ध में एक सम्मेलन बुलाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक विस्तारित तदर्थ समिति बनाई गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तदर्थ समिति की कितनी बैठकें हो चुकी हैं और इसकी अन्तिम बैठक में क्या बात उभर कर सामने आई है; और

(घ) क्या यह सम्मेलन 1983 के प्रारम्भ में बुलाए जाने की कोई संभावना है और यदि हां, तो कब और कहां पर ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाने से सम्बद्ध 1971 की संयुक्त राष्ट्र घोषणा के पूर्ण कार्यान्वियन के लिए भारत हिन्द महासागर के तटवर्ती और पश्च राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है ।

भारत और समान विचार वाले अन्य राज्यों ने हिन्द महासागर सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति से कहा है कि वे हिन्द महासागर के सम्बन्ध में एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाये; इस सम्मेलन का आयोजन 1983 के पूर्वार्ध में कोलम्बो में करने का विचार है।

(ख) और (ग) 1972 में अपने 27वें अधिवेशन में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हिन्द महासागर के सम्बन्ध में 15 सदस्यों की एक तदर्थ समिति स्थापित की थी जिसे यह दायित्व सौंपा गया था कि हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र की 1971 की घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कोई व्यावहारिक उपाय सुझाये। 1974 में महासभा के 29वें अधिवेशन में इस तदर्थ समिति का सदस्य संख्या बढ़ाकर 18 और 1977 में 32वें अधिवेशन में 23 कर दी गई थी। 1979 में अपने 34वें अधिवेशन में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस समिति की सदस्य संख्या में और वृद्धि करके इसे 45 कर दिया जिसमें सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य तथा हिन्द महासागर के अन्य प्रमुख उपयोगकर्ता देश भी शामिल हैं। इसी अधिवेशन में तदर्थ समिति को यह दायित्व सौंपा गया था कि वह हिन्द महासागर सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के आयोजन की तैयारी करे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 36वें अधिवेशन में यह सिफारिश की थी कि हिन्द महासागर सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1983 के पूर्वार्ध में कोलम्बो में बुलाया जाए।

हिन्द महासागर विषयक तदर्थ समिति की न्यूयार्क में नियमित रूप से बैठकें हो रही हैं। अपने 3-वें अधिवेशन में महासमिति ने यह भी निश्चय किया था कि समिति 1982 में 6 सप्ताह की कुल अवधि के और भी अधिवेशन बुलाये जिनमें एक बैठक न्यूयार्क से बाहर भी होगी। इस सिलसिले में पिछली बैठक जेनेवा में 3 से 20 अगस्त तक हुई थी जहाँ 1983 में बुलाए जाने वाले सम्मेलन की तैयारियों के सवाल पर आगे विचार-विमर्श किया गया था।

(घ) तदर्थ समिति के अगस्त, 1982 के अधिवेशन के दौरान गुट-निरपेक्ष देशों ने इस सम्मेलन के लिए 9 से 27 मई, 1983 की तारीखें सुझाई थीं लेकिन इस प्रस्ताव के पक्ष में कोई आम राय कायम नहीं हो सकी और अब इस सवाल पर न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान 37वें अधिवेशन में विचार होगा।

कमीशन के आधार पर लगाये गए बैरों को नियमित रेल कर्मचारी बनाया जाना

1828. **प्रो० मधु दंडवते :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व सरकार ने कमीशन के आधार पर लगाए गए बैरों को नियमित रेल कर्मचारी बनाने के लिए कार्यवाही आरम्भ की थी,

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रक्रिया जारी रहेगी, और

(ग) यदि हां, तो भारतीय रेलवे में कमीशन के आधार पर कार्य कर रहे बैरों को किस वर्ष तक नियमित रेल कर्मचारी बना दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय एवम् संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) संयुक्त वार्ता तंत्र योजना के अधीन विभागीय परिषद में कमीशन बेयरों को समाहित करने का मामला कर्मचारियों की ओर से उठाया गया था। कर्मचारियों के साथ बातचीत करने के बाद रेलों को 26.4.78 को तदनुसार आदेश जारी किए गए थे। अब तक दो हजार से अधिक कमीशन बेयरों को नियमित कर दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) पदों तथा रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार शेष कमीशन बेयरों को समाहित कर लिया जाएगा। इसके लिए अभी कोई समय-सीमा बताना सम्भव नहीं है।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के शासी निकाय का गठन

1829. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद की महापरिषद और शासी निकाय का इस बीच गठन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय दोनों निकायों में कौन-कौन सदस्य हैं और इनका गठन किस तारीख को हुआ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका गठन किस तारीख तक हो जाने की संभावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं, तथा पिछली महापरिषद और शासी निकाय ने अपनी अवधि समाप्त होने के बाद किस तारीख से कार्य करना बन्द कर दिया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ग) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद की पिछली महासभा की कार्य अवधि 23 अगस्त, 1981 को समाप्त हो गई थी।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के संविधान में यह व्यवस्था है कि महासभा के गठन के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों, विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञ संस्थाओं से नाम आमंत्रित किए जाएं। शासी निकाय का चुनाव महासभा करती है। अधिकांश संस्थानों के नाम आ गए हैं और भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद की महासभा और शासी निकाय के गठन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विदेशों से आयातित वस्तुएं

1830. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1981 से जनवरी 1982 के दौरान सरकारी तथा गैर-सरकारी नौवहन कम्पनियों के माध्यम से कुल कितने मूल्य की वस्तुएं आयात की गई ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री सी०एम० स्टीफन) : जनवरी, 1981 से जनवरी, 1982 की अवधि में आयातित मालों का कुल मूल्य अस्थायी तौर पर 14,020.76 करोड़ रुपए आंका गया है। नौवहन कम्पनियों द्वारा आयातित या निर्यातीत मालों के कुल मूल्य का आंकड़ा अलग से नहीं रखा जाता है।

रेलवे आरक्षण प्रणाली की जांच करने के लिए समिति

1831. **श्री डी० एस०ए० शिवप्रकाशम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे की विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण प्रणाली की जाँच करने के लिए कोई जांच समिति गठित की है,

(ख) यदि हाँ, तो इससे पहले यह कब गठित की गई थी और इसकी सिफारिशें क्या थीं, और

(ग) यदि अभी तक कोई ऐसी समिति गठित नहीं की गई है, तो क्या सरकार रेलवे द्वारा अपनाई जा रही आरक्षण प्रणाली की जांच करने के लिए तत्काल कोई समिति गठित करेगी ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हाँ। जुलाई, 1982 में श्री कृष्ण कांत, संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने गाड़ी में आरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर बहुत सी सिफारिशें की थीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कम्प्यूटरीकृत भाड़ा संचालन प्रणाली के गठन की पुनरीक्षा हेतु समिति

1832. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में सचिवों की एक उच्च शक्ति प्राप्त स्टीयरिंग समिति नियुक्त की गई है जो रेलवे कम्प्यूटरीकृत भाड़ा संचालन सूचना प्रणाली में गठित करने के कार्य की पुनरीक्षा करेगी, और

(ख) यदि हाँ, तो इस समिति की संरचना तथा इसके कृत्य सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय एवम् संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय रेलों पर संगणकीकृत माल भाड़ा परिचालन सूचना पद्धति की स्थापना करने के कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के लिए रेल मंत्रालय ने सचिवों की एक संचालन समिति गठित की है।

(ख) समिति में निम्नलिखित व्यक्ति हैं :

1. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	अध्यक्ष
2. मुख्य सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	सदस्य
3. वित्त आयुक्त, रेलवे बोर्ड	सदस्य
4. सदस्य इन्जीनियरी, रेलवे बोर्ड	सदस्य
5. सचिव, योजना आयोग	सदस्य
6. सचिव, इलक्ट्रोनिक्स विभाग	सदस्य
7. सचिव, आर्थिक मामले विभाग	सदस्य
8. निदेशक (ओ०आई०एस०) रेलवे बोर्ड	सचिव

इस समिति का कार्य भारतीय रेलों पर संगणकीकृत माल-भाड़ा परिचालन सूचना पद्धति की स्थापना करने के लिए कार्य की आवधिक समीक्षा करना तथा उस पर निगरानी रखना होगा ।

स्वदेशी 'डायलैसिस" मशीन बनाया जाना

1833. **श्री एन० ई० होरो :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के चंडीगढ़ के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी "डायलैसिस" मशीन बनाने में योगदान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार केंन्द्रीय वैज्ञानिक और उपकरण संगठन, चंडीगढ़ ने मानिटरिंग और नियंत्रण यूनिट के विकास में योगदान दिया है । डायलाइजर का विकास किया जा रहा है । मानिटरिंग और नियंत्रण यूनिट ताप, तंत्रिका-दाब, डायलिसिस-दाब की मानिटरिंग तथा रक्त के प्रवाह एवं रक्त के रिसने का पता चलता है ।

वर्ष 1982-83 के दौरान आंध्र प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना

1834. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अगस्त, 1982 को आंध्र प्रदेश में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे थे; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1982-83 के दौरान जिलेवार, कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश में 31 अगस्त, 1982 की स्थिति के अनुसार 421 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे थे । 1982-83 के दौरान इस राज्य में चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है । राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाते हैं, इसलिए वे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां खोले जाएंगे इसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है ।

आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना

1835. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना में आन्ध्र प्रदेश में, विशेषकर इस राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए सरकार का कार्यक्रम क्या है; और

(ख) सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुपालन आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) आन्ध्र प्रदेश का वर्तमान योजना के दौरान 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है । राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाते हैं, इसलिए ये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां खोले जाएंगे इसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ।

(ख) देश भर में, जिसमें आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र भी शामिल हैं, परिवार कल्याण कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे है :

(क) "छोटे परिवार के सिद्धान्त को पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर अपनाने की बात को बढ़ावा देना जारी रखा जाएगा ।

(ख) बहु-प्रचार साधनों और वैयक्तिक सम्पर्क के प्रभावशाली तरीके द्वारा छोटे परिवार की धारणा के सम्बन्ध में जागरूकता और जानकारी देने के लिए गहन प्रयास किए जाएंगे ।

(ग) प्रत्येक दम्पत्ति को उसके मन-भाता तरीका चुनने की छूट दी जाएगी ।

(घ) परिवार कल्याण की सेवाएं और सामग्री लोगों को घरों के यथासंभव निकट प्रदान की जाएगी ।

(ङ) यह कार्यक्रम स्वास्थ्य परिचर्या और सामाजिक-आर्थिक विकास प्रयत्नों का एक अभिन्न अंग बना रहेगा ।

(च) महिला साक्षरता की सुविधाओं और इसका तेजी से बढ़ाने के प्रयासों को तेज किया जाएगा और उसका विस्तार किया जाएगा।

(छ) स्कूल तथा कालेजों में तथा बाहर युवाओं को जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा की जानकारी दी जाएगी। यह जनसंख्या शिक्षा सरकारी विभागों/एजेंसियों तथा संगठित क्षेत्रों द्वारा आयोजित सभी कार्यकर्ता शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम में आरम्भ की जाएगी।

(ज) सभी स्तरों पर लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों, निम्नतम स्तर पर ग्रामीण संगठनों, स्वैच्छिक संगठनो आदि को इस कार्यक्रम के साथ घनिष्ठ रूप से जोड़ा जाएगा और उन्हें पूरा-पूरा प्रोत्साहन और सहयोग दिया जाएगा।

(झ) लड़कियां और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु सम्बन्धी कानून को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाएगा।

(ञ) ग्राम अथवा समुदाय स्तर पर सभी विवाहों का रिकार्ड रखा जाएगा।

आंध्र प्रदेश में टाडा से इच्छापुरम तक तटवर्ती सड़क

1836. **श्री सुभाष चंद्र बोस अल्लूरी :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जिला श्रीकाकुलम में टाडा से इच्छापुरम तक तटवर्ती सड़क के लिए वित्तीय सहायता हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जी हां। कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने 'राष्ट्रीय महत्व के विशेष सड़क/पुल कार्य' स्कीम के तहत उक्त सड़क के विकास के लिए प्रार्थना की थी। उनके इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका। क्योंकि छठी योजना में राष्ट्रीय महत्व के सड़क/पुल कार्य स्कीम शामिल नहीं की गई थी। अतः राज्य की सड़क होने के कारण इसके निर्माण, रखरखाव और सुधार आदि सभी कार्यों के लिए मुख्यतः राज्य सरकार ही उत्तरदायी है।

राष्ट्रीय भाषाओं का विकास

1837. **श्री चिन्तामणि जैना :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा सभी राष्ट्रीय भाषाओं के विकास के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ख) वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के लिए प्रत्येक राष्ट्रीय भाषा के विकास के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया; और

(ग) उपयोग में लायी गयी राशि का ब्यौरा क्या है और कितनी प्रगति प्राप्त की गयी है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) भारत सरकार की अनेक केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और संस्थाओं के माध्यम से सभी भारतीय भाषाओं, श्रेष्ण, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की प्रोन्नति और उनके विकास की नीति है।

(ख) और (ग) निधियों का आवंटन भाषा-वार नहीं किया जाता है। तथापि, वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान किए गए व्यय और निधियों का आवंटन दर्शाने वाला योजना-वार विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल०टी० 5502/82]

त्रिपुरा के लिए विश्वविद्यालय

1838. **श्री अजय विश्वास** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की कोई माँग है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार वहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वित्तीय एवं अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) त्रिपुरा में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) किसी भी राज्य में विश्वविद्यालय स्थापित करना सम्बन्धित राज्य सरकार की मुख्य जिम्मेदारी है और किसी भी राज्य में नये विश्वविद्यालय की स्थापना का व्यय वहन करने के लिए केन्द्रीय सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करता है।

दिवा रेलवे स्टेशन तथा क्वार्टरों के लिए नल के पानी की सप्लाई

1839. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि दिवा रेलवे स्टेशन तथा वहाँ पर स्थित क्वार्टरों (दिवा स्टेशन, मध्य रेलवे, थाणे जिला, महाराष्ट्र) के लिए नल के पानी की सप्लाई की योजना मंजूर की गई थी और लगभग दो वर्ष पूर्व आरम्भ की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना का कार्य कब आरम्भ किया गया, कब पूरा किया गया और उस पर कितना व्यय हुआ ;

(ग) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में किया गया कार्य (विशेषकर भंडारण टंकियों का कार्य) दोषयुक्त पाया गया ;

(घ) क्या यह भी सच है कि रेल अधिकारी अब वैकल्पिक व्यवस्था की खोज में है ।

(ङ) यदि हां, तो क्या इन दोषों के लिए उत्तरदायी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही की गई थी या की जा रही है ; और

(च) उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मन्त्रालय एव संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिवा रेलवे स्टेशन और रेलवे क्वार्टरों के लिए नल के पानी की सप्लाई से सम्बन्धित निर्माण कार्य जून, 1979 में स्वीकृत किया गया था ।

(ख) सप्लाई मेन को जोड़ने से सम्बन्धित काम को छोड़कर मार्च, 1980 में आरम्भ किया गया निर्माण कार्य नवम्बर, 1981 को पूरा हो गया और इस पर लगभग 4 लाख रुपए खर्च हुए हैं ।

(ग) जी नहीं, निर्माण कार्य संतोषजनक ढंग से किया गया है, तथापि ग्राम पंचायत से पानी की सप्लाई के अभाव में भूमिगत और उच्च सेवा टंकी का अन्तिम रूप स परीक्षण अभी तक पूरा नहीं किया जा सका ।

(घ) से (च) प्रारम्भिक रूप में यह प्रस्ताव किया गया था कि मुम्बरा ग्राम पंचायत से पानी का कनेक्शन लिया जाए लेकिन बाद में ग्राम पंचायत ने पानी सप्लाई करने से मना कर दिया था । अब ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत दिवा ग्राम को पानी की सप्लाई करने के लिए ग्राम पचायत दिवा ने एक योजना बनायी है । थाणे जिला परिषद रेलवे की पूरी हो चुकी योजना के लिए पानी का कनेक्शन देने के लिए सहमत हो गयी है । दिवा गांव को पानी सप्लाई करने की योजना आरम्भ करने पर उसी से पानी का कनेक्शन लिया जाएगा । दंडात्मक कार्यवाई करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

रेल कर्मचारियों को बोनस

1840. **श्री रामजी भाई मावणि :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) सरकार द्वारा रेलवे कर्मचारियों तथा अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए हाल में घोषित किए गए बोनस का ब्योरा क्या है ;

(ख) हाल की घोषणा पर कर्मचारियों और उनकी यूनियन आदि की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) इसकी वजह से रेल मंत्रालय पर कितनी वित्तीय देयता होगी ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पात्र रेलवे कर्मचारियों (रे०सु०ब०/रे०वि०सु०ब० के कर्मचारियों को छोड़कर) जिनकी मजूरी 1600 रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं है को 31 दिन की मजूरी के बराबर वर्ष 1981-82 के लिए उत्पादकता सम्बद्ध बोनस की स्वीकृति दी गयी है। उत्पादकता सम्बद्ध बोनस की मात्रा राजस्व यातायात मी० टन कि०मी० के हिसाब से कार्य-निष्पादन पर आधारित होती है।

(ख) अभी तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) लगभग 61.69 करोड़ रुपए।

नौवहन टन-भार वृद्धि कार्यक्रम के सम्बन्ध में सचिवों की समिति

1841. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छठी योजना के दौरान सम्पूर्ण नौवहन टन-भार वृद्धि कार्यक्रम सम्बन्धी प्रश्न पर विचार करने हेतु सचिवों की एक समिति गठित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के कब तक गठित होने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी।

(ख) समिति का गठन कर लिया गया है।

पोत मरम्मत की सुविधाएं

1842. **श्री नवीन रवाणी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पोत-मरम्मत के लिए किन-किन स्थानों पर कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या देश में पोतों की मरम्मत के लिए और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री सी०एम० स्टीफन) : (क)

बम्बई	5 ड्राई डॉक
कलकत्ता	6 ड्राई डॉक
कोचीन	2 ड्राई डॉक
विशाखापत्तनम	2 ड्राई डॉक
कुल	15

इसके अलावा नावों और छोटे पत्तन जलयानों के लिए काण्डला गोवा, मद्रास टूटीकोरिन, परादीप आदि में छोटी मोटी मरम्मत सुविधाएं विद्यमान हैं।

(ख) और (ग) भारत में जहाज मरम्मत की सुविधाओं की स्थापना के लिए 15 वर्षीय व्यापक योजना बनाने के लिए नियुक्त परामर्शकों ने जहाज मरम्मत की मौजूदा सुविधाओं में वृद्धि करने और विदेश में जहाज की मरम्मत पर भारी मात्रा में खर्च हो रही विदेशी मुद्रा को रोकने/कम करने के लिए नई सुविधाओं को लगाने के लिए कुछ प्रस्तावों का सुझाव दिया है। सरकार संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते इन योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम पर विचार कर रही है।

भारत और अर्जेन्टीना के बीच सीधी नौवहन सेवा

1843. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रमुख बन्दरगाहों और अर्जेन्टीना के बीच सीधी नौवहन सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ; और

(ग) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) से (ग) नौवहन कम्पनियां विभिन्न वाणिज्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अर्जेन्टीना और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों को सीधी नौवहन सेवा प्रारम्भ करने के बारे में स्वयं निर्णय लेती है। ऐसी सीधी सेवा प्रारम्भ करने के एक प्रस्ताव की जाँच की है। उन देशों भारतीय नौवहन निगम में पर्याप्त कार्गो संचलन की कमी के कारण सामान्य तथा कार्गो संचलन में तदर्थ लेखा और छोटे पार्सलों की जरूरत होती है और वह भी अनेक पत्तनों में बिखड़ा होता है, इसलिए भारतीय नौवहन निगम में ऐसी सेवा प्रारम्भ करने को वाणिज्यक रूप से व्यवहार्य नहीं समझा।

कटक-सम्बलपुर राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 42 को चौड़ा किया जाना

1844. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक-सम्बलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 42 को चौड़ा करने का कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम कब आरम्भ हुआ ;

(ग) राजमार्ग को चौड़ा करने का कार्य किस स्थान पर पूरा कर लिया गया है ; और

(घ) कार्य को लक्षित अवधि में पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) जी हां। राजमार्ग को चौड़ा करने का काम सर्वप्रथम 1971 में शुरू किया गया। 114/0 मील तक राजमार्ग के इस खण्ड पर लगभग 55 किलोमीटर सड़क को चौड़ा करने का काम पूरा हो गया है। इस खण्ड के लगभग 33 किलोमीटर को चौड़ा करने का काम छठी योजना में शामिल कर लिया गया है। इस प्रावधान के तहत अनुमानों की स्वीकृति दे दी गई है और उस पर काम चल रहा है। सड़क को चौड़ा करने का काम एक अनवरत प्रक्रिया है और विभिन्न खण्डों तथा विभिन्न राजमार्गों को चौड़ा किया जाता है जो कोष की कुल उपलब्धता और अखिल भारतीय आधार पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

(घ) प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की गई है और कार्य को पूरा करने के लिए तारीख का निर्धारण किया गया है।

भोजपुरी साहित्य के लिए पुरस्कार

1845. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार भोजपुरी भाषा के साहित्य के लिए पुरस्कार प्रारम्भ करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : जी, नहीं। संस्कृत, अरबी और फारसी के सिवाय, सरकार ने किसी अन्य भाषा में पुरस्कार प्रारम्भ नहीं किए हैं।

नई रेल लाइन के लिए तेलंगाना क्षेत्र में सर्वेक्षण

1846. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक नई रेल लाइन बिछाने के बारे में तेलंगाना क्षेत्र (आंध्र प्रदेश) में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सर्वेक्षण पूरा हो गया है और कार्य कब प्रारम्भ किया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी हाँ । नयी बड़ी लाइनों के निर्माण के लिए चार सर्वेक्षण पूरे किए जा चुके हैं और एक लाइन के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है । जो चार सर्वेक्षण किए गए हैं उनमें से 3 क सम्बन्ध में कार्य शुरू किया जा चुका है । चौथे सर्वेक्षण की रिपोट की तकनीकी जांच की जा रही है ।

रेलवे कालोनी धनबाद में पानी और बिजली की सप्लाई

1847. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 सितम्बर, 1982 को रेलवे प्रबन्धक, धनबाद, पूर्व रेलवे के समक्ष आन्दोलनकर्ता मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा धनबाद की रेलवे कालोनियों में पानी और बिजली सप्लाई की लगातार असफलता के विरुद्ध प्रदर्शन किया था ;

(ख) तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की रेलवे कालोनियों और साथ ही अधिकारियों की कालोनियों के लिए भी की गई पानी और बिजली सप्लाई की व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ;

(ग) बिजली और पानी की सप्लाई में बार-बार और लगातार असफलताओं के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ; और

(घ) अधिकारियों की कालोनियो और रेलवे श्रमिकों की कालोनियों में पानी और बिजली सप्लाई के प्रावधानों में विषमता के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं, लेकिन, लगभग बीस कार्यालय कर्मचारियों ने 23 सितम्बर, 1982 को सुबह पानी की आंशिक सप्लाई के बारे में मंडल रेल प्रबन्धक, धनबाद को एक अभ्यावेदन दिया था । धनबाद क्षेत्र में बिहार राज्य बिजली बोर्ड से 22-9-1982 को 17.35 बजे से 34 घंटे तक बिजली बन्द रही थी, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई में रुकावट आ गयी थी । 23-9-82 को 11 बजे पानी की सप्लाई फिर से आरम्भ हो गयी थी ।

(ख) धनबाद की श्रेणी III और श्रेणी II/ के कर्मचारियों की रेलवे कालोनियों और साथ ही अधिकारियों की कालोनियों में भी एक ही स्रोत से पानी की सप्लाई की

जाती है, जिसे पम्पों द्वारा दो मुख्य ऊपरी टंकियों में पहुंचाया जाता है और वहां से विभिन्न कालोनियों की सहायक टंकियों में वितरित कर दिया जाता है। बिहार राज्य बिजली बोर्ड से 11 कि०वो० थोक में बिजली की सप्लाई ले ली जाती है और उसे कर्मचारियों तथा अधिकारियों की कालोनियों के विभिन्न उप स्टेशनों को वितरित कर दिया जाता है। पानी की सप्लाई और अन्य सेवाओं की न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकताओं को बनाये रखने के उद्देश्य से विभिन्न पम्प स्थापनाओं पर सहायक डीजल जनित्र सेटों की व्यवस्था की गयी है।

(ग) बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सेवित क्षेत्रों में बिजली की स्थिति संकटपूर्ण है और बि०रा०बि०बो० से बार-बार और लम्बी अवधियों तक बिजली सप्लाई में खराबी की वजह से धनबाद में कठिनाई हो जाती है। फिर भी, सहायक डीजल जनित्र सेटों की सहायता से अनिवार्य पानी की सप्लाई को बनाए रखा जाता है। धनबाद में अनिवार्य रेलवे स्थापनाओं को अधिक विश्वसनीय बिजली सप्लाई के लिए बि०रा०बि० बोर्ड के एक नये 33 कि०वो० गोधुर उप स्टेशन से एक अलग स्वतन्त्र फीडर लगाने की व्यवस्था करने की योजना बनायी गयी है। बि०रा०बि०बो० द्वारा अपने गोधुर उप स्टेशन से बिजली की सप्लाई देने के पश्चात् और अधिक विश्वसनीय बिजली सप्लाई की प्रत्याशा की जाती है।

(घ) समग्र आधार पर रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों की कालोनियों में पानी की व्यवस्था, बिजली की सप्लाई करने में कोई भेदभाव नहीं है। लगभग 100 अधिकारियों में से केवल 30 अधिकारियों के मकानों को डीजल जनित्र सेटों के आपात सप्लाई फीडर से जोड़ दिया गया है क्योंकि वे मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय इमारत के निकट हैं, जहाँ कन्ट्रोल कार्यालय पम्पों आदि के लिए आपातकालीन सप्लाई की व्यवस्था की गयी है।

अहमदाबाद तथा गुजरात के अन्य भागों में कैंसर और गुर्दा अनुसंधान सस्थान खोला जाना

1848. **श्री रामजी भाई मावणि :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंसर और किडनी अनुसंधान संस्थानों के विस्तार के लिए और अहमदाबाद तथा गुजरात के अन्य भागों में ऐसे संस्थानों को खोलने के लिए अनुदान और सहायता के लिए गुजरात सरकार और अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) कितनी मात्रा में सहायता दिए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) कैंसर सुविधाओं के विस्तार और कोई नया कैंसर अनुसंधान संस्थान खोलने के लिए गुजरात सरकार से सहायता अनुदान देने के बारे में कोई अनुरोध नहीं मिला है। लेकिन एक स्वयं सेवी संगठन लायन्स कैंसर रिसर्च एंड डिटेक्शन सेंटर ट्रस्ट सूरत ने कैंसर के लिए विकिरण चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने हेतु एक 4 एम०ई०वी० लाईनर एक्सलरेटर खरीदने के लिए इस मन्त्रालय से 23 लाख रुपये तक की सहायता मांगी है।

हाल ही में गुजरात सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है कि इंस्टीट्यूट आफ किडनी डिसीजेज एण्ड रिसर्च सेंटर, सिविल अस्पताल अहमदाबाद को पुनर्गठित कर नेशनल इंस्टीट्यूट आफ किडनी डिसीजिस बना दिया जाए। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव में 50 लाख रुपए (आवर्ती) प्रतिवर्ष और 100 लाख रुपए (अनावर्ती) के अनुदान के परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ) ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने के लिए जो ढांचा बनाया गया है उसके अन्तर्गत रहते हुए पूर्वोक्त प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

विकलांग व्यक्तियों को रोजगार में आरक्षण देने के लिये एक निगरानी कक्ष की स्थापना

1849. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकलांग व्यक्तियों को, विशेषकर नेत्रहीनों को, रोजगार में आरक्षण देने के लिए (मानीटरिंग सैल) निगरानी कक्ष की स्थापना हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) क्या निगरानी कक्ष स्थापित कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो कब ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में विकलांग व्यक्तियों को रोजगार के लिए आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन के प्रबोधन के लिए समाज कल्याण मंत्रालय में अगस्त, 1982 में एक अलग सैल की स्थापना की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बैचलर आफ जनरल ला सर्टिफिकेट धारियों को एल० एल० बी० पाठ्यक्रम में दाखिला

1850. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बैचलर आफ जनरल ला सर्टिफिकेट धारियों को एल०एल०बी० अथवा बी०एल० पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष में दाखिले की अनुमति देने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) पत्राचार द्वारा बैचलर आफ जनरल ला पाठ्यक्रम के इस प्रयोजन हेतु अब तक मान्यता न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) अधिवक्ता (एडवोकेट) अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत बार कौंसिल आफ इंडिया, विश्वविद्यालयों में विधिपरक शिक्षा के न्यूनतम स्तरों को निर्धारित करने और अधिवक्ता (एडवोकेट) के रूप में नामांकन के प्रयोजन से विधि में डिग्रियों को मान्यता प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। इस सुझाव पर कि जिन्होंने पत्राचार के माध्यम से दो वर्षीय बैचलर आफ जनरल ला पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है उन्हें नियमित एल०एल०बी० पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष में दाखिले की अनुमति दे दी जाय, विचार किया गया था लेकिन बार कौंसिल इस सुझाव को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थी।

(ख) बार कौंसिल के अनुसार, अधिवक्ता (एडवोकेट) के रूप में नामांकन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को उस पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के बाद जिसके लिए अपेक्षित तीन वर्षों के लिए शिक्षण संस्थाओं में उपस्थिति आवश्यक है, विधि में बैचलर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

पत्राचार पाठ्यक्रमों का प्रसार

1851. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे विश्वविद्यालयों के पत्राचार पाठ्यक्रमों का प्रचार किया जा रहा है ताकि उनके और क्षेत्रों का समावेश किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) इस समय 24 विश्वविद्यालय कला, वाणिज्य, विधि और शिक्षा में पत्राचार पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। कुछ विश्वविद्यालयों ने छोटे पैमाने पर पत्राचार कार्यक्रम में

विज्ञान पाठ्यक्रम भी शामिल किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में तीन विश्वविद्यालयों में एम०बी०ए० के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम की अनुमति प्रदान की है। और अधिक विषयों में पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रश्न पर विचार करना विश्वविद्यालयों का काम है जो उनके पास उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर करता है।

हारमोन युक्त औषधियों का उत्पादन एवं वितरण

1852. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जन्म पूर्व बच्चे के लिए निर्धारण के लिए गर्भ परीक्षण में उपयोग में लाई जा रही सभी हारमोन युक्त औषधियों के उत्पादन एवं वितरण पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) क्या ऐसी औषधियों के कारण भ्रूण को उत्पन्न होने वाले खतरे को देखते हुए इस प्रकार की रोक अथवा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है अथवा लगाया जायेगा; और

(ग) इस बारे में सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सरकार हार्मोनल योगों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय पहले ही ले चुकी है और ऐसे योगों के निर्माण और बाजार में बिक्री बन्द करने के लिए क्रमश: 31-12-82 तथा 30-6-83 तारीखें निर्धारित की गई हैं। वैसे, यह भी बतला दिया जाए कि हार्मोनलयोग वाली दवाइयां जन्म से पहले बच्चे के लिंग का पता लगाने के लिए इस्तेमाल में नहीं लाई जाती हैं।

नेहरू स्टेडियम के निकट पाये गये ऐतिहासिक स्मारक

1853. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू स्टेडियम तथा एशियाड के अन्य निर्माण कार्यों के दौरान कुछ ऐतिहासिक स्मारक पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके उचित रख-रखाव के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और क्या इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है;

(ग) क्या एशियाड के दौरान भारी संख्या में लोग जमा होने से उनके निकट के उन पुरातत्व स्थानों को क्षति नहीं पहुंचेगी; और

(घ यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि एशियाड 82 के दौरान इन स्थानों को कोई क्षति न पहुंचे, क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) जिस स्थल पर नेहरू स्टेडियम बनाया गया है, उसके निकट तीन संस्मारक खुदाई में प्राप्त नहीं हुए हैं अपितु वे जीर्ण-शीर्ण अवस्था में मिले हैं। ये संस्मारक केन्द्र द्वारा सुरक्षित नहीं हैं, फिर भी दिल्ली प्रशासन की ओर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ये संस्मारक संरचनात्मक दृष्टि से मजबूत और संरक्षित बना दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

डीजल और बिजली से चलने वाली माल गाड़ियों के उपयोग का प्रतिशत

1854. **श्री सूरज भान :**

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) डीजल और बिजली से चलने वाली माल गाड़ियों का प्रति इन्जन-घंटा कितना ग्रोस टन किलोमीटर औसत और पिछले तीन सालों के दौरान जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं प्रत्येक वर्ष सारे देश के और प्रत्येक जोन में वास्तविक औसत कितना है ;

(ख) एक इन्जन की कुल क्षमता का कितने प्रतिशत उपयोग किया जाता है और इन्जन का कम उपयोग होने के कारण रेलवे को कितनी आमदनी का नुकसान हुआ है ; और

(ग) चालू वर्ष में बिजली और डीजल से चलने वाले इन्जनों का कितने प्रतिशत उपयोग होगा ?

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) डीजल और विद्युत इन्जनों के लिए "सकल टन किलोमीटर प्रति इन्जन घंटा" का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान डीजल और विद्युत दोनों इन्जनों के लिए दिन में प्रयुक्त प्रति माल इन्जन शुद्ध टन किलोमीटर के वास्तविक आंकड़े, बड़ी लाइन और मीटर लाइन के अलग-अलग, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) एक इन्जन की उपयोगिता क्षमता प्रति गाड़ी कुल डिब्बों की औसत संख्या द्वारा आंकी जाती है। चौपहियों के हिसाब से आंकड़े इस प्रकार हैं :

	1978-79	1979-80	1980-81
बड़ी लाइन			
डीजल-विद्युत	68	69	69
विद्युत	68	69	69
मीटर लाइन			
डीजल-विद्युत	50	49	50
विद्युत	58	56	56

लूप लाइनों की लम्बाई के दबाव के कारण, बड़ी लाइन पर बड़ी लाइन के 70 चौपहिया माल डिब्बों का भार विनिर्दिष्ट है अर्थात 2240 टन। बड़ी लाइन पर विशेष माल डिब्बे जैसे बी०ओ०एक्स० बी०आर०एच० आदि 3,000 टन के भार खींचने सहित इन्हीं लूप लम्बाइयों पर भेजे जा सकते हैं। पाइलट और सैक्शनल गाड़ियों का भार आमतौर से कम होता है, क्योंकि मापदण्ड यह है कि माल डिब्बों को पूरे लदान के लिए रोके रखने की बजाय उनकी प्रतिदिन निकासी की जाये। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समग्र रूप से बड़ी लाइन पर औसतन 69 माल डिब्बों का भार है।

मीटर लाइन पर, 70 माल डिब्बे भी अनुबद्ध किये जाते हैं लेकिन यहां विशेष किस्म का स्टाक नहीं है अत: सभी किस्म की सेवाओं को ध्यान में रखकर जैसे थ्रू माल, वर्क ट्रेन पाइलेट आदि 50-56 माल डिब्बे का भार खींचने के आदेश हैं।

इसलिए यहां कर्षण शक्ति क्षमता का उपयोग कम नहीं होता है।

(ग) हालांकि कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है फिर भी रेलों का निरन्तर यह प्रयास रहता है कि वे अपने डीजल और विद्युत इन्जनों का अधिकतम उपयोग करें।

विवरण

बड़ी लाइन

रेलवे	1978-79	1979-80	1980-81
मध्य			
डीजल-विद्युत	280,075	282,090	280,020
विद्युत डी० सी०	79,419	81,457	77,938
विद्युन ए० सी०	292,462	268,900	272,217

रेलवे	1978-79	1979-80	1980-81
पूर्व			
डीजल-विद्युत	188,144	207,184	204,935
विद्युत	185,007	152,441	141,422
उत्तर			
डीजल-विद्युत	277,103	287,953	309,893
विद्युत	250,913	260,021	273,781
दक्षिण			
डीजल-विद्युत	237,522	233,997	202,607
दक्षिण मध्य			
डीजल-विद्युत	239,432	241,217	230,880
दक्षिण-पूर्व			
डीजल-विद्युत	226,038	211,702	206,019
विद्युत	236,451	236,838	224,807
पश्चिम			
डीजल-विद्युत	288,357	332,487	434,014
विद्युत	275,310	289,866	275,224
सभी रेलें			
डीजल-विद्युत	213,119	213,024	212,502
विद्युत	236,513	226,578	201,472

कोयले की खपत दर

1855. **श्री सूरज भान :**

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969-70, 1979-80, 1980-81 और चालू वर्ष में यात्री और माल-गाड़ियों की बड़ी लाइन पर अलग-अलग प्रति 1,000 ग्रौस टन किलोमीटर दूरी पर कोयले की औसत खपत दर कितने किलोग्राम थी;

(ख) यदि कोयले की खपत दर में तीव्र वृद्धि हुई हो तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यात्री और माल गाड़ियों पर प्रति 100 ग्रौस किलो मीटरों (ब्रोड गेज) पर इस अवधि में औसत खर्च कितना हुआ ?

रेल मंत्रालय एवम् संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यात्री गाड़ियों और मिली जुली तथा माल-गाड़ियों के अनुपात और मिली-जुली गाड़ियों के अनुपात के लिए खपत दरें रखी जाती हैं। 1981-82 के लिए कोयले की खपत दरें अभी तक समेकित नहीं की गयी हैं, अन्य वर्षों की खपत दरें नीचे दी गयी हैं :—

वर्ष	प्रति 1000 सकल टन किलोमीटर के हिसाब से कोयले की खपत दर (बड़ी लाइन)	
	यात्री गाड़ियों तथा मिली-जुली गाड़ियों का अनुपात	माल-गाड़ियों तथा मिली-जुली गाड़ियों का अनुपात
1969-70	58.3	59.7
1979-80	69.8	83.8
1980-81	75.2	91.8

(ख) डीजलीकरण/विद्युतीकरण की वजह से भाप रेल इन्जनों को हटाकर कम महत्वपूर्ण सेवाओं में लगाये जाने के कारण विशिष्ट कोयले की खपत में वृद्धि हुई है। घटिया किस्म के कोयले की अधिक सप्लाई के कारण भी खपत दर प्रभावित हुई है।

(ग) प्रति 1000 सकल टन ईंधन की खपत की लागत आमानवार रखी जाती है न कि गाड़ी सेवा-वार। इन वर्षों के लिए यह लागत नीचे दिखायी गयी है :—

प्रति 1000 टन कि०मी० कोयले की खपत की लागत (बड़ी लाइन)

	रु०
1969-70	5.25
1979-80	16.89
1980-81	21.96

माल की चोरी और हानि के लिये मुआवजे के दावे

1856. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1979 को माल की चोरी और हानि के लिए मुआवजे के कुल कितने दावे लम्बित पड़े थे और वर्षवार तथा जोनवार, कुल कितनी धनराशि का दावा किया गया था;

(ख) 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान वर्षवार कुल कितने दावे किए गए तथा कुल कितनी धनराशि के मुआवजे का दावा किया गया;

(ग) उपर्युक्त प्रत्येक वर्ष में, जोनवार कुल कितने ऐसे दावे (बकाया दावों और चालू दावों की अलग-अलग संख्या देते हुए), किए गए और कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(घ) मुआवजे के इन दावों में से, 1 अक्तूबर, 1982 तक कुल कितने दावों का निपटान नहीं हो पाया था;

(ङ) ऐसे मामलों का तीव्रता से निपटान करने और माल की चोरी तथा हानि को कम करने के लिए क्या प्रक्रिया और मार्ग निर्देश तैयार किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय एवम् संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) 1-4-1979 को हानि, क्षति आदि के कारण कुल बकाया दावों की संख्या इस प्रकार थी :

मध्य रेलवे	3,364
पूर्व रेलवे	7,238
उत्तर रेलवे	7,739
पूर्वोत्तर रेलवे	2,726
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	2,285
दक्षिण रेलवे	6,988
दक्षिण मध्य रेलवे	523
दक्षिण पूर्व रेलवे	5,156
पश्चिम रेलवे	3,391
जोड़	39,410

दावेदारों द्वारा की गयी क्षतिपूर्ति की राशि के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) सभी रेलों पर वर्षवार दायर किए गए दावों की कुल संख्या नीचे दी गयी है :—

वर्ष	दायर किए गए दावों की कुल संख्या
1979-80	566,511
1980-81	620,336
1981-82	700,734*
1982-83 (अप्रैल से सितम्बर)	266,782

*इनमें जून 1981 में पूर्व रेलवे द्वारा की गयी गणना के बाद समायोजित किए गए 60,768 दावे शामिल हैं ।

दावेदारों द्वारा दावा की गयी क्षतिपूर्ति की राशि के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) बकाया तथा चालू दावों के निपटान के सम्बन्ध में अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । बहरहाल, निपटाए गए कुल दावों की संख्या (भुगतान द्वारा और अन्यथा) और भुगतान की गयी राशि नीचे दी गयी है :—

रेलवे	निपटाए गए दावों की संख्या				भुगतान की गयी राशि (लाख रुपयों में)			
	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83 (अप्रैल से सितम्बर तक)	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83 (अप्रैल से सितम्बर तक)
मध्य	77072	90765	89575	37563	150.73	172.60	212.85	83.79
पूर्व	102279	99725	135191	55728	230.07	255.77	540.52	238.79
उत्तर	105581	154034	153872	59072	143.33	167.55	206.75	131.50
पूर्वोत्तर	41308	48410	47247	20830	44·12	66.91	87.51	40.99
पूर्वोत्तर सीमा	37098	41499	49752	22059	91.96	114.10	190.64	94.84
दक्षिण	61588	58589	60630	23783	153.64	156.43	208.59	80·37
दक्षिण मध्य	15519	16278	23072	9093	52.79	74.50	89.20	34.67
दक्षिण पूर्व	70177	64360	71789	35085	130.28	172.33	188.73	127.69
पश्चिम	63898	67220	69116	30411	152.98	223.87	264.86	129.66
जोड़	574520	640880	700244	293624	1149.90	1404.06	1989.65	962.30

(घ) 1.10.1982 को 89994 दावे निपटान के लिए बकाया रहते थे।

(ङ) माल की उठाईगीरी तथा हानि को कम करने के लिए दावों का शीघ्र निपटारा करने के लिए प्रक्रिया और मार्गदर्शक सिद्धान्त तथा किए गए उपाय नीचे दिये गए हैं :—

(1) दावों का शीघ्र निपटारा करने से संबधित प्रक्रिया और मार्गदर्शक सिद्धान्त।

1. दावों का निपदान करने वाले अधिकारियों को और अधिक अधिकार दे दिए गए हैं।
2. ऐसे क्षतिपूर्ति के दावों की, जिनके लिए निपटाने से पहले वित्तीय सहमति अपेक्षित नहीं होती है, ऊपरी आर्थिक सीमा बढ़ा दी गयी है।
3. चल दावा कार्यालयों का गठन किया गया है।
4. गन्तव्य स्टेशनों द्वारा हानि, क्षति, ह्रास आदि का उल्लेख करते हुए दावा कार्यालय को गुमशुदा माल की अग्रिम में रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(2) माल की उठाईगीरी और हानि को कम करने के लिए किए गए निवारक उपाय इस प्रकार हैं :—

1. परेषणों को गलत मार्ग पर जाने से रोकने के लिए माल की उपयुक्त मार्किंग, उस पर ठीक से लेबल लगाना तथा पैकिंग करना।
2. चीनी, खाद्यान्न, दालों तिलहन आदि जैसी वस्तुओं के माल डिब्बा भार परेषणों के मामले में पल्लेदार दरवाजों की सुरक्षा के लिए निभार थैलों की व्यवस्था करने पर बल देना।
3. कीमती सामान से लदे माल डिब्बों के दरवाजों में नट और बोल्टों का इस्तेमाल।
4. माल चढ़ाते तथा उतारते समय पैकेजों का भलीभांति पर्यवेक्षण तथा सावधानीपूर्वक मिलान।
5. जहां कहीं सम्भव होता है, लोहा और इस्पात, खाद्यान्न, चीनी, तिलहन आदि की ढुलाई करने वाली माल गाड़ियों का भेद्य खण्डों पर रेलवे सुरक्षा बल के सशस्त्र कर्मचारियों द्वारा मार्ग रक्षण।
6. भेद्य यार्डों में रेलवे सुरक्षा बल के सशस्त्र कर्मचारियों द्वारा गश्त लगाना।
7. अपराधियों तथा चोरी का माल खरीदने वालों को पकड़ने के लिए रेलवे बोर्ड के अपराध आसूचना शाखा तथा केन्द्रीय अपराध ब्यूरो के कर्मचारियों द्वारा अपराध आसूचना इकट्ठी करना तथा अचानक छापे मारना। और

8. राजकीय रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और रेल कर्मचारियों के बीच निकट सम्पर्क बनाए रखा जाना।

संयुक्त राष्ट्र निधि द्वारा प्रचार कार्य के लिए प्रदत्तनिधि का उपयोग न किया जाना

1857. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1977 में संयुक्त राष्ट्र ने प्रचार कार्य के लिए ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों को 400 वाहन प्रदान करने के लिए 22 लाख अमरीकी डालर की सहायता देने की मंजूरी दी थी और मई, 1981 तक केवल 100 वाहनों का प्रबन्ध किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र एजेन्सी द्वारा प्रदत्त सहायता का पूरा उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) यह सही है कि परिवार कल्याण कार्यकलापों की सयुक्त राष्ट्र निधि द्वारा दिए गए धन में से मई 1981 तक 100 गाड़ियां खरीदी गई थीं। शेष उपलब्ध राशि का परिवार कल्याण के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की सहायता से चल रही अन्य गतिविधियों पर इस्तेमाल किया गया।

राजधानी में सड़कों की अपर्याप्त देखभाल

1858. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 सितम्बर, 1982 के "इंडियन एक्सप्रेस में पोट होल्स सिविल बाडीज इनडिफरेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें पानी के भूमिगत पाइप से रिसाव और दिल्ली में सड़कों की अपर्याप्त देखभाल आदि के कारण जगह-जगह हुए गड्ढों का उल्लेख किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राजधानी में सभी सड़कों का सर्वेक्षण कराने और उन्हें एशियाड-82 से पूर्व यातायात के योग्य बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) एशियाड से सम्बन्धित सड़कों को चौड़ा, सुदृढ़, जंक्शनों में सुधार, सुधरी प्रकाश व्यवस्था करते हुए सुधार किया गया है। चालन कोटि, ड्रेनेज, कचड़ा हटाने,

सुधरे हुए सड़क संकेतों में सुधार करके बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए आगे और उपाय किए जा रहे हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे में कथित भ्रष्टाचार और धन बटोरने का धन्धा

1859. **डा० ए० यू० आजमी :**

श्री जगपाल सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 अगस्त, 1982 के नेशनल हेराल्ड में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें रेलवे सेवा आयोग में भ्रष्टाचार, मुजफ्फरपुर में शयनिकाओं के आरक्षण में धन बटोरने का धन्धा, बुक किए गए सामान की चोरी, यात्रियों के सामान की चोरी, चलती गाड़ियों में रोशनी, पीने के पानी और शौचालय सुविधाओं की अपर्याप्त व्यवस्था स्टेशनों पर घटिया किस्म की खाद्य वस्तुए तथा गाड़ियों का देर से चलना, बताया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जहां तक रेल सेवा आयोग, मुजफ्फरपुर में भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड के सतर्कता निदेशालय द्वारा की गयी जांच-पड़ताल के परिणामस्वरूप सितम्बर, 1981 में रेल सेवा आयोग, मुजफ्फरपुर के तत्कालीन अध्यक्ष की सेवाएं समाप्त कर दी गयी थीं।

मुजफ्फरपुर में तिकड़मबाजी से धन कमाने की कर्मचारियों की प्रकृति के कारण मुजफ्फरपुर में तैनाती के लिए कर्मचारियों का तांता लगा रहने के बारे में समाचार-पत्र में छपी खबर वस्तुतः गलत प्रतीत होती है और रिपोर्ट काफी बढ़ा-चढ़ा कर दी गयी है। पूर्वोत्तर रेलवे पर सोनपुर मण्डल में तैनाती के लिए रेलवे अधिकारी सामान्यतः इच्छुक नहीं है। सोनपुर मण्डल में स्थित मुजफ्फरपुर टाउन में कतिपय शैक्षिक और अन्य सुविधाएं मौजूद हैं जिनके कारण रेल अधिकारी मण्डल में स्थित अन्य दूसरे शहर की अपेक्षा मुजफ्फरपुर में अपनी तैनाती ज्यादा पसन्द करते हैं।

जहां तक प्रत्येक आरक्षण के लिए 30 से 75 रुपए की राशि लेने का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

यात्रियों के सामान की चोरी के 23 मामले घटित हुए हैं, लेकिन रे०सु०ब० के कर्मचारी इन मामलों में शामिल नहीं पाए गए। इस सम्बन्ध में 8 बाहरी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। बाहरी सिगनलों पर, जहां गाड़ियों की रफ्तार धीमी कर दी जाती है जैसाकि समाचार-पत्र में छपा है, बुक किए गए परेशणों की चोरी की कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन, चालू वर्ष के दौरान बुक किए गए परेषणों की चोरी के 43 मामलों की रिपोर्ट मिली है। 3.81 लाख रुपए मूल्य की चुरायी गयी सम्पत्ति में से 3.33 लाख रुपए मूल्य की सम्पत्ति बरामद की गयी। जहां तक मुजफ्फरपुर में रे०सु०ब० के कर्मचारियों की तैनाती बनाए रखने का सम्बन्ध है, यह उल्लेखनीय है कि इन कर्मचारियों को सामान्यतया पांच वर्ष की तैनाती के बाद स्थानान्तरित कर दिया जाता है। इस समय मुजफ्फरपुर में केवल दो व्यक्ति और नारायणपुर अनन्त में तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने पांच वर्ष की अवधि पूरी कर ली है। उनके स्थानान्तरण के मामले विचाराधीन है।

मुजफ्फरपुर और नारायणपुर अनन्त (मुजफ्फरपुर गुड्स शेड के लिए) में बकाया विलम्ब शुल्क की राशि केवल 1.50 लाख रुपए है करोड़ो रुपए नहीं जैसाकि समाचार पत्र में छपा है।

1.1.82 से 31.8.82 तक की अवधि में मुजफ्फरपुर और मंडल कार्यालय में 46 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। की गई अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप 9 कर्मचारियों को सजा दी गई तथा 2 को मुजफ्फरपुर से स्थानान्तरित कर दिया गया।

पूर्वोत्तर रेलवे में गाड़ियों में रोशनी की व्यवस्था सामान्यत: सन्तोषजनक है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं कि प्रारम्भिक स्टेशनों से रोशनी तथा पंखों की भली भांति व्यवस्था करके ही गाड़ियां चलाई जायें। लेकिन शाखा लाइन की गाड़ियों में रोशनी की व्यवस्था समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों तथा उपस्करों की लगातार चोरियों के कारण बिगड़ जाती है। गाड़ियों में रोशनी की व्यवस्था में और सुधार करने के लिए एक अभियान चलाया गया है। सवारी गाड़ियों के डिब्बों में शौचालयों की व्यवस्था है और इन शौचालयों में पानी भरने का काम पानी भरने वाले स्टेशनों पर किया जाता है। उपयुक्त सेवा तथा खाद्य पदार्थों की अच्छी किस्म सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से जाँच की जाती है। जनवरी से अगस्त, 1982 तक की अवधि के दौरान खान-पान तथा वेंडिंग स्थापनाओं की 80 बार जाँच की गई। तीन मामलों में खामियां नजर आयीं जिनमें दोषी पाए गए ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी। दो मामलों में ठेकेदारों पर जुर्माना किया गया और एक मामले में चेतावनी जारी की गयी थी।

चालू वर्ष 1982 के दौरान मीटर लाइन तथा बड़ी लाइन की सवारी गाड़ियों का समयपालन क्रमश: 50 से 60 प्रतिशत तथा 58 से 77 प्रतिशत के बीच रहा है। समयपालन में गिरावट अन्धाधुंध खतरे की जंजीर खींचने बाढ़, पटरियों में दरारें पड़ने आदि के

अलावा भाप रेल इन्जनों के असंतोषजनक कार्य निष्पादन, कोयले की कमी, और कोयले की खराब किस्म के कारण आयी। समयपालन में सुधार करने के लिए प्रयास जारी है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम में कर्नाटक का कार्य निष्पादन

1860. **श्री के० मालन्ना :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक राज्य से अब तक चालू वर्ष के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के सम्बन्ध में उसके कार्य निष्पादन विशेषकर निर्दिष्ट अवधि के लिए निर्धारित और प्राप्त लक्ष्य के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) 1982-83 के दौरान कर्नाटक राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लक्ष्य और उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

1982-83 के दौरान कर्नाटक में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लक्ष्य और उपलब्धियां।

परिवार नियोजन कार्यक्रम (तरीका)	लक्ष्य 1982-83 (सैकड़ों में)	उपलब्धि 1982-83 (अप्रैल 82 अगस्त, 82)	वार्षिक लक्ष्य की प्रतिशतता उपलब्धि
नसबन्दी आपरेशन	3050	86,354	28.3
आई०यू०डी०	1020	24,593	24.1
प्रचलित गर्भनिरोधक के समीकृत उपयोगकर्ता	1360	80,116*	58.9
खाए जाने वाली गोलियों के समीकृत उपयोगकर्ता	250	12916*	51.7

*ये आंकड़े जुलाई 82 तक के हैं।

विभिन्न नगरों में वैश्यालयों की संख्या

1861. **श्री के० मालन्ना :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे नगरों में कथित वैश्यालयों की संख्या के ब्यौरे क्या हैं; और

(ख) सरकार ने इस बुराई को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन वैश्यालय रखने अथवा किसी भवन को एक वैश्यालय के रूप में प्रयोग करने देने की मनाही है। इसलिए कथित वैश्यालयों की संख्या देने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) इस कमी को दूर करने के लिए 1978 में स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 का समुचित संशोधन किया गया था इस अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है इसलिए उन्हें इसे कारगर रूप से लागू करने के लिए नियमित रूप से कहा जाता है।

दिल्ली में व्यवसायिक शिक्षा योजना

1862. **श्री बी०डी० सिंह** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में 1977 में शुरू की गई व्यवसायिक शिक्षा योजना की सफलता या असफलता के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) स्कूल शिक्षा की 10+2 पद्धति के व्यावसायिक विषय के अन्तर्गत दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में लागू किए गए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रथम परीक्षा केवल 1979 में ली गई थी। अतः इसके प्रभाव का इस समय कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला का पुनर्गठन

1863. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृपलानी समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही के परिणाम-स्वरूप भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के पुनर्गठन के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो संस्थान की प्रबन्ध व्यवस्था का पैटर्न और कार्यक्रम किस प्रकार का होगा और संस्थान में अनुसंधान और अध्ययन स्वरूप और क्षेत्र क्या होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक लिए जाने और इसे लागू किए जाने की संभावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हाँ ।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) संस्थान अपनी सोसायटी और शासी निकाय के पुनर्गठन के बाद शीघ्र ही पूरी तरह से क्रियाशील हो जाएगा । इन निकायों का गठन किया जा रहा है ।

विवरण

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के लिए परिकल्पित प्रबन्ध, अनुसंधान और अध्ययन के स्वरूप और क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है ।

1. **प्रबन्ध**

संस्थान का प्रबन्ध तथा नियंत्रण एक सोसायटी एक शासी निकाय और एक निदेशक द्वारा किया जाएगा । सोसाइटी में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के अधिकारी होंगे । शासी निकाय और संस्थान का निर्णयकर्ता निकाय होगा । शासी निकाय का अध्यक्ष एक प्रख्यात अध्येता होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा । संस्थान का निदेशक शासी निकाय द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से नियुक्त किया जायगा । उसका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा जिसे अगले तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।

2. **कार्य क्षेत्र**

संस्थान मौलिक विषयों तथा जीवन की समस्याओं और उन क्षेत्रों की विचारधाराओं, जो मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं के सम्बन्ध में निःशुल्क और सृजनात्मक जांच का एक आवासीय केन्द्र होगा । तथापि प्रारम्भिक स्तरों पर अध्ययन के ऐसे क्षेत्रों को चुनकर, जो अन्तर-विषयक प्रयासों को बढ़ावा देगा, जिसके लिए कीमती सुविधाओं की जरूरत नहीं है और जो विशिष्ट अध्येताओं को आकृष्ट कर सके, चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा ।

3. **अध्ययन क्षेत्र :**

अध्ययन के कुछ निदर्शी (व्यापक नहीं) क्षेत्र इस प्रकार होंगे :

तुलनात्मक भारतीय साहित्य (प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, लोक और जनजातीय सहित), दर्शन और धर्म का तुलनात्मक अध्ययन, विश्व विचारधारा, शिक्षा,

संस्कृति और सौंदर्य बोध का विकास तर्क शास्त्र और गणित की मौलिक विचारधारा और समस्याएं प्राकृतिक विज्ञान की मौलिक विचारधारा और समस्याएं, प्राकृतिक विज्ञान की मौलिक विचारधारा और समस्याएं, एशियाई पड़ौसियों के संदर्भ में भारतीय सभ्यता, राष्ट्रीय अखण्डता और राष्ट्र निर्माण तथा सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक दर्शने के संदर्भ में समकालीन भारत की समस्याएं ।

4. अनुसंधान के विषय :

विविधता में भारतीय एकता का विषय, भारतीय चेतना की सम्पूर्णता भारतीय परिपेक्ष्य में शिक्षा दर्शन, प्राकृतिक विज्ञान में उच्च विचारधारा और उनकी दर्शन विषय कठिनाइयाँ, विज्ञान और आध्यात्मिकता संश्लेषण में भारतीय और एशियाई सहयोग, भारत और मानवीय एकता, भारतीय साहित्य का सहचरी और भारतीय महाकाव्यों का तुलनात्मक अध्ययन ।

5. फेलो :

शैक्षिक स्टाफ का केवल एक वर्ग होगा जिसे फाफेलो के रूप में पदनाभित किया जायगा । उन कोर परियोजनाओं के लिए भर्ती किए गए कफेलो को छोड़कर जिनके मामले में उनकी कार्यावधि परियोजना के समाप्त होने के साथ-साथ समाप्त हो जाएगी । फेलो तीन महीने से दो वर्ष की अवधि तक नियुक्त किए जाएंगे जिसे और एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है । अधिछात्रवृत्तियों की राशि शासी निकाय द्वारा निर्धारित की जाएगी जो 1500—3000 रु० के क्रम में होगी ।

5. सुविधायें :

संस्थान का पुस्तकालय अनुसंधान के आधुनिक उपकरण के रूप में चरणों में विकसित किया जायगा; अनुसंधान सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य परि संगणन सुविधाओं की व्यवस्था की जायगी, संस्थान अनुसंधान के परिणामों को एकत्र करने तथा उन्हें नवयुवकों, किशोरों आदि के हित के लिए प्रसारित करने की व्यवस्था करेगा । प्रकाशन कार्यक्रम में फेलो द्वारा किए गए अनुसंधान के परिणाम तथा प्रसार प्रयोजन शामिल होंगे ।

7. स्थान : संस्थान शिमला में बना रहेगा ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए पुनरीक्षा समिति की सिफारिशें

1864. **प्रो० नारायण चन्द पराशर**

श्री इरा अनबरासु : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने के लिए गठित पुनरीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट में किस प्रकार की सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो समिति से किस तारीख तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समीक्षा समिति गठित की गई है। अभी तक उसने अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समिति के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कोई समय सीमा निर्धारित नही की गई है।

विद्वानों के लिए पुरस्कार मंजूर करना

18:5. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राचीन भाषाओं के लिए विद्वानों को पुरस्कार मंजूर करने की क्या प्रक्रिया है और उन भाषाओं के नाम क्या हैं जिनके लिए पुरस्कार दिए जाते हैं;

(ख) क्या विद्वानों के चयन में और अतीत में पुरस्कार मंजूर करने में सभी प्राचीन भाषाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार सम्मानित किए गए विद्वानों के भाषा-वार नाम क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) विख्यात संस्कृत, अरबी और फारसी अध्येताओं को मानव प्रमाण पत्र देने की योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों और इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ताओं सहित राज्य सरकारों, केन्द्रीय मन्त्रालयों/विभागों, प्रमुख संस्कृत संस्थाओं से गोपनीय रूप से सिफारिशें माँगी जाती हैं। इस प्रकार प्राप्त प्रस्तावों को प्रारम्भिक चयन समिति के सम्मुख रखा जाता है, जिसमें इन सभी तीनों भाषाओं के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। समिति की सिफारिशों को, प्रत्येक वर्ष स्वतन्त्रता दिवस पर घोषित करने से पहले, शिक्षा मन्त्री द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद अन्तिम रूप से प्रधान मन्त्री और राष्ट्रपति से अनुमोदित कराया जाता है। इस योजना में संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाएं शामिल हैं।

(ख) इस योजना में केवल संस्कृत, अरबी और फारसी के लिए व्यवस्था है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के चुने गए अध्येताओं के नामों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

संस्कृत अध्येता

1980

1. आचार्य विश्व नाथ शास्त्री
2. श्री अरिबम ब्रजबिहारी शर्मा
3. श्री भारत मिश्र
4. श्री एन०एस० सोनटक्के
5. श्री आर०एम० पंचमुखी
6. श्री पेरी सूर्यनारायण शास्त्री
7. श्री के० राममूर्ति शास्त्री

1981

1. श्री मधूसूदन भट्टाचार्य
2. श्री मूर्तियेदाथ शंकरन नम्बूदरी
3. श्री रामेश्वर झा
4. श्री रघुनाथ शर्मा
5. श्री रंगानाथ दत्तातरे वेदकर
6. श्री रामनाथ दीक्षितार ए० मुनुस्वामी
7. श्री सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार
8. श्री टी०ई० वीराराघवाचारियर
9. श्री वी० बालकृष्ण शास्त्री
10. श्री वीरामानी प्रसाद उपाध्याय

1982

1. श्री महा शंकर घेलाभाई शुक्ल अग्निहोत्री
2. श्री भाल चन्द्र शास्त्री वामन करमबेलकर
3. श्री जगदीश शर्मा
4. श्री ओत्तूर उन्नि नम्बूदरीपाद
5. श्री नवलपाक्कम अय्या देवनाथाचार्य
6. श्री आर० मुथुकृष्ण शास्त्री
7. श्री अरिबम शिवदत्त शर्मा

8. डा० धर्मेन्द्र नाथ शास्त्री
9. श्री माया प्रसाद त्रिपाठी
10. श्री भावदेव भगवती

अरबी अध्येता

1980

काजी जैनुल अबेदिन सज्जाद

1981

1. श्री खुर्शीद अहमद फारिक
2. श्री मोहम्मद रबे नादवी

1982

1. मौलाना मोहम्मद महम्मूद सूति
2. मुहम्मद यूसफ कोकन

फारसी अध्येता

1980

1. सैयद सबादूद्दीन ए० रहमान

1981

1. श्री अब्दुल मन्नन 'बेदिल'
2. श्री मुफ्ती नसीम अहमद फ़रिदी

1982

1. श्री भागवत सरूप
2. श्री खिजर अली खां

लखनऊ-समस्तीपुर लाईन को ब्रोड गेज में बदलने के काम पर लगे लोगों के लिए रोजगार

1866. **श्री कृष्ण चन्द पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ समस्तीपुर मीटर गेज लाइन को ब्रोड गेज लाइन में बदलने के काम पर लगे कर्मचारियों को इस काम के पूरा हो जाने पर सेवा से निकाल दिया गया है और क्या वहां 4 से 5 वर्ष तक काम करने के बाद इन कर्मचारियों की उम्र अधिक (ओवर ऐज) हो गई है ;

(ख) क्या उनको प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) परियोजना का पूरा होने पर इस पर लगाए गए नैमित्तिक श्रमिकों में से अधिकांश की काम के अभाव में छटनी करनी पड़ी थी ।

(ख) जब नये नैमित्तिक श्रमिक लगाए जाते हैं तो ऐसे छंटनी किए गए नैमित्तिक श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाती है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर रेलवे के लिए डीजल इंजन और कोच

1867. **श्री कृष्ण चन्द पाण्डेय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के पश्चात उसे न तो डीजल इंजन और न कोच दिए गए हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें डीजल इंजन और कोच कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं । पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा परिचालित की जाने वाली अपेक्षित सेवाओं और अनुरक्षण क्षमता के आधार पर रेल इंजनों तथा सवारी डिब्बों का आबंटन किया गया है । पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा डीजल शेड में पहले ही 18 डीजल रेल इंजन मौजूद हैं तथा रेल इंजनों की मांग के समनुरूप और अधिक रेल इंजन आबंटित कर दिए जाएंगे । बड़ी लाइन के 79 सवारी डिब्बों, जो पहले से इस रेलवे के पास मौजूद थे, के अलावा, पूर्वोत्तर रेलवे को बड़ी लाइन के 246 सवारी डिब्बे आबंटित किए गए हैं । 1982-83 के दौरान 33 और सवारी डिब्बे आबंटित किए जाने का कार्यक्रम बनाया गया है ।

मेडिकल बिलों के दावों की प्रतिपूर्ति के बिलों का विचाराधीन होना

1868. **श्री कृष्ण चन्द पाण्डे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभागों/मंत्रालयों द्वारा भेजे गए सी०जी०एच०एस० के लाभ प्राप्त कर्ताओं के मेडिकल बिलों के दावों की प्रतिपूर्ति के कितने मामले उनके मंत्रालय के यहां भुगतान हेतु विचाराधीन हैं और उनमें से कितने मामले क्रमश: एक वर्ष, 9 महीने, 6 महीने, और 3 महीने से बकाया पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं तथा इनकी प्राप्ति और निपटान की मासिक औसत क्या है ;

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कठिनाई को दूर करने और कार्यकरण में कुशलता लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भुगतान पन्द्रह दिन के भीतर कर दिया जाए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य-योजना के औषधालयों और मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपचार कराते हैं। उन्हें दवाइयां और औषधियां भी उपलब्ध की जाती हैं। जो लाभार्थी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्यक्षेत्र में न आने वाले स्थानों पर इलाज कराते हैं, वे अपने चिकित्सीय दावों को प्रतिपूर्ति के लिए अपने विभागों/मंत्रालयों को प्रस्तुत करते हैं जो उनके दावों को निपटाते हैं। कुछेक ऐसे दावे मंत्रालयों/विभागों द्वारा सलाह के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजे जाते हैं। ऐसे मामले यथाशीघ्र निबटाने के प्रयत्न किए जाते हैं। जो मामले विचाराधीन हैं उनके बारे में सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सूर्य मंदिर कोणार्क का संरक्षण

1869. **श्रीमती जयन्ती पटनायक**

श्री चिन्तामणि जेना : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूर्य मन्दिर, कोणार्क, उड़ीसा के उचित अनुरक्षण के लिए उपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सफाई, सुदृढ़ीकरण, फफूंदनाशी उपचार और परिरक्षी के प्रयोग द्वारा नटमंदिर के रासायनिक परिरक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। मुख्य मन्दिर समूह के एक भाग का उपचार भी इसी प्रकार किया गया है। अहाते के उत्तरी-पूर्वी तथा उत्तरी-पश्चिमी भागों के पानी को बाहर निकालने के लिए अस्थायी प्रबन्ध किया गया है। चहार दीवारी के चारों तरफ भूदृश्य निर्माण का कार्य भी आरम्भ हो चुका है।

उड़ीसा में ग्रामीण निर्धनों हेतु स्वास्थ्य रक्षा योजनायें

1870. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न राज्यों में ग्रामीण निर्धनों के लिए कौन-कौन सी स्वास्थ्य रक्षा योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ;

(ख) क्या इस समय उड़ीसा में केन्द्र द्वारा प्रवर्तित इस प्रकार की कोई ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षा योजना कार्यान्वित की जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) बच्चों में अंधापन रोकने के लिए अन्य क्या योजनाएं कार्यान्वित करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य सहित देश में ग्रामीण निर्धनों के लिए (i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप-केन्द्रों, दर्जा बढ़ाए गए ग्रामीण अस्पतालों और सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना (ii) स्वास्थ्य गाइड योजना चलाने और (iii) दाइयों को प्रशिक्षित करने की योजनाये कार्यान्वित की जा रही हैं। संख्या (ii) और (iii) में केन्द्र प्रायोजित योजनायें हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने के लिए निम्नलिखित ढ़ांचे का विकास करने का प्रस्ताव है :—

1. प्रत्येक ग्राम/1000 ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक-एक स्वास्थ्य गाइड।
2. प्रत्येक गांव में कम से कम एक-एक प्रशिक्षित दाई।
3. 5000 ग्रामीण जनसंख्या के लिए जन जाति और पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक-एक उप-केन्द्र जिसमें एक पुरुष और एक महिला कार्यकर्ता होगी।
4. 30,000 ग्रामीण जनसंख्या के लिए जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 20,000 ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
5. औसतन 1,00,000 ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक दर्जा बढ़ाया गया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिसमें मेडिसिन, सर्जरी, प्रसूति और स्त्रीरोग विज्ञान तथा बाल चिकित्सा के विशेषज्ञ होंगे।
6. सभी वर्तमान ग्रामीण डिस्पेंसरियों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें सहायक स्वास्थ्य केन्द्र बनाना।

(घ) बच्चों में विटामिन "ए" की कमी से होने वाली दृष्टिहीनता से बचाव

करने की योजना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

परिवार कल्याण परियोजनाओं के संगठनात्मक ढांचे की कमियां दूर करने के लिए कदम उठाना

1871. **श्री के० राममूर्ति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या सम्बन्धी कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि द्वारा सहायता प्राप्त परिवार कल्याण परियोजनाओं के बारे में 30 जून, 1980 को प्रस्तुत की गई मूल्यांकन रिपोर्ट में संगठनात्मक ढाँचे में कमियां बताई गई हैं जिसके कारण परियोजनाओं के अपेक्षित परिणाम नहीं निकले ; और

(ख) यदि हाँ, तो इन संगठनात्मक कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सरकार को 30 जून, 1980 की ऐसी कोई मूल्यांकन रिपोर्ट नहीं मिली है।

मुगलसराय के कर्मचारियों का वरीयता निर्धारण के लिए अभ्यावेदन

1872. **श्री आनन्द पाठक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुगल सराय मण्डल के मंत्रालयीय कर्मचारियों से दिनांक 4 अगस्त, 1982 का एक संयुक्त अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें संस्थापना नियमावली 311 और सी०पी०ओ०/सी०ओ०सी० के 5 सितम्बर 1982 के पत्र संख्या सी०पी०ओ०/सी०सी०सी०/एम०जी०बी०, डिविजन में दिए गए विकल्प की शर्तों के अनुसार उनकी वरीयता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलवे से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आदिवासी छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा

1873. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आदिवासी छात्रों को, विशेषकर प्राथमिक स्तर पर, उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी राज्य सरकार ने प्रयास किए हैं ;

(ग) क्या संथाल कबीले को "ओलोचिकी" लिपि में शिक्षा देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में विभिन्न राज्यों को दिए गए दिशा निर्देश क्या हैं ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) :

(क) जनजातीय छात्रों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) तीसरे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (1973) द्वारा एकत्र की गई सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 24 जन-जातीय भाषाएं माध्यम भाषाओं के रूप में प्रयोग की गई।

(ग) इस मामले पर सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

(घ) और (ङ) 1975-76 में राज्य सरकारों को भेजी गई मार्गदर्शी रूप रेखाओं में यह कहा गया था कि जन-जातीय बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें स्थानीय जन जातीय भाषाओं में तैयार की जानी चाहिए ताकि जन-जातीय बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा उनकी मातृभाषा के जरिए दी जा सके।

मार्ग दर्शी रूप रेखाओं में जिनमें अनुसूचित जन-जातियों (1980-85) के विकास सम्बन्धी कार्यदल की सिफारिशें दी गई हैं, बच्चों की मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में भी बता दिया गया था।

विकलांग लोगों को डी०टी०सी० में फ्री पास का जारी किया जाना

1874. **श्री तारिक अनवर**

बाला साहिब विखे पाटिल : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम विकलांग लोगों को फ्री पास जारी करेगा ;

(ख) क्या यह पास स्थायी आधार पर होंगे ;

(ग) क्या यह सुविधा केन्द्रीय सरकार की किसी योजना के अन्तर्गत दी जाएगी ; और

(घ) दिल्ली में अब तक ऐसे कितने परिचय-पत्र जारी किए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) दिल्ली परिवहन निगम दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले अपंग व्यक्तियों को 7 सितम्बर, 1982 से मुफ्त यात्रा करने के लिए पास जारी कर रहा है ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) यह सुविधा दिल्ली परिवहन निगम द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर इन कर्मचारियों को भी दी जा रही है ।

(घ) 8 अक्तूबर, 1892 तक दिल्ली परिवहन निगम ने इस प्रकार के 783 पास जारी किए ।

विरामगाम-ओखा-पोरबन्दर लाईन को बड़ा लाईन में बदलना

1875. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विरामगाम-ओखा-पोरबन्दर मीटर-गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम वर्ष 1972 में शुरू हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि केवल हप्पा (जामनगर) तक लाइन बदली गई है ;

(ग) ओखा-पोरबन्दर तक लाइन बदलने के काम में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(घ) इस परियोजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा उस समय कितनी धनराशि का अनुमान लगाया गया था ; और

(ङ) परियोजना के पूरा होने तक इस पर कितनी धनराशि खर्च हो जाएगी ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यह परियोजना 1972-73 के बजट में अनुमोदित कर दी गयी थी ।

(ख) जी हां ।

(ग) संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण विलम्ब हुआ है ।

(घ) जब इसे स्वीकृत किया गया था, उस समय इस परियोजना पर 42.92 करोड़

रु० खर्च आने का अनुमान लगाया गया था। इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई निश्चित लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गयी थी।

(ङ) फिलहाल, इस परियोजना की प्रत्याशित लागत लगभग 97 करोड़ रुपये है।

सभी के लिए वर्ष 2000 तक स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त करना

1876. **श्री एच०एन० नन्जे गौडा**

कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय समिति ने सदस्य देशों से अनुरोध किया है कि वे इस वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपनी राष्ट्रीय कार्यवाही योजनाओं को परिचालित तथा क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही करें;

(ख) क्षेत्रीय समिति द्वारा जिन मुद्दों पर चर्चा की जानी है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्यक्रम को अधिक जोश के साथ चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) वर्ष 2000 ई० तक सब के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय कार्य-योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण-पूर्व एशिया की क्षेत्रीय समिति की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था।

(ग) भारत सरकार ने "2000 ई० तक सब के लिए स्वास्थ्य" के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक भावी स्वास्थ्य योजना तैयार की है। इस योजना में निम्नलिखित व्यवस्था है :—

1. 31 मार्च, 1984 तक प्रत्येक 1000 ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक स्वास्थ्य गाईड।
2. 31 मार्च, 1985 तक प्रत्येक गांव के लिए कम से कम एक प्रशिक्षित दाई।
3. सातवीं पंच वर्षीय योजना तक हर 5000 जनसंख्या के लिए (पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों के लिए 3000) एक उप-केन्द्र जिसमें एक महिला और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता होंगे (इस लक्ष्य का 74 प्रतिशत छठी योजना

अवधि में तथा शेष सातवीं योजना में पूरा किया जाएगा)। छठी योजना के अन्त तक 90,000 उप-केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

4. 2000 ई० तक हर 30,000 ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पर्वतीय और जन-जातीय इलाकों में 20,000 जनसंख्या के लिए)।

5. 2000 ई० तक प्रत्येक एक लाख जनसंख्या के लिए एक समुन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र।

दिल्ली नगर निगम द्वारा आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधालयों का खोला जाना

1877. **श्री त्रिलोक चन्द :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने पिछले दो वर्षों के दौरान एक भी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधालय नहीं खोला है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ आयुर्वेदिक औषधालय ऐसे स्थानों पर चल रहे हैं जहां पर रोगियों के बैठने का पर्याप्त प्रबन्ध नहीं है और यदि हां, तो स्थिति को सुधारने की दृष्टि से इन औषधालयों के लिए कितने भवनों का निर्माण करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) दिल्ली नगर निगम ने पिछले दो वर्षों के दौरान जो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधालय खोले हैं वे इस प्रकार हैं :—

1. आयुर्वेदिक औषधालय छतरपुर
2. आयुर्वेदिक औषधालय बहारीपुर
3. आयुर्वेदिक औषधालय जहांगीरपुरी
4. आयुर्वेदिक औषधालय बेगमपुर
5. आयुर्वेदिक औषधालय प्रहलादपुर
6. आयुर्वेदिक औषधालय भरथाल
7. आयुर्वेदिक औषधालय खिचड़ीपुर
8. आयुर्वेदिक औषधालय गालिबपुर
9. आयुर्वेदिक औषधालय मट्टी खान, कालोनी

10. आयुर्वेदिक मोबाइल औषधालय नं०-2

11. आयुर्वेदिक मोबाइल औषधालय नं०-2

12. होम्यो मोबाइल औषधालय

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि ऐसा कोई औषधालय नहीं है जहाँ पर रोगियों के बैठने का समुचित प्रबन्ध नहीं है ।

पाली स्टेशन का पुनर्निर्माण

1878. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी रेलवे के जोधपुर मारवाड़ जंक्शन लाइन पर पाली स्टेशन बहुत पुराना स्टेशन है और वहां पर यात्रियों को बहुत कम सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार के पास इसके पुनर्निर्माण की कोई योजना विचाराधीन है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पुनर्निर्माण और आवश्यक सुविधायें देने का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ । यह एक पुरानी स्टेशन की इमारत है लेकिन अच्छी हालत में है तथा पाली स्टेशन पर आवश्यक यात्री सुविधाओं की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है ।

(ख) चूंकि यह इमारत अच्छी हालत में है इसलिए इस स्टेशन के पुनर्निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथा यहाँ के यात्रियों के लिए वर्तमान सुविधाएं पर्याप्त हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भिखारियों की संख्या तथा भिक्षावृत्ति रोकने के लिए कानून

1879. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भिखारियों की राज्यवार, अनुमानित संख्या क्या है; और

(ख) भिक्षावृत्ति रोकने के लिए किस-किस राज्य ने अभी तक कानून नहीं बनाया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार भिखारियों, आवाराओं इत्यादि की संख्या 10.11 लाख आँकी गई थीं। राज्य-वार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। 1981 की जनगणना के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों ने अब तक भिक्षानिरोधक कानून अधिनियमित नहीं किए हैं।

विवरण

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	व्यक्ति	पुरुष	स्त्रियाँ
1	2	3	4
राज्य			
आंध्र प्रदेश	115,826	66,675	49,151
असम*	26,594	12,432	14,162
बिहार	46,743	30,181	16,562
गुजरात	37,154	30,119	7,035
हरियाणा	7,365	6,535	830
हिमाचल प्रदेश	2,542	1,843	699
जम्मू तथा कश्मीर	7,129	5,751	1,378
केरल	12,359	6,729	5,630
मध्य प्रदेश	83,003	55,024	28,009
महाराष्ट्र	92,531	57,553	34,978
मणिपुर	375	233	142
मेघालय	180	146	34
मैसूर (कर्नाटक)	52,653	32,361	20,292
नागालैंड	153	95	58
उड़ीसा	46,627	25,387	21,240
पंजाब	11,503	10,028	1,475
राजस्थान	47,290	37,227	10,063
सिक्किम	396	242	154
तमिलनाडु	23,150	13,281	9,869
त्रिपुरा	3,617	1,291	2,326

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	201,198	92,757	108,441
पश्चिम बंगाल	190,008	103,584	86,424
केन्द्र शासित प्रदेश			
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	29	21	8
अरुणाचल प्रदेश	30	14	16
चण्डीगढ़	57	47	10
दादरा और नागर हवेली	17	4	13
दिल्ली	1,621	1,352	269
गोवा, दमन तथा दीयू	1,062	317	745
लक्षद्वीप	2	1	1
पांडिचेरी	435	271	164

*मिजोरम केन्द्र शासित प्रदेश शामिल है जिसे 1971 की जनगणना के बाद असम में से इलाका लेकर बनाया गया था।

बार से बिलारा लाईन के लिए सर्वेक्षण

1880. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व रेल मन्त्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि दिल्ली-अहमदाबाद मुख्य लाइन पर बार से बिलारा के बीच लाईन बिछाने हेतु सर्वेक्षण कार्य शीघ्र आरम्भ किया जायेगा, और यदि हां तो सर्वेक्षण कार्य कब आरम्भ हुआ और पूरा किया गया तथा उस पर कितना व्यय किया गया; और

(ख) यदि सर्वेक्षण कार्य अभी भी चल रहा है तो इसे कब तक पूरा किया जायेग और यदि आरम्भ नहीं किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय एवम् संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) बार से बिलाड़ा तक एक नई मीटर आमान लाइन के लिए नवम्बर, 1981 में सर्वेक्षण शुरू किया गया था और इसके दिसम्बर, 1982 तक पूरा होने की आशा है। जून, 1982 तक इस सर्वेक्षण पर लगभग 1.76 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं।

चिकित्सा सहायता के मामले में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के बीच असमानता

1881. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980-81 के दौरान एयर इण्डिया जैसे सरकारी उपक्रमों में प्रति कर्मचारी 725 रु० और बी०एच०एल० में प्रति कर्मचारी 830/- रुपये और स्टील अथारिटी आफ इंडिया में प्रति कर्मचारी 678/- रुपए की तुलना में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा सहायता और उपचार पर प्रति कर्मचारी औसतन 245/- रुपए खर्च किए गए; और

(ख) यदि हाँ, तो इस माम्ले में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और अन्य उपक्रमों के कर्मचारियों के बीच असमानता के कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जो क्षेत्र केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आते हैं उनमें 1980-81 के दौरान चिकित्सा परिचर्या पर हुआ प्रति परिवार औसत व्यय 245/- रुपये बैठता है। अन्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों प केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम लागू होते हैं। इन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत चिकित्सा परिचर्या पर प्रति कर्मचारी कितना औसत व्यय हुआ इसके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। चिकित्सा परिचर्या पर हुए व्यय के खाते के हिसाब सम्बन्धी सिद्धान्तों में एक रूपता न होने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा किए गए व्यय के साथ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा परिचर्या पर किए गए प्रति कर्मचारी व्यय की तुलना करना उपयुक्त नहीं होगा।

मध्य प्रदेश के प्राचीन स्मारकों का परिरक्षण

1882. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी**

श्री सुभाष यादव : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में अनेक प्राचीन मन्दिर और स्मारक जीर्ण शीर्ण अवस्था में है;

(ख) उन पुराने मन्दिरों और स्मारकों के नाम और संख्या क्या हैं जिन पर सरकार का ध्यान नहीं गया है; और

(ग) उन प्राचीन स्मारकों के उचित परिरक्षण के लिए क्या कदम उठाने का विचार है और चालू वर्ष में इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में केन्द्र द्वारा सुरक्षित संस्मारकों की ओर उनकी तात्कालिक आवश्यकतानुसार ध्यान दिया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विशेष मरम्मत के अंतर्गत 8 लाख रुपए तथा वार्षिक रखरखाव के लिए 4 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। वे संस्मारक, जोकि अधिसूचित नहीं किए गए हैं, उनकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है।

अखिल भारतीय एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी अनियमितताएं

1883. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**
श्री सुभाष यादव
श्री राजेश कुमार सिंह
श्री राम विलास पासवान : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वर्ष 1982-83 में देश के विभिन्न कालेजों में एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के मामलों में अनियमितताएं बरती गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन कालेजों में ऐसी अनियमितताएं हुई हैं;

(ग) क्या इन सभी मामलों में सरकार द्वारा कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध मेडिकल कालेजों में एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रमों में दाखिले हेतु प्रवेश परीक्षा में अनुचित तरीके अपनाने के कुछ आरोप सरकार के ध्यान में आए हैं। विश्वविद्यालय ने उच्चतम न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश से इन आरोपों की जांच कराई है। जांच कार्य अभी चल रहा है। राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध मेडिकल कालेजों में प्रवेश में अनियमितता के सम्बन्ध में यदि कोई शिकायत हुई तो उस पर सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा जांच की जाएगी।

सरकारी अस्पतालों में एक्स-रे फिल्मों की कमी

1884. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**
श्री सुभाष यादव
श्री राजेश कुमार सिंह
श्री राम बिलास पासवान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि राजधानी में 'एक्स-रे' फिल्मों की किल्लत है, जिसके परिणामस्वरूप राजधानी के 'एक्स-रे' क्लिनिक ठप्प हो रहे हैं तथा सरकारी अस्पतालों में भी रोगियों को "एक्स-रे" के लिए कई-कई दिन तक इन्तजार करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो "एक्स-रे" फिल्मों की कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या "एक्स-रे" फिल्मों की इस कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कोई उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) यद्यपि कुछ महीने पहले राजधानी में कुछ आकार वाली एक्स-रे फिल्मों की कुछ कमी थी, तथापि अब केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों को इनकी उपयुक्त सप्लाई मिल रही है।

(ग) एक्स-रे फिल्मों के उत्पादन को तेज कर दिया गया है तथा इनकी मांग को पूरा करने के लिए एक्स-रे फिल्मों में बदलने के लिए जम्बो रोलों का विदेशों से आयात किया गया है।

देश में मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति

1885. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**
श्री सुभाष यादव
श्री राजेश कुमार सिंह
श्री राम विलास पासवान : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में 20,000,000 से भी अधिक मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति हैं और उनमें से 10,000 की देखभाल की जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों में से लगभग 85 प्रतिशत व्यक्तियों को शिक्षित अथवा प्रशिक्षित किया जा सका है;

(ग) क्या सरकार का देश में मानसिक रूप से अविकसित सभी व्यक्तियों की देखभाल करने के लिए सरकारी एजेंसियाँ स्थापित करने का विचार है और यदि नहीं, तो क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ताकि मानसिक रूप से अविकसित सभी व्यक्तियों की उचित रूप से देखभाल की जा सके; और

(घ) क्या इस उद्देश्य के लिए कोई विशेष राशि आबंटित की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) देश में मानसिक रूप से अविकसित तथा ऐसे पुनर्वासित और शिक्षित और प्रशिक्षित किए जा सकने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (1973-74) के 28वें राउन्ड के अनुसार मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों की संख्या प्रति एक लाख जनसंख्या के पीछे ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 72 और 98 है।

(ग) और (घ) विकलांगों, जिसमें मानसिक रूप से अविकसित भी सम्मिलित हैं, के लिए सेवाएं विकसित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है :

1. विकलांगता की प्राथमिक प्रकृति की पहचान, इलाज तथा रोक;

2. शिक्षा और/या प्रशिक्षण, अनुसंधान, सर्वेक्षण और अध्ययन;

3. शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पुनर्वास।

मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के मामलों से सम्बद्ध एजेंसियों को किसी विशिष्ट धनराशि का आवंटन नहीं किया गया है।

दिल्ली रिंग रेलवे किराया

1886. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में राजधानी में शुरू की गई बिजली की रिंग रेलवे का दूसरी श्रेणी का फ्लैट-किराया एक रुपया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या टिकट के मूल्य को कम करने के लिए सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हां।

(ग) किराया कम करने के सुझावों पर वित्त मन्त्रालय के परामर्श से विचार किया गया है लेकिन इन्हें स्वीकार करना व्यवहारिक नहीं पाया गया है।

हिन्द महासागर में अमरीका की उपस्थिति

1887. **श्री जयनारायण रौत** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के हिन्द महासागर से परमाणु शस्त्रास्त्रों सहित अपनी सेना हटा ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) जी, नहीं। ऐसी कोई सूचना नहीं है कि संयुक्त राज्य अमरीका ने हिन्द महासागर से अपनी सैनिक उपस्थिति, जिसमें नाभिकीय हथियार भी शामिल हैं, हटा ली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मरुधर एक्सप्रेस को डीजल से चलाया जाना

1888. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मरुधर एक्सप्रेस गाड़ी को प्रतिदिन डीजल से चलाए जाने सम्बन्धी निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : 504 डाउन मरुधर एक्सप्रेस जोधपुर से सुबह 6.00 बजे रवाना होती है और 13.35 बजे जयपुर पहुंचती है। वही रेक 503 अप के रूप में वापस 14.45 बजे जयपुर से चलता है और 22.05 बजे जोधपुर पहुंचता है। पूरी रात वह रेक जोधपुर में खड़ा रहता है। चूंकि रात्रि के दौरान समुचित अनुरक्षण के लिए जोधपुर में पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, यह अत्यावश्यक है कि सप्ताह में एक बार दिन के समय इस गाड़ी का पूरा-पूरा अनुरक्षण किया जाये। इसी प्रयोजन से इस गाड़ी को बुधवार को नहीं चलाया जा रहा है। यह गाड़ी सप्ताह में 6 दिन चलती है। इस गाड़ी को प्रतिदिन चलाए जाने के लिए एक अतिरिक्त रेक की आवश्यकता होगी। मीटर लाइन के डीजल रेल इन्जनों की कमी और संसाधनों की समग्र कठिनाइयों के अन्तर्गत लम्बी दूरी की गाड़ियों में डीजल इंजन लगाने को प्राथमिकता दिए जाने के कारण इस गाड़ी का डीजलीकरण संभव नहीं हुआ है।

कोचीन बन्दरगाह में माल उतारने चढ़ाने सम्बन्धी गतिविधियां तथा यातायात

1889. **श्री ईरा अनबारासु :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन बन्दरगाह में 9 शुष्क माल-घाटों की क्षमता 98.22 लाख मीटरी टन होने के बावजूद 1977-78 से 1981-82 के दौरान 7.98 लाख मीटरी टन से और 10.71 लाख मीटरी टन तक माल उतारे चढ़ाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) 1969-70 से 1980-81 के दौरान यातायात में केवल 9 प्रतिशत वृद्धि के क्या कारण हैं जबकि कोचीन बन्दरगाह में प्रशासकीय कर्मचारियों की संख्या में 40 प्रतिशत वृद्धि हुई ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) यह सच नहीं है कि कोचीन पोर्ट की माल उतारने चढ़ाने की क्षमता 98.22 लाख टन है। कोचीन पोर्ट की बर्थ क्षमता निम्न प्रकार है:

8 हाफ बर्थ	1.20 मिलियन टन
3 अजेटी बर्थ और मूरिंग	0.45 ,,
उर्वरक बर्थ	0.30 ,,
कुल	1.95 मिलियन टन

उपरोक्त की तुलना में कोचीन पोर्ट में पिछले कुछ वर्षों में माल निम्न प्रकार उतारा चढ़ाया गया :

1977-78	1.36 मिलियन टन
1978-79	1.63 ,,
1979-80	1.59 ,,
1980-81	1.27 ,,

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारत में निर्मित डायलेसिस मशीन का कार्यकरण

1890. **श्री नवीन रवाणी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने डायलेसिस मशीन बनाई है;

(ख) क्या उस मशीन का कोई परीक्षण किया गया है और इसका कार्यकरण कैसा पाया गया; और

(ग) यदि इसका कार्यकरण संतोषजनक रहा, तो निर्धन मरीजों के लिए और अधिक मशीनें बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) यह बताया गया है कि एक प्राइवेट फर्म ने डायलिसिस मशीन का एक प्रोटोटाइप तैयार किया है।

(ख) और (ग) इस मशीन पर अभी क्लीनिकी परीक्षण किए जा रहे बताए जाते हैं।

ब्रह्मपुत्र नदी पर दूसरे सड़क एवं रेल पुल का निर्माण

1891. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती**

डा० कृपा सिंधु भोई : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी पर दूसरे सड़क एवं रेल पुल के निर्माण के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : असम में ब्रह्मपुत्र पर जोगीघोपा और डिब्रूगढ़ में दो रेल एवं सड़क पुलों की जांच-पड़ताल की जा रही है जहां तक जोगीघोपा पर पुल का सम्बन्ध है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए मंत्रियों तथा सचिवों की समिति ने जोगीघोपा/पंचरतनघाट से गुवाहटी तक (136 कि०मी०) दक्षिणी तट पर रेल सम्पर्क सम्बद्ध करते हुए जोगीघोपा में रेल एवं सड़क पुल के निर्माण की सिफारिश की है। रेल मत्रालय ने इस मिश्रित योजना का अनुमोदन कर दिया है और रेलवे की छठी योजना में शामिल करने के लिए योजना आयोग को उनकी स्वीकृति देने के लिए लिखा गया है। योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त होने पर आगे कार्रवाई की जायेगी। डिब्रूगढ़ के पुल के सम्बन्ध में, मैसर्स राइट्स से अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त होने तथा उत्तर पूर्वी परिषद और अन्य सम्बद्ध विभागों के साथ परामर्श करके सभी दृष्टिकोणों से जाँच करने के बाद आगे विचार किया जायेगा।

तिनसुखिया के लिए बड़ी लाइन सुविधा जुटाना

1892. श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तिनसुखिया के लिए बड़ी लाइन की सुविधाएं जुटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : तिनसुकिया के रास्ते गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ खंड का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन स्वीकृत हो गया था तथा इसे 100 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 1981-82 के बजट में शामिल कर लिया गया था। अन्तिम स्थान निर्धारण इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण प्रगति पर है। आमान परिवर्तन की इस परियोजना की स्वीकृति के पश्चात्, गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ के बीच सीधी आमान परिवर्तन परियोजना के स्थान पर ब्रह्मपुत्र घाटी से होती हुई असम के सभी महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने के लिए गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ तक एक नयी बड़ी लाइन बिछाने के लिए विभिन्न स्त्रोतों से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। उत्तर-पूर्वी परिषद ने अपनी लागत पर इस वैकल्पिक संरक्षण के सर्वेक्षण को प्रायोजित किया है तथा सर्वेक्षण प्रगति पर है। चूंकि दोनों ही विकल्पों का सर्वेक्षण किया जा रहा है, अत: सर्वेक्षण रिपोर्टें प्राप्त होने तथा उनकी सभी पहलुओं से जाँच करने के पश्चात् ही निर्णय लिया जायेगा। इसलिए गुवाहाटी से आगे आमान परिवर्तन के कार्य को सर्वेक्षण रिपोर्टें प्राप्त होने तथा उनके गहन अध्ययन के पश्चात् शुरू किया जाएगा।

भारत-अमेरिकी सम्बन्ध

1893. श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रधान मंत्री ने हाल ही के संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे के बाद भारत-अमेरिकी सम्बन्धों में कोई सुधार हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) जी, हाँ। दोनों पक्षों के सरकारी प्रवक्ताओं ने ऐसे कई क्षेत्रों का स्पष्ट उल्लेख किया है, जिनमें दोनों पक्षों के बीच सहमति और समझौता हुआ था।

समुद्रपारीय निजी निवेश निगम का एक प्रतिनिधि-मंडल, भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच और आर्थिक सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए भारत की यात्रा करेगा। दोनों पक्ष व्यापार-मण्डलों के आदान-प्रदान पर भी सहमत हो गए हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्राथमिकता वाले विषयों का पता लगाने के लिए एक ब्लू रिबन पेनल का गठन किया गया है। राष्ट्रपति रीगन के विज्ञान सलाहकार डा० कीवर्थ को उक्त पैनल के अमरीकी पक्ष का नेतृत्व करने के लिए नामांकित किया गया है, और उम्मीद है कि वे प्रारम्भिक बातचीत के लिए इस महीने के अन्त में भारत आयेंगे।

शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी भारत-अमरीकी उप-आयोग ने यह निर्णय किया है कि वह अधिक व्यापक और विविध सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से आगामी वर्षों में जोरदार प्रयत्न करेगा।

यही वे प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनमें प्रधान मंत्री की हाल ही की अमरीका यात्रा के परिणामस्वरूप भारत-अमरीकी सम्बन्धों को मजबूत बनाने में प्रगति हुई है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य

1894. **श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे कितने संकाय सदस्य, मंडल आयोग की रिपोर्ट में बताए गए पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित हैं ;

(ख) विश्वविद्यालय में उन्नत जातियों के संकाय सदस्यों की संख्या की तुलना में पिछड़े हुए वर्गों की प्रतिशतता कितनी है ;

(ग) क्या विश्वविद्यालय ने पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को विगत में रियायत की तरजीह देने की किसी नीति का पालन किया है ताकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भर्ती में उन्हें आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जा सके ; और

(घ) यदि उन्हें ऐसी कोई रियायत नहीं दी गई है, तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में पिछड़े हुए वर्गों के उम्मीदवारों को तरजह दी जाए, सरकार का विचार विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को अनुदेश देने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में अनूसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों को छोड़कर जातियों या वर्गों के बारे में न तो आकड़े एकत्र करता है और न ही रखता है । अतः प्रश्न में मांगी गई सूचना विश्वविद्यालय में न तो उपलब्ध है और न ही संकाय सदस्यों से सूचना प्राप्त करना व्यवहार्य है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में भर्ती के मामले में पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को अधिमान्यता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा निर्णय लेने के बाद इस मामले में विचार किया जाएगा ।

गुरुवायूर-कुट्टीपुरम रेलवे लाइन

1895. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की गुरुवायूर-कुट्टीपुरम रेलवे लाइन का कार्य आरम्भ करने को स्वीकृति देने में सरकार की ओर से विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस लाइन पर कार्य कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) ससाधनों की स्थिति में तगी को देखते हुए फिलहाल इस परियोजना को हाथ में लेने का प्रस्ताव नहीं है ।

दक्षिण रेलवे कर्मचारी यूनियन का ज्ञापन

1896. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, दक्षिण रेलवे कर्मचारी यूनियन द्वारा डिवीजनल मैनेजर, मदुरई डिवीजन, दक्षिण रेलवे, को भेजा गया दिनांक 21 सितम्बर, 1982 का ज्ञापन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में क्या मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं ; और

(ग) उन शिकायतों के समाधान के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) दिनांक 21 अगस्त, 1982 (दिनांक 21 सितम्बर, 1982 नहीं) का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इस ज्ञापन में छटनी किए गए नैमित्तिक श्रमिकों की पुनर्नियुक्ति, कर्मचारियों के स्थानान्तरण, देय राशि के भुगतान और सेवा निवृत्ति लाभों आदि से सम्बन्धित स्थानीय मामलों का उल्लेख है।

सरकार की नीति के अनुसार किसी भी स्त्रोत से प्राप्त कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर यथोचित विचार किया जाता है और यथासम्भव कार्रवाई की जाती है। दक्षिण रेलवे कर्मचारी यूनियन, मदुरै मंडल, दक्षिण रेलवे से प्राप्त ज्ञापन पर भी इस नीति के अनुसार कार्रवाई की गयी है।

इंडियन इंस्टीच्यूट आफ एडवांस स्टडीस, शिमला के निदेशक की नियुक्ति

1897. **श्री आनन्द सिंह** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ एडवांस स्टडीज, शिमला के निदेशक की नियुक्ति को लम्बे समय से स्थगित रख गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का इसके निदेशक की नियुक्ति कब तक करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) 1977 में सरकार ने संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया था। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक यह निर्णय किया गया था कि नियमित निदेशक की नियुक्ति को स्थगित रखा जाए। अन्ततः सरकार ने 1979 में यह निर्णय किया था कि संस्थान को बन्द कर दिया जाना चाहिए। बाद में इस निर्णय की समीक्षा की गई और सरकार ने यह निर्णय लिया कि संस्थान को कार्य करना जारी रखना चाहिए बशर्ते की उनके कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों की पुनः संरचना तथा पुनः आयोजन किया जाए। योजना को पुनः आयोजित करने के ब्योरों को अंतिम रूप दिए जाने तक नए निदेशक की नियुक्ति को स्थगित रखा गया।

(ग) नए निदेशक की नियुक्ति संस्थान के शासी निकाय द्वारा की जानी है। शासी निकाय का गठन हो जाने के बाद ही उसकी नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्रवाई शीघ्र शुरू की जायेगी।

हटिया-चण्डीगढ़ एक्सप्रेस और टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस के साथ लगे प्रथम श्रेणी के डिब्बे

1898. **श्री एन०ई० होरो** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हटिया-चण्डीगढ़ एक्सप्रेस और टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस में लगे प्रथम श्रेणी के डिब्बे पुराने तथा कंडम घोषित कर दिए गए हैं जिनमें न तो पंखे हैं और न प्रकाश व्यवस्था काम करती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन दोनों गाड़ियों में कोई डायनिंग कार नहीं जोड़ी गयी है जिसके परिणामस्वरूप यात्रा कर रही जनता को असुविधा होती है ; और

(ग) क्या यात्रा करने वाली जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं । हटिया-चण्डीगढ़ एक्सप्रेस और टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस गाड़ियों के सवारी डिब्बे 15 से 20 वर्ष की आयु ग्रुप के अन्तर्गत आते हैं और रोशनी तथा पखों सहित इनकी हालत संतोषजनक है । टाटा और हटिया स्थित आधार स्टेशनों पर सवारी डिब्बों के अनुरक्षण का काम गहन कर दिया गया है और गुंडागर्दी के कारण आयी खराबियों को दूर करने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि पंखों और रोशनी सहित सुविधा फिटिंगों का समुचित रूप से काम किया जाना सुनिश्चित किया जा सके ।

(ख) टाटानगर और चुनार के बीच टाटानगर-अमृतसर एक्सप्रेस में पहले ही पेन्ट्रीकार सेवा उपलब्ध है । चुनार और अमृतसर के बीच इस गाड़ी में खान-पान सम्बन्धी आवश्यकताएं स्थायी खान-पान यूनिटों के माध्यम से पूरी हो जाती हैं । ये सेवाए पर्याप्त समझी जाती हैं । हटिया-चण्डीगढ़ एक्सप्रेस गाड़ी के लिए मार्गवर्ती स्टेशनों पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है और यह संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अनपढ़ बच्चों की संख्या

1899. **श्री एन० ई० होरो** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे लोगों की संख्या क्या है जो अशिक्षित हैं तथा कितने बच्चे कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं ; और

(ख) एक निर्धारित अवधि में लोगों की निरक्षरता को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार देश में सभी आयु-वर्गों (0-4 सहित) में निरक्षर लोगों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निरक्षरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) प्रारम्भिक शिक्षा (प्रौढ़ शिक्षा सहित) को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक भाग बना दिया गया है ।

(ii) प्रारम्भिक शिक्षा को सर्व-सुलभ बनाने और प्रौढ़ निरक्षरता के उन्मूलन को बीस-सूत्री कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है ।

(iii) प्रारम्भिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित अनौपचारिक शिक्षा की योजना के अन्तर्गत शैक्षिक रूप में पिछड़े राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ।

(iv) केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता और राज्य प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाओं के अन्तर्गत ऐसे जिलों/क्षेत्रों को शामिल किए जाने पर बल दिया जा रहा है जिनमें साक्षरता पर औसत-राष्ट्रीय साक्षरता पर से कम है । 243 जिलों में से 199 जिले पहले ही शामिल किए जा चुके हैं ।

विवरण

(आंकड़े लाखों में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निरक्षरों की अस्थायी कुल संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	आन्ध्र प्रदेश	374.15
2.	असम	*
3.	बिहार	516.80
4.	गुजरात	191.03
5.	हरियाणा	82.45
6.	हिमाचल प्रदेश	24.61
7.	जम्मू और कश्मीर	43.96
8.	कर्नाटक	228.14
9.	केरल	78.31
10.	मध्य प्रदेश	376.30

* असम को छोड़कर

(1)	(2)	(3)
11.	महाराष्ट्र	329.98
12.	मणिपुर	8.32
13.	मेघालय	8.87
14.	नागालैण्ड	4.48
15.	उड़ीसा	173.07
16.	पंजाब	98.78
17.	राजस्थान	259.01
18.	सिक्किम	2.09
19.	तमिलनाडु	261.85
20.	त्रिपुरा	12.03
21.	उत्तर प्रदेश	805.00
22.	पश्चिम बंगाल	322.14
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.91
24.	अरुणाचल प्रदेश	5.02
25.	चण्डीगढ़	1.59
26.	दादरा और नागर हवेली	0.76
27.	दिल्ली	24.12
28.	गोवा, दमन दीव	4.78
29.	लक्षद्वीप	0.18
30.	मिजोरम	1.98
31.	पाण्डिचेरी	2.76
	योग	4243.27

देश में कुपोषण के शिकार लोग

1900. **श्री एन० ई० होरो :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने लोग कुपोषण के शिकार हैं और जिनको चिकित्सकीय सेवा नहीं मिलती है ; और

(ख) सरकार ने एक निश्चित समय सीमा के अन्दर लोगों को कुपोषण से बचाने और सभी लोगों तक चिकित्सकीय सेवा पहुंचाने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) 1979 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा 10 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु और उड़ीसा में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार आठ प्रतिशत स्कूलपूर्व बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं।

कुपोषण को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित पोषण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं :—

1. महिलाओं और बच्चों के लाभ के लिए समाज कल्याण मंत्रालय के जरिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम।
2. पूरक-पोषाहार, पीने का साफ पानी, रोग क्षमीकरण, रेफरले सेवाएं, स्वास्थ्य की जाँच आदि जैसी मिलीजुली सेवाएं प्रदान करने की समाज कल्याण मन्त्रालय द्वारा चलाई जा रही एकीकृत बाल-विकास सेवा योजनाएं।
3. स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए शिक्षा मन्त्रालय द्वारा मध्याह्न आहार कार्यक्रम।
4. महिलाओं और बच्चों के लाभ के लिए अपोषणज अरकतता से बचाव करने के लिए रोग निरोधी कार्यक्रम। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हर वर्ष एक करोड़ 20 लाख गर्भवती महिलाओं और एक करोड़ 20 लाख बच्चों को इस योजना के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है।
5. एक से छह वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को विटामिन ए की कमी से होने वाली दृष्टिहीनता से बचाने के लिए रोग निवारक कार्यक्रम। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हर वर्ष 2 करोड़ 50 लाख बच्चों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है।

"2000 ई० तक सबके लिए स्वास्थ्य" के उद्देश्य के संदर्भ में एकीकृत कार्य नीति पर जोर दिया जा रहा है जिसमें स्वास्थ्य परिचर्या के निवारक, स्वास्थ्य वर्धक, उपचारात्मक, और पुनर्वासात्मक पहलू शामिल है। इस कार्य नीति के अन्तर्गत प्रत्येक 1000 लोगों के लिए एक स्वास्थ्य गाइड, साधारण क्षेत्रों में हर 5 हजार लोगों के लिए

तथा पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में हर तीन हजार लोगों के लिए एक उप-केन्द्र और सामान्य क्षेत्रों में हर 30,000 लोगों के लिए तथा आदिवासी क्षेत्रों में 20000 लोगों के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होगा। ग्राम स्वास्थ्य गाइड के बारे में उपर्युक्त लक्ष्य मार्च 1984 तक पूरा कर लेने का कार्यक्रम है।

कमजोर वर्गों के प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति

1901. **श्री भीखा भाई :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों में समाज के पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति/पुस्तकें (मुफ्त) दी जाती हैं ;

(ख) क्या ऐसे लाभार्थियों की वार्षिक आय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समतुल्य होनी चाहिए ; यदि नहीं, तो इस असंगति के क्या कारण हैं ; और

(ग) निर्धन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति की कुल कितनी धनराशि दी जाती है और क्या 1977 में दी गई छात्रवृत्ति की तुलना में इस राशि में कोई वृद्धि की गई है ?

शिक्षा तथा संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) वर्ष 1977 में दी गई छात्रवृत्ति की राशि की तुलना में 2,21,610/- रु० की वृद्धि है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	अनुसूचित जाति के छात्र	अन्य
1981-82	3,96,300	2,01,490
1977-78	1,95,210	1,80,970
अन्तर	2,01,090	20,520
कुल वृद्धि	2,21,610 रु०	

ग्वालियर और शिवपुर के बीच रेल गाड़ियों का देर से चलना

1902. **श्री एन०के० शेजवलकर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह महीनों में ग्वालियर से शिवपुर जाने और वापस आने वाली रेलगाड़ी (छोटी लाइन) कितनी बार एक घंटे से अधिक देर से चली ; और

(ख) इस रेलगाड़ी का इंजन कितनी बार फेल हो गया ?

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अप्रैल 1982 से सितम्बर 1982 तक की अवधि के दौरान ग्वालियर से शिवपुर कलां और शिवपुर कलां से ग्वालियर की दिशा में छोटी लाइन की गाड़ी क्रमश: 55 और 40 बार एक घंटा से अधिक विलम्ब से चली।

(ख) इस अवधि के दौरान, छोटी लाइन का इंजन 11 बार खराब हुआ।

पाकिस्तानी नेत्र विशेषज्ञ दल का भारत का दौरा

1904. **श्री जी० नरसिन्हा रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी नेत्र विशेषज्ञ दल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था ;

(ख) क्या पाकिस्तान में नेत्र रोग अनुसंधान और चिकित्सा के विकास के लिए पाकिस्तानी दल ने भारत से सहायता मांगी थी ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) हां।

(ख) नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

छह घातक रोगों के बच्चों की मृत्यु तथा पंगुता

1905. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत पांच वर्षों से बच्चों की मृत्यु और पंगुता की प्रतिशतता बढ़ रही है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बताए गए छह, घातक रोगों अर्थात खसरा, पोलियो, टी०बी०, डिपिथरिया, काली खांसी तथा टेटनस, से बच्चों को असंक्राम्भ करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) गत पांच वर्षों में उपरोक्त रोगों में से प्रत्येक के विरुद्ध असंक्रमीकरण की प्रतिशतता क्या है ;

(घ) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशीतन क्षमता के लिए और ऊर्जा का उपयोग करके वैक्सीन की शक्ति को बनाए रखने हेतु अनिवार्य "कोल्ड चेन" स्थापित करने की नई योजना पर विचार कर रही है ; और

(ङ) क्या अमरीका अन्तरिक्ष कार्यक्रम द्वारा विकसित विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्र परीक्षण योजना भारत में आरम्भ हो गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान शिशु मृत्यु दर तथा शिशु विकलांगता की घटनाओं में वृद्धि हुई है ।

(ख) देश में रोग प्रतिरक्षण सेवाओं को एकीकृत करने और विस्तारित करने के उद्देश्य से रोग प्रतिरक्षण सम्बन्धी एक विस्तारित कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें डी०टी०, टी०टी०, डी०पी०टी०, टायफाइड, बी०सी०जी० तथा पोलियो के टीके लगाने की व्यवस्था है । इस कार्यक्रम में खसरे के टीके को शामिल नहीं किया गया है लेकिन यह टीका खास-खास मेडिकल कालेजों को दिया जा रहा है ।

(ग) 1975-76 से जितने लाभार्थियों को टीके लगाए गए उनकी संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) और (ङ) क्षेत्रीय परीक्षण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से अक्तूबर, 1981 में एक सोलर रेफ्रीजरेटर प्राप्त हुआ था । वैसे, फिलहाल सोलर रेफ्रीजरेटरों का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ये व्यापक उपयोग के लिए बहुत ही मंहगे हैं ।

विवरण

1975 से 1981 तक लगाये गये टीके

(आंकड़े लाखों में)

टीके	लाभार्थी					
	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
डी०पी०टी०	241	402	781	68	63	71
पोलियो	———	शुरू नहीं किया गया	———		07	15
बी०सी०जी	138	146	129	133	141	133
डी०टी०	128	272	654	72	107	100
टायफायड	———	शुरू नहीं किया गया	———		04	17
टी०टी० (स्कूल के बच्चों को)	———	तदैव	———			03
टी०टी० (गर्भवती महिलाओं को)	145	24	35	37	47	70

बम्बई गोदी में चोरी की घटनाएं

1906. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई गोदी में चोरी की घटनाओं में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है ;

(ख) चोरियों के सम्बन्ध में आंकड़े क्या हैं, और 1982 के दौरान अब तक कितने मूल्य की वस्तुओं की चोरी हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसके अतिरिक्त बम्बई बन्दरगाह में चोरी की ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला;

(घ) यदि हां, तो चोरी की उन घटनाओं की संख्या क्या है और वर्ष 1979-80, 1980-81, 1981-82 के दौरान कितने मूल्य की वस्तुएं चोरी हुई; और

(ङ) पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारियों, पुलिस, निकासी एजेन्टों, व्यापारियों और तस्करों के सहयोग से कार्य कर रहे संगठित गिरोह का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) यह कहना सही नहीं है कि बम्बई की गोदियों में चोरी की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। वस्तुतः स्थिति में सुधार हो रहा है। अप्रैल से अगस्त 1982 की अवधि के दौरान 14.50 लाख रुपए का माल चोरी हुआ जबकि गत वर्षों के दौरान इन्हीं दिनों 69.17 लाख रुपए का माल चोरी हुआ था।

(ख) 1982 के दौरान अब तक चोरी गए माल और उसकी कीमत का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	जनवरी 1982 से अगस्त 1982 (अनन्तिम)
1. पंजीकृत-संपत्ति के अपराधों की संख्या	138
2. पकड़े गए मामले	1
3. गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	188
4. चोरी गए माल की कीमत	55.67 (लाख रुपए)
5. बरामद माल की कीमत	44·75 („)
6. बरामद माल की घटनाओं का प्रतिशत	80.38

(ग) और (घ) उक्त सूचना राज्य पुलिस अधिकारियों ने दी है जिन्हें चोरी की

घटनाओं को पंजीकृत करने, चोरी की जांच/पता लगाने, चोरी हुए माल को जब्त/बरामद करने, अपराधियों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने के अधिकार प्राप्त हैं। पत्तन न्यास को किसी भी ऐसी चोरी का पता नहीं है जो उसके ध्यान में नहीं आई हो।

(ङ) इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है कि पत्तन न्यास के अधिकारियों, पुलिस, क्लीयरिंग एजेन्ट, व्यापारियों और तस्करों के सहयोग से एक सुनियोजित गिरोह कार्य कर रहा है।

गोदियों में सुरक्षा को सुदृढ करने के लिए सरकार ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को बम्बई पत्तन में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। पहले चरण में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लगभग 710 कार्मिकों को नियुक्त किया जाएगा।

विकलांग छात्रों के लिये समेकित शिक्षा के बारे में राज्यों की प्रतिक्रिया

1907. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "विकलांग छात्रों के लिए समेकित शिक्षा" हेतु संशोधित योजना को मार्च, 1981 से विभिन्न राज्यों से अधिक प्रोत्साहन नहीं मिला है;

(ख) संशोधित योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) प्रत्येक प्रस्ताव के प्राप्त होने की तिथि, 100 प्रतिशत आधार पर वित्तीय भागीदारी, छात्रों की संख्या तथा कालिज अथवा स्कूल के स्थान क्या हैं; और

(घ) प्रत्येक प्रस्ताव के लिए 100 प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना आधार पर वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के लिए वास्तव में कितनी राशि मंजूर की गयी अथवा भुगतान किया गया ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) विकलांग व्यक्तियों के लिए संशोधित समेकित शिक्षा योजना के प्रति राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों का रवैया बहुत उत्साहपूर्ण रहा है। 1981-82 के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को 74.23 लाख रुपए की कुल धनराशि प्रदान की गई जबकि 1980-81 और 1979-80 में क्रमश: 4.56 लाख और 5.16 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई थी।

(ख) से (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने समेकित शिक्षा योजना के कार्यान्वयन के लिए

जुलाई 1981 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें 27 स्कूलों के 216 छात्रों पर 5.90 लाख रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1981-82 के दौरान योजना के कार्यान्वियन हेतु 5.80 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की थी। राज्य सरकार ने जुलाई 1982 में 8.95 लाख रुपए की राशि 1982-83 में योजना को जारी रखने के लिए दुबारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

निरक्षरों की प्रतिशतता

1908. **डा० बसंत कुमार पंडित:** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1981 की जनगणना के अनुसार निरक्षरों की प्रतिशतता के आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध हैं, और यदि हां, तो निरक्षरों की राज्यवार प्रतिशतता कितनी है और गत दो दशकों के दौरान प्रत्येक राज्य में कितनी तुलनात्मक प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान निरक्षरता कम करने के लिए कोई विशेष कदम उठाने की योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और उस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य के लिए कितनी राशि का नियमित किया गया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की अनिवार्य शिक्षा के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से कोई कानून लागू करने का है; और यदि हां, तो सत्सम्बन्धी प्रस्ताव क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार निरक्षता के अनन्तिम आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध हैं। पिछले दो दशकों के दौरान, निरक्षरों की राज्यवार प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण 1 संलग्न है।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान साक्षरता सुधार लाने हेतु निम्न-लिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) प्रारम्भिक शिक्षा (प्रौढ़ शिक्षा सहित) को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का अंश बनाया गया है।

(ii) नए बीस सूत्री कार्यक्रम में प्रारम्भिक शिक्षा को सर्व-सुलभ बनाने और प्रौढ़ निरक्षरता के उन्मूलन को शामिल किया गया है।

(iii) प्रारम्भिक आयु-वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की केन्द्रीय

प्रायोजित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक तौर पर पिछड़े राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

(iv) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं और राज्य प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाओं को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय औसत से निरक्षरता की कम दर वाले शामिल किए जाने वाले जिलों/क्षेत्रों पर बल दिया जा रहा है। ऐसे 243 जिलों में से 199 जिले पहले ही शामिल किए जा चुके हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना के लिए निधियों का राज्यवार आवंटन दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(घ) जी नहीं। 16 राज्यों और 3 संघीय क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू हैं।

विवरण-I

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल जनसंख्या की निरक्षरता का प्रतिशतता		
		1961	1971	1981*
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	78·81	75·43	70·28
2.	असम	73·02	71·85	उपलब्ध नहीं है
3.	बिहार	81·60	80·06	73·99
4.	गुजरात	69·55	64·21	56·25
5.	हरियाणा	80·07	73·11	64·16
6.	हिमाचल प्रदेश	78·74	68·04	58·06
7.	जम्मू और काश्मीर	88·97	81·42	73·83
8.	कर्नाटक	74·60	68·48	61·59
9.	केरल	53·15	39·58	30·83
10.	मध्य प्रदेश	82·87	77·86	72·18
11.	महाराष्ट्र	70·18	60·82	52·98
12.	मणिपुर	69·58	67·09	58·48
13.	मेघालय	73·08	70·51	66·65

1	2	3	4	5
14.	नागालैंड	82·09	72·60	58·01
15.	उड़ीसा	78·34	73·82	65·88
16.	पंजाब	73·26	66·33	59·26
17.	राजस्थान	84·79	80·93	75·95
18.	सिक्किम	87·67	82·26	66·08
19.	तमिलनाडु	68·59	60·54	54·22
20.	त्रिपुरा	79·76	69·02	58·22
21.	उत्तर प्रदेश	82·35	78·30	72··0
22.	प० बंगाल	70·72	66·80	59·12
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	66·37	56·41	48·75
24.	अरुणाचल प्रदेश	92·87	88·71	79·91
25.	चंडीगढ़	48·94	38·44	35·32
26.	दादरा व नागर हवेली	90·52	85·03	73·40
27.	दिल्ली	47·25	44·39	38·94
28.	गोवा दमन व दीव	69·25	55·25	44·14
29.	लक्षद्वीप	76·73	56·34	45·28
30.	मिजोरम	55·99	46·21	40·50
31.	पाण्डिचेरी	62·57	53·98	45·93

*असम को छोड़कर आंकड़े अनन्तिम हैं ।

विवरण-II

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	(रु० लाखों में) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में निर्धारित परिव्यय	
1	2	3	4
		प्रारम्भिक शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा
1.	आंध्र प्रदेश	3550	300
2.	असम	5000	250

1	2	3	4
3.	बिहार	10000	1000
4.	गुजरात	3100	400
5.	हरियाणा	2100	कुछ नहीं
6.	हिमाचल प्रदेश	800	22
7.	जम्मू व कश्मीर	1800	150
8.	कर्नाटक	2500	500
9.	केरल	1600	50
10.	मध्य प्रदेश	5710	750
11.	महाराष्ट्र	2800	500
12.	मणिपुर	560	40
13.	मेघालय	500	20
14.	नागालैंड	450	30
15.	उड़ीसा	2600	200
16.	पंजाब	2100	100
17.	राजस्थान	6500	400
18.	सिक्किम	380	10
19.	तमिलनाडु	2000	400
20.	त्रिपुरा	850	90
21.	उत्तर प्रदेश	10755	545
22.	प० बंगाल	12000	750
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	425	9
24.	अरुणाचल प्रदेश	2700	20
25.	चण्डीगढ़	400	18
26.	दादरा व नागर हवेली	65	5
27.	दिल्ली	2300	150
28.	गोवा, दमन व दीव	321	59
29.	लक्षद्वीप	57	1

1	2	3	4
30.	मिजोरम	500	20
31.	पाण्डिचेरी	184	11
	कुल	85107	6800
	केन्द्र	5430	6000
	कुल जोड़	90537	12800

सम्बलपुर-तलचर रेल लाइन परियोजना

1909. **डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्बलपुर-तलवर रेल लाइन के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या चालू छठी योजनावधि में इस परियोजना के लिए कोई प्रावधान किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा प्रस्तावित लाइन के भाग और पूर्व प्रस्तावित लाइन की यातायात सम्बन्धी संभावनाओं का पुन: सर्वेक्षण किया गया है और परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । परियोजना रिपोर्ट के प्राप्त होने और उसकी जाँच करने के बाद इस मामले में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मलेरिया के मच्छरों की अवरोधक शक्ति का कारण घटिया कीटनाशियों का प्रयोग

1910. **डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घटिया कीटनाशियों का प्रयोग, जिनके विरुद्ध मलेरिया के मच्छरों में अवरोधक शक्ति पैदा हो गई है, और औषधि के केन्द्रीय छिड़काव की उपेक्षा के कारण देश में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के पिछड़ जाने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश से मलेरिया का उन्मूलन करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मलेरिया की समस्या का सामना करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) निगरानी कार्यकर्ता पखवाड़े में एक बार हर गांव का बुखार ग्रस्त रोगियों का पता लगाने, रक्त के नमूने एकत्र करने और अनुमानित इलाज करने के लिए दौरा करता है ।

(2) बुखार वाले रोगियों के रक्त के नमूने की शीघ्र जांच करने तथा मलेरिया के पाजिटिव रोगियों का रेडिकल इलाज करने के लिए प्रयोगशालाओं का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है और अब वे प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्य कर रही हैं ।

(3) गांवों में औषधि वितरण केन्द्र और ज्वर उपचार डीपू कार्यरत हैं ताकि बुखार वाले रोगियों को औषधियां अविलम्ब उपलब्ध की जा सकें ।

(4) जिन ग्रामीण इलाकों में प्रति वर्ष प्रति हजार दो या दो से अधिक व्यक्तियों को मलेरिया हो जाता हो उन सभी इलाकों में कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव किया जाता है ।

(5) 72 जोनल संगठनों में 72 कीट विज्ञानात्मक उपकरणों की व्यवस्था की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली कीटनाशी दवाइयां डी०डी०टी०, बी०एच०सी० और मलेथियन का मलेरिया-वाहक मच्छरों पर क्या प्रभाव पड़ता है ।

माल डिब्बों की उपलब्धता और वितरण

1911. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रेलवे के पास कुल कितने माल-डिब्बे उपलब्ध हैं ;

(ख) जनवरी, 1980 से अब तक विभिन्न जोनल रेलवेज में माल-डिब्बों के वितरण की क्या स्थिति रही ;

(ग) जनवरी, 1980 से कितने माल-डिब्बों का प्रयोग नहीं किया गया तथा उसके क्या कारण हैं ;

(घ) देश में माल डिब्बों की कुल कितनी मांग है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि देश में माल-डिब्बों की कमी है ; यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बड़ी लाइन तथा मीटर लाइन पर चौपहियों के हिसाब से माल डिब्बों की औसत संख्या लगभग 4,10,000 और 10,500 है ।

(ख) जनवरी, 1980 से सभी भारतीय रेलों पर माल डिब्बों की औसत संख्या दर्शाने वाले आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

[ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या 5503/82]

(ग) अगस्त, 1982 के दौरान माल डिब्बों की मांग में कमी के कारण 10,000 माल डिब्बे बेकार खड़े रहे । सितम्बर के दौरान इनकी संख्या घटकर 3000 रह गयी थी क्योंकि लदान की मात्रा बढ़ गयी थी । वस्तुत: टंकी माल डिब्बों को छोड़कर, अब माल डिब्बों का व्यर्थ खड़े रहना समाप्त हो गया क्योंकि ढुलाई में और सुधार हो गया है । 1980 में माल डिब्बों के फेरे अधिक होने के कारण पहले कोई माल डिब्बा बेकार नहीं रहा । बाद में माल डिब्बों के फेरों में और सुधार हुआ लेकिन परिवहन की अधूरी मांग को पूरा करने के लिए सभी माल डिब्बों का इस्तेमाल किया गया था ।

(घ) रेलें बड़ी लाइन पर 25000 से 27000 माल डिब्बों तथा मीटर लाइन पर 4600 से 5000 माल डिब्बों का दैनिक औसत प्रारम्भिक लदान करती हैं । पिछले तीन महीनों के दौरान बकाया मांग-पत्रों की संख्या इस प्रकार थी :—

महीना	ब०ला०	मी०ला०
जून 82	23113	11443
जुलाई 82	11976	7857
अगस्त 82	5155	4566

(ङ) जी नहीं ।

जफ्फरपुर (दिल्ली) में 100 बिस्तरे वाले अस्पताल की स्थापना

1912. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जफ्फरपुर (दिल्ली) में सौ शैय्या वाले एक अस्पताल का निर्माण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और देरी होने के तथा इसका शीघ्र निर्माण न किए जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन की छठी पंच वर्षीय योजना में जफरपुर में एक 100 पलंगों वाले अस्पताल के निर्माण का प्रावधान है। दिल्ली प्रशासन फाइनल प्लान और अनुमानों को अंतिम रूप दे रहा है। आशा है कि यह योजना जल्दी मंजूर हो जायेगी।

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नए वार्ड बनाना

1913. **श्री निहाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने नये वार्ड बनाए गए ;

(ख) अस्पताल में सफाई कर्मचारियों और रखरखाव कर्मचारियों की संख्या के तीन वर्ष पूर्व के एवं आज के तुलनीय आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस शिकायत की जाँच की है कि इन अस्पतालों के अधिकतर शौचालय तथा गुसलखाने पहले की आम सफाई की तुलना में आजकल प्रायः गंदे रहते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केवल डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल दग्ध (बर्न) वार्ड और प्रसूति वार्ड नामक दो नये वार्ड खोले गए।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) हालांकि सरकारी अस्पतालों में बहुत भीड़ रहती है फिर भी स्नानगृहों और शौचालयों को साफ सुथरा रखने के निरंतर प्रयत्न किए जाते हैं।

विवरण

केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में सफाई तथा रख-रखाव से सम्बन्धित कर्मचारियों की तीन वर्ष पहले वाली तथा वर्तमान संख्या का तुलनात्मक विवरण।

क्रम संख्या	केन्द्रीय सरकारी अस्पताल का नाम	सफाई तथा रख-रखाव संबंधी कर्मचारी	
		3 वर्ष पहले (1979 में)	मौजूद (1982 में)
1.	डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल	237	274
2.	सफदरजंग अस्पताल	396	410
3.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल	250	251
4.	कलावती सरन बाल अस्पताल	47	53

केन्द्र और राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा

1914. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा 'क' और 'ख' प्रदेशों के राज्यों को 1982 की पहली छमाही के दौरान कुल कितने मूल पत्र भेजे गए और हिन्दी तथा अंग्रेजी में उनकी अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) क्या राजभाषा अधिनियम 1963 में उपबन्ध है कि इन राज्यों को सभी मूल पत्र हिन्दी में भेजे जायें;

(ग) यदि हां, तो क्या इन राज्यों को मूल अंग्रेजी के पत्र भेजे गए हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या यह राजभाषा अधिनियम 1963 का उल्लंघन नहीं है; और

(घ) इन राज्यों को भविष्य में मूल पत्र हिन्दी में भेजने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नई रेलवे परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कथित बिलम्ब

1915. **श्री हरिहर सोरन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे की जिन नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जा रही है उनके कार्यान्वयन में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) ये नई स्वीकृत परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) धन की कमी के कारण नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ा है। इन्हें सन्तोषजनक गति से आगे बढ़ाने के लिए चालू परियोजनाओं के लिए उपलब्ध धन पर्याप्त नहीं है। संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण यह विनिश्चय किया गया है कि कुछेक चालू परियोजनाओं के लिए संसाधनों का उपयोग किया जाये तथा इन्हें जल्दी से यथोचित अवधि के भीतर पूरा किया जाये ताकि जनता को निवेश का शीघ्र लाभ मिल सके और दुर्लभ धन अनुत्पादक अपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च न होता रहे। इसके

साथ-साथ योजना आयोग से और अधिक धनराशि प्राप्त करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं ।

प्रबन्ध संस्थान

1916. **श्री हरिहर सोरन :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रबन्ध शिक्षा केन्द्रों के पाठ्यक्रम में पर्यावरण परिरक्षण का अध्ययन सम्मिलित करने के लिए प्रबन्ध संस्थानों को मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजने का है;

(ख) यदि हाँ, तो ये मार्गदर्शी सिद्धान्त कब तक भेजे जाएगे; और

(ग) इस बारे में सरकार का कार्यक्रम क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) कुछ प्रबन्ध संस्थाएं, प्रबन्ध शिक्षा पर अपने कार्यक्रम में, पर्यावरण अध्ययन पर वैकल्पिक/विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करती हैं । प्रबन्ध परिरक्षण अध्ययन, इन पाठ्यक्रमों के एक भाग के रूप में ही है । जबकि इस सम्बन्ध में प्रबन्ध संस्थाओं को दिशा-निर्देश भेजने के लिए, इस समय सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है फिर भी पर्यावरण विभाग के परामर्श से ऐसे दिशा-निदेश जारी करने की वांछनीयता की जांच करने की कार्रवाई शुरू की गई है ।

लेडी श्रीराम कालिज की छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार

1917. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लेडी श्रीराम कालिज की छात्राओं ने हाल ही में हुए छेड़खानी के मामलों के विरुद्ध जब लड़कों के एक दल ने छात्राओं को तंग किया तथा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया विरोध प्रकट करने के लिए 20 सितम्बर, 82 को एक सभा आयोजित की थी ।

(ख) क्या छात्राओं के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए उपकुलपति, पुलिस आयुक्त तथा दिल्ली परिवहन निगम के चेयरमैन इस बारे में चर्चा करने के लिए कालिज गए थे कि वह सुनिश्चित करने के लिए और क्या कार्यवाही की जाये कि कालिज छात्राओं को आगे तंग न किया जाये; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) इस सम्बन्ध में रिपोर्टें सरकार के ध्यान में आई हैं।

(ख) कालेज द्वारा एक बैठक की व्यवस्था की गई थी। जिसमें दिल्ली पुलिस तथा डी०टी०सी० के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कुलपति इस बैठक में भाग नहीं ले सके थे।

(ग) कालेज के चारों ओर पुलिस की गश्त तेज कर दी गई है, बन्द दरवाजे वाली एक विशेष बस शुरू कर दी गई है और 1.30 बजे अपराहन तथा 3.30 बजे अपराहन को कालेज से चलने वाली प्रत्येक महिला विशेष बस में एक पुलिस कर्मचारी को तैनात किया गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

1918. श्री रामावतार शास्त्री : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के एक बड़े दल ने अधिकारियों के साथ हुए समझौते को क्रियान्वित करने के लिए 20 सितम्बर, 1982 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामने प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी शिकायतें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय और कर्मचारी संघ के बीच हस्ताक्षरित करार के अनुसार, विश्वविद्यालय, जहां कहीं आवश्यक होगा, गैर-अध्यापन कर्मचारियों के लिए समयबद्ध पदोन्नति योजना को लागू करने, विश्वविद्यालय प्रेस के कर्मचारियों को 20 प्रतिशत बोनस की अदायगी, परिसर में स्कूल भवन के निर्माण, कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण, अध्यापकों और कर्मचारियों के ड्यूटी से अनुपस्थित होने के कारण "काम नहीं तो वेतन नहीं" से सम्बन्धित भेदभाव के प्रश्न की पुनः जांच करने और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक तंत्र की स्थापना सम्बन्धी मांगों की उपयुक्त प्राधिकारियों के परामर्श से जांच करने के लिए सहमत हो गया है।

बोनस की अदायगी केवल तभी की जाती है जब लाभ होते हैं। चालू वर्ष के दौरान प्रेस को नुकसान हुआ है, इसलिए कोई बोनस नहीं दिया गया। परिसर में सामाजिक केन्द्र स्कूल के निर्माण के लिए योजनाओं और प्राक्कलनों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। कर्मचारियों की तकलीफों तथा "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सम्बन्ध में अध्यापकों और कर्मचारियों के बीच भेदभाव के विशिष्ट प्रश्न पर विचार करने के लिए

समितियां गठित की गई हैं। करार के शेष मामलों अर्थात् पदोन्नति योजना, स्टाफ क्वार्टरों तथा अन्य सेवा शर्तों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति अपेक्षित है क्योंकि ये अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों पर भी लागू हैं। आयोग ने विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में मौजूदा वेतनमानों तथा पदोन्नति योजनाओं में किसी प्रकार की असमानता अथवा विकृतियों का पता लगाने के लिए हाल ही में एक समिति नियुक्त की है। गैर-अध्यापन कर्मचारियों की एक पदोन्नति तैयार करने के प्रश्न पर तभी विचार किया जाएगा जब यह समिति अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर देगी। स्टाफ क्वार्टरों के सम्बन्ध में, जीवन बीमा निगम, हुडको इत्यादि जैसी एजेंसियों से ऋणों इत्यादि के रूप में संसाधनों को पर्याप्त रूप से बढ़ाने की सम्भावना पर आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है। हाल ही में, आयोग ने विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई भविष्य निधि निवेशों से ऋण लेने की योजना को सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया है।

बंडेल तथा भद्रेश्वर के बीच तीसरी रेल लाइन

1919. **प्रो० रूपचन्द पाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे की हावड़ा डिवीजन में बडेल तथा भद्रेश्वर के बीच तीसरी रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय एवम् संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) शिवराफुली और बंडेल के बीच, जिसमें भद्रेश्वर से बंडेल तक का खंड शामिल है, लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण को स्वीकृति दे दी गई है और यह प्रगति पर है।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्ट को 1983-84 तक अंतिम रूप दे दिए जाने की आशा है।

बण्डेल में उपरिपुल का निर्माण

1920. **प्रो० रूपचन्द पाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बण्डेल में एक उपरिपुल का निर्माण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो विद्यमान सुरंग मार्ग में पानी जमा हो जाने की गम्भीर समस्या को हल करने तथा भीड़भाड़ को कम करने के लिए रेलवे का क्या वैकल्पिक उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय एवम् संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राज्य सरकार को रेलवे द्वारा वर्तमान यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निक्षेप शर्तों पर बंडेल उपमार्ग के बदले एक ऊपरी सड़क पुल का निर्माण करने के एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ख) अल्पकालिक उपाय के रूप में रेलवे ने पानी बाहर निकालने के लिए बिजली के पम्प लगाए हैं। सिविल प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके दीर्घकालीन उपायों पर विचार किया जा रहा है।

दोषपूर्ण पहियों के कारण रेल दुर्घटनाएं

1921. **श्री राम लाल राही :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982 के दौरान अधिकांश रेल दुर्घटनाएं दोषपूर्ण पहियों के कारण हुई;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसके लिए इन पहियों की जांच करने वाले और इन्हें बनाने वाले लोग उत्तरदायी हैं;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल कर्मचारियों के आश्रितों को मेकेनिक तथा वायरमैन का प्रशिक्षण दिया जाना

1922. **श्री राम लाल राही :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने रेल कर्मचारियों के आश्रितों को मेकेनिक और वायरमैन (बिजली) का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस स्कूल का नाम क्या है जिसमें यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है और चालू वर्ष के दौरान कितने प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) सिस्टम टैक्निकल स्कूल, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर में व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण की प्रबन्ध समिति द्वारा स्कूल के प्रिंसिपल, जो उसका अध्यक्ष होता है, के नियंत्रण के अधीन प्रशिक्षण दिया जाता है।

1981-82 के दौरान, रेल कर्मचारियों के पुत्रों/आश्रितों ने जितनी संख्या में विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है वह इस प्रकार है :

1.	रेडियो मैकेनिक	27
2.	वायरमैन इलैक्ट्रिकल	27
3.	फोटोग्राफी	12

उपर्युक्त ट्रेडों में प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष में प्रशिक्षण के लिए कोई निर्धारित कोटा नहीं है। सामान्यत: रेडियो मेकेनिक और वायरमैन इलैक्ट्रिकल के लिए 30 और फोटोग्राफी के लिए 20 उम्मीदवार नामित किए जाते हैं। बहरहाल, फोटोग्राफी ट्रेड में प्रशिक्षण देना समाप्त कर दिया है।

रेडियो मेकेनिक और वायरमैन इलैक्ट्रिकल में प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष और फोटोग्राफी में 6 महीने हैं।

प्रशिक्षण 17.30 बजे से 1930 बजे तक दिया जाता है और इसके लिए कर्मचारी हित निधि से धन की व्यवस्था की जाती है।

रेडियो मैकेनिक और वायरमैन इलैक्ट्रिकल के अगले बैच का प्रशिक्षण 19.10.82 से प्रारम्भ होने जा रहा है।

विदेश मंत्री का सोवियत रूस का दौरा

1923. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सितम्बर, 1982 के दूसरे सप्ताह में सोवियत रूस का दौरा किया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या निर्णय किए गए थे;

(ग) क्या दोनों देश इसरायली सेनाओं की वापसी के सम्बन्ध में सहमत हुए थे और उसका आह्वान किया था;

(घ) यदि हाँ, तो क्या दोनों देशों के बीच अधिक सद्भावना पैदा हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में किस सीमा तक सुधार हुआ है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) विदेश मन्त्री ने सितम्बर, 1982 में सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की यात्रा की।

(ख) वहां जो विचार-विमर्श हुआ था उसके निष्कर्ष की जानकारी, 11 अक्तूबर, 1682 को सदन में विदेश मंत्री के वक्तव्य में दी गई है।

(ग) प्रधान मंत्री की सोवियत-यात्रा के अन्त में जारी की गई संयुक्त भारत-सोवियत घोषणा में, इजराइली सेनाओं को हटा लेने की मांग की गई है।

(घ) और (ङ) बातचीत के दौरान, सोवियत सेनाओं और भारत की प्रधान मंत्री को अनेक अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय मामलों पर विचार-विनिमय करने का अवसर मिला। इस बातचीत के परिणामस्वरूप, दोनों पक्ष एक-दूसरे के दृष्टिकोणों को ज्यादा अच्छी तरह समझ सके हैं। इस बातचीत से भारत-सोवियत सम्बन्ध और मजबूत हुए हैं तथा उसमें विविधता आई है।

अनाक्रमण संधि का प्रस्ताव

1924. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ पिछले दो महीनों के दौरान अनाक्रमण सन्धि के बारे में कोई विशेष प्रगति हुई है; और

(ख) इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच अनाक्रमण सन्धि का प्रस्ताव किस स्थिति में है और भारत इस बारे में आगे क्या प्रयास कर रहा है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) अगस्त, "82 में विदेश सचिव की पाकिस्तान यात्रा के दौरान अनाक्रमण सन्धि के प्रस्ताव पर तथा भारत पाकिस्तान संयुक्त आयोग और मैत्री और सहयोग की सन्धि के हमारे प्रस्तावों पर भी विचार-विमर्श हुआ था। इन तीनों प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

निशस्त्रीकरण के लिए भारत और रूस द्वारा की जा रही कार्यवाही

1925. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और रूस ने पूर्ण निशस्त्रीकरण के लिए जोर देने की कार्यवाही करने हेतु निर्णय किया है ताकि विश्व को परमाणु से विनाश के खतरे से बाहर लाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देश परमाणु युद्ध से बचने के लिए संयुक्त कार्यवाही करने पर सहमत हैं;

(ग) यदि हाँ, तो रूस और भारत इस बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं; और

(घ) विश्व को परमाणु युद्ध से बचाने के लिए यह प्रयास कहाँ तक सफल हो रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ग) युद्ध के खतरे को समाप्त करने और आम तथा पूर्ण निरस्त्रीकरण की, जिसमें नाभिकीय निरस्त्रीकरण भी

शामिल है, आवश्यकता के बारे में भारत और सोवियत संघ की स्थिति का प्रधान मंत्री की हाल की मास्को यात्रा के अंत में जारी की गई भारत-सोवियत संयुक्त घोषणा में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। संयुक्त घोषणा की एक प्रति संसद के पुस्तकालय में पहले से रखी हुई है।

(घ) भारत और सोवियत संघ अनुभव करते हैं कि उसमें सुझाए गए उपायों से नाभिकीय युद्ध के खतरे को दूर करने में काफी मदद मिलेगी।

रेलवे के कामकाज को सरल तथा कारगर बनाने तथा जोनल/ डिवीजनल ढांचे का पुनर्गठन करने सम्बन्धी समिति

1926. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि सरकार ने रेलवे के कामकाज को सरल और कारगर बनाने तथा वर्तमान जोनल/डिवीजनल ढांचे का पुनर्गठन करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) रिपोर्ट तैयार करने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) उक्त रिपोर्ट सभा-पटल पर कब रखी जाएगी ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलवे के कामकाज के विभिन्न पहलुओं की जांच करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए और 'रेल सुधार समिति' नामक एक उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति गठित की गयी है। समिति अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय रेलों के पुनर्गठन तथा अतिरिक्त क्षेत्रों/मंडलों के सृजन की आवश्यकता की जाँच करेगी। समिति का गठन इस प्रकार है :—

अध्यक्ष : श्री एच० सी० सरीन

सदस्य :
1. श्री रवि मथाई, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद।
2. श्री रूसी मोदी, उपाध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, टिस्को।
3. न्यायमूर्ति श्री एच० सी० त्रिपाठी, सेवा-निवृत्त न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय।
4. डा० मनमोहन सिंह, गवर्नर, रिजर्व बैंक आफ इंडिया (त्याग-पत्र दे दिया है)
5. श्री बी० पी० साहनी, भूतपूर्व सदस्य, रेलवे बोर्ड।

सचिव : डा० एस० के० रे, भारतीय रेल यातायात सेवा के एक अधिकारी ।

(ग) अभी तक समिति ने अपनी रिपोर्ट का भाग-1 सरकार को प्रस्तुत किया है जिसमें रेल पथ, चल स्टाक के नवीकरण और बदलाव तथा संरक्षा/दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए संसाधनों के सम्बन्ध में सिफारिशों का उल्लेख है । इस रिपोर्ट की जाँच की जा रही है ।

(घ) समिति की रिपोर्ट के सभी भाग प्राप्त हो जाने पर रिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में भेज दी जायेंगी ।

गोहाटी तथा डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता

1927. **श्री संतोष मोहन देव :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि गौहाटी तथा डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों को छठी पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जाने वाली सहायता इनकी आवश्यकता और अन्य राज्यों के लिए किए गए आबटन की तुलना में नगण्य है ।

(ख) उपर्युक्त दोनों विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक को प्रस्तावित कुल सहायता राशि क्या है;

(ग) अन्य राज्यों की तुलना में इनको कम आवंटन के क्या कारण है;

(घ) क्या गोहाटी तथा डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालयों ने वर्तमान वित्तीय संकट से निपटने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विशेष सहायता के लिए आवेदन किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) छठी योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामान्य विकास के अस्थायी आबंटन के सम्बन्ध में निर्णय के प्रयोजनार्थ सभी विश्वविद्यालयों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है । इनमें से प्रत्येक श्रेणी के लिए किया गया आबंटन क्रमश: 100·00 लाख रु०, 75·00 लाख रु० और 50·00 लाख रु० है । गोहाटी विश्वविद्यालय 100·00 लाख रु० के आबंटन वाली श्रेणी में है और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय 75·00 लाख रु० की श्रेणी में है । ये आबंटन अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में कम नहीं हैं ।

(घ) जी, नहीं; तथापि, गोहाटी विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह सूचित किया था कि उसको किए गए आवंटन पर्याप्त नहीं होंगे ।

(ङ) क्योंकि गोहाटी विश्वविद्यालय उन विश्वविद्यालयों में शामिल है, जिन्हें छठी योजना में अधिकतम आवंटन किया गया है, अत: इसके आवंटन में और बढ़ोत्तरी करने का प्रश्न नहीं उठता ।

रूस की भारत को परमाणु बिजली संयत्र देने की पेशकश

1928. **श्री राजेश कुमार सिंह**
श्री बी० डी० सिंह
श्री चित महाटा
श्री ए० के० राय : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस सरकार ने भारत को एक परमाणु बिजली संयंत्र देने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने रूस की पेशकश मंजूर कर ली है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) भारत में नाभिकीय बिजली घर की स्थापना के बारे में सोवियत सहयोग की सम्भावना का उल्लेख प्रधान मन्त्री की यात्रा से पूर्व मास्को में अधिकारी स्तर की बातचीत में किया गया था। तकनीकी सम्भाव्यता और अन्य ब्यौरों की जाँच अभी की जानी है ।

विकलांगों के लिए उच्च विदेशी शिक्षा

1929. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में अनेक विकलांग छात्रों ने सरकार से विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा विदेशों में अध्ययन करने हेतु विकलांग छात्रों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) केवल एक उम्मीदवार ने अमरीकी विश्वविद्यालय में वास्तुकला के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता हेतु हाल में अनुरोध किया है, जो विचाराधीन

है । अलग से ऐसी कोई योजना नहीं है, जिसके अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी जा सके । तथापि, एक आंशिक वित्तीय सहायता (ऋण) योजना है जिसके अन्तर्गत, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वे विकलांग हैं अथवा नहीं सभी प्रार्थियों को बाह्य यात्रा व्यय का वहन करने के लिए 6000/- रुपए तक के ऋण के अनुदान देने के लिए विचार किया जाता है । बशर्ते कि उन्हें विदेशी सरकार/संगठनों द्वारा छात्रवृत्तियां/दाखिला प्रदान किया गया हो ।

दिल्ली परिवहन निगम के ड्राइवरों द्वारा अन्धाधुन्ध ढंग से तथा असावधानी से गाड़ियाँ चलाना

1930. **श्री जेनुल बशर :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ समय से ड्राइवरों द्वारा अन्धाधुन्ध से तथा असावधानी से गाड़ियां चलाने और कंडक्टरों द्वारा यात्रियों के बसों पर चढ़ते सयम व उतरते समय बस चलाए जाने के लिए घंटी बजा दिए जाने के कारण दिल्ली परिवहन निगम की बसों की दुर्घटनाओं में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है और जिनमें से कुछ घटनाएं घातक भी हैं ;

(ख) क्या गैर-सरकारी बसों के ड्राइवर इस बारे में अधिक दोषी हैं और वह दिल्ली परिवहन निगम के किसी प्रकार के नियंत्रण से परे हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो विशेष रूप से ऐसे बस स्टोपों पर जहाँ पर ए०टी०आई० तथा अथवा अन्य निरीक्षक तैनात नहीं किए जाते, ऐसे ड्राइवरों तथा कंडक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) पिछली तिमाही की तुलना में दुर्घटनाओं की दर में कमी हुई है । कर्मचारियों द्वारा गलती किए जाने के मामले को कड़ाई के साथ निपटाया जाता है ।

(ख) प्राइवेट बस के ड्राइवरों को भी अपराध से बाहर नहीं किया जा सकता । इन पर भी पर्यवेक्षण और दिल्ली परिवहन निगम द्वारा नियंत्रण की आवश्यकता है ।

(ग) उठाए गए कदम में ऐसे ड्राइवरों के लिए जो दुर्घटनायें करते हैं, छोटी अवधि के लिए रेफ्रेशर कोर्स चलाना, जिन ड्राइवरों ने कभी भी दुर्घटनाएं नहीं की उनको नकद पुरस्कार देना, 40 किलोमीटर प्रति घण्टा की गति निर्धारित करना और गति सीमा पर रोक लगाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बसों में गवर्नर की व्यवस्था करना शामिल है ।

दिल्ली परिवहन निगम बसों का दिल्ली गुड़गांव रूट पर चलाया जाना

1931. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज (रजिस्टर्ड) एसोसियेशन, गुड़गांव से दिनांक 24 जुलाई, 1982 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को दिल्ली गुड़गांव रूट पर अधिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को साक्षत्कार के लिए बुलाया गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम दिल्ली से गाजियाबाद, मेरठ, बहादुरगढ़, सोनीपत, फरीदाबाद, जैसे उप-नगरों और चारों ओर के अनेक अन्य नगरों की आवश्यकता के अनुसार बसें चला रहा है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि दिल्ली और गुड़गांव के बीच दिल्ली परिवहन निगम की कोई बस सेवा नहीं चलाई जा रही, हालांकि एसोसिएशन द्वारा यह मांग की गई है कि 2000 से अधिक केन्द्रीय सरकार कर्मचारी गुड़गांव में रह रहे हैं ; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और दिल्ली परिवहन निगम द्वारा इस रूट पर बसें चलाना कब तक आरम्भ किया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जी, हाँ। गुड़गांव हरियाणा राज्य में है और इस समय दिल्ली-गुड़गांव रूट के लिए दिल्ली प्रशासन और हरियाणा के बीच कोई करार नहीं है। तो भी गुड़गांव दिल्ली परिवहन निगम की अन्तर्राज्यीय सेवा द्वारा दिल्ली से जुड़ा हुआ है जो जयपुर, अजमेर, रिवाड़ी, खेत्री के बीच चलती है।

(ग) जी हाँ।

(घ) हाँ। गाजियाबाद, मेरठ, बहादुरगढ़ और फरीदाबाद दिल्ली परिवहन निगम की अन्तर्राज्यीय सेवा से जुड़े हुए हैं।

(ङ) दिल्ली और गुड़गांव के बीच कोई सीधी सेवा नहीं है। लेकिन यह अन्य रूटों से जुड़ा हुआ है।

(च) वर्ष 1975 में दिल्ली परिवहन निगम ने राज्य परिवहन प्राधिकरण दिल्ली से 5 अस्थाई परमिट प्राप्त कर दिल्ली और गुड़गांव के बीच बस सेवा शुरू की थी। एक आपरेटर द्वारा रिट याचिका दायर करने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि ये

परमिट कानून के अनुसार मंजूर नहीं किए गए हैं । अतः दिल्ली परिवहन निगम द्वारा शरू की गई उक्त सेवा को समाप्त कर देना पड़ा ।

भीलवाड़ा-उदयपुर लाइन को कोटा चित्तौड़ लाइन से जोड़ना

1932. **श्री जय नारायण रोत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा-चित्तौड़ ब्राडगेज लाइन पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है और उसे कब तक पूरा किया जाएगा ;

(घ) क्या यह भी सच है कि यह ब्राडगेज लाइन भीलवाड़ा तथा उदयपुर को भी मिलायेगी ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ; और

(च) यदि नहीं, तो भीलवाड़ा तथा उदयपुर को मिलाने के लिए अन्य क्या प्रबन्ध किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) गुरला से बूंदी तक अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है तथा कार्य शुरू कर दिया गया है और यह प्रगति पर है । इस प्रयोजन के लिए 100 लाख रुपये की राशि का तत्कालिकता प्रमाण पत्र स्वीकृत किया गया है । बूंदी से आगे का सर्वेक्षण प्रगति पर है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) चित्तौड़गढ़ के रास्ते भीलवाड़ा और उदयपुर पहले से ही एक मीटर लाइन द्वारा जुड़े हुए हैं । भीलवाड़ा और केकरी के रास्ते नाथद्वारा से टोडाराय सिंह तक एक मीटर लाइन के सर्वेक्षण का प्रस्ताव किया गया है तथा सर्वेक्षण पूरा होने पर परियोजना की अर्थक्षमता की जांच की जायेगी । यदि इस लाइन का निर्माण किया जाता है तो यह नाथद्वारा के रास्ते भीलवाड़ा से उदयपुर तक एक सीधी वैकल्पिक मीटर लाइन की व्यवस्था हो जायेगी ।

अगस्त, सितम्बर, 1982 के दौरान कोटा और आगरा के बीच चलने वाली गाड़ियों में लगाए गए सैलून

1933. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा और आगरा फोर्ट के बीच चलने वाली गाड़ियों में इस क्षेत्र में अगस्त और सितम्बर, 1982 के त्यौहारों के मौसम के दौरान रेल अधिकारियों के लिए रेलवे सैलून लगाये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान सैलून किन-किन तारीखों को लगाए गए और गाड़ियों का ब्यौरा क्या है तथा उन सैलूनों में किन-किन सम्बन्धित अधिकारियों ने यात्रा की; और

(ग) क्या उन अधिकारियों के साथ उनके परिवारजनों ने भी यात्रा की थी ?

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अगस्त और सितम्बर 1982 के दौरान निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए रेलवे अधिकारियों के लिए कोटा और आगरा फोर्ट के बीच गाड़ियों में रेलवे सैलून लगाए गए थे।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) अगस्त और सितम्बर 1982 के दौरान 13 अवसरों पर अधिकारियों के साथ उनके परिवार के सदस्य थे।

विवरण

जिन तारीखों को गाड़ियों में सैलून लगाए गए थे, वे इस प्रकार हैं :

तारीख	अधिकारी का पदनाम	गाड़ी का नम्बर तथा नाम
1-8-82	(डी०ओ०एस०, सीनियर डी०ई०एन० (डिप्टी सी०ओ०पी० (आर०ई०)	81 कोटा-आगरा फोर्ट पैसेंजर
5-8-82	डी०ए०टी०ई० (सी०) कंस्ट्रक्शन	—,,—
7-8-82	सीनियर डी०पी०ओ० कंस्ट्रक्शन	—,,—
10-8-82	डी०एम०ई०, डी०सी०एस०	—,,—
11-8-82	डी०ए०यू०ओ०	—,,—
17-8-82	सीनियर डी०ई०ई०	—,,—
19-8-82	डी०एस०टी०ई०	—,,—
22-8-82	ए०डी०आर०एम०	—,,—
23-8-82	डी०एम०आर०	—,,—
23-8-82	एम०एस०, सीनियर डी०ई०एन०, सीनियर डी०पी०ओ०	—,,—
25-8-82	सी०एस०ओ० (राजपत्रित)	—,,—
29-8-82	सीनियर डी०ई०एन०, डी०एम०ई०	—,,—

तारीख	अधिकारी का पदनाम	गाड़ी का नम्बर तथा नाम
1-8-82	ए०डी०ई०	82 आगरा फोर्ट-कोटा पैसेंजर
7-8-82	सीनियर डी०ई०एन०	—,,—
8-8-82	डी०एस०टी०ई०	—,,—
14-8-82	डी०ए०यू०ओ०	—,,—
28-8-82	ए०डी०आर०एम०, सी०एम०ओ०, सी०सी०जी०	—,,—
1-8-82	ए०सी०एस०	83 कोटा-आगरा फोर्ट पैसेंजर
14-8-82	सी०एन०सी०ई०	84 आगरा कोटा पैसेंजर
2-9-82	सीनियर डी०ई०एन० II	81 कोटा-आगरा फोर्ट पैसेंजर
3-9-82	सीनियर डी०पी०ओ०	84 आगरा फोर्ट-कोटा पैसेंजर
7-9-82	सीनियर डी०ई०एन० II	82 —,,—
9-9-82	ए०डी०आर०एम०	83 कोटा-आगरा फोर्ट पैसेंजर
12-9-82	डी०एम०ई० (सी० डब्ल्यू०)	81 —,,—
15-9-82	डी०एस०टी०ई०	81 कोटा-आगरा फोर्ट पैसेंजर
	डी०एम०ई० (सी०डब्ल्यू०)	84 आगरा फोर्ट-कोटा पैसेंजर
17-9-82	डिप्टी सी०ओ०पी०एस० (आर०ई०)	83 कोटा-आगरा फोर्ट पैसेंजर
18-9-82	डी०एस०टी०ई०	82 आगरा फोर्ट-कोटा पैसेंजर
19-9-82	डी०ए०ओ०	83 कोटा-आगरा फोर्ट पैसेंजर
,,	डी०सी०एस०	—,,—
,,	डिप्टी सी०ओ०पी०एस० (आर०ई०)	84 आगरा फोर्ट-कोटा पैसेंजर
20-9-82	सीनियर डी०ए०ओ०	84 —,,—
,,	डी०सी०एस०	84 —,,—
21-9-82	ए०डी०एम०ओ०, डी०ई०एन० डिप्टी डी०ई०(आर०),सीनियर डी०पी०ओ०/ आर०टी०एम०	81 कोटा-आगरा फोर्ट पैसेंजर
23-9-82	डी०सी०एस०	81 —,,—
,,	डी०आर०एम०	82 आगरा फोर्ट-कोटा पैसेंजर
24-9-82	,,	82 —,,—
,,	ए०डी०एम०ओ०/आई०टी०एन०जी०	81 कोटा-आगरा फोर्ट पैसेंजर
,;	डी०एम०ई०	83 —,,—
26-9-82	सीनियर डी०एम०ई०	82 आगरा फोर्ट-कोटा पैसेंजर
29-9-82	ए०एम०ई०	81 कोटा-आगरा फोर्ट पैसेंजर
,,	डी०एम०ई० (सी०डब्ल्यू०)	83 —,,—
15-9-82	डी०एस०टी०ई०	81 कोटा-आगरा फोट पैसेंजर

हावड़ा रेलवे बोर्ड के अहाते की दीवाल

1934. **श्री नारायण चौबे :** क्या रेल मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा के रेलवे यार्ड के अहाते की दीवाल है;

(ख) क्या सशस्त्र आर०पी०एफ० सैनिक इस रेलवे यार्ड की लगातार निगरानी रखते हैं;

(ग) क्या समाज विरोधी तत्वों ने उपर्युक्त दीवाल को कई स्थानों पर तोड़ दिया है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस यार्ड में समाज विरोधी तत्वों की गति विधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ। हावड़ा यार्ड में दक्षिण की ओर ईंटों की चार दीवार और उत्तरी ओर नाली दार चादरों की दीवार बनी हुई है।

(ख) जी हां।

(ग) दक्षिण की ओर को चार दीवारी कई स्थानों से टूटी हुई है और इसमें कई स्थानों पर नट-खट बच्चों/कोयले चुनने वालों तथा छोटे रास्ते के लिए इस क्षेत्र के साथ लगी बस्ती में रहने वाले लोगों द्वारा छेद कर दिए गए हैं।

(घ) यार्ड में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकथाम कराने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

1. रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा रात दिन पहरा देना जिसमें बदनाम स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
2. भेद्य स्थानों पर रे०सु०ब० के कर्मचारियों को तैनात किया जाता है।
3. रे०सु०ब० की अपराध आसूचना शाखा द्वारा असामाजिक तत्वों की गति-विधियों और कार्यकलापों के बारे में आसूचना इकट्ठी की जाती है।
4. अपराधियों और असामाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए बार-बार कार्य मारे जाते हैं।
5. यार्ड में गश्त लगाने और संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए कुत्ता दस्ते का उपयोग किया जाता है।
6. असामाजिक तत्वों की समस्या से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए रे०सु०ब० द्वारा राजकीय रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस के साथ निकट सहयोग बनाए रखा जाता है।

असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर प्रशासन कड़ी नजर रखता है तथा प्रभावी उपाय करता है ।

छत्तीसगढ़ और त्रिवेन्द्रम के बीच सीधी गाड़ी

1935. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण भारतीय, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रहने वाले केरल-वासी छत्तीसगढ़ और त्रिवेन्द्रम के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने के बारे में आंदोलन कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिनांक 2 सितम्बर, 1982 से लगातार इस मांग को लेकर वे क्रमिक भूख-हड़ताल कर रहे हैं तथा दिनांक 2 अक्तूबर, 1982 को उनका रेल की पटरी पर बैठने का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो उनकी मांग पूरी करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय एवम् संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ ।

(ख) उन्होंने इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन भेजे थे परन्तु 2.10.82 को रेल लाइन पर बैठने की रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ग) मार्ग में लाइन क्षमता की तंगी तथा कोचिंग स्टाक की अत्यधिक कमी के कारण छत्तीसगढ़ और तिरुवनन्तपुरम के बीच फिलहाल न तो एक सीधी गाड़ी चलाने का औचित्य पाया गया है और न ही परिचालनिक दृष्टि से ऐसा करना व्यावहारिक है ।

बहरहाल, भिलाई/दुर्ग और एर्णाकुलम/तिरुवनन्तपुरम के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए 1.10.82 से कानपुर में 126 अप नई दिल्ली-तिरुवनन्तपुरम केरल-एक्सप्रेस में 72 शायिकाओं तथा 132 जयन्ती जनता एक्सप्रेस में 50 शायिकाओं के कोटे की व्यवस्था कर दी गई है ।

नई दिल्ली के नांगलराय में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा

1936. **श्री त्रिलोक चन्द्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी में जेल रोड पर निर्मित सड़क पुल के किनारे एक पक्की सड़क का निर्माण किया गया है,

(ख) यदि हां, तो उस समय, जबकि कोई रेलवे यातायात नहीं होता है, रेलवे क्रासिंग को बन्द रखकर यातायात के सुप्रवाह में बाधा डालने के क्या कारण हैं, और

(ग) नई दिल्ली के नांगल राय में रेलवे की जमीन पर से अवैध कब्जे को जो यातायात के लिए एक भारी अड़चन है, हटाने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

रेल मंत्रालय एवम् संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हाँ। दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन और मिलिटरी गुड्स शेड तथा रेल पथ के पार स्टेशन के सामने लदान ढालों जहाँ पर ऊपरी सड़क पुल के जरिए नहीं पहुंचा जा सकता है, को सेवित करने के लिये केवल मिलीटरी यातायात के इस्तेमाल के लिये एक पहुंच मार्ग की व्यवस्था की गई है। यातायात का सुप्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनता के इस्तेमाल के लिए समपार के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण किया जा रहा है। रेल पथ की उत्तर दिशा में सड़क का यह भाग जनता के उपयोग के लिए नहीं है।

(ग) गुड्स शेड के पहुच मार्ग के साथ-साथ रेलवे क्षेत्र में फल और सब्जी वेंडरों ने अतिक्रमण किया हुआ है। इन्हें हटाने के लिये सिविल प्राधिकारियों की सहायता से कार्रवाई की जा रही है।

स्टेशन पर लाए गये खाद्य पदार्थों के भाड़े में छूट

1917. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक पर्यटक या यात्री अपनी यात्रा शुरू करने के स्थान से 200 कि०मी० दूर के किसी स्थान की यात्रा करता है और वहाँ के प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ खरीद कर लाता है तो रेलवे द्वारा निर्धारित भाड़े में उन् पदार्थों को छूट नहीं दी जाती और उसको भाड़ा देने या खाद्य पदार्थों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार खाद्य पदार्थों को प्रत्येक यात्री को बिना भाड़े के लिए निर्धारित भार में शामिल न करने उसे भाड़े में छूट देने का है ?

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) वर्तमान नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था मौजूद है कि यात्रा के दौरान जितनी अपेक्षित हों, खाद्य वस्तुओं को निःशुल्क ले जाने की अनुमति है, अतएव उन्हें तोला नहीं जाता है। तथापि, निःशुल्क अनुमति सामान से अधिक भारी यात्रा में खरीदी गई खाद्य वस्तुओं पर सामान्य सामान प्रभारों के लगाए जाने से छूट नहीं दी जाती है। नियम में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का विचार नहीं किया जा रहा है।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों को दूरस्थ क्षेत्र में कार्यान्वित करना

1938. **श्री जी० वाई कृष्णन्** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रमों को दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यान्वित करने के लिए किसी नीति का पालन किया है,

(ख) यदि हाँ, तो उस बारे में ब्योरा क्या है, और

(ग) इस बारे में कर्नाटक राज्य में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम को देश भर में जिसमें दूर-दराज के क्षेत्र भी शामिल हैं, क्रियान्वित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में परिवार नियोजन के तरीकों से सम्बन्धित कार्यनिष्पादन इस प्रकार है :

	1979-80	1980-81	1981-82
नसबन्दी आपरेशन	117.167	142.896	188.820
आई०यू०डी०	50.776	54.657	55.448
प्रचलित गर्भ निरोधक के समीकृत उपयोगकर्ता	82.385	87.893	87.653
खाई जाने वाली गोलियों के समीकृत उपयोगकर्ता	5.412	8.943	12.576

विवरण

समग्र देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(क) "छोटे परिवार के सिद्धान्त" को पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर अपनाने की बात को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(ख) बहु-प्रचार साधनों और वैयक्तिक सम्पर्क के प्रभावशाली तरीके द्वारा छोटे परिवार की धाराओं के सम्बन्ध में जागरूकता और जानकारी देने के लिए गहन प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) प्रत्येक दम्पत्ति को अपने मनभाता तरीका चुनने की छूट है।

(घ) परिवार कल्याण की सेवायें और सामग्री लोगों को घरों के यथा संभव निकट प्रदान की जा रही हैं।

(ङ) यह कार्यक्रम स्वास्थ्य परिचर्या और सामाजिक—आर्थिक विकास प्रयत्नों का एक अभिन्न अंग है।

(च) महिला साक्षरता की सुविधाओं और इसको तेजी से बढ़ाने के प्रयास तेज किये जा रहे हैं और उनका विस्तार किया जा रहा है।

(छ) स्कूलों तथा कालेजों में तथा बाहर युवाओं को जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा की जानकारी दी जा रही है। यह जनसंख्या शिक्षा सरकारी विभागों/एजेंसियों तथा संगठित क्षेत्रों द्वारा आयोजित सभी कार्यकर्ता शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी प्रारम्भ की जायेगी।

(ज) सभी स्तरों पर लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों, निम्न स्तर पर ग्रामीण संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों आदि को इस कार्यक्रम के साथ घनिष्ठ रूप से जोड़ा जा रहा है और उन्हें पूरा-पूरा प्रोत्साहन और सहयोग दिया जा रहा है।

(झ) अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयों और विभागों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क किये जायेंगे।

(ञ) लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु सम्बन्धी कानून को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जायेगा।

(ट) ग्रामीण अथवा समुदाय स्तर पर सभी विवाहों के रिकार्ड रखे जायेंगे।

(ठ) कार्य निष्पादन के लिए पिछड़े राज्यों के लिये विशेष उपाय का रास्ता अपनाया जा रहा है।

(ड) ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना, जिसे अब केन्द्र के धन से चलाई जा रही योजना बना दिया गया है, के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को परिवार नियोजन की जानकारी और सूचना देने और लोगों के घरों के पास बाल-क्लिनिकल तरीकों से सम्बन्धित सेवायें और सामग्री उपलब्ध करने के लिए स्वास्थ्य गाइड (जो मुख्यतया महिलायें ही होंगी) जिम्मेदार होंगे।

(ढ) सभी स्तरों पर घनिष्ठ मानीटरिंग तथा अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। राज्य सरकारों से परामर्श करके प्रशासनिक तंत्र ठीक करने और क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारियों को उत्तरदायी बनाने के उपाय किये जायेंगे।

दूरस्थ क्षेत्रों के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा कमजोर वर्गों में उनको लोकप्रिय बनाना

1939. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से देश के दूरस्थ क्षेत्रों में इसको कार्यान्वित करने की कोई योजना बनाई है, और

(ख) सरकार को इस बारे में उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में इस उद्देश्य में किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) बहु-प्रचार साधनों और व्यक्ति से व्यक्ति सम्पर्क की संचार नीतियों का कारगर और कल्पनाशील उपयोग करके देश के सभी भागों में, जिनमें दूर-दराज के क्षेत्र भी आ जाते हैं, छोटे परिवार के सिद्धान्त के बारे में जागरूकता और जानकारी देने के प्रयासों को बढ़ाने के अलावा ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना को और सुदृढ़ भी बना दिया गया है ताकि लोगों को अपने घरों के पास ही इसकी जानकारी और सूचना सुलभ हो जाए और गैर-क्लिनिकी तरीकों से सम्बन्धित सेवाएं और सामग्री भी मिलने लगे। कार्य नीति के रूप में यह भी निर्णय लिया गया है कि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों तथा पाकेट में क्षेत्र विशेष की स्थितियों के अनुसार ही कार्य किए जाए।

(ख) उड़ीसा राज्य के आदिवासी क्षेत्रों से सम्बन्धित उपलब्धियों की विशेष सूचना उपलब्ध नहीं है। मार्च 1980 तक कारगर ढंग से सुरक्षित किए गए दम्पत्तियों की प्रतिशतता तथा आदिवासी जनसंख्या की जिला-वार प्रतिशतता का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र०सं०	जिले का नाम	आदिवासियों का अनुपात (प्रतिशत)	मार्च 80 तक कारगर ढंग से सुरक्षित किये गये दम्पत्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	बालासोर	7.1	26.8
2.	बालंगिर	19.7	24.8
3.	कटक	2.9	23.8
4.	धुवकनाल	12.9	24.9
5.	गंजम	10.0	25.1
6.	कलाहाड़ी	29.3	35.7
7.	क्योंझर	47.0	24.4
8.	कोरापट	56.3	34.3

1	2	3	4
9.	मयूरभंज	58.6	40.9
10.	फूलबनी	40.3	26.6
11.	पुरी	3.7	20.7
12.	संबलपुर	28.1	26.5
13.	सुन्दरगढ़	53.4	28.9
	राज्य	23.1	27.0

मिराज-लातूर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए राशि का अपर्याप्त आबंटन

1940. **श्री बी०एन० गाडगिल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल मंत्रालय मिराज-लातूर (बरास्ता पन्धरपुर) लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य को आरम्भ करने के लिए अनिच्छुक है क्योंकि योजना आयोग द्वारा पर्याप्त आबंटन नहीं किया गया है, और

(ख) यदि हाँ, तो क्या योजना आयोग का विचार रेलवे के लिए आबंटन में वृद्धि करने का है ?

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) धन का वर्तमान आबंटन चालू आमान परिवर्तन परियोजनाओं की वांछित रफ्तार से प्रगति के लिए पर्याप्त नहीं है। धन की अत्यन्त कठिन स्थिति, विशेषकर 1/1 योजना अवधि के दौरान, को देखते हुए, मिरज-लातूर लाइन के आमान परिवर्तन से सम्बन्धित परियोजना, जिसे अलाभप्रद पाया गया है, को बेहतर समय की प्रतीक्षा करनी होगी।

जेल रोड पर ऊपरी पुल

1941. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जेल रोड, नई दिल्ली पर बनाया जा रहा जनकसेतु ऊपरी पुल किस तारीख तक पूरा हो जाएगा और यातायात के लिए खोल दिया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : दिल्ली नगर निगम के अनुसार "फ्लाईओवर" के अक्तूबर, 1982 के अन्त तक यातायात योग्य हो जाने की आशा है। इस फ्लाईओवर को औपचारिक रूप से यातायात के लिए खोलने की तारीख अब तक निर्धारित नहीं की गई है।

भारत में बच्चों की दुर्दशा के सम्बन्ध में सर्वेक्षण और इस सम्बन्ध में किए गए सुधार

1942. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बच्चों की दुर्दशा के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है और 1979 के बाद इस दिशा में क्या सुधार किए गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भारत के महा पंजीयक ने 1979 में शिशु एवं बाल मृत्युता के सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण किया । सर्वेक्षण का उद्देश्य शिशु एवं बाल मृत्युता के सम्बन्ध में अनुमान प्रदान करना और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक तथ्यों के द्वारा आदर्श और मृत्युता अवकलन का अध्ययन करना है ।

2. इस सर्वेक्षण से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्युता के दर प्रति 1000 जीवित जन्में बच्चों पर 136 और शहरी क्षेत्रों में प्रति 1000 जीवित जन्में बच्चों पर 70 है । देश के लिए समूची मृत्युता दर एकमुश्त रूप से प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर 125 है ।

3. यह भी महसूस किया गया कि 0-4 वर्ष की आयु वर्ग में बाल मृत्युता विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है ।

4. जहाँ तक रुग्णता का सम्बन्ध है सर्वेक्षण से यह पता चला है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 0-6 वर्ष तक की आयु वर्ग से सम्बन्धित बीमार बच्चों में 63 प्रतिशत अत्यधिक गम्भीर बीमारी से पीड़ित हैं ।

5. जहाँ तक बच्चों में काम करने वालों का सम्बन्ध है, यह पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 4.0 प्रतिशत बच्चे और शहरी क्षेत्रों में 1.6 प्रतिशत बच्चे काम करने वाले थे । ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले बच्चों में 4.6 प्रतिशत लड़के थे और 3.5 प्रतिशत लड़कियां थीं ।

6. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने अपने 28वें राउण्ड (अक्तूबर, 1973-जुलाई, 1974) में मानसिक और शारीरिक अपंगताओं के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की । 0-14 वर्ष की आयु वर्ग के विकलांग बच्चों के सम्बन्ध में विकलांगता के कारण सहित आंकड़े ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति लाख बच्चे इस प्रकार थे :—

क्र०सं०	अपंगता का कारण	ग्रामीण	शहरी
1.	जन्मजात अपंगता	201	191
2.	दुर्घटना के कारण अपंग	50	37
3.	कुष्ठ रोग के कारण अपंग	31	8
4	पोलियो सहित पैरालिसिस के कारण अपंग	58	83
5.	अन्य बीमारियों के कारण अपंग	99	91

7. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने अपने 36वें राउण्ड में जुलाई-दिसम्बर, 1981 की अवधि के दौरान दूसरा सर्वेक्षण किया है । आँकड़ों को संकलित किया जा रहा है और 1983 में परिणाम उपलब्ध होने की सम्भावना है ।

8. कुछ निश्चित राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में खुराकीय और पौषणिक स्तर पर खाद्य विभाग ने भी सर्वेक्षण कराया है । हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए तैयार की गयी रिपोर्ट दर्शाती है कि सस्तुति किए गए भत्तों की तुलना में प्रति व्यक्ति खाद्य सामग्री और पोषाहार सामान्यतया विभिन्नात्मक डिग्री में कम है ।

9. बच्चों की भलाई के लिए बहुत से बाल कल्याण कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं । एक महत्वपूर्ण योजना समेकित बाल विकास सेवा योजना है । 20 सूत्रीय कार्यक्रम के 15वें सूत्र के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं की संख्या को बढ़ाकर 1000 तक किया जा रहा है । समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत विभिन्न सेवाए प्रदान की जाती हैं जिसमें पूरक पोषणहार, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, निर्देशक सेवाएं और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा सेवाएं और स्वास्थ्य परीक्षण, टैटनेस गर्भवती माताओं का प्रतिरक्षण गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार वह पोषहर और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना सम्मिलित हैं ।

10. समेकित बाल विकास सेवा परियोजना क्षेत्रों में बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य और पोषाहार पहलुओं के सम्बन्ध में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने अध्ययन चलाए हैं । इन अध्ययनों से पता चलता है कि समेकित बाल विकास सेवा परियोजना क्षेत्रों में बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य और पौषणिक स्तर में पर्याप्त सुधार हुआ है ।

डी०टी०सी० के अंतर्गत चल रही डीलक्स बसें

1943. श्री हीरालाल आर० परमार : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी०टी०सी० के अन्तर्गत चलाई जा रही नई डीलक्स बसों के बारे में सरकार की नीति क्या है ;

(ख) अब तक ऐसी कितनी बसें काम पर लगाई गई हैं और मालिकों के साथ हुए समझौते की शर्त क्या है, तथा मालिकों को किलोमीटर किस दर से दिया जा रहा है ;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में भी कुछ नई डीलक्स बसें लेने का है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस समय डी० टी० सी० को लगभग कितनी बसों की आवश्यकता है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अत्यधिक भीड़ वाले रूटों में और लोगों को सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के लिए साधारण बसों के अलावा डीलक्स बसें चलाई गई हैं ।

(ख) 30 सितम्बर, 1982 की स्थिति के अनुसार 218 डीलक्स बसें थीं । प्राइवेट डीलक्स बसें किलोमीटर स्कीम के तहत एक वर्ष के लिए चलाई गई हैं जो उन्हीं शर्तों पर हैं जो साधारण बसों के लिए रखी गई हैं । डीलक्स बसों का भाड़ा साधारण बसों जैसा ही है । जिसकी दर निम्नलिखित है—

बसों का आयु समूह	किराया की दर	
	स्टैंडर्ड साइज बस (प्रति कि०मी०)	मिनी बस (प्रति कि०मी०)
1. दो वर्ष तक की पुरानी	2.32 रुपये	1.96 रुपये
2. दो वर्ष से अधिक और छः वर्ष तक की पुरानी	2.05 रुपये	1.71 रुपये
3. छः वर्ष से अधिक	1.25 रुपये	1.53 रुपये

(ग) जब कभी आवश्यकता होगी प्राइवेट बसें लगाई जाएंगी ।

(घ) 17 रूटों पर डीलक्स बसों के लगाने का एक प्रस्ताव दिल्ली परिवहन निगम के पास विचाराधीन है ।

मद्रास में अग्रिम आरक्षण का समय

1944. **श्री डी०एस०ए० शिव प्रकाशम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे प्राधिकारियों ने मद्रास सेन्ट्रल और इगमोर स्टेशनों पर रविवार के दिन 7 बजे प्रातः से 8 बजे रात्रि और 7 बजे प्रातः 1 बजे मध्याह्न तक के अग्रिम आरक्षण समय में परिवर्तित कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या जनता को हुई परेशानियों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी उस निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हाँ ।

(ख) आरक्षण कर्मचारियों का कारगर रोटेशन सुनिश्चित करने के लिए यातायात के उतार-चढ़ाव तथा आरक्षण कर्मचारियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मद्रास सेन्ट्रल और मद्रास, ऐषम्बूर स्थित आरक्षण कार्यालयों में रविवार को 07.00 बजे से 13.00 बजे तक केवल एक पारी में कार्य-किया जाने लगा है ।

(ग) इस व्यवस्था के प्रभाव पर नजर रखी जा रही है और आवश्यक होने पर इसकी समीक्षा की जायेगी ।

सभी राज्यों के लिए समान पाठ्यक्रम

1945. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में हाई स्कूल या इण्टरमीडियट स्तर तक समान पाठ्यक्रम लागू करने पर विचार कर रही है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार सारे देश में शिक्षा समान स्तर के प्रश्न पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का है, यदि हां, तो यह समिति कब तक बना दी जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) स्कूल शिक्षा की 10+2 प्रणाली की सिफारिश अन्य बातों के साथ-साथ सारे देश में एक समान व्यापक प्रणाली रखने के उद्देश्य से की गई है । इस प्रणाली के अन्तर्गत कक्षा X तक सामान्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चों को अपने विकास-वर्षों में सन्तुलित वृद्धि तथा चहुंमुखी विकास के लिए अवसर मिल सके । स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य और ललित कलाओं के अलावा भाषाओं, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान के अध्ययन को कक्षा X तक अनिवार्य करन

की सिफारिश की गई है। +2 स्तर पर, शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों प्रकार के नानाविध पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई है, ताकि इस स्तर पर शिक्षा व्यापक हो सके। तथापि, राज्यों द्वारा स्वयं ही स्थानीय आवश्यकताओं, परिस्थितियो और परम्पराओं के अनुसार पाठ्यचर्या के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाते हैं। केन्द्र सरकार ने केवल व्यापक मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार की हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अध्ययन पाठ्य विवरण और पाठ्यचर्या, पुस्तकों इत्यादि की आदर्श योजनाएं राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों/माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा अपनाने/अनुकूलन के लिए तैयार करती है।

रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद के भूतपूर्व अध्यक्ष की सेवाओं का समाप्त किया जाना

1946. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद के भूतपूर्व अध्यक्ष की सेवाएं उनकी पदावधि के समाप्त होने से पहले ही समाप्त कर दी गई थी अथवा उनसे त्यागपत्र देने के लिए कहा गया था, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उसके तत्काल बाद ही उनको अपने पद पर पुनः वापस आने की अनुमति दी गई थी और यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों के अन्तर्गत ऐसा किया गया था ; और

(ग) सेवा की वे क्या अपरिहार्यतायें थी, जिनके अन्तर्गत पहले तो उन्हें पद मुक्त किया गया और कुछ समय बाद पुनः कार्यभार सम्भालने की अनुमति दी गई और उनके पदमुक्त होने तथा पुनः नियुक्ति अथवा कार्यभार पुनः सम्भालने के बीच कितना समय लगा ?

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) अगस्त 1976 में 6 वर्ष की अवधि के कार्यकाल के आधार पर रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद के भूतपूर्व अध्यक्ष की नियुक्ति की गयी थी। आयोग के कार्य कलाप की समीक्षा करने के पश्चात, उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उनका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही 23-10-1981 को रेल मन्त्रालय के अध्यक्ष, रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद की सेवाएं समाप्त कर दी थी। लेकिन बाद में की गयी समीक्षा के आधार पर 25-11-1981 को यह आदेश वापस ले लिया गया था। बीच की अवधि देय छुट्टी मानी गयी थी।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में आरक्षण की प्रतिशतता

1947. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग या अन्य संवर्गों के लोगों के प्रवेश के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे गये हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयवार उन संवर्गों के कितने व्यक्तियों को वास्तव में प्रवेश दिया गया है;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रवेश में अब तक आरक्षण पर दिया जा रहा विशेष ध्यान देना छोड़ दिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या ऐसा न किए जाने पर सरकार उसे विश्वविद्यालय को ऐसा करने की सलाह देगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रलयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार 20 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए (अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 प्रतिशत) तथा 3 प्रतिशत स्थान शारीरिक रूप से अपंग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। पिछड़े वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं है। हाल ही में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता 5 प्रतिशत से साढ़े सात प्रतिशत तक बढ़ाने हेतु निर्णय लिया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान (जैसा उपलब्ध है) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए किए गए आरक्षण की प्रतिशतता तथा उनका नामांकन दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 5504/82]

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मार्गदर्शी रूपरेखाओं में पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण/रियायत की व्यवस्था नहीं है।

औषधियों और शिक्षा पर दिल्ली विश्वविद्यालय डी०जी०एच०एस० और उपकुलपति द्वारा व्यक्त विचार

1948. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानिदेशक स्वास्थ्य के अभी हाल ही में प्रस्तुत उन विचारों की ओर ध्यान दिया है जिसमें कहा गया है कि मैनेजमेंट फील्ड आपरेशन और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति होने के कारण देश में

प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली और संक्रामक रोगों की रोकथाम के कार्य में रुकावटें आ रही हैं ;

(ख) क्या सरकार को दिल्ली के उपकुलपति द्वारा प्रस्तुत विचारों की जानकारी है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता के अनुसार मेडीकल कालेजों में शिक्षा प्रणाली अलग-थलग पड़ गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार चिकित्सा और शिक्षा विशेषज्ञों के विचारों को ध्यान में रखकर इन्हें सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) "प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या में संचारी रोगों के नियंत्रण की भूमिका" के विषय पर एक वैज्ञानिक सम्मेलन के उद्घाटन के समय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को सरकार ने देख लिया है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने यह कहने के साथ साथ कि क्षेत्रीय कार्यों और अनुसंधान परियोजनाओं के प्रबन्ध के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव के कारण देश में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति और संचारी रोगों के नियंत्रण की प्रगति में बाधा पड़ रही है, आगे यह भी कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ऐसी स्थिति में आगे आया है और उन्होंने पिछले वर्षों के दौरान जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जरुरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कोर्स आयोजित और संगठित किए हैं ।

इसी भाँति, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने भी यह कहते हुए कि भारत के मेडिकल कालेजों की शिक्षा पद्धति स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों से अलग थलग रही है यह भी कहा कि सौभाग्य से मेडिकल कालेज अब कुछ ही लोगों तक सीमित नहीं रह गए हैं। वैसे, प्रशिक्षित जनशक्ति और चिकित्सा शिक्षा को समयानुकूल बनाने से सम्बन्धित जरूरतों की निरन्तर समीक्षा की जाती है ताकि लोगों की स्वास्थ्य परिचर्या सम्बन्धी जरूरतें पूरी हो सकें ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

1949. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर भर्ती के मामले में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं करता; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जानी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी नहीं ? विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली गैर शिक्षण/गैर तकनीकी रिक्तियों (श्रेणी-III और श्रेणी-VI) में से 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होते हैं।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय का एक विशेष कक्ष स्थायी करने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों, दिल्ली में चौकीदारों के काम के घंटे

1950. **श्री निहाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और अन्य शहरों के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में कुल कितने चौकीदार हैं;

(ख) क्या यह सच है कि चौकीदारों से 8 घंटे से अधिक समय तक काम लिया जाता है और उसके लिए उन्हें अतिरिक्त कार्य घंटों का समयोपरिभत्ता नहीं दिया जाता है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कर्मचारी संघ, दिल्ली ने चौकीदारों की संख्या बढ़ाने की मांग की है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) चौकीदारों के मंजूर पदों की संख्या 286 है। उनके काम करने के घण्टे उनकी जिम्मेदारियों की किस्म से सम्बन्धित होते हैं। अखिल भारतीय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कर्मचारी संघ ने अन्य बातों के साथ-साथ चौकीदारों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया है। इस मामले की छान-बीन की जा रही है।

जौनपुर-गोरखपुर लाइन को बदलना

1951. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओशीहर से होकर जाने वाली जौनपुर-गोरखपुर मीटर गेज रेल लाइन हैं; और

(ख) क्या इस लाइन को ब्राड गेज में बदलने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) औड़िहार के रास्ते जौनपुर से भटनी तक इस समय मीटर लाइन खण्ड है। भटनी से गोरखपुर तक के खण्ड को बड़ी लाइन में बदला जा चुका है। औड़िहार से भटनी खण्ड का आमान-परिवर्तन वाराणसी-भटनी खण्ड के मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के एक भाग के रूप में किया जाएगा।

जहां तक जौनपुर-औड़िहार खण्ड का सम्बन्ध है, अभी तक इसके बड़ी लाइन में आमान-परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि अभी हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया है। इस खण्ड के बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन का विनिश्चय धन की स्थिति में पर्याप्त सुधार होने पर किया जाएगा, क्योंकि इस समय आमान-परिवर्तन की चालू योजनाओं को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है।

जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन

1952. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर प्रकाश की व्यवस्था शहर के साथ नहीं बल्कि ग्रामीण लाइन से जुड़ी है और जिसके परिणाम स्वरूप स्टेशन पर अधिकांश समय में वहां का वातावरण उदासीन रहता है; और

(ख) यदि हां, तो प्रकाश व्यवस्था में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यह सही है कि जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन को बिजली की सप्लाई ग्रामीण फीडर से प्राप्त होती है जिसके परिणामस्वरूप लम्बे-लम्बे समय तक बिजली की सप्लाई में बाधा पड़ती रहती है।

(ख) उत्तर प्रदेश में स्थित अधिकांश छोटे स्टेशनों को बिजली की सप्लाई ग्रामीण फीलडर द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड ने, जिससे यात्रियों की संरक्षा के हित में इन स्टेशनों पर रात्रि में बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था ऐसा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। इसकी बजाय उन्होंने इस प्रकार के प्रत्येक छोटे स्टेशन के लिए निकटतम ग्रिड सब स्टेशन से विशिष्ट फीडर की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है। इस प्रस्ताव पर काफी लागत आएगी, इसलिए रेलवे द्वारा इस पर प्रत्येक स्टेशन के महत्व सम्बन्धित स्टेशन पर रात्रि में ठहरने वाली सवारी गाड़ियों तथा गाड़ियों में चढ़ने और उतरने वाले यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए चुनींदा आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अधिक महत्वपूर्ण स्टेशनों की आवश्यकता को

पूरा करने के बाद ही जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन के मामले पर विचार किया जा सकता है ।

टर्मिनल स्थलों पर यात्रियों को उनकी सीटों पर ही टिकटों का जारी किया जाना

1953. **श्री हीरा लाल आर० परमार :** क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली परिवहन निगम के टर्मिनल स्थानों पर केवल भारी भीड़-भाड़ के घण्टों के दौरान ही अग्रिम रूप से टिकट की बुकिंग करने के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि ऐसे कर्मचारियों के न होने पर यात्री स्टैंड पर खड़ी हुई बसों में बिना टिकट के ही अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि बस कण्डक्टर बस के चलने पर ही अपनी सीट पर आते हैं और बैठे हुए यात्रियों से टिकट खरीदने के लिए अपने पास बुलाते हों और इस प्रकार यात्रियों के लिए असुविधा उत्पन्न करते हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को इस आशय के निश्चित आदेश देने का है कि अग्रिम रूप से टिकट बुक करने वाले कर्मचारियों के न होने पर भी टर्मिनल स्थलों से बस के चलने से पहले ही यात्रियों को उनकी सीटों पर ही टिकट दिए जाएं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) भीड़-भाड़ वाले स्थान पर यात्रियों को पहले से ही टिकट देने के लिए एडवांस बुकिंग स्टाफ की नियुक्ति की गई है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जहां कहीं भी इस प्रकार की घटना का पता चलता है, सुधार के उपाय किए जाते हैं ।

(घ) इस सम्बन्ध में पहले ही से स्थायी आदेश दिए जा चुके हैं । इन आदेशों की कड़ाई से अनुपालन के लिए समय-समय पर इसे दुहराए जाते हैं ।

ग्रांड ट्रंक और तमिलनाडु एक्सप्रेस में टिकट निरीक्षकों के लिए आवंटन

1954. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रांड ट्रंक और तमिलनाडु एक्सप्रेस के तीन टायर और दो टायर स्लीपर कोचों में टिकट निरीक्षकों के आबंटन हेतु नियम क्या है;

(ख) क्या टिकट निरीक्षकों को बारी-बारी एक रेल गाड़ी से दूसरी रेल गाड़ी में लगाया जाता है; और

(ग) यदि हाँ, तो एक रेलगाड़ी से दूसरी रेलगाड़ी में कितने समय बाद लगाया जाता है।

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) चल-टिकट परीक्षकों की शयनयानों की देखभाल के लिए गलियारे-सहित गाड़ियों में एक शयनयान के लिए एक चल-टिकट परीक्षक तथा जहाँ शयनयान जुड़े हुए होते हैं और गलियारेदार होते हैं, वहां दो शयनयानों के लिए एक चल-टिकट परीक्षक तैनात किया जाता है। ग्रांड ट्रंक और तमिलनाडु एक्सप्रेस गाड़ियों के शयनयानों की इसी प्रकार की व्यवस्था की जाती है।

(ख) जी हां।

(ग) सप्ताह में गक बार।

दक्षिण अफ्रीका जाने पर प्रतिबन्ध

1955. **श्री वी० एन० गाडगिल** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कलाकारों, खिलाड़ियों और तकनीशिनों के दक्षिण अफ्रीका जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा हुआ है;

(ख) क्या किसी विशेष व्यक्ति के बारे में कोई छूट दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क), (ख) और (ग) जी हां। लेकिन भारतीय मूल के काफी बड़ी संख्या के दक्षिण अफ्रीकियों की वास्तविक सांस्कृतिक और धार्मिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर और बहुत प्रतिबन्धित आधार पर सांस्कृतिक दलों/धार्मिक प्रचारकों को दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की अनुमति दी गई है। इधर, बारे में सरकार ने अत्यंत सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। दक्षिण अफ्रीका के निकट पड़ोस के देशों में काम करने वाले भारतीय विशेषज्ञों को भी व्यावहारिक कारणों और बहुत जरूरत होने पर दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की अनुमति भी दी जाती है।

रेल दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

1956. **श्री भीखा भाई :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी रेल दुर्घटनायें हुई और उनमें से कितनी रेल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कितनी असामाजिक तत्वों के कारण हुई ; और

(ख) कितने मामलों में जिम्मेदारी ठहराई गई है और कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1979-80 से 1981-82 तक के तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेलों पर 3043 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई थी, जिनमें से 1873 दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की गलती की वजह से हुई और 25 दुर्घटनाओं पर तोड़-फोड़ होने का सन्देह किया गया था ।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान दुर्घटनाओं के लिए दोषी पाए गए 2298 रेल कर्मचारियों को दण्डित किया गया था ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मण्डलों में नामांकन के लिए आरक्षण सम्बन्धी नीति

1957. **श्री भीखा भाई :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संस्थाओं के अन्तर्नियमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों का सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामांकन रोकने वाला कोई विशिष्ट खंड नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उन व्यक्तियों को गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक नामांकित न करने के क्या कारण हैं, जिनके पास उद्योग, वाणिज्य, प्रशासन, ट्रेड यूनियन या सामाजिक क्षेत्र की प्रमाणित योग्यता है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उत्कृष्ट व्यक्तियों के नामांकित की सिफारिश उनके मन्त्रालय के विचाराधीन है;

(घ) यदि हाँ, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ङ) उनके मन्त्रालय के अधीन उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो तथा उनका

सहायक कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिनके बोर्डों में गैर-सरकारी/अंशकालिक निदेशक नामांकित किए जाते हैं तथा उनका कार्यकाल कितना होता है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री सी०एम० स्टीफन) : (क) और (ख) इस मन्त्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल में सदस्य के रूप में, नियुक्ति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के किसी भी सदस्य के लिए कोई रोक नहीं है। निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए सम्बन्धित क्षेत्रों में सदस्यों की योग्यता और अनुभव को आधार माना जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

(ङ) मन्त्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में निदेशक की नियुक्ति संस्था की अन्तर्नियमावली के तहत की जाती है।

अभी सभी निदेशक मंडलों का गठन हो चुका है।

पश्चिम रेलवे में रेल गाड़ियों का रद्द किया जाना

1958. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के बड़ौदा, बम्बई, अजमेर, कोटा, भावनगर और राजकोट प्रभागों में पिछले तीन महीनों में रद्द की गई रेल गाड़ियों की संख्या तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) गाड़ियाँ रद्द किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इन रेलगाड़ियों को पुनः चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि भविष्य में रेलगाड़ियाँ रद्द न की जायें ?

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जुलाई, 1982 में पश्चिम रेलवे के इन मण्डलों में कोई गाड़ी रद्द नहीं की गई थी। अगस्त और सितम्बर 1982 में विभिन्न अवधियों के लिए रद्द की गई गाड़ियों की संख्या मण्डलवार नीचे दी गई है :

मण्डल का नाम	रद्द की गई जोड़ी गाड़ियों की संख्या	
	अगस्त	सितम्बर
बड़ोदरा	41	28
बम्बई	3	2
अजमेर	8	—
कोटा	6	6
भावनगर	35	28
राजकोट	35	9

(ख) भाप कोयले की भारी तंगी के कारण।

(ग) इन सभी गाड़ियों को फिर से चला दिया गया है।

(घ) रेलों की कोयले की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भाप कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से कोयला विभाग और कोयला उत्पादक प्राधिकरणों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है। हाल ही में रेलों के कोयला स्टाक में भी सुधार हुआ है।

महत्वपूर्ण रेल गाड़ियों के समय पर आने जाने पर निगरानी

1959. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों के समय पर आने जाने पर निगरानी रखी जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो उन रेलगाड़ियों के जोन वार नाम क्या हैं जिनके समय पर आने जाने पर रेलवे बोर्ड द्वारा निगरानी रखी जाती है; और

(ग) विभिन्न जोनल रेलगाड़ियों की पिछले तीन वर्षों की समय पर आने जाने की औसत क्या है ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया—देखिए संख्या एल०टी० 5505/82]

कर्मचारियों का निलम्बन

1960. **श्री रामजी भाई भावणि :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 फरवरी, 1980 से 30 अगस्त, 1982 के दौरान भावनगर राजकोट डिवीजन में चतुर्थ, तृतीय और दूसरी श्रेणी के अनेक कर्मचारियों पर विभिन्न आरोपों और विभिन्न आधार पर निलम्बन, बर्खास्तगी की कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उनकी सेवाएं बहाल करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है और यदि हाँ तो क्या ?

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हाँ।

(ख) भावनगर मंडल

कोटि	निलम्बित	सेवा से हटाये गये	सेवा में बर्खास्त किये गये
श्रेणी iv	52	4	कोई नहीं
श्रेणी iii	100	3	कोई नहीं
श्रेणी ii	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
		राजकोट मंडल	
श्रेणी iv	71	14	13
श्रेणी iii	113	16	41
श्रेणी ii	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

(ग) (i) भावनगर मंडल में 145 निलम्बित कर्मचारियों को काम पर वापिस ले लिया गया है। सभी कर्मचारी, जिन्हें सेवा से हटा दिया गया था, फिर से बहाल किए जा चुके हैं।

(ii) राजकोट मंडल में 179 निलम्बित कर्मचारियों को काम पर वापस लिया जा चुका है। आठ कर्मचारी, जिन्हें सेवा से हटा दिया गया था, फिर से बहाल किए जा चुके हैं।

गैर कानूनी हड़ताल में भाग लेने के कारण सेवा से बर्खास्त किये गये 54 कर्मचारियों ने न्यायालय में याचिका दायर की है जिसका प्रतिवाद किया जा रहा है।

क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, गोहाटी द्वारा जारी किए गए पारपत्र

1961. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, गोहाटी ने कितने अन्तर्राष्ट्रीय पारपत्र जारी किये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि वहां काफी समय से बड़ी संख्या में पारपत्र सम्बन्धी आवेदन लम्बित पड़े हैं;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान कितने पारपत्र रद्द किए गये; और

(घ) गोहाटी कार्यालय ने बंगला देश की यात्रा से सम्बन्धित कितने पारपत्र जारी किए गए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) वर्ष 1981 के दौरान 2193 पासपोर्ट जारी किए गये थे।

(ख) जी नहीं। नये पासपोर्ट जारी करने के अनिर्णीत मामले 1.1.82 को केवल 286 और 1.9.82 को 245 थे।

(ग) कोई नहीं।

(घ) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गोहाटी ने कोई भी भारत-बंगला देश पासपोर्ट जारी नहीं किया था। ये पासपोर्ट असम के विभिन्न जिलों के उपायुक्त जारी करते हैं।

अल्पावधि पाठ्यक्रम लागू करने और प्रति व्यक्ति शुल्क लगाये जाने, कनिष्ठ डाक्टर एसोसियेशन का विरोध

1962. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनिष्ठ डाक्टर एसोसिएशन ने देश में अल्पावधि पाठ्यक्रम लागू करने का विरोध किया है ;

(ख) क्या उन्होंने सरकार से चिकित्सा कालेजों में प्रति व्यक्ति शुल्क समाप्त करने और अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा स्थापित करने की मांग की है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) हाँ।

(ग) और (घ) भारत सरकार विभिन्न मेडिकल कालेजों में छात्रों के प्रवेश के लिए ली जाने वाली केपिटेशन फीस की प्रथा के विरुद्ध है। इसी भांति सरकार अल्प कालिक चिकित्सा पाठ्यक्रमों को पुनः आरम्भ करने के भी पक्ष में नहीं है क्योंकि स्नातक डाक्टर पर्याप्य संस्था में पढ़ कर निकलते हैं।

जहाँ तक अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा का गठन करने का सम्बन्ध है, इस मामले पर गृह मंत्रालय द्वारा अलग से विचार किया जा रहा है।

मीटरगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1963. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय की मीटर गेज रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्य की समय सूची क्या है ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 31-3-81 को भारतीय रेलों की कुल 61,240 किलोमीटर मार्ग लम्बाई में से 25,167 किलोमीटर मीटर आमान की लाइनें हैं। संसधानों की तंगी के कारण मीटर आमान की सभी लाइनों का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन सम्भव नहीं है।

आमान परिवर्तन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का अनुसरण किया जा रहा है :—

(i) जब कोई खंड संतृप्त हो जाता है तथा अतिरिक्त निवेश करने, आमान परिवर्तन की कमी के कारण अतिरिक्त यातायात की सम्हलाई करने में असमर्थ हो।

(ii) जब अन्तर्विष्ट यानान्तरण की मात्रा इतनी है कि यह किफायती नहीं है या यातायात की प्रत्याशित मात्रा को सम्हलाई के लिए बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है।

(iii) जब यह उन क्षेत्रों के लिए, जिनके विकास की सम्भावनाएं हैं, द्रुत और निर्बाध संचार साधनों की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक हों।

इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसरण में 4978 किलोमीटर की लम्बाई में मीटर आमान लाइनों की बदलाव परियोजनाएं प्रगति पर हैं जिनमें से 729 किलोमीटर लम्बाई की मीटर आमान लाइन का बड़ी लाइन में पहले ही बदलाव कर दिया गया है। पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण शेष सभी मीटर लाइनों के बदलाव के लिए कोई सही लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती है।

महाराष्ट्र में और अधिक इंजीनियरी कालेजों तथा संस्थानों की स्थापना

1964. श्री बी०एन० गाडगिल : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्स्टीट्यूट आफ एप्लाइड मैन पावर रिसर्च, नई दिल्ली द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि 1983-84 तक महाराष्ट्र में 39,005 इन्जीनियर स्नातक मिल सकेंगे जब कि माँग 46,370 इन्जीनियरी स्नातकों की होगी तथा इन्जीनियरी डिप्लोमाधारी 60278 मिल सकेंगे और मांग 71259 की होगी ;

(ख) क्या इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार की बात से सहमत होगी कि महाराष्ट्र में और अधिक इन्जीनियरी कालेज और संस्थान स्थापित किए जायें ; और

(ग) महाराष्ट्र सरकार का विचार कितने कालेज और संस्थान खोलने का है और उनमें से कितने स्वीकृत हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं। अध्ययन से पता चलता है कि महाराष्ट्र राज्य में इन्जीनियरी स्नातक और डिप्लोमाधारियों की उपलब्धता 1978 के अंत में क्रमश: 39,005 और 60,278 तथा 1983 के अंत में क्रमश: 47,360 और 71,259 होगी ।

(ख) महाराष्ट्र राज्य में और अधिक इन्जीनियरी कालेजों की स्थापना का अनुमोदन राज्य अथवा इसके विशेष क्षेत्र की सुनिश्चित आवश्यकता पर निर्भर करेगा जिसमें संस्था स्थापित किया जाना है और इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रस्तावों पर कार्रवाई अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित विशिष्ट मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार की जायेगी ।

(ग) एक नये इंजीनियरी कालेज और एक नये पालिटेक्निक के लिए महाराष्ट्र राज्य के प्रस्ताव मन्त्रालय द्वारा 1981 में पहले ही अनुमोदित किए जा चुके हैं तथा एक और इन्जीनियरी कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है । एक और नया इन्जीनियरी कालेज तथा छ: पालिटेक्निकों की स्थापना के प्रस्तावों के सम्बन्ध में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की पश्चिमी क्षेत्रीय समिति द्वारा अभी विचार किया जा रहा है । इसके अलावा तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार के प्रस्ताव पर भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जाँच की जा रही है ।

महाराष्ट्र के लिए अधिक इंजीनियरी कालेजों की मंजूरी

1965. **श्री बी०एम० गाडगिल :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्रमश: 40, 14, 32 और 30 इन्जीनियरी कालेज तथा पोलीटैकनीक हैं जबकि महाराष्ट्र में केवल 8 इन्जीनियरी कालेज और 20 पोलीटैकनीक हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र सरकार द्वारा संस्थापन के लिए प्रस्तावित सभी इन्जीनियरी कालेजों और संस्थानों का मंजूरी देने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मान्यता प्राप्त इन्जीनियरी कालेजों, तकनीकी संस्थानों तथा पोलिटेकनीकों की संख्या क्रमश: 42, 24, 35 तथा 49 है जबकि महाराष्ट्र राज्य में इन्जीनियरी कालेजों, तकनीकी संस्थानों तथा पोलिटेकनीकों की संख्या 55 हैं।

(ख) किसी नए इन्जीनियरी कालेज अथवा पोलिटेकनीक की स्थापना के लिए स्वीकृति महाराष्ट्र राज्य के क्षेत्र विशेष की सुस्थापित आवश्यकताओं पर निर्भर करता है जहाँ कि संस्थान स्थापित किया जाना है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के प्रस्ताव पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित रूप रेखाओं के अनुसार विचार किया जाएगा।

नान-कालेजिएट उम्मीदवारों को एल०एल०बी० की परीक्षा देने पर रोक

1966. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय बार-कौंसिल ने नान-कालेजिएट विधि स्नातकों को वकील के रूप में पंजीकरण करने पर रोक लगा दी है और विश्वविद्यालयों को अनुदेश जारी किए हैं कि नान-कालेजिएट उम्मीदवारों को एल०एल०बी० की परीक्षा में न बैठने दें ;

(ख) यदि हां, तो बार-कौंसिल ने इसके क्या कारण बताए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि जो महिला उम्मीदवार गृहस्थ बन जाने पर नान-कालेजिएट के रूप में एल०एल०बी० परीक्षा पास करके वकालत करना चाहती है उन पर इस निर्णय का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत, भारतीय बार, परिषद, विश्व-विद्यालयों में कानूनी शिक्षा के न्यूनतम स्तर निर्धारित करने तथा अधिवक्ता के रूप में नामांकन के प्रयोजन के लिए विधि में डिग्रियों को मान्यता प्रदान करने के लिए सक्षम है। इसके प्रावधानों के अन्तर्गत बार परिषद ने यह निर्धारित किया है कि विधि के छात्र को, उस परीक्षा में, जिससे वह अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए अर्हक होगा, अनुमति देने से पहले 66 प्रतिशत लेक्चरों में उपस्थित रहना जरूरी होगा। बार-परिषद के अनुसार जनता की उपयुक्त और कारगर सेवा करने के वास्ते इस व्यवसाय के लिए यह आवश्यकता जरूरी है। परिषद ने आगे यह भी निर्धारित किया है कि विधि के किसी भी प्राइवेट छात्र को अधिवक्ता के रूप में नामांकित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उसके पास उतनी व्यावसायिक सक्षमता नहीं होगी, जितनी नियमित पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले उम्मीदवार के पास होती है। इस मामले में पुरुष और महिला छात्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता।

———

हल्दिया में ठेकेदारों दवारा लगाये गये मजदूरों की हड़ताल के बारे में दिनांक 22 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न सं० 2385 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

प्रश्न का उत्तर हल्दिया गोदी कम्पलेक्स प्राधिकारियों द्वारा टेलेक्स से भेजी गई सूचना पर आधारित था। प्राप्त सूचना में अनजाने में टाइपिंग की गलती के कारण उल्लिखित समझौते के बारे में उत्तर के एक भाग में सही स्थिति नहीं बताई गई। इसलिए प्रश्न के उत्तर को निम्न प्रकार पढ़ा जाए :

(क) से (च) 'हल्दिया के सामान्य कार्गो बर्थ पर कार्गो चढ़ाने-उतारने के कुछ कार्य के लिए विभिन्न निपटान और नौवहन एजेन्टों द्वारा लगाए गए मजदूरों ने 15.5.82 से काम करना बन्द कर दिया और 5.6 82 से पुनः प्रारम्भ किया। कलकत्ता पत्तन प्राधिकारियों द्वारा रोजगार कार्यालय के माध्यम से 96 कार्गो चढ़ाने-उतारने वाले मजदूरों की भर्ती के कारण ही उत्तेजना वश काम रोक दिया गया। हड़ताली मजदूरों की मांग यह थी कि कलकत्ता पत्तन प्राधिकारी कार्गो चढ़ाने-उतारने वाले मजदूरों की भर्ती उन्हीं में से करे न कि रोजगार कार्यालय के माध्यम से। कलकत्ता पत्तन न्यास के प्रतिनिधियों, विशेष सचिव और श्रम आयुक्त, पश्चिम बंगाल सरकार और कलकत्ता पतन तथा तटीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के बीच विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप 4.6.82 को समझौता हो गया। समझौते की प्रमुख विशेषता यह है कि पत्तन न्यास के कार्गो चढ़ाने उतारने वाले मजदूर (96 नई भर्ती वाले समेत) अस्थायी रूप से जहाजों पर काम करेंगे न कि तट

पर । इस कार्य को 750 मजदूरों के विद्यमान समूह करते हैं जिन्हें फिलहाल हल्दिया गोदी कम्पलेक्स में कार्गो चढ़ाने उतारने के कार्य में विभिन्न निपटान और नौवहन एजेन्टों ने लगा रखा है । यह कार्य किसी पत्तन मजदूर को दिया जाएगा । यह व्यवस्था 3 महीने की अवधि तक जारी रहेगी जिसके दौरान राज्य सरकार और सम्बन्धित पार्टियां, विभिन्न निपटान और नौवहन एजेन्टों द्वारा लगाए गए मजदूरों को रोजगार देने के लिए नौवहन और परिवहन मंत्रालय के परामर्श से उपयुक्त योजना बनाएगी ।

क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कलकत्ता को हड़ताल के बारे में अवगत कराया जाता रहा जिन्होंने समझौता बैठक भी बुलाई" ।

उत्तर में उल्लिखित समझौते की प्रति प्राप्त होने पर उत्तर में हुई गलती का पता चला । चूंकि उत्तर देने के एक सप्ताह के बाद समझौते की प्रति प्राप्त हुई, इसलिए एक सप्ताह के अन्दर उत्तर को सही करने के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की जा सकी । माननीय सदस्यों को हुई असुविधा के लिए खेद है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : इस पर आप हाफ-एन-आवर डिसक्शन एलाउ कर दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए ।...(व्यवधान)...

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में संथाल परगना में छः आदिवासियों की हत्या कर दी गई है । ला-एंड-आर्डर भले ही स्टेट का है, लेकिन हरिजन और आदिवासियों का मामला केन्द्र का है । बिहार में हरिजन आदिवासी रोज मारे जा रहे हैं ।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : यह स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न नहीं है ।

...(व्यवधान)...

श्री हरीश कुमार गंगवार : एन्सी फलाइट्स से सैंकड़ों मृत्यु वैस्ट बंगाल में हो गई है ।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैंने कालिंग एटेंशन दिया है ।

...(व्यवधान)...

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : अध्यक्ष महोदय, भाभा एटोमिक रिसर्च सेन्टर की एक पेंसिल चोरी हो गई है...

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे विचाराधीन है ।

प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मुझे आज एक आवश्यक प्रश्न पूछना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डा० स्वामी के बारे में है। समाचार पत्रों में सह प्रकाशित हुआ है कि डा० स्वामी इजराइल जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसमें आपको क्या परेशानी है ?

प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती : वह इस सदन के सदस्य हैं। लेबनान पर इजराइल के हमले की सारे संसार ने निंदा की है किन्तु उनका कहना है कि इजराइल की सरकार ने उन्हें आमन्त्रित किया है।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैंने भी इजराइल सरकार की निन्दा की है।

प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती : संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार, यह एक सांविधिक समस्या है···

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों की स्वतन्त्रता का संरक्षक हूं। वह इस सदन के एक स्वतन्त्र सदस्य हैं।

प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती : वह इजराइल सरकार के आमन्त्रण पर इजराइल जा रहे हैं।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : मैं इजराइल नीति का समर्थन नहीं करता हूं। वह यह भी कहें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नागर ऐसा न करें। यह मुझे बुरा लगता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नागर जो भी कहे उसे रिकार्ड न किया जाय···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह आपत्तिजनक कार्य कर रहे हैं····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सद्व्यवहार की सारी सीमायें लांघ रहे है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री हाल्दर :

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : बिहार में पांच आदीवासी मारे गए हैं। श्री पासवान द्वारा उठाया गया स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए···

अध्यक्ष महोदय : अस्वीकृत किया जाता है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित 'डेंजरस बी० ए० आर० सी० पेंसिल स्टोलन' का मामला बहुत गम्भीर है। क्या आप इस कालिंग एटेंशन को स्वीकार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे पास है तथा मेरे विचाराधीन है।

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र

पासपोर्ट अधिनियम आदि के अधीन अधिसूचनायें

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : मैं निम्न पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 24 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 469 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5489/82)

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी की ओर से निम्न पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (पांचवां संशोधन) नियम, 1982 की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 29 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 476 (अ) में प्रकाशित हुए थे। ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 5490/82)

———

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंध के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 12 अक्तूबर, 1982 की अपनी बैठक में, 5 अक्तूबर, 1982 को लोक सभा द्वारा पारित अमृतसर आइल वर्क्स (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) विधेयक, 1982 से, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : यह दहेज का मामला है ; श्रीमती गोपालन खड़ी हैं।

(व्यवधान)

श्री हरीश गंगवार (पीलीभीत) : यह गेहूं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ दो, उस पर देखेंगे।

(व्यवधान)

मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। स्वास्थ्य मंत्री महोदय, कृपया आप मेरे सदस्य की सहायता करें। श्रीमती गोपालन।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, अब मेरी बारी है। अध्यक्ष महोदय मुझे आशा है कि आप मुझसे सहमत होंगे···

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : जनाब आपको मेम्बर साहिब के अरेस्ट की इत्तिला कब मिली ?

अध्यक्ष महोदय : मैं सुबह अनाउन्स कर चुका हूं। आप अगर लेट आए तो यह कुसूर आप का है, मेरा नही है। मैंने तो अनाउन्स किया है, आप ही नहीं थे।

श्री रशीद मसूद : वे कब अरेस्ट हुए ?

अध्यक्ष महोदय : मैं यही कर रहा हूं, वह आप देखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसी विषय पर हूं। कार्य सलाहकार समिति की बैठक में आप उपस्थित नहीं थे। अब श्रीमती गोपालन···(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह सभा पटल पर रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति के बिना सभा-पटल पर कुछ भी नहीं रखा जाता है जब आप राज्य में आए तो आप मुख्य मंत्री से पूछे। श्रीमती गोपालन (व्यवधान) महिला सदस्य के प्रति आप कोई सम्मान नहीं दिखा रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : अध्यक्ष महोदय, इस समय मेरी बारी है। मुझे आशा है कि आप मेरा समर्थन करेंगे।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सभी बैठ जायें। श्रीमती गोपालन।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैंने आपको बिहार के आदिवासियों के बारे में लिखकर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : गेहूं वाला क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने 377 में आज अलाऊ किया है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : रोटी पर आपने क्या किया है ?

अध्यक्ष महोदय : रोटी का मसला सबसे बड़ा मसला है। (व्यवधान) श्री नागर आपको हमेशा जोर से बोलने की आदत है। मैंने इस विषय पर आज ही 377 में अनुमति दी है। यह भी एक चर्चा है। चिल्लाइए मत। आपका यह व्यवहार अच्छा नहीं है। आप एक ग्रुप के नेता हैं।

श्री राम विलास पासवान : देश की हालत बहुत खराब है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज 377 में आ रहा है।

(व्यवधान)

श्री निरेन घोष (दमदम) : श्रमिकों को मारा गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी सेहत खराब हो जाएगी। आपकी सेहत का हमें बहुत ख्याल है।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, स्वयं आपने यह कहा था और यह अब कार्यवाही का अंग है कि आप श्री अडवाणी के विरुद्ध मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव पर विनिर्णय देंगे। उन्होंने श्री बहुगुणा, को के०जी०बी० का एजेंट कहा है। आपको इस पर अपना विनिर्णय देना है।

अध्यक्ष महोदय : जल्दी क्या है ?

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : उनकी सभा के अन्दर, बाहर हर जगह के० जी० बी० के एजेंट के रूप में निन्दा की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं, कृपया जल्दी मत मचाइए। जल्दबाजी में भी समय लगता है। आप बैठ क्यों नहीं जाते ?

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : तीन दिन पहले के आपके विनिर्णय के अनुसार इस सभा में कोई विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। इसे राज्य सभा को जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा ही है, मेरी अनुमति से।

प्रो० के० के० तिवारी : क्या यह प्रो० दंडवते का विनिर्णय है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। बस ! (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : चार औरतें हैं, एक आदमी को भी ले लेते तो संख्या पूरी हो जाती।

अध्यक्ष महोदय : आपको शामिल नहीं किया जा सकता, आप पर इनको एतबार नहीं है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

राजधानी में दहेज के कारण हुई मौतें

श्रीमती सुशीला गोपालन (अलेप्पी) : महोदय, मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करती हूं और अनुरोध करती हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें :—

"हाल ही में समाचार पत्रों में प्रकाशित राजधानी में दहेज के कारण हुई अनेक क्रूरतापूर्ण मौतों का समाचार और इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : सरकार दहेज के कारण हुई मौतों की बढ़ती हुई घटनाओं के बारे में अत्यधिक चिन्तित है।

चालू वर्ष के दौरान 30 सितम्बर 1982 तक दिल्ली पुलिस को दहेज के कारण हुई मौतों के 31 मामले सूचित किए गए हैं। इनमें से दस मामले भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन हत्या के मामलों के रूप में और 21 मामले भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अधीन दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में 56 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से पांच मामलों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिए गए हैं और अन्य मामलों में जांच पड़ताल की जा रही है। इन सभी मामलों में आरोप लगाया गया है कि ससुराल वालों ने कम दहेज के कारण मृतक के साथ दुर्व्यवहार किया। मृतकों की या तो हत्या की

गई या उन्हें इतना सताया गया कि उन्होने आत्महत्या कर ली । दहेज के कारण मौतों की घटनाओं से शीघ्रता और कारगर ढंग से निपटने के लिए और ऐसे दमनकारी और समाज विरोधी कार्य करने वाले शरारती लोगों को सजा दिलवाने के लिए सरकार निरंतर कोशिश कर रही है ।

किए गए कुछ प्रशासनिक उपाय इस प्रकार हैं :—

(एक) जवान विवाहित महिलाओं की शादी के प्रथम दस वर्षों में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी आत्महत्या अथवा मृत्यु के सभी मामलों को गंभीरता से लेने के लिए पुलिस अधिकारियों को अनुदेश दिए गए हैं । इन मामलों को विशेष रिपोर्ट के मामले माना जाता है और जांच पड़ताल किसी ऐसे अधिकारी को करनी पड़ती है जो पुलिस उप अधीक्षक (पुलिस सहायक आयुक्त) के रैंक से नीचे का अधिकारी न हो ।

(दो) ऐसी विवाहित महिलाएं जो विपत्ति में हैं और जिनको दहेज के कारण ससुराल वालों ने पीड़ित किया है को परामर्श देने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण निदेशालय द्वारा दहेज विरोधी योजना के अधीन एक मेल-मिलाप व मार्गदर्शन ब्यूरो स्थापित किया गया है । निदेशालय विभिन्न जन-सम्पर्क के माध्यमों से प्रचार/प्रसार भी कर रहा है ।

(तीन) दहेज के कारण हुई मौतों के मामलों में कम से कम दो डाक्टरों द्वारा शव परीक्षा कराने के अनुदेश जारी किए गए हैं । इसके अतिरिक्त डाक्टरों के लिए मृत्युकालिक कथन को दर्ज करने के समय आवश्यक प्रमाणीकरण और तसदीक करना आवश्यक है ।

(चार) ऐसे मामलों में मृत्युकालिक कथन दर्ज करने के लिए विशेष मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं ।

(पांच) वे सभी महिलाएं जो अपराधों की शिकार होती हैं, मुफ़्त कानूनी सहायता की पात्र हैं ।

माननीय सदस्यों को मालूम है कि दहेज निषेध अधिनियम को अधिक कारगर बनाने के लिए संसद की संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशें सदन के पटल पर रख दी गई हैं ।

दिल्ली उच्च न्यायालय जिसके नियंत्रण और अधीक्षण में दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालय कार्य कर रहे हैं, ने दहेज के कारण मौतों से संबंधित मामलों के विचारण और निपटान के लिए तीस हजारी न्यायालय परिसर में अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायाधीश का एक न्यायालय निर्धारित किया है ।

मैं समाज के सभी वर्गों विशेषत: महिला कल्याण संगठनों से इस सामाजिक बुराई को दूर करने हेतु सरकार के प्रयासों के लिए जनमत तैयार करने और जन-सहयोग प्राप्त करने के लिए अपील करता हूं। कानून के अतिरिक्त अन्तत: दहेज की बुराई को रोकने के लिए समाज को प्रबुद्ध करना तथा जनमत और विवेक को सजग करना होगा।

श्रीमती सुशीला गोपालन: महोदय, यह बहुत दु:खद बात है कि दैनिक समाचार पत्रों में, विशेषकर राजधानी में दहेज के कारण हुई क्रूरतापूर्ण मौतों की ज्यादा से ज्यादा समाचार आ रहे हैं। मन्त्री जी के अनुसार, पिछले 10 महीनों के दौरान दहेज के कारण केवल 32 मौतें हुई अर्थात् सितम्बर, 1982 तक। परन्तु 19.6.1982 के 'पेट्रियट' समाचार पत्र के समाचार के अनुसार दहेज के कारण हुई मौतों के और महिलाओं के तथाकथित आत्म हत्याओं के 137 मामले थे, 100 मामलों में हत्या का सन्देह है। अत: दहेज के कारण हुई मौतों के लगभग 137 मामले हैं और 100 मामलों में हत्या का सन्देह है। 'पेट्रिअट'

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

समाचार पत्र में यह समाचार था। ऐसे ही अनेक मामले हैं जिनकी कोई खबर ही नहीं मिल पाती है। 1.7.1982 का समाचार पत्र 'स्टेट्समैन' लिखता है कि औसतन प्रतिदिन एक नववधू को जलाये जाने की घटना घट रही है। उनके अनुसार, एक गैर-सरकारी स्रोत का विचार है कि राजधानी में प्रत्येक 12 घंटों में एक नववधू को जलाया जाता है। केवल जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही दहेज के कारण लगभग 11 मौतों के समाचार थे। इस आशय के समाचार समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे और मेरे पास इस विशिष्ट समाचार की कतरन है। यह दावा किया जाता है कि लोगों में जागरूकता पैदा होने के कारण अधिक मामलों की रिपोर्ट की जाती है। अन्यथा मामले अधिक नहीं थे। यह कैसे सच हो सकता है? मैं इस दावे के पीछे तर्क को नहीं समझ सकी हूं। यदि देश में आम अपराध की स्थिति वृद्धि पर है तो दहेज के कारण मौतें कैसे कम हो सकती हैं? आप कहते हैं कि यह मामलों की रिपोर्ट करने में वृद्धि के कारण ही नहीं बढ़ रही हैं, परन्तु यह आर्थिक संकट बढ़ने, आर्थिक असमानताएं बढ़ने, मूल्य वृद्धि के कारण भी हैं जो आपके विकास के पूंजीवादी मार्ग अपनाने का परिणाम हैं। इससे लोगों में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो गया है। परन्तु इसमें वास्तविकता है जिस पर हमें विचार करना होगा और स्थिति के अनुसार कार्य करना होगा।

अब मुद्दा यह है कि स्थिति को काबू में कैसे किया जाए? एक तो कड़े कानूनी उपाय हैं। दहेज निषेध विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन 11 अगस्त, 1982 को प्रस्तुत कर दिया था। इस विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ अपराधियों के विरुद्ध कड़े उपाय करने की व्यवस्था करता है। अब, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? दो महीने गुजर गए हैं परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यदि

इस सम्बन्ध में सरकार इतनी चिन्तित है तो वे इस सत्र के दौरान विधेयक को विचार करने और पारित करने के लिए ला सकते थे। विधि मन्त्रालय ने समिति की बैठक में किए गए सभी विचार-विमर्शों पर पहले ही विचार कर लिया है। वे इन विचार-विमर्शों और बैठक में व्यक्त किए गए विचारों पर विचार करते हुए विधेयक तैयार कर सकते थे और इसी सत्र में उसे ला सकते थे। इन अपराधियों को कड़े कानून से दंडित करने के लिए विभिन्न संगठनों की मांगें थीं। परन्तु उस पर विचार नहीं किया गया। परन्तु आप कहते हैं कि ऐसे अनेक तरीके हैं कि किस प्रकार मामलों को दर्ज किया जाता है आदि। ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा क्या भूमिका निभाई जाती है? आपने हमें बहुत अच्छा निर्देश दिया है जो आपने पुलिस को दिया था। पुलिस का सहायक अधीक्षक जांच करेगा और ऐसी जांच की पुलिस उपायुक्त पुनरीक्षा करेगा। ऐसे मामलों में, मृत्यु पूर्व बयान लेने के लिए विशेष मजिस्ट्रेट उपस्थित होगा। दिल्ली जैसे महानगरों के मामले में यह सुझाव दिया गया था कि उप राज्यपाल मामलों की पुनरीक्षा करेंगे। ये सब अच्छे सुझाव हैं। मैं उनकी प्रशंसा करती हूं। परन्तु ऐसे मामलों में हमारा वास्तविक अनुभव क्या है? मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकती हूं जिनमें पुलिस ने सहयोग नहीं दिया है। उदाहरण के लिए 18 अक्तूबर, 1982 को साढ़े बाइस वर्षीया गर्भवती नीरू गुप्ता को उनके पति के निवास स्थान शकूरपुर, पश्चिमी दिल्ली में जला दिया गया था। उसे सफदरजंग अस्पताल में 90 प्रतिशत जली हुई अवस्था में भर्ती कराया गया था। उसका गर्भपात हो गया था। होशो-हवास में उसने एक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक बयान दिया कि उसे उसकी सास द्वारा दहेज के लिए परेशान किया जाता था जिसके कारणवश उसने स्वयं को आग लगा ली। तत्पश्चात्, उसने अपने परिवार को बताया कि उसकी सास ने उसे जलाया था और उसने अपने पति को बचाने के लिए यह बयान दिया था जिसने उसे आग से बचाने के लिए प्रयत्न किया था।

हमारे पास जनवादी महिला समिति नाम से एक संगठन है जो ऐसी भाग्यहीन लड़कियों का उद्धार करती रही है। हमने अनेक मामलों में हस्तक्षेप किया है और एक मामले में तो हमारी सहायता से लड़की के माता-पिता को दहेज लौटाया गया था। जैसे ही हमें इसका पता लगा, हमारे संगठन का एक प्रतिनिधि सफदरजंग अस्पताल गया और नीरू गुप्ता ने विस्तार से उसे बताया कि किस प्रकार उसकी सास ने उसे जलाया था। वे तत्काल पश्चिम जिले के कार्यभारी पुलिस उपायुक्त श्री बलवन्त सिंह से मिले। उन्होंने उन्हें सूचित किया कि नीरू एक पूरा बयान देना चाहती थी और वह तत्काल एक मजिस्ट्रेट से सम्पर्क करें और उन्हें सूचित करें कि उस लड़की ने पहला बयान दबाव में आकर दिया था। श्री बलवन्त सिंह ने कहा कि "उस समय उस पर कोई दबाव नहीं था और अब उस पर कुछ कहने के लिए दबाव डाला गया है" और उन्होंने कुछ भी करने से इंकार कर दिया। उन्होंने उन्हें बताया कि उसकी हालत खराब हो रही है और किसी को उसका बयान लेने के लिए जाना चाहिए।

फिर भी, बहुत लम्बी और गरमागरम बहस के बाद वह अपने थानेदार को मजिस्ट्रेट के पास भेजने के लिए सहमत हो गए। एक घंटे के बाद उन्होंने उनको सूचित किया कि मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं है। उन्होंने उनको बताया कि लड़की की हालत बहुत खराब है और यदि किसी प्रकार का और अधिक विलम्ब हुआ तो वह बयान नहीं दे पाएगी। अन्ततोगत्वा, उन्होंने कहा कि वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी बयान दर्ज करेंगे। यह रात्रि के साढ़े दस बजे की बात है परन्तु उनको पता चला कि कोई पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं था। उन्होंने वहां पर मौजूद डाक्टरों से बयान दर्ज करने के लिए कहा परन्तु वे भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद उन्होंने लड़की का पूरा बयान टेप-रिकार्ड किया। यदि मन्त्री महोदय चाहें तो मैं टेप-रिकार्ड किया हुआ बयान प्रस्तुत कर सकता हूं। उसने अपने बयान में कहा—

"मेरी सास ने मुझे जलाया है। पहले मेरी सास और ननद ने मुझे यह कहते हुए पीटा कि तुम दस हजार रुपए क्यों नहीं लाई? उसने मुझ पर मिट्टी का तेल डाल दिया और जला दिया। जब मैं चीखी तो मेरे पति मुझे बचाने के लिए दौड़े। उसने उसे रोकने की कोशिश की। वह एक कम्बल लाए परन्तु उसने मुझ पर एक बाल्टी पानी डाल दिया, यद्यपि उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। मैंने जो पहले बयान दिया था वह सही नहीं था। इसे सही बयान समझा जाए।"

अब पुलिस कर्मचारी यह कैसे कह सकते हैं कि वे दूसरा बयान दर्ज नहीं करेंगे?

बयान टेप किए जाने के बाद, उन्होंने फिर पुलिस से सम्पर्क करने की कोशिश की। 7 अक्तूबर की सुबह इस परिवार ने हमारी समिति को सूचित किया कि वह मरणासन्न हो रही है और शायद बोल नहीं सकेगी। दोपहर में एक बजे एक पुलिस सब इंस्पैक्टर को बयान दर्ज करने के लिए भेजा गया, परन्तु उस वक्त वह बयान देने की हालत में नहीं थी।

यह हालत है और दूसरी ओर आप यह कह रहे हैं कि महिला संगठनों को सहयोग करना चाहिए। हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इस बारे में गंभीरतापूर्वक रुचि रखने वाले बहुत से महिला संगठन हैं परन्तु क्या सरकार इस बारे में गंभीर है?

इसके अलावा, ऐसी बहुत-सी घटनाएं हैं। डा० शिप्रा गर्ग तथा डा० सुरजीत कौर भी दुःखद परिस्थितियों में मरी थी और इस कुरीति की शिकार बनी थी। ऐसे मामलों में पुलिस का ऐसा ही रुख था। मैं आपको ऐसे अनेक उदाहरण दे सकती हूं। आपने संकेत दिया है कि आपने इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं परन्तु व्यावहारिक रूप में हम क्या देखते हैं? सरकार इस बारे में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। आपने इसके लिए किस तन्त्र की व्यवस्था की है? समाज कल्याण बोर्ड द्वारा गठित एक दहेज-विरोधी समिति है। क्या

आप कम से कम साक्ष्य और मरणासन्न व्यक्ति के बयान लेने में उनको सम्बद्ध कर सकते हैं ? यदि यह उचित रूप से कार्य करे तो यह एक अच्छा संगठन है । जब पुलिस कर्मचारी ऐसा करने से इन्कार कर रहे हैं तो हमारे लिए और क्या उपाय है ? क्या आप दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं ? अन्यथा कुछ भी नहीं किया जा सकता ?

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं कि सरकार दहेज-विरोधी विधेयक में संशोधन करने के लिए कानून कब ला रही है ? हमने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । इसके अलावा, यदि हमें ऐसी घृणित मौतों को रोकना है तो विभिन्न सम्बन्धित कानूनों में संशोधन करने की भी जरूरत है । अतः यदि सरकार की इन बातों को क्रियान्वित करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति है तो आप सम्पत्ति के अधिकार, आपराधिक तथा ऐसे ही अन्य कानूनों में संशोधन करने और कानून बनाने के लिए आगे आयें । महोदय, हम जानना चाहते हैं कि यह कानून कब लाया जएगा क्योंकि अब बहुत विलम्ब हो चुका है ?

इसके अलावा यदि पुलिस कर्मचारी सहयोग करने से इन्कार कर रहे हैं तो क्या व्यवस्था की जाएगी ? लोग कहाँ जायेंगे ? उसके लिए क्या व्यवस्था है ? और महोदय, जो पुलिस कर्मचारी दोषी हैं उनके विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

ये प्रश्न हैं । हम तो सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं परन्तु आपको देखना है कि दहेज के कारण होने वाली मौतें बढ़ रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इनका समाधान कैसे करेगी ?

श्री पी० वेंकटसुब्बया : महोदय, मैं माननीय सदस्य की इन घिनौनी सामाजिक कुरीतियों के सम्बन्ध में प्रकट चिंता से सहमत हूं ।

सर्वप्रथम, उन्होंने पूछा कि यद्यपि संयुक्त प्रवर समिति ने दो महीने पहले प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था तथापि सरकार ने इसे संसद में पुरःस्थापित नहीं किया है । महोदय, इसे संसद में पुरःस्थापित करने में सरकार को कोई झिझक नहीं है । मैं निश्चय ही अपने सहयोगी, समाज कल्याण प्रभारी मन्त्री, जो इस विधेयक के प्रभारी हैं, को जोर देकर कहूंगा कि वह इस प्रतिवेदन को विधेयक के रूप में शीघ्रातिशीघ्र संसद में पुरःस्थापित करें ।

महोदय, माननीय सदस्य ने श्रीमती नीरू गुप्ता के मामले का उल्लेख किया है । यदि माननीय सदस्य में थोड़ा धीरज है तो नीरू गुप्ता का मामला पढ़कर सुना दूं । भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के अंतर्गत पंजाबी बाग में एक मामला दर्ज किया गया है, जिसे

बाद में 7-10-1982 को भा० दं० सं० की धारा 306 में परिवर्तित कर दिया गया। यही तारीख है जिस दिन श्रीमती नीरू गुप्ता सफदरजंग अस्पताल में मरी।

स्थानीय पुलिस को जानकारी 15-10 82 को 10.50 बजे म० पू० पर मिली जो अमुक संख्या, शकूर बस्ती, के अनुसार अंकित है कि नीरू, अशोक कुमार की पत्नी, आयु 20 वर्ष को उसके पति द्वारा 100 प्रतिशत जली हालत में सफदरजंग अस्पताल में दाखिल कराया गया था। प्रभारी पुलिस अधिकारी तत्काल अस्पताल गया और दोपहर के लगभग 12 बजे डाक्टरी कानूनी जानकारी प्राप्त कर सका और उसने बिना किसी प्रकार के विलम्ब के जली हुई औरत का बयान दर्ज किया।

महोदय, उसने बयान दिया कि जब वह खाना बना रही थी तो मिट्टी के तेल का डिब्बा उतार रही थी जो उसके हाथ से छूट गया और जलते स्टोव पर पड़ गया जिससे उसके कपड़ों में आग लग गई। यह उसका पहला बयान था। यह बयान दोपहर के 12 बजे दर्ज किया गया और उसने कहा कि उसकी शादी आठ महीने पहले हुई थी और उस दिन सुबह वह अपने पति के लिये स्टोव पर प्याज के पराठे बना रही थी। अचानक ही स्टोव का तेल समाप्त हो गया और उसने स्टोव में मिट्टी का तेल भरा और ऐसा करते समय उसका गाउन भी तेल में भीग गया और जब उसने स्टोव जलाया तो आग जली और उसका गाउन भी आग पकड़ गया। उसके पति ने आग बुझाने की कोशिश की और ऐसा करते समय उनके हाथ आदि जल गये। मरते समय दिये जाने वाले उस बयान में उसने किसी के विरुद्ध कुछ नहीं कहा था और उस पर उसके विधिवत हस्ताक्षर हैं तथा जिसे श्रीमती फूलवती, पत्नी—श्री विजय कुमार गुप्ता और नीरू की बुआ तथा डा० ए०एस०एन० राव की उपस्थिति में दर्ज किया गया।

इसके अलावा, हमने बाद में जली हुई औरत का बयान दर्ज करने के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट की सेवाएं मांगी। दिन के लगभग 2.30 बजे श्री अजीत श्री वास्तव, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, पंजाबी बाग ने नीरू के पिता श्री कान्ति प्रसाद की उपस्थिति में बयान दर्ज किया। बयान में नीरू ने पहले कहा कि उसकी सास ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। परन्तु शीघ्र ही उसने अपनी बात का खंडन किया और कहा कि उसने स्वयं अपने आपको जलाया है क्योंकि उसकी सास उसे और उसके पति को पीटा करती थी। उसने फिर कहा कि उसे अपने पति के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है और इसके विपरीत कहा कि उसके पति और पड़ोसियों ने उसे बचाना चाहा जबकि सास ने उसके ऊपर पानी फेंक दिया जिससे उसे अत्यधिक पीड़ा हो रही है।

हमने इस बयान के आधार पर मामला दर्ज किया है। यह बात नहीं है कि कोई मामला दर्ज ही नहीं किया गया है। इसे भा० दं० संहिता की धारा 309 के अधीन दर्ज किया गया था जिसे श्रीमती नीरू की मृत्यु के बाद भा० दं० सं० की धारा 309 में परिणत कर दिया गया। जांच चल रही है और हम इसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दे देंगे। यह ऐसा

नहीं है कि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, यथा सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या दाखिल किया गया था।

श्रीमती नीरू गुप्ता का यह मामला है।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अलफी) : दूसरा बयान क्यों नही रिकार्ड किया गया ?

श्री पी० वेंकट सुब्बया : रिकार्ड किए गए दूसरे बयान के आधार पर···(व्यवधान) सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने दूसरा बयान रिकार्ड किया। यदि माननीय सदस्य जानना चाहें तो मैं इस विषय में अन्य ब्यौरा प्राप्त करूंगा। हम इस मामले से अच्छी तरह अवगत हैं। हमने इस पर गंभीरता से विचार किया है।

मैंने इस बयान को पढ़ा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं स्थिति की गंभीरता को कम करके आंक रहा हूं, मैं मृतप्राय: महिला की सत्यवादिता पर संदेह नहीं कर रहा हूं। वह बड़ी दर्दनाक स्थितियों में मरी है। पहला या दूसरा बयान जो कुछ भी हो, मैं माननीय सदस्य तथा सदन को आश्वस्त करता हूं कि हम कठोर कार्यवाही करेंगे। जांच चल रही है।

दूसरा तथ्य प्रशासनिक कार्यवाहियों जिसे मैंने अपना वक्तव्य पढ़ते समय व्यक्त किया है अर्थात् अनुदेश जारी कर दिए गए हैं, और दहेज निषेध योजना के अंतर्गत दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण निदेशालय द्वारा विवाहित स्त्रियों को मार्गदर्शन तथा कानूनी सलाह उपलब्ध कराने के लिए एक समाधान एवं मार्गदर्शन ब्यूरो भी गठित किया गया है। हमने जो कुछ भी प्रशासनिक कार्यवाही कर सकते थे की हैं। मैं सदन में यह भी उल्लेख कर दूं कि उपराज्यपाल तथा पुलिस आयुक्त भी इस मामले पर ध्यान दे रहे हैं। जब कभी भी किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कर्तव्य की अवहेलना का आरोप होगा, मैं सदन को आश्वस्त कर दूं कि उन अधिकारियों के विरुद्ध जो मामले को अनमने भाव से लेंगे कठोर तथा गंभीर कार्यवाही की जाएगी।

माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि दो संयुक्त प्रवर समितियां गठित की गई हैं— एक दहेज समस्या पर, और दूसरी बलात्कार पर। दूसरी समिति का प्रतिवेदन उस संयुक्त प्रवर समिति के सभापति द्वारा शीघ्र ही सदन में प्रस्तुत किया जाएगा।

मैं जानता हूं एक माननीय महिला सदस्य इस मामले में कितनी चिंतित हैं। वे मेरे पास एक या दो बार आई थीं। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि यह एक या दो मामलों में ही प्रतिवेदित किया गया था। हालांकि वे मामले इस मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आते, तब भी मैंने कार्यवाही की है और पुलिस अधिकारियों को अनुदेश दिए हैं कि वे अन्य राज्यों में अपने सहयोगियों से तुरंत कार्यवाही करने के लिए सम्पर्क करें।

श्रीमती गुरविन्दर कौर ब्रार (फरीदकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, डाउरी डैथ्स बड़ी नेशनल प्राबलम हो गई है। प्रधान मंत्री ने अपने नये 20-सूत्री प्रोग्राम में भी इसको बहुत महत्ता दी है।

अगर देखें तो अक्सर डैथ्स 20, 22 की ऐज में होती हैं। नई-नई शादी हुई, डाउरी काफी ना हुई तो कई जगह मदर-इन-ला इन-सफीशियंट डाउरी की वजह से तंग करती हैं।

कुछ केसेज में देखा गया है 2, 3 साल के बाद भी ऐसा होता है। इसी तरह से 3 साल के बाद मोदीनगर की एक लड़की थी, जिसके एक लड़की भी थी, वह मारी गई। उसमें पुलिस ने तो एक्शन लिया, जब उसके खाविंद को मुजरिम ठहराया तो 7 के करीब मेम्बर्स अरेस्ट किये।

ऐसे ही एक केस रामा का सहारनपुर का है। वह लड़की मिसिंग थी। उस केस में वालेन्टरी एसोसियेशन्ज ने बड़ा पार्ट प्ले किया। वह उनके पास गए और पुलिस को भी कहा। दिल्ली स्टेशन पर एक होल्डाल में उसकी डी-कम्पोजड बाडी थी। इसमें भी पुलिस ने काफी एक्शन लिया।

यह बात नहीं कह सकते कि सरकार को इनकी फिक्र नहीं है। सरकार को इस बात की फिक्र है और सरकार ने अपने स्टेटमैंट में बताया है कि हमने यह-यह कदम लिए हैं।

डाउरी की बात को देखा जाए तो कई किस्म की डाउरी होती है, जैसे जेवरात और पैसे की और मिडिल क्लास में फर्नीचर, रेडियो, फ्रिज, टी०वी० और अब तो शायद कलर्ड टी०वी० की भी बात शुरू हो जायेगी। अब देखना यह है कि इसको कैसे खत्म करना है। यह खत्म तभी हो पाएगा जब कि आल पोलिटिकल पार्टीज को इसमें इन्वाल्व्ड किया जाए और वे सच्चे मन से इस काम में मदद करें। साथ ही, यूथ आर्गेनाइजेशन्स और पोलिटिकल पार्टीज इसके बारे में मास-मीडिया के जरिए सोश्यल अवेयरनैस करवायें।

अब मैं एक और साफ बात कहना चाहती हूं कि जब किसी की डैथ हो जाती है तो उसके ऊपर हम लोग चिल्लाते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि डैथ होने से पहले, जो उनके नेबरस हैं, उनको पता तो लग ही जाता है कि इस घर की लड़कियों के साथ कैसा सलूक हो रहा है, वैसे इन्होंने जो यह क्लीनिक खोला है, वह इस बात में मदद तो करेगा, लेकिन जब उनके साथ लोग अच्छा बर्ताव नहीं करते तो उसी वक्त इसके बारे में कुछ होना चाहिए।

दूसरे, मेरी रिक्वैस्ट यह है कि हमारे मास-मीडिया को ऐसे केसेज को सामने लाने

में देर नहीं लगानी चाहिए जिनमें सजा हो चुकी है और जो केस निपटाए जा चुके हैं। वैसे गवर्नमैंट और होम मिनिस्टर से मैं आगे जाकर कुछ क्वैश्चन्स करूंगी, लेकिन मेरी इल्तजा यह है कि ऐसे केसेज इतनी जल्दी खत्म किए जाएं ताकि लोगों को उससे कुछ सबक मिल सके।

अब आपने अपने स्टेटमैंट में कहा है कि ज्वाइन्ट सलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन इस बारे में मेरी कोलीग श्रीमती सुशीला गोपालन ने जो सवाल किया है, वही मेरा सवाल भी था। उसका जवाब तो इन्होंने दे दिया है कि दिल्ली में आप एक स्पेशल सैल बनाने जा रहे हैं एक्सपैरीमैंट के तौर पर और उसकी कामयाबी के बाद सारी दिल्ली को उसके साथ कवर कर दिया जाएगा। इस बारे में उनसे मेरी रिक्वैस्ट है कि अच्छा रहेगा यदि इस सैल की इन्चार्ज या हैड किसी औरत को बना दिया जाए समरी ट्रायल बाई स्पेशल कोर्टस आफ केसेस इन्वालविंग डौरी डैथ्स।

अब मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि इन केसेज को निपटाने के लिए जो स्पेशल कोर्ट्स आपने बनाए हैं, जिनमें इन केसेज को ट्राई किया जा रहा है, उनकी स्पीड क्या है। वह स्पीड मैक्जीमम होनी चाहिए। यह न हो कि वे उन केसेज को निपटाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगायें। फिर उन कोर्ट्स को इस्टैब्लिश करने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। जितनी जल्दी ऑफैंडर्स को सजा मिले, उतना ही अच्छा है। हमारे यहां सैन्ट्रल सोश्यल वैल्फेयर बोर्ड है, स्टेट वैल्फेयर एडवाइजरी बोर्ड है और जितने भी दूसरे वौलंटरी इंसटीटयूशन्स हैं, उन सब को इन्वाल्व करके एक सैल बनाया जाए और उस का जो परमानेंट आफिस हो, वहां पर उसकी वाइड पब्लिसिटी होनी चाहिए ताकि जितनी भी वहां दुःखी औरतें हैं, वे उसका फायदा उठा सकें, वहां आकर अपने केसेज बता सकें, टाइम पर उनकी मदद हो और वे डैथ से बच सकें। मैं इस बात पर ज्यादा जोर देती हूं।

यहां पर कहा गया कि डी०एस०पी० से छोटे रैंक का कोई आदमी उसमें नहीं होना चाहिए, जो इन्वैस्टीगेशन के लिए लगाया जाएगा। हम इसको वैलकम करते हैं। दूसरी बात यह कही गई कि डैड बौडी को भी उस वक्त तक डिस्पोज औफ नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके पेरैन्ट्स और रिलेटिव्ज आकर उसको देख नहीं लेते हैं। यह एक बहुत बढ़िया स्टैप है क्योंकि अक्सर यह होता है लोग उसके रिश्तेदारों के पहुंचने से पहले ही उसको जलाने की कोशिश करते हैं। यही उनका मकसद होता है। आम तौर पर बेचारी लड़कियां बर्न्स के कारण जलती हैं या उसको स्यूसाइड दिखाया जाता है, क्योंकि वे एट्रौसिटीज से तंग आ जाती हैं। इसीलिए ऐसे मामलों में उसके रिलेशन्स या पेरैन्टस का होना वहां जरूरी है। फिर जो मजिस्ट्रेट वहां होगा, यदि वह नो ऑब्जैक्शन सर्टिफिकेट दे और फिर उसकी बौडी डिस्पोज औफ की जाए, तभी बात बन सकती है।

अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूं कि आपने जो मौनीटरिंग की है, उसका क्या नतीजा निकल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से पूछती हूं कि उस मौनीटरिंग का क्या नतीजा निकल रहा है, उसकी इम्पलीमैंटेशन में क्या बढ़ोत्तरी आई है और उसके कारण डौरी डैथ्स की संख्या इन्क्रीज हुई है या कुछ कम हुई है। क्या इससे कुछ फर्क पड़ा है। जो गवर्नमैंट ने सैल सैट-अप किया है, उसका क्या नतीजा निकल कर आया। क्या बाकी स्टेटस में भी ऐसे सैल्स क्रीएट किए जाएगे जो कि उस स्टेट में डौरी डैथ्स के मामलों को डील करेंगे।

मुझे याद है कि हाउस में एक क्वेश्चन के जवाब में आनरेबल मिनिस्टर ने कहा था कि हम मास मीडिया को हार्नेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सोसायटी में सोशल एवेयरनेस जेनीरेट हो। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार इस मकसद में कामयाब हुई है या नहीं। सैन्ट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट्स से पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने स्पेशल कोर्ट्स और स्पेशल सेल्ज बनाए हैं या नहीं; अगर बनाए हैं, तो वे किस तरह से काम कर रहे हैं। क्या मिनिस्टर साहब इस पर रोशनी डालेगे कि गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन बनाया है, पोलीटिकल पार्टीज और वालन्टेरी आर्गनाइजेशन्ज ने उसका साथ दिया है, तो इसका नतीजा क्या निकला है?

यह एक बहुत ही इम्पार्टेन्ट बात है कि डौरी के इकानोमिक और लीगल चैलेंजिज का मुकाबला करने के लिए और मास मीडियो की मदद से सोसायटी में सोशल चेंज लाने के लिए नेशनल और रिजनल पालिसीज बनाई जाएं। जब तक सोसायटी में सोशल चेंज नहीं आएगा, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इसके लिए मारल एजूकेशन का इन्तजाम भी होना चाहिए।

यू० पी० सोशल वेलफेयर बोर्ड ने मेरठ डिस्ट्रिक्ट में एक स्टडी कन्डक्ट की, क्योंकि वहां डौरी डेथ्स बहुत होती हैं। उससे पता लगा कि 60.4 परसेंट यूथ्स, ग्रैजुएट और पोस्ट-ग्रैजुएट, डौरी सीक करते हैं। मेरे नालेज में भी यह बात आई है कि ग्रैजुएट तो स्कूटर तक रह जाते हैं, लेकिन जो लोग आई० ए० एस० या आई० एफ० एस० में आ जाते हैं, उनकी कीमत और बढ़ जाती है और वे कार मांगते हैं। लोग कहते हैं कि हमने लड़के की पढ़ाई पर इतना खर्च किया है, इसलिए हमें डौरी चाहिए, जोकि उसने अपने ही घर में रहना है और एक पढ़ी-लिखी लड़की उनके घर में आ जाएगी। इस किस्म के सीन देखने को मिलते हैं।

इस स्टडी से यह भी जाहिर हुआ कि जब तक इसमें यूथ्स को इनवाल्व नहीं किया जाता—लेने वाले और देने वाले, मेल और फीमेल दोनों इसमें आ जाते हैं—, तब तक इसमें कामयाबी नहीं मिल सकती। क्या सरकार स्कूल-कालेजों में लड़के-लड़कियों को एजूकेट करने की कोई तरकीब सोच रही है, जिससे उन्हें डौरी से नफरत पैदा हो और वे यह महसूस करें कि अगर कोई देता है, तो ठीक है, नहीं तो दूसरे लोग कहां से डौरी देंगे,

जबकि उन्होंने लड़की को पढ़ाया लिखाया और 20, 22 साल की उम्र तक उस पर हर तरह का खर्च किया ? सरकार इस सिलसिले में क्या कदम उठा रही है ?

सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। वालन्टेरी आर्गनाइजेशन्ज ने इसमें एक बड़ा पार्ट अदा किया है। गुलमोहर कालोनी में जो किस्सा हुआ था, अगर वालन्टेरी आर्गनाइजेशन्ज वहाँ जाकर शोर न मचातीं, तो वह मामला दब जाता। जैसा कि मेरी बहन ने कहा है, बहुत से केसिज तो नोटिस में नहीं आते हैं, उन्हें रफा-दफा कर दिया जाता है। अगर सोशल ऐवेयरनेस होगी, नेवर्ज को पता होगा, तो ये बातें छिपी-छिपी नहीं रह सकतीं और यह सोशल ईविल खत्म होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप उत्तर दे सकते हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : महोदय, सरकार इन सुझावों से अत्यधिक लाभान्वित हुई है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का समय बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि सभी महिलाएं हैं। कल इसका आप सभी ने अनुकरण करना है।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : माननीय सदस्य द्वारा अत्यधिक मूल्यवान सुझाव दिए गए हैं। मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं और सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जो कुछ भी सुझाव इन्होंने दिए हैं उन्हें ध्यान में रखा जाएगा। इन्होंने कई उपाय बताए हैं जो कि इस अनिष्टकारी सामाजिक व्यवस्था के उन्मूलन के लिए किए जाने चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : विशेषकर, उठाए गए कदमों का प्रचार किया जाना चाहिए।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : जी हां, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रत्येक सास यह भूल जाती है कि वह भी कभी बहू थी।

श्री के० मायातेवर (डिन्डीगल) : एक स्पष्टीकरण चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मायातेवर, कोई स्पष्टीकरण नहीं होगा। वह श्रीमती बरार को उत्तर दे रहे हैं। आप कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : श्री मायातेवर केवल ससुर हो सकते हैं न कि सास।

श्री के० मायातेवर : मैं ससुर भी नहीं हूं।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : माननीय सदस्य जांच तथा इस प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के

लिए उठाए जाने वाले कदमों के विषय में जानना चाहते थे । मैं सदन को सूचित करता हूं कि एक मामले को जिसे समाप्त मान लिया गया है तथा उसके विषय में एक ताजा साक्ष्य प्राप्त हुआ है, पुलिस उस मामले को पुनः प्रारम्भ कर सकती है । एक यह काम हमने किया है ।

यह देखने के लिए कि मामला प्रकाश में आए और अपराधी पकड़ में आए, जो कदम उठाए जा रहे हैं, मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण निदेशालय द्वारा विवाहित स्त्रियों को जो कष्ट में हैं तथा अपने ससुराल वालों द्वारा दहेज के कारण सताई जा रही हैं उन्हें मार्गदर्शन तथा कानूनी सलाह उपलब्ध कराने के लिए दहेज निषेध योजना के अन्तर्गत एक समाधान एवं मार्गदर्शन ब्यूरो गठित किया गया है । निदेशालय विभिन्न संचार साधनों से प्रचार भी कर रहा है । यदि आप रेडियो सुनते हों—यह हिन्दी में है और आपके लिए इसे समझना कठिन होगा—प्रत्येक दिन, दहेज की बुराई को कार्यक्रम द्वारा प्रसारित किया जाता है जिससे लोग इस मामले में शिक्षित हो सकें ।

हम, न्याय विभाग के साथ पारिवारिक न्यायालयों के गठन के प्रस्ताव पर भी जोर दे रहे हैं । पारिवारिक न्यायालय दहेज समस्या सहित सभी पारिवारिक झगड़ों का सुहानुभूतिपूर्वक समाधान करेंगे । इन न्यायालयों के गठन के लिए एक उपयुक्त विधान शीघ्र ही तैयार कर लिया जायेगा ।

महिलाओं के प्रति बलात्कार जैसे अपराधों के लिए कड़ी सजा के लिए अपराध कानून (संशोधन) विधेयक संयुक्त प्रवर समिति के पास है । वे इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें देंगे ।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने जून 1982 में दहेज के विरोध में एक सम्मेलन आयोजित किया था और इस बुराई के विरुद्ध सामाजिक जागरूकता लाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा चलाया जा रहा है । समाज कल्याण बोर्ड ने इस सम्बन्ध में स्वयंसेवी बोर्डों से क्रियात्मक सहयोग प्राप्त करने के लिए एक स्वयंसेवी कार्यवाही एकक प्रारम्भ किया है । राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों से भी इस बुराई के विरुद्ध इस तरह के आन्दोलन प्रारम्भ करने को कहा गया है । इसका पालन करने के लिए हमने विभिन्न समाज कल्याण बोर्डों को अनुदेश दिए हैं । इस मामले पर हम जोर दे रहे हैं ।

माननीय सदस्य इस तथ्य को भी सामने लाए हैं कि 60.4 प्रतिशत युवक दहेज चाहते हैं । यह एक सामाजिक बुराई है । व्यक्ति जितना अधिक शिक्षित होता जाता है, दहेज की उसकी मांग बढ़ती जाती है । चिकित्सा तथा अभियांत्रिकी स्नातकों की काफी मांग है । यही सारी समस्या है ।

मैं माननीय सदस्य से संपूर्णतः सहमत हूं कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर, हमें इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध युवकों को शिक्षित करने के लिए ऐसे पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने चाहिए, क्योंकि दहेज के कारण हुई मौतों में अनेक मूल्यवान जानें जाती हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि जो कुछ भी मूल्यवान सुझाव उन्होंने दिए हैं, उन पर पूर्ण गम्भीरता से उचित ध्यान दिया जाएगा।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण आरम्भ करने के पूर्व ही मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि रीता खुराना का जो केस हुआ, जिसके सम्बन्ध में सभी लोग जानते हैं, जब रीता खुराना की मृत्यु हो गई तो आल इंडिया वीमेन्स हास्टेल में रहने वाली लड़कियां मेरे पास आई और उनको लेकर मैं मिनिस्टर साहब के पास गई और मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि मि० खुराना, जोकि आई० बी० के कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने में वे कोई हिचकिचाहट नहीं दिखायेंगे। उसके बारे में जो उन्होंने कदम उठाया है, उसके लिए मैं उनको पहले ही अपने भाषण में धन्यवाद दे चुकी हूं।

इसके अलावा मैं आपके सामने दो-तीन बातें कहना चाहती हूं। इसी साल सितम्बर तक आपने कहा है कि 32 डैथ्स हुई हैं। आज ही अखबार में पुष्पा नाम की एक लड़की की मृत्यु की खबर आई है। वह शायद आपके ध्यान में नहीं है। इस प्रकार मिला कर 33 डैथ्स हो जाती हैं। 1980-81 में 137 डैथ्स हुई हैं। एटैमटेड सुसाइड और डैथ्स 100 हो गए थे। इसके मुताबिक प्रति दिन दिल्ली जैसे शहर में, जो देश की राजधानी है, कम से कम एक डाउरी डैथ्स हो जाती है। मैं आपसे यह भी जानना चाहती हूं कि क्या आपने अस्पताल में बर्निंग केसिस का स्टैटिसटिक्स डाटा इकट्ठा किया है? जो केसेज अस्पताल में आते हैं, उनमें कितनी महिलायें हैं, उनकी क्या उम्र होती है और उसके क्या कारण होते हैं? यह स्टैटिसटिक्स डाटा भी हमारे पास होने चाहिए। जिससे यह पता चले कि कितने केसेज पुलिस में दर्ज नहीं किए जाते। लेकिन उससे यह बर्निंग के होते हैं, और जिनमें डाउरी होने की बहुत सम्भावना होती है।

मैं एक बात और कहना चाहती हूं। मैं महिला दक्षता समिति के बारे में कहना चाहती हूं। मुझे अभिमान है कि मेरा उससे सम्बन्ध है। दिल्ली में 2 अक्तूबर, 1978 को दहेज के खिलाफ महिला डिमांसट्रेशन हुआ था, जिसको इस समिति ने आर्गेनाइज किया था। उसके बाद अलग-अलग जगहों पर शुरू हुए यह अलग बात है। लेकिन दुःख की बात यह है कि इस समिति ने जिस घर के आगे डिमांसट्रेशन किया, उसी घर में उसी लड़के की शादी एक साल के अन्दर हो गई। उनके घर में लड़की देने के लिए दूसरे मां-बाप कैसे तैयार हो जाते हैं—यह बहुत ही दुःख की बात है। जिस घर में पहले ही दो बहुओं को जलाया गया हो, उसी घर में तीसरी बहू देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हो सकता है कि आसपास के पड़ौसी उनको बताते नहीं हों कि "इस घर में ऐसी-ऐसी बातें हो गई हैं।"

संसद की संयुक्त समिति ने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में 11 अगस्त, 1982 को रिपोर्ट पेश की है। लेकिन सरकार स्ट्रीजर बिल कब लायेगी ? उम्मीद थी इस अधिवेशन में लायेगी। इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल महिलाओं के अत्याचारों के बारे में बिल लाना आवश्यक है। क्योंकि यह संसद का अधिवेशन 5 नवम्बर से ज्यादा चलने वाला नहीं है। इसलिए 9 दिसम्बर, 1982 को एक स्पेशनल पार्लियामेंट का सैशन हो, उसमें इसको पास करके यह कोशिश करनी चाहिए कि 1983 में एक भी डैथ् न होने पाए। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। अब अगर हम इसको पोस्टपोन करते रहेंगे, तो ठीक नहीं होगा और बहुएं जलती ही रहेंगी।

फैमिली कोर्ट्स के बारे में अनेक बार मेरी लॉ मिनिस्टर से भी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा हम कर रहे हैं और इस बारे में देख रहे हैं। मेरा आप से निवेदन है कि फैमिली कोर्ट जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। बिल जब मन्जूर होगा, तब मन्जूर होगा, लेकिन उसके पहले आपको हर पुलिस स्टेशन पर स्पेशल डाउरी सैल खोल कर डाउरी आफिसर की व्यवस्था करनी चाहिए। आज पुष्पा का ही मामला नहीं है। पुष्पा जब जलाई जा रही थी तो उसकी खबर वहां के एक पड़ौसी ने पुलिस को दी थी, जिसको किसी दूसरे कारण में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन 24 घंटे तक पुलिस ने बयान नहीं लिया, जो लास्ट डिजायरिंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होता है, वह नहीं हो पाया। पुलिस व्यस्त होती है उनको बहुत जगहों पर जाना होता है, इसके लिए कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसलिए हमारी मांग है कि इम्मिडिएटली एवरी पुलिस स्टेशन पर एक स्पेशल डाउरी आफिसर नियुक्त करना चाहिए। कहीं भी, किसी भी जगह से अगर कोई शिकायत आती है तो वह तुरन्त वहाँ जाए।

प्रो० एन०जी० रंगा : क्या यह महिला अधिकारी होनी चाहिए ?

श्रीमती प्रमीला दंडवते : हाँ, महिला ही होनी चाहिए।

पिछले साल, जब ज्ञानी जैल सिंह जी होम मिनिस्टर थे तब उन्होंने ऐलान किया था कि यदि किसी भी स्त्री की संदेहास्पद अवस्था में मत्यु हो जाती है, या वह सुसाइड कर लेती है तो उसकी दो डाक्टरों द्वारा जांच की जाएगी, उसका पोस्टमार्टम दो डाक्टरों द्वारा किया जाएगा। इसी सदन में उन्होंने यह बात कही थी। आपने भी यह सारा लिखा है। मैंने खुद इसी सदन में यह सवाल उठाया था कि गुजरात में 36 ऐस सस्पीशस केसिज हुए हैं जिनके बारे में ज्योति संघ नाम के संघटन ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखकर भेजा है। मुझे पता नहीं कि उनके बारे में आज तक कोई जांच हुई या नहीं। अगर इस तरह से दो-दो साल किसी केस के बारे में लग जाएं तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब मुझ से पूछा गया तो मैंने उनको कहा कि मैंने पार्लियामेंट में सवाल खड़ा किया था, मैं होम मिनिस्टर से भी मिली हूं और उनको सारे केसिज देकर आई हूं। लेकिन मुझे

दुःख है कि आज इतने महीने हो गये उन 36 केसिज के बारे में न तो कोई सेन्ट्रल गवर्नमेंट का और न कोई स्टेट गवर्नमेंट का अधिकारी पूछताछ के लिए गया। 36 केसिज गुजरात स्टेट में होते हैं, न जाने दिल्ली में ऐसे कितने प्रकार के केसिज होते होंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ऐसे कितने केसिज के बारे में लोग आपके पास शिकायत लेकर आए हैं और आपने उन केसिज के बारे में क्या-क्या कार्यवाही की ?

हमारी वीमेंस आरगेनाइजेशन है। हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक लोग केसिज लेकर आते हैं। सुसाईड केस के बारे में आकर लोग कहते हैं कि आप थाने में टेलीफोन कर दीजिए कि पोस्टमार्टम लाश का किया जाए और जब तक लाश का पोस्ट-मार्टम न हो जाए तब तक लाश का क्रिमेशन न किया जाए। मेरी आप से प्रार्थना है कि आपको इस बारे में सख्त कदम उठाने चाहिए। अगर कहीं से शिकायत आती है और पुलिस उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं करती है तो पुलिस के खिलाफ भी आपको कार्यवाही करनी चाहिए। आप सरकुलर भेजते हैं, इन्स्ट्रक्शन्स भेजते हैं पर उन पर ठीक ढंग से कार्यवाही नही होती है। पुलिस वाले शिकायत करने वाले की मदद नहीं करते, बल्कि जिनके खिलाफ शिकायत की जाती है, उनकी ही मदद करते हैं। ऐसा लोगों का कहना है। इसलिए आप इस बारे में सदन के सामने ज्यादा से ज्यादा आंकड़े रखें कि आपने अब तक कितने-कितने केसिज में क्या-क्या कार्यवाही की ?

फेमिली कोर्ट्स के बारे में मेरा कहना है कि यदि ये इमीडियेटली नहीं बन सकती हैं तो कम से कम रपीडी ट्रायल करने की इन्स्ट्रक्शन्स आप कोर्ट्स को दें। इस प्रकार के जो केसिज होते हैं इनमें लोगों को कोर्टों में बहुत दिक्कत होती है।

फ्री लीगल एड कमेटी के लिए बहुत पैसा रखा गया है और दिया भी गया। मैं पूछना चाहती हूं कि फ्री लीगल एड कमेटी से अब तक कितने लोगों को फायदा हुआ है और कितने राशि का इस्तेमाल हुआ है। पूरे साल में आपने कितना पैसा दिया और कितने पैसे अब तक इस्तेमाल किये गये ? इसके सारे आंकड़े आप सदन के सामने रखें। मेरे विचार में इस फ्री लीगल एड व्यवस्था का लोगों को ठीक तरह से फायदा नहीं मिल रहा है।

दूसरे जो ये डावरी केसिज हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए इमीजियेटली कानून बनाना चाहिए। विवाह के समय दी गई वस्तुओं सहित विवाह कानून के अन्तर्गत विवाह का अनिवार्य पंजीकरण।

जब तक आप ये कानून नहीं बनाते हैं तब तक ये बातें रुकने वाली नहीं हैं। जैसा कि सुशीला जी ने बताया कि लड़की को शादी के बाद जब वापस घर भेज दिया जाता है तो उसका सामान उसको कैसे वापस मिले, इसके लिए भी कानूनी मदद होनी चाहिए। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जल्दी से जल्दी इसके लिए कानून बनाएं।

जगह-जगह पर जो वोलेन्ट्री आरगेनाइजेशन्स काम कर रही हैं, वे फैमिली काउन्सलिंग का काम भी करती हैं। चूंकि इन आरगेनाइजेशन्स के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता है जिससे कि वे ठीक तरह से अपना काम कर सकें, इसलिए इन आरगेनाइजेशन्स को भी मदद देने की जरूरत है। आपने सोशल वेल्फेयर आरगेनाइजेशन में एक सेल बनाया है। आप भी फैमिली काउन्सलिंग करते हैं। लेकिन ये आरगेनाइजेशन्स बहुत काम कर सकती हैं और डावरी केसिज रोकने में बहुत मदद कर सकती हैं। इसलिए मेरी आप से प्रार्थना है कि आप इन आरगेनाइजेशन्स के लिए स्पेशल ग्रांट देने की व्यवस्था करें।

उनको पूरी ग्रांट सौ फीसदी दीजिए। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज जो डाउरी डैथ्स हो रही है—क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, इसके बारे में आप क्या समझते हैं। क्या आप प्रधान मन्त्री के कथन से सहमत हैं, जो कि उन्होंने एक विदेशी जरनलिस्ट को दिया है 1977 में जब कांग्रेस की डिफीट हो गई, उसके बाद जनता पार्टी ने एक महिला को जो अब प्रधान मन्त्री हैं सबक सिखाने का प्रयत्न किया था।

उसकी वजह से पुरुष अपने-अपने घर में महिलाओं को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए डाउरी डैथ्स और क्राइम्स अगेइन्स्ट बढ़ गई हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूं कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या डाउरी डैथ्स का कारण इतना सिंपल है? इसके बारे में आपका क्या विचार है?

अन्त में मैं कहना चाहती हूं कि जो रिकमण्डेशन्स एक्ट में दी गई हैं। आडम्बरपूर्ण विवाहों पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए।

कितना खर्चा होना चाहिए, इस पर भी पाबन्दी रखी गई है। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि कम से कम इस सदन के लोग तय करें कि जो सदस्य अपने घर में धूमधाम से शादी मनाएगा, उनकी शादी में कोई सदस्य शरीक नहीं होगा। कम से कम इतना तो कीजिए। एक सदस्य ने अपने घर में शादी में 20 हजार लोगों को दावत दी और शादी में सारे मिनिस्टर शरीक हुए थे।

यह इस प्रकार के विवाहों के लिए परोक्ष रूप से प्रोत्साहन है। मेरी प्रार्थना है कि कम से कम इसमें कोई भी व्यक्ति विवाह में शामिल नहीं होगा विशेषकर संसद सदस्य के परिवार के किसी सदस्य के विवाह में। इस तरह का आश्वासन दिया जाना चाहिए।

हम इसको पालीटिकल इशू बनाना नहीं चाहते हैं और दिल से चाहते हैं कि यह प्रथा बन्द होनी चाहिए और सारे सदस्य इसके लिए काम करें, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों। अभी मिसेज ब्रार ने कहा कि इसको पालिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए, मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देती हूं। इसके लिये हमको लोगों के अन्दर चेतना जगानी चाहिए। समाज की चेतना जगाने के लिए पिछले दिनों दिल्ली में कुछ महिला आर्गनाइ-

जेशन्स ने जुलूस निकाला था, आल इंडिया विमन एसोसिएशन, वाई०डब्ल्यू०सी०ए० आदि निर्दलीय संस्थाओं ने हिस्सा लिया था उसमें सभी दलों के आर्गनाइजेशन्स को भी आमन्त्रित किया था। उसमें कोई पार्टी जैसी बात नहीं थी, कोई झण्डा नहीं था, लेकिन दुःख की बात है कि हम सबको बुलाने में नाकामयाब रहे। लेकिन जो हो गया वह तो हो गया, लेकिन आगे हमको दहेज विरोधी चेतना जगाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करके यह काम करना होगा, तभी हमको सफलता मिल सकेगी। इसलिए वालेन्ट्री आर्गनाइजेशन्स किस तरह से इस क्षेत्र में आगे आ सकते हैं, इसके बारे में भी आप विचार करें।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : माननीया सदस्या महोदया दलित और दमित एवं पीड़ित नारी समुदाय की हिमायती हैं। महिलाओं के लिए उनकी मूल्यवान सेवा सर्वज्ञात है। महिलाओं के हितों के लिए लड़ने की उनकी अथक शक्ति के लिए मैं उनकी प्रशंशा करता हूं।

उन्होंने एक सेमिनार आयोजित किया था। यद्यपि मैं उसमें शामिल होना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से कतिपय परिस्थितियों के कारण मैं ऐसा नहीं कर सका।

उन्होंने अनेक मसले उठाए हैं।

खुराना के पति के बारे में मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे आसूचना ब्यूरो से निलम्बित कर दिया गया है और उस पर मुकदमा चल रहा है। पुष्पा के मामले में मैं माननीय सदस्यों को बता सकता हूं कि जो तथ्य हमारे नोटिस में लाए गए हैं वे प्रेस के विवरण में नहीं आए हैं। उसे अन्दर से बन्द कमरे में जलाया गया था। स्वयं उसके माता-पिता ने यह जानकारी दी है। मैं यह नहीं कहता कि यह सही जानकारी है लेकिन पुलिस और प्रशासन से जो भी जानकारी हमें मिली है, मैं सिर्फ उसे सदन के सामने रखे रहा हूं। स्वयं उसके माता-पिता ने यह बताया था कि उसके अपने पति के साथ अच्छे सम्बन्ध थे और उन्हें इसमें किसी धोखे की शंका नहीं होती। पोस्टमार्टम जांच में भी सिवाय गंभीर रूप से जलने के जिनसे उसकी मृत्यु हुई, कोई दूसरी चोट का पता नहीं चलता। जांच अभी चल रही है। ऐसा लगता है कि उसने स्वयं डाक्टर को यह बताया था कि जब वह पानी गर्म कर रही थी तो उस समय जलते हुए स्टोव में से मिट्टी का तेल फैल जाने से वह जल गई थी। पुष्पा का वक्तव्य रिकार्ड करने के लिए एक मजिस्ट्रेट भी बुलाया गया था। लेकिन, दुर्भाग्य से वह अपना वक्तव्य रिकार्ड कराने अथवा वक्तव्य देने की स्थिति में नहीं थी। मजिस्ट्रेट बिना किसी विलम्ब के तत्काल बुलाया गया था। यह सब कह कर मामले का बचाव करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं अपितु मैं यह बताना चाहता हूं कि ये वे सब तथ्य हैं जो मंत्रालय के नोटिस में लाए गए हैं। इस सब बातों के बावजूद, मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस मामले में और आगे कार्यवाही कर रहे

हैं । यदि इसमें किसी भी अपराध का सन्देह होता है, तो अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा ।

दूसरी बात गुजरात के मामलों के बारे में है । उन्होंने लगभग 36 मामलों के बारे बताया है । हमारे पास कोई जानकारी नहीं है । मैं माननीया सदस्या महोदया से जानकारी प्राप्त करूंगा और तत्काल गुजरात सरकार से सम्पर्क स्थापित करूंगा और पूछूंगा कि इतना विलम्ब क्यों है और मामला इतने लम्बे समय से लम्बित क्यों पड़ा है ।

इस बारे में कि सरकार द्वारा प्रदान की जा रही 'गरीबों को कानूनी सहायता' का कितने लोगों ने उपयोग किया है । मैं आंकड़े एकत्रित करूंगा और पता करूंगा कि इन लोगों को कितनी सहायता दी गई है । हम यह भी देखेंगे कि इस बारे में और अधिक प्रचार किया जाए ताकि और भी अनेक लोग इससे लाभ उठा सकें । यदि माननीय सदस्य कोई सुझाव देते हैं तो हम निश्चय ही उन पर विचार करेंगे और देखेंगे कि इस बारे में व्यापक प्रचार किया जाए ताकि और अधिक लोग इससे लाभ उठा सकें ।

विवाह के आवश्यक पंजीकरण के बारे में माननीय सदस्य के सुझाव को मैं सम्बद्ध मंत्री के पास, इस सम्बन्ध में विचार हेतु भेज दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं इस बारे में एक गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक भी है ।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : जहां तक स्वयं सेवी संगठनों को वित्तीय सहायता दिए जाने का संबंध है । मैं निश्चय ही इस मामले में विचार करूंगा । मैं माननीय सदस्यों को इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि जो कुछ संभव हो सकेगा हम देंगे ताकि उससे और अधिक प्रोत्साहन मिल सके तथा और अधिक सामाजिक जागरुकता पैदा करने के लिए और इन अपराधियों को पकड़ने में सरकार की सहायता करने के लिए भी उन संगठनों का एक प्रकार का साधन बन सके । मैं उनके सुझाव की प्रशंसा करता हूं ।

आडम्बरपूर्ण शादियों के बारे में मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं । इन आडम्बरपूर्ण शादियों ने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया है । इसके साथ ही, मैं नहीं समझता कि बड़ी संख्या में उपहार प्राप्त करके कदाचित इसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी । कार्यविधि क्या है, मैं नहीं जानता ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपको कोई व्यक्तिगत अनुभव है ।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : जी, श्रीमन् । मैं आपको बता सकता हूं कि मेरी चार बहिनें हैं । इनकी शादियों के कारण मेरे पिताजी की सम्पत्ति बर्बाद हो गई । अपने व्यक्तिगत अनुभवों से मुझे मालूम है कि वह कितनी खौफनाक चीज है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जिस तरीके से आपने बात कही, मैं उसी से समझ गया था ।

श्री पी० वेंकट सुबय्या : मुझे मालूम है। मेरे पिताजी उन दिनों कितने परेशान हुए। दहेज देने के लिए उन्हें भू-सम्पत्तियों का एक बड़ा भाग बेचना पड़ा था। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव की बात है। मुझे मालूम है ये क्या है।

विशेष न्यायालयों की स्थापना के बारे में भी, इस समय मैं कुछ नहीं कह सकूंगा। निश्चय ही, मैं इससे सम्बद्ध अधिकारियों के समक्ष रखूंगा कि इस बुराई का किस तरीके से तेजी से उन्मूलन किया जा सकता है। निश्चय ही मैं सदन को आश्वस्त करूंगा कि इस ओर सरकार आवश्यक ध्यान देगी।

उन्होंने प्रधानमन्त्री के बारे में उल्लेख किया है। मैं समझ नहीं पाया कि प्रधान मन्त्री के वक्तव्य के बारे में उन्होंने क्या कहा। मैं कह सकता हूं कि इस देश में हमारी प्रधानमन्त्री इस सामाजिक बुराई के बारे में सर्वाधिक चिन्तित हैं। कल उन्होंने राज्य सभा में बच्चों के बारे में चर्चा में हस्तक्षेप किया था। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के बारे में भी वह सर्वाधिक चिन्तित हैं और वे इस बात के प्रति अत्यन्त सजग हैं कि इस बुराई का उन्मूलन करने के लिए सख्त कार्यवाही की जाए। वह हमारे देश की नारीत्व की प्रतीक हैं और हमारे देश की एक उत्कृष्ट नेता हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : (पंसकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं। तथापि, मुझे कुछ प्रश्न उठाने हैं और मैं उनकी ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करती हूं।

वक्तव्य में माननीय मंत्री ने बताया है :

> "दहेज के कारण होने वाली मौतों के मामलों पर तुरन्त और प्रभावी कार्यवाही करने तथा इस प्रकार के निन्दनीय और समाज-विरोधी कृत्य करने वाले दुर्जनों को दण्ड दिलाने के लिए सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है।"

यदि "सरकार" से अभिप्राय "मंत्री" है तो मैं पूर्णतया सहमत हूं। लेकिन, दुर्भाग्य से, मंत्री इन मामलों पर कार्यवाही नहीं करता। यह संभव नहीं। मैंने दण्ड विधि संशोधन विधेयक संबंधी संयुक्त समिति में उनके साथ कार्य किया है और महिलाओं के लिए उनके मन में पूर्ण सहानुभूति है। लेकिन वहाँ जो दावा किया गया है उसके बारे में हमारा अनुभव है कि वह सही नहीं है।

यह आरोप लगाते हुए मैं कुछ उदाहरण दूंगी। उदाहरणार्थ, इस अभिव्यक्ति को ही लीजिए :

> "तुरन्त और प्रभावी ढंग से, और दुर्जनों को दण्ड दिलाना।"

एक ऊषा अरोड़ा का मामला है जिसके बारे में उनके पिता ने राष्ट्रीय भारतीय महिला फैडरेशन को दिनांक 29 सितम्बर को एक पत्र लिखा है। यह महिला, श्रीमती ऊषा

अरोड़ा, पत्नी कीर्ति कुमार, 35/36 वेस्ट पटेल नगर, एक अध्यापिका थीं जिनकी 19 सितंबर, 1982 को जयप्रकाश अस्पताल में मृत्यु हो गई। यह समाचार लगभग सभी समाचार-पत्रों में 20 और 21 सितम्बर, 1982 को प्रकाशित हुआ था। उस महिला ने अस्पताल में मरते समय अपनी माँ को हिन्दी में स्पष्ट शब्दों में बताया : "कीर्ति ने मुझे जलाकर मार दिया।"

वह बीस महीने के एक बच्चे की मां थी और उसके बारे में चिन्तित थी तथा उसने अपनी मां से कहा कि वह उस बच्चे को उस परिवार को न दें।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान उपर्युक्त उस पत्र की ओर दिलाना चाहती हूं जो उस महिला के पिता श्री खुशी राम अरोड़ा द्वारा लिखा गया था। दिनांक 29 सितम्बर, 1982 को, अर्थात् उस महिला की मृत्यु के 10 दिन बाद लिखे गए इस पत्र में, सभी समाचार-पत्रों मे यह मामला प्रकाशित होने के बावजूद, वह कहते हैं :

> अत्यन्त दुःख के साथ मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि पुलिस प्राधिकारियों ने मेरी शिकायतों के निवारण के लिए अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की है। बल्कि उन्होंने आग को और हवा दी है। आश्चर्य की बात है कि वेस्ट पटेल नगर पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 488 के तहत् पहले दफा 307, 341, और बाद में, महिला की मृत्यु के बाद, दफा 302 —अर्थात् हत्या—का मामला दर्ज कराने के बाद भी आज तक उन्होंने दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया है।"

अर्थात्, दुर्घटना के 20 दिन के बाद भी यह स्थिति है।

फिर उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि उनकी नीयत नेक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है :

> "मेरे बार-बार अनुरोध करने पर और घटनाओं का प्रमाण देने के बाद भी उन्होंने इस संबंध में मुझे न्याय दिलाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। बल्कि उन्होंने दोषी व्यक्तियों को रिहा कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप वे अब मुझे चुनौती दे रहे हैं कि इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यदि इस मामले को अगली उचित कार्यवाही के लिए सर्तकता विभाग, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, अपराध शाखा को स्थानान्तरित कर दिया जाए तो सम्भवतया अधिक उचित होगा।"

इस मामले में समुचित रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है। दस दिन बाद भी यह स्थिति है। क्या यह कहा जा सकता है कि तुरन्त कार्यवाही की जा रही है ? नहीं।

मैं फिर यह कहूंगी कि मैं सरकार को, मंत्रियों को अथवा मंत्रिमंडल को दोष नहीं

दे रही हूं। लेकिन, यदि घटनाएं हो रही हैं तो सरकार निश्चय ही अपने पुलिस बल के लिए उत्तरदायी है।

मंत्री महोदय को मालूम होना चाहिए कि इस सभी दुख के बावजूद, यदि यह बात है तो यह क्या हो रहा है।

यह ऊषा अरोड़ा का मामला है।

मैं एक और मामला बताती हूं। यह और भी रोचक है। यह मामला श्रीमती गीता मलिक, पत्नी श्री एस० एम० मलिक, 100-ए, पाकेट-एक, मयूर विहार, नई दिल्ली, का है। यह लड़की एम० एस० सी० तथा शिक्षा स्नातक थी। वह बाल भारती विद्यालय, पूसा रोड में अध्यापिका थीं। यह मामला दफा 305 के अधीन दर्ज किया गया था। यह दफा 302—हत्या के लिए प्रेरित करना—नहीं है। कथित दोषी व्यक्तियों को 8 जून, 1982 को अपराह्न 2.55 बजे अर्थात् घटना के तीन दिन बाद, गिरफ्तार किया गया था लेकिन, 9-6-1982 को उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था। मामला और भी संगीन बन गया क्योंकि इस लड़की के पिता—मैं नहीं जानती कि यह सौभाग्य है अथवा दुर्भाग्य—सरकार के उच्च अधिकारी हैं, अर्थात् वह श्री एस० सी० विज हैं और सिंचाई विभाग में उप निदेशक हैं।

उसके बाद श्री विज ने गृह मंत्री को भेजे गए अपने पत्र में कहा कि इस मामले में पुलिस जांच लड़की के ससुराल वालों की मिली-भगत से की जा रही है।

> "6 जून, 1982 से पुलिस ने हमसे कोई सम्पर्क नहीं किया है और न ही हमें बुलाया है।"

अर्थात् मामला दर्ज किए जाने के बाद।

> "बल्कि जब भी हमने जांच अधिकारियों से सम्पर्क किया, हमें हतोत्साहित किया गया। अब हमें अपराध के झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है और पुलिस ने दफा 425 के अधीन अपराध का मामला दर्ज किया है।"

अर्थात् दफा 506 के अधीन अतिचार का मामला, अर्थात् आपराधिक डराना-धमकाना आदि।

आज प्रातः मैंने भारतीय दंड संहिता का अध्ययन किया है और उन धाराओं के बारे में जानकारी ली है। मैं वकील नहीं हूं। मैं समझता हूं इन धाराओं का आशय गंभीर चोट से है और नहीं तो किससे संबंधित है?

अतः, भारतीय दंड संहिता की ऐसी धाराओं के अन्तर्गत सिंचाई मंत्रालय में उप निदेशक श्री विज और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध जवाबी मुकदमा शुरू किया गया है।

श्री विज ने लिखा है कि :—

"जाँच अधिकारी उन व्यक्तियों की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं जो श्रीमती गीता मलिक को जलाने के कांड में शामिल हैं। इन परिस्थितियों में हमें उचित जांच करवाने से मना किया जा रहा है और जांच अधिकारी खुलेआम अभियुक्तों का पक्ष ले रहे हैं।"

श्री विज ने गृह मंत्री को 6 अक्तूबर को पत्र लिखा है। मैंने ये सभी पत्र प्राप्त कर लिए हैं क्योंकि सभी पत्र "नेशनल फेडरेशन आफ इण्डियन वूमैन," जो इन सभी मामलों को उठाती है, के पास आए थे। इस प्रकार ये पत्र मेरे पास पहुंचे।

एक तीसरा मामला है जो सभी समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है और यहां तक हुआ कि एक डाक्टर जो एम० डी० हैं, और डा० श्रीमती क्षिप्रा गर्ग के पति हैं ने एक नर्सिंग होम बनाने के लिए रुपये की मांग की और निर्धन पिता ने यह धन देने से इन्कार कर दिया तो उस व्यक्ति ने—उसको क्या कहना चाहिए ? मैं उसको बदमाश ही कह सकती हूं—न केवल इस लड़की को जला कर मारा—आपको पता है कि इस लड़की को जलाने के बाद उसे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाया गया और उस लड़की को तीसरी मंजिल पर चढ़ना था जबकि वह 95 प्रतिशत जली हुई थी और जब नर्सिंग होम ने इलाज करने से मना कर दिया तो उसे अगले दिन ही उसे अस्पताल ले जाया गया। जब इस लड़की को अस्पताल ले जाया गया तो इस हालत में यह आदमी उसके साथ नहीं गया और यह व्यक्ति एम०डी० है। इस मामले में भी पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही थी। इसके बाद नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमैन, कर्मचारियों और उस क्षेत्र की अन्य महिलाओं ने इस मामले को उठाया और प्रदर्शन किया। जब प्रदर्शन किया जा रहा था और पुलिस अधिकारी को सूचना दी गई तो उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए आगे नहीं आ रहा है। मैं क्या कर सकता हूं। तुरन्त एक व्यक्ति साक्ष्य के लिए सामने आया। उक्त स्थिति में कोई व्यक्ति साक्ष्य के लिए सामने नहीं आ रहा था। क्षेत्र के 94 पुरुष और महिलाओं ने 2 अक्तूबर को उप-राज्यपाल को लिखा कि इस मामले को अपराध शाखा को सौंपा जाए।

ऐसे बहुत से मामले हैं। इन तीन मामलों से, जिनका मैंने हवाला दिया है, पता चलता है कि पुलिस क्या कर रही है। और स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है। डाक्टर, एम०एस०सी० लडकियां, शिक्षक लड़कियां—जो सभी उच्च पदों पर कोई विरोध नहीं कर पाती। जहां भी संभव होता है, मामले को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के अंतर्गत दर्ज किया जाता है न कि हत्या करने के अतर्गत।

पहली बात जो मैं मन्त्री जी, जिनके मन में वास्तव में सहानुभूति है, से कहना चाहती हूं वह यह है कि वह इन मामलों की जांच करें और मेरे मन में इस बात का संदेह नहीं है कि सामान्य पुलिस तंत्र इन मामलों में शीघ्र कार्यवाही नहीं कर सकती चाहे

मन्त्री जी व्यक्तिगत तौर पर कितने ही अधिक चिंतित हों। अतः इन तीनों मामलों से पता चलता है कि या तो लड़की के पिता ने या उस क्षेत्र के निवासियों ने या इन मामलों से संबंधित संगठनों ने यह मांग की है कि इस मामलों की अपराध शाखा से जाँच करवाई जाए। मैं यह नहीं कह सकती कि अपराध शाखा द्वारा की गई जाँच से कोई भिन्न बात सामने आयेगी क्योंकि मेरा अनुभव इस मामले में अच्छा नहीं रहा है। इसके बावजूद भी यह स्पष्ट है कि कुछ अन्य एजेंसियां, कुछ विशिष्ट एजेंसियां ऐसे मामलों की जाँच करने के लिए; निःसंदेह शीघ्र कार्यवाही करने के लिए बनाई जानी चाहिए। मेरी मित्र श्रीमती दण्डवते ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाए। मैं समझता हूं कि दिल्ली में इसकी तुरन्त आवश्यकता है और यहाँ ऐसा किया जाना चाहिए।

परन्तु केवल यही कार्य करना पर्याप्त नहीं है। इस वक्तव्य में मन्त्री जी ने उन कदमों का उल्लेख किया है जो सरकार ने उठाए हैं। ये उपाय अच्छे हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में मैं इसके बारे में कुछ यह जानना चाहती हूं क्योंकि इन कदमों की कारगरता निःसंदेह आशा के अनुरूप नहीं है। मुझ विश्वास है कि इस बात से मन्त्री जी भी सहमत होंगे। यह मैं जानना चाहती हूं।

पहली बात तो मैं यह जानना चाहती हूं कि जिन मामलों का मैंने हवाला दिया है—मैंने ये अध्यक्ष महोदय को भी दिए हैं और ये पत्र में मन्त्री जी को भी दे सकती हूं—क्या आप उनकी सामान्य पुलिस जांच की बजाय अपराधिक मामलों के रूप में जाँच करवाएंगे? दूसरी बात यह है कि महोदय, उन्होंने वक्तव्य में बताया है कि दहेज विरोधी योजना के अन्तर्गत एक समझौता और मार्ग निदेश ब्यूरो की स्थापना की गई है। मेरे तथा श्रीमती गोपालन जैसे सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को इस योजना की जानकारी नहीं है। मैंने श्रीमती प्रमिला दण्डवते से भी नहीं पूछा है। दहेज कक्ष कहाँ है और इसमें क्या कार्य हो रहा है? ऐसा लगता है कि उन्होंने समझौता तथा मार्ग निदेश ब्यूरो का नाम गलती से दे दिया है। मुझे प्रसन्नता होगी यदि इस सम्बन्ध में कुछ किया जाए। क्या यही ब्यूरो है जिसमें सभी मामले जाते हैं? मैं नहीं समझती कि सभी मामले इस ब्यूरो को भेजे जाते हैं। यह स्पष्ट है कि कहीं न कहीं कोई चूक है। पहले हमें इस ब्यूरो का पता बताया जाए और इसके कार्य क्या हैं? इसके इंचार्ज कौन हैं? इसका बड़े पैमाने पर समाचार पत्रों में प्रचार किया जाना चाहिए ताकि लोग यहाँ पहुंच सकें। इसे प्रभावशाली बनाने के लिए यह अनिवार्य है कि इन मामलों से सम्बन्धित संगठनों का सहयोग लिया जाना चाहिए। 101 संगठन हैं और ये सभी संगठन समान रूप से कार्य नहीं करते हैं। कम से कम इन मामलों सम्बन्धित मान्यता प्राप्त महिला संगठनों का सहयोग जरूर लिया जाना चाहिए और इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में स्वैच्छिक संगठनों की सहायता की जाए। यह बहुत ही जरूरी है। समय के अभाव में और अधिक नहीं बोलना चाहती।

इसके अतिरिक्त, महोदय मैं यह जानती हूं कि दहेज विधेयक एक वर्ष के अन्दर पारित हो जाएगा और इससे एक बड़ा आंदोलन सामने आयेगा।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : महोदय, मैं माननीय महिला सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने सदन के सामने कुछ खास मामले प्रस्तुत किए हैं ;

श्रीमती अरोड़ा के मामले में चार व्यक्ति मृतका के ससुर, सास, उसके पति और उसकी ननद गिरफ्तार किए गए हैं और मामले पर आगे जाँच हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : कानून इस बात को देखेगा।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : श्रीमती गीता के मामले में, —मामला दर्ज किया गया है और तीन आदमी गिरफ्तार किए गए हैं और जाँच जारी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने श्रीमती गीता कहा है, श्रीमती गीता मलिक कहिये।

(व्यवधान)

श्री पी० वेंकट सुब्बया : जहां तक दूसरे मामले का सम्बन्ध है, वह इन मामलों को एक ऐजेन्सी को सौंपना चाहती थी जो इसकी विस्तृत जाँच कर सकती और अपराधियों को दण्ड दिलाती। पिछली बार भी सदन में यह मांग की गई थी, दिल्ली में दहेज के कारण हुई पाँच मौतों में से तीन मामलों को जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंपा गया था। जिसने इन मामलों की जांच की और दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच की पुष्टि की। इन सभी मामलों में आत्महत्याओं या दुर्घटनाओं के कारण मौतें हुई थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उन सभी बातों की पुष्टि की जो पुलिस ने अपनी जांच के दौरान पाया था। ऐसे मामलों में कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। इन मामलों के बारे में आगे जांच करते समय हम अवश्य इस बात का ध्यान रखेंगे कि उपयुक्त अधिकारी इन मामलों को देखे। मैं पहले ही इस बात का उल्लेख कर चुका हूं कि यदि पुलिस की ओर से अपने कर्त्तव्य निर्वाह में किसी प्रकार की अनियमितता बरती गई और यदि स्वयंसेवी संगठनों ने इस बात की ओर हमारा ध्यान दिलाया या हमें स्वयं इस बात का पता लगा तो हम इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने में बिलकुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। सरकार, दिल्ली पुलिस प्रशासन की सी० आई० डी० में इन मामलों पर निगरानी रखने के लिए एक स्वतंत्र पुलिस अधिकारी के अधीन एक विशेष सतर्कता सैल की नियुक्ति करने की सम्भावनाओं पर गम्भीरता से विचार कर रही है। यह विचाराधीन है (**व्यवधान**) हम यह भी सोच रहे हैं कि क्या एक विशेष डिवीजन का गठन किया जा सकता है, हम सोच रहे हैं कि क्या दहेज के कारण होने वाली मौतों के मामलों को एक कुशल पुलिस अधिकारी के अधीन रखा जा सकता है। अन्य माननीय सदस्यों ने भी उन मुद्दों को दुहराया है जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने अभी किया है और मैं उनका उत्तर पहले ही दे चुका हूं। मैं एक बार फिर से माननीय सदस्यों को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि इस

मामले में उन्होंने सरकार को तथ्यों का विवरण देने का एक मौका दिया और मैंने सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का उल्लेख किया ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं एक बात जानना चाहती हूं कि आपने कहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है । हमें पता चला है कि उन्हें तत्काल रिहा कर दिया गया है और वे धमकियां दे रहे हैं और फिर काउन्टर केस शुरू हो रहे हैं ।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा है मैं उस बारे में अवश्य जांच करूंगा ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : श्यामा प्रसाद मुखर्जी कालेज की श्रीमती शकुन्तला अरोड़ा के सम्बन्ध में एक गम्भीर मामला है । इस बारे में अनेक प्रदर्शन हुए हैं आज मुझे मालूम हुआ है कि इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : मैं अवश्य इस मामले की जांच करूंगा ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : ऐसे अनेक मामले हैं । हम यह जानना चाहते हैं कि क्या जांच स्तर पर आप दहेज विरोधी समिति को जांच कार्य में शामिल करेंगे क्योंकि सारी गड़बड़ इसी स्तर पर होती है, पुलिस यह शरारत कर रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास कुछ महिला पुलिस हैं, चिन्ता न करें ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : कुछ समय तक माननीय मन्त्री महोदय को इन मामलों से निपटने दें ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप ऐसे मामलों की जाँच महिला पुलिस से करवाने के बारे में सहमत होंगे ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं बिलकुल सहमत हूं परन्तु फिलहाल माननीय मन्त्री महोदय इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखें ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार इस बात का ध्यान रखेगी । हमारे पास बहुत अच्छा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था । धन्यवाद

———

(इसके पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बज कर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई ।)

(मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बज कर 38 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।)

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

———

विधेयक—पुरःस्थापित

(एक) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

(दो) चीनी उपकर (संशोधन) विधेयक

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : मैं राव वीरेन्द्र सिंह की ओर से प्रस्ताव करती हूं कि चीनी उपकर अधिनियम 1962 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है 'कि चीनी उपकर अधिनियम 1962 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कुमारी कमला कुमारी : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करती हूं ।

(तीन) चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : मैं राव वीरेन्द्र सिंह की ओर से यह प्रस्ताव करती हूं कि चीनी विकास निधि, अधिनियम, 1982 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कुमारी कमला कुमारी : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करती हूं ।

———

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बरेली और गोरखपुर में नए पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मांग

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उत्तर प्रदेश में केवल लखनऊ में एक रीजनल पासपोर्ट कार्यालय है। बहुत अधिक जनसंख्या का सब से बड़ा प्रदेश होने के कारण पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदकों की संख्या भी बहुत बड़ी है। अतः आवेदनों के निस्तारण में बहुत विलम्ब होता है और आवेदकों को कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त अपने पासपोर्ट के सम्बन्ध में जानकारी लेने के लिए भी आवेदकों को सैकड़ों मील आना जाना पड़ता है जिससे उनके धन व समय की बड़ी हानि होती है।

मैं माननीय विदेश मंत्री से आग्रहपूर्वक अनुरोध करता हूं कि वह पासपोर्ट बनवाने की इच्छुक जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए बरेली व गोरखपुर में भी पासपोर्ट बनाने के लिये क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की कृपा करें।

(दो) अहमदाबाद और बड़ोदरा के बीच एक नया राजमार्ग बनाने की आवश्यकता

श्री आर० पी० गायकवाड़ (वड़ोदा) : गुजरात सरकार ने अहमदाबाद और बाड़ोदरा को एक नए राजमार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह मार्ग केवल मोटर-कारों के लिए होगा और इस मार्ग में यातायात के अन्य साधनों को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। गुजरात सरकार द्वारा तैयार की गई फीजीबिलिटी रिपोर्ट से पता चलता है कि इससे पर्याप्त ईंधन की बचत होगी। नये राजमार्ग से दो शहरों के बीच की मोटर चालित दूरी 92 कि०मी० में से केवल 14 कि०मी० घट जायेगी। इससे इस समय खर्च होने वाले ईंधन के छठा हिस्सा की बचत हो जायेगी। इससे गाड़ियों की गति बढ़ेगी और समय की बचत होगी। राज सरकार को चुंगी के माध्यम से 17.33 करोड़ रुपये के राजस्व की आमदनी होगी परियोजना की अनुमानित लागत 70.6 करोड़ रुपये है। इससे कुल खर्च का 14.5 प्रतिशत वार्षिक आमदनी होगी। और दीर्घकाल में इससे सड़क प्रणाली के रिडिजाइनिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। मोटर वाहनों की संख्या में वृद्धि और फलस्वरूप सड़कों पर बढ़े हुए दबाव को देखते हुए इस परियोजना की अनेक आर्थिक क्षमताएं हैं। मैं केन्द्र सरकार विशेष रूप से परिवहन और नौवहन मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में वे पहल करें और गुजरात सरकार को परियोजना शुरू करने में मदद करें।

(तीन) किसानों को गन्ने की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री रामनगीना मिश्र (सलेमपुर) : मान्यवर, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के जिम्मे गन्ना किसानों का लगभग 70 करोड़ रुपये से अधिक बकाया पड़ा हुआ है, साथ ही जितनी चीनी मिलें हैं उनके गोदाम चीनी से भरे पड़े हैं। गन्ने के पिराई

का सत्र शुरू होने वाला है । मिलों की हालत आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त ही दयनीय हो चुकी है । बैंक की साख समाप्त हो चुकी है । अगला सत्र शुरू करने के लिये मिलों के पास अपनी मशीनरी रिपेरिंग करने के लिए भी रुपये नहीं हैं । इस समय उत्तरप्रदेश सूखे और बाढ़ से तबाह हो चुका है । लाखों किसान परिवारों के मन में इस बात की आशका हो गई है कि अगले सत्र में हमारे गन्ने की पिराई मिलों द्वारा हो पायेगी या नहीं, साथ ही इतनी बड़ी रकम मिलों के जिम्मे बकाया पड़ी हुई है । अगले सत्र का भुगतान मिल कर पायेगा या नहीं यह स्थिति अत्यन्त ही भयावह है ।

हमें ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार से विशेष परिस्थिति में आर्थिक सहायता की याचना की है । किन्तु आज तक कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल सका। ऐसी दशा में मैं माननीय कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पुराने गन्ने की कीमत, अगले सत्र में जो चीनी मिलों द्वारा तैयार होगी, उसके रखने की व्यवस्था तथा अगले सत्र में गन्ने के मूल्य का भुगतान करने के लिए क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ? बिहार प्रदेश में भी गन्ना किसानों और चीनी मिलों की ऐसी ही हालत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मनीराम बागड़ी ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : डिप्टी स्पीकर साहब, अखबार में रिपोर्टिंग गलत हो जाती है । जो यहाँ हाउस में हुआ था वह बिहार प्रेस बिल के बारे में था लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट के कागजों के बारे में लिख दिया ।

(चार) जेल में कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार करने की आवश्यकता

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : बन्दी बनाने के बाद सरकार और सभ्य सरकार की खास तौर से जिम्मेदारी है कि जेल में बन्दी के साथ मानवीय व्यवहार दिया जाए । जिस देश में चाहे सरकार विदेशी भी क्यों न हो बन्दियों के साथ गैर-मानवीय व्यवहार करती है वह मानवीय सरकार नहीं । आज आजाद भारत में रोजाना अखबारों में शिकायत जेल में लड़कों से यानी नाबालिग बच्चों से बदचलनी दुर्व्यवहार कहीं जेल में आँख फोड़ने के कांड, कहीं राशन पूरा न देना, गंदी खुराक, सर्दी व गर्मी के मुताबिक वस्त्र न देना, दो आदमी की जगह दस आदमी घुसेड़ देना यहां तक कि औरतों के साथ जेल में बलात्कार के वाकये सामने आए । राजनीतिक बन्दियों के साथ खासतौर से राजनीतिक व्यवहार होना चाहिए । आजकल पंजाब की जेलें बन्दियों से भरी हुई हैं, बल्कि जितनी तादाद उनमें होनी चाहिए उससे ज्यादा है ।

मैं सरकार से चाहूंगा कि सरकार उनके रहने की पूरी व्यवस्था करें, टेन्ट लगाए या अन्य प्रदेशों में भेजें । दवाई-दारू दे और भोजन का पूरा प्रबन्ध करे । इसके लिए मेरी राय है कि भारत सरकार गृह मन्त्रालय एक कमेटी बनाए जो जेल सुधार कमेटी हो और तमाम देश में घूम कर जेल के लिए जो सुविधाजनक जेल मैनुअल (जेल संहिता) बन

सके, बनाये । किसी कौम की सभ्यता और अच्छापन की निशानी सबसे ज्यादा उसकी जेल से होती है क्योंकि उसमें देशी, स्वदेशी, विदेशी अच्छे और बुरे सभी किस्म के लोग होते हैं । यह भारत है । कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ । बाबा नानक जेल गये । छटे गुरू श्री हरगोविन्द ने ग्वालियर के किले में जेल काटी, बन्दी छुड़ाए । राष्ट्रपिता गांधी जेल को सुधारने में इतने तत्पर थे अगर आज किसी जेल में आदमी को तकलीफ होती है तो गांधी की आत्मा को ।

(पांच) कावेरी जल निकास का समाधान करने में केन्द्रीय सरकार की असफलता के कारण तमिलनाडु बन्द

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : ऐसा मालूम हुआ है कि तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार के विरुद्ध 15 अक्तूबर, 1982 को, यह आरोप लगाते हुए कि केन्द्र सरकार कावेरी जल समस्या का हल निकालने में असफल रही हैं, एक बन्द का आयोजन किया जा रहा है, उपर्युक्त बन्द पूरी तौर से राजनीति-प्रेरित है और राज्य के अधिकारियों द्वारा कर्नाटक से पानी लेने के लिए कोई प्रयास किए बिना या पहल करके समस्या को हल करने के लिए अपना भार केन्द्र पर डालने का प्रयास किया गया है, वास्तव में केन्द्र सरकार ने कावेरी से पानी की सप्लाई और तत्सम्बन्धी समस्याओं के बारे में चर्चा करने हेतु दक्षिणी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई थी, पिछले कई महीनों से राज्य सरकार ने तमिलनाडु के लिए पानी की सप्लाई प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है । जिसके फलस्वरूप सारे तमिलनाडु को गम्भीर सूखे और अकाल की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और तमिलनाडु सरकार बिना किसी औचित्य के केन्द्र पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रही है । तमिलनाडु सरकार का कथित बन्द न वैध है और न संवैधानिक, और केन्द्र सरकार को कथित बन्द को गैर कानूनी, असवैधानिक, अनुचित अनावश्यक और अलोकतांत्रिक घोषित कर देना चाहिए ।

(छः) दुधारू पशु खरीदने के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को ऋण

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : विभिन्न बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए भैंस, गाय एवं अन्य जानवरों को खरीदने के लिए सरकार के आदेशानुसार ऋण/सहायता का प्रावधान है जिससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके । लेकिन खेद है कि यह सहायता सिर्फ कागज पर ही है । गरीब हरिजन आदिवासी महीनों बैंक का चक्कर काट कर थक जाते हैं । लेकिन उन्हें एक पैसा नहीं मिलता । पैसा उन्हीं को मिलता है जो उन्हें खुश करते हैं । बिहार में स्थिति और खराब है । बिहार में बैंक के मैनेजर द्वारा खुलमखुल्ला नाजायज पैसा मांगा जाता है । इसको लेकर गरीबों में काफी क्षोभ है ।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि विगत दो वर्षों में कितने हरिजन एवं आदिवासी को कुल कितनी राशि जानवर के खरीद हेतु ऋण या सहायता के रूप में दी गई । सरकार से यह भी आग्रह है कि ऐसा नियम बनावे जिससे गरीबों को आसानी से सहायता राशि या ऋण उपलब्ध हो सके ।

(घात) कोयला खान श्रम कल्याण संगठन का कोल इंडिया लिमिटेड में विलय

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : कोयला प्रेषण पर लगाए गए उपकर तथा कोयला खान श्रम कल्याण अधिनियम, 1947 की वित्तीय सहायता प्राप्त कोयला कल्याण संगठन गत चार दशकों से देश में कोयला खानों के लिए चिकित्सा सुविधा, आवास और अन्य कल्याणकारी उपाय प्रदान करता रहा है । निधि के अधिकांश 4000 कर्मचारी, जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हैं और पेंशन प्राप्त करने की स्थिति में हैं, 15-20 वर्ष की सेवा कर चुके हैं ।

मार्च, 1981 में, नायसराय और फुसरो के निधि के दो क्षेत्रीय अस्पताल कोल इन्डिया लिमिटेड को अंतरित किए गए थे । यह कहा गया है कि अभी हाल में 12 और क्षेत्रीय अस्पताल कोल इण्डिया लिमिटेड को अंतरित किए जाने का निर्णय लिया गया है । दुर्भाग्यवश, इस संगठन द्वारा बार-बार अभ्यावेदन दिए जाने के बावजूद वरिष्ठता, क्रय की सुरक्षा और कर्मचारियों की पेंशन निर्धारण से पूर्व कर्मचारियों को उपदान तथा अन्य बकाया भुगतानों की अदायगी से सम्बन्धित मामले अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं । कोयला खान श्रम कल्याण संगठन को कोल इण्डिया लिमिटेड में थोड़ा-थोड़ा अंतरण करके मिलाने के बजाय पूर्णतः मिलाये जाने की संगठन की मांग पर भी ध्यान नहीं दिया गया है।

आर०एच०एस० का कोल इण्डिया लिमिटेड को थोड़ा-थोड़ा करके अन्तरण किये जाने के एकांतिक निर्णय के विरुद्ध कोयला खान श्रम कल्याण संगठन के बुरी तरह से परेशान कर्मचारी 13.9.82 से सामूहिक रैली, धरना और भूख हड़ताल कर रहे हैं और शर्तें पहले तय करके पूर्ण विलय किए जाने की मांग कर रहे हैं ।

इसलिए, ऊर्जा मन्त्री से अनुरोध है कि वह कृपा करके इस बात की घोषणा शीघ्र करें कि खंड-खंड में विलय न करके पूर्णतः विलय कर दिया जाएगा जिससे कि जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं वे अपनी हड़ताल तोड़ दें, तनाव और श्रमिक अशांति समाप्त हो सके और राष्ट्रीय हित में वे अपने कार्य पर शीघ्र लौट आवें ।

———

रबड़ (संशोधन) विधेयक-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन श्री शिवराज वी० पाटिल द्वारा 13 अक्तूबर, 1982 को रखे गये निम्न प्रस्ताव पर आगे विचार करेगा; अर्थात् :

"कि रबड़ अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये ।"

दो घटे का समय आबंटित है, जिसमें से 30 मिनट बीत चुके हैं और इस समय एक घंटा 20 मिनट बाकी हैं । श्रीमती सुशीला गोपालन ।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अलप्पी) : हमारे विकासशील उद्योगों में रबर का एक महत्वपूर्ण स्थान है । हमारी रबड़ की मांग प्रति वर्ष बढ़ रही है । इस उद्योग पर लाखों श्रमिक और उत्पादक आश्रित है । इसलिए उस उद्योग से सम्बन्धित कोई भी निर्णय बड़ी सावधानीपूर्वक लेना चाहिए । सरकार का प्रस्ताव एक अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने का और पूर्णकालिक अध्यक्ष को अंशकालिक अध्यक्ष बनाने का तथा तद्पश्चात् उसके अधीन एक कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने का है । मैं यह जानना चाहती हूं कि इससे क्या सहायता मिलेगी क्योंकि समस्याएं तो अनेक हैं । सभी अधिकारों से युक्त पूर्णकालिक अध्यक्ष को इन सभी बातों से निपटना पड़ता है । किन्तु अब सरकार यह महसूस करती है कि गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में ऐसे लोग हैं जिन्हें इस उद्योग की बहुत अधिक जानकारी है । अब यदि वे उनकी सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं—जबकि पूर्णकालिक अध्यक्ष उपलब्ध नहीं है—तब सरकार ने अंशकालिक अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता समझी है । ऐसा निर्णय लेते समय सरकार की कठिनाई को मैं समझ सकती हूं । किन्तु अब समस्या का निदान हो चुका है । अब इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है । इससे समस्या और जटिल हो जाएगी क्योंकि अंशकालिक अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक को शक्तियां प्रदान करेगा । वह अपनी ओर से कुछ नहीं करेगा । संभवत: निश्चित रूप से वह एक भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारी होगा । वह कहेगा कि जो कुछ कहा जाय वही किया जाय । अंशकालिक अध्यक्ष को सैकड़ों कार्य होते हैं और वह इन सभी समस्याओं को उस प्रकार नहीं निपटा पायेगा जिस प्रकार उसे निपटाना चाहिए । अंशकालिक अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने के उस प्रस्ताव से कोई लाभ नहीं होगा । उद्योग की अनेकों समस्याएं हैं । आपको रबर की अपनी ही समस्याओं के बारे में पता है । अनेक प्रकार की विरोधात्मक स्थिति है । उत्पादकों के अनुसार अनुमानित मांग 1.97 लाख टन की है । उनके अनुसार अनुमानित उत्पादन 1.75 लाख टन है । उद्योग की अनुमानित मांग 2.1 लाख टन है किन्तु उसका अनुमानित उत्पादन 1.55 लाख टन का है । पुन: उत्पादकों के अनुसार केवल 30,000 टन बाहर से आयात किया जाना चाहिए । किन्तु उद्योगपतियों के अनुसार आवश्यकता 65,000 टन की है । इसे रबर बोर्ड ने भी स्वीकार किया है । रबर बोर्ड का कहना है

कि मांग 1.97 लाख टन है और उत्पादन 1.62 लाख टन है। उनकी गणना के अनुसार 35000 लाख टन की आवश्यकता है। किन्तु फिर भी, तकनीकि विकास के महानिदेशक ने सरकारी तौर पर 45,000 टन का अनुमान लगाया है। सितम्बर तक 32,500 टन आयात करने की स्वीकृति दे दी है और वह बाजार में आ गया है। देश में इसकी वास्तविक स्थिति क्या है ? उत्पादन जो कहते हैं, उसके अनुसार मुझे पता चलता है कि मूल्य घटकर 11/- रुपए रह गया है।

श्री जार्ज जोसेफ मुंडामल (मुंवत्तुपुजा) : इससे कम है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : समाचार पत्रों के अनुसार 11/- रुपए है। हो सकता है इससे भी कम हो। जब आप आयात करेंगे तब आयातित रबर का मूल्य बढ़कर वास्तव में लगभग 13/- अथवा 14/- रुपए प्रति किलो हो जाएगा। देश बहुत अधिक बहुमूल्य विदेशी मुद्रा व्यय कर रहा है और सामान अधिक मूल्य पर बिक रहा है। आज की स्थिति

[श्री एस०एम० कृष्ण पीठासीन हुए]

यह है। निसंदेह कभी-कभी आयात करने की अनुमति देनी पड़ती है। किन्तु ऐसा चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। उत्पादक कह रहे हैं कि राज्य व्यापार निगम ने जून, जुलाई और अगस्त के कोटे का एक साथ आयात कर लिया है। इसलिए मूल्य इतने गिर गए हैं। परन्तु उद्योगपति अपनी मनमानी करना चाहते हैं। उद्योगपतियों की मांग के अनुसार आप रबड़ का निर्यात करते हैं। परन्तु केरल में इस समय प्रतिदिन एक हजार टन रबड़ का उत्पादन होता है। इसमें से केवल 200 टन रबड़ ही उठाया जाता है। शेष रबड़ बिना बिके पड़ा रहता है। इन परिस्थितियों में इतनी अधिक रबड़ का आयात करने की क्या जरूरत है जबकि हमारे देश में इतना अधिक उत्पादन हो रहा है ? प्रत्येक मामले में हमारी सरकार की यही प्रकृति है।

जब नारियल का उत्पादन बढ़ने लगता है तो आप नारियल के तेल और खोपरेका आयात शुरू कर देते हैं। जिसके परिणामस्वरूप, एकदम मूल्य गिर जाते हैं। इस प्रकार जब रबड़ का उत्पादन बढ़ रहा है आप इसका आयात कर रहे हैं। यदि मांग अधिक है, तो तब आप इस पर विचार कर सकते हैं। इसके बावजूद भी, रबड़ का आयात आवश्यकतानुसार चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।

मांग के बारे में उत्पादक तो कुछ कह रहे हैं, और रबड़ बोर्ड कुछ दूसरी ही बात कह रहा है और उद्योग किसी और चीज की मांग कर रहे हैं। रबड़ की वास्तविक मांग का पता लगाने के लिए आप तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति क्यों नहीं बनाते ? उत्पादक कहते हैं कि उद्योगपति अपनी संस्थापित क्षमता के अनुसार मांग करते हैं, जिसका कभी उपयोग नहीं किया जाता। इन सब का अनुमान कौन लगाता है ? वास्तविक योग का आप किस तरह पता लगाते हैं ? आपको रबड़ का आयात बड़ी सावधानीपूर्वक

करना चाहिए; अन्यथा आप रबड़ उद्योग को नष्ट कर देंगे। आप इस उद्योग पर निर्भर करने वाले लाखों श्रमिकों और उत्पादकों का सत्यानाश कर रहे हैं। आप इस समस्या का समाधान किस प्रकार कर रहे हैं ?

भारत सरकार के मूल्यांकन के अनुसार 1990 तक 1.76 हजार टन रबड़ का आयात करना पड़ेगा। हम उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाते ? हमारे देश में उत्पादकता बहुत कम है। इस समय उत्पादकता 600 कि०ग्राम प्रति हेक्टेयर है जिसे बढ़ाकर 800 कि०ग्राम किया जा सकता है। अन्य देशों में, उत्पादकता 1500 कि०ग्राम प्रति हेक्टेयर है। अधिकतर उत्पादक छोटे उत्पादक हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए आप उन्हें अधिक प्रोत्साहन दे सकते हैं। यदि उन्हें यह दिखाई देगा कि रबड़ की खेती अधिक लाभदायक है वे और अधिक खेती करेंगे। आप उन्हें उर्वरक और कीटनाशक औषधियों जैसे आदान घटी दरों पर दे सकते हैं। रबड़ के पौधों में एक विशेष किस्म की बीमारी बड़े पैमाने पर हो जाती हैं। रबड़ बोर्ड हवाई छिड़काव क्यों नहीं करता ? जब कश्मीर में सेब के पौधों में एक विशेष किस्म की बीमारी फैल जाती है तथा वहाँ मुफ्त हवाई छिड़काव किया जाता है। आप रबड़ के पौधों पर भी ऐसा क्यों नहीं करते ? रबड़ बोर्ड एक हेलीकाप्टर खरीदकर हवाई छिड़काव कर सकता है क्योंकि यह बीमारी बड़े पैमाने पर फैल जाती है यह कार्य उत्पादकों की क्षमता के बाहर है।

इस वर्ष के चार महीनों में भी उत्पादन 6000 टन हुआ है। ये आंकड़े उत्पादकों द्वारा दिए गए हैं। और फसल के लिए और अधिक पौधे उगाए जा रहे हैं। उत्पादन अपने आप बढ़ेगा। यदि आप और अधिक प्रोत्साहन देंगे तो हमारा उत्पादन और बढ़ेगा। त्रिपुरा, कर्नाटक और गोआ, जहां रबड़ की खेती की जा सकती है, जैसे राज्यों को रबड़ की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अत: हमारे देश में रबड़ की अधिक खेती करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। मैं समझती हू कि इस पौधे की नई किस्म है जिसे मैक्सिको के रेगिस्तान में उगाया जाता है। उसका प्रयोग हमारे देश में भी किया जाना चाहिए। उसे और विकसित किया जायेगा। परन्तु हमारा अपना उत्पादन बढ़ाने के बजाय, आप आयात बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। वस्तुत: आप उत्पादन बढ़ाने के उपायों का पता लगाने के बजाय यह हिसाब लगा रहे हैं कि आगामी वर्षों में कितना आयात करना होगा। इसके अलावा, आपने जून, जुलाई और अगस्त के लिए एक साथ आयात हेतु जितनी मात्रा की योजना बनाई थी उतना आयात कर लिया है क्योंकि देश के उद्योगपति ऐसा चाहते हैं।

केवल अंशकालिक चेयरमैन या कार्यभारी निदेशक नियुक्त करने से काम नहीं चलेगा। उससे तो मामला और उलझ जायेगा और इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। इसका उपाय यह है कि वर्तमान उत्पादकों को अधिक मदद और सहायता दी जाये और जिन अन्य क्षेत्रों में संभव हो, खेती का क्षेत्र बढ़ाया जाए। उत्पादिता बढ़ाने के

लिये भी प्रयास किए जायें। ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम रबड़ का उत्पादन बढ़ा सकते हैं।

जब कभी बड़े उद्योगपति कोई माँग करते हैं तो सरकार उस पर तत्काल कार्यवाही करती है। परन्तु जब श्रमिक कोई वाजिब मांग करते हैं तो क्या आप उसे क्रियान्वित करने के लिए गम्भीर रूप से विचार करते हैं? उदाहरण के लिए, कलकत्ता के श्रमिक इन्चेक और नैशनल रबड़ के राष्ट्रीयकरण की मांग कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते? मैं समझती हूं कि वित्त मंत्रालय ने इसे स्वीकृत किया है। उद्योग मंत्रालय इसमें बाधक बना हुआ है। जब श्रमिक गत अनेक वर्षों से माँग कर रहे हैं तो आप उनकी मांग मानते क्यों नहीं? आप पीछे क्यों हटते हैं? साथ ही उद्योगपति जब कभी कोई मांग करते हैं तो सरकार तुरन्त कार्यवाही करती है। सरकार का यह तो रवैया है। यदि सरकार इन दोनों एककों को अधिगृहीत कर लेती है तो श्रमिकों ने उन एककों को कुशलतापूर्वक चलाने हेतु पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। यहाँ आपको बिना किसी विलम्ब के उन कारखानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए।

रबड़ उत्पादकों को अधिक प्रोत्साहन दिए जायें। आपको श्रमिकों के लिये कल्याणकारी उपायों पर ध्यान देना होगा। उनको इस समय बहुत ही कम मंजूरी दी जा रही है। इन श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी अधिनियम क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। आपको उनकी मंजूरी बढ़ानी होगी। उनके लिए कुछ और कल्याणकारी उपाय भी करने होंगे। यदि आप ये सब करते हैं तो श्रमिक आपके साथ सहयोग करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा और विदेशों से रबड़ का आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं इतना कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगी कि आपको खेतिहरों के सर्वोत्तम हितों, जो देश के सर्वोत्तम हित होंगे के लिए अपनी नीति में मूल परिवर्तन करना होगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : चूंकि माननीय सदस्या, श्रीमती सुशीला गोपालन ने अनेक संगत मुद्दों का उल्लेख किया है इसलिए मैं उनको नहीं दोहराऊंगा। वस्तुतः इस विधेयक का उद्देश्य पूर्णकालिक चेयरमैन को अंशकालिक चेयरमैन में बदलने का है। महोदय, मैं इसका कारण जानता हूं और आप भी जानते हैं। मुझे इसकी इतनी चिंता नहीं है कि पूर्णकालिक चेयरमैन है या अंशकालिक चेयरमैन, आप चाहे जिसे रख सकते हैं।

मेरी आपत्ति उत्पादकों के प्रति सरकार की मूल नीति पर है। मैं जानता हूं कि सरकार की नीति न केवल उत्पादकों के अपितु स्वयं राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक है। ऐसा रबड़ के सम्बन्ध में ही नहीं है अपितु उन सभी नकदी फसलों के सम्बन्ध में है जिनका हम आयात या निर्यात कर रहे हैं।

रबड़ के आयात के लिए उद्योग की ओर से जब कभी कोई मांग की जादी है तो सरकार उद्योगपतियों द्वारा अपेक्षित मात्रा में आयात करने के लिए तुरन्त निर्णय लेती है। यही इतिहास रहा है। मुझे उद्योगपतियों के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है परन्तु मैं आपको एक बात बताऊंगा।

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : मेरे मन में किसी के विरुद्ध कोई बात नहीं है। मैं किसी के विरुद्ध क्यों बोलूं, होऊं भी क्यों ? परन्तु मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम देश में किसी जिन्स का उत्पादन कर सकते हैं तो उसके आयात को प्रोत्साहन क्यों दिया जाए ? केरल की एक-तिहाई भूमि रबड़ की खेती के उपयुक्त है। उसमें से हजारों हेक्टर भूमि का उपयोग न केवल रबड़ उत्पादन के लिए अपितु ट्रैपिओका के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। यदि सरकार किसी सही नीति का पालन करती तो इन सभी वर्षों में रबड़ का उत्पादन आज की तुलना में दुगुना हो जाता और हम इसका निर्यात कर सकते थे। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं ? जब कभी भी रबड़ का मूल्य लाभकर होगा तो उद्योगपति सरकार पर दबाव डालेंगे और सरकार उनके दबाव में आकर रबड़ का आयात करेगी। तब अचानक ही रबड़ का मूल्य गिर जाएगा और उत्पादकों की रबड़ उत्पादन में रुचि न रह जाएगी और उसका उत्पादन कम हो जाएगा। अतः इस देश में रबड़ उत्पादकों तथा जो रबड़ बागान लगाना चाहते हैं उनको कभी भी यह विश्वास नहीं हो सकेगा कि वे रबड़ की खेती कर सकेंगे और रबड़ की खेती अन्ततोगत्वा आर्थिक दृष्टि से सक्षम होगी। सरकार उनमें यह विश्वास जागृत करने में असमर्थ है कि रबड़ की खेती आर्थिक दृष्टि से सक्षम होगी। यही एकमात्र कारण है कि हमें अभी भी रबड़ का आयात करने की आवश्यकता है।

यह एक गलत नीति है जो महात्मा जी के देश में अपनायी जा रही है। हम आत्म-निर्भरता की बात करते हैं लेकिन हमारे पास आत्म-निर्भरता के लिए कोई दीर्घावधि-नीति नहीं है। आप इस पद्धति पर क्यों नहीं सोचते कि यदि प्रोत्साहन देकर इस देश में किसी वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है भले ही उस वस्तु की कमी है, उस कमी का सामना कीजिए, उत्पादन बढ़ाइए और हमें आत्म-निर्भर बनने दीजिए ? इस समय आप क्या कर रहे हैं ? इन वस्तुओं की कमी के समय ही आप इनकी व्यवस्था करते हैं। हाल ही में क्या हुआ ? प्राकृतिक रबड़ का मूल्य 15 रुपए प्रति किलो था। (व्यवधान) हाँ, इसका मूल्य 16 रुपया प्रति किलो था। स्वयं रबड़ बोर्ड ने एक किलो प्राकृतिक रबड़ की उत्पादन लागत का आकलन किया था और इसकी उत्पादन लागत को 14 रुपए प्रति किलो बताया है। यह रबड़ बोर्ड का आंकलन है। मैंने यह कुछ प्रलेखों में पढ़ा है। अब क्या हुआ ? 30,000 टन रबड़ का आयात किया गया है जिससे रबड़ का मूल्य 16 रु० प्रति किलो से गिर-कर 11 रुपए प्रति किलो हो गया है। प्रत्येक किलो पर उत्पादक को 3 रुपए की हानि होती है। यह मूल्य क्यों कम हो गया है जबकि 30,000 टन रबड़ का आयात किया गया है ?

यह अत्यन्त सरल है, पहले, उत्पादन और आवश्यक ा के बीच के अन्तर की आपकी गणना ठोस आधार पर नहीं है अथवा निष्पक्ष नहीं है। मुझे मालूम है कि अकेले केरल में ही हजारों एकड़ में रबड़ एस्टेट हैं जो रबड़ बोर्ड के पास पंजीकृत नहीं हैं और उत्पादन की गणना केवल रबड़ बोर्ड के पास रबड़ की पैदावार के लिए पंजीकृत भूमि के आधार पर की जाती है। इसलिए, देश में कुल उत्पादन के आपके आंकड़े देश के वास्तविक कुल उत्पादन की तुलना में कम हैं। दूसरे, आप किस आधार पर इसकी आवश्यकता का आंकलन करते हैं।

श्री ई० बालानन्दन (मुकन्दपुरम) : वे केवल आयातों की गणना कर रहे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : पुनः, देश की कुल आवश्यकता के लिए, आप स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक कारखाने में उसकी पूरी क्षमता का उपयोग होता है, लेकिन बिजली खराब होने अथवा बीच-बीच में बिजली जाने अथवा हड़तालों और उद्योग की अन्य बाधाओं के कारण, इनमें पूरी क्षमता का उत्पादन नहीं करते। इसलिए एक ओर तो आवश्यकता बढ़ रही है और दूसरी ओर उत्पादन कम किया जा रहा है। ऐसा कौन कर रहा है ? मैं कहूंगा कि यह नौकरशाही है—चाहे वह राज्य व्यापार निगम हो अथवा अन्य लोग। वे इस गलत रूप से सदा नई आवश्यकता और कम उत्पादन प्रदर्शित कर रहे हैं। वे इन दोनों के बीच 30,000 टन से 40,000 टन तक का अन्तर दिखा रहे हैं। यदि गणना के अनुसार 40,000 टन का अन्तर है तो मूल्य 15 रुपए से 11 रुपए तक किस तरह गिर सकते हैं। मुझे एक निवेदन करना है। आवश्यकता का अनुमान लगाने से पूर्व आपको रबड़ बोर्ड तथा रबड़ उत्पादकों के प्रतिनिधियों से परामर्श करना चाहिए। आप उद्योग से परामर्श कर रहे हैं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उद्योग के अतिरिक्त आपको आयात करने से पूर्व रबड़ बोर्ड तथा रबड़ उत्पादकों के प्रतिनिधियों से अवश्य परामर्श करना चाहिए।

अब मुझे दूसरा मुद्दा उठाना है—वर्तमान संकट से किस तरह छुटकारा पाएं ? मैं समझता हूं, लोगों ने अभी से रबड़ से पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है। हर बार ऐसा होता रहा है। जब मूल्य स्थिर है तो आयात होगा और कुछ लोग रबड़ को छोड़ कर दूसरी फसल करने लगेंगे और कुछ लोग पेड़ों को काटेंगे। केरल में और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में यह होता रहा है। इसे रोकने के लिए आपको कुछ कदम उठाने चाहिए। यदि उत्पादन और कम हो जाता है तो हमें मूल्यवान विदेशी मुद्रा के खर्चे पर और अधिक आयात करना होगा। इसलिए, किसी भी मूल्य पर उत्पादन कम नहीं किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है, केरल राज्य रबड़ सहकारी विपणन संघ ने सरकार तथा रबड़ बोर्ड से सम्पर्क किया है कि वे 14 रुपए प्रति किलो की दर से रबड़ खरीदेंगे, बशर्ते कि उन्हें ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। आप रबड़ बोर्ड की मूल निधि में से इसकी व्यवस्था कर सकते है। उनके पास मूल निधि के रूप में 20 करोड़ रुपए हैं जिसका उपयोग नहीं किया गया है। पिछले वर्ष तक इस कोष का उपयोग छिड़काव करने के लिए किया जाता रहा है। गत वर्ष से छिड़काव

भी बन्द कर दिया गया था। वस्तुतः इसे पिछले तीन वर्षों से बन्द कर दिया गया था। इसलिए यह धनराशि वहां इकट्ठी होती रही है। यह धनराशि 20 करोड़ रुपए के लगभग है। केरल राज्य रबड़ सहकारी विपणन संघ को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए केरल सरकार की गारंटी होगी। मैं आपसे केरल राज्य रबड़ सहकारी विपणन संघ को 10 करोड़ रुपए का ऋण देने का अनुरोध करूंगा ताकि वे बाजार में जा सकेंगे और 14 रुपए प्रति किलो की दर पर रबड़ खरीदेंगे। इस प्रकार के कदम से वर्तमान स्थिति को बचाया जा सकता है। यदि किसी रूप में आप यह पाते हैं कि यह सम्भव नहीं है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ऊंची दरों पर रबड़ खरीदने का कार्य रबड़ बोर्ड को सौंप दें। इसके साथ ही जो भी आयात विचाराधीन है उसे आगे से बन्द कर दिया जाना चाहिए। आयात के सभी लम्बित आदेशों को रद्द कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद जो कुछ भी आयात आप करना चाहें वह सभी हितों के सम्बन्ध में परामर्श करने के बाद किए जाने चाहिए। मैं और अधिक बोलना नहीं चाहता। लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। यदि आप इस अल्पकालिक नीति का अनुसरण करते हैं तो यह समूचे राष्ट्र के लिए हानिकारक है। इससे उत्पादन नहीं बढ़ेगा।

रबड़ का उत्पादन करने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है। किन्तु उन क्षेत्रों को अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया है। इसका कारण यह है कि आपने किसानों को और किफायती मूल्य का आश्वासन नहीं दिया है। आपने आश्वासन दिया है कि आगामी पाँच वर्षों के लिए मूल्य 15 रुपये प्रति किलो होगा। मैं कह सकता हूं केवल केरल में बहुत अधिक उत्पादन हो सकता है— 10 वर्ष के अन्दर 5 लाख टन रबड़ का यदि आप इस प्रकार घोषणा करेंगे तो आप रबड़ का आयात करने के बजाय रबड़ का निर्यात कर सकेंगे। महात्मा गांधी के देश में ऐसा ही किया जाना चाहिए और उन्हें भी वही करना चाहिए जो महात्मा गाँधी का अनुसरण करने का दावा करते हैं।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : मैं विधेयक के बारे में बहुत अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि इस विषय पर श्रीमती सुशीला गोपालन और प्रो० कुरियन बहुत कुछ कह चुके हैं और श्री जार्ज जोसेफ मुंडामल बोलने की प्रतीक्षा में हैं। वह इस विषय के विशेषज्ञ हैं।

श्री कुरियन ने इस बात की ओर संकेत किया है कि यह संशोधन क्यों लाया गया है। किन्तु अपनी वर्तमान राजनैतिक स्थिति के कारण, उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया है कि यह संशोधन क्यों लाया गया है। यह राजनैतिक उद्देश्य से लाया गया है क्योंकि केरल के कांग्रेस (ई) के कुछ नेताओं को केन्द्रीय दल परिमडल द्वारा रबड़ बोर्ड का अध्यक्ष बनाए जाने के लिए चुना गया है। वह पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होना चाहते क्योंकि उन्हें अपने राजनैतिक पद से वंचित होना पड़ेगा। किन्तु वह अंशकालिक अध्यक्ष बनने को तैयार है। इसलिए, उनकी सुविधा के लिये यह संशोधन यहाँ लाया गया है।

एक माननीय सदस्य : वह अंशकालिक कांग्रेसी सदस्य है।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : और अब वह रबड़ बोर्ड के अंशकालिक पद पर रहना चाहते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वह एक अंशकालिक कांग्रेसी सदस्य हैं। यही कारण है कि राजनीतिक उद्देश्य से यह संशोधन लाया गया है **(व्यवधान)**। मैं यहाँ उनका नाम नहीं ले रहा हू। तो भी बहुत पहले से हमें पता है कि केरल में नये राज्यपाल आ रहे हैं। इन लोगों के प्रति हमारी यह गुप्त खोज-बीन है।

सभापति महोदय : उत्तेजित न हों।

श्री ए० नीलालोहीथादसन नाडार : मैं उत्तेजित नहीं हूं। मैं ऐसे ही बोल रहा हूं।

रबड़ सम्बन्धी नीति बड़े उद्योगपतियों द्वारा संचालित होती है। मुझे कुछ मित्रों ने बताया है, जो रबड़ उत्पादकों से संलग्न हैं और जो अपने उद्योगों की देख भाल करते हैं—मन्त्री महोदय भी इस वक्तव्य को देख सकते हैं—कि वाणिज्य मंत्रालय के बड़े अधिकारियों के परिवार के सदस्य बड़े रबड़ उद्योगपतियों के उद्योगों में नियुक्त हैं। इसलिए वे लोग नीति का संचालन कर रहे हैं। इसी प्रकार, रबड़ आयात के मामले में वे लोग राज्य व्यापार निगम पर भी प्रभाव डालने का प्रयत्न कर रहे हैं।

मूल अधिनियम, अर्थात् रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 8(3) में यह पाठ है :—

'बोर्ड का निम्न कर्त्तव्य भी है :—

(क) रबड़ के आयात और निर्यात सहित रबड़ उद्योग के विकास से सम्बन्धित सभी मामलों के बारे में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना।"

इसी प्रकार धारा 8-ख में कहा गया है :—

"इस अधिनियम के अधीन बोर्ड से सम्बन्धित मामलों में कोई कार्यवाही करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार सामान्यत: बोर्ड से परामर्श लेगी।"

क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि रबड़ के किसी भी प्रकार के आयात के मामले में रबड़ बोर्ड की सहमति अथवा रबड़ बोर्ड की सिफारिश अथवा अनुमोदन प्राप्त किया गया है ? जिस दिन मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (संशोधन) विधेयक पर बोल रहा था, उस दिन मैंने इस बात का उल्लेख किया था, यहाँ तक कि क्यूलोन में भाषण देते समय केरल के वित्तमन्त्री ने अपने भाषण में कहा था कि वे रबड़ आयात करने का विरोध कर रहे हैं। कोई और मंत्री-राजस्व मन्त्री भी हैं। मुझे नहीं मालूम कि मुख्य मन्त्री ने भी कोई वक्तव्य दिया है या नहीं। इसलिए इस मामले के बारे में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार, मुझे बताया गया है कि कुछ मंत्रणा की जा रही है। चूंकि राज्य व्यापार निगम रबड़ का आयात करने वाली है, इसलिए उद्योगपतियों को मंत्रालय के कुछ अधिकारियों को तथा अन्य व्यक्तियों को खुश करना होगा। इसलिए बड़े व्यापारिक गृह तथा बहुराष्ट्रिक रबड़ आयात करने का काम अपने हाथ में लेना चाहते हैं। वे लोग इसके लिए मंत्रणा कर रहे हैं। औद्योगिक नीति में परिवर्तन किए जाने और भारत सरकार के कार्यक्रमों के कारण तथा संयुक्त राज्य अमरीका में वित्तमन्त्री द्वारा दिए गए हाल के भाषण और अन्य बातों के कारण, मुझे भय है कि सरकार इस पर सहमत हो सकती है। इसलिये रबड़ उत्पादकों और हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के विरुद्ध ऐसी नीति अपनाए जाने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय षड़यन्त्र रचे जा रहे हैं, जो बड़े व्यापारिक गृहों तथा बहुराष्ट्रिकों के अनुकूल हो।

माननीय सदस्य ने और भी अनेक बातों का उल्लेख किया है। रबड़ का मूल्य 16 रुपए प्रति किलो से घटकर 10 रुपए 50 पैसे हो गया है। रबड़ उद्योग में छोटे उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि कोई निश्चित कार्यक्रम निर्धारित किया जाए। रबड़ के बड़े और छोटे दोनों प्रकार के उत्पादक हैं। छोटे उत्पादकों को जो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि उनका जीवन-निर्वाह ही रबड़ के उत्पादन पर आश्रित है। बड़े उत्पादकों के आय के और भी साधन हो सकते हैं। इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि रबड़ उत्पादन की कोई सीमा निर्धारित की जाय ताकि छोटे उत्पादकों को प्रोत्साहन मिल सके। रबड़ उत्पादन की कोई सीमा निर्धारित होनी चाहिए। भूमि सुधार कार्यक्रम के अधीन इस प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिए। केरल में भूमि सुधार का काम आरम्भ हो चुका है। किन्तु रबड़ उत्पादन को उसमें शामिल नहीं किया गया है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि भूमि सुधार अधिनियम में रबड़ उत्पादन को भी शामिल किए जाने के लिए अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : सभापति जी, रबर अधिनियम, 1947 की व्यवस्थाओं के अनुसार रबर बोर्ड का गठन होता है। और अभी तक जो व्यवस्था रही है उसमें केन्द्रीय सरकार रबर बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति करती रही है और उसमें चेयरमैन कोई आई०ए०एस० भी हो सकता था और पब्लिक का भी आदमी हो सकता था। यह केन्द्र सरकार पर आधारित था कि किसको नियुक्त करती है। लेकिन चेयरमैन होल टाइमर होता था।

अब इस संशोधन के द्वारा सरकार का यह मन्तव्य है कि एक पूर्णकालिक चेयरमैन को न रख कर पार्ट टाइम चेयरमैन की नियुक्ति कर दी जाय और जो पार्ट टाइम चेयरमैन होगा उसकी सहायता के लिए एक ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की नियुक्ति की जाय। जो चेयरमैन के निर्देशानुसार कार्यों को करे। यह बात समझ में नहीं आती कि जब

रबड़ उद्योग इस समय संकट की अवस्था से गुजर रहा है, उत्पादन नहीं हो रहा है, हम आयात पर निर्भर कर रहे हैं तो इसमें पार्ट-टाइम चेयरमैन की क्या आवश्यकता पड़ गई ?

होल-टाइम चेयरमैन को 2000 से 2250 तक वेतन दिया जाता था। अब पार्ट-टाइम चेयरमैन को क्या वेतन दिया जायेगा और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो नई पोस्ट होगी उसके लिए कितना अतिरिक्त वेतन देना पड़ेगा ? जिस आर्टिकल 6 ए-1 में यह संशोधन कर रहे हैं, उसमें रबड़ प्रोडक्शन कमिश्नर की व्यवस्था है। उसे भी सरकार नियुक्त करती है और 6 ए-2 में एक सैक्रेटरी की नियुक्ति भी सरकार करती है जो समय-समय पर चेयरमैन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगा। इस तरह से यह पार्ट-टाइम चेयरमैन की और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की नियुक्ति की बात समझ में नहीं आती है।

जैसा हमारे नाडार साहब ने कहा, लगता है कि यह कोई पोलिटिकल बात है और शायद यह मंशा हो सकती है कि जो शासक पार्टी का मंत्री या अध्यक्ष हो वह अपने काम को देखे और इस काम को भी देखे। इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

देश का रबड़ उद्योग इस समय संकट की स्थिति में है। लगता है कि हम रबड़ के उत्पादन में वृद्धि की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसके आयात पर हम ज्यादा निर्धारित हैं क्योंकि 1980-81 में जहां हमारा आयात करीब 9250 टन था, वह 1982-83 में करीब 30, 35 हजार टन रबड़ हम आयात करने जा रहे हैं। इस तरह से दो साल में तीन गुना से भी अधिक रबड़ आयात करने हम जा रहे हैं।

1980-81 में हमारे यहां रबड़ का उत्पादन जहां 1 लाख 53 हजार टन हुआ वह 1981-82 में घटकर 1 लाख 52 हजार टन हो गया। मेरा निवेदन है कि विभिन्न प्रयासों के द्वारा हमें देश में रबड़ के उत्पादन को बढ़ाना चाहिए और आयात पर कम निर्भर होना चाहिए।

इसमें दो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। एक तो संभवतः हमारे यहां कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा है। मंत्री जी बताने की कृपा करें कि हमारे यहां जो रबड़ उत्पादित हो रहा है, उसकी कीमतें क्यों ज्यादा हैं ? यह कास्ट आफ प्रोडक्शन अधिक होने से हैं या उत्पादन अधिक न होने से हैं ?

हमारे साथियों ने बताया कि रबड़ की कीमत केरल में 16, 17 रुपए है और दिल्ली में 18, 19 रु० हैं और आयातित रबड़ की कीमत 8 रुपए है।

अगर कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा है तो उसमें अधिक सुधार कर के कास्ट आफ प्रोडक्शन को घटाया जाना चाहिए और कम उत्पादन के कारण है तो उत्पादन को बढ़ाया

जाना चाहिए । रबड़ के उत्पादन बढ़ाने के दो तरीके हो सकते हैं । एक तो बागान में इसका क्षेत्र बढ़ाया जाए और दूसरे रि-प्लान्टेशन की जाए । जहां क्षेत्रफल बढ़ाने की बात है, उसमें दो तरह के क्षेत्रफल हैं—एक ट्रेडिशनल-एरिया और दूसरे नान-ट्रेडिशनल-एरिया । यह देखा गया है कि ट्रेडिशनल-एरिया में क्षेत्रफल बढ़ाने की स्थिति सेचुरेशन प्वाइंट तक पहुंच गई है । ट्रेडिशनल एरिया हैं, जैसे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक आदि । नान-ट्रेडिशनल-एरिया में इन्फ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि करके और बढ़िया टैक्नालाजी की व्यवस्था करके रबर बागान के अन्तर्गत क्षेत्रफल बढ़ाने की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे रबर का उत्पादन बढ़ सके । 1979 में तत्कालीन सरकार ने एक न्यू-प्लांटिंग-सब्सिडी-स्कीम निकाली थी और उसको प्रारम्भ किया गया था, इस प्रक्रिया से इसके क्षेत्रफल में काफी वृद्धि हुई थी ।

री-प्लांटिंग के सम्बन्ध में ऐसा महसूस किया जाता है कि इसमें हमारी गति बहुत कम है । सामान्य तौर पर लगभग तीन प्रतिशत क्षेत्रफल में या सात-साढ़े-सात हैक्टेयर क्षेत्र में प्रतिवर्ष प्लान्टिंग कर पाते हैं, जबकि हमारे पास 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र ऐसा है, जहां पर तुरन्त री-प्लांटिंग की आवश्यकता है । इस काम में करीब 44 हजार छोटे उत्पादक हैं और 70 फीसदी बहुत ही छोटे उत्पादक हैं । इसलिए उनमें विशेष सुधार की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त इसमें एक बीमारी लग जाती है और मानसून के समय इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, जबकि यह बीमारी श्रीलंका और मलेशिया में नहीं होती है । इस बीमारी से बचने के लिए पहले हैलीकाप्टर के द्वारा छिड़काव किया जाता था और सरकार सब्सिडी देती थी । लेकिन ऐसा महसूस होता है कि यह सब्सिडी बन्द कर दी गई है । पिछले तीन वर्षों से यह सब्सिडी नहीं दी जा रही है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह सब्सिडी दी जानी चाहिए और दवा के छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए । इस बीमारी को दूर करके उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिल सकती है ।

इसके अतिरिक्त मैं जैसा पहले कह चुका हूं कि इसमें 70 फीसदी छोटे उत्पादक हैं । उनको सहकारी सहायता के आधार पर प्रोसैसिंग और मार्केटिंग में सहायता मिलनी चाहिए जिससे कि रबर की क्वालिटी में सुधार हो सके और उनको अपने उत्पादन की अच्छी कीमत मिल सके ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री जार्ज जोसफ मुंडामल (मुवत्तुपुजा) : सर्वप्रथम तो मैं रबड़ (संशोधन) विधेयक का समर्थन कर रहा हूं । परन्तु मैं रबड़ के छोटे उत्पादकों की कठिनाइयों का भी उल्लेख करूंगा । मैं उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो भारत में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन कर रहा है । रबड़ उत्पादकों में से 90 प्रतिशत गरीब और सीमान्त काश्तकार हैं । केवल कुछ सौ रबड़ बागान ही अस्तित्व में हैं । रबड़ उत्पादकों में से 90 प्रतिशत के पास 1 एकड़ अथवा 2 एकड़ अथवा 3 एकड़ भूमि है और वे खेतों में काम कर रहे हैं

तथा दैनिक मजदूरों की तरह अपनी आजीविका कमा रहे हैं। मैं मंत्री जी को गरीब और सीमान्त काश्तकारों से कुछ हमदर्दी जताने का अनुरोध करता हूं क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में देश में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन होता है।

पहली बात तो यह कि रबड़ 16 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा था क्योंकि भारत में रबड़ का उत्पादन कम है। अब रबड़ बोर्ड ने पुनः रबड़ के पेड़ लगाने और नए पेड़ लगाने की योजना बनाई है और पर्याप्त राज सहायता दे रहा है। पिछले दो वर्षों में अनेक कृषकों ने बड़े पैमाने पर रबड़ के पेड़ लगाए हैं। परन्तु इस बात को देखते हुए कि रबड़ का मूल्य 16 रुपये से 10.50 रुपये पर आ गया है, कौन रबड़ के पेड़ लगाएगा ? यह अल्पावधि काश्तकारी नहीं है। यह दीर्घावधि काश्तकारी है। आय प्राप्त करने के लिए हमें 8 से 9 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होती है। उत्तर में यदि आप गेहूं उगा रहे हैं और यदि उसका मूल्य अधिक नहीं है, तो वे धान उगाएंगे और यदि धान के अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं, तो वे मूंगफली उगाएंगे। इसी प्रकार वे फसल बदल सकते हैं। परन्तु रबड़ के मामले में यह सम्भव नहीं है। रबड़, नारियल—ये सभी दीर्घावधि फसलें हैं और इनसे आय प्राप्त करने में 7 से ९ वर्ष का समय लगता है। कौन जोखिम लेगा और इनको उगाने में कौन बड़ी राशि लगाएगा ?

रबड़ उत्पादन की लागत की गणना करने के लिए हमें भूमि की लागत की भी गणना करनी होती है। यदि कोई धन लगाता है, तो उसे उस पर 8 से 10 प्रतिशत की आय होनी ही चाहिए। आपको इन सभी बातों पर विचार करना चाहिए। अब क्या हो रहा है—सितम्बर के महीने में रबड़ का आयात किया गया था जो कि भारत में रबड़ के उत्पादन का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। सर्वश्रेष्ठ उत्पादन समय में आयातित रबड़ वितरित किया जाता है। भारतीय रबड़ को खरीदने वाला कोई नहीं है। इसका छह महीने से अधिक समय तक भंडार नहीं किया जा सकता है अन्यथा यह खराब हो जाएगा। इसकी लोच समाप्त हो जाएगी। अतः मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह डेढ़ लाख रबड़ उत्पादकों को बचाने का उपाय ढूंढें जिन पर इस उद्योग के चार लाख कामगार निर्भर हैं। निस्सन्देह, हम उन्हें फैक्टरी और न्यूनतम मजूरी अधिनियमों के अनुसार न्यूनतम मजूरी का भुगतान कर रहे हैं। केरल में मजूरी अधिकतम है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह रबड़ पूल निधि का उपयोग करें, जैसा कि प्रो० कुरियन ने कहा था कि इस निधि में 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि है। आपको उस राशि का या तो मार्केटिंग फेडरेशन अथवा रबड़ बोर्ड अथवा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निवेश करना है। अतिरिक्त रबड़ की खरीद बाजार से ही की जानी चाहिए और उसका कमी वाले महीनों में उपयोग के लिए भंडार किया जाना चाहिए। मुद्दा यह है कि अतिरिक्त रबड़ फैक्टरी मालिकों को कमी वाले महीनों में ही वितरित किया जाना चाहिए। होता क्या है। रबड़ के पेड़ लगाए जा रहे हैं। परन्तु एक राज्य में बिजली में कटौती हो सकती है और एक दूसरे राज्य में तालाबन्दी अथवा हड़ताल हो

सकती है। इसी दौरान रबड़ का उत्पादन बढ़ सकता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व, उदाहरणार्थ, यह केवल 50,000 टन था। अब यह डेढ़ लाख टन से अधिक हो गया है। जब रबड़ के उत्पादन के लिए वृक्षारोपण इतना अधिक बढ़ गया है, तो मैं मंत्री जी से रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस देने का अनुरोध करता हूं। आप काफी बोर्ड की तरह रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस क्यों नहीं दे सकते हैं? यदि आप उन्हें बोनस देते हैं, तो वे निश्चय ही आपसे सहयोग करेंगे। हम काफी अधिक विदेशी मुद्रा गंवाते हैं। हम उसे बचा सकते हैं। जैसा कि प्रो० कुरियन ने कहा था, निकट भविष्य में हम भी रबड़ का निर्यात कर सकते हैं। अगले कुछ वर्षों में यदि हम रबड़ के उचित मूल्य का आश्वासन दें तो रबड़ के वृक्ष अधिक से अधिक लगाए जाएंगे। रबड़ बोर्ड रबड़ वृक्षारोपण की नई योजना को प्रोत्साहन दे रहा है और इसके परिणाम स्वरूप रबड़ के पेड़ों का वृक्षारोपण अधिक तेजी से हो रहा है।

वहां पर पाइथाथोरा रोग है। लगभग तीन वर्ष पूर्व उन्होंने कीटनाशक दवाएं छिड़कने के लिए राज सहायता बन्द कर दी है। छोटे उत्पादकों को तो राज सहायता दी ही जानी चाहिए। बड़े उत्पादक कीटनाशक दवाएं छिड़कने के लिए राज सहायता पाने के हकदार नहीं हैं। केवल कमी वाले महीनों में ही संचित भंडार से रबड़ जारी करना होता है। अब क्या होता है—सितम्बर के महीने में आयातित रबड़ की बिक्री की जाती है जो उत्पादन मौसम का सर्वश्रेष्ठ समय है। इसीलिए मुसीबत आई है। गरीब लोग अपने रबड़ को सबसे कम मूल्य पर बेच कर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह ऐसी वस्तु नहीं है जिसका लम्बे समय तक भंडारण किया जा सकता हो। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह गरीब और सीमान्त काश्तकारों को बचाने के लिए बाजार को देखें। मैं फैक्टरियों में कोई व्यवधान डालना नहीं चाहता हूं। लारी के टायरों और रबड़ उत्पादनों पर उत्पाद-शुल्क बहुत अधिक है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस शुल्क को घटाने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग करें ताकि रबड़ के उत्पाद बाजार में सस्ते मूल्य पर आ सकें। रबड़ विदेशी मुद्रा बचाने वाली वस्तु है। यदि उत्पादन कम होता है, तो हम रबड़ का आयात करके इस विदेशी मुद्रा को भारी मात्रा में गंवा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से गरीब काश्तकारों को बचाने के लिए शीघ्र बाजार में जाने और अतिरिक्त रबड़ खरीदने का अनुरोध करता हूं।

श्री जगन्नाथ पाटिल (ठाणे) : सभापति महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। कल से इस विधेयक पर चर्चा हो रही है। बहुत लोगों ने चर्चा में भाग लिया है और कई लोगों ने कहा है कि पार्ट टाइम चेयरमैन क्यों रखते हैं, फुल टाइम क्यों नहीं रखते। इसका अर्थ इन लोगों की समझ में नहीं आता होगा। मान्यवर मन्त्री महोदय, जिस महाराष्ट्र से आते हैं, उसी राज्य से मैं भी आता हूं। कई साल पहले महाराष्ट्र में एक महा-पुरुष हुए थे—श्री नाना साहेब पेशवा, उनको लोग "दीड़ शाहणा" कहते थे यानी वन एण्ड हाफ इन्टेलीजेंट। तो माननीय मन्त्री जी ने एक पूरा तो अपने

लिए निकाल लिया होगा और जो आधा बचा है, उसके लिए पार्ट टाइम चेयरमैन रख दिया है।

आज इस देश का किसान चाहे वह ज्वार की खेती करता हो या बाजरा, चावल, गन्ना, गेहूं या रबर की खेती करता हो, कोई सन्तुष्ट नहीं है। इसका कारण सरकार की नीति है, जिसे बदला जाना चाहिए। किसान को सन्तोष मिलना चाहिए। ज्यादा फायदा न हो तब भी नुकसान तो उसको नहीं होना चाहिए।

जैसाकि मन्त्री महोदय जानते हैं कि रबर की खेती इतनी आसानी से नहीं होती है। ज्वार-बाजरा, 4-6 महीने में, 8-10 महीने में, गन्ना एक साल में हो जाता है, लेकिन रबर के पेड़ को तैयार करने में 6-7 साल तक लग जाते हैं और जब उत्पादन शुरू होता है तब सरकार की नीति अगर किसानों के पक्ष में नहीं होगी तो उससे देश का नुकसान होगा। आज केरल के किसान रबर के पेड़, उखाड़कर अन्य खेती करने के बारे में सोच रहे हैं। इससे हमारा प्रोडक्शन कम होगा और हमें श्रीलंका और मलेशिया से रबर का आयात करना होगा। आज भी हमारा उत्पादन मांग के अनुपात में 60-70 हजार टन कम है, उसके लिए हमें 25-30 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है।

हमारे देश की यह विशेषता यह है कि यहां पर हर जगह जिस चीज की चाहें पैदावार ली जा सकती है। केरल और तमिलनाडु के साथ-साथ महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में थाना रायगढ़, सिन्धुदुर्ग, रत्नगिरि और इसके साथ-साथ गोवा की भूमि में भी रबर की अच्छी खेती हो सकती है। महाराष्ट्र के एक किसान श्री केतकर ने रायगढ़ जिले के पड़घवली गाँव में सैकड़ों एकड़ भूमि में रबर की सफलतापूर्वक खेती की है। कोंकण क्षेत्र जो फलों के लिए, विशेषकर फलों के राजा आम के लिए सब जगह विख्यात है, यहाँ कि किसानों को अगर सही मार्गदर्शन दिया जाए तो वे रबर की खेती अच्छी तरह से कर सकते हैं और इसका उत्पादन बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। मदद करे तो मुझे ऐसा लगता है कि कोणकण में रबड़ की खेती आगे बढ़ सकती है और इससे देश को लाभ हो सकता है।

मैंने शुरू में कहा था कि मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। मन्त्री महोदय को मेरी पहली बात थोड़ा हंसी में लेनी चाहिए। जो अच्छे आदमी हैं जो टैक्नीकल एक्सपर्ट हैं उनको अगर फुल टाइम चेयरमैन बनाया जाए तो रबड़ बोर्ड का विकास अच्छे ढंग से हो सकता है, उसमें मदद मिल सकती है।

मैं यह भी चाहता हूं कि छोटे किसानों को सबसिडी मिलनी चाहिए और उनका प्रतिनिधि भी रबड़ बोर्ड पर होना चाहिए। साथ ही खेती में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो रबड़ का उत्पादन करते हैं, उनका प्रतिनिधि भी रबड़ बोर्ड पर होना चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, रबड़ (संशोधन) विधेयक, 1982

के बारे में माननीय सदस्यगण बहुत कुछ कह चुके हैं । मैं श्रीमती सुशीला गोपालन द्वारा अभिव्यक्त किए गए विचारों का समर्थन करती हूं । इस सम्बन्ध में, रबर बोर्ड पर हुई चर्चा का लाभ उठाते हुए, मैं वाणिज्य मन्त्री के माध्यम से उद्योग मन्त्री से राष्ट्रीय रबर कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किए जाने का अनुरोध करती हूं जिसको सरकार पहले ही अधिग्रहीत कर चुकी है । अधिग्रहण किए जाने के बाद उस पर पैसा बर्बाद करने का और इसे इस रूप में अधिक दिन तक रखने का कोई लाभ नहीं है। मेरा यही अनुरोध है। धन्यवाद ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है । मैं समझता हूं कि अगर आपने बिल को पढ़ लिया होता तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती । मेरी समझ में नहीं आ सका है कि इस बिल को लाने का उद्देश्य क्या है । आजकल ऐसी प्रवृति बन गई है कि मन्त्रियों की कि सचिव लोग जो बता देते हैं, उसके आधार पर मन्त्री महोदय बिल लेकर सदन में आ जाते हैं । दिमाग लगाकर उनको सोचना तो चाहिए । स्टेटमेंट आफ आबजैक्ट्स में यह लिखा हुआ है :

> "रबड़ अधिनियम, 1947 में रबड़ उद्योग के विकास का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 4 में रबड़ बोर्ड के गठन का उपबन्ध है । धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (क) में की गई व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा एक पूर्णकालिक अधिकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है ।"

कहां से लेकर आप आए हैं, इसको ? स्टेटमेंट आफ आबजैक्ट्स एंड रीजन्स में आपने ही लिखा है :

> "अध्यक्ष सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा ।"

इसमें अंशकालिक या पूर्णकालिक का प्रश्न नहीं है । उसकी केवल नियुक्ति की जानी है । उसमें केवल अधिकारी नियुक्त किए जाने की बात कही गई है । धारा 4 के उपखण्ड (3) (क) किसी अधिकारी के बारे में नहीं कहती । ऐसे में महानिदेशक नियुक्त किए जाने के क्या कारण हैं ? इसलिए बनाया जाए कि चालीस हजार का खर्चा और बढ़ जाए । एक आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लगाएंगे रबड़ बोर्ड पर तो चालीस हजार का खर्चा और बढ़ जायगा । यह आपका फाइनैन्शियल मेमोरेंडम है । इसमें कहा गया है :

> "वर्तमान वेतनमान के अनुसार, जो कि इस समय 2000—2250 रुपए है, कार्यकारी निदेशक के वेतन और भत्ते पर अनुमानतः 40,000 रुपया प्रतिवर्ष व्यय आयेगा ।"

अतः मुझे बताइए क्या क्वालिफिकेशन्स हैं ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की । किस-लिए ऐपाइन्ट करना चाहते हैं, और ऐपोइन्ट कब कर सकते हैं ? आप सेक्शन देखें, बोर्ड से परामर्श लें :

"इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के मामलों में कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार सामान्यतः बोर्ड से परामर्श करेगी।"

(व्यवधान)

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

बोर्ड की 46 बार बैठक हुई है क्या एक बार भी बोर्ड ने कहा है कि हमारा काम चेयरमैन से ठीक नहीं चल रहा है ? या इसके मैम्बर्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और हमारे विकास के लिए यह जरूरी है ? क्या कोई ऐसा प्रस्ताव बोर्ड ने पास किया है पार्ट टाइम चेयरमैन हो, और ऐग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए।

और कृपया बोर्ड के गठन को भी देखिए। इस अधिनियम में उसका उल्लेख किया गया है कि अन्य पदों के अलावा बोर्ड में निम्न पदाधिकारी होंगे :

"तीन संसद सदस्य जिनमें से दो सदस्य हाउस आफ दी पीपुल्स द्वारा तथा एक काउन्सिल आफ स्टेट्स द्वारा चुना जायगा.....

.....दस सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकित किए जाएंगे जिनमें से दो निर्माताओं का और चार श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करेंगे.....

.....आठ सदस्य केरल का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिनमें से छः रबड़ उत्पादन हित का ध्यान रखेंगे और छः छोटे उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे।"

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, अब समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : अनेक माननीय सदस्य ऐसे मुद्दों पर बोल चुके हैं, जो तत्सम्बन्धित नहीं हो सकते हैं। किन्तु जब मैं इस विधेयक पर बोल रहा हूं और मेरा ध्यान इस विधेयक पर केन्द्रित है तब आप चाहते हैं मैं बोलना बन्द कर दूं।

एक माननीय सदस्य : कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : वह एक ऐसे गोलकीपर हैं जो उस तरफ से गोल करते हैं। कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दे दीजिए.....(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : बोर्ड के 25 सदस्य हैं और एक साल में बोर्ड की 46 बैठक हुई हैं। एक बार भी कभी यह निर्णय लिया हो और किसी ने चेलेंज किया हो कि बोर्ड की कार्यवाही ठीक नहीं चल रही है और बोर्ड का या रबर विकास के लिए एक नए अफसर की जरूरत है ? तीन अधिकारी पहले से ही हैं। उन अधिकारियों के क्या-क्या कार्य होंगे ? एक रबड़ उत्पादन आयुक्त है और दूसरा सचिव। अधिनियम कहता है :

'केन्द्रीय सरकार रबड़ उत्पादन आयुक्त की नियुक्ति करेगी जो बोर्ड के

निदेशन में उन शक्तियों का उपयोग और उन कार्यों का पालन करेगा जो निर्धारित किए गए हैं।"

रबड़ उत्पादन आयुक्त के क्या-क्या कार्य हैं ? रबड़ उत्पादन आयुक्त है, सचिव है और फिर भी आप नया आदमी चाहते हैं। किसलिए चाहते हैं ? उस व्यक्ति की योग्यता क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितना समय और लेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : दस मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, यदि आप चाहें तो यह हो सकता है। मन्त्री जी उत्तर देने के लिए केवल दस मिनट चाहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : फिर भी, जब मैं इस विधेयक पर बोल रहा हूं तो यह कैसे संभव हो सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, मन्त्री महोदय कहते हैं कि आप जो भी मुद्दे उठा रहे हैं, उन्हें उनकी जानकारी है।

श्री मूलचन्द डागा : महोदय, वह कुछ भी समझ सकते हैं। मैं जानता हूं। किन्तु जो कुछ मैं कह रहा हूं, मुझे कहने दीजिए। या तो मुझे अभी समय दीजिए अथवा मैं कल समाप्त करने को तैयार हूं। इसमें कोई हानि नहीं है।

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, इन्हें आज ही कह लेने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह इसे कल भी चालू रखना चाहते हैं। श्री डागा, मैं आपको कोई अन्य अवसर प्रदान करूंगा। हमें इस विधेयक को पूरा करने दीजिए।

श्री मूल चन्द डागा : मुझे अवसर नहीं चाहिए। मामले से निपटने का मेरा अपना तरीका है। मुझे अवसर नहीं चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम लोग कल चालू रखेंगे। यदि सदन सहमत हो, तभी मैं मन्त्री जी से उत्तर देने को कहूंगा। इसमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का प्रश्न नहीं है। मैं सदन की सहमति के बारे में पूछता हूं यदि सदन सहमत हो तो मैं मन्त्री जी से उत्तर देने को कहूंगा। मन्त्री जी का कहना है कि उन्हें दस मिनट चाहिए। इसके बाद हम विधेयक पर विचार करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा (नागौर) : हम लोग सहमत नहीं हैं। जल्दी क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : महोदय, यह बहुत

ही साधारण विधेयक है । हम लोग तीन दिन से यहाँ बैठे हैं । कोई जल्दी नहीं है । किन्तु मुझे दूसरे सदन में कुछ अन्य कार्य हैं । यही मेरी परेशानी है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : हम लोग इस पर कल अथवा परसों विचार कर सकते हैं । जल्दी क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : सहमत । श्री डागा से आशा की जाती है कि वे अपना भाषण समाप्त करेंगे । मन्त्री जी कल उत्तर देंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : जी, नहीं । मैंने अपना भाषण समाप्त नहीं किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अगले दिन उत्तर देंगे । इस पर चर्चा समाप्त हो चुकी है ।

श्री मूलचन्द डागा : जी, नहीं । मैं विधेयक पर बोलूंगा । मैंने अपना भाषण समाप्त नहीं किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितना समय और लेंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं कल सात-आठ मिनट लूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, पाँच मिनट दिए जाते हैं । आप कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

देश के विभिन्न भागों में बाढ़ और सूखे की स्थिति पर चर्चा

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 193 के अधीन चर्चा होगी । श्री हरिकेश बहादुर देश के विभिन्न भागों में बाढ़ और सूखे की स्थिति के बारे में सिंचाई मंत्री और कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा सभा में 4 अक्तूबर, 1982 को दिए गए वक्तव्यों और उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में चर्चा उठायेंगे ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति दोनों एक साथ अब की बार कई राज्यों में आ गई है । यद्यपि सदन में हम लोग प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका की चर्चा करते हैं और हमेशा सरकार को कुछ सुझाव देते हैं और सरकार से कुछ आश्वासन भी पाते हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि बाढ़ की रोकथाम के लिए और सूखे को समाप्त करने के लिए कोई ऐसा ठोस कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाया जा रहा है जिससे बाढ़ और सूखे की वर्तमान परिस्थिति पर काबू पाया जा सके । नतीजा यह होता है कि हर साल बाढ़ से भयंकर तबाही होती है और तमाम राज्यों में सूखे से भी बहुत बड़ी तबाही होती है ।

मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि हमारे देश के जिन राज्यों में सूखे की स्थिति है, वह हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश और तमिलनाडु। साथ ही बाढ़ के बारे में वक्तव्य देते हुए दूसरे मंत्री जी ने कहा था कि बाढ़ की स्थिति उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, बिहार, आसाम में बहुत ही गम्भीर है और मध्यप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में भी थोड़ा असर हुआ है। यह जो लिस्ट दी गई है, उससे ऐसा लगता है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां बाढ़ की स्थिति और सूखे की स्थिति है। यह एक बहुत ही गम्भीर समस्या है। बाढ़ से जन-धन की भारी क्षति हुई है। जगह-जगह अनेक मकान गिरे हैं। लोग मरे हैं, जानवर मरे हैं, फसल बर्बाद हुई है। बाढ़ के जाने के साथ-साथ बीमारियों के फैलने की भी बहुत आशंका पैदा हो गई है। अनेक जगहों पर बीमारियां फैल रही हैं। खास तौर से एन्सीफलाइट्रिस की बीमारी से लोग मर रहे हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार की बीमारियों से लोगों की जानें जा रही हैं। प्रतिवर्ष प्रलयंकारी बाढ़ की विभीषिका हमारे देश के सामने आती है, लेकिन इसको नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

मान्यवर, खास तौर से उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहूंगा। वहाँ पर आज भयंकर बाढ़ की स्थिति है, लेकिन साथ ही सूखा की स्थिति भी वहां पर है। अगर मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात को रोक कर अपने क्षेत्र के बारे में कहूं, गोरखपुर के बारे में कहूं तो वहां नदियों के किनारे भयंकर बाढ़ से तबाही मची हुई है। जहां नदियां नहीं हैं वहां सूखे की स्थिति है। इसको देख कर एहसास होता है हमारे देश के तमाम भागों में इसी प्रकार की स्थिति होगी। हमारे क्षेत्र में एक राप्ती नदी है, जिसके बारे में मैंने मंत्री जी से चर्चा की थी। यह नदी नेपाल से निकलती है और अगर उस पर बांध बनाकर पानी को रोक कर कोई योजना बनाई जाए तो उससे सिंचाई के साधन किसानों को उपलब्ध होंगे, साथ ही बाढ़ पर नियत्रण हो सकेगा और विद्युत के उत्पादन में भी सहायता मिल सकती है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। पता नहीं क्या अड़चन है, नेपाल सरकार भारत के साथ सहयोग नहीं कर रही है या कर रही है। भारत सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है, इसके बारे में हम लोगों को साफ जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आशा करता हूं कि जब वे जवाब देंगे तो इस बारे में भी हम लोगों को बतायेंगे।

मान्यवर उड़ीसा की स्थिति यह है कि वहाँ ऐसी बाढ़ आई थी जो पिछले सौ सालों में नहीं आई थी। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी बाढ़ नहीं थी। लगभग 616 करोड़ रु० की मांग वहां के मुख्य मंत्री ने केन्द्र सरकार से की है। इससे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उड़ीसा में किस प्रकार की बाढ़ आई होगी। जहां एक तरफ उड़ीसा में बाढ़ आई है वहीं दूसरी तरफ वहां सूखे से भी तबाही हो रही है। यह बड़े शर्म की बात है कि आज

हमारे देश में भुखमरी से लोग मर रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बिहार के बारे में देना चाहता हूं। बिहार में आजकल उल्टे-सीधे काम हो रहे हैं, लेकिन बाढ़ और सूखे के नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। वहां भुखमरी प्रारम्भ हो चुकी है। इसका उदाहरण मैं आपको एक अखबार के जरिए से देना चाहूंगा। यह कलकत्ता का अखबार टैलीग्राफ है, जिसने कि अपने फ्रण्ट पेज पर एक चित्र छापा है, जिसको माननीय मंत्री जी और उनके विभाग के अधिकारियों को देखना चाहिए। इसमें एक औरत के पति की मृत्यु हो गई है और वह बहुत ही दुखी हालत में है। मैं इसको कोट करता हूं :

> 'बिहार के वैशाली जिले के गांव चतवाड़ा कपूर की जानकी देवी, जिसके पति, अकलू चौधरी की 17 सितम्बर को भुखमरी के कारण मृत्यु हो गई। वह यहां उसके परिवार के छोटे सदस्यों, जो सभी भुखमरी से पीड़ित हैं, के साथ दिखाई गई है। मुख पृष्ठ पर "स्टारवेशन डैथ्स इन बिहार" शीर्षक से तथा पृष्ठ चार पर "ड्रॉट लीड्स टु डैथ इन बिहार" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार प्रकाशित हुए हैं।"

इसको कृषि मंत्री जी और उनके विभाग के अधिकारियों को देखना चाहिए। यह बहुत ही गम्भीर स्थिति है कि आज हमारे देश में लोग भुखमरी से मर रहे हैं। यह स्थिति खास तौर से बिहार के अन्दर हो रही है। वहां पर अनावश्यक काम हो रहे हैं, जैसे प्रैस विधेयक, जनता के मौलिक अधिकारों को समाप्त करना संसद सदस्यों की पिटाई करना और पत्रकारों की पिटाई करना।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल सूखे की स्थिति तक स्वयं को सीमित रखें। आप तो कहीं और ही घूम रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : सरकार ऐसा काम कर रही है जिसे नहीं किया जाना चाहिए और जो काम किया जाना चाहिए वह बिहार सरकार द्वारा कभी नहीं किया है।

मेरा यह कहना है कि सरकार ऐसे काम कर रही है जिसे कि उसे नहीं करना चाहिए।

मेरा कहना है कि आज बिहार राज्य में भुखमरी की स्थिति है। लेकिन सरकार वहां पर उपद्रवकारी कार्यों, अन्यायपूर्ण कार्यों और अनुचित कार्यों में लगी हुई है। एक तरफ तो बाढ़ की विभीषिका है और दूसरी तरफ सूखे और बाढ़ से लोग तबाह हो रहे हैं। सूखे की स्थिति का चित्र दिखा कर मैंने आपको स्थिति स्पष्ट की है।

वैशाली में जहां स्थिति खराब है, वहां संथाल परगना में भी स्थिति बहुत खराब

है। संथाल परगना में जो स्थिति हो गयी है उसका जिक्र मैं कुछ शब्दों में करना चाहूंगा। (व्यवधान) मेरे यहां कोई भूख से नहीं मर रहा है। भुखमरी से लोग बिहार में मर रहे हैं और जो लोग भुखमरी से नहीं मर रहे हैं उन्हें बिहार में गोली से मारा जा रहा है।

संथाल परगना जिले के पलाजोरी ब्लाक में वहाँ के आदिवासियों ने एक प्रदर्शन किया था। उनकी मांग यह थी कि वहां पर भुखमरी की स्थिति पैदा हो रही है और लोग भूख से पीड़ित हैं। 1967 के बाद से ऐसा दुर्भिक्ष और अकाल आज तक नहीं पड़ा था। ऐसे भयंकर सूखे के कारण वहां भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। वे लोग चाहते थे कि राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत वहाँ कार्यक्रम चलाए जाएं जो कि आम तौर पर कहीं भी नहीं चलाए जा रहे हैं। (व्यवधान)

मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को पैसा देती है लेकिन राज्य सरकारों द्वारा उस पैसे से जो काम चलाये जाने चाहिए, वे ठीक से नहीं चलाए जा रहे हैं। जब केन्द्रीय सरकार उन कामों के लिए पैसा दे रही है तो उसे यह भी देखना चाहिए कि वे काम पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।

मैं अपने राज्य की बात बताता हूं। वहाँ थोड़ा-बहुत काम हो रहा है लेकिन कहीं बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में हमने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास मिट्टी की पटाई के लिए पैसा नहीं है। अगर मिट्टी पड़ी है तो उस पर हम ईंटा डाल सकते हैं। पीछे जनता पार्टी के शासन में फूड फार वर्क प्रोग्राम के अन्तर्गत सड़कें बनाने हेतु मिट्टी की पटाई भी की जाती थी और लोगों को इससे रोजगार भी मिलता था। उस काम को बिल्कुल बन्द कर दिया गया है।

वहाँ के लोगों की यह भी मांग थी कि वृद्धावस्था पेंशन लोगों को दी जाए। इसके बारे में दो अक्तूबर को कहा गया था कि बूढ़े लोगों को वृद्धावस्था की पेंशन दी जाएगी। वे यह भी चाहते थे कि उनके इलाके को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए। वहाँ पर यह स्थिति बनी हुई है कि 20-25 फीसदी लोगों को एक ही समय भोजन मिल पाता है। यह सारी बातें अखबार में निकली हैं जिनको कि मैं पढ़ कर सुनाऊंगा।

आप देखिए, किस प्रकार की स्थिति वहाँ पर है। सरकार को कोई चिंता नहीं है। इन आदिवासियों ने जब इस बात के लिए आन्दोलन किया, वे चाहते थे कि उनकी न्यायोचित मांगों को माना जाए तो उन पर गोली बरसाई गई। उसमें 6 आदिवासी मार दिए गए जबकि वे लोग थाने से 600 गज की दूरी पर थे, शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे लेकिन कहा गया कि उन्होंने थाने का घेराव किया। और जो लोग मारे गए, उनमें से 5 आदमी ऐसे थे जो बाजार में सामान खरीद रहे थे। श्री गिरधरी मण्डल नाम के व्यक्ति को मारा गया जो नमक खरीद रहा था। मैं आज के "स्टेट्समैन" की कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाना चाहता हूं—

'भूमिहीन कृषि श्रमिक अब आजीविका के अन्य साधन ढूंढ़ रहे हैं। श्री गिरधारी मण्डल, जो गुरुवार को हुए पुलिस गोलीकांड में मारा गया था, भूमिहीन श्रमिक था। जब वर्षा नहीं हुई तो वह राज (मैसन) बन गया। जिस समय वह मारा गया तब वह पालोजोरी बाजार में नमक खरीद रहा था। उसकी पत्नी, पार्वती ने अब सभी आशाएं छोड़ दी हैं। उसको सरकार से अभी राहत मिलती है। उसका पति ही उसके परिवार में उपार्जन करने वाला एकमात्र सदस्य था। पार्वती देवी, जिसे अपने तीन वर्ष के पुत्र की देखभाल करनी है, रोजगार की तलाश में किसी अन्य स्थान पर जा सकती है। जब यह संवाददाता और फोटोग्राफर उससे पिंडारा गाँव में उसके गारे के मकान में मिले थे तो उस समय उसने गत तीन दिनों से कुछ नहीं खाया था।

यह स्थिति वहाँ की है और सरकार को इस बात की कोई परवाह नहीं है। आज तक उन लोगों को कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। बिहार की निकम्मी और भ्रष्ट सरकार के अधिकारियों ने अभी तक किसी भी प्रकार की सहायता उन लोगों को नहीं दी है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो सरकार जनता की न्यायोचित माँगों को स्वीकार नहीं कर सकती, जब लोग खाना मांगते हैं तो उन पर लाठी और गोली बरसाई जाती है, वह सरकार सूखे की स्थिति का सामना कैसे करेगी, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। वहां के अधिकारी अपना पेट भरने में लगे हुए हैं, उनका नैतिक पतन हो चुका है। जब सरकार स्वयं इस प्रकार के काम करती है तो अधिकारियों का अन्दाजा आप लगा सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली दूर-दूर तक गाँवों में काम नहीं कर रही है, सस्ते गल्ले की दुकानों पर न गेहूं है, न चावल है। इस प्रकार की सारी रिपोर्ट अखबारों में आ चुकी है। उसी के आधार पर मैं यह सब बता रहा हूं। इन बातों की पूरी समीक्षा होनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए। यह बड़ी खतरनाक स्थिति है। इन परिस्थितियों में वहाँ की सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। मैं मांग करता हूं कि उस सरकार को तुरन्त बरखास्त किया जाना चाहिए और जो लोग दोषी हैं उनको तुरन्त गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

राजस्थान के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर पिछले 5 वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा है। इस वर्ष वहाँ पूरे राजस्थान में दुर्भिक्ष है। लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, पशुओं के लिए चारा नहीं है, 33000 गांवों में, लगभग पूरे राजस्थान में दुर्भिक्ष की स्थिति हो रही है और अधिकारियों का कहना है कि अगर अब वर्षा हो भी जाए, तब भी कम से कम 18000 गांवों की स्थिति में तो कोई सुधार होने वाला नहीं है। इस स्थिति के बावजूद वहां पर राहत का कोई काम ठीक ढंग से नहीं चलाया जा रहा है। लूट-खसोट चल रही है। सरकार का प्रबन्ध खोखला है। जिस तेजी से राहत कार्य शुरू किए जाने चाहिए, उस तेजी से नहीं किए जा रहे हैं। किसानों को ट्यूबवैल चलाने के लिए बिजली नहीं मिल रही है, ताकि वे सिंचाई कर सकें। सूखे से निपटने के लिए राजस्थान सरकार को कम से कम साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, लेकिन केन्द्र सरकार ने

जो अनुदान दिया है वह "ऊंट के मुंह में जीरा" के समान है। बहुत थोड़ी सहायता दी गई है। इसलिए इन बातों पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

पश्चिमी बंगाल की स्थिति को आप लें। वहाँ केन्द्रीय टीम जानी चाहिये। वहाँ सूखे की स्थिति है। इसकी समीक्षा करने के लिए काफी पहले एक टीम गई थी लेकिन इधर स्थिति काफी बिगड़ चुकी है और तब से नहीं गई है। लगातार दो वर्ष से पश्चिमी बंगाल में सूखा पड़ रहा है। मेरी राय यह है कि प्रधान मन्त्री जी को स्वयं वहाँ जाकर स्थिति की समीक्षा करनी चाहिये। कुछ राज्यों में बाढ़ की स्थिति को देखने के लिए वह गई हैं। इस वास्ते यहाँ भी उनको स्वयं जाकर स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। मन्त्री महोदय से भी मेरी प्रार्थना है कि वह पश्चिम बंगाल जाएं, कृषि मन्त्री जी भी और सिंचाई मन्त्री जी भी, दोनों जाएं और प्रधान मन्त्री को भी साथ ले जाएं या प्रधान मन्त्री जी के साथ वे भी जाएं और वहाँ की स्थिति की समीक्षा करें। वहाँ पर पर्याप्त सहायता नहीं दी गई है। वहाँ अगर जल्दी सहायता नहीं दी गई तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। वैसी ही पैदा हो जाएगी जैसी बिहार में पैदा हो रही है। पश्चिम बंगाल सरकार इस बात के लिए धन्यवाद की पात्र है कि उसने वहाँ अभी तक भुखमरी की स्थिति पैदा होने नहीं दी है। लेकिन अगर केन्द्रीय सरकार ने···

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से प्रधान मन्त्री और कृषि मन्त्री को आमंत्रित कर रहे हैं ?

श्री हरिकेश बहादुर : मैं उनको भारत की जनता की ओर से आमन्त्रित कर रहा हूं।

वहाँ पर्याप्त सहायता नहीं दी गई तो भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पश्चिम बंगाल सरकार की मांग है कि उसे दूसरे राज्यों से चावल और गेहूं मंगाने की इजाजत दी जाए। इस मांग को भी पूरा किया जाना चाहिये। ऐसी इजाजत कुछ राज्यों को दी गई है। पश्चिम बँगाल को भी दी जानी चाहिए।

आप पश्चिम बंगाल में प्रति मास 3.75 लाख टन खाद्यान्न भेजते हैं। इससे काफी अधिक खाद्यान्न वहाँ इस वर्ष भेजा जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वहाँ भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी।

प्रधान मन्त्री ने आश्वासन दिया था पश्चिम बंगाल के लोगों को पर्याप्त सहायता दी जाएगी यह कोरा आश्वासन रह गया है। इसको पूरा नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि इसको पूरा किया जाए।

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की जो योजना है इसको व्यापक रूप से पश्चिम बंगाल में भी चलाया जाना चाहिए।

मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को तेजी के साथ हर ऐसे राज्य में जहाँ बाढ़ या सूखे की स्थिति है, लागू किया जाए। इससे लोगों को जो आज बेरोजगार हैं, रोजगार मिलेगा। कृषि मजदूर जिनको कोई काम नहीं मिलता है उनको काम मिलेगा और रोजी रोटी कमाने का साधन मिलेगा।

मैं यह भी चाहता हूं कि राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि वे इस कार्यक्रम को तेजी के साथ लागू करें।

बाढ़ की स्थिति के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि बाढ़ का पानी अगर ठीक ढंग से नियंत्रित कर लिया जाए तो एक तो बाढ़ों पर नियंत्रण पाने में हमें सहायता मिलेगी, उससे खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ेगा और साथ ही साथ सिंचाई की सुविधा भी प्राप्त होगी जिससे खाद्यान्न का और भी ज्यादा उत्पादन होगा। इसके अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के कार्य में भी हमें काफी सहायता मिलेगी जिससे हमारे देश का औद्योगीकरण होगा और बेरोजगारी को दूर करने में मदद मिलेगी। इसलिए सूखे से बचाव के लिए बाढ़ के पानी पर नियन्त्रण स्थापित करके उसे सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के कार्य में लगाया जाए। इससे बाढ़ से बचाव होगा तथा सिंचाई की सुविधा मिलेगी जिससे कृषि उत्पादन भी हमारा बहुत बढ़ेगा।

विदेशों से जो अन्न आयात कर रहे हैं यह कार्यक्रम हमारा समाप्त हो जाएगा। साथ ही बिजली से औद्योगीकरण होगा जिससे बेरोजगारी दूर होगी। इसके सम्बन्ध में गारलैंड कैनाल योजना या उससे अच्छी यदि कोई योजना हो तो उसे कार्यान्वित करना चाहिए। और केन्द्रीय समिति को प्रत्येक राज्य में भेजा जाना चाहिए जो बाढ़ और सूखे से हुई क्षति का जायजा ले और कृषि तथा सिंचाई मन्त्री को जाना चाहिये दौरे पर साथ ही प्रधान मन्त्री को भी जाना चाहिये।

बाढ़ से जिनके मकान गिरे हैं राज्य सरकारों को अगर पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जाए तो ऐसे तमाम लोगो को राज्य सरकारें पैसा दे सकेंगी। मेरी मांग है कि जिनके मकान गिरे हैं उन्हें मकान बनाने के लिए तुरन्त आर्थिक सहायता दी जाए, बिना ब्याज के ऋण दिया जाय ताकि वह अपने मकान बना सकें। बाढ़ से नष्ट हुई फसल का मुआवजा किसानों को देने पर विचार करना चाहिए। इस बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। इसके बारे में कई बार चर्चा हुई है, लेकिन कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। मुआवजा देने की योजना पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। साथ ही बीमारियों की रोकथाम के लिये सरकार को उपाय करने चाहिए। आज की स्थिति में यह आवश्यक है कि जो बीमारियाँ फैल रही हैं उन पर रोक थाम के लिये केन्द्र सरकार डाक्टरों के दल भेजे। किसानों के लिये सस्ते मूल्य पर खाद और बीज उपलब्ध कराये जाने चाहिए। बाढ़ तथा सूखा पीड़ित क्षेत्रों में छात्रों की फीस माफ की जानी चाहिये, किसानों का लगान माफ होना चाहिये, लोगों को दिया गया कर्ज माफ

होना चाहिये, कम से कम कर्ज को ब्याज से मुक्त कर देना चाहिये। सभी प्रकार की वसूली बन्द होनी चाहिए। राहत कार्य तेज किए जाने चाहिए, और राहत वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिए। आजकल जो राहत दी जा रही है राहत बांटने वाले ही अपनी राहत कर रहे हैं। इस स्थिति पर सरकार को नियन्त्रण करना चाहिए। सूखा पीड़ित राज्यों को पर्याप्त बिजली दी जानी चाहिए ताकि किसान सिंचाई का काम कर सकें। एक जिले में एक तरफ बाढ़ आयी है तो दूसरी तरफ सूखा है। नहरों में पानी नहीं है। इसलिए नहरों में पानी उचित व्यवस्था करनी चाहिए। तमाम प्रकार की अनियमितताओं को समाप्त करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए।

नदियों की तलहटी में जो सिल्ट जमा हो गई है उसको निकालने के बारे में कोई प्रोग्राम पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। साथ ही नदियों के किनारे जो तट बंध बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ से लोगों को बचाया जा सके, आज इन तटबधों की योजना पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि देखा जा रहा है कि प्रतिवर्ष तट बंध टूटते हैं, करोड़ों रु० के हर साल बांध बनते हैं नदियों के किनारे और हर साल वह टूटते हैं। लोगों को अब इंजीनियरों की नीयत पर शक होने लगा है. ऐसा लगता है कि वह चाहते हैं कि यह तट बंध हर साल टूटें और हर साल बनें, जैसे हमारे गोरखपुर जिले में हो रहा है। तो इन तट बन्धो को बनाने की उपयोगिता धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। कारण यह है कि पहले जब बांध नहीं थे तो नदियों का पानी दूर-दूर तक फैल जाता था। लेकिन अब तट बन्ध बना कर पानी को थोड़ी दूरी के अन्दर नियन्त्रित किया जाता है। उसमें बाढ़ के पानी का वेग इतना होता है कि वह जगह-जगह बन्ध को तोड़ देता है और नदियों में वही मिट्टी बह कह फिर आ जाती है। पता नहीं इंजीनियर सही राय देते हैं कि नहीं। लेकिन अगर सही राय देते हैं तो कहना चाहिए कि तट बंध बनाने की योजना सही नहीं साबित हुई है, क्योंकि नदी में सिल्ट जमा होती है। इस लिए बन्ध बनाने में सरकार को नुकसान हो रहा है। इसलिए सरकार को गम्भीरता-पूर्वक विचार करना चाहिए और कोई ठोस कदम इस दिशा में उठाना चाहिए। न तो मैं यह कह रहा हूं कि तुरन्त इसे बन्द कर देना चाहिए और न यह कह रहा हूं कि इसको जारी रखा जाना चाहिए मैं चाहता हूं कि इसके गुण-दोष के आधार पर इसकी समीक्षा करके निर्णय किया जाना चाहिए कि तट बन्ध बनाने की योजना अच्छी है या नहीं है।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह बाढ़ और सूखे की विभीषिका से त्रस्त लोगों को बचाने के लिए कारगर कदम उठाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक सदस्यों ने इस विषय पर बोलने की अपनी इच्छा व्यक्त

की है। शासक दल की ओर से ऐसे सदस्यों की संख्या 26 है। इसलिए, यदि उन सदस्यों में से सभी को इसमें अवसर दिया जाना है तो आपको आत्मानुशासित रहना होगा और आपको 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए ताकि आप अपने सभी साथियों को भी बोलने का अवसर दे सकें। इसलिए मैं केवल शासक दल के सदस्यों में से प्रत्येक को 10 मिनट का समय देता हूं। आपका भाषण पूरा होने के पश्चात, 10 मिनट समाप्त होने के बाद मैं और आगे निर्णय करूंगा। यदि शासक दल और विपक्ष के सदस्यों में से प्रत्येक को 10 मिनट दिए जाते हैं, तो तथ्य यह है कि केवल 11 बजे मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर दे सकते हैं।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : आपको 10 मिनट की सीमा नहीं रखनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई कामचलाऊ फार्मूला होना चाहिए। शासक दल के सभी सदस्य नहीं बोल सकते, कुछ नाम वापस ले सकते हैं, लेकिन विपक्ष की ओर से बोलने वाले प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर दिया जाएगा। प्रत्येक को 10 मिनट का समय देकर भी यही बात सामने आती है कि केवल 11 बजे मंत्री महोदय इस चर्चा का उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी को बोलने की अनुमति दूंगा। भले ही रात के बारह बज जाएं, मैं यहां बैठने के लिए तैयार हूं बशर्ते कि यहां उपस्थित सभी सदस्य मुझे इस बात का आश्वासन दें कि वे सभी यहां उपस्थित रहेंगे।

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : श्रीमन्, 11 बजे का मतलब है आज रात 11 बजे अथवा कल प्रातः 11 बजे ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कल राज्य सभा के बारे में समाचारपत्रों में हुई आलोचना भी अवश्य देखनी चाहिए। इसलिए, जब इस प्रकार की चर्चा होती है तो मैं माननीय सदस्यों को यह बात अत्यन्त स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब मन्त्री महोदय चर्चा का उत्तर दें तो उस समय सदन में उपस्थिति ठीक रहनी चाहिए—मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। इसलिए, यदि आप सभी यहां उपस्थित रहते हैं—आप चाय-काफी पीने आदि हेतु बाहर जा सकते हैं लेकिन जब मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर दें तो, इस समय उपस्थित सदस्यों को उस समय उपस्थित रहना चाहिए। तो मैं समय की सीमा नहीं लगाऊंगा। लेकिन आपको उस आशय का आश्वासन देना होगा।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल शासक दल के सदस्यों में से प्रत्येक को 10 मिनट दिए

जाएंगे। 11 बजे मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर इस शर्त पर देंगे कि जो सदस्य इस समय उपस्थित हैं, वे बैठे रहें।

राव वीरेन्द्र सिंह : यदि सदस्य उपस्थित नहीं रहते हैं तो हम संक्षेप में अपना भाषण पूरा कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें इस बात का आश्वासन देना होगा। लेकिन केवल शासक दल के सदस्यों में से प्रत्येक को 10 मिनट का समय दिया जाएगा क्योंकि उनकी संख्या अधिक है। अब श्री उमाकान्त मिश्र बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमने फार्मूला बता दिया है। हम उस फार्मूले पर कार्य कर सकते हैं। उसमें यदि कोई रियायत हो सकती है तो हम देखेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपके सहयोग के बिना हम सदन की कार्यवाही नहीं चला सकते। इसलिए, इसे मैं आपके समक्ष रख रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप एकमात्र महिला सदस्य हैं और श्रीमती गीता मुखर्जी भी हैं। इसलिए, आप दोनों उस समय तक उपस्थित रहेंगी जब तक कि मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर देते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक सदस्य इस ओर से बुलाऊंगा और एक सदस्य उस ओर से। अब श्री उमाकान्त मिश्र बोल सकते हैं।

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले मार्च में इस देश में बड़े पैमाने पर कई भूभागों पर ओले पड़े और अरबों रुपए की किसानों की फसलें नष्ट हो गई। इसके बाद जून-जुलाई में किसानों ने खेती के लिए मन बनाया तो भयंकर सूखा पड़ गया, मानसून एक महीने लेट हो गया। बहुत से इलाकों में भदई और क्वार की फसल बोई ही नहीं जा सकी। सूखे की वजह से किसानों की 25 प्रतिशत ही फसल बच पाई और 75 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई।

जब वर्षा शुरू हुई तो खेती शुरू हुई, लेकिन इसके साथ ही भयंकर बाढ़ आ गई। जिन इलाकों में कभी बाढ़ नहीं आती थी, वहां भी बाढ़ आई और कई तरह से फसल नष्ट हो गई। इस तरह से इस देश के किसानों पर प्रकृति ने कभी ओले से, कभी सूखे से और कभी बाढ़ से बहुत बड़ा अत्याचार किया है और इससे किसानों की बहुत क्षति हुई हैं।

हमारे श्री हरिकेश बहादुर ने यह चर्चा शुरू की है, उन्होंने बहुत सी बातों पर प्रकाश डाला है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस बार इस प्रदेश को तीनों आपदाओं को झेलना पड़ा है। ओला से प्रभावित हुआ है, सूखे से प्रभावित हुआ है और बाढ़ से बहुत ही अधिक उत्तर प्रदेश प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश तो बर्बाद हो गया। इसमें कोई सन्देह नहीं है। इन आपदाओं से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार और प्रदेश की सरकार ने तत्काल राहत के कदम उठाए हैं और प्रधान मन्त्री जी ने दौरा किया है। कृषि मंत्री, सिंचाई मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। इनके द्वारा अधिक से अधिक जानों को बचाने के लिए प्रयास किया गया है। लोग भूख से मरने न पाएं, उनको खाना उपलब्ध कराया गया है। इतनी बाढ़ की भयंकर विभीषिका थी, इससे जान की हानि नहीं हुई है, लेकिन धन की हानि जरूर हुई है। सबसे बड़ी समस्या जो बाढ़ से निपटने के बाद पैदा हुई है, वह यह है कि रेलों की लाइनें नष्ट हो गई, स्कूल के भवन नष्ट हो गए, सफलें नष्ट हो गई रास्ते नष्ट हो गए। अब तो वहां पर पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसलिए मेरा सुझाव है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को पुनर्निर्माण के लिए, राहत कार्यों के लिए और बड़े पैमाने पर बाढ़ की रोकथाम के लिए अधिक से अधिक सहायता दी जानी चाहिए, ताकि इन आपदाओं से निपटा जा सके। यह सही है कि वहाँ पर एक केन्द्रीय टीम गई थी, जिसने वहाँ पर बहुत से जिलों का दौरा किया था। हमारे जिले का भी उसने दौरा किया था, उस टीम को सारी बातें बता दी गई थी कि किस प्रकार नुकसान हुआ है। जो इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं, उनमें हमारा जिला मिर्जापुर जिला बहुत ही प्रभावित हुआ है। वहां की शतप्रतिशत फसल नष्ट हो गई है। मिर्जापुर जिले में बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं, हरिजन रहते हैं, छोटे किसान रहते हैं और गरीब रहते हैं। उनके खाने के लिए वहां अन्न नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा सुझाव यह है कि वहां पर बड़े पैमाने पर मिर्जापुर जिले में खास तौर से, पहाड़ी इलाकों में बाढ़ग्रस्त और सूखाग्रस्त इलाकों में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत या अन्य प्रकार से उनको गल्ला दिया जाए। उनको वहाँ मजदूरी भी बहुत कम दी जा रही है। पांच-छः रु० दी जा रही है, मेरे विचार में उनको दस रु० मजदूरी दी जानी चाहिए और आधा गल्ला दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के कार्यक्रमों को चलाने के लिए सूबे की सरकारें इसलिए कम प्रयास करती हैं, क्योंकि उनको आधा रुपया केन्द्रीय सरकार देती है और आधा रुपया उनको लगाना पड़ता है। सूबे की सरकारें आर्थिक तंगी में हैं। जैसाकि मैंने पहले आपसे निवेदन किया है कि सूखे और बाढ़ तथा ओला से प्रभावित क्षेत्रों को और जहां भुखमरी के पैदा होने की आशंका है, वहां अब केन्द्रीय सरकार शतप्रतिशत सहायता दे, यदि भूख से लोगों को बचाना है, तो केन्द्रीय सरकार को तत्काल इस कदम को उठाना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए।

इसके पश्चात् बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सस्ते दर पर, किफायती दर पर बीज और खाद

की तत्काल व्यवस्था होनी चाहिए। वहां पर नहरें टूट गई हैं, नलकूप टूट गए हैं, उनकी मरम्मत के लिए पैसे की कमी है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों और सूखाग्रस्त क्षेत्रों के राहत के कामों के लिए तत्काल पैसा दिया जाए। तकाबी का कुछ पैसा दिया है, जिससे किसान मजदूर कुछ काम कर सकें। कुछ ऐसे लोग जो यह काम नहीं करते हैं, वे क्या खायेंगे, उनका काम कैसे चलेगा। इसलिए बड़े पैमाने पर तकावी के ऋण की आवश्यकता है। मवेशियों के चारे की आवश्यकता है। इस लिए उत्तर प्रदेश सरकार को अधिक से अधिक धन देने के लिए सरकार को सहायता देनी चाहिए। मिर्जापुर शहर को ओला, सूखा और बाढ़ से बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार को अधिक से अधिक धन देना चाहिए, ताकि वहां का जन-जीवन ठीक हो सके।

हमारे जिले में 1916 में बाढ़ आई थी, उसके बाद फिर 32 साल बाद 1948 में बाढ़ आई और फिर 1968 में बाढ़ आई थी। 1968 के बाद 1978 में दस वर्ष बाद बाढ़ आयी थी। 1978 के बाद 1980 में और अब 1982 में बाढ़ आ गयी है। इस तरह से यह दो-दो साल में बाढ़ आने लगी है। इन बाढ़ों से हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। हमारे सिरों से ऊंचे पानी चला जाता है। इसलिए श्रीमन्, आपको सोचना होगा कि उन इलाकों को केवल राहत पहुंचा देने से ही काम नहीं चलने वाला है। उनके लिए आपको परमानेंट, स्थायी समाधान निकालना पड़ेगा।

हमारे यहां जो टीम गयी थी उसको हमने सुझाव दिया था कि चार ब्लाकों कोन, छानवे, सीखड़, मझवा में कुछ ऐसी सड़कें बना दी जाएं जो कि आठ-आठ फुट ऊंची हों जिससे कि बाढ़ के समय लोगों को राहत पहुंचायी जा सके और सड़कों पर आकर लोग जान भी बचा सकें। वहां जो ऐसे इलाके हैं जो कि बाढ़ में जलमग्न हो जाते हैं उनके लिए ऊंची जगहों पर मकान बना दिए जाएं जिससे कि बाढ़ के समय में लोग वहाँ जाकर रह सकें। इस प्रकार से कोई अस्थाई समाधान भी आपको करना पड़ेगा।

जहां मैं बाढ़ से रक्षा करने की बात कहता हूं वहां मैं सूखे के बारे में भी कहना चाहता हूं कि इसका भी आपको स्थाई समाधान करना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि जब हमारे सिंचाई मंत्री जी बनारस के दौरे पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ी योजना डा० के० एल० राव ने बनायी है जिसके द्वारा गंगा, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी आदि नदियों को जोड़ दिया जाए तो बाढ़ से भी समाधान हो सकता है सूखाग्रस्त इलाकों को उस योजना से पानी भी मिल सकता है। यह योजना बहुत बड़ी योजना है। अरबों रुपये की योजना है। हो सकता है कि हमारी सरकार के लिए इसको पूरा करना सम्भव न हो। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार के सिंचाई मन्त्री जी अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इसको पूरा करें और अगर जरूरत पड़े तो जो

हमारी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक एजेंसियां हैं उनसे भी मानवीय आधार पर सहायता लेकर इसे पूरा करें।

इस योजना के पूरा होने से उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जो विशाल जन-धन की हानि होती है उससे बचा जा सकेगा। यह हानि हर साल होती है। इसलिए इसके समाधान के कोई ठोस उपाय किए जाएं और स्थाई कदम उठाए जाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि मिर्जापुर, बांदा, वाराणसी और इलाहाबाद जिलों को राहत देने के लिए तत्काल कदम उठाएं और बड़े पैमाने पर उठाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णदत्त सुल्तानी। वह 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभी को बराबर समय दिया जाएगा। किसी का भी समय कम नहीं किया जाएगा।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : सर, मुझे कम से कम 15 मिनट दें।

मान्यवर उपाध्यक्ष जी सारे देश में सूखा होने के कारण तबाही मची है। सारे भारत में कई जगहों पर नदी-नालों से जमीनें बर्बाद हुई हैं और लोगों की जानें भी गई हैं। लेकिन मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहाँ शिमला और हिमाचल प्रदेश में अधिक से अधिक बारिस होती थी। आज हालत यह है कि हिमाचल प्रदेश में मवेशियों के लिए चारा भी प्राप्त नहीं है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें, हिमाचल प्रदेश के अन्दर, हमारी सरकार को सरकारी नौकरों को भी तनख्वाह देनी पड़ती है। उसके लिए भी सरकार का पूरा नहीं हो पाता है। मैं कृषि मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारा हिमाचल प्रदेश पंजाब और हरियाणा पर निर्भर करता था लेकिन पंजाब और हरियाणा में तो ऐसा हो गया है कि वहाँ नहर ही नहीं बन सकती। हरियाणा में नहर न बनने से वहाँ का जो सिंचाई का साधन था वह रुक गया है। इसमें हमारे करोड़ों रुपए लग गए हैं।

हमारे पहाड़ी इलाके में डेम बन गए हैं। हमारे विलासपुर में हमारी बहुत सारी जरखेज जमीन डेम के अन्दर चली गई है। उसके साथ व्यास लिंक के लिए भी आपने बहुत अच्छी जमीन हमारी ले ली है। पहाड़ों के लोगों ने अपनी जरखेज जमीन को देश के लिए अर्पित कर दिया है। बाकी जो हमारे पास जमीन बची है उसमें हम सब्जी व दूसरी चीजें पैदा करते हैं। उसमें बीमारी लग गई है। वहाँ केहत पड़ने के आसार हो

गए हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि हिमाचल प्रदेश का काम चलाने के लिए मन्त्री जी मदद करें। वहां धौन डेम है।

जब तक टीम जाएगी, तब तक लोगों का हाल बुरा हो जाएगा। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि कम से कम 50 करोड़ रुपए का जो नुकसान हो गया है, उतना तो सरकार नहीं दे पाएगी, लेकिन कम से कम 20 करोड़ रुपया तो जरूर वहां पहुंचा दें।

जहां बाढ़ और सूखा है, वहां राजनीतिक फ्लड भी आ रहा है। इसका लोग फायदा उठाना चाहते हैं। जनता को भड़काया जा रहा है। रेलों में बिना टिकिट यात्रा करके जुलूस निकाले जाते हैं और सरकार के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश को बिल्कुल ठीक तरह से चला रही हैं। उनका बीस सूत्रीय कार्यक्रम सफलता पूर्वक चलाया जा रहा है।

जनता पार्टी की सरकार में आप देखिए कि गन्ने की क्या कीमत किसानों को मिली थी। किसानों के उत्पादन की कीमतें बिल्कुल गिरा दी गई थीं।

जहां तक फ्लड का ताल्लुक है, हिमाचल हेंदेश में मेक्सिमम फ्लड आता है और वहां से पानी आता है तो पंजाब की फसलों को बरबाद करता है और हरियाणा में भी नुकसान होता है। करोड़ों रुपए की फसल नष्ट होती है। इसलिए प्लांटेशन करके इस नुकशान को रोका जा सकता है। इसके लिए सहायता दी जानी चाहिए। किन्नौर में एक भी पेड़ नहीं है, लाहौल स्पीति में एक भी पेड़ नहीं है। जनता पार्टी की सरकार ने सारे पेड़ कटवा दिए। यह काम किया जनता पार्टी ने। यहां पर जो चीज 12 बजे देखने को मिलती है, वह हमारे प्रदेश की विधानसभा में सारा दिन चलता है। विधानसभा में धरना देते हैं, नारे लगाते हैं। इसलिए कि वहां पर बी० जे० पी० है। ये लोग किस तरह से सूखे से और भुखमरी से निपटेंगे। मैं चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश को अधिक से अधिक सहायता दें, ताकि वहां पर स्थिति का मुकाबला किया जा सके।

हरिकेश जी ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उससे लगता है कि वे राजनीतिक सूखाग्रस्त हैं। गढ़वाल में एक सीट क्या जीत ली समझते हैं कि पूरे हिन्दुस्तान पर ही इनका कब्जा हो जाएगा। इस तरह इनका सोचना गलत है।

अभी मैं आंध्रप्रदेश गया था, तमिलनाडु गया था, एस्टीमेट्स कमेटी के साथ। माननीय दण्डवते जी भी हमारे साथ थे। वहां भी सूखा है, तमिलनाडु और आंध्र में भी सूखा है, केरल में भी सूखा है। कई प्रदेशों में सूखे की स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति से निपटने के लिए सस्ते गल्ले की दुकानों को खोलने की तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए।

बंगाल की बात की गई कि वहां की सरकार बड़े काबिल आदमियों की सरकार

है। वहाँ की सरकार की काबलियत तो यहाँ बैठे लोगों के व्यवहार से ही पता चल जाती है। वहां जो अनाज भेजा जाता है वह सब कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ताओं में बांट दिया जाता है और आम जनता को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इन बातों को भी देखना होगा।

(व्यवधान)

प्रोफैसरों का काम भाषण देना होता है। लेकिन बंगाल की सरकार अगर ठीक ढंग से काम कर सकी है तो भारत सरकार की वजह से ही कर सकती है। भारत सरकार आपकी मदद करती है। हमारी पार्टी बिना भेदभाव के राज्य सरकारों की मदद करती है। सरकार उदारता से पैसा देती है। जब भी कोई मांग आती है उस पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करती है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि जो मदद की जाती है उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी आप को देना चाहिए। गलत तरीके से पैसे का या मदद का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गरीब लोगों को फायदा पहुचे इसको आपको देखना चाहिए। कांग्रेसियों का भी खयाल रखें जो वहाँ भूखों मर रहे हैं। अपनी पार्टी वालों का ही खयाल न रखें, उनमें ही मदद को बांट न दें।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सारे देश का सवाल है। मैं मांग करता हूं कि हिमाचल प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए ताकि हम बच सकें। हिमाचल के लोगों को राहत पहुंचाई जानी चाहिए, ट्राइबल लोगों की मदद की जानी चाहिए। राजस्थान के लिए भी हमने पानी दिया है, पंजाब के लिए भी दिया है। बिजली पानी के साधन हमने हिमाचल में पैदा किए हैं। हमारे मन्त्री लोग यहाँ घूमते रहते हैं और मांग करते रहते हैं कि हमें अनाज पहुंचाओ। लेकिन इसकी तरफ तवज्जह नहीं दी जाती है। इस तरफ आप तवज्जह दें। राव साहब हमारे यहाँ पंजाब में मुख्य मंत्री रह चुके हैं। वह पहाड़ी इलाकों की हालत को जानते हैं। वहाँ किस मुश्किल से खेती होती है इसको जानते हैं, खेती में जो बीमारियाँ लग जाती हैं उनका भी इलाज होना चाहिए। सेबों की हमारे किसानों को पूरी कीमत दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। जमींदारों के फल आजादपुर में आते हैं और आजादपुर के जो आढ़ती हैं उनके पास झोले बने हुए होते हैं और जितना उसमें फल आ सकता है भर लेते हैं। इस तरह के करोड़ों रुपया हिमाचल और पंजाब के लोगों को लूटा जाता है। इस लूट से उनको आप बचाएं।

जहाँ-जहां सूखा पड़ा हुआ है वहाँ टीम्ज भेजकर जल्दी से जल्दी आप रिपोर्ट्स मंगाएं ताकि उन लोगों को फायदा हो सके, उनको राहत पहुंचाई जा सके।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : महोदय, अब हम बाढ़ और सूखे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देश में हालात इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि यह कहा जा सकता है कि सरकार बाढ़ की इस आपदा को नियन्त्रित करने और सूखे के प्रभावों का मुकाबला करने में असफल रही है और इन दोनों से ही लोगों की जान माल को गम्भीर क्षति हो रही है।

प्रो० एन०जी० रंगा (गुन्टूर) : यह विश्वसनीय घटना है ।

श्री समर मुखर्जी : पहले मैं बाढ़ों के बारे में चर्चा करूंगा । उसके बाद मैं सूखे के सम्बन्ध में बोलूंगा ।

सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह एक नियमित घटना है । यह बाढ़ और सूखा भी नियमित घटना हो गई है और बाढ़ तथा सूखे के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए दीर्घावधि के उपाय और कार्यक्रम बनाए बिना स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जाएगी ।

लेकिन सरकार के कार्यनिष्पादन और कार्यक्रमों से यह बात स्पष्ट है कि सरकार इन प्राकृतिक आपदाओं द्वारा पैदा किए गए खतरे का बड़े रूप से सामना करने के बारे में बिल्कुल गम्भीर नहीं है ।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सिवाय कलकत्ता के । सिवाय वहाँ के जहाँ बंगाल है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप उनसे सहमत नहीं तो आप उत्तर दे सकते हैं ।

श्री रामप्यारे पनिका : मैं उनके साथ सहमत नहीं ।

श्री समर मुखर्जी : मैं एक अत्यन्त गम्भीर मसले पर चर्चा कर रहा हूं । यह एक गम्भीर राष्ट्रीय समस्या है जो लाखों करोड़ों लोगों की जान-माल को हानि पहुचा रहे हैं और अधिकांशतः इनसे प्रभावित होने वाले व्यक्ति गरीब वर्ग के लोग हैं ।

केन्द्रीय सिचाई मन्त्री द्वारा 4 अक्तूबर को दिए गए वक्तव्य में कहा गया है कि :

> "राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर बाढ़ से प्रभावित कुछ क्षेत्र 76 लाख हेक्टेयर है और कुल 335 लाख की जनसंख्या में से 932 जानें गई हैं·····932 जानें गई हैं । बाढ़ और तूफान से लगभग कुल 1150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, पिछले वर्ष बाढ़ से 1132.51 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था ।"

इस वर्ष भी नुकसान लगभग बराबर है । अतः सरकार ने इस वर्ष स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए हैं ? अतः इस पर गम्भीर रूप से विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह प्राकृतिक प्रक्रिया है । हमारे देश में नदी व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं है और 25 प्रतिशत से भी कम भूमि पर सिचाई होती है । इसी से स्वतन्त्रता के 35 वर्ष बाद भी हमें प्रकृति पर निर्भर करना पड़ता है, हालांकि जब इस सभा में उत्तर दिया जाता है तो यह कहा जाता है कि बहुत कुछ किया जा रहा है । आप सारी व्यवस्था पर नजर डालें । जून 1980 में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार द्वारा दिए गए एक वक्तव्य में

सरकार द्वारा किए गए उपायों, दीर्घावधि के बाढ़ नियंत्रण उपायों का उल्लेख इस प्रकार है :

"पिछली योजना अवधि में बाढ़ नियंत्रण पर खर्चा की गई कुल 976 करोड़ रुपए की धनराशि की तुलना में छठी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 1035 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।"

पिछले योजना में 976 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे और छठी योजना में 1035 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं" ...

राव बीरेन्द्र सिंह : यह गलत है। यह सभी पिछली योजनाओं की धनराशि है। यह धनराशि 30 वर्ष की है—यह सभी योजनाओं का कुल योग है।

श्री समर मुखर्जी : मैं आपके वक्तव्य से उद्धरण दे रहा हूं। यह मेरे अपने आंकड़े नहीं हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : आपने इस वक्तव्य को गलत समझा है। सभी योजनाओं का कुल योग दिया गया है जो कि 976 करोड़ रुपए है। आपने इसको सही ढंग से नहीं समझा है।

श्री समर मुखर्जी : इसके आगे उन्होंने कहा है कि :

"चालू योजना के शेष वर्षों में प्रति वर्ष तीस लाख हेक्टेयर भूमि को सिचाई योग्य बनाने का लक्ष्य...

यह लक्ष्य है। कुल कितनी भूमि पर सिंचाई होती है ?

"कृषि योग्य लगभग एक करोड़ सत्तर लाख हेक्टेयर भूमि में से.....

यह भी सरकार का वक्तव्य है :

"मार्च 1978 के अन्त तक बड़ी, मध्य श्रेणी की और लघु योजनाओं में 5 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की गई।"

अतः हम अनुमान लगा सकते हैं कि 1 करोड़ 30 लाख हेक्टेयर भूमि से 1978 तक 5 करोड़ 20 लाख भूमि को सिचाई योग्य बनाया गया है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि :

"यह अनुमान लगाया गया है कि जून, 1980 के अन्त तक सभी सिंचाई कार्यक्रमों के माध्यम से 5 करोड़ 70 लाख मिलियन हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकेगी, जबकि 1951 में 22.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर सिचाई होती थी।"

अतः 1 करोड़ 70 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई योग्य बनाने के लिए कितने वर्ष लगेंगे ? भूमि को सिंचाई योग्य बनाने की यह हमारी दर है। आप कितने वर्ष और लेंगे ?

[श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए]

परन्तु नदियों में गाद के बारे में क्या हो रहा है ? नदियों में गाद बढ़ रही है । अत: पानी को बहाने की क्षमता इतनी तेजी से घट रही है कि यदि नियमित रूप से गाद नहीं निकाली जाती और नदियों पर नियन्त्रण नहीं किया जाता तो इस दीर्घावधि के कार्यक्रम का बाढ़ नियन्त्रण और नदियों के नियन्त्रण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । ये आंकड़े हैं । प्रति वर्ष, जुलाई के मास से शुरू होकर तीन या चार महीने की अवधि में, लगभग 1400 मिलियन फुट पानी नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुंचता है । यह नदियों का बहाव है और पानी बहकर समुद्र में चला जाता है । इस प्रक्रिया में, नदियों में गाद जम जाती है । अत: जल-ग्रहण क्षेत्र में जलाशय बनाने जरूरी हैं ।

श्री राव कृपया मेरी बात सुनें ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं सुन रहा हूं ।

श्री समर मुखर्जी : जबकि इस पानी को जलाशयों में इकट्ठा नहीं किया जाएगा आप बाढ़ पर नियन्त्रण नहीं कर सकते । इसके लिए बांधों की क्षमता बढ़ानी होगी । वर्तमान क्षमता आवश्यक क्षमता का दसवां भाग है । इसका मतलब यह है कि बांधों की क्षमता 10 गुनी बढ़ाई जाए । जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप बाढ़ पर नियन्त्रण नहीं कर सकते । बाढ़ों पर नियन्त्रण नहीं होगा तो आप सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को पानी की सप्लाई नहीं कर सकते । हमें एक साथ दो प्राकृतिक आपदाओं—सूखा और बाढ़—का सामना करना पड़ता है । यह कार्य स्थायी हो गया है । जब तक सरकार इस पर गम्भीरता से विचार नहीं करेगी, आप बाढ़ों पर नियन्त्रण नहीं कर सकते । इसका एक ही समाधान है कि यदि आप बाढ़ों पर नियन्त्रण कर सकते हैं तो आप सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को सिंचाई और पीने के लिए पानी की सप्लाई कर सकते हैं । इस कार्य के लिए बारह मास पानी की सप्लाई चाहिए । पन बिजली उत्पादन और प्रत्येक कार्य किया जा सकता है । इसके लिए एक नई राष्ट्रीय योजना की आवश्यकता है और नई योजना के लिए नए विचारों की आवश्यकता है । जब तक आप ऐसा नहीं करते, आप सूखे और बाढ़ का सामना नहीं कर सकते ।

इस वर्ष बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है ? मैंने उन बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को स्वयं जाकर नहीं देखा जो बुरी तरह बाढ़ ग्रस्त हैं । परन्तु तूफान के पश्चात् मुझे उड़ीसा जाने का अवसर मिला था । मैंने कटक और भद्रक जिलों का दौरा किया है । मैं सम्बलपुर में भी गया था । इस बारे में मन्त्री जी के वक्तव्य में क्या कहा गया है और उड़ीसा में कितना नुकसान हुआ है ?

सभापति महोदय : आपको दस मिनट का समय दिया गया है और वह समय समाप्त हो गया है ।

श्री समर मुखर्जी : यह सत्तारूढ़ दल के वक्ताओं के लिए है। मैं एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय पर बोल रहा हूं। आप बीच में गड़बड़ न करें। सिंचाई मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के पृष्ठ 7 को पढ़ें। मन्त्री जी के वक्तव्य में बताया गया है कि यह विनाशकारी तूफान 25 लाख हेक्टेयर भूमि में था और इसका कटक, पुरी, बालासोर, सम्बलपुर, मयूरगंज, ढेंकानल और क्योंझर जिलों में, जिनमें 110 खण्ड शामिल हैं, 73.23 लाख लोगों और 8.1 लाख मकानों पर असर पड़ा। यह मन्त्री जी का वक्तव्य है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वास्तव में कितना नुकसान हुआ है ?

उड़ीसा में तूफान, बाढ़ और सूखा का प्रकोप एक साथ ही हुआ। तीनों प्रकोप एक साथ हुए—आप कह सकते हैं कि वे प्राकृतिक प्रकोप हैं परन्तु लोग इनका सामना कैसे करेंगे जब तक कि केन्द्रीय सरकार उन्हें सभी प्रकार की बड़े पैमाने पर राहत नहीं देती ?

तूफान के बाद मैंने कुछ क्षेत्रों का दौरा किया है। मैंने पता लगाया कि क्या राहत दी गई है। यह राहत बहुत कम है। वितरण उन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है जो भ्रष्ट हैं। एक जगह आग लगी थी। यह स्थान उड़ीसा के भद्रक जिले में है। आग दोपहर के बाद लगी और मैं वहाँ सुबह के समय मौजूद था। सभी लोगों ने मुझे घेर लिया और मुझे अपनी कठिनाइयों और राहत वितरण में भ्रष्टाचार के बारे में बताया। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। राजस्व निरीक्षकों को उन प्रभावित व्यक्तियों की सूची बनाने का काम सौंपा गया जिन्हें राहत दी जानी थी। वहाँ एकत्र लोगों ने बताया कि ये लोग तब तक सूची नहीं तैयार करेंगे जब तक कि इन्हें 20 प्रतिशत कमीशन नहीं दिया जाता। अन्यथा उनका नाम सूची में नहीं लिखा जाएगा। यह उस अधिकारी के सामने कहा गया जो वहाँ आया हुआ था। अधिकारी मेरे पास आया। वह राहत वितरण कर रहा था। जब मैं वहाँ था तो वहाँ एकत्र लोगों ने यह बताया। मैंने कहा कि आप अपनी बात अधिकारी के सामने कहें। उसे मानना पड़ा। उसने कहा कि आप लिख कर दें, मैं इसकी जाँच करूंगा। यह सब कुछ वहाँ हो रहा है। राजस्व निरीक्षक 20 प्रतिशत कमीशन ले रहे हैं। 100 रुपये राहत लेने के लिए उन्हें 20 रुपये कमीशन देना पड़ता है। जब मैं वापस आ रहा था तो एक प्रौढ़ा मेरे पास आई और मेरे पैर छू लिए और उसके बाद मेरे हाथ में कुछ कागज थमा दिए, मैंने समझा कि कोई याचिका या ज्ञापन होगा। विभिन्न स्थानों के दौरे के समय मुझे बड़ी संख्या में याचिकाएं और ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। जब मैंने उस कागज को खोला तो पाया कि वह 100 रुपये का नोट था। मैंने उससे पूछा कि यह क्या है ? उसे 500 रुपये राहत चाहिए थी और वह 100 रुपये का नोट उस राहत का 20 प्रतिशत कमीशन था।

मैंने उन्हें बताया, 'मैं वह व्यक्ति नहीं हूं' और धन वापस कर दिया। अतः, उन्होंने तत्काल अपनी गलती को महसूस किया और वह वापस चली गई। यह वहां रोज की बात

हो गई है। राशन की दुकानों में जो राशन दिया जाता है वह मानव उपभोग के योग्य नहीं है। मेरे पास कुछ नमूने हैं। ये मैं उड़ीसा से लाया हूं। मैं उन्हें यहाँ दिखा नहीं सकता हूं। अतः मेरे मित्र श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ने उसे यहां दिखा दिया है। ऐसे खाद्यान्नों को तो जानवर तक नहीं खाते हैं। कालाबाजारी जोर-शोर से चल रही है। वहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। सत्ताधारी दल के लोग भी उन अधिकारियों के वास्तविक 'बॉस' हैं जो सूची तैयार कर रहे हैं और राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इस पर बोलने का मुझे पहले अवसर नहीं मिला था और इसलिए मैं इस पर विस्तार से बात कर रहा हूं। उड़ीसा में बहुत ज्यादा तबाही हुई है। पूरे सम्बलपुर शहर में पानी भर गया है। उस समय मैं सम्बलपुर में था। मैं स्थिति से अवगत हूं। हीराकुण्ड बांध पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है जैसा कि मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है। महानदी के पूरी तलहटी में गाद जमा हो गई है। इसके सम्बन्ध में वहां पर मुख्यमन्त्री ने वक्तव्य दिया था। यह आज के 'स्टटस्मेन' में प्रकाशित हुआ है। श्री जे०बी० पटनायक उड़ीसा के मुख्यमन्त्री ने यह कहा है :

> "हाल की बाढ़ से उड़ीसा में महानदी प्रणाली से हुई बरबादी गंगा नदी के प्रकोप से भी कहीं अधिक भयंकर थी। उड़ीसा में कुछ बाढ़ग्रस्त शहर ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वे बमबारी से बरबाद हो गए हैं। सिंचाई, नहर प्रणाली और सतही सड़कों को भारी क्षति पहुंची है।"

उन्होंने 616 करोड़ रुपयों की मांग की है। कितना दिया गया है ? निःसंदेह आप यहां पर एक वक्तव्य देंगे···

राव बीरेन्द्र सिंह : 618 करोड़ रुपये।

श्री समर मुखर्जी : आप 2 करोड़ रुपये और जोड़ रहे हैं। मैं समाचार पत्र से पढ़ रहा हूं। अतः, आप देखिए, बाढ़ से बहुत गम्भीर तबाही हुई है। परन्तु मैं बाढ़ पर अधिक नहीं बोलूंगा ?

अब, मैं सूखे की स्थिति पर आता हूं। समाचार पत्र में प्रकाशित समाचारों से सूखे की स्थिति की गम्भीरता का भी पता चलता है। इसने लोगों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। मैं 14 अक्तूबर, 1982 के 'स्टेटस्मेन' के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित एक समाचार पढ़ूंगा।

"भूखे मरने वाले संथालों ने न्याय के लिए हथियार सम्भाले"

"वास्तव में, पिछले दो वर्षों में अनेक गाँवों को उचित दर की दुकानों से चावल या गेहूं नहीं मिला है। और उससे बुरी बात यह है कि भोजन की मांग करने वाले उन लोगों पर पिछले गुरुवार को पुलिस द्वारा गोली चलाई गई। जब पुलिस ने लोगों के एक

समूह पर, जो पुलीजोरी में जिले को सूखाग्रस्त जिला घोषित करने के लिए आन्दोलन कर रहे थे, गोली चलाई तो पांच व्यक्ति मारे गए।"

अतः राहत देने के बजाय, आप निरीह जनता पर गोली चलाने के लिए पुलिस को भेज रहे हैं।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : उन्होंने भोजन के लिए मांग की। और आपने उन पर गोलियाँ चलाई।

श्री समर मुखर्जी : इस समय स्थिति यह है। यदि यही हालत रही तो स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी। आज के समाचार पत्रों के अनुसार, आपने स्वीकार किया है कि राजस्थान भयंकर सूखे की चपेट में है। मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं। परन्तु इस वक्तव्य में भयंकरता से निपटने का दृढ़ निश्चय नहीं झलकता है।

अब, मुद्दा यह है कि इन क्षेत्रों के लिए आपने कितना कुछ किया है ? अच्छे शब्दों में आपकी अभिव्यक्ति तब तक कोई परिणाम नहीं दिखाएगी जब तक उन क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सामग्री और आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी।

अब मैं पश्चिम बंगाल की बात करूंगा। मैं माननीय मन्त्री को याद दिलाता हूं कि पिछले सत्र में इस विषय पर चर्चा हुई थी और मैंने भी उस समय पश्चिम बंगाल में स्थिति की गम्भीरता पर मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कराया था। मैंने इसका भी उल्लेख किया था कि पश्चिम बंगाल में पिछले वर्ष भी सूखा आरम्भ हुआ था जहाँ पर फसलें बुरी तरह से प्रभावित हो रही थीं। इसलिए, उन्हें मुख्यतया केन्द्र पर निर्भर रहने को विवश किया गया। इसी लिए उन्होंने मांग की थी कि पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न का केन्द्रीय आबंटन बढ़ाया जाना चाहिए और पिछली चर्चा में मैंने उल्लेख किया था कि सप्लाई 3,30,000 टन प्रति माह बढ़ा दी जानी चाहिए। मैंने राज्य सभा में मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए भाषण को भी पढ़ा था। वे कहते हैं, वह पश्चिम बंगाल के लिए अधिक उदार हैं। वह पश्चिम बंगाल के लिए किस प्रकार अधिक उदार हैं ?

क्या यह शब्दों में है अथवा व्यावहारिक ? पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र को तत्काल सहायता के लिए एक सन्देश भेजा था। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि आप खाद्यान्न की अपेक्षित मात्रा नहीं भेजते हैं, तो राशन प्रणाली असफल हो जाएगी। उन्होंने राज्य सभा में बताया था, "हम 2,25000 टन की सप्लाई कर रहे हैं।" हम मन्त्री महोदय से मीठे शब्द नहीं सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल को सामग्री भेजी जाए ताकि उन्हें वर्तमान गम्भीर स्थिति से बचाया जा सके। अब स्थिति बहुत ही ज्यादा गम्भीर है। इसे सभी को समझना चाहिए। मैं इस पक्ष पर जोर देना चाहता हूं क्योंकि गम्भीरता इतनी है कि कलकत्ता में उचित दर की दुकानों के माध्यम से चावल के

वितरण में कटौती करनी पड़ी है। अब इसे 4 किलोग्राम से 3 किलोग्राम कर दिया गया है क्योंकि केन्द्र द्वारा कम खाद्यान्न सप्लाई किया जा रहा है।

बाहर खाद्यान्नों – का मूल्य बढ़ रहा है और इसलिए लोग राशन की दुकानों में जाने लगे हैं। अब वे राशन की दुकानों से खाद्यान्न खरीदते हैं। पहले अनेक लोग खुले बाजार से खरीदते थे क्योंकि राशन की दुकानों में सप्लाई किए गए चावल की किस्म अच्छी नहीं थी। परन्तु अब सभी लोग राशन की दुकानों में जाने लग गए हैं स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है और पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता के लोगों से ग्रामीण लोगों के लिए कम-से-कम एक किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से चावल छोड़ने की अपील की है। यह अपील की गई है कि हमें सामूहिक अंशदान द्वारा गाँवों के इन लोगों को अवश्य बचाना चाहिए। हम पूरी तरह से केन्द्र पर निर्भर नहीं रहते हैं, परन्तु कम-से-कम राशन व्यवस्था को तो बनाए रखना चाहिए और उसके लिए न्यूनतम अपेक्षित मात्रा पश्चिम बंगाल को दी ही जानी चाहिए। हमारे मुख्य मन्त्री कल ही दिल्ली आए थे; वह आज सुबह भी यहीं थे। उन्होंने मुझे टेलीफोन किया और कहा कि मुझे सरकार को स्थिति की गंभीरता से अवगत कराना चाहिए। 12 अक्तूबर, को मुख्य मन्त्री जी ने एक तार भेजा था और मैं उसे पढ़ रहा हूं :

> 'हम बड़ी गम्भीर स्थिति का सामना कर रहे हैं क्योंकि चावल का अपर्याप्त आबंटन भी राज्य में नहीं पहुंचा है।"

आबंटन अपर्याप्त है, और वह भी राज्य में वहीं पहुंचा है। आगे :

> "सितम्बर में केन्द्रीय पूल से लगभग 1.27 लाख मीट्रिक टन चावल राज्य में पहुचा था जबकि 1.50 लाख मीट्रिक टन चावल आबंटित किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप 22,000 मीट्रिक टन से भी अधिक की कमी है।"

राव बीरेन्द्र सिंह : कुल कितनी मात्रा खरीदी गई ? कुल कितनी मात्रा जारी की गई ?...(व्यवधान) वास्तव में कितनी मात्रा जारी की गई थी ? खाद्यान्न पहुंचाना हमारा उत्तरदायित्व है। आप सभा को गुमराह कर रहे हैं।

श्री समर मुखर्जी : मैंने आपका वक्तव्य पढ़ दिया है। हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : यदि खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है तो वे कैसे जारी कर सकते हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : आबंटित मात्रा उपलब्ध है आप उसकी बात क्यों नहीं करते जो आपको मिल रहा है ?

श्री समर मुखर्जी : आप जो आबंटन कर रहे हैं हमें उससे कम मिल रहा है। मैं वक्तव्य से पढ़ रहा हूं :

"पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए प्रतिमाह लगभग 2.25 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न जारी किया जाता है।"

और उनकी मांग 3.75 लाख मीट्रिक टन है। पिछली चर्चा के दौरान मैंने आपसे कोटा 3.30 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाने का अनुरोध किया था। इस विवाद को कि कितनी मात्रा खरीदी गई और कितनी मात्रा जारी की गई थी, यहां नहीं उठाया जाना चाहिए। स्थिति बहुत ज्यादा गम्भीर है। आपको आबंटन बढ़ा देना चाहिए और इसे यथा शीघ्र पश्चिम बंगाल को भेज देना चाहिए।

यहाँ पर 'रेकों' का प्रश्न भी आता है। मैंने रेल मन्त्री जी से बात की थी, उनसे पहले भी बात हुई थी और मुझे बताया गया था कि उनके माल डिब्बे अपयुक्त पडे हैं, डिब्बों की कोई कमी नहीं है। भारतीय खाद्य निगम अथवा खाद्य मंत्रालय ही माल डिब्बे नहीं माँगते हैं। उनका मुद्दा यह है कि उन पर यह आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। आधा घण्टा पूर्व मैंने श्री मल्लिकार्जुन से भी बात की थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं इस बात को सभा में भी उठाऊंगा। माल डिब्बों की कमी के तर्क पर सप्लाई को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करना चाहिए। यह एक महत्त्वपूर्ण बात है। मुख्य मन्त्री जी ने आपसे भी बात की थी। मैं इन बातों पर विस्तार से चर्चा करना नहीं चाहता हूं, परन्तु पश्चिम बंगाल में स्थिति बहुत ज्यादा गम्भीर है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : क्या आपने नये रेल मन्त्री जी से बात की है ?

श्री समर मुखर्जी : मैं उनसे बात नहीं कर सका, परन्तु उन्होंने भी यही कहा कि माल डिब्बे बेकार पड़े हैं। उन्होंने सलाहकार समिति की बैठक में भी यही बात कही थी।

श्री नीरेन घोष : वापस जाने से पूर्व, मुख्यमन्त्री जी ने मन्त्री जी को संक्षेप में यह बताते हुए कि क्या किया जाना चाहिए, एक पत्र भी लिखा था। हमें आंकड़ों के जाल में नहीं फंसना चाहिए।

श्री समर मुखर्जी : अब, 2 लाख मीट्रिक टन चावल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 1.20 लाख मीट्रिक टन और रोलर आटा मिलों के लिए 55 लाख मीट्रिक टन की उनकी मांग है और कुल मांग 3.75 लाख मीट्रिक टन है।

मुख्यमन्त्री ने कहा है कि रोज ना कम से कम चार रेकें जानी चाहिए। अपने तार में उन्होंने बताया है कि चावल की आवक अक्तूबर में और अधिक बिगड़ती जा रही है और यदि 1.5 लाख मीट्रिक टन चावल का अपर्याप्त मासिक आबंटन और आगे दिया जाना है

तो चावल की चार रेकें प्रतिदिन पश्चिम बंगाल को पहुंचनी चाहिए। इसकी तुलना में 7 अक्तूबर तक चावल की केवल 16 रेकें पश्चिम बंगाल पहुची हैं। अब वहां चावल का कुल भंडार समाप्त हो गया है और वहाँ चावल का भंडार बहुत से बहुत 90,000 टन के लगभग रह गया है जोकि राशन पर दिए जाने हेतु केवल दो सप्ताह भर का है। इसलिए, वहाँ बिना किसी विलम्ब के खाद्य सामग्री भेजी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : श्रीमन् मुखर्जी, आप कृपया अपना भाषण समाप्त करिए।

श्री समर मुखर्जी : मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। कठिनाई यह है कि 'काम के बदले अनाज' का यह कार्यक्रम भी बन्द कर दिया गया है। गांवों में कोई कार्य नहीं है, कोई आय नहीं है। और जब से राशन की दुकानों में सप्लाई कम हो गई है इससे सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव भूमिहीन श्रमिकों, गरीब किसानों, कम आय वर्ग लोगों पर पड़ा है। और उन्हें खुले बाजार से ये खरीदना पड़ता है जहाँ प्रति किलो 4 रुपए से भी अधिक मूल्य बढ़ रहे हैं। लेकिन उनके पास कोई क्रय शक्ति नहीं है। वे अधिकांशत: चावल खाने वाले लोग हैं और इससे वहाँ गंभीर संकट पैदा हो गया है।

श्रीमन्, पश्चिम बंगाल में सितम्बर से कोई वर्षा नहीं हुई और फसल को बचाया जाना है। बांधों से भी पानी की मात्रा इतनी अधिक कम हो गई है कि पानी फसलों को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार दामोदर घाटी निगम से कुछ पानी प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। यदि वहाँ से पानी उपलब्ध हो जाता है तो खाद्यान्न वाले सात लाख एकड़ क्षेत्र को बचाया जा सकता है। अन्यथा, आगामी वर्ष फसल की सम्भावनाएं धुंधली हैं। फसल 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह इससे भी कम होगी।

श्रीमन्, वहाँ राज्य सरकार के पास खाद्यान्न का भंडार नहीं है। हम मुख्यत: केन्द्र सरकार द्वारा की गई सप्लाई पर निर्भर हैं। स्थिति जटिल है क्योंकि ये ओवर ड्राफ्ट भी पहले ही बन्द कर दिए गए हैं। इसलिए, आपात्स्थिति का सामना करने के लिए ओवर ड्राफ्ट हेतु राज्य सरकार बैंक में नहीं जा सकती। इसके अलावा, केन्द्र सरकार ने अतिरिक्त खाद्यान्न वाले अन्य राज्यों से राज्य सरकार द्वारा आयात किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए, पश्चिम बंगाल में लोग पश्चिम बंगाल में व्याप्त दमघोट वातावरण और अकाल की छाया के कारण भुखमरी के खतरे का सामना कर रहे हैं और पुराने दिनों के अकाल की उनकी यादें ताजा हो रही हैं।

श्रीमन्, पंचायतों के माध्यम से वितरण के कारण पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार अत्यन्त कम है यद्यपि संकट पहले से ही अत्यन्त गम्भीर है। समाचारपत्रों में कुछ इस प्रकार के समाचार भी आए हैं कि अनाज का एक वैगन लूट लिया गया। इस प्रकार की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, यद्यपि हम लोगों से धैर्य रखने और उन लोगों द्वारा उत्तेजित न

होने की कह रहे हैं जो इस प्रकार के तरीके अपना रहे हैं और महोदय, आपके दल के लोग भी इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्रीमन्, लोग भुखमरी के कगार पर हैं। यदि आगामी दिनों में केन्द्रीय कोटा नहीं बढ़ाया जाता तो कोई नहीं जानता वहां लोगों का भाग्य क्या होगा। श्रीमन् आप जानते हैं कि पूजा का त्यौहार पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा त्यौहार है। इसलिए, पूजा के त्यौहार से पहले पश्चिम बंगाल को यह बढ़ी हुई सप्लाई भेजी जानी है। इसी कारण से राज्य सरकार चाहती थी कि जो कुछ भी पिछली मात्रा बकाया है, वह भी तत्काल भेज दी जानी चाहिए। कमी वाली अवधि के लिए समुचित भंडार होना चाहिए और पर्याप्त भंडार किया जाना चाहिए। इसके बाद सरकार को अतिरिक्त खाद्यान्नों वाले अन्य राज्यों से खाद्यान्न खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए। ताकि एक निश्चित सीमा तक राज्य सरकार अपनी व्यवस्था कर सके। और पर्याप्त वैगनों और रेकों के माध्यम से इस सप्लाई को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया कुछ बातें मंत्री जी के सोचने के लिए रहने दीजिए।

श्री समर मुखर्जी : मैं मंत्री महोदय से स्थिति की गम्भीरता का अनुभव करने का अनुरोध कर रहा हूं। वहाँ एक केन्द्रीय दल तत्काल भेजा जाना चाहिए। एक क्षेत्रीय स्थायी समिति के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने एक अन्य प्रस्ताव भेजा है। उसमें उन्होंने स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक केन्द्रीय दल तत्काल भेजने का आपसे अनुरोध किया होगा। इससे पहले, वे 74 करोड़ रुपये चाहते थे। लेकिन 24 करोड़ रुपये के लगभग दिए गए हैं। स्थिति का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार के लिए यह राशि अत्यन्त अपर्याप्त है। मुख्यमंत्री ने आपको बताया है; वह वापस जायेंगे और एक उत्तरवर्ती रिपोर्ट भेजेंगे जिसमें यह बताया जाएगा कि स्थिति का मुकाबला करने के लिए कितनी धनराशि तत्काल नकद दी जानी है।

एक बार फिर मैं अत्यावश्यकता और स्थिति की गंभीरता पर जोर देता हूं। सरकार को इसका एहसास करना चाहिए और राज्य सरकार की मांग पर उसे अनुकूल प्रतिक्रिया करनी चाहिए।

श्री भीखा भाई : खड़े हुए। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं जानता हूं आपका नाम बोला जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से इस बात का अनुरोध करूंगा कि वे समय के बारे में कुछ अनुशासन लागू करें। अन्ततोगत्वा यह केवल शासक दल के लोगों के लिए नहीं है। उन्होंने प्रत्येक सदस्य के लिए दस मिनट का समय नियत कर दिया है। **(व्यवधान)** समूचे सदन से मेरा यह अनुरोध है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एक भाग से अनुरोध करूं और दूसरे भाग से नहीं। यदि हम उपयुक्त समय पर

कार्यवाही को पूरा करना चाहते हैं तो हमें कुछ आत्म नियन्त्रण अपनाना होगा ।

श्री भीखाभाई ।

श्री भीखाभाई (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि मेरी दयनीय अवस्था को समझते हुए मुझे 5, 7 मिनट का समय दिया, और मैं अपने अन्य मित्रों का समय ले रहा हूं इसलिए भी अपने आपको गिल्टी समझता हूं ।

मेरी एक ऐसी कांस्टीट्यूएंसी है जो आदिवासी क्षेत्र है और उनकी समस्या अन्य जातियों की समस्याओं से भिन्न है । राजस्थान की समस्या तो बहुत ही गंभीर है, परन्तु मुझे दुख हुआ हमारे कृषि मंत्री जी ने 4 तारीख को जो जवाब दिया उसमें राजस्थान का नाम नहीं लिया और उल्लेख नहीं किया कि वहां अकाल है । दूसरे दिन हमारे मुख्यमंत्री ने उसके बारे में स्टेटमेंट दिया और कहा कि 350 करोड़ रु० राजस्थान सरकार को दिये जाने चाहिएं । राजस्थान में जहां पानी की समस्या है, जहां पर फूड की समस्या है, रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाके की समस्या है वहां आपको अधिक धनराशि देनी चाहिए, ऐसा मैं भी प्लीड करता हूं ।

मैं कहना चाहता हूं कि आपदायें और विपदायें प्राकृतिक हैं और हमेशा आती रहती हैं, लेकिन इनको हम सब मिलकर हल कर सकते हैं और अगर दिलो जान से जुट जायें और आम लोगों का सहयोग प्राप्त कर सकें तो इस काम को कर सकते हैं। जब से हमारी राष्ट्रीय सरकार बनी है, तब से हम लगातार यह बात समझ रहे हैं कि हमारी सरकार को व्यवस्था करने की और अकाल से जूझने की चिन्ता है । हमेशा राज्य सरकारों को वह धनराशि देती है । मैं पुरानी बातें कहना चाहता हूं । संवत् 1956 में एक बड़ा अकाल पड़ा, उसके बाद संवत् 1957, 1972 और 1993 में अकाल पड़ा । उसके बाद भी छोटे-छोटे अकाल पड़ते रहे हैं। बंगाल में, उड़ीसा में भी अकाल पड़े परन्तु उस समय की तत्कालीन सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया ।

अभी उधर से मुखरजी साहब बोल रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार हमेशा दृढ़ प्रतिज्ञ रही है और किसी भी प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं का मुकाबला करने के लिए सक्षम रही है । मनुष्य की कमजोरी है, कई स्तरों पर यह बात हो जाती है, इसलिए कभी कमजोरी आ जाती है और काम के इम्पलीमैंटेशन में कमी भी हो सकती है । इसको ठीक करने के लिए यह जरूरी है कि केन्द्रीय सरकार की एक टीम सब जगह जानी चाहिए । अभी कहीं जाती है, कहीं नहीं जाती है । इंटीरियर में कोई नहीं जाता है, एक्सटीरियर में होकर लौट आते हैं ।

मैं कृषि मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि इसके हल के लिए एक वालेन्टियरी सैल बनाना चाहिए जो कि स्टेट टू स्टेट जाये और रैगुलेट कर के काम को देखना चाहिये कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है । गड़बड़ी बहुत होती हैं, कहीं वितरण में और कहीं काम में ।

आदिवासी क्षेत्र के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि चाहे जबलपुर का इलाका हो, झाबुआ, मांडला, अलीराजपुर, सरगुजा, संथाल परगना, पलामू या छोटा नागपुर का इलाका हो। हमारे राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के इलाके हैं। सर्वत्र एक बात है, हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं, लेकिन पहाड़ी सहायता जो दूसरे लोगों को मिलती है, हिमाचल वाले पहाड़ी इलाके के नाम से पैसा लेते हैं, लेकिन हमको वह पैसा नहीं मिलता है। हम भी पहाड़ी इलाकों और वनों में रहते हैं। बड़ी बड़ी योजनाएं जो बनती हैं, उनकी वजह से जितना बड़ा नुकसान हमको होता है, जितनी व्यवस्था हम करना चाहते हैं, उतनी राशि हमको कोई नहीं देता है। वहां के जो आदिवासी लोग हैं, उनकी 2, 2 और 3, 3 बीघे जमीन अन-इकनामिक है। एक बड़ी भारी मैन-पावर है जिसके पास काम नहीं है। राज्य सरकारें यह करती हैं कि जिस जिले की जितनी जनसंख्या है, उस जिले के उतने मजदूर उसी आधार पर काम करें। इस बात को भी देखा जाना चाहिए। अभी होता यह है कि जहां ज्यादा पोलिटिक्स होता है, वहां काम ज्यादा होता है।

सूखे से निपटा जा सकता है। साइक्लोन हो, टाइफून हो, बाढ़ हो, इनको तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन सूखे को रोका जा सकता है। यह ज्यादा भयंकर चीज नहीं है, अगर प्रापर प्रोस्पैक्टिव प्लानिंग हो जाये तो इसका स्थायी रूप से हल निकाला जा सकता है। इसके लिए योजना बनानी चाहिए।

एक तरफ कहा जाता है कि बाढ़ आती है, दूसरी तरफ अकाल हो जाता है। क्यों नहीं बाढ़ का पानी अकाल के क्षेत्र में दिया जा सकता है। उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, प्रापर सर्वे करना चाहिए और इंटर-लिंकिंग होनी चाहिए। लेकिन यह होता नहीं है, इसलिए सूखा पड़ता है।

यह बात ठीक है कि हमारे मंत्री जी सक्षम हैं, सफल भी हुए हैं और किसानों के प्रति हमदर्दी भी उनके दिमाग में है। हमारे इरिगेशन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, जो इरिगेशन पोटेंशियलिटी बढ़ाते हैं। यदि ये दोनों मिनिस्टर मिल कर काम करें तो मैं समझता हूं कि बाढ़ और अकाल दोनों से निपटा जा सकता है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे कहीं पर बाढ़ आती है और कहीं पर सूखा पड़ता है, तो उस बाढ़ के पानी को सूखा के क्षेत्र में डालने का प्रबन्ध करना चाहिए। इस प्रकार अकाल नहीं आएगा और उधर बाढ़ भी कम हो जाएगी। मेरा सुझाव है कि इस साल इरिगेशन प्रोग्राम को भी लिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए, सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। पहली, राजस्थान हमेशा अकाल से प्रभावित रहता है, इसलिए इस प्रदेश को अधिक से अधिक राशि दी जानी चाहिए। दूसरा, मैं ट्राइबल क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं, मैंने

संथाल परगना देखा और दूसरे क्षेत्र देखे हैं, ट्राइबल सदस्य कुछ कहें या न कहें, लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं वहाँ बहुत ही गरीबी व्याप्त है ।

मैं भी उनकी मांगों का समर्थन करूंगा और उनसे इनकार नहीं किया जा सकता । इसलिए, हमें देखना यह है कि जनशक्ति का उपयोग करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाए जाएं । इसके साथ ही ऊंची पहाड़ियों से बह रहे पानी को भी रोका जाना चाहिए और समुचित रूप से उसका उपयोग किया जाना चाहिए । जिन क्षेत्रों में डैम्स हैं, उनको उनका फायदा भी होना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आवंला) : माननीय सभापति जी, एक देवता के गुस्से से और एक देवी की अयोग्यता से हमें बाढ़ और सूखे के प्रकोप का सामना बहुत भयकर रूप से करना पड़ रहा है । जब इन्द्र भगवान ज्यादा गुस्से में आते हैं तो कहीं पर ज्यादा बाढ़ आती है और कहीं पर ज्यादा सूखा पड़ता है और श्रीमती इदिरा जी, देवी जी, उस प्रकोप का सामना जिस प्रकार से करना चाहिए नहीं कर पाती हैं । बाढ़ के बाद, सूखे के बाद, हम उस समस्या से कैसे निपटें, इस समस्या का समाधान आज इसलिए नहीं हो पाता कि इतनी दूरी हम यहां पर अपने सदन में बैठे कृषि मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी के बीच में देख रहे हैं, जितना दूरी उनकी नीतियों में हैं । हमें खर्चा तो करना होगा, तब हम जाकर बाढ़ और सूखे की समस्या का समाधान कर सकते हैं । सूखे से निपटने के लिए हमारे सामने सबसे बड़ी दो दिक्कतें आती हैं । सिंचाई के लिए पानी और पीने के लिए पानी । सिंचाई के लिए पानी इसलिए नहीं मिल पाता क्यों हम 35 सालों में इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं, जिससे सिंचाई के साधन बढ़ें । आप देख लीजिएगा कि बाढ़ खत्म हुई और हमारी नहरों में पानी नहीं । ट्युबवेल्स ज्यादातर बेकार पड़े हुए हैं । किसी के मोटर जले हैं, किसी का लिफ्ट इरीगेशन काम नहीं कर रहा है । नहरों में पानी नहीं जाता है ।

मैं बदायुं और बरेली जिले में रात-दिन जाकर देखता हूं कि सैकड़ों ट्यूबवेल्स ऐसे हैं जिनके मोटर नहीं हैं । ये सरकारी ट्यूबवेल्स की हालत है । मोटर को बनाने की व्यवस्था नहीं है । बहुत बड़ी संख्या में ट्यूबवेल्स खराब पड़े हैं और जो चल रहे हैं उनको बिजली नहीं मिल पाती । बिजली किस समय आयेगी, यह पता ही नहीं होता । किसान सो रहा है तो कभी रात को बिजली आ गयी, किसी दिन दिन में आ गयी, कभी एक घंटे को और कभी दो घंटे को आ गयी । यह तो फसल की बुवाई का समय है । लोग बुवाई में लगे हैं लेकिन उन्हें बिजली नहीं मिल पा रही है । फिर किसान कैसे सिंचाई करके अपनी फसल को बोए ? यह एक गम्भीर समस्या हो गयी है । इससे हमको बहुत मेहनत और सूझबूझ के साथ निबटना चाहिए ।

आप सिंचाई के साधनों को बढ़ाएं। लेकिन जो मौजूदा साधन हैं उनका भी आप सदुपयोग करें। उन्हें आप बन्द न रखें। बिजली की आपूर्ति और सप्लाई इस ढंग से करते रहें कि हमारे लिए सिंचाई के साधन कायदे से उपलब्ध रहें। खास तौर से इस समय जब कि रबी की फसल बोनी है। इस समय पानी की कमी न आये।

आप बता देते हैं कि हमने इतने सिंचाई के साधन बनाए हैं। लेकिन उनमें आप उनको भी जोड़ लेते हैं जो ट्यूबवेल्स बन्द हो गए हैं, जो अपनी क्षमता से बहुत कम फीसदी काम कर रहे हैं, बहुत से ट्यूबवेल्स तो बिल्कुल बैठ गए हैं, बहुतों की नालियां टूट गयी हैं, पानी दूर तक नहीं जा पाता है। किसी ट्यूबवेल की क्षमता तीन-चार साल की होती है। उसके बाद उसकी क्षमता घटती चली जाती है। हमारे यहां ट्यूबवेल्स दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल पुराने हो गए हैं। इन पुराने ट्युबवेलों की क्षमता बहुत घट गयी है। हमने इन ट्युबवेलों की क्षमता को नहीं आंका है। हमें इनकी क्षमता को भी आंकना पड़ेगा तभी इस देश को सूखे की समस्या से निबटा जा सकेगा। इसमें इन्द्र भगवान का दोष नहीं है। इसमें इन्दिरा देवी जी का दोष है। उनको ही इस पर ध्यान देना पड़ेगा। (व्यवधान) हम तो वही कहेंगे तो हमें नजर आयेगा।

एक राजा के सामने प्रजा रोटी मांगने गयी। राजा ने प्रजा से कहा कि अगर तुमको रोटी नहीं मिलती तो डबलरोटी खाओ, पूरी खाओ। हम सूखे से पीड़ित लोगों को भोजन चाहिए, काम चाहिए, तो आप कहते हैं एशियाड देख कर तसल्ली कर लो। आप डबलरोटी की जगह एशियाड गेम्स दे रहे हैं।

1980 में हम सूखे के शिकार थे, 1981 में बाढ़ के शिकार हुए और इस वर्ष 1982 में बाढ़ और सूखे दोनों के शिकार हैं। इन परिस्थितियों में हमें बड़े योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। यह ठीक है कि हम प्रकृति के प्रकोप का पूरी तरह से मुकाबला नहीं कर सकते हैं लेकिन इसे बहुत बड़ी सीमा तक हम नियंत्रित कर सकते हैं। जिस प्रकार से इलाहाबाद से हावड़ा और हल्दिया तक आप गंगानदी को गहरा करने जा रहे हैं, उसी प्रकार से आप देश की अन्य नदियों को भी आप गहरा करने का प्रयास करें ताकि उनमें पानी रोकने की क्षमता काफी हो। इससे वे हमारा जलमार्ग भी बन जाएंगी। इसके साथ ही हमारे वेस्ट बंगाल के भाई भी प्रसन्न होंगे कि इनसे मछली का उत्पादन भी बढ़ेगा।

बाढ़ से राहत दे देना ही काफी नहीं है। आप राज्यों को राहत कार्य के लिए धनराशि दे देते हैं। राज्य सरकारें जिला प्रशासन को बांटने के लिए दे रही हैं। लेकिन आप देखिए यह राहत किस प्रकार से बांटी जा रही है? जिनको आवश्यकता है, उनको

वह नहीं मिल रही है। जिनके मकान गिर गये हैं, जो तबाह हुए हैं उनको राहत नहीं मिल पा रही है। बरेली और बदायूं के हजारों किसानों ने दरख्वास्तें दीं, पर किसी को राहत नहीं मिली। कानूनगो या पटवारी जिसके बारे में लिख देता है, उसको मिल जाती है। बाकी लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है और हजारों एप्लीकेशंस जिलाधीशों के यहां पड़ी हुई हैं। जिला अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास जो लिखकर आया है, उसके अलावा हम कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि केन्द्र की तरफ से एक स्क्रीनिंग देहातों में होनी चाहिए, जहां पर बाढ़ और सूखे की विभीषिका है और उनकी सुविधाओं का इन्तजाम किया जाना चाहिए। आज वहां पर अनाज नहीं है, मिट्टी का तेल नहीं है, चीनी नहीं है। मिट्टी का तेल न होने की वजह से वहां रात को रोशनी नहीं होती है। बाढ़ के समय तो हालत और खराब थी। इसी प्रकार आप नावों का इंतजाम उस समय करते हैं जब बाढ़ आ जाती है। आपको पहले से ही एक दल को तैयार रखना चाहिए। उत्तरप्रदेश के नाविकों ने लिखकर भी दिया था कि वे मुफ्त सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि आप तो ठेकेदारों के जरिए यह काम करवाते हैं। ठेकेदारों को 80 रुपया मिलता है, लेकिन बेचारे नाविक को 10 रुपए ही मिलते हैं। इसलिए आप ऐसे नाविकों को पहले से ही तैयार रखिए, इससे आपका पैसा भी कम खर्च होगा और लोगों को सुविधा भी अधिक मिलेगी।

नदियों से पानी लेकर लिफ्ट इरीगेशन के जरिए अच्छी सिंचाई होती है, लेकिन लिफ्ट इरीगेशन के बहुत से काम बंद हैं। मंत्री जी आदेश देते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं किया जाता। बदायूं जिले में एक बड़ी नदी से नहर निकलती है, कई महीनों से वहां लिफ्ट इरीगेशन के जरिए पानी के संचालन की प्रक्रिया बंद है। लोगों की धान और मूंगफली की फसल सूख रही है। फसल चौपट हो रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रहा है। रोज रेडियो बोलते हैं, सरकार आश्वासन देती है कि हमने लगान की वसूलियां रोक दी हैं, कर्जे की वसूलियां रोक दी हैं, लेकिन जिला प्रशासन अपने कर्मचारियों को हिदायत देता है कि जल्दी से जल्दी पैसा वसूल किया जाए। सूखा पीड़ित लोगों से बाढ़ पीड़ित लोगों से अधिक सख्ती से पैसा वसूल किया जा रहा है।

किसानों का जो पैसा बाकी है, वह उसको मिलना चाहिए। गल्ले का और गन्ने का करोड़ो रुपया बकाया है। शेखूपुर, बदायूं सहकारी चीनी मिल में किसानों का डेढ़ करोड़ रुपया बाकी है। किसान को फसल बोनी है। उसको पानी चाहिए, बीज का इंतजाम करना है, खाद का इंतजाम करना है, मजदूर के लिए पैसा चाहिए। डेढ़ करोड़ रुपया जहां किसानों का बाकी हो, कहां से वह सारी सुविधाएं जुटा पाएगा ? सरकार सुविधा नहीं दे पा रही है। इसलिए बदायूं का किसान 19 तारीख से जेल भरो आंदोलन शुरू कर रहा है।

मैं ज्यादा न कह करके खास तौर से बाढ़ रोकने के लिए और सूखे से कैसे निपटा जाए, इसके लिए कुछ कहना चाहूंगा। इसको देखने के लिए एक संसदीय समिति बनाई जाए, जो इन सब चीजों को देखे। क्योंकि नौकर शाही के हाथ में आपने सारी व्यवस्था दे रखी है, उसको कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उसे जनता से वास्ता नहीं रहता।

इसी प्रकार दूसरे देशों, जैसे केलोफोर्नियां आदि ने बाढ़ पर नियंत्रण किया है, उनसे हमको सीखना चाहिए। अंत में मैं फिर वही कहूंगा कि हे इंद्र भगवान रहम करो, हे इंदिरा देवी रहम करो ताकि देश का कल्याण हो।

श्री के०टी० कोसलराम (तिरुचेंडूर) : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया।

महोदय, मेरे माननीय मित्र, साम्यवादी मार्क्सवादी नेता, श्री मुखर्जी अभी-अभी पश्चिम बंगाल सरकार तथा वहां के मुख्य मन्त्री के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए बोले हैं तथा उस दल के संसद सदस्यों और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समन्वय के बारे में भी बोले हैं। महोदय, दुर्भाग्यवश मेरे राज्य तमिलनाडु में मुख्य मन्त्री अपने दल के सदस्यों को किसी गम्भीर समस्या के बारे में कभी पत्र नहीं लिखते है। इसके बजाय, वह भारत सरकार की निन्दा करते हुए तमिलनाडु राज्य में हड़ताल और भारत व्यापी बन्द आयोजित कर रहे हैं। परन्तु मेरे माननीय मित्र राव बीरेन्द्र सिंह साहिब यहां पर उपस्थित हैं। राव वीरेन्द्र सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या श्री एम०जी० रामचन्द्रन की सरकार ने कभी आपको कोई पत्र लिखा है, आपको कोई ज्ञापन भेजा है जिसमें आपसे लाखों टन खाद्यान्न के बारे में अनुरोध या मांग की गई हो, कृपया इसका उत्तर दीजिए। उनके मुख्य सचिव वक्तव्य जारी कर रहे हैं और मुख्य मन्त्री स्वयं असंगत रूप से कह रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार हमारी देखभाल नहीं कर रही है। उन्होंने यह आरोप लगाया है। परन्तु मैं पश्चिम बंगाल सरकार को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने इस सभा के माननीय सदस्यों के साथ समन्वय बनाए हुए हैं। ए०डी०एम०के० के मेरे मित्र यहां हैं। वे बतायें कि उनको उनकी सरकार से कितने पत्र मिले हैं और तमिलनाडु में क्या स्थिति है। मैं वास्तविक स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं।

महोदय, प्रत्येक सदस्य ने उत्तरी भारत के बाढ़ प्रभावित भागों तथा दक्षिण भारत के सूखा प्रभावित भागों के बारे में विचार व्यक्त किए। आप इस समस्या का समाधान किस प्रकार करेंगे ? मेरे माननीय मित्र ने अभी-अभी बताया कि इस प्रश्न की जांच करने के लिए संसदीय समिति होनी चाहिए। 'संसदीय समिति' का मतलब है मजाक। मेरे मित्र श्री केदार पांडे और राव बीरेन्द्र सिंह मेरे साथ इस बात पर सहमत होंगे कि इसे कैसे किया जाए, यह एक समस्या है। आप सभी नदियों को राष्ट्रीय जल-मार्ग और राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करें। तब ही आप देश की अखडता बनाए रख सकते हैं। यही मुख्य बात है।

मेरे मित्रों ने इन सभी बातों पर विस्तृत प्रकाश डाला है और मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। परन्तु आप प्रतिवर्ष एक ओर सूखे के लिए और दूसरी ओर बाढ़ के लिए 14,00 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। यह सच है और सरकार इससे इन्कार नहीं कर सकती। अतः इसका एक ही उपाय है कि प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में कोई सलाहकार समिति गठित की गई है। यह सब मजाक है। कितनी समितियाँ गठित की जा चुकी हैं। श्री पांडे जी, मैं आपको बता रहा हू कि प्रधान मन्त्री ने एक तकनीकी समिति गठित की है और योजना आयोग ने भी एक तकनीकी समिति गठित की है। पश्चिम की ओर बहने वाली सभी नदियों का पानी समुद्र में जाता है। सिंचाई समिति के प्रतिवेदन के अनुसार दस लाख हेक्टर भूमि में सिंचाई की जा सकती है। समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है, केरल सरकार ने अपनी सहमति दे दी है और कर्नाटक सरकार ने भी सहमति दे दी है। परन्तु अन्ततोगत्वा होता क्या है? समिति का प्रतिवेदन कहाँ है? क्या आप इस गरिमायुक्त सभा के समक्ष सभी समितियों के प्रतिवेदन रखेंगे? भारत के प्रधान मन्त्री द्वारा सभी राज्यों की सहमति से ये समितियाँ नियुक्त की गई थीं। परन्तु आप इनकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने की स्थिति में नहीं हैं। तरह-तरह की समितियाँ नियुक्त करने का क्या फायदा है? यह बहुत बड़ा मजाक है। हमारे दल की यहाँ संख्या पूरी है। मैं नहीं समझता कि अन्य विपक्षी दल इसका विरोध करेंगे? मेरे मित्र श्री मुखर्जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया है। अतः मैं नहीं समझता कि इसका कोई विरोध करेगा। आप दृढ़तापूर्वक निर्णय कीजिए।

सिंचाई समिति ने अपना प्रतिवेदन 1975 में प्रस्तुत किया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ननगुनारी सतंगकुलम और कोइल पट्टी तथा संकरन कोई सदैव सूखे से प्रभावित रहते हैं। इस पर राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार को ध्यान देना चाहिए। समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किए सात वर्ष हो गए हैं परन्तु अधिकारीगण इस मामले पर सो रहे हैं और उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं इस मामले को सदा से सभा और मन्त्री जी, श्री पांडे के ध्यान में ला रहा हूं। अन्य सभी तालुकों में से ननगुनारी सबसे अधिक अकाल से पीड़ित है। वहाँ पचियार नहीं है। मैं 1946 से उनके बारे में स्थानीय विधान सभा में आवाज उठा रहा हूं।

एक और नदी है, मणिमुतियार। जैसाकि तत्कालीन लोक निर्माण विभाग मन्त्री, मद्रास राज्य की इच्छा थी, मैंने जनता से 1.25 करोड़ रुपए का ऋण उगाहा। हमने वह राशि सरकार को दे दी। साठ एकड़ में सिंचाई की गई है।

जहाँ तक पचियार का सम्बन्ध है, एक ऐसी ही योजना थी। मैंने समारोह में मुख्य सचिव से कहा कि मैं कृषकों से 5 करोड़ रुपए एकत्र करने के लिए तैयार हूं। कृपया इस योजना को क्रियान्वित कीजिए। इसे आरम्भ क्यों नहीं किया गया है? मेरे

मित्र डा० करुणानिधि ने बताया कि योजना आयोग और इंजीनियरिंग विभाग की अनुमति के बिना वह अपनी अंगुली भी नहीं रख सकते। उन्होंने शिलान्यास किया था।

तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री, मेरे मित्र श्री एम०जी० रामचन्द्रन ने बताया कि 3000 फुट से ऊपर कुछ प्रकार के बन्दर हैं। बन्दर मानव से अधिक महत्वपूर्ण हैं। बांध का स्थल 3000 फुट से नीचे है। वन्य जीव अधिनियम इसके बीच में आ रहा है। अन्त में मेरे मित्र श्री स्वामीनाथन ने मुझे बताया कि वह योजना क्रियान्वित करने के लिए वन्य जीव अधिनियम से हटकर कार्यवाही करने के लिए तैयार है। तीन दिन पहले कृषि मंत्री ने लिखित उत्तर दिया था। उन्होंने बताया, 'राज्य सरकार इस योजना को बिल्कुल नहीं चाहती है। यह स्पष्ट उत्तर था। वहाँ ऐसी बात है।

लोकतंत्र में आज, श्री एम०जी० रामचन्द्रन मुख्य मन्त्री हैं। कल कोई और मुख्य मन्त्री बन सकता है। संविधान में व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति मुख्य मन्त्री और प्रधान मन्त्री बन सकता है। चूंकि श्री करुणानिधि ने शिलान्यास किया इसलिए वह योजना को क्रियान्वित करना नहीं चाहते। यह प्रवृत्ति गलत है।

मेरे मित्र, श्री राव यहाँ हैं। उनके सहयोगी, श्री स्वामीनाथन ने एक दिन स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया था कि यदि तमिलनाडु सरकार वन्य जीव अधिनियम के उपबन्धों से छूट देना चाहती है तो इसकी जांच करना संभव है। इसी तालुका में एक 'रैकेट' योजना है। श्री राव ने छूट दे दी है। वन रक्षा विभाग को सौंप दिया गया है। 3000 फुट से ऊपर कार्य हो रहा है।

मद्रास में सार्वजनिक बैठक की भारी भीड़ को सम्बोधित करते हुए एक दिन प्रधान मन्त्री ने कृष्णा नदी जल प्रदाय योजना की घोषणा की थी ताकि मद्रास में जल के गम्भीर संकट को सदा के लिए दूर किया जा सके। अब, मेरे मित्र, श्री एम०जी० रामचन्द्रन, मुख्य मन्त्री, तमिलनाडु उस योजना को नहीं चाहते हैं। उनके अनुसार यह बहुत मंहगी योजना है परन्तु वह बरसाती नदियों से पानी लाने में करोड़ों रुपए खर्च करना चाहते हैं। ऐसी नदियों से कभी-कभी तो पानी आ सकता है, कभी-कभी नहीं आता। वह मद्रास से 150 मील दूर से पानी लाकर ऐसी योजना क्रियान्वित करना चाहते हैं। परन्तु उनका प्रचारक, समाचार-पत्र माननीया प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की कृष्णा जल योजना क्रियान्वित न करने की आलोचना कर रहा है। इसे क्रियान्वित करना राज्य का काम है। भारत सरकार ने आश्वासन दिया। प्रधान मन्त्री ने आश्वासन दिया। परन्तु वह नहीं चाहते कि मद्रास नगर के लिए कृष्णा नदी जल का उपयोग किया जाये।

मेरे मित्र, श्री एम०जी० रामचन्द्रन सदैव दोहरी भूमिका अदा करते हैं। अब वह राजनीतिक रूप से भी दोहरी भूमिका अदा कर रहे हैं।

[श्री वी०एन० गाडगिल पीठासीन हुए]

एक और बात यह है कि खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र, तंजौर और त्रिचनापल्ली सूख रहे हैं। श्री एम०जी० रामचन्द्रन के एक मित्र, स्व० श्री देवराज अर्स ने योजना आयोग की स्वीकृति के बिना तीन बांध बना लिये। वह श्री एम०जी० रामचन्द्रन के गुरु थे। श्री केदार पांडे यह देख सकते हैं कि सरकार की अनुमति के बिना 200 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर छोटा-सा पुल बनाने के लिए भी आपको योजना आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है।

लेकिन, यहाँ, कर्नाटक में कावेरी नदी पर तीन बांध—हेमन नदी, हरिंगी और काविनी नदी पर बनाए गए हैं। अब सभी बाँध पूरे भरे हैं। सौभाग्य से मेरे मित्र श्री गुंडूराव तमिलनाडु को 10 टी०एम०सी० जल दे रहे हैं। मैंने आपको पहले ही प्रति-वेदन दिया था। नदी में काफी जल है। केन्द्र से निवेदन करने की बजाए श्री एम०जी० रामचन्द्रन राजनीतिक प्रदर्शन कर रहे हैं और बन्द का आयोजन कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा कावेरी विवाद की पिछली बैठक के दौरान, अन्य सभी मुख्य मन्त्रियों ने उसमें भाग लिया था। लेकिन श्री एम०जी० रामचन्द्रन ने बैठक में भाग लेने नहीं आए। वह इस प्रकार की रुचि का प्रदर्शन कर रहे हैं।

मैं श्री केदार पांडे जी से निवेदन करता हूं कि वह कर्नाटक के मुख्य मन्त्री श्री गुंडूराव से अधिक पानी जारी करने के लिए कहें, तमिलनाडु में स्थिति से निपटने के लिए राज्य को कम से कम 30 टी०एम०सी० जल दें।

इसी प्रकार, आंध्र प्रदेश सूखे से पीड़ित है। ऐसे ही राजस्थान में है, जहाँ यह सबसे भयंकर है। पश्चिम बंगाल के विषय में भी, मेरे मित्र ने पहले ही स्पष्ट किया है। अतः भारत सरकार को इस मामले में तमिलनाडु सहित सभी राज्यों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। महोदय, मुख्य मन्त्री को जनता की कोई चिन्ता नहीं है। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। जनता आपके साथ है। आप कृपया कावेरी नदी जल देकर उसे बचाएं। धन्यवाद।

श्री चतुर्भुज (झालावाड़) : सभापति महोदय, प्राकृतिक संकट का मुकाबला यदि इस विज्ञान युग में नहीं कर सकते हैं तो हम कब करेंगे ? यह सबसे बड़ा अहम सवाल हमारे सामने हैं। सरकार चाहें उधर की हो, या इधर की बने। लोकतंत्रीय पद्धति में जन-कल्याणकारी सरकारें होती है। मैं ऐसा कहकर आप पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। लोकतंत्रीय व्यवस्था कायम होने के पश्चात् हमारे देश में सरकार ने कुछ सफलताएं भी प्राप्त की हैं। अनेक पौधों का निर्माण किया गया है। लेकिन यदि हम अपने पिछले कार्यों के इतिहास को उठाकर देखें तो हमें वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा। मैं आपको राजस्थान की एक मिसाल देना चाहता हूं। उदाहरण के लिए आप भीम सागर बांध को ही ले लीजिए। सन् 1942 में उसकी नींव पड़ी थी और आज 1982 साल तक उसका

कार्य पूरा नहीं हो पाया है। फिर आप कहते हैं कि सूखे की स्थिति पैदा हो रही है। हम किस प्रकार से खेतों के अन्दर पानी पहुंचाएं, कैसे हर खेत को पानी देकर हर हाथ को काम दिलायें। इस विषय में हमारे पास कोई योजना नहीं है। हमने कभी इस विषय पर चिन्तन नहीं किया, कभी इसे गम्भीरता से नहीं लिया। क्या आप ऐसी किसी योजना के अभाव में सूखे का मुकाबला कर सकते हैं, बाढ़ और आर्थिक संकट का मुकाबला कर सकते हैं।

मैं आपको राजस्थान का ही दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहाँ एक और हरिश्चन्द्र सागर पर बाँध बनाया जा रहा है। वह भी 1952 में बनना आरम्भ हुआ था और अभी तक उसका कार्य शेष रहता है। बड़ा थोड़ा-सा पैसा लगाकर उस काम को पूरा करवाया जा सकता है, लेकिन उसका कोई चिन्तन नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार तीसरा मनोहर थाना बांध है, जो राजस्थान में बनने वाला है। लेकिन आज तक उसका सर्वे कार्य भी कम्पलीट नहीं हो पाया है। 1952 में वह कार्य आरम्भ किया गया था और अभी तक चल ही रहा है। इस तरह की हमारी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं। यदि आप इतिहास के पन्नों को देखें, सरकार के पिछले कार्यों को उठाकर देखें कि वास्तव में हम कहाँ खड़े हैं। जबकि दूसरी ओर हमारा विज्ञान आज शुक्र गृह की ओर जा रहा है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं, जिनको दुनिया ने ठुकरा दिया है, उठाकर बाहर निकाल दिया है, लेकिन फिर भी वे उन्नति कर रहे हैं। आप इजराइल का ही उदाहरण देख लीजिए। उसे रेगिस्तान में बसा दिया गया। इसके बावजूद वह आगे बढ़ रहा हैं और वहाँ की सरकार सारी दुनिया के देशों को चैलेंज दे रही है। आज उसको कोई मानने को तैयार नहीं है। दुनिया का वह छोटा सा देश, जिसको विश्व ने ठुकरा दिया है, विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे निकल गया है कि सारे विश्व को चेलेंज दे रहा है। चाहे हमारी प्रधान मन्त्री उस पर अपना रोष क्यों न प्रकट करें, रूस कुछ भी कहे, अमेरिका अपना रोष प्रकट करें, लेकिन उसको किसी की चिन्ता नहीं है। चाहे उसके ऊपर कोई भी संकट आये। वह किसी के आगे नहीं झुकना चाहता। मैं आपसे यह निवेदन इसलिए कर रहा हूं, आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप किसी प्रकार की चिन्ता मत कीजिए, क्योंकि आज हमारी सारी नदियों का पानी व्यर्थ समुद्र में चला जाता है और अपने साथ हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति को भी अपने साथ ले जा रहा है। उसके साथ हर बार करोड़ों मवेशी बहकर चले जाते हैं, और करोड़ों मकान गिरते हुए चले जा रहे हैं। हमारे सामने जो संकट आज उपस्थित हो रहा है, चाहे वह बंगाल का संकट हो, चाहे उत्तर प्रदेश का और चाहे राजस्थान का संकट हो या और कहीं का, वह एक ही है। मोरनी डैम का उदाहरण ले लीजिए। हमारे जितने भी बाँध बनते हैं, उनमें जो इन्जीनियर्स कार्य करते हैं, उनकी कार्य-कुशलता के अभाव के कारण ही हमारे देश में बाढ़ें आती हैं। कुल बांधों में से 1/3 भाग बाँध ऐसे हैं, जिनके कारण हमारे यहाँ हर बार कुछ न कुछ नुकसान होता रहता है, वह हमारी

जमीनों को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी यहां पर मैंने देश के हिस्सों में बाढ़ या सूखे के कारण नुकसान के आंकड़े जानने के सम्बन्ध में एक स्टार्ड प्रश्न किया था, जिसके उत्तर में राजस्थान का नाम गायब है। इसका मतलब है कि राजस्थान में कोई बाढ़ आई ही नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में अटरू, छबड़ा, छीपाबड़ोद असनावर, सवाई माधोपुर, मनोहर थाना आदि कई क्षेत्र पानी में डूबे हुए हैं। हमारे मुख्य मन्त्री महोदय वहां पर हैलीकोप्टर से फूड गिरा रहे थे। फिर यहां पर शेजवलकर जी ने स्टार्ड प्रश्न संख्या 182 किया तो उसके उत्तर में कृषि मन्त्री महोदय ने उत्तर में बताया कि वहां के लिए कोई योजना ही बनाकर नहीं भेजी गई है। पहले योजना बनाइए, फिर उस पर विचार किया जाएगा। यानी आदमी कल मर गया है और आज उसको जिन्दा करने की तैयारी की जा रही है।

यदि आप इन संकटों से मुक्ति चाहते हैं तो आपको कोई न कोई राष्ट्रीय चिन्तन इस दिशा में करना होगा। तभी हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। सिर्फ प्रशासन की ओर से जैसा उत्तर आपके पास भेजा गया, आपने उसी को उठाकर सदन के पटल पर रख दिया, इस प्रकार से हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ज्यादा लम्बे चौड़े विस्तार में न जाकर मैं कुछ बातों पर ही प्रकाश डालना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, 35 वर्षों तक यदि हम कुछ करना चाहते तो बहुत कुछ सफलता की ओर बढ़ सकते थे। लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि हम सफलता की ओर न बढ़कर दूसरी ओर जा रहे हैं। वैसे हमारा देश जागृत अवस्था में है। चारों ओर से मांग उठ रही है। पिछले वर्ष हमारे कृषि मन्त्री जी जब राजस्थान गए थे तो उस समय वहां पर पीने के पानी का घोर संकट पड़ा हुआ था। वहां पर उनसे हमने निवेदन किया था कि राजस्थान के लिए रिग्स वगैरह की व्यवस्था करवाई जाए ताकि पानी की समस्या का समाधान किया जाए।

क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि उनकी आज्ञा का पालन किया गया, कितने गांवों में पीने के पानी की समस्या का समाधान किया गया। जैसाकि वहां के मुख्य मन्त्री का स्टेटमेंट आया है, राजस्थान के अन्दर स्थिति यह है कि 35 हजार गांवों में से 23 हजार गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, सूखे से प्रभावित हैं। कोई योजना उनके पास नहीं है। श्री राम सिंह जी ने राजस्थान के अन्दर नहर के बारे में एक सर्वे कराया था कि कितना घोटाला किया। उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें यह कहा गया कि 200 करोड़ रुपए का घोटाला दो साथ इन्जीनियर्स ने किया है। उन्होंने माना है कि राजस्थान नहर के अन्दर घोटाला हुआ है। मेरा निवेदन है कि जो हमारी कड़ी मेहनत का पैसा है, जो छोटे और गरीब आदमियों द्वारा हर स्तर पर टैक्स देकर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को देती है। उसका कितना उपयोग होता है। यदि मन्त्री महोदय इसकी रखवाली कर लें तो वे सूखे और बाढ़ की समस्या का मुकाबला कर सकते

हैं। यदि हमने यह रवैया रखा कि 200 करोड़ रु० का घोटाला होने के पश्चात् भी आपने राजस्थान सरकार से इस बारे में नहीं पूछा, उन दो सौ इन्जीनियर्स को सस्पेंड नहीं किया, टरमिनेट नहीं किया तो यह एक परिपाटी बन जाएगी, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। जिस प्रकार देश के साथ गद्दारी करने पर मृत्यु दंड दिया जाता है, उसी प्रकार की व्यवस्था इनके लिए भी होनी चाहिए। राजस्थान नहर राजस्थान को ही अनाज नहीं दे सकती है बल्कि वह सारे देश को पेट भर कर दे सकती है। इस योजना को यदि आपने ठीक ढंग से नहीं लिया तो आप प्राकृतिक विपदा का मुकाबला नहीं कर सकते हैं।

यह मांग बहुत पुरानी है कि पशु-पक्षियों का बीमा करवा दिया जाए। मुझे इस बात का दुःख है कि जो सारे देश को अनाज खिलाते हैं, उनके खेतों की फसल का कोई बीमा नहीं है। केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई योजना नहीं है।

श्री रामप्यारे पनिका : किसान प्रिमीयम कैसे देगा, इस बारे में सुझाव दीजिए।

श्री चतुर्भुज : मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मवेशियों का बीमा करना चाहिए। बीमे को आप कम्पलसरी कर दीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, किसान ही आपको देगा। मोटर एक्सीडेंट, रेल एक्सीडेंट और हवाई जहाज एक्सीडेंट पर आप एक-एक लाख रुपया देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि सूखाग्रस्त और बाढ़ग्रस्त से जब खेतों की फसलें चौपट हो जाती हैं, तब आप उनको क्या देते हैं। मुआवजे के रूप में जो आप उनको रकम देते हैं वह है 300 रु०। तीन सौ रुपए में क्या होता है। पेड़ की छाँव में वह अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। अभी हमारे प्रदेश के ससद सदस्य मंत्री बने हैं, श्री अशोक गहलोत, उनका स्टेटमेंट है कि रोहतक गांव के अन्दर आदिवासी घास की रोटी खा रहे हैं। यह तीन दिन पहले का स्टेटमेंट है। यह आपकी सरकार का स्टेटमेंट है। मैं आप से निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान के अन्दर यह जो आपकी कोआप्रेटिव सोसायटीज चल रही हैं ये भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई हैं। कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। आप इनमें से बेईमान आदमियों को चुनिये और उनसे निबटिये। अगर आप उनसे नहीं निबटेंगे तो कोई भी आपकी योजना पूरी नहीं होगी।

मैं एक बीज के वितरण के बारे में मंत्री जी से निवेदन करूंगा। जो यह शंकर ज्वार बीज है इसको लेकर राजस्थान विधान सभा में भी हंगामा हुआ था। यह बीज अनुर्वरक बीज है। इसमें साठ प्रतिशत भी उर्वरक शक्ति नहीं है। आपके केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों ने भी यहाँ से आदेश दिये कि इन बीजों को वितरित कर दिया जाए। इन बीजों का उपयोग करने से किसानों की फसल रह गयी है। ऐसी स्थिति में आप कैसे सूखे का मुकाबला करेंगे ?

फसल बोने के लिए आप किसान को दो घंटे भी बिजली नहीं देते हैं। आपके जो

अधिकारी, इंजीनियर लोग हैं ये आपको सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये ही बिजली का संकट पैदा कर रहे हैं। राजस्थान के अन्दर अगर आप बिजली नहीं देंगे तो आप वहां सूखे पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि हमने 18 हजार गांवों को बिजली दे दी है। लेकिन आप जरा पता कराओ कि किस-किस गाँव में बिजली पहुंची है। ट्रांसफॉरमर गांवों में पहुंचा दिये हैं लेकिन किसी भी गाँव को इलेक्ट्रिफाई नहीं किया गया है। एक गाँव के अन्दर कनेक्शन नहीं गया है। ट्रांसफोरमर दे कर कारपोरेशन ने फाईल पूरी कर ली है। किसी गांव में बिजली नहीं पहुंची है। फिर आप सूखे से कैसे मुकाबला करेंगे। इसलिए मंत्री जी इस सब पर गंभीरता से विचार करें। अगर आप राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सोचेंगे तभी आप इस संकट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं अन्यथा हम भाषण देते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, देश की जनता ऐसे ही कराहती आगे चलती रहेगी लेकिन उससे सूखे के संकट का मुकाबला नहीं होगा।

सभापति महोदय (श्री बी० एन० गाडगिल) : इससे पहले कि आप बोलना प्रारंभ करें, मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ 30 नाम दिए हुए हैं। अब यह आप में से प्रत्येक पर निर्भर है कि निर्णय करें। यदि आप बोलते रहे, तो हमें 12 बजे मध्यरात्रि तक बैठे रहना होगा। मेरा निवेदन है कि यदि आप इसे पहले समाप्त करना चाहते हैं तो कोई भी समय से अधिक न बोलें।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, राजस्थान प्रांत पांच वर्ष से अकाल से प्रभावित है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि वहां के 16 हजार गांव चार वर्ष से प्रभावित हैं, 5 हजार गांव गत पांच वर्षों से प्रभावित हैं और दूसरे गांव कोई दो-साल से और कोई तीन साल से प्रभावित हैं। इस प्रकार की स्थिति वहां है। इस तरह से हर वर्ष वहां लगातार कंटीन्युसली अकाल पड़ रहा है। इस वर्ष का अकाल तो पश्चिमी राजस्थान के लिए, रेगिस्तान के लिए, इस शताब्दी का सब से भयंकर अकाल है।

इस सूखे का मुकाबला करने के लिए राजस्थान सरकार की क्षमता नहीं है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने 20 जुलाई से कार्य बन्द कर दिए हैं और 20 जुलाई के बाद भी सूखे की स्थिति बनी हुई है। अगस्त में, सितम्बर में कोई अनाज पैदा नहीं हुआ है। इसके ऊपर से सूखा आ गया। फसलें नष्ट हो गई हैं और अभी तक कोई राहत कार्य नहीं चल रहे हैं। पहले भी अकाल था तो राहत कार्य सितम्बर में भी चले, अक्तूबर में भी चले, लेकिन अब राहत कार्य न चलने से बाड़मेर जिले की स्थिति यह है कि 15 हजार किसान और मजदूर वहाँ से कूच कर के अन्य क्षेत्रों में चले गए हैं, हरियाणा में चले गए हैं, पंजाब में चले गए हैं, गंगानगर में चले गए हैं, राजस्थान नहर में चले गए हैं, गुजरात के कच्छ में चले गए हैं। यह स्थिति हमारे क्षेत्र की है। राजस्थान सरकार ने इस बात की मांग की थी कि मार्च से लेकर सितम्बर तक हमें

जो राशि दी जाए वह 71 करोड़ रुपए दिए जाएं, क्योंकि इन दिनों लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि इस समय एक ही फसल होती है। इसलिए इस समय ज्यादा मजदूर लगाने पड़ते हैं इसलिए हमें अधिक मदद की जाए, परन्तु अध्ययन दल ने क्या किया ? 20 करोड़ 13 लाख रुपए की सीलिंग लगाई। नवम्बर से लेकर मार्च तक 23 करोड़ 13 लाख की सीलिंग लगाई, परन्तु जब ज्यादा जरूरत थी, उस समय 20 करोड़ 13 लाख की सीलिंग लगाई। अध्ययन दल को स्थिति की कुछ जानकारी नहीं है। आप पिछले दस वर्ष के आंकड़े देख लीजिए कि मजदूर किस समय ज्यादा लगते हैं। मजदूर लगते हैं मार्च से लेकर जुलाई तक और मई जून में सबसे अधिक मजदूर लगते हैं। कभी-कभी तो 10-10 लाख तक इनकी संख्या हो जाती है। राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए उसने 30 जुलाई को एकदम आदेश दिया कि राहत कार्य बन्द कर दिए जाएं और वे कार्य ऐसे बन्द हुए जो अधिकांश अधूरे थे। कहीं ग्रेवर नहीं हुआ है। ग्रेवर नहीं हुआ है तो पहले का जितना काम हुआ है वह सब बेकार हो जाएगा। करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं था, इसलिए वह स्थिति का मुकाबला नहीं कर सकी। इस स्थिति में, भयंकर अकाल की स्थिति में अगर आप मदद करना चाहते हैं तो अभी से मदद देना शुरू करें, क्योंकि मार्च से लेकर सितम्बर तक 58 करोड़ रुपया खर्च कर दिया है, 20 करोड़ रुपया उसको मिल गया है, अगर 38 करोड़ रुपया और उसको आप पहुंचा दें तब तो स्थिति का मुकाबला किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह 38 करोड़ रुपया दिया जाए, नहीं तो स्थिति डावांडोल हो जाएगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पशु मर रहे हैं। जैसलमेर में कुछ घास हुआ है, कुछ उस तरफ चले गए हैं, परन्तु दो महीने बाद वहां भी घास नहीं होगा और भयंकर संकट का सामना करना पड़ेगा। पशुओं को बचाने का प्रश्न राजस्थान सरकार के लिए बड़ा कठिन होगा। अभी भी चारा इतना महंगा है कि दो किलो चारा 2-2 रुपए में बिक रहा है। चारे के बारे में यह व्यवस्था करें कि जहां चारा हुआ है वहां पर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडीचर रेलवे डिपार्टमेंट वहन करे, तब जाकर सब्सीडाइज्ड होकर के चारा हमको मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। तीन महीने में स्थिति यह होगी कि पशुओं को बचाने के लिए रेलवे से मालगाड़ियों से ट्रांसपोर्ट कर के चारा भेजना पड़ेगा, तब इन मवेशियों को बचाया जा सकता है।

मार्जिन मनी 1.4.79 से पहले 10.19 करोड़ हुआ करता था जिसको उसके बाद घटा कर 7.74 करोड़ कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। इसका क्या कारण है। मजदूरों को रिलीफ देने वाली यह सबसे बड़ी आइटम होती है। इसको न जोड़ने का सैवेंथ फाइनेंस कमिशन ने निर्णय लिया था। आठवें फाइनेंस कमिशन के सामने इसके बारे में आपकी तरफ से प्रार्थना जानी चाहिए कि मजदूरी का एलीमेंट एम्प्लायमेंट में सब से महत्वपूर्ण एलीमेंट होता है, इसके बिना लोग बच नहीं सकते हैं, इस वास्ते इस पर

वह विचार करे। इसके बारे में मेरी भी उससे यही प्रार्थना होगी। लोगों को बचाने का यह प्रश्न है। अगर आप राज्य सरकार की इसमें पूरी तरह मदद नहीं करेंगे तो लोग बच नहीं सकेंगे।

मजदूरी तो आज पाँच रुपये दी जाती है मजदूरों को यह बहुत अपर्याप्त है और इसको सात रुपये किया जाना चाहिए।

ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम्ज को भी हाथ में लिया जाना चाहिए। आपको हर साल टैंकर्ज में पानी पहुचाना पड़ता है और इस पर आपका बहुत खर्च भी होता है। मैं समझता हूं कि इसके वास्ते आपको मिलिटरी की व्यवस्था भी टैंकरों के साथ-साथ करनी पड़ेगी। ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था हो इसके लिए आप रिजनल पाइप लाइज की व्यवस्था करें, ड्रिल्ज की व्यवस्था करें।

राजस्थान कैनाल का जो दूसरा फेज है इसको छठी योजना में पूरा किया जाना चाहिए। लिफ्ट कैनाल्ज के बारे में मेरा कहना है कि इसको मन्जूरी देकर हमारे क्षेत्र में पीने के पानी का तो कम से कम राजस्थान कैनाल से आप प्रबन्ध कर दें। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर आदि में अगर आप पीने का पानी नहीं पहुंचा सके तो आप किसी भी महत्वपूर्ण समस्या को हल नहीं कर सकेंगे।

घग्गर से भयंकर बाढ़ आती है और बहुत सा पानी वेस्ट हो जाता है। काफी गांव भी उस कारण तबाह हो जाते हैं। इसकी बैड पर एक कैनाल बना कर उसके पानी का सदुपयोग किया जाना चाहिए ताकि वह पानी वैस्ट न हो।

इस मामले में केन्द्रीय सरकार की बहुत भारी जिम्मेदारी है और उसको यह जिम्मेदारी वहन करनी पड़ेगी। जल्दी अध्ययन दल भेजा जाना चाहिए और राजस्थान सरकार की जो 38 करोड़ की मांग है, उसको पूरा किया जाना चाहिए। राहत कार्य शुरू किए जाएं। आज स्थिति यह है कि दो दिन में एक दफा ही लोगों को खाना मिलता है और घास तक वे खाने लग गए हैं। इस भयंकर स्थिति से उनको बचाने के लिए राजस्थान सरकार की आप को पूरी सहायता करनी चाहिए।

श्री भीम सिंह (झुन्झुनू) : मन्त्री महोदय ने जो चार अक्तूबर को वक्तव्य दिया था अकाल के बारे में उसको पढ़ कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। जिन प्रान्तों में अकाल की स्थिति है उनके नाम उन्होंने दिए थे। वैस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के नाम उन्होंने लिए थे लेकिन राजस्थान जोकि उनका पड़ौसी प्रान्त है, उसको बिल्कुल नजरंदाज कर दिया था। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने 2-8-82 को पार्लियामेंट के अन्दर ही अनस्टार्ड क्वेश्चन नम्बर 3729 का जो जवाब दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि राजस्थान में प्री मानसून में 87 लाख हैक्टर जमीन में क्राप बरबाद हुई है, पोस्ट मानसून में 74 लाख हैक्टर

जमीन की फसल बरबाद हुई है। इसी तरह पापुलेशन जो एफैक्टिड हुई उसकी फिगर्ज इन्होंने 167.71 लाख और 199.21 लाख बताई थी। इसी तरह से उन्होंने पशुओं की गणना भी की थी। प्री मानसून में 413 लाख कैटल और पोस्ट मानसून में 275.81 लाख कैटल की संख्या उन्होंने बताई थी। जब इतनी सारी फिगर्ज उन्होंने राजस्थान के बारे में बताई थीं तो राजस्थान कैसे उनकी नजर से बच गया, मैं समझ नहीं पाया और इसका मुझे अफसोस है और इस पर ताज्जुब भी है।

अब मैं कहना चाहता हूं कि करोड़ों रु० का नुकसान फसलों का अकाल में होता है, बाढ़ के अन्दर धन, जन और पशु समाप्त होते हैं। मैंने पिछले साल ड्राउट की बहस पर बोलते हुए कहा था कि अकाल, सूखा और बाढ़ को फेस करने के लिए पांच साला योजना की तरह एक लोंग टर्म प्लानिंग बनायी जानी चाहिए। मैंने सुझाव दिया था कि सूखा और बाढ़, दोनों मानसून से जुड़े हुए हैं। किसी जगह बरसात नहीं हुई तो सूखा पड़ गया और किसी जगह अधिक बरसात हो गई तो बाढ़ आ गई। बाढ़ की वजह से खास कर गंगा और यमुना नदियों से काफी तबाही होती है, और आगे जाकर उनकी सहायक नदियां तबाही मचाती हैं। तो भारत सरकार ने कुछ वर्षों पहले एक स्कीम बनाई थी कि जमुना के पानी को डाइवर्ट किया जाय और भरतपुर, अलवर के अन्दर सिंचाई के लिये उस पानी को दिया जाय। इसी तरह से गंगा के पानी की स्कीम थी कि उसको झनझुनू, सीकर, चूरू, नागौर, जोधपुर और बाड़मेर को डाइवर्ट करके पानी दिया जाना चाहिए। वह स्कीम बन तो ग. लेकिन अभी तक फाइलों में ही बन्द है। अगर राजस्थान के सूखे इलाके को पानी दे दिया जाय तो जो यू०पी० और बिहार में गंगा और यमुना महाप्रलय कर देती हैं उससे बचा जा सकता है और राजस्थान में सिंचाई उपलब्ध हो सकेगी। जिस प्रकार बिजली में ग्रिडिंग सिस्टम है वैसे ही नदियों का भी ग्रिड बनाइये ताकि बरबादी से बचा जा सके।

फेमीन पानी कमी से आता है। जब बरसात फेल हो गई तो अकाल हो गया। तो जहां-जहां नहरें दे सकते हैं वह दीजिए, और जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा राजस्थान कैनाल देश की सबसे बड़ी योजना है और इस योजना 25 साल हो गए बने लेकिन अभी तक चालू नहीं हो पायी है और 200 करोड़ रु० की कमी है जो आप राजस्थान कैनाल के लिए खर्च करने को नहीं दे रहे हैं। जबकि 2,000 करोड़ रु० आप एशियाड पर 15 दिन में खर्च कर देंगे, जैसे दिवाली में बच्चे पटाखे चला कर पैसा फूंक देते हैं उसी तरह से एशियन गेम्स 15 दिन में खत्म हो जायेंगे जिस पर 2,000 करोड़ रु० खर्च हो रहा है, लेकिन राजस्थान कैनाल को पूरा करने के लिए आप पैसा नहीं दे रहे हैं।

पिछले वर्ष मैंने कहा था कि राजस्थान के अन्दर बहुत सी जगह अन्डरग्राउन्ड वाटर पाटेंशियल है जैसे झुनझुनू और सीकर में 50,000 गैलन अन्डर ग्राउन्ड वाटर पाटेंशियल है, इसी तरह दूसरी जगह 1 लाख गैलन वाटर पाटेंशियल है तो आप इस पानी को निकालने

के लिए क्यों नहीं ट्यूबवैल कार्पोरेशन बनवाते ? अगर यू०पी०, हरियाणा और पंजाब में हो सकता है तो राजस्थान को क्यों नहीं बाध्य करते हैं कि वह भी ट्यूबवैल कार्पोरेशन बनाए। काश्तकार तो ट्यूबवैल नहीं बना सकते हैं क्योंकि उनकी होल्डिंग्स छोटी हैं। लेकिन सरकार तो बना सकती है, और जिस प्रकार से कैनाल का पानी आबपाशी चार्ज लगा कर देते हैं उसी तरह से ट्यूबवैल का पानी भी किसानों को दीजिए, चार्ज कीजिए पैसा उसके लिए, ताकि सिंचाई हो सके।

अब अकाल पड़ रहा है, दूसरा अकाल यह पड़ने जा रहा है क्योंकि खरीफ की फसल तो बरबाद हो गई, रबी की बोवाई का समय आ गया है वह भी बरबाद हो जायगी। बिजली की बहुत कमी है, और आपने खुद कहा है कि बिजली की शार्टेज है और रबी की फसल में बहुत परेशानी होगी। कृषि मन्त्री जी ने मुझे सैन्ट्रल हाल में कहा था कि आपने हिदायत भेज दी है कि 24 घंटे बिजली दी जाय।

मैं समझता हूं कि हिदायत पूरी होने वाली नहीं है। 24 घटों की बजाय अगर 8, 10 घंटे भी आप बिजली काश्तकार को दे दें तो हम बहुत आभारी होंगे और आपको बधाई देंगे। आप उसकी व्यवस्था कीजिये। अगर आप नहीं भी दे सकें तो आप सब स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को बाध्य कीजिए कि वह कितने घण्टे बिजली अपनी-अपनी स्टेट्स में देंगे, यह एनाउन्स कर दें ताकि काश्तकार बिजली जितनी मिलने वाली है उसके मुताबिक वह अपनी प्लानिंग कर सके। जो पैसा किसान आज इन-पुट्स पर खर्च कर देगा, अच्छे बीज और फर्टिलाइजर पर कर देगा और आप उसको बिजली नहीं देंगे तो वह क्या करेगा ? आप इस तरह से क्यों उसको लूटना चाहते हैं ? उसके पास जो पैसा है, उसको आप क्यों बर्बाद करना चाहते हैं। आप फर्म कमिटमैंट दीजिए कि इतने घण्टे बिजली देंगे। मेरा यह भी निवेदन है कि दिन में उसको बिजली दीजिए।

मुझे खुशी है, हमारे मोती भाई ने यहां कहा है कि गुजरात गवर्नमेंट ने एनाउन्स किया है कि दिन में बिजली देंगे। आप काश्तकारों को राजस्थान और हरयाणा में रात को देते हैं। रात को जब वह काम करता है तो क्यारी टूट जाती है, पानी बर्बाद हो जाता है, उसको खुले में काम करना होता है। जबकि इंडस्ट्रीज शैड में चलती हैं, उनको रात में बिजली देंगे तो उनका नुकसान नहीं होगा।

आपके फैमिन में रुपए की बर्बादी बहुत होती है, पिलफेज भी बहुत होता है अफसर पैसा खा जाते हैं। भारत सरकार पैसा प्रापरली यूटिलाइज नहीं होता है, उसका बहुत बड़ा भाग खराब जाता है।

काश्तकारों को बीज देने के बारे में एक छोटी सी मिसाल मैं अर्ज करना चाहूंगा। राजस्थान में टी-59 का बीज कोटा का था जो कि इस साल का तैयार हुआ था। उस बीज

को आगरे और यू०पी० के लिए भेज दिया गया। जोधपुर में टी-59 का बीज पिछले साल का तैयार था वह राजस्थान को दिया जा रहा है। आप राजस्थान और यू०पी० के काश्तकार में अन्तर क्यों कर रहे हैं? राजस्थान के काश्तकार को भी ताजा बीज दीजिये ताकि उसकी बर्बादी न हो।

बिजली ब्लड लाइन है। जैसे ब्लड हार्ट में नहीं जायेगा तो आदमी मर जायेगा। इसलिये काश्तकार को बिजली न देकर मारिए मत। बिजली की उसके लिए व्यवस्था कीजिए। अगर आप व्यवस्था न कर सकें तो उसे ना कर दीजिए कि हम नहीं दे सकते तो कम-से-कम वह अपना पैसा खर्च करके बर्बाद तो नहीं होगा।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर): सभापति महोदय, बाढ़ और अकाल का प्रकोप हमारे देश के लिए कोई नया नहीं है। सदियों से इस देश में बाढ़ आती रही है और अकाल पड़ते रहे हैं, लेकिन सबसे गम्भीर मामला इस बात को लेकर अब हो गया है कि पिछले अनेक वर्षों से बाढ़ और सूखे का पैटर्न बदल गया है। वैसे तो बाढ़ और सूखा इस बड़े देश में किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष आते रहे हैं लेकिन एक बड़े एरिये में और थोड़े अन्तर देकर बाढ़ और सूखे का आना यह एक नई बात है। इसके बारे में हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए।

1978 में भयंकर बाढ़ देश के कुछ भागों में आई, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में, उसके बाद यह बाढ़ लगभग उतनी ही विभीषिका से 82 में आ गई। 1979 में सूखा पड़ा देश के बड़े भाग में, जिसमें बहुत से राज्य प्रभावित थे और इस समय 82 में फिर यह सूखा पड़ गया है।

इसका मुस्तकिल हल कैसे हो, अभी तक कोई हल निकला नहीं और बर्बादी बराबर हो रही है। मैं समझता हूं कि अब तक बाढ़ और सूखे से जितनी बर्बादी हो चुकी है और उसके लिए जितना रुपया राज्य सरकारों को बांट दिया गया है, लोगों को दे दिया गया है, अगर उतना रुपया पहले ही लगा दिया गया होता तो बाढ़ की रोकथाम अवश्य ही की जा सकती थी, लेकिन यह नहीं हुआ। सरकार को इस मामले में गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए।

सभापति जी, अब हालत यह हो गई है कि सारा उत्तर प्रदेश भयंकर बाढ़ और सूखे की चपेट में आ गया है। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूं और मेरे जिले के 500 से भी अधिक गांव जलमग्न हैं, महरूम हैं और बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। वहां पर खरीफ की पूरी की पूरी फसल बरबाद हो गई है। उसी तरह, कुछ भागों में पानी न बरसने के कारण भयंकर सूखा पड़ रहा है। समस्त उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में वही हालत है, जैसी प्रदेश के पश्चिमी जिलों की है। सारा प्रदेश बाढ़ और सूखे की चपेट में आने के कारण तबाह हो गया है। अब हालत यहां तक पहुंच गई है कि 12 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश

में, जहां 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा गरीबी की रेखा के नीचे रहता है, जहां लैण्डलैस मजदूर हैं, उनकी बहुत बड़ी फौज है, उन सब को काम चाहिए। यदि हम उनको काम नहीं देंगे तो उनको खुराक नहीं मिलेगी। पीछे जब 1979 में वहां सूखा पड़ा था तो उस समय "काम के बदले अनाज योजना" काफी कारगर साबित हुई थी। आज मैं उस योजना की तारीफ करना चाहता हूं कि 1979 में उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ने से जो "काम के बदले अनाज योजना" चली थी, उसके कारण लोगों को काफी मदद मिली थी। लेकिन आज सभापति जी, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है और मैं इस बात को कहने में अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मुझे कहीं दिखाई नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी रोजगार योजना कहां गई। अभी यहां पर कृषि मन्त्री जी सिर हिला रहे थे, जब विरोध पक्ष के लोग कुछ कह रहे थे। लेकिन उनको कागजों में जो आंकड़े लिख कर दिए जाते हैं, उसके कारण खजाने से कितना पैसा चला जाता है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन सभापति जी, मैं मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि आपकी यह योजना अभी धरती पर नहीं उतरी है। वास्तविकता यह है कि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में चले जाइये, मेरे अपने जिले में एक किलोमीटर सड़क भी नहीं बनाई गई है। मैं बनारस की बात जानता हूं, वहां पर एक किलोमीटर सड़क भी नहीं बनी है। उत्तर प्रदेश के किसी जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना नाम की कोई योजना धरती पर नहीं उतरी है, कागजों में भले ही उसे दिखाया गया हो। अब यदि वहां किसी स्थान पर बाढ़ के पानी के चले जाने या सूखा पड़ने की वजह से बुआई नहीं हो सकती तो आपको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बिजली आप तीन-चार घण्टे से ज्यादा दे नहीं रहे हैं, नहरें चल नहीं रही हैं, ट्यूबवैल चल नहीं रहे हैं, आखिर लोग खायेंगे कैसे? आपकी योजना अभी तक लागू नहीं हुई है। मेरे गाजीपुर जिले के बारे में, जिला प्रशासन ने साढ़े नौ करोड़ रुपए की, बहुत कम की योजना बना कर भेजी है, लेकिन उसकी आज तक स्वीकृति होकर नहीं गई है। कृषि मन्त्री जी, आप एक वैलकनो के ऊपर बैठे हुए हैं। यदि आपने अभी फिक्र नहीं की और गम्भीरतापूर्वक इस मामले को नहीं लिया तो यह वैलकनो फट जाएगा। इसलिए आपको इस बात पर विचार करना चाहिए।

राजस्थान के बारे में यहाँ पर बात कही गई। राजस्थान के साथियों के साथ हमारी हमदर्दी है। बंगाल के साथियों के साथ हमारी हमदर्दी है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के 12 करोड़ लोग भूखे रह जाएंगे तो आप देश के दूसरे हिस्सों से अनाज मंगाकर कैसे उत्तर प्रदेश को खिला पाएंगे। आज उत्तर प्रदेश अपने खाने भर अनाज पैदा कर लेता है तभी आप देश के दूसरे भागों को पंजाब और हरियाणा से अनाज ले जाकर खिला सकते हैं। यदि उत्तर प्रदेश में भी अनाज पैदा नहीं होगा तो आप वहाँ के 12 करोड़ लोगों को कैसे, कहाँ से खिलायेंगे। आप इतना अनाज कहाँ से लायेंगे, क्या करेंगे। इसलिए इस

गम्भीर सवाल पर आपको ध्यान देना होगा। फिर राजस्थान का क्या होगा। फिर बंगाल का क्या होगा, और दूसरे राज्यों को आप कैसे अनाज दे सकेंगे।

एक माननीय सदस्य : बिहार के बारे में भी कहिए···

श्री जैनुल बशर : बिहार और उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि समय बहुत कम है और इस पर जोर देना चाहता हूं कि आप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के नाम पर या काम के बदले अनाज योजना के नाम पर बड़े पैमाने पर काम शुरू करिए, बड़े पैमाने पर लोगों को राहत दीजिए, काम दीजिए ताकि उनकी जीविका चल सके, वे अपने पेट भर सकें, अनाज खरीद सकें और खा सकें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप बिजली की व्यवस्था, किसानों को युद्ध स्तर पर कीजिए। यदि आप बिजली की व्यवस्था नहीं करते हैं तो आपकी रबी की बुआई नहीं होगी क्योंकि हमारे यहाँ बिजली से ही पम्प चलते हैं, ट्यूबवैल चलते हैं और किसानों के पास जो निजी नलकूप हैं, वे तभी चल सकते हैं, जब आप उनके लिए बिजली की व्यवस्था करेंगे।

इसलिए बिजली की व्यवस्था करिए। खाद पर सब्सिडी दीजिए, बीज पर सब्सिडी दीजिए। बड़े पैमाने पर राहत कार्य करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश की मदद करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि चार या साढ़े चार करोड़ रुपए की मांग उत्तर प्रदेश की सरकार से आई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको अधिक से अधिक रुपया उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी ओवरहाल एबेलेबिलिटी को देखते हुए देना चाहिए। यदि आप उत्तर प्रदेश को नजर अन्दाज करेंगे तो आप समस्या को सुलझा नहीं पायेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : पुनः मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं; कृपया संक्षेप में बोलें; अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहें। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी सभी पहलुओं पर विचार करेंगे। मेरे लिए भी अधिकाधिक सदस्यों को समय देने की सुविधा रहेगी। मेरे पास 30 सदस्यों की सूची है।

अब प्रो० पराशर।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : देश भयंकर सूखे के शिकंजे में है, और किस सीमा तक इससे देश पीड़ित है इसका जिक्र विभिन्न सदस्यों ने पहले ही कर दिया है। विभिन्न राज्य हैं; और मेरे अपने राज्य के विषय में, यह एक विडम्बना है कि हिमाचल प्रदेश भी सूखे से पीड़ित है। लेकिन वास्तव में यह एक दुखदायी स्थिति है और

परिणाम यह है कि फसलों की हानि से भी अधिक इस समय भुखमरी की भीषणता जनता को पीड़ित कर रही है। राज्य सरकार अपने प्रयत्न कर रही है, लेकिन सीमित संसाधनों से राज्य सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह स्थिति से निपट सके। हम एक सुखद स्थिति में हैं कि वर्तमान कृषि मंत्री जी हिमाचल प्रदेश के आधे से अधिक क्षेत्र से अच्छी तरह से परिचित हैं; और जब वह पंजाब सरकार में मंत्री थे तो वे इन क्षेत्रों का दौरा करते रहे हैं। जैसा कि वह मुझसे सहमत होंगे कि कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी तक। सोलन जिले सबसे अधिक पीड़ित जिले हैं। कम वर्षा के कारण जल स्तर में भारी कमी आई है और उसका परिणाम यह हुआ है कि जल विद्युत अपने निर्धारित स्तर तक नहीं हो सका है। अतः हमारे राज्य को भुगतना पड़ा। अधिकतर क्या होता है कि भू-संस्करण, भूमि कटाव को रोकने के लिए बनाई गई परियोजनाएं, वहाँ नहीं हैं। इस सम्बन्ध में, हमारे राज्य ने सिंचाई मंत्रालय को एक योजना भेजी है। सौभाग्य से श्री केदार पांडे जी यहाँ मौजूद है। इसे लघु नहर योजना के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक की सहायता से, इससे एक अच्छे क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी और अधिक खेती के लिए भूमि की पुनः प्राप्ति होगी। इस समय, फसलें बर्बाद हो गई हैं, और लगभग 45 करोड़ रुपये से 50 करोड़ रुपये तक के नुकसान का अनुमान है। जनता इस बात से चिंतित है कि न केवल फसल बर्बाद हो गई है वरन् पशु चारे की समस्या भी मुंह बाये सामने खड़ी है।

मुख्य मंत्री ने एक जिले यथा कांगडा के क्षेत्र का दौरा किया है; उन्होंने कुछ खंडों का दौरा किया है और पाया कि 10 करोड़ रुपये की फसलों का नुकसान हुआ है। हमीरपुर में 5 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

अधिकतर सिंचाई योजनाओं में, जल हिमाचल प्रदेश से बाहर पंजाब तथा हरियाणा की ओर बहता है। यह स्थिति की विडम्बना है कि जिस राज्य से अन्य राज्यों की ओर जल का बहाव है, वह स्वयं जल की समस्या से पीड़ित है। अब, एक और असंगति है कि भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड ने हमसे एक क्यूसेक जल के लिए भुगतान करने को कहा है और इसके लिए 21 रुपये प्रतिदिन की अदायगी करने को कहा है। यह आश्चर्यजनक है कि नदियां उस राज्य की हैं और अब पानी अधिक ऊंचाई तक उठाना पड़ता है, क्योंकि उसका स्रोत सूख गया है और उसकी समोच्च रेखाएं टूट गई हैं और छोटे किसानों द्वारा पहले किये गये सिंचाई प्रबन्धों का स्वरूप मिट चुका है; और अब वह निराशाजनक स्थिति में हैं। पेयजल के स्रोत भी सूख गए हैं और भूमि कटाव के कारण भारी नुकसान हुआ है। एक नदी व्यास से पानी सतलुज नदी में मोड़ दिया गया है।

उसका परिणाम यह हुआ है कि पंजाब और हरियाणा में समृद्धि आई है और राजस्थान में भी कुछ आशा बंधी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इससे बर्बादी हुई है, क्योंकि सड़कें बढ़ी हैं, दूरियाँ बढ़ी हैं। उसके परिणामस्वरूप फसलों की समस्त रूपरेखा

बदल गई है । वातावरण बदल गया है और राज्य मनुष्य द्वारा स्वयं के सर्वनाश की गिरफ्त में आ गया है । अतः इस उद्देश्य से, माननीय कृषि मन्त्री जो कि क्षेत्र से भली-भांति परिचित हैं, से निवेदन करता हूं कि वह राज्य की सहायता के लिए आगे आएं और राज्य सरकार को कम से कम 20 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता दें, अन्यथा, यदि योजनाएं तुरन्त ही प्रारम्भ नहीं की जाती हैं तो न केवल जनता भूखो मरेगी वरन् वहां एक तीव्र विरोध भी उत्पन्न हो जाएगा ।

पहले, हिमाचल प्रदेश के लोग सेना में भर्ती होते थे और उनके लिए 10 प्रतिशत स्थान रखे जाते थे, भर्ती करने योग्य सभी लोग सेना में भर्ती किए जाते थे । वह कोटा अब केवल 1 प्रतिशत तक घटा दिया गया है । अतः, राज्य ने रोजगार का एक बहुत बड़ा स्रोत खो दिया है । दूसरी ओर एक बाँध जो कि निर्माणाधीन था अब बनकर तैयार हो गया है और वहाँ काम कर रहे लोग अब बेकार हो गए हैं, और अन्य कोई नया बांध नही बनाया जा रहा है । अतः, जल-विद्युत, सिंचाई और परिचालन के लिए जो योजनाएं बनाई गई थीं उन्हें तुरन्त मंजूरी देकर प्रारम्भ किया जाना चाहिए ।

दूसरा, जिस पर मैं जोर देता रहा हूं वह यह है कि अब देश के एक या दूसरे भाग में हर साल हो रहा है । सूखा भी है, बर्फीला तूफान भी है और ओलावृष्टि भी है । अतः, क्यों न एक स्थायी प्राकृतिक विपदा सहायता प्रबन्ध कर लिया जाए ? ऐसा तंत्र बनाया जाए जो तुरन्त कार्य आरम्भ कर दे । केन्द्रीय दल की प्रतीक्षा क्यों की जाए ? यह काफी समय लगाती है । राजस्व प्राधिकारियों, पटवारी या लेखपाल की इन्तजार क्यों की जाए जिन्हें आप राजस्व प्राधिकारी या कर्मचारी कहते हैं ? वह गाँव-गाँव और इस क्षेत्र से उस क्षेत्र तक का दौरा करेगा और जब तक आँकड़े इकट्ठे होगे तब तक सहायता का समय समाप्त हो चुका होता है । मैं पुनः जोर देता हूं कि कृषि मन्त्रालय समयानुसार कार्य करे, और पक्का कार्य यह होगा कि एक स्थाई तंत्र, राज्य तंत्र भी राजधानी से जुड़ा हुआ हो और जब कभी भी कोई प्राकृतिक विपदा हो—चाहे बाढ़ हो, बर्फानी तूफान हो, सूखा हो—तुरन्त वह कार्य करना प्रारम्भ कर दे, स्थिति का आकलन करके तुरन्त सहायता प्रदान करे ।

मेरे अपने राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह अत्यधिक उदारता बरतें क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से वहाँ की समस्याओं को जानते हैं और केवल इसी प्रकार हमें बचा सकते हैं ।

श्री के० मायातेवर (डिन्डीगल) : सभापति महोदय, बाढ़ और सूखा अपने देश की वास्तव में प्रमुख राष्ट्रीय समस्यायें हैं । प्रायः हमेशा ही उत्तर भारत बाढ़ से पीड़ित होता है तो दक्षिण में आए दिन सूखा पड़ता है । तमिलनाडु में, 16 जिलों में से लगभग 11-12 जिले सूखा पीड़ित हैं । तमिलनाडु में वर्षा न होने के कारण, हमें सूखे की गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है । वास्तव में तमिलनाडु में अकाल पड़ा हुआ है । किन्तु

तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री सिनेमा वालों के साथ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं जबकि तमिलनाडु सूखे और अकाल की स्थिति से गुजर रहा है।

मुझे यह सुनकर प्रसन्नता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी रिपोर्ट भेजकर पश्चिम बंगाल को कुछ राहत राशि और खाद्यान्न भेजने की मांग की है। जहाँ तक मेरी सरकार का प्रश्न है, मुझे भय है और मुझे वस्तुतः सन्देह है कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने तमिलनाडु की सूखे की स्थिति का अभी मूल्यांकन का अनुमान नहीं लगाया है, अभी तक इसका हिसाब नहीं लगाया गया है तमिलनाडु में सूखे की स्थिति के कारण कितना नुकसान हुआ है, तमिलनाडु सरकार द्वारा इस मामले में कार्यवाही करने में बहुत अधिक देर हो गई है। उन्होंने केन्द्रीय सरकार को अभी तक रिपोर्ट भी नहीं भेजी है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तमिलनाडु सरकार को नुकसान का अनुमान लगाने और प्राक्कलन करने तथा उसे केन्द्रीय सरकार को भेजने के लिए एक राज्य समिति नियुक्त करने को कहे। मुझे पता है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को सूखा राहत के रूप में सहायता देने और अधिक से अधिक राशि का अनुदान देने को तैयार है किन्तु राज्य सरकार उसे प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार को अपनी मांग देने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि तमिलनाडु की जनता अत्यधिक परेशानी, कष्ट और दिक्कतों का सामना कर रही है। मद्रास नगर में पीने का भी पानी नहीं है।

1968 से 1975 तक जब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सत्ता में थी, तब श्री करुणानिधि ने वीरानम से पानी प्राप्त करने की एक योजना बनाई थी और उस समय द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार ने पानी लाने के लिए 28 करोड़ रुपया व्यय किया था, उसमें 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। किन्तु 1977 में जब अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार सत्ता में आई तब उस योजना को अधर में छोड़ दिया गया और सदा के लिए स्थगित कर दिया गया। इसका कारण यह है कि उसे करुणानिधि सरकार ने आरम्भ किया था और अंशतः पूरा किया था। यदि वीरानम की योजना पूरी हो जाती तो मद्रास शहर में पानी की समस्या अथवा कमी नहीं रहती। इसलिए, भारत सरकार के सिंचाई और कृषि मंत्रियों से मेरा अनुरोध है कि वे तमिलनाडु की वर्तमान सरकार को वीरानम परियोजना को तुरन्त आरम्भ और शीघ्र पूरा करने को कहें ताकि मद्रास शहर की पेयजल की समस्या सुलझ जाये।

हम कर्नाटक से अधिक पानी चाहते थे। हम कर्नाटक सरकार से और अधिक पानी चाहते थे ताकि तंजावूर जिलों में 15 लाख एकड़ धान के खेतों की सिंचाई हो सके जो क्षेत्र धान की अधिक फसल देता है। हमने कर्नाटक सरकार से त्रिचिनापल्ली और तंजावूर जिलों के लिए 36 क्युविक मीटर पानी छोड़ने का अनुरोध किया था। किन्तु कर्नाटक सरकार ने ऐसा नहीं किया। मैं कृषि मंत्री, श्री राव वीरेन्द्र सिंह का आभारी हूं जिन्होंने, कुछ दिन पूर्व ही राज्य सभा में, इसके बारे में कहा है। मैं तमिलनाडु के लोगों की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं।

वर्ष 1892 और बाद में 1924 में तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों के बीच एक करार हुआ था। कर्नाटक सरकार को उस करार के अनुसार कार्य करना है।

पानी की सप्लाई की समस्या पर विचार-विमर्श करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था। इस सम्मेलन में कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी सरकारों के मुख्य मंत्री आए थे किन्तु तमिलनाडु के मुख्य मंत्री श्री एम० जी० रामचन्द्रन नहीं आए। वह सिनेमा वालों के साथ व्यस्थ थे। इसलिए तमिलनाडु में सरकार को अपदस्थ करना और तमिलनाडु की जनता को बचाना ही उत्तम होगा। मुख्य मंत्री सिनेमा वालों के साथ व्यस्त हैं। उनके पास राज्य की जनता के लिए समय नहीं है। उस दल से मैं ही पहला संसद सदस्य निर्वाचित हुआ था। अब मैं द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से विजयी हुआ हूं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जनता की अथवा जनता के नेताओं की पार्टी है।

अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार कल एक बंद आह्वान कर रही है। केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध तमिलनाडु सरकार का बंद आयोजित करने का क्या औचित्य है। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में मुख्य मंत्री उपस्थित नहीं हुए किन्तु वह केन्द्रीय सरकार को दोषी ठहरा कर कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार की सहायता नहीं कर रही है। केन्द्रीय सरकार को उनके साथ इस मामले में बात करनी चाहिए।

भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न की सप्लाई के बारे में, प्रश्न के उत्तर में, 11 अक्तूबर, को राज्य मंत्री ने हमें यह बताया कि राज्य सरकार ने लगभग, 1,90,000 टन खाद्यान्न की मांग की थी और केन्द्रीय ने लगभग 1,68,000 टन की स्वीकृति दे दी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने भण्डार को नहीं उठाया है। मेरे दूसरे प्रश्न के उत्तर में माननीय राज्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 85,000 टन चावल/गेहूं की मांग की थी और वह 35 000 टन सप्लाई कर रहे हैं। उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सप्लाई किए गए खाद्यान्न को मुख्य मंत्री की बच्चों की 'दोपहर आहार योजना' को दिया जा रहा है। कृपया इस बात पर ध्यान दें। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। आपके राज्य मंत्री, श्री आर० वी० स्वामी नाथन राज्य सरकार का पक्ष ले रहे थे। मुझे ऐसा कहते हुए खेद है। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह इस सरकार के मत्री हैं। श्री एम० जी० रामचन्द्रन दोष पर दोष लगा रहे हैं कि आपने राज्य सरकार को कुछ भी खाद्यान्न सप्लाई नहीं किया।

तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री, श्री हांडे ने 9 अक्तूबर को यह कहा कि केन्द्रीय सरकार ने चावल का एक दाना भी तमिलनाडु सरकार को सप्लाई नहीं किया। स्वास्थ्य मंत्री ने यह वक्तव्य दिया है। राज्य के वित्त मंत्री ने भी यही कहा। विधान सभा में मुख्य मंत्री ने उसकी पुष्टि की। राजस्व मंत्री श्री एस० डी० सोमसुन्द्रम ने इसी पुन: पुष्टि की। बात चाहे कुछ भी हो, मैं चाहता हूँ कि खाद्यान्न की अधिक से अधिक सप्लाई की

जाय । मैं राज्य सरकार को अधिकाधिक खाद्यान्न की सप्लाई किए जाने की सिफारिश कर रहा हूं ।

आपकी काम के बदले अनाज, समेकित ग्राम विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जैसी सभी केन्द्रीय योजनायें, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार करोड़ों रुपया व्यय कर रही है और करोड़ों टन खाद्यान्न आवंटित कर रही है, बदल दी गई हैं और भ्रमित कर दी गई हैं। श्री एम० जी० रामचन्द्रन अपनी खिचड़ी आप ही पकाते हैं उसे अपनी योजना 'एम० जी० रामचन्द्रन बच्चों की पोषक आहार योजना' कहते हैं सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए ।

तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री श्री एम० जी० आर० ने गत वर्ष 80 लाख रुपये में एक हेलीकाप्टर खरीदा था । जिसके रख रखाव पर तमिलनाडु के राजकोष से प्रति मास एक लाख रुपया खर्च होता है । उन्होंने हेलिकाप्टर क्यों खरीदा है ? क्या बाढ़ के समय राज्य का दौरा करने के लिए । इस समय बाढ़ कहाँ आयी है ?** क्या मद्रास के मुख्यमंत्री के लिए यह जरूरी हो गया था कि जब राज्य में वर्षा या बाढ़ कहीं भी नहीं आयी है तो वह राज्य का निरीक्षण, पर्यवेक्षण और दौरा करने के लिए हेलीकाप्टर खरीदें । वह राज्य में स्वयं सूखे की स्थिति पैदा कर रहे हैं ।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें ।

श्री के० मायातेवर : बड़े पूंजीपतियों से बकाया धनराशि वसूल करने के स्थान पर उन्होंने 8 करोड़ रुपये के ऋणों की बकाया धनराशि माफ कर दी है जो बड़े-बड़े मिल मालिकों से वसूल होती थी, लेकिन उन्होंने गरीब किसानों और गलियारों के छोटे-छोटे दुकानदारों के छोटे-छोटे ऋणों को माफ नहीं किया है ।

उन्हें 28.16 लाख रुपये की आय कर की बकाया धनराशि का भुगतान करना है, क्या वह गरीब आदमी हैं ।** आप यह सब पैसा वसूल क्यों नहीं करते ।

(व्यवधान)

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : क्या आप किसी कांग्रेसी मुख्यमंत्री के विरुद्ध ऐसे आरोप लगाने की अनुमति देंगे ?

सभापति महोदय : कृपया वक्तव्य समाप्त करें ।

श्री के० मायातेवर : उन्होंने बिना अनुमति के 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं ।

(व्यवधान)

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

जैसा कि विधान सभा में उल्लेख किया गया है उन्होंने बिना किसी प्रकार के संसाधनों के 100 करोड़ रुपये की लागत से पोषण कार्यक्रम शुरू किया है।

सभापति महोदय : उनके वक्तव्य का वह भाग जिसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं, कार्य प्रणाली में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री के० मायातेवर : इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उस सरकार को बर्खास्त करें अथवा हटा दें और तमिलनाडु की जनता की रक्षा करें।

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी (अमरावती) : इस महत्वपूर्ण विषय पर डिसक्शन करते समय हम काफी विषयान्तर हुए हैं। किसी ने अपनी कंस्टिट्युएंसी की प्राबलेम्ज रखी हैं और किसी ने पोलिटिकल सवाल उठाए हैं। इसका मुझे बहुत दुख है। इस विषय का सम्बन्ध अर्थ व्यवस्था से बहुत नजदीक से है। हम पंचवर्षीय योजनायें चलाते हैं, उत्पादकता वर्ष का आह्वान करते हैं, 20-प्वाइंट प्रोग्राम गरीब लोगों के लिए चलाते हैं लेकिन बाढ़ और सूखे पर हम काबू नहीं कर पाए हैं। अगर इन पर हमने काबू नहीं पाया तो भविष्य में हमारी अर्थ व्यस्था पर इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है।

तीन अगस्त को एक घंटे तक इस पर बहस हुई थी। आज भी काफी लम्बी इस पर बहस चल रही है। बाढ़ और सूखे की जो स्थिति है, एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस पर इस वास्ते काबू नहीं पाया जा सका है क्योंकि हमने जो योजनायें बनाई, हमने जो प्लान बनाए वे कागजों तक ही सीमित हो कर रह गए, उनको कार्यान्वित नहीं किया जा सका। अगर योजनायें कार्यान्वित नहीं हुई और यह जो बहस है यह भी कागजों तक ही सीमित रही तो फिर हमारा काम चलने वाला नहीं है। इस वास्ते जैसा पहले एक माननीय सदस्य ने कहा स्थायी रूप से योजना यहां बनाई जाए और उसको कार्यान्वित किया जाए, तभी कुछ लाभ हो सकता है। काफी योजनाओं का माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है। मैं भी एक विनती करना चाहती हूं। हमारे देश में कई प्रान्त हैं जहाँ बहुत ज्यादा पानी है, बहुत ज्यादा नदियाँ जहाँ बहती हैं और जहाँ की जनता बाढ़ से त्रस्त रहती है जबकि दूसरी तरफ कई प्रान्त ऐसे हैं जहाँ पीने तक के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं होता है। काफी वर्ष पहले हमने एक योजना बनाई थी कि सभी बड़ी नदियों का एकत्रीकरण करके पूरे देश के लिए, सभी प्रान्तों के लिए उनके पानी का उपयोग हो, इसकी व्यवस्था कर दी जानी चाहिए और देखा जाना चाहिए कि सभी प्रान्तों के लोगों को उसका फायदा मिले। उस योजना के बारे में सरकार को दुबारा सोचना चाहिए। उस पर चाहे जितना खर्चा आए करना चाहिए ताकि हमेशा के लिए बाढ़ और सूखे से जो जनता पीड़ित होती है, उसको स्थायी राहत मिल सके। हम सब जानते हैं कि देहात की जो जनता होती है, ग्रामीण जो जनता होती है, जो मजदूर होते हैं, जो गरीब होते हैं वही बाढ़ और सूखे से प्रभावित होते हैं और बड़े शहरों में बंगलों में रहने वाले लोग, अच्छे घरों में रहने

वाले लोग इससे प्रभावित नहीं होते हैं और उनको बाढ़ और सूखे की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए बाढ़ग्रस्त या सूखाग्रस्त लोग चाहे राजस्थान के हों या महाराष्ट्र के हों किसी भी कोने के हों उनकी मांग यह है कि उनको समय पर राहत मिलनी चाहिए, हर साल बाढ़ आए और हम उनकी मदद करें। लेकिन मदद उनको समय पर नहीं होती है। सर्वेक्षण करने में आधा साल चला जाता है। फिर रिपोर्ट आने में और भी कितने ही दिन गुजर जाते हैं। लेकिन उनको राहत नहीं मिलती है। अगर रबी की फसल का वह वक्त हुआ, जब तक राहत का प्रबन्ध होता है, खरीफ की फसल का समय आ जाता है और उनको उसके लिए सोचना पड़ता है। उसके लिए उनको नया बीज चाहिये होता है, खाद की उनको व्यवस्था करनी होती है। इस वास्ते समय पर उनकी मदद हो जानी चाहिए। यह जो देरी होती है मदद पहुंचाने में इस तरफ शासन का ध्यान जाना चाहिए। शासन देना भी चाहता है लेकिन नियम ऐसे हैं, टैक्नीकल डिफिक्लटीज ऐसी हैं कि देरी हो जाती है। योजनायें कई साल तक पड़ी रहती हैं, कार्यान्वित नहीं होती हैं। इनके कार्यान्वयन का काम आप जिला परिषदों को सौंपें, पचायतों को सौंपें। राहत कार्य भी उनके माध्यम से कराए जा सकते हैं। ऐसे जो दुखी लोग हैं उनकी मांग है कि उनको हर साल यह मदद नहीं चाहिए, उनको हमेशा के लिए अभय चाहिए, विश्वास उनको दिलाया जाना चाहिए कि ये समस्यायें उनके सामने आ कर खड़ी नहीं होंगी। हमारा जोर इसी चीज पर होना चाहिए।

बिजली का विषय भी किसी माननीय सदस्य ने उठाया है। जहां पानी की कमी है, जहां सूखा है, कम से कम वहां तो शासन को बिजली का पूरा प्रबन्ध करना चाहिए। महाराष्ट्र के कई इलाकों में हमने देखा है कि वहां सूखा पड़ा हुआ है, कुओं से जो इरिगेशन किया जाता है उसके लिए बिजली की कटौती की जाती है या बिजली का पूरा प्रबन्ध नहीं होता है। राव साहब ने राज्य सभा में एक सवाल का जवाब देते समय एक आश्वासन दिया था।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अगस्त महीने में हम सूखे और बाढ़ का सामना करने के लिए उस क्षेत्र में सभी बातों का प्रबन्ध करेंगे ताकि इरीगेशन फेसिलिटीज उपलब्ध हो सकें। इस बारे में सरकार ने कहां तक कदम उठाये हैं, यह मैं जानना चाहती हूं।

सर्वेक्षण पद्धति के लिए आपने कहा है कि कई प्रान्तों में सर्वेक्षण कमेटी पहुंची है और केन्द्र सरकार सूखे और बाढ़ क्षेत्र का सर्वेक्षण करना चाहती है। तो मेरा विचार है कि पिछले साल महाराष्ट्र में सर्वेक्षण के लिए आपकी कमेटी गयी थी। कब ? जब फसल उग आयी थी। और महाराष्ट्र सरकार का कहना था कि हमारे यहां बहुत कम फसल हुई है और हमें केन्द्र से अनाज और पैसे की मदद दी जानी चाहिए। तो आपकी कमेटी ने सिर्फ कपास और अनाज का ही सर्वे किया। हमने कहा कि विदर्भ में जैसे संतरा होता है,

पश्चिम महाराष्ट्र में गन्ना होता है, इस प्रकार जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फसलें होती हैं उन सब का सर्वे होना चाहिए। पर ऐसा नहीं किया। नागपुर और अमरावती में संतरा पैदा होता है, लेकिन उसमें इस साल कौलसी रोग लगा हुआ है जिससे उत्पादन कम होगा और परिणाम यह होगा कि हम विदेशी मुद्रा अधिक नहीं कमा सकेंगे। इसलिए हमारा कहना है कि सर्वेक्षण पद्धति केन्द्र की ऐसी होनी चाहिए कि उसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी हमारे पास आनी चाहिए। ताकि उस इलाके को तुरन्त राहत दे सकें और उसमें अधिकारी लोगों का सहयोग लेकर जल्दी ही रिपोर्ट मंगायी जानी चाहिए और वहाँ जो भी फसलें होती हैं, उन सबका सर्वेक्षण किया जाना चाहिए तभी वहाँ की हालत का आप सही निरीक्षण कर सकते हैं।

मजदूर और किसानों के लिए मैंने पहले ही कहा, जो बाढ़ ग्रस्त और सूखा ग्रस्त क्षेत्र के गरीब लोग हैं उनको राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत राहत देनी चाहिए। अभी एक संसद सदस्य ने कहा जो योजना अभी तक जमीन पर नहीं उतरी उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूं, जैसे हमारे महाराष्ट्र में एक ग्रामीण रोजगार योजना है जो बड़ी अच्छी है जिसको अन्य प्रान्तों को अनुकरण करना चाहिए जिससे गरीब लोगों को रोजी रोटी दी जा सके। बाढ़ और सूखे की स्थिति के तीन हिस्से होने चाहिए। एक तो उसके कारण क्या हैं उसको रोकने के लिये दूर दृष्टि से कोई योजना बनानी चाहिए। बाढ़, सूखा क्यों पड़ता है, गार क्यों पड़ती है ? महाराष्ट्र में फसल जब हाथ में आती है तो बड़ी-बड़ी गार वहाँ पड़ती है जिससे फसल को नुकसान होता है। तो जिस इलाके में कभी गार नहीं होती है अब क्यों हो रही है इस बारे में सोच कर उसको रोकना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उनको किस प्रकार मदद देनी चाहिए। हमें हमेशा के लिए उनको कुछ साधन देने चाहिएं ताकि वह स्थिति का मुकाबला कर सकें। तो जहां हमेशा बाढ़ और सूखा होता है वहाँ आप बड़े और छोटे उद्योग लगाने के बारे में क्यों नहीं सोचते ? कब तक वहाँ का किसान खेती पर निर्भर करेगा ? जहाँ पोलिटिकल प्रैशर होता है, या कामदार आन्दोलन करते हैं या बड़े बड़े शहर हैं वहाँ तो उद्योग लग जाते हैं, लेकिन जो ट्राइबल और ग्रामीण इलाके हैं उनमें उद्योग नहीं लगते। अगर ऐसे क्षेत्रों में उद्योग लगाये जायें तो आप उनको स्थायी रूप से रोजी रोटी दे सकेंगे।

उनको राहत देने के लिए हम सब यहाँ पर सोच रहे हैं। ऐसे समय में सख्ती की वसूली क्या चीज है ? राज्य सरकार से कहें कि जो लैंड डेवलपमैंट बैंक हैं और अन्य बैंक हैं जिन्होंने छोटे किसानों को कर्जा दिया है उसको इस साल सख्ती से वसूल न किया जाय। जब तक अच्छी फसल न आ जाये तब तक वसूली स्थगित होनी चाहिए। इधर बिजली की कमी, बरसात नहीं, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसा सूखा ग्रस्त तो नहीं होगा··· लेकिन दिन-प्रतिदिन महाराष्ट्र की हालत बिगड़ रही है। जहाँ इसके 2, 3 जिले सूखाग्रस्त रहते थे, आज भी 33 में से 13 जिले सूखाग्रस्त हैं और कई जिलों के छोटे-छोटे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सूखे की हालत है। वहाँ पहले ही फसल होती नहीं है, जो थोड़ी बहुत होती है,

हमारे राव साहब अभी चले गये हैं, हमारे यहां की कपास और उसके भाव का प्राबलम बराबर उनके सामने आता रहता है। वह प्राबलम बराबर बढ़ता जा रहा है। ऐसी हालत में उस क्षेत्र में जो सख्ती से कर्ज वसूली होती है, उसे राज्य सरकार को नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आदेश देने की आवश्यकता है।

मैं कृषि मंत्री से निवेदन करूंगी कि बाढ़ और सूखे के चक्कर में जो किसान फंस जाते हैं, उनके लिए बीज और खाद समय पर मिलता रहे या नहीं, लेकिन समय पर पानी उनके यहां पहुंचता रहे, यह बहुत जरूरी है। इसके लिए कृषि अनुसंधान परिषद् और कृषि विद्या पीठ जो प्रान्त प्रान्त में खुले थे, जिन पर जिम्मेदारी डाली गई थी कि वह सर्वे करके मदद दें, खाद की, फसल की बीमारी की बीज की कोई प्राबलम किसान को हो तो उसके लिए काम करें। उस तरफ के किसानों का हक है, उसके लिए हमारे कृषि मंत्रालय को और शासन को कुछ कदम उठाने चाहिये।

हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अभी-अभी 131.41 करोड़ की मांग की है, मेरी रिक्वेस्ट है कि महाराष्ट्र की मदद के लिए, सूखे का सामना करने के लिए हमारी सरकार बड़ी खुशी से उसे मंजूर करके यह राहत दे।

मैं जिस विदर्भ राज्य से आती हूं, वहां इरिगेशन 20 टका भी नहीं है। हरियाणा और उत्तरप्रदेश में 80 टका इरिगेशन होता है। हमारे यहां पहले ही पानी की कमी है और किसान बड़ी मेहनत से विदर्भ में कपास का निर्माण करता है जिसके बारे में एशिया में बहुत बड़ा नाम हमने कमाया है, इसलिये ग्रामीण एरिया की मदद के लिए हम शासन से अपेक्षा करते हैं।

हमारे विरोधी भाई ने कहा कि यह शासन कुछ नहीं करता, कुछ नहीं देखता। जब हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में नहीं थीं, तब भी उन्होंने बाढ़ के क्षेत्रों में दौरा किया था और अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया था कि आप अपने क्षेत्र की स्थिति का मुकाबला करो। अब सत्ता में हमारी पार्टी है, हमारा राजकीय और पार्टी का धर्म है कि हम किसान और मजदूरों और गरीबों के संकट का हल करें, हमारी ऐसी पार्टी है जिसमें हम खड़े हैं, इसलिए आप सभी का साथ इसमें होगा तो हमारी सरकार बड़ी निर्भयता से इस हालत का मुकाबला करेगी। अपनी इस प्रकार की भावनाएं व्यक्त करते हुए अपना भाषण मैं समाप्त करती हूं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। अभी बहुत सारे वक्ता हैं, हमारा आग्रह है कि इस डिस्कशन को इस वक्त पोस्टपोन किया जाये, और कल 6 बजे इसे ले लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैं औपचारिक रूप से संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

यह सदन संकल्प करता है कि कल दिनांक 15 अक्तूबर के दोपहर पश्चात् 2 बजे तक के लिए बाढ़ और सूखे की स्थिति पर चर्चा स्थगित की जाती है।

आप सदन की राय जान लें। मन्त्री सहमत हैं। यह एक महत्वपूर्ण मामला है और मन्त्री इससे सहमत हैं। मन्त्री महोदय ने कहा है कि यदि पीठासीन अधिकारी सहमत हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें।

श्री चित्त वसु (बारसाट) : मेरी मन्त्री महोदय राव बीरेन्द्र सिंह से बात हुई थी। उनका कहना है कि यदि कल तक के लिए चर्चा स्थगित की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसका एक कारण यह है कि हमें भी इसका ऐहसास है कि मन्त्री महोदय की ओर से

(व्यवधान)

उत्तर आना चाहिए जो विस्तार में होना चाहिए क्योंकि अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं प्रश्न इस बात का नहीं है कि इसका सम्बन्ध केवल हिमायतियों से है या किसी राजनैतिक दल से है हम सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहते हैं। इसलिए वे अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कुछ और समय लेंगे। यदि ऐसा होता है, तो हम कल चर्चा जारी रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी अपना वक्तव्य जारी करें साथ ही साथ मैं सरकार की राय भी मालूम करूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक प्रश्न उठाया है, मैं संसदीय मामलों के मन्त्री से सलाह लूंगा।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, यदि वह संकल्प स्वीकार किया जा रहा है तो उन सदस्यों को इस समय बोलने दिया जाए जो कल जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता रहा हूं कि प्रत्येक सदस्य की सुविधा के अनुसार सदन को चलाना असम्भव है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस चर्चा की अनुमति दी है। और इसके लिए केवल 2 घण्टे का समय निर्धारित है।

श्री सुनील मैत्रा : मैं इसका विरोध करता हूं। अध्यक्ष ने कहा है कि यदि आप 6 बजे के बाद बैठने को तैयार हों तो आप जितने समय तक चर्चा कर सकते हैं, करें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही है । आप मेरा बचाव कर रहे हैं । मैं आपको धन्यवाद देता हूं । इसलिए यदि आप शाम को देर तक बैठने के लिए तैयार हों, तो मैं यही कह रहा हू । और यदि प्रत्येक सदस्य अपना वक्तव्य निर्धारित समय पर 2 घण्टे में पूरा करता है तो मन्त्री 6 बजे तक उत्तर दे देंगे । इसलिए यह सरकार या इस सदन की गल्ती नही है। इसलिए मैं श्रीमती गीता मुखर्जी से अपना वक्तव्य जारी करने के लिए अनुरोध करता हूं ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : अब 7 बजे से अधिक का समय हो गया है । यदि हम कल 6 बजे के बाद भी सदन में बैठे रहे, तो क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कल सप्ताह का अन्तिम दिन है । यद्यपि शनिवार को भी सदन की बैठक होगी तथापि अधिकांश सदस्य अपने चुनाव क्षेत्रों में जायेंगे ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सरकार की राय मालूम करूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, सरकार आ गयी है ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं···

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, हम लोगों का आग्रह है कि अब बहस जितनी चल सकती है, उसको चलने दिया जाए और बाकी विषय को कल तक के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया जाए, कल फिर 6 बजे से इसे ले लें । मिनिस्टर साहब भी एग्री हैं और हाउस की भी यह राय है ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह).: हम सब लोग मिलकर ही इसका निर्णय करेंगे । लेकिन मेरी राय है कि आज 8 बजे तक चलने दें और शेष कल 6 बजे से बैठ जायें, क्योंकि काफी लोग बोलने के लिए हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : इससे सहमत हैं ।

श्री राम विलास पासवान : मंजूर है ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मेरी राय है कि हम 8 बजे तक चर्चा जारी रखें । कल को 6 बजे के बाद हम बैठेंगे । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नरसिन्हा रेड्डी की सलाह यह है कि जो भी सदस्य कल बाहर जा रहा है उसे इस समय बोलने दिया जाए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आज हम 8 बजे तक बहस जारी रखेंगे। मैं श्रीमती गीता मुखर्जी से वक्तव्य देने के लिए पहले ही अनुरोध कर चुका हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस ओर से एक अनुरोध है। कुछ लोग हवाई जहाज के टिकट भी दिखा रहे हैं। चर्चा को समाप्त करने का आग्रह केवल विपक्ष की ओर से किया गया है। इसलिए मैं आठ बजे या नौ बजे तक की अनुमति दूंगा। यदि सत्ता पक्ष के लोग बोलना चाहें, तो उन्हें बोलने दिया जाए। आप चिन्ता क्यों करते हैं? मैं सत्ता पक्ष के उन लोगों को बोलने की अनुमति देना चाहता हूं जो कल जा रहे हैं। मैं सत्ता पक्ष के लोगों को बोलने के लिए बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी के बाद, यदि कोई सदस्य बोलना चाहता है, और इन्तजार करता है तो मैं उसे आठ बजे के बाद भी बोलने की अनुमति दूंगा। संसदीय मामलों के मन्त्री इस बात से सहमत है कि हम कल भी इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं, कोई भी सदस्य जो कल को बाहर जाना चाहता है, वह आज इस विषय पर बोल सकता है, मैं बैठने के लिए तैयार हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि हमारे माननीय मन्त्री राव बीरेन्द्र सिंह यहां नहीं हैं...

उपाध्यक्ष महोदय : उप मन्त्री यहां उपस्थित हैं चूंकि एक महिला संसद सदस्य बोल रही हैं इसलिए एक महिला मन्त्री यहाँ उपस्थित हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं एक महिला के रूप नहीं बोल रही हूं मैं एक संसद सदस्य के तौर पर बोल रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने महिला संसद सदस्य कहा है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं अपने राज्य और अपने दल की ओर से सारे देश के लिए एक संसद सदस्य के तौर पर बोल रही हूं। हमारा दल एक राष्ट्रीय दल है।

सर्वप्रथम मैं आप का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि विभिन्न राज्यों के सदस्य, वे चाहे सत्ता पक्ष के हों अथवा विपक्ष के, जो भी इस विषय पर बोले हैं, सभी ने इस बारे में गम्भीर चिन्ता प्रकट की है इसे नोट किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का उल्लेख करते हुए खेद होता है कि माननीय मन्त्री राव बीरेन्द्र सिंह के वक्तव्य में, जो उन्होंने 4 ता० या कल राज्य सभा में दिया था उसमें गम्भीर चिन्ता परिलक्षित नहीं होती है।

वास्तव में मैं ऐसा महसूस करती हूं कि निकट भविष्य में इससे हमारा सारा देश किस तरह प्रभावित होगा, शायद केन्द्र सरकार ने इस स्थिति की गम्भीरता को पूरी तरह नहीं आँका है। अन्यथा बोलने का ढंग और अधिक गम्भीर होता और यह इतना सामान्य नहीं होता।

मुझसे पूर्व पूर्ववक्ता सदस्यों ने कुछ मुद्दे उठाए हैं, समय की कमी के कारण, मैं उन मुद्दों की पुनरावृत्ति नहीं करूंगी।

उदाहरणतया, सिंचाई की समस्या, इसकी कैसे अनदेखी कर दी गई है। मैं समय की कमी के कारण पूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत नहीं करूंगा।

मैं पहले एक प्रश्न पर बोलना चाहता हूं। सूखे का क्या प्रभाव पड़ेगा ? दीर्घावधि के कार्यक्रमों का जहाँ तक सम्बन्ध है, उनका प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तुरन्त शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, एक बहुत ही गम्भीर बात हो रही है। सभी राज्यों से खाद्यान्नों की मांग की जा रही है। खाद्यान्नों का केन्द्रीय भण्डार इस समय 1 करोड़ 32 लाख टन का है। यह बताया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है क्योंकि मुझे इसके बारे में सन्देह है। यहाँ तक कि दिल्ली की राशन की दुकानों पर भी राशन नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तक कि जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो संसद सदस्यों को राशन कहाँ से मिलता है। इससे पता चलता है कि स्थिति बहुत गम्भीर है। 1 करोड़ और 32 लाख टन के भण्डार से ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो कि 1 करोड़ 32 लाख टन का भण्डार है, फिर भी मांग उससे कहीं ज्यादा है।

खाद्यान्नों के बारे में राज्य व्यापार सम्बन्धी सरकार की नीति में तुरन्तु परिवर्तन करने की आवश्यकता है। शीघ्र ही परिवर्तन करने की आवश्यकता हैं और जिन राज्यों के पास फालतू खाद्यान्न हैं उनसे खाद्यान्न खरीदने का बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की जरूरत है।

इस कार्य के लिए मन्त्री महोदय द्वारा धान की फसल के लिए घोषित 122 रु० का मूल्य पर्याप्त नहीं है।

इस प्रश्न का सूखे और बाढ़ राहत से कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु भविष्य में इस प्रश्न का बहुत महत्व होगा।

मैं आपका ध्यान खाद्यान्नों के अनिवार्य खरीद मूल्य में वृद्धि करने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। खाद्यान्नों की खरीद इतने बड़े पैमाने पर की जानी चाहिए ताकि कालाबाजारी करने वालों और मुनाफा करने वालों के लिए कुछ बचे ही नहीं जिसका कि वे प्रयास करेंगे। परन्तु राव बीरेन्द्र सिंह द्वारा दिए गए वक्तव्य में इन प्रयासों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मन्त्री महोदय ने 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राशन और वितरण प्रणाली के बारे में जो कुछ कहा है उसके बारे में हम जानते

हैं कि सारे भारत में राशन की दुकानों पर खाद्यान्नों की सप्लाई एक समस्या बनी हुई है ।

पश्चिम बंगाल ने बाढ़ और सूखे से सबसे अधिक प्रभावित भारत के शेष राज्यों के साथ अपनी हमदर्दी प्रकट की है । मैं उन राज्यों का नाम नहीं ले रहा हूं । मैं अपने ही राज्य की बात करता हूं ।

मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं । इस सभा को देखें । अन्य राज्यों में से प्रत्येक राज्य के कितने संसद सदस्य उपस्थि हैं । पश्चिम बंगाल के संसद सदस्यों पर एक नजर डालें । उनमें से कितने यहाँ उपस्थित हैं ? उनकी उपस्थिति अन्य राज्यों के संसद सदस्यों से अधिक क्यों है ? पश्चिम बंगाल के संसद सदस्यों की उपस्थिति अन्य राज्यों के संसद सदस्यों की तुलना में अधिक क्यों हैं ? यह इसलिए कि हमारे राज्य में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है । इसलिए पश्चिम बंगाल के संसद सदस्य इतनी अधिक संख्या में आज यहाँ उपस्थित हैं । हम राजनैतिक उद्देश्य से यहाँ उपस्थित नहीं हैं । हम अपनी गम्भीर स्थिति के लिए सारे भारत से अपील कर रहे हैं । हमारे राज्य में अकाल पड़ रहा है । सभी दलों के सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि इस सच्चाई को स्वीकार करें और पश्चिम बंगाल की हर तरह से मदद करें ताकि हम इस संकट का सामना कर सकें । इस कार्य के लिए हमें अपना कोई राजनैतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए ।

पश्चिम बंगाल के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं । जब श्री समर मुखर्जी बोल रहे थे तो श्री राव बीरेन्द्र सिंह ने पश्चिम बंगाल में सितम्बर मास के दौरान कुल खरीद का उल्लेख किया था । श्री राव बीरेन्द्र सिंह ने पूछा था कि पश्चिम बगाल की कुल खरीद कितनी है ? मुझे पता है कि पश्चिम बंगाल में सितम्बर मास में खाद्यान्न की कुल खरीद 2,59,000 टन थी । यह बात श्री राव बीरेन्द्र सिंह के समझने की है । यदि सितम्बर मास में राशन की दुकानों से 2,59,000 टन गेहूं खाद्यान्न खरीदा गया है तो श्री राव बीरेन्द्र सिंह द्वारा राज्य सभा में दो दिन पहले दिए गए वक्तव्य में अक्तूबर मास के लिए केवल 2,45,000 टन देने की बात क्यों कही गई और यह मात्रा पश्चिम बंगाल की मांग से कम है ? यदि पश्चिम बंगाल में खाद्यान्न के उत्पादन की स्थिति खराब है तो 2,45,000 टन खाद्यान्न आवश्यकता पूरी करने में कैसे पर्याप्त होगा ? और श्री राव बीरेन्द्र सिंह को पता है कि पश्चिम बंगाल में खाद्यान्न का भण्डार कितना है और इसमें से 40000 टन चावल और 80,000 टन आस्ट्रेलियन गेहूं खाने योग्य नहीं है । यह खाद्यान्न उपयोग के योग्य नहीं है । पश्चिम बंगाल में 1 अक्तूबर, 1982 को कुल भण्डार 3,56,029 टन है । 1 अक्तूबर, 1982 को कुल भण्डार 3,56,029 टन है जिसमें से 1,20,000 टन खाने के योग्य नहीं है, हमारी स्थिति क्या है ? राज्य सभा में वह हमारा सदस्य नहीं था जिसके प्रश्न का उन्होंने उत्तर नहीं दिया । वे कांग्रेस के संसद सदस्य श्री शंकर प्रसाद मित्रा हैं जिन्होंने यह पूछा था कि क्या पश्चिम बंगाल का कोटा 1980 की तुलना में आज कम कर दिया गया है । श्री राव बीरेन्द्र सिंह जी ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । मैं एक बात कहना

चाहती हूं। 1980 में पश्चिम बंगाल का आबंटन—मासिक औसत—3,23,250 टन थी जबकि 1981 में यह केवल 2,50,000 टन थी। अन्य वर्षों में हमने किसी तरह काम चला लिया क्योंकि उस समय उत्पादन की स्थिति ऐसी नहीं थी। पिछले वर्ष के सूखे और इस वर्ष के भयंकर सूखे की ओर आप ध्यान दें। श्री राव बीरेन्द्र सिंह जाकर देखें कि हमारे किसान किस प्रकार स्थिति का सामना कर रहे हैं। कुछ समय तक तो बिल्कुल वर्षा नहीं हुई। फिर कुछ थोड़ी सी वर्षा हुई जोकि बहुत देर से हुई। उस थोड़े से समय में उन्होंने खेतों में योद्धाओं की तरह कार्य किया और किसी तरह खेतों में हल चलाया और धान बोया परन्तु वर्षा न होने के कारण वह धान की फसल बिल्कुल नष्ट हो गई। यह स्थिति थी। हमारे साथ क्या हो रहा है। इस बारे में सरकार को अपने विचार बदलने होंगे और कार्यवाही का तरीका बदलना होगा। वे कहते हैं कि पश्चिम बंगाल को 2,45,000 टन पर्याप्त है जबकि खपत पहले ही इससे ज्यादा हो चुकी है। हमें वह बात कहनी है। पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने बहुत बड़ा तर्क दिया है और हम सभी संसद सदस्य आपके माध्यम से इस सभा और सरकार से अनुरोध करते हैं कि एक दिन में कम से कम चार जम्बो चलाए जायें। वह पूर्णतया आवश्यक है।

मुझे एक और छोटी-सी बात कहनी है। महोदय, समय के सम्बन्ध में मैं आपकी भावना को समझती हूं परन्तु मैं कष्ट के सम्बन्ध में और भी अधिक महसूस करती हूं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को लीजिए। वे कहते हैं कि उपयोग प्रमाण-पत्र नहीं आया है। मैं 1980 में चुनाव के दिनों में बिहार में थी। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम की परियोजना के पास खड़ी थी और एक ठेकेदार यह कार्य चला रहा था। मैंने एक औरत को केवल आधा गेहूं ले जाते हुए देखा और वे उपयोग प्रमाण पत्र दे देते हैं। उस प्रकार का उपयोग प्रमाण-पत्र सदैव प्राप्त किया जा सकता है। महोदय, पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने आश्वासन दिया है कि दिसम्बर के भीतर-भीतर वे सभी उपभोग प्रमाण-पत्र दे देंगे। अब, ठेकेदार के इस उपभोग प्रमाण-पत्र को मानदण्ड होना चाहिए—या मानवता के दृष्टिकोण से कुछ और किया जा सकता है। अक्तूबर तो आ गया है और दिसम्बर के भीतर-भीतर वे पश्चिम बंगाल से ये सभी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर आरम्भ क्यों नहीं किया जाए? अत: मैं महसूस करती हूं कि कठिनाई की सीमा को अभी तक पूरी तरह नहीं समझा गया है। साथ ही, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पश्चिम बगाल में हमारी जनता भिखारी नहीं है और न ही हमारी सरकार ने निराश होकर अपने हाथ नहीं फैलाये हैं। हम भरसक कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने निर्णय किया है कि 15 अक्तूबर तक 145 बड़े नलकूप तथा 22 नदी उठाऊ सिंचाई परियोजनाएं सक्रिय की जायेंगी और विद्युत के संकट के बावजूद पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड से कहा गया है कि वह इन नलकूपों को 8 घण्टे की सप्लाई करने को प्राथमिकता दे।

अन्त में, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। जो लोग पश्चिम बंगाल में राजनी-

तिक तूल देने के बारे में सोच रहे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि वे एक बात पर विचार करें। पूर्वोत्तर की ओर देखिए। इस समय वहाँ संकट है। भारत के अन्य हिन्दी-भाषी क्षेत्रों की ओर देखिए। पंजाब में क्या हो रहा है ? सभी हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में कितने साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं ?

समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र आसाम संकट में है। कुछ लोग राजनीतिक रूप से भिन्न महसूस करते हैं। परन्तु क्या यह सच नहीं है कि हमारे राज्य में राजनीतिक स्थिरता है। यह एक ऐसी बात है जिसका सभी के द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए। क्या यह सच नहीं है कि हमारे राज्य में सभी प्रकार से भड़काए जाने के बावजूद कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ है और कोई भाषाई दंगे नहीं हुए हैं। हमें समूचे भारत द्वारा संरक्षित किया जाना है। यदि कुछ लोग हमारे राज्य में स्थिरता भंग करते हैं तो वह नहीं की जा सकती। मुझे इसका पूरा भरोसा है। अतः, महोदय, मैं आपके माध्यम से राव बीरेन्द्र सिंह से अपील करती हूं कि भिन्न रवैया अपनायें और तुरन्त हमारी मदद करें। वह स्वयं एक दल का नेतृत्व करें और बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों को स्वयं देखें। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और खाद्यान्न की सप्लाई समूचे भारत का राष्ट्रीय कृत्य है। मैं पश्चिम बंगाल की ओर से बोल रही हूं। पश्चिम बंगाल के लाखों लोगों ने सहायता लेने की पुकार की है। याद रखिए कि यद्यपि हमने जनसंख्या के बहुमत से 52 प्रतिशत मत लिए हैं परन्तु आपने भी 48 प्रतिशत मत लिए हैं। क्या आपका यही कर्त्तव्य नहीं है। राशन कार्ड में यह उल्लेख नहीं है कि इसका धारक कांग्रेस में है या साम्यवाद में। वह इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। हमारे लोगों की सहायता हेतु की गई पुकार को सुनें और वह पश्चिम बंगाल की सहायता करें जो अखंडता, धर्म निरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता के एक स्तम्भ के रूप में कार्य कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के०एस० भोई। मैं एक-एक करके बुलाऊंगा।

डा० कृपा सिंधु भोई (सम्बलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आखिर आपने अनेक सदस्यों द्वारा जबरदस्ती बोले जाने के बाद मुझे अनुमति दे ही दी। मेरा छठा नम्बर था। अब यह दसवां है।

फिर भी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। यह राजनीतिक समस्या नहीं है; यह बाढ़ और सूखे की राष्ट्रीय समस्या है। साथ ही उड़ीसा समुद्री-तूफान से भी पीड़ित हुआ है। महोदय, आपको याद होगा कि दो वर्ष पूर्व इस संसद के प्रथम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में माननीय मन्त्री, राव बीरेन्द्र सिंह ने सभा में आश्वासन दिया था कि वह प्राकृतिक विपत्तियों की समस्याओं से बड़े पैमाने पर निपटने के लिए बोर्ड गठित करेंगे। उन्होंने सभा में आश्वासन दिया था कि देश के विशेषज्ञ इस मामले में गहराई से विचार करेंगे और बाढ़ तथा सूखे के उन्मूलन के लिए उपाय सुझायेंगे। प्राकृतिक विपत्ति और संकट नियंत्रण बोर्ड समूचे देश के लिए बनाया जाना है। इसका उन्मूलन

करना असंभव है। परन्तु आप कम से कम एहतियाती उपाय कर सकते हैं ताकि सूखे और बाढ़ का खतरा नियंत्रित किया जा सके। हमारे देश में बाढ़-नियंत्रण के लिए दो प्रकार की विचारधारा है। बाढ़ों पर नियंत्रण करके सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के पचास प्रतिशत दुख दूर किए जा सकते हैं।

हमारे माननीय डा० के०एल० राव, जो उच्च श्रेणी के इन्जीनियर हैं, ने सुझाव दिया है कि देश के भिन्न-भिन्न भागों में जलाशय बनाए जाए ताकि हम इस समय समुद्र में गिरने वाली नदियों के फालतू जल का उपयोग कर सकें। इस समय 1363 मिलियन क्यूसेक एकड़ फुट से अधिक पानी समुद्र में जाकर गिरता है। साथ ही, कर्नाटक के एक और बड़े इन्जीनियर, श्री विश्वेश्वरैया ने देश में अपने अनुयायियों को मार्ग दिखाया है। उन्होंने बताया है कि हम देश की सभी छोटी-छोटी नदियों में छोटे-छोटे जलाशय बना सकते हैं और साथ ही हम कुछ गिनी-चुनी सिंचाई परियोजनाएं – शब्दावली में बड़ी परियोजना नहीं चला सकते हैं। अब उन्होंने शब्दावली बदल दी है। बड़ी का मतलब है जो बहु-उद्देश्यीय हो, लागत बहुत होगी और हम इस देश में इतना धन प्राप्त नहीं कर सकते। मैं यह चाहता हूं कि छोटी नदी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हों जिन्हें बिना विलम्ब के बनाया जा सके और जिनकी निर्माणावधि कम हो। साथ ही हम अपने वनरोपण तथा औद्योगिकी कार्यक्रम चला सकते हैं। इस बहु-उद्देश्यीय परियोजना में औद्योगिकी और वनरोपण तथा विद्युत उत्पादन शामिल होगा। बाढ़-नियन्त्रण के प्रश्न की जांच करने के लिए अब तक बहुत आयोग और समितियाँ गठित की जा चुकी है परन्तु उचित ढंग से कोई बृहत् योजना नहीं बनाई गई है ताकि हम इन सभी नदियों का उपयोग कर सकें जो समुद्रों में जाकर गिरती है। यदि बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई के सम्बन्ध में कोई ऐसी बृहत योजना बनाई जाए तो मन्त्री महोदय को चाहिए कि इस सभा को विश्वास में ले और सभा में बताए कि इस प्रकार ये-ये परियोजनाएं आरम्भ की जा सकती हैं। वह कह सकते हैं, "कुछ अन्तर्राष्ट्रीय लोगों के साथ मेरे विचार-विमर्श के बाद मैं ये बड़ी, मध्यम और लघु परियोजनाएं आरम्भ करने जा रहा हूं।" परन्तु अब तक ऐसी कोई ठोस बृहत् योजना नहीं बनाई गई है।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि इस देश में वित्त-पोषण की बड़ी समस्या है। हम किसानों के लिए "प्रोजेक्ट सेल" की योजना स्वीकार कर सकते हैं। उसका मतलब है, ऐसी परियोजना लीजिए जिसकी लागत 100 करोड़ रुपए हो और उससे 4 लाख एकड़ से अधिक भूमि में सिंचाई हो।

लागत लाभ अनुमान क्या है ? हम किसान को प्रोत्साहन दे सकते हैं और उनसे किस्तों में परियोजना की लागत को वसूल कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० भोई, कृपया बैठ जाइए। माननीय सदस्यों डा० भोई द्वारा बोलना समाप्त करने के बाद मुझे एक घोषणा करनी है, श्री केदार पांडे बीच में

आएंगे। फिर दोनों तरफ के कुछ सदस्य जो बोलना चाहते है···(व्यवधान) आपको मेरी बात सुननी चाहिए। माननीय कृषि मन्त्री बीच में बोलेंगे। क्या आप नही चाहते कि वह बोले ?

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : हम बाद में चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने संसदीय कार्य मन्त्री जी से चर्चा की है। ऐसे सदस्य जो कल उपलब्ध नहीं होंगे, अभी बोल सकते हैं, उन्हें प्रत्येक को 10 मिनट का समय दिया जाता है। इस तरह हम सभी बोलने वालों को मौका दे सकेंगे और फिर सदन स्थगित हो जाएगा। कल, आधे घंटे की बहस समाप्त होने के पश्चात्, छः बजे, हम पुनः इसे लेंगे। अतः यह निर्णय अन्तिम है। अब, डा० भोई जारी रखें।

डा० कृपासिन्धु भोई : ऐसी योजनाएं जिनसे किसानों को प्रोत्साहन मिलता है प्रारम्भ की जा सकती हैं। सम्भलपुर में लघु सिंचाई से लिए इस प्रकार की योजनाएं अपनाई गई हैं। भारत सरकार को अन्य स्थानों में भी ऐसी योजनाएं अपनानी चाहिए। धन की कमी की कोई समस्या नहीं होगी। धन सिंचाई विभाग को अदा किया जा सकता है। अतः इस तरीके से हम राष्ट्र हित में नदियों का उचित प्रयोग कर सकते हैं। प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की निर्माण अवधि में 5 वर्ष से अधिक का विलम्ब हो जाता है। यह निर्धारित समय से अधिक होता है। हमें चीन तथा सोवियत संघ से बहुत कुछ सीखना चाहिए। 80 दिन की अवधि के भीतर उन्होंने एक बहु-उद्देश्यीय नदी परियोजना को पूरा कर दिया। उन्होंने लाखों लोगों को काम पर लगा दिया। हमें मानवीय संसाधनों का उपयोग करना है और जब तक इन सिंचाई योजनाओं को एक उद्योग के रूप में घोषित नहीं किया जाता और सिंचाई योजनाओं में लगे मजदूरों को औद्योगिक मजदूरों की ही तरह जिन्हें 16 रु० प्रतिदिन के हिसाब अदा किया जाता है, मजदूरी नहीं दी जाती है, हम सिंचाई योजना कार्यों के लिए मानवीय संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। सभी बड़ी बहु-उद्देश्यीय नदी परियोजनाओं के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन में मानवीय संसाधनों का उपयोग करना संभव हो सका। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता है कि भारत में हमारी प्रमुख नदी योजनाओं के लिए इतने अधिक मानवीय संसाधनों का उपयोग करना संभव क्यों नहीं हो सका है ? पंडित नेहरू के समय मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में, हीराकुंड बांध छः वर्ष की निर्माण अवधि के रिकार्ड समय में पूरा हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में इसका उद्घाटन किया था। इसी प्रकार कर्नाटक के महान अभियांत्रिक डा० विश्वेस्वरैया की निगरानी में कुछ परियोजनाए निर्धारित समय के भीतर ही पूरी की गई थीं लेकिन कुछ अन्य मामलों में निर्माण अवधि में 5 या 6 या 7 वर्षों का विलम्ब हुआ। जिस तथ्य का मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि हमने ऊर्जा क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन दिया है और हम ताप विद्युत केन्द्रों में छठी योजना के दौरान 14,000 मेगावाट को भी अधिक

विद्युत का उत्पादन करेंगे । हम ताप विद्युत केन्द्रों में 1 मेगावाट विद्युत के उत्पादन पर लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और यह अनुभव है कि एक बहु-उद्देश्यीय नदी बाँध परियोजना पर एक मेगावाट विद्युत के उत्पादन के लिए और एक एकड़ से भी अधिक भूमि की सिंचाई प्रदान करने के लिए हम 1.2 करोड़ रुपए खर्च करते हैं । यह कोई खर्चीला प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ताप विद्युत बनाने में हम अनतीकरण ऊर्जा स्त्रोत का प्रयोग करते हैं, लेकिन जल-विद्युत के उत्पादन के लिए, नवीकरण किए जाने वाली ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तभी उसी समय हम बाढ़ पर नियत्रण भी करते हैं तथा सूखा पीड़ित लोगों की सहायता भी करते हैं । अत: सिंचाई मन्त्रालय द्वारा इस पर गंभीरता-पूर्वक विचार किया जाना चाहिए और उन्हें योजना आयोग तथा सरकार से इस विषय में कहना चाहिए ।

जिससे मूल्यांकन की एक नई योजना बनाई जा सके तभी बहु-उद्देशीय नदी परियोजनाओं के लिए अधिक धन उपलब्ध कराया जा सके ।

महोदय, सन् 1900 के बाद, उड़ीसा हमेशा ही भयंकर सूखे से पीड़ित रहा है, विशेषकर उसके पश्चिमी भाग में यह नियमित और अन्तराल के पश्चात् होता रहता है, उड़ीसा का तटवर्ती भाग बाढ़ पीड़ित रहता है । अत: प्रत्येक वर्ष उड़ीसा की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है । इस हम बंध के निर्माण पर, अस्थायी पुर्नवास उपायों तथा गरीबों को सहायता देने पर कितने करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं ? अब तक भारत सरकार ने इस मामले में कोई आँकलन नहीं किया है । लेकिन हम इस पर बिना किसी लाभ के बहुत-सा धन खर्च कर रहे हैं । इस वर्ष समुद्री तूफान से, सूखे और बाढ़ में और भी तबाही की है । पिछले सत्र में भी, हमने देश में सूखे भी स्थिति पर चर्चा की थी और उस समय मैंने कुछ सुझाव दिए थे । मैं सरकार से पुन. अनुरोध करता हूं कि उन पर विचार किया जाए ।

पिछले महिने की 18 वीं तथा 19 वीं तारीख को सम्भलपुर में जो कि मेरे चुनाव क्षेत्र में है वृष्टिस्फोट हुआ था । वर्षा 581 मिली मिटर से भी अधिक थी क्योंकि वृष्टि कामन क्षमता 581 मिली मिटर थी, कोई नहीं जानता कि कितना जल बहा । यह सारी दुर्घटना छः घंटों के ही भीतर हुई । सम्भलपुर के चारो ओर 40 किलो मीटर के भीतर वृष्टिस्फोट हुआ । 50 करोड़ रुपये से भी अधिक की जन-धन की हानि हुई । ग्यारह लोग मारे गए और 4 व्यक्ति गुम पाए गए । 20,000 से भी अधिक घर बह गए या ढह गए । पुन: उड़ीसा के तटवर्ती भागों, महानदी खाड़ी के इलाकों में 29 तथा 31 तारीख को भारी वर्षा तथा नुकसान हुआ । 17 से 18 इंच से भी अधिक वर्षा हुई । हीराकुंड बाँध बंद कर दिया गया था, और उसमें रुका हुआ वर्षा का पानी जो कि बाहर निकलकर कटक तथा पुरी जिलों में फैल गया था एक लाख क्यूसेक से भी अधिक था । इसमें केवल 15 लाख क्यूसेक पानी आ सकता है और इसके कारण यह टूट गया

और कटक, पुरी, बेलानगीर तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में पानी भर गया और कई दिनों तक वे स्थान पानी में डूबे रहे।

भारत सरकार को उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन के अनुसार बाढ़ 1955 से भी भयंकर थी और जन-धन की हानि भी उससे कहीं अधिक थी। 8 जिलों वायत: कटक, पुरी, गंजम, फुलबनी, ढेंकानल, बोलनगीर, सम्भलपुर और कल्हनदी के 114 खंडों तथा 9000 गांवों में अत्यधिक नुकसान हुआ है। 90,000 वर्गमील तक बर्बादी हुई है, 7 नगर पालिका तथा 16 अधिसूचित क्षेत्र परिषदें प्रभावित हुई हैं। 50 लाख से भी अधिक व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा है प्रतिवेदन के अनुसार, लगभग 12 लाख हेक्टेयर फसलों का नुकसान हुआ है; 20 प्रतिशत से भी अधिक कृषि भूमि क्षेत्र जलप्लावन के प्रभाव में था।

उड़ीसा एक गरीब राज्य है और इसकी आर्थिक स्थिति हमेशा ही इन प्राकृतिक विपदाओं तथा राजनीतिक अस्थिरता से प्रभावित रहती है। कृषि मंत्री हरियाणा के हैं और जैसा हम जानते हैं।

हरियाणा और पंजाब की प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है और मैं उड़ीसा से हूं, जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे नीचे के दूसरी है। महोदय, उड़ीसा के लिए सिंचाई तथा बाढ़ नियत्रण के लिए आवंटन 360 करोड़ रुपये हैं जो कि नगण्य है। मेरे क्षेत्र की कई परियोजनाओं की जांच की गई है। श्री के० एल० राव ने 1976 में अपने भाषण में उड़ीसा की मजबूरियों के बारे में बताया है और इसका जिक्र किया है उन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है। स्वर्णरेखा परियोजना की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन उसका क्रियान्वयन अभी होना है। मेरे चुनाव क्षेत्र में, दो खण्डों को छोड़कर भूमि असिंचित है, और वे सदा सूखे से ग्रस्त रहते हैं। सूखे को रोकने तथा तटवर्ती क्षेत्रों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की सहायता के लिए भारत सरकार को अनेक परियोजनाएं प्रस्तुत की गई हैं। ओंग नदी पर चिरोली सिंचाई परियोजना है। प्रधान मन्त्री ने इस मामले पर ध्यान देने का वचन दिया है। मैं सिंचाई मन्त्री से अनुरोध करता हूँ कि चिरौली सिंचाई परियोजना जिससे पद्मपुर उप-प्रयाग के एक लाख एकड़ से भी अधिक भूमि की सिंचाई हो सकेगी पूर्णरूप से जोर दिया जाना चाहिए और उसे तुरन्त प्रारम्भ किया जाना चाहिए। छठी योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा धन उपलब्ध करा दिया गया है लेकिन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अभी भी इसे मंजूर किया जाना रह गया है। मैं मंत्री जी से चाहता हूं कि वह इस पर व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दें जिससे कि इस पर केन्द्रीय जल आयोग तथा भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी जाए।

इस वर्ष बोलनगीर जिले के तेलनदी क्षेत्र में भयंकर तबाही हुई। इस नदी पर तीन स्थानों में तीन योजनाएं चलाई जा सकती हैं। उड़ीसा सरकार ने महानदी की बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए एक प्रस्ताव रखा है यदि आप विश्वेश्वरैय्या प्रतिवेदन के

अनुसार इन नदियों पर बाँध बनाए तो ओंग और तेल एक दो नदियों का उपयोग हो सकता है। और 7000 क्यूजेक पानी कम किया जा सकता है। बाँध के बारे में एक विवाद भी है। सभी नदियों में सभी बांधों पर भारी मात्रा में 'सिल्टिंग' होने के कारण नदी की सतह ऊपर उठ रही हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि पानी अपना मार्ग और सतर स्वयं ढूंढने लगता है। इस समय कटक कस्बा महानदी के जल सतह से नीचे है। बाँधों पर होने वाले अनावश्यक खर्च को रोकने और तलछट निकालने के कामों को चलाया जा सके, इन कामों की जाँच को देखने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की राय ली जानी चाहिए और इन बाँधों को तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह से पूरी तौर से हटा देना चाहिए।

महोदय, सम्भलपुर मेरा जिला है। इस जिले में भी बाढ़ आयी है। उड़ीसा सरकार और सम्भलपुर जिले के अधिकारियों ने केन्द्र सरकार को एक ज्ञापन दिया था जिसमें उन्होंने उस जिले के लिए कम से कम 30 करोड़ रुपये अलग से माँगे थे ताकि सम्मलपुर जिले को हुए नुकसान की पूर्ति हो सके। और राज्य सरकार ने भारत सरकार से 618 करोड़ रुपयों की माँग की है और भारत सरकार को जितनी जल्दी हो सके उनके अनुरोध पर विचार करना चाहिए।

महोदय, खाद्य स्थिति के बारे में उड़ीसा सरकार ने शीघ्र 1,40,000 टन चावल और 30,000 टन गेहूं की माँग की है ताकि वे स्थिति का मुकाबला कर सकें।

पानी का प्रबन्ध एक राष्ट्रीय समस्या है और सदन के सभी सदस्य इस मामले पर सहमत हैं पहले की अनेक चर्चाओं में संसद सदस्यों की राय थी कि इसे राज्य का विषय न माना जाय बल्कि इसे भारत सरकार के अधीन लाया जाय ताकि उचित प्रतिबन्ध और सन्तुलन रखा जा सके। और महोदय, यह केवल मेरी ही राय नहीं है, जब विपक्ष सत्ता में था, हमारी पार्टी इसी मार्ग पर चल रही थी कि पानी के प्रबन्ध को केन्द्रीय विषय माना जाय। और बंगाल को छोड़कर कल जबकि हम सत्ता में हैं, मेरे विचार से इस मामले में सभी पार्टियां सहमत हैं। यह राष्ट्रीय समस्या है और हम इस राष्ट्रीय तबाही को हम इस विधि से रोक सकते हैं कि इस विषय को केन्द्र सरकार के अधीन लाया जाय।

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे): मानीय उपसभापति जी, इस डिबेट में 16 माननीय सदस्यों ने भाग लिया और बहस को श्री हरिकेश बहादुर ने शुरु किया। उन्होंने अपनी बात कहते हुए ज्यादा जोर सिंचाई के मुताल्लिक दिया। जहां तक ड्रौट की बात है, उसके सम्बन्ध में हमारे लायक एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपके सामने अपनी बातें रखेंगे। शायद वे आज ही आ जाएं या कल भी आ सकते हैं। आज भी आ सकते हैं। वैसे उनके रिप्रेजैन्टेटिव कृषि राज्य मन्त्री यहां पर मौजूद हैं।

सिंचाई और बाढ़ के मुताल्लिक यहां पर जितनी बातें कही गई, वैसे मैंने बहुत बार यहां पर कहा है कि बाढ़ और ड्रौट का रैडिकल क्योर हो सकता है। यह कोई भगवान की देन नहीं है। ऐसा हम यहां नहीं कह सकते। क्योंकि आजकल विज्ञान और टैक्नालॉजी के युग में कोई भी चीज असंभव नही है। इसलिए बाढ़ और सुखाड़ दोनों का रैडिकल क्योर हो सकता है। हमारे दोनों सदनों में नेशनल प्लान के ऊपर काफी बहस हो चुकी है। हमने उस वक्त भी कहा था कि इस देश में सरफेस वाटर हर साल कितना बहकर आता है। हिन्दुस्तान में प्रतिवर्ष 1440 मिलियन एकड़ फीट पानी बरसात के दिनों में आता है। मैं आपको यह बिल्कुल करैक्ट फीगर्स दे रहा हूं। लेकिन हम पानी का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अभी तक हम 1440 मिलियन एकड़ फीट पानी में से केवल 220 मिलियन एकड़ पानी का ही इस्तेमाल कर पाये हैं। बाकी पानी समुद्र में बह जाता है। इस देश में इतनी बारिश होती है, जिसकी वजह से यह बाढ़ हैं।

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री केदार पांडे : मानसून में इतनी वर्षा होती है। इस देश का क्लाइमेट ऐसा है। इस देश की हवा ऐसी है—यही वजह है। हम 1440 मिलीनन एकड़ पानी में से 220 मिलियन एकड़ पानी का उपयोग सिंचाई और सब बातों में कर सके हैं और बाकी का नहीं कर सके हैं।

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री केदार पांडे : साधन नहीं है। यह पुरानी कहानी है।

एक माननीय सदस्य : आपकी इच्छा नहीं है।

श्री केदार पांडे : इच्छा रहने पर भी। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। इसी लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय योजना बनाई है—प्लान फार दि वाटर रिसोर्सेज डवेलपमेंट इन दिस कन्ट्री। इस पानी का इस्तेमाल हम लोग कैसे करें और फ्लड न हो तथा इसका उपाय करें। दूसरा सवाल है इसको सिंचाई में लगाया जाए और तीसरा है कि हम इससे बिजली पैदा करें। नेशनल प्लान के बारे में फिल्म बनी है। आप लोगों ने देखी है। आपने बुक लेट भी पढ़ा होगा।

श्री राम प्यारे पनिका : नहीं पढ़ा।

श्री केदार पांडे : नहीं पढ़ा है, तो पढ़ना चाहिए। आप लोगों को दिया गया है, फिर भी आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको पढ़ना चाहिए। हमने इसको काफी बंटवाया है। आशा है नेशनल प्लान से फ्लड हमेशा के लिए बन्द हो जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि 1440 मिलियन एकड़ पानी हर साल अमरीका में भी आता है, जिसका कि उसने 50 प्रतिशत इस्तेमाल कर लिया है। इसलिए आपने देखा होगा कि अमरीका में बाढ़

नहीं सुनते हैं। सुखाड़ बहुत कम सुनते हैं। अमरीका सबसे धनी देश है। उससे बढ़ कर दुनिया में धनी देश कोई नहीं है। समस्या बहुत बड़ी है, जिसको सुलझाना है। यहाँ पर माननीय सदस्यों ने एक बात यह भी कही कि इसका कोई रैडिकल क्योर नहीं होगा, मैं कहना चाहता हूं कि जरूर होगा और इसमें शंका की बात नहीं है। मैंने पहले कहा था कि 50 हजार करोड़ रुपया इस पर खर्च होगा। इतना धन कहाँ से आएगा। एक ही बार तो इस्तेमाल नहीं करना है। पैनिन सुलर और हिमालयन रिवर्स सब नेशनल प्लान में सम्मिलित हैं। पानी के इस्तेमाल के बारे में नेशनल प्लान है। उसका साइंटिफिक एनालिसेस है। ऐसी बात नहीं है कि इसका प्लान है ही नहीं। पहले नहीं था, अब है। गारलैंड कैनाल की बात भी थी। वह प्रैक्टिकल नहीं था। इसलिए सब को मिलाकर हिन्दुस्तान ने इसको कबूल किया है। जो बंगलौर में इरिगेशन की कान्फ्रेंस हुई थी, उसमें नेशनल प्लान रखा गया। पूरे देश ने इसको स्वीकार किया है। "इफ" और 'बट" का सवाल नहीं है। आगे बढ़ने की बात है। नेशनल प्लान के वाटर रिसोर्सेज डवेलपमेंट के लिए एजेंसी बनाई गई। एजेंसी का रजिस्ट्रेशन आठ जुलाई को हुआ है। इस एजेंसी के द्वारा इस सर्वे का काम हम लोगों ने उड़ीसा से शुरू करने की सोची है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा बाढ़ हैं। साइक्लोन आया, कितना नुकसान हुआ।

लेकिन एक बात है, हीराकुंड डैम इन्टैक्ट रहा। वह टूटा नहीं। यदि टूट जाता तो हालत और खराब हो जाती। लेकिन उसके नीचे सम्बलपुर में इतनी बारिश हुई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हुई। उसका इन्तजाम हम लोग करने जा रहे हैं। उस एजेंसी के द्वारा हम लोग महानदी का सर्वे कर रहे हैं। महानदी में सबसे ज्यादा बाढ़ आई।

ऐसा कोई उसका सर्वे शुरू करें और भी कोई सर्वे शुरू करें। इरादा यह है कि महानदी का जो सरपलस पानी है, उसको हम साऊथ की किसी रिवर में डाइवर्ट करें। इस तरह से हम काम शुरू करने जा रहे हैं। यह कोई कपोलकल्पित बात नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है जो कि कागज पर ही हो। अब हम इसको करने जा रहे हैं। **(व्यवधान)**

मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं कि अब शुरूआत हो रही है, नया अध्याय शुरू हो रहा है। पानी के उपयोग के नये कार्य होने जा रहे हैं। पहले तो आप यह सब सुनते थे लेकिन अब आप सुनेंगे नहीं बल्कि होते हुए देखेंगे। अब हम जल्दी से शुरू करने जा रहे हैं।

हमने इसका सर्वे करने के लिए नये स्टेप्स उठाये हैं। एक स्पेशल एजेन्सी बनायी है और उसके द्वारा हम सर्वे शुरू करेंगे। एक बात हम कहना चाहते हैं कि यह जो बाढ़ और सुखाड़ जैसी विपत्तियाँ हैं इनसे छुटकारा पाने के लिए हम पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं। इनके बारे में हमें निराश होने की जरूरत नहीं है।

जहाँ तक फ्लड की बात है, ड्राट की बात है ये इस साल पहली बार नहीं आयी है और ना ही ड्राट इस साल पहली बार पड़ा है। ये पहले भी होते रहे हैं। लेकिन इस साल एक आदमी भी भूख से नहीं मर सका है। इसके बारे में हमें कहीं से भी कोई खबर नहीं आयी है कि भूख से कार्य व्यक्ति मर गया हो। क्योंकि हमारे पास अनाज इतना है कि हम किसी को भी भूख से नहीं मरने देंगे। (व्यवधान) किसी ने भी हमें अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है कि भूख से कोई आदमी मरा हो। (व्यवधान) बाढ़ से मरे हैं लोग। सूखे से कोई नहीं मरा है। यह बात मैं इस मायने में कह रहा हूं कि हमारे पास अनाज की कमी नहीं है जिससे कि लोग भूख से मर जाए। इस बारे में हमारे पास कहीं से भी कोई रिपोर्ट नहीं आयी है।

अब आप साइंटिफिक बात भी जानिये। हमारे यहाँ फ्लड प्रोन एरिया 40 मिलियन हैक्टेअर है। जिसमें से हर साल 1.2 मिलियन हैक्टेअर एरिये में बाढ़ आती है। इतना बड़ा फ्लड प्रोन एरिया है। इसको आपको जानना चाहिए। इसमें से हर साल 1.2 मिलियन हैक्टर एरिये में बाढ़ आती है। यह जो 40 मिलियन हैक्टेअर फ्लड प्रोन एरिया है इसमें से पिछले 26-27 वर्षों में एरिया घटा है। इतने वर्षों में 11.17 मिलियन हैक्टेअर एरिये का प्रोटक्शन हम कर सके हैं। इसमें खर्चा हुआ है। कैसे खर्चा हुआ है ? हमने इतने डैम भी बनाये हैं। आपके सामने भाखड़ा नांगल डेम है। बहुत-सी नदियों पर एम्बेंकमेंट्स बनाये हैं। कोसी में बनाया है। उस एम्बेंकमेंट का असर पड़ा है। कोसी में हम रिजरवायर भी बनाना चाहते हैं। मैं गोरखपुर का एरियल सर्वे करने गया था। वहाँ मैंने देखा कि एक भी एम्बेंकमेंट नहीं टूटा है। उसकी वजह से गोरखपुर और बलिया की रक्षा हुई।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : आप इंकवायरी कराइये कि बिहार में कोई आदमी भूख से नहीं मरा है। नहीं तो आपके खिलाफ प्रिविलेज नोटिस आ जाएगा। यह सब कुछ आपको पता करके कहना चाहिए।

श्री केदार पांडे : कोई खबर आए तब तो हमको पता चलेगा। अभी तक हमको कोई खबर नहीं मिली है। हमें इतना पता है कि हिन्दुस्तान के पास इतना अनाज है कि अनाज की कमी नहीं हो सकती और काफी मात्रा में हर जगह अनाज भेजा जा रहा है और भेजा जाएगा और अभी तक भूख से एक भी आदमी नहीं मरा है। बाढ़ से मरे हैं, हमने फिगर भी बताये हैं।

तो एक बात यह कि 40 मिलियन हैक्टर फ्लड प्रोन एरिया में से 11.17 मिलियन हैक्टर प्रोटेक्ट हो गया है और 8 मिलियन हैक्टर एरिया ऐसा है जिसका प्रोटक्शन करना आसान नहीं है। 967 करोड़ रुपया हमने इस पर खर्च किया है अभी तक, लेकिन सिक्सथ फाइव इयर प्लान में 2.5 मिलियन हैक्टर का प्रोटक्शन करने के लिए 1045 करोड़ रुपया

रखा गया है । इस प्रकार 40 मिलियन हैक्टर में से 18, साढ़े 18 मिलियन हैक्टर फ्लड प्रोन एरिया रह जाएगा, जिसका इंतजाम आगे किया जाएगा ।

अब आप यह जान लीजिए कि हिन्दुस्तान में कितना फ्लड है । जनरल टर्म में बात करने से काम नहीं चलता, साइंटिफिक स्टेटिसटिक्स में बात कीजिए । तब आप समस्या की सराहना कर पायेंगे ।

(व्यवधान)

मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं करता हूं, मैं पूरे हिन्दुस्तान की बात करता हूं । (व्यवधान)

मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा बाढ़ चार प्रदेशों में आई है । उत्तरप्रदेश, बिहार, आसाम और उड़ीसा ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यदि बाढ़ों में लोग मरते हैं तो उनसे यह कहने का कोई तुक नहीं है कि आप की संख्या सारे देश की जनसंख्या के तुलना में बहुत कम प्रतिशत है । ये आँकड़े उनकी सहायता नहीं करेंगे ।

श्री केदार पांडे : लेकिन आप मुझे किसी एक ऐसे राज्य का नाम बताएं जहाँ एक भी आदमी बाढ़ से मरा हो ।

श्री हरीकेश बहादुर : आपके ही वक्तव्य में बाढ़ के कारण हुई मौतों का उल्लेख हुआ है ।

श्री केदार पांडे : मैं आँकड़ों की बात इस सन्दर्भ में कर रहा हूं कि देश में कितना क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है । जब मैंने 'आँकड़े' कहा, यही मेरा आशय था । अभी तक हम इतने अधिक क्षेत्र को बाढ़ से बचा पाने में सक्षम हुए हैं । हमने इस दिशा में बहुत अधिक काम किया है ।

श्री सुनील मैत्रा : आपके मंत्रालय में अब आपने शब्दावली भी बदल दी है । 'बाढ़ नियंत्रण' के स्थान पर अब आप "बाढ़ प्रबन्ध" कह रहे हैं ।

श्री केदार पांडे : फ्लड कन्ट्रोल है, हम कहते हैं । जब फ्लड से प्रोटक्शन दिया तो फ्लड कन्ट्रोल है । अब चाहे इसे फ्लड कन्ट्रोल कहिए चाहे फ्लड मैनेजमैंट कहिए । बात एक ही है ।

श्री सुनील मैत्रा : एक नहीं है ।

श्री केदार पांडे : यह बात सही है कि फ्लड से रक्षा हुई है । यह आप मानिए । 11.17 मिलियन हैक्टर फ्लड प्रोन एरिए में प्रोटक्शन मिला है, इस बात को आप चैलेंज

नहीं कर सकते और सिक्सथ फाइव इयर प्लान में 2.5 मिलियन हैक्टर में प्रोटक्शन देंगे, इसके लिए 1045 करोड़ रुपया दिया है। हम इसको कर रहे हैं।

दूसरी बात सिंचाई की है। आप देखिए 1951 में क्या हालत थी, बिफोर प्लान पीरियड। उस वक्त 22.4 मिलियन हैक्टर और आज इरीगेशन 61.4 मिलियन हैक्टर में है। इरीगेशन से हमारे देश में सबसे बड़ा काम यह हुआ है कि अनाज की पैदावार बढ़ी है।

अनाज के मामले में हम सैल्फ सफिशियन्ट हुए, पहले नहीं थे। (व्यवधान) यह इरीगेशन की वजह से ही हुआ।

एक माननीय सदस्य : बाहर से फिर अनाज क्यों आ रहा है ?

श्री केदार पांडे : स्टाक मेन्टेन करने के लिए है।

उसी तरह से आगे बढ़े और यह काम तो अच्छा हुआ। एक-तरफा आप कह रहे हैं कि इस गवर्मेन्ट ने और इस कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जो एचीवमेन्ट हुआ है, उस एचीवमेन्ट को भी रखना चाहिए और जहाँ ड्रा-बैक है, उसको भी रखना चाहिए। दोनों आसपेक्ट्स आपको रखने चाहिए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि फ्लड से नुकसान हुआ है, बराबर परेशानी हुई है, ड्राट भी आया है और हर साल आता है। लेकिन हम चाहेंगे कि नेशनल प्लान को एग्जीक्यूट करें। लेकिन इसके लिए कुछ समय लगेगा। उसके बारे में हमने एक और बैठक बुलाई थी और कहा था कि 113 मिलियन हैक्टर्स टोटल अल्टीमेट इरीगेशन पोटेन्शियल इस देश में है। अब तक हमने 61.6 मिलियन हैक्टर्स कवर किया है। बाई दी एन्ड आफ सेन्चुरी हम चाहते हैं कि 113 मिलियन हैक्टर्स जो अल्टीमेट इरीगेशन पोटेन्शियल है, उसको एचीव करें। पिछले साल अनाज की पैदावार 134 मिलियन टन हुई। इरादा यह है कि बीसवीं सदी के अन्त तक हम इरीगेशन पोटेन्शियल एचीव करेंगे और उस समय अनाज की पैदावार 268 मिलियन टन हो जाएगी।

ज्यादा इरीगेशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी ज्यादा बढ़ेगा। इस देश में काफी प्रोडक्शन ऐसा होता है, उसका 60 परसेंट इरीगेटेड एरियाज से आता है, इसको कोई चेलेंज नहीं करता है।

उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कहता हूं। नेपाल से प्रापर अन्डरस्टेन्डिग की जरूरत है। जब तक नेपाल से प्रापर अन्डरस्टेन्डिग नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश और बिहार में सुखाड़ भी आयेगा, इसलिए उसका डैम बनाना होगा नेपाल के हिस्से में। नेपाल के साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध होने चाहिए। हमारे अच्छे सम्बन्ध रहे हैं, हम इसे उन्हें समझा रहे हैं।

हम कान्फीडेंट है कि एक वक्त आयेगा, जब वहाँ का मामला तय हो जायेगा। अभी फल्ड के बारे में मैंने इतना ही बताया, कल ड्राट की बात होगी, अनाज के पैदावार की बात होगी और जो स्टेट प्राबलम्स हैं उसको हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर रखेंगे।

श्री जी० नरसिन्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूं जिन्होंने यह चर्चा उठाई है। अनेक सदस्यों ने देश में सूखा और बाढ़ की स्थिति पर पर्याप्त जानकारी दी है। मैं माननीय मन्त्री को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने राष्ट्रीय योजना के बारे में पर्याप्त आंकड़े पेश किए हैं। इस सदन के एक माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। माननीय मन्त्री को विश्वास है कि राष्ट्रीय योजना यदि यह लागू हो रही है, तो इससे इस शताब्दी के अन्त तक देश में सूखे और बाढ़ की समस्या हल हो सकती है।

यदि आप हमारे देश के पिछले कई वर्ष के इतिहास को देखें तो हमारे सामने एक ओर से एक बार बाढ़ आती है तो दूसरी ओर सूखा पड़ता है। मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि यदि आप सावधानी पूर्वक देखें तो आप पायेंगे कि ज्यों-ज्यों वर्ष गुजरते हैं सूखा या बाढ़ प्रत्येक पांच या दो वर्ष में आते हैं। लेकिन इस वर्ष जैसाकि अनेक माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है, ऐसी स्थिति आयी है कि सूखा और बाढ़ एक ही वर्ष में एक ही क्षेत्र में आए हैं।

मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि यही स्थिति जारी रही, यद्यपि माननीय मन्त्री महसूस करते हैं कि इस शताब्दी के अन्त तक समस्या हल हो जायेगी, मैं उन लोगों में से हूं जो ऐसा महसूस करते हैं कि यह समस्या बढ़ेगी और यह एक बहुत विराट समस्या हो जायेगी, जिससे हमें इस शताब्दी के अन्त तक निपटना होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि इस शताब्दी के अन्त तक ऐसी स्थिति होगी कि हमें लगभग सभी क्षेत्रों में सूखे का सामना करना होगा और यदि कहीं वर्षा हुई भी, तो वह पर्याप्त नहीं होगी और यदि हमारी अपेक्षा से कहीं थोड़ी ज्यादा वर्षा हुई, तो बाढ़ आ जायेगी।

मैं आपका ध्यान केवल इस तथ्य की ओर दिलाने का प्रयास कर रहा हूं कि पिछले कई वर्षों से पेड़ों की अंधाधुन्ध कटाई हो रही है, यदि इसी प्रकार उनकी कटाई जारी रही तो इस शताब्दी के अन्त तक ऐसी स्थिति होगी कि हमारे पास कोई भी वन क्षेत्र नहीं रहेगा। यदि एक बार देश में वन क्षेत्र, समाप्त हो जाए, तो आपकी कितनी ही बड़ी योजनाएं हों, उनमें 'सिल्टिंग' हो जायेगा। हमारे देश की नदियों में बाढ़ आने का एक कारण यह भी है कि भूमि कटाव के कारण नदियों की गहराई कम हो रही है। और जब नदियों की गहराई घटती है, तब चाहे बहुत कम वर्षा हो, यहां तक 40 इंच या इससे कम वर्षा हो, सर्वत्र बाढ़ आ जाएगी। जब तक हम मूल कारण का पता नहीं

लगाते हैं, एक ही क्षेत्र में, एक ही राज्य में, एक ही समय पर बाढ़ और सूखे पड़ेंगे । हम उस समस्या को हल नहीं कर सकते ।

इसलिए मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे सामान्य आंकड़ों से मार्ग-निर्देश न लें । उन्हें यह देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका कारण क्या है ? हम अपनी वर्तमान सिंचाई परियोजनाओं की किस प्रकार सुरक्षा कर सकते हैं ।

आपके पास सिंचाई अभियन्ता हैं जोकि इस बात पर विचार कर सकते हैं कि सिंचाई परियोजनाओं में गाद क्यों जमा हो रही है और जिन परियोजनाओं को 70 या 100 वर्ष तक उपयोग किया जाना था उनका 25 वर्ष भी उपयोग क्यों नहीं किया जा सका है । यदि यही हाल रहा तो मुझे डर है कि इस सदी के अन्त तक आपकी सभी सिंचाई परियोजनाओं और नदियों में गाद भर जाएगी और थोड़ी सी वर्षा से ही सारे देश में बाढ़ आ जाएगी ।

अत: केवल धन अथवा राष्ट्रीय योजना की समस्या नहीं है । इस देश को सूखे और बाढ़ से बचाने के लिए हमें अपने पुराने, बीते जमाने की ओर नजर डालनी पड़ेगी । इसका केवल एक ही रास्ता है कि देश में वन लगाने पर पर्याप्त धन खर्च किया जाए । हमारे पास कम से कम भूमि के एक तिहाई भाग में वन होने चाहिए । अन्यथा, यदि हम 40,000 करोड़ या 100,000 करोड़ रुपए खर्च कर दें तो भी यह समस्या हम नहीं होगी । दूसरी ओर इस सदी के अंत तक स्थिति बिगड़ जाएगी और जैसाकि मैंने पहले कहा है कि चारों ओर सूखा होगा और वर्षा की थोड़ी बूंदों से ही सब जगह बाढ़ आ जाएगी । अत:; मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे इस ओर ध्यान दें ।

मेरे राज्य आन्ध्र प्रदेश में भारी सूखा पड़ा है । यह सूखा अभी हाल ही में श्री भास्कर रेड्डी द्वारा मुख्य मन्त्री का पद संभालने के बाद पड़ा है । उन्होंने 20 तारीख को शपथ ग्रहण की । 21 तारीख को अपने कार्यालय जाने से पहले उन्हें सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर जाना पड़ा । पांच दिन तक उन्होंने सारे क्षेत्र का दौरा किया क्योंकि स्थिति बहुत खराब थी । आन्ध्रप्रदेश सरकार ने भारत सरकार को एक ज्ञापन भेजा है । कल ही हमें पता लगा कि भारत सरकार आज या कल आन्ध्रप्रदेश में एक दल भेजने पर विचार कर रही है ।

मैं अपने राज्य की स्थिति में संबंधित कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं । हमारे राज्य में यह मौसम आमतौर पर मानसून का होता है और इस मौसम में दक्षिण-पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून से यहाँ वर्षा होती है । जून के शुरू में यहाँ दक्षिण-पश्चिम मानसून से अच्छी वर्षा होती है और सभी किसानों को बड़ी उम्मीदें होती हैं । वे सभी अपने खेतों में हल चलाकर बीज बो देते हैं । अधिकतर क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं । 70 प्रतिशत भूमि मानसून पर निर्भर करती है । बीज बोकर वे बहुत खुश होते थे । परन्तु जसे ही अगस्त का महीना आया ऐसा सूखा पड़ा कि आन्ध्र प्रदेश के 20 जिलों के 77

तालुकों की सभी फसलें उससे प्रभावित हुईं। इससे किसान तथा खेतिहर मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। किसान लोग ने काफी धन खर्च किया और फसल काटने की प्रतीक्षा करते रहे थे परन्तु इस सूखे की लहर के कारण उन्हें कुछ नहीं मिला और उनकी स्थिति बड़ी खराब है। कमजोर वर्गों और खेतिहर मजदूरों की खरीद करने की क्षमता शून्य हो गई है। मंत्री महोदय ने बड़ी गर्व के साथ कहा है कि देश में प्रत्येक आदमी का पेट भरने के लिए हमारे पास पर्याप्त अनाज है। इसमें कोई सन्देह नहीं है और यह सुनकर मैं बहुत खुश हूं। परन्तु मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आप हमें मुफ्त खाना देंगे ? हमारे पास खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। जब तक हमारे किसानों, खेतिहर मजदूरों और गांव में समुदाय के अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं होगी आपके भारतीय खाद्य निगम के गोदाम और राशन की दुकानें उन्हें खाद्यान्न नहीं दे सकती। जब तक आप काम करने के अवसर पैदा नहीं करेंगे समुदाय के कमजोर वर्गों के लोगों को कमाने का अवसर नहीं देंगे, ताकि वे आपके पास से खाद्यान्न खरीद सकें। हजारों टन खाद्यान्न जोकि गोदामों में पड़ा है। इस तरह किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा मांगे गए 200 करोड़ रुपए पर्याप्त नहीं हैं। धनराशि कुछ भी हो, मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे ताकि देश के सभी लोगों को विश्वास हो जाए। चाहे वे आन्ध्र प्रदेश के हों या राजस्थान के या किसी अन्य राज्य के। बाढ़ तथा सूखे से प्रभावित सभी लोगों में केन्द्रीय सरकार को यह कहकर विश्वास पैदा करना चाहिए कि यदि राज्य सरकार लोगों की सहायता नहीं कर सकती तो उनकी सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार मौजूद है और लोगों की जान बचाने, उनके लिए काम के अवसर उत्पन्न करने, उनकी खरीद क्षमता बढ़ाने और उन्हें भूखे मरने से बचाने के लिए जितने धन की जरूरत पड़ेगी। केन्द्रीय सरकार वह खर्च करने के लिए तैयार है। यह बहुत ही जरूरी है। आप 30 या 40 करोड़ रुपए देने के बजाय लोगों में विश्वास अधिक पैदा करें।

राज्य में इस अचानक पड़े सूखे से लगभग 81 लाख एकड़ जमीन पर कोई फसल पैदा नहीं हुई। लगभग 53 लाख टन खाद्यान्न की हानि हुई है। कुल 600 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है और 31 लाख लोग, किसानों और खेतिहर मजदूरों सहित, आज बेरोजगार हैं।

इन शब्दों के साथ—मैं अधिक समय नहीं लूंगा—माननीय मन्त्री महोदय से मैं एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि आन्ध्र प्रदेश में स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक दल शीघ्र भेजा जाए तथा उन्हें आवश्यक आर्थिक सहायता दी जाए परन्तु इससे अधिक राज्य के लोगों में विश्वास पैदा किया जाए ताकि लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें तथा स्थिति का सामना कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री रामस्वरूप राम बोलेंगे।

श्री मोती भाई आर० चौधरी (मेहसाना) : आप सत्तारूढ़ दल के पहले ही बोलने का मौका दे चुके हैं। अब मेरी बारी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल को पहले ही काफी समय दिया जा मामले के रूप में मैं आपको अनुमति देता हूं। क्योंकि आप अनुरोध कर अनुमति देता हूं, परन्तु आपको अपना भाषण जेल्दी खत्म करना होगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल को पहले ही अनुमति दी जा चुकी का समय समाप्त हो गया है। परन्तु मैं आपको विशेष मामले के देता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम 9 बजे तक सभा स्थगित करना चाहते हैं कार्य मन्त्री से परामर्श किया है। यदि प्रत्येक सदस्य पांच मिनट बोलेगा को बोलने का अवसर मिल सकता है। यदि आप पांच मिनट से अधिक सदस्यों को अवसर नहीं मिलेगा और उन्हें कल बोलना पड़ेगा।

इस पांच मिनट के समय में आपको नए मुद्दे उठाने हैं।

श्री रामस्वरूप राम : बिहार का रिप्रेजेन्टेशन भी नहीं हुआ है।

श्री राम प्यारे पनिका : आपने यह तय किया था कि जिसे कल बोलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा को केवल आपको ही सुविधानु सकता।

श्री राम प्यारे पनिका : यह आपका निर्णय था।

उपाध्यक्ष महोदय : 9 बजे मैं सभा स्थगित कर दूंगा। यदि आप अवसर देना चाहते हैं तो समय की पाबन्दी का पालन करना होगा। यहां 4 बजे से बैठे हुए हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : मैं बाहर जा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कल यहां रहना चाहिए। आपको करना पड़ेगा। यह चर्चा बहुत महत्त्वपूर्ण है।

श्री राम प्यारे पनिका : अब आपने अपना निर्णय बदल दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं कहीं नहीं जाता और यहां बोलता। आपको अपने मतदाताओं के प्रति निष्ठा दिखानी चाहिए।

श्री राम स्वरूप राम (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम यहां सुखाड़ और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर विचार कर रहे हैं। यह सिर्फ एक राज्य की सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि सारे देश में अधिकांश प्रान्तों में बड़ी भयावह स्थिति है। माननीय सदस्यों ने बहुत ही विस्तारपूर्वक इसकी चर्चा की है, मैं मुख्यत: अपने प्रान्त बिहार राज्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

बिहार राज्य तीन भागों में बंटा हुआ है। गंगा के उत्तरी हिस्से को उत्तरी बिहार कहते हैं, उसके बाद कुछ समतल भूमि है जिसमें नवादा, गया, औरंगाबाद, पलामू आदि सब एरिया पड़ते हैं और उसके बाद छोटा नागपुर का पठारी एरिया पड़ता है।

उत्तरी बिहार तो बाढ़ से भयंकर रूप से प्रभावित रहा और इसके साथ ही दुर्भाग्य यह भी रहा कि वहां बाढ़ के तुरन्त बाद सुखाड़ का भी प्रकोप हुआ। हमारे दक्षिण बिहार में सुखाड़ 1967 से ही है। पिछले 16 वरस में हमारा बिहार राज्य 4 बार सुखाड़ के प्रकोप से प्रभावित रहा है। यह हमारी रिपोर्ट नहीं है बल्कि बिहार राज्य में जो सेंट्रल टीम कृषि-मन्त्री ने भेजी थी, उन्हीं की रिपोर्ट है—

पिछले 16 वर्षों में राज्य को चार भयंकर सूखों का सामना करना पड़ा है—1966-67 में, 1972-73 में, 1977-78 में और 1979-80 में।

एक तो हम आर्थिक दृष्टि से बहुत गरीब और पिछड़े हुए हैं, नेशनल रिसोर्सेज का बहुत कम पैसा वहां खर्च हुआ है, बल्कि नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिये बहुत ज्यादा चीजें हम वहां से देते रहे हैं।

हमारे श्री समर मुखर्जी बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए कि क्या वह हमसे पानी नहीं ले जा रहे हैं ? पानी के सम्बन्ध में दक्षिण बिहार के साथ खिलवाड़ दामोदर वैली से नहीं कर रहे हैं।

उस पर बिहार सरकार और बंगाल सरकार के बीच कई बार मीटिंग्स हुई। लेकिन अभी तक बहुत सा बंगाल सरकार का बकाया बिहार सरकार पर है। माननीय सिंचाई मन्त्री एवं कृषि मन्त्री दोनों को मालूम है कि जो राज्य इतना पिछड़ा हुआ हो, जहां पर लगातार चार-चार बार सूखा पड़ा हो, प्राकृतिक आपदाएं आई हों और पुन: इस बार भी जो भयंकर स्थिति से गुजर रहा है, क्या उसको नजरअन्दाज किया जा सकता है। उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहां पर माननीय कृषि मन्त्री जी बैठे हुए नहीं है। पिछली दफा बिहार सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने के लिए जितनी रिक्वायरमैंट उनको भेजी थी, मुझे पता चला है कि वे इस बार 60 हजार टन

गल्ला दे रहे हैं, जिसमें 20 हजार टन चावल और 40 हजार टन गेहूं बिहार को दिया जाएगा। वर्तमान में, हमारी रिक्वायरमैंट, जैसे आंकड़े बिहार सरकार ने सैन्ट्रल टीम के सामने अपनी रिपोर्ट दी है, अनुशंसा की है, उसमें कहा गया है कि हमको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक करने के लिए, कम से कम एक लाख टन गेहूं और 50 हजार टन चावल प्रति मास दिया जाए। ताकि लोग अन्न के अभाव में भूख से मरें नहीं। साथ ही सैन्ट्रल एसिस्टैंस के रूप में 226·11 करोड़ रुपया भी हमको दिया जाए। हमारी बिहार सरकार ने ड्रौट से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए यह रिक्वायरमैंटस रखी थीं। लेकिन उसके अनुपात में उसको कितना अन्न दिया जा रहा है। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आप सैन्ट्रल एसिस्टैंस के रूप में बिहार सरकार को कितना पैसा दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी तो हम उसको रिव्यू ही कर रहे हैं। आप ही बताइये, वहां कितनी भयानक परिस्थिति पैदा हो गई है और आप अभी तक रिव्यू ही कर रहे हैं। अभी हमारे पांडे जी स्टैटिस्टिकल फीगर्स देकर यह साबित करना चाहते थे कि हम बड़े प्रिविलेज्ड पोजीशन में है, बड़ी कम्फर्टेबल पोजीशन में हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि वे कहीं गुरु जी की पाठशाला वाला औसत तो नहीं निकाल रहे हैं। मैं सिर्फ एक-दो मिनट में वह साधारण सा वाकया सुनाना चाहता हूं। एक लाला जी एक पाठशाला में गुरु जी थे। उनके 5 बच्चे थे। एक बार वे कहीं जा रहे थे। उनके रास्ते में एक नदी पड़ती थी। नदी को पार करने से पहले उन्होंने अपने पांचों बच्चों की लम्बाई का औसत निकाला, फिर पानी की गहराई निकाली। उनके पांचों बच्चों की औसत लम्बाई 5 फीट 3 इंच आती थी, जब कि नदी की गहराई 5 फीट थी, उन्होंने सोचा कि इस हिसाब से सारे बच्चे नदी पार कर जायेंगे। लेकिन उन्होंने अपने सबसे छोटे बच्चे की लम्बाई पर ध्यान नहीं दिया कि क्या वह भी 5 फीट 3 इंच का है या नहीं। उन्होंने औसत निकाल कर यह सोचा कि इस हिसाब से तो सारे बच्चे पार हो जाएंगे। लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि उनका सबसे बड़ा बच्चा तो नदी पार कर गया और बाकी चार नदी में डूब कर मर गए। इसलिए कहीं हमारे मन्त्री जी उन लाला जी वाला औसत तो नहीं निकाल कर हमें समझाना चाहते हैं। यदि ऐसी बात है तो यह बड़ी गम्भीर बात है। क्या उन्होंने लाला जी वाली स्टैटिटिक्स तो नहीं निकाला है। हमारे कृषि राज्य मन्त्री जी बैठे हुए हैं, सिंचाई मन्त्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि जल्दी आप वहां का रिव्यू करवा लीजिए और प्रार्थना करूंगा कि जल्दी स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए वहां थोड़ी मदद पहुंचाइये।

हम लोग अक्सर देखते हैं कि अब भी हमारे देश में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे हमारे समाज का सबसे कमजोर वर्ग प्रभावित होता है। उसके कारण खेतों में काम करने वाले किसान की हालत बड़ी खराब होती है। आज उसके पास क्रय शक्ति नहीं है। आप कितनी ही फेयर प्राइस शौप्स खोल दें, लेकिन जब उसके पास पैसा ही नहीं है तो वह वहां से कैसे अनाज खरीद पाएगा। आज वह जौबलैस हो गया है।

हमारे यहाँ ऐसे लोगों की आबादी 43 प्रतिशत है, जो लोग हरिजन या आदिवासी कहलाते हैं। बड़े-बड़े किसानों की बात छोड़िए। बड़े किसानों में तो किसी के यहां वकालत होती है, किसी के यहां नौकरी होती है, किसी के यहां बिजिनैस होता है। उनके यहां अगर किसी बार खेती नहीं होती तो वकालत से इन्कम हो जाती है, नौकरी से तनख्वाह आ जाती है या बिजीनैस से पैसे आ जाते हैं। लेकिन जिस आदमी की जीविका ही खेती पर निर्भर है, ऐसी स्थिति आने पर उसकी क्या हालत हो जाती है, उसकी आप कल्पना कीजिए। जब वह जौबलैस हो जाए तो उसकी स्थिति कितनी भयानक होगी। आपको इस स्थिति को बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए।

आपने एन०आर०पी० प्रोग्राम क्यों बन्द कर दिया। एक तरफ तो हमारे किसान के पास क्रय शक्ति नहीं है, खेतों में काम करने वाले जौबलैस हो गए हैं, और दूसरी तरफ आपने एन०आर०पी० प्रोग्राम भी बन्द कर दिया। इसका उन लोगों पर क्या असर होगा। वे लोग गाँव छोड़ कर शहरों की तरफ भागेंगे। जब शहरों में आयेंगे तो उनका शोषण होगा। एक ओर हमारी प्रधानमन्त्री की नीति है कि आप रोजगार का माहौल उनके लिए बनाइए। एन०आर०ई०एस० जो आपका प्रोग्राम है कि हम उनको उठायेंगे, क्या आपका यह प्रोग्राम सार्थक हुआ है ? उसके अन्तर्गत कितने परिवार ऊपर आये हैं ? कोई परिवार ऊपर आया भी है या नहीं ? आप आँकड़ों की खेती भले ही कर लीजिए लेकिन आँकड़ों की इस खेती से बहुत दिनों तक काम नहीं चलेगा।

जब हम 1980 में जीत कर आए थे तो उस समय कृषि मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि पाँच वर्ष के अन्दर जितने भी देश में प्राब्लम विलेज हैं उनमें से पेयजल का संकट हम खत्म कर देंगे। क्या आप बतायेंगे कि हिन्दुस्तान के कितने गांवों को आपने अब तक कितनी-कितनी फेसिलिटीज प्रोवाईड की है। हमें ढाई साल हो गए हैं और हमारे देश के सात लाख गाँवों में से 60 प्रतिशत से भी अधिक गाँवों में अभी भी पानी का संकट है। जो आप कहते हैं उसको करने की कोशिश करिए तभी यह लगेगा कि काम हो रहा है।

यह बड़ी खुशी की बात है कि बिहार के संकट को देखते हुए आपने वहाँ एक केन्द्रीय टीम भेजी। उस केन्द्रीय टीम के समक्ष बिहार सरकार ने जो अपनी फिसारिश की है, वह मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं। बिहार के लोगों की मदद करने लिए वहाँ की सरकार ने यह अनुशंसा की है—

> "जहाँ तक खाद्यान्न की आवश्यकताओं का सम्बन्ध है यह कहा जा सकता है कि 1966-67 में अक्तूबर, 1966 और दिसम्बर, 1967 के बीच 15 महीनों तक राज्य भयंकर सूखे की चपेट में था। उचित दर की दुकानों के माध्यम से 22·4 लाख टन खाद्यान्न वितरित किया गया।"

इसमें जो सेन्ट्रल असिसटेंस की बात कही गई है, वह बिहार की 6 करोड़ आबादी को ध्यान में रखकर कही गई है। अब बिहार की आबादी 10 करोड़ है। इसलिए इतनी बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए ही बिहार को असिसटेंस मिलनी चाहिए।

बिहार में जो इस समय भयंकर सूखे की स्थिति है वह मुख्यतः गया, नवादा, औरंगाबाद और हमारे पार्लियामेंट्री मिनिस्टर के जिले पलामू में हैं। वहां की रिपोर्ट मंगाकर आप देखें कि वहां कितनी भयानक स्थिति है। लोग पेड़ के पत्ते खाकर गुजारा कर रहे हैं। पहले तो भदही की फसल हो गई थी लेकिन इस समय तो भदही भी मारी गई है। रबी की बुवाई तो हो नहीं सकेगी। हमारे मंत्री जी फिगर्स देकर हमें इत्मीनान करा रहे थे।

मैं सिंचाई मन्त्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि बिहार की दो-दो सिंचाई योजनाएं आपके मन्त्रालय में पड़ी हुई हैं। आप थोड़ा जोर लगाकर उनको पूरा करा दें। आपकी बड़ी कृपा होगी। मैंने मोहाने रिजरवायर के लिए चार बार प्रश्न किए जिसके आपने और आपके राज्य मन्त्री जी ने भी जवाब दिये।

उन्होंने कहा कि मार्च 1981 में मोहाना रिजर्वायर बहुत बड़ी योजना को कार्यान्वित किया जाएगा, जिससे गया, नवादा, औरंगाबाद को सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। कहा गया था कि सेन्ट्रल वाटर कमीशन से इसको क्लीयर करा देंगे, लेकिन जब मैंने रिपोर्ट को देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ।

अन्त में मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। बजट के समय मैंने कहा था कि क्राप इन्शोरेंस स्कीम लागू की जाए। आज कहीं कोई वाहन दुर्घटना होती है तो उसको पूरा पैसा मिल जाता है, कहीं फैक्ट्री में कोई दुर्घटना होती है तो उसको भी पूरा पैसा मिलता है, लेकिन खेती के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आप चाहे बड़े किसानों के लिए इसको लागू न करिए, लेकिन 5 एकड़ से कम खेती वाले किसानों पर इसको अवश्य लागू करिए, नहीं तो किसान मेहनत भी करता रहेगा और भूखों भी मरता रहेगा। खेती को इन्डस्ट्री का दर्जा दीजिए। जब तक यह काम नहीं किया जाएगा तब तक किसान की स्थिति में सुधार नहीं लाया जा सकता। अगर सिर्फ स्टेटिसटिक्स की बात की जाएगी तो इसी तरह से सब अपनी बात कहकर घर चले जाएंगे और उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

बिहार सरकार ने केन्द्रीय टीम के समक्ष जो अपनी सिफारिशें रखी हैं, उनके तहत शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही की जाए, ताकि वहां लोगों को राहत मिल सके।

सुखाड़ क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सारे कर्जों की वसूली रोक दी जाए। चाहे वे बैंक के कर्जे हों, तकावी लोन हो या अन्य कोआपरेटिव सोसायटीज के कर्जे हों। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर लेबरर हैं उनको कम से कम 100 रुपए की तत्काल सहायता दी

जाए, चाहे उसे वसूल करने का प्रावधान भी रखा जाए, लेकिन अभी उनको यह सहायता शीघ्र दी जाए, ताकि वे भूख से मरने से बच सकें। इसका असर अभी इतना नहीं पड़ेगा, जितना दिसम्बर के बाद पड़ेगा। काफी भयंकर स्थिति उत्पन्न होने वाली है।

एन०आर०पी० के कार्यों को तत्काल शुरू किया जाए ताकि मजदूरों को काम मिल सके।

डिसेबल परसन्स, ओल्ड एज के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए।

सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाइए और इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्यवाही करें। माइनर, मीडियम और मेजर योजनाएं बनाकर सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाए।

एक चीज और कहना चाहता हूं। श्री के०एल० राव ने एक रिपोर्ट भारत सरकार को दी थी। उन्होंने कहा था कि गंगा के पानी को, गेन्जेज वाटर को यूटीलाइज करके साउथ बिहार में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा सकती है। मैं समझता हूं कि यह बहुत लाभकारी योजना होगी। इसलिए मेरा सिंचाई मन्त्री जी से अनुरोध है कि वे के०एल० राव की रिपोर्ट को देखें और इस योजना को कार्यान्वित करवाएं।

आशा है मेरे सुझावों पर मन्त्री महोदय अवश्य ध्यान देंगे, अन्यथा सिर्फ स्टेटिस-टिक्स में उलझने से कोई काम नहीं होगा।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी (मेहसाना) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं और तमाम बातों में न जाते हुए सिर्फ इतना ही जिक्र करूंगा जिसके बारे में केन्द्र सरकार अन्धेरे में है। गुजरात में आज अकाल की परिस्थिति चल रही है। गुजरात में 18 हजार गांवों में से 9 हजार में अकाल की स्थिति है। कुछ दिन पहले केन्द्र सरकार के कृषि मन्त्री जी ने अकाल की परिस्थिति के बारे में इस सदन में जिक्र किया था लेकिन अब इसके बारे में उल्लेख तक भी नहीं हुआ। अकाल की परिस्थिति के बारे में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच में कैसा व्यवहार चलता है इसका यह नमूना है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी केन्द्र सरकार की टीम गुजरात में जाए क्योंकि वहां अभी आधे हिस्से में अकाल की स्थिति है। वहां पशुओं के लिए घास की कमी है। आप अमेरिका से गेहूं मंगवाकर लोगों को खिलायेंगे लेकिन पशु जो कि कृषि के लिए जरूरी है, उसे कुछ नहीं मिलेगा तो कैसे कृषि की जायेगी। बैलों के लिए, पशुओं के लिए घास की तंगी सबसे ज्यादा है। इस तंगी को दूर करने के लिए जो प्रावधान करना जरूरी हो, वह जल्दी से जल्दी किया जाए।

मेरी दृष्टि में अकाल की स्थिति में सामना करने के लिए जरूरी चीज यह है कि बिजली की कमी दूर की जाए। बिजली की कमी के बारे में केन्द्र सरकार घोर अन्धेरे में चल रही है। 50 प्रतिशत कमी आज गुजरात में चल रही है। दिन में उद्योगों को बिजली नहीं मिलती है। कृषि के लिए बिजली देने का तय किया है, लेकिन आज कृषि को

बिजली नहीं मिलती है। बार-बार बिजली बन्द होती है, वोल्टेज बन्द होता है। रबी के मौसम में कृषि के लिए बिजली बहुत जरूरी है।

हमारे यहां तो ऐसी कोई बड़ी नहर नहीं है जो बारहों मास पानी देती रहे। हमारे यहाँ जो नर्मदा योजना है, उससे तीव्र गति से काम चलता नहीं है। ऐसे कई जिले हैं वहाँ इसका पानी जाने वाला है। हमारी अगर नर्मदा की योजना पूरी हो जाए तो दो-तीन साल तक अकाल पार उतर सकता है। यह कहा है कि विश्व बैंक की टीम आने वाली है, कब आयेगी, कब इनको पैसा मिलेगा और कब योजना चलेगी, हमको पता तक नहीं है। हमारे लिए जरूरी चीज है वह यह है कि बिजली हमको मिलनी चाहिए। अब रबी का सीजन आ रहा है, 15 दिन में बुआई का काम शुरू हो जायेगा। किसानों को दिन में निश्चित रूप से कितनी बिजली मिलती रहेगी, इसके बारे में जल्दी से जल्दी तय होना चाहिए। 25 लाख टन गेहूं इस बार मंगाना जरूरी हुआ तो अगले साल के लिए 50 लाख टन मंगवाने पर भी हमारा काम नहीं होगा। इसलिए, मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार बिजली के बारे में गुजरात सरकार को बराबर मदद करे ताकि कृषकों को बिजली मिलती रहे।

दूसरी बात मैंने पशुओं को घास देने के बारे में कही थी। इसके बारे में बराबर ध्यान रखा जाए, जल्दी से जल्दी केन्द्रीय टीम भेजी जाए और उसके बाद पीने के पानी का भी सवाल जल्दी से जल्दी उठाना होगा। पांच सौ से हजार फीट नीचे से कई गांवों में पानी आता है और वह ट्यूबवैल के जरिए आता है। पूरे चौबीसों घन्टे बिजली मिलती नहीं है तो लोग पानी कैसे पीएंगे। इसलिए, बिजली का प्रावधान किया जाए और पानी की व्यवस्था जल्दी से जल्दी हो और नए कुंए लगाए जाएं। टैंकरों से भी गाँवों में वहाँ पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। केन्द्र द्वारा गुजरात की ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी मदद की जाए, यही मेरा निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री केयूर भूषण। उनके बाद श्री पनिका बोलेंगे। पांच मिनट के बाद आप उठकर बोलना शुरू कर दें। मैं आपको केवल पांच मिनट का समय दूंगा। आप और सभी को भी बोलने का अवसर दें। अन्यथा मैं सभा को स्थगित कर दूंगा।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : हर एक प्रान्त के माननीय सदस्यों ने अपने-अपने प्रान्त में सूखे और बाढ़ की जो स्थिति है वह आपके सामने रखी है। विशेषकर बंगाल के साथियों ने बहुत ही कारुणिक ढंग से और आँकड़े दे कर अपने यहां की स्थिति को आपके सामने रखा है। हो सकता है कि हम उस ढंग से अपने यहां की स्थिति को संगठित रूप से रख न सकें क्यों कि हमारे प्रान्त के सभी साथी यहां पर एकत्रित नहीं हो पाए हैं।

सिंचाई मन्त्री और कृषि मन्त्री के पिछले भाषणों को पढ़ने का मुझे अवसर मिला है। उन्होंने बताया था कि सूखे के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का स्थान नहीं है। लेकिन स्थिति उससे बिल्कुल भिन्न है। अभी भी पूर्वी क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का है सूखे से पीड़ित है। उसका

कुछ हिस्सा बाढ़ के कारण पीड़ित रहा है। शुरू में काफी वहां बारिश हुई जिससे नुकसान हुआ लेकिन उसके बाद एकदम वहां सूखा पड़ा। जो बीज थोड़ा बहुत तैयार हुआ था, जो फसल थोड़ी बहुत तैयार हुई थी, अंकुरित हुई थी इस वजह से वह सारी की सारी मारी गई। फिर से उनको बीज की आवश्यकता पड़ गई है। कई ऐसे किसान हैं जो बीज की कमी के कारण अपने खेतो में फिर से उत्पादन नहीं कर सके हैं और अनायास ही एक भयंकर स्थिति उनके सामने आ कर खड़ी हो गई हैं। वर्षा होने के बाद भी पचास प्रतिशत से भी अधिक किसानों के सामने गाँव छोड़ कर भागने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वह पूरा का पूरा क्षेत्र एक फसली क्षेत्र है और केवल धान की पैदावार वहां होती है। धान पकने के समय पानी नहीं मिलता है तो सारी की सारी उनकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति आ गई है। मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा भुखमरी से पीड़ित है लेकिन फिर मात्र तीन करोड़ की सहायता ही उसको दी गई है। जिस व्यापक पैमाने पर राहत कार्य वहाँ खोले जाने हैं उसको देखते हुए यह बहुत कम राशि है। वहां इस वर्ष पचास करोड़ से भी अधिक का नुकसान किसानों को हो चुका है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि वहाँ जो छोटे लोग हैं, खेत मजदूर हैं उनकी स्थिति दयनीय हो गई है और यह ठीक भी है। पता नहीं एक दो महीने के बाद क्या होने वाला है। जहां पर दूसरी फसल की खेती हो सकती है, गेहूं की खेती हो सकती है वहां तो स्थिति फिर भी सुधर सकती है लेकिन यहां तो धान नहीं हुआ तो दूसरी किसी फसल की सम्भावना भी खत्म हो जाती है। आज भी वहां लोग मकानों पर ताले लगा कर अन्यत्र चले गए हैं, दिल्ली में आ गए है। छत्तीसगढ़, रायपुर, बिलासपुर के लोग हजारो की तादाद में यहां फैले हुए आपको मिल जाएंगे। ये वहीं के लोग हैं जिनको वहां रोजी और मजदूरी बिल्कुल नहीं मिल पा रही थी। एशियाड में जिन लोगों द्वारा काम किया जा रहा है, मजदूर जो इस पर काम कर रहे हैं ये ज्यादातर उसी क्षेत्र के लोग हैं। पंजाब, हरियाणा तथा दूसरे स्थानों में भी उसी क्षेत्र के लोग व्यापक रूप से काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। राहत कार्यों के लिए ज्यादा पैसा आप मध्य प्रदेश की सरकार को दें ताकि वहां लोगों को काम मिल सके।

मेरा सिंचाई मंत्री जी से एक विशेष निवेदन है। एक बार वह उस क्षेत्र का जा कर अवश्य दौरा कर लें तो उनको पता लग जाएगा कि किस कदर वह क्षेत्र पीड़ित है। महानदी का उद्गम स्थान वहीं पर उस क्षेत्र में हैं। महानदी के पानी के कारण उड़ीसा में बाढ़ का प्रकोप हो जाता है और बहुत ज्यादा नुकसान उड़ीसा में होता है। उस पानी को वहीं पर रोका जा सकता है। दस साल तक सर्वेक्षण कार्य उस क्षेत्र में हुआ है। तीन-चार बड़ी नदियां हैं। उन्हीं के बहाव के कारण उड़ीसा में बाढ़ का प्रकोप होता है। वहां बाँध बनाने का काम जिस का सर्वे हो चुका है, पूरा किया जाना चाहिये। अगर इसको पूरा नहीं किया गया तो न केवल यह पानी छत्तीसगढ़ को उजाड़ कर रख देगा बल्कि उड़ीसा को भी उजाड़ कर रख देगा। इस स्थिति को बचाने के लिए मेरा निवेदन है कि युद्ध स्तर

पर छोटी और बड़ी योजनाओं को शुरू करना चाहिए, और ब्लान पर पानी को रोक कर जो आदिवासी और हरिजन क्षेत्रों के अन्दर हैं, जहां बारिश अधिक होती है मगर रोकने का कोई साधन नहीं होता, इन छोटी-छोटी योजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष ध्यान दें तो अच्छा रहेगा।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम सब गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं और अभी माननीय सदस्यों ने जो विभिन्न विचार सूखे और बाढ़ के सम्बन्ध में रखे हैं मैं उन मुद्दों को नहीं दोहराना चाहता, लेकिन एक बात की ओर सिंचाई और कृषि मत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में यदि आप बाढ़ की गम्भीरता को देखें, 14 राज्यों में जो बाढ़ आयी है और उससे नुकसान हुआ है उसका टोटल है 76.36 लाख हैक्टर जमीन, उसमें से 49.40 लाख हैक्टर जमीन अकेले उत्तर प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित हुई है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं और हमारे यहां 57 जिलों में से 43 जिले प्रभावित हैं, 2 करोड़ 11 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और मेरे क्षेत्र में 8 ब्लाक्स प्रभावित हैं, जैसे सीखड़, नारायणपुर, पहाड़ी, सीठी, मझवा, जमालपुर, छानवे, कोन। जिले के शेष 12 ब्लाक्स बाढ़ से प्रभावित हैं, और अब यह भी सूखे से प्रभावित हो रहे हैं। किस तरह से बाढ़ के समय औरतों और बच्चों ने तकलीफ उठायी है उसको सुन कर आंखों में लोगों के आंसू आ जायेंगे। महिलायें 11, 12 रोज तक पानी में खड़े-खड़े टट्टी करती थीं। खाना पीना तो दूर रहा। सबसे भयंकर बात इसलिए भी हुई कि इस साल बाढ़ का ठहराव 15 रोज तक रहा। इसलिए आप अनुपात में जितना हिस्सा उत्तर प्रदेश का आवे उसके अनुसार राहत दें। और जो गंगा नदी का कटाव हो रहा है हर साल मिर्जापुर में उसको रोकने के लिए हमारी प्रदेश सरकार ने एक योजना भेजी है उस योजना को आप कार्यान्वित करें। कई लोगों ने कहा कि सरकार गम्भीरता से नहीं सोचती। लेकिन मेरा कहना है कि हमारी प्रधान मन्त्री, कृषि और सिंचाई मन्त्री ने दौरा किया और तात्कालिक सहायता सरकार ने मुस्तैदी से दी, जिला प्रशासन अधिकारियों ने काफी सहायता की।

अब मैं दो प्रकार के सुझाव देना चाहता हूं। तात्कालिक समस्या का निदान जो कुछ हुआ हो गया। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि दीर्घकालिक रूप से कैसे इस समस्या का मुकाबला करें इस पर हमें विचार करना है। माननीय सिंचाई मंत्री ने कुछ सुझाव दिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए सबसे जरूरी सुझाव यह है कि तत्काल प्रत्येक गांव सभा के स्तर पर आप एन० आर० ई० पी० कार्यक्रम को चलायें। प्रधान मन्त्री के नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक 2,000 यूनिट पर एक राशन की दुकान खोलने की बात कही गई है। आप कहते हैं कि राशन बहुत है, लेकिन इन्टीरियर भागों में लोगों को राशन नहीं पहुंच रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि हर 2,000 यूनिट पर चाहे सरकार या गैर सरकारी ढंग से राशन की दुकान खोलें।

इसके अलावा जहाँ किसान सूखे से प्रभावित हैं उनका लगान, सिंचाई कर तथा अन्य प्रकार के जो कर हैं उनको न केवल स्थगित करें, बल्कि उनको माफ करें। और किसानों पर जो ट्रैक्टर या अन्य कृषि साधनों के कर्जे हैं उनकी किस्त आगे बढ़ा दें और सूद माफ करें तभी किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है।

बाढ़ में सड़कों, पुलों, नहरों और सरकारी भवनों की जो बहुत बड़ी क्षति हुई है उनकी मरम्मत और निर्माण के लिए सहायता देना बहुत जरूरी है। अभी तकावी के रूप में प्रदेश सरकार घर के गिरने पर केवल .00, 50 रुपये दे रही है, उसको भी 1000 रुपये से 5000 रुपये किया जाना चाहिए ताकि वह घर खड़े किए जा सकें।

बाढ़ के क्षेत्र में चारे की बहुत कमी है, पशुओं के लिए चारा पहुंचाना होगा। भविष्य में जब बाढ़ आवे तो हरेक ग्राम सभा में कम से कम एक नाव देनी होगी और बाढ़ वाले इलाके में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कम-से-कम एक स्टीमर देना होगा ताकि संकट की घड़ी में वह सामना कर सकें।

सूखे के लिए पिछले कई वर्ष से डी०पी०ए०पी० के कार्यक्रम चलाये जा रहे थे, आज उन कार्यक्रमों को देखा जाना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है या नहीं। जिस भावना से कार्यक्रम शुरू किए गए थे वह नहीं हो रहे हैं। उसके अन्तर्गत जो सिंचाई की योजनाएं बनी थीं, कमांड एरिया नहरों का नहीं हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो सिंचाई योजना हाथ में ली गई हैं, उनका काम होना चाहिए। हमारे मिर्जापुर में क्या हुआ है, उस काम को समय से पूरा कराइये। अगर स्टेट गवर्नमैंट उसके लिए पैसा नहीं दे रही हैं तो आप उस कार्य को पूरा कीजिए।

जहाँ पर आई० आर० डी० और कम्पोनेन्ट के कार्यक्रम हैं, उनको भी सरकार को समय पर पूरा कराने की व्यवस्था करनी चाहिए।

सूखे में भी हमारे 39 लाख हैक्टर क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। हमारी बंगाल की बहिन कह रही थीं, यह बात सही है वहाँ भी बहुत कठिनाई है, हमारे उत्तरप्रदेश के सदस्य बहुत कम बोले हैं, मैं प्रदेश की जनता और वहाँ की सरकार की तरफ से मांग करता हूं कि जो केन्द्रीय टीम वहाँ गई थी, उसकी रिपोर्ट के अनुपात से आप बाढ़ व सूखे के लिए सहायता दें, तभी हम उत्तरप्रदेश की जनता को बचा सकेंगे। धन्यवाद।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराज गंज) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो समस्त बिहार आज सूखे और बाढ़ से प्रभावित हुआ है किन्तु बिहार के 33 जिलों में 20 जिले इस बार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उसमें सबसे ज्यादा क्षति सारण और सिवान जिले को हुई है जिसमें मेरा निर्वाचन क्षेत्र पड़ता है। स्वयं सिंचाई मंत्री ने सारण जिले का दौरा किया है और वह वहाँ की हालत अपनी आँखों से देख चुके हैं कि किस तरह से सारण जिले के लोग तबाह हुए हैं। जहाँ आज तक कभी बाढ़ नहीं आई थी, वहाँ भी इस बार इसके कारण बुरी तरह लोग प्रभावित और तबाह हुए हैं।

सिंचाई मंत्री एम-बैंकमैंट बनाने की बात जब कह रहे थे, तो मैं आशा करता था कि जो आश्वासन वह वहाँ के नागरिकों और अधिकारियों के बीच दे आए हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। वहाँ सिंचाई मंत्री जी ने कहा था कि डुमरी से छपरा तक और छपरा से सोनपुर तक हम गंगा पर एम-बैंकमैंट बनायेंगे और सारण व सिवान जिला जो बाढ़ से प्रभावित होता है, इस पर नियंत्रण करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इस सदन में आश्वासन दें या न दें, किन्तु आप इस पर जरूर कार्यवाही करेंगे।

दो, तीन बातों की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो हमारे क्षेत्र में एक सितावदियारा गांव है जहाँ स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण जी की जन्मभूमि है, प्रतिवर्ष वहाँ बाढ़ आती है और वहाँ के लोगों को दूसरी जगह जाकर शरण लेनी पड़ती है। वहाँ योजना बनी थी कि हर गाँव में, दस-दस जगह गाँव बसे हैं, हर जगह एक ऊंचा प्लेटफार्म बनाया जाए ताकि बाढ़ के दिनों में लोग अपने मवेशी वगैरह लेकर वहाँ रह सकें। उसमें कुछ काम 1980 में पहले हुआ था, हम आग्रह करेंगे कि इस बारे में स्थायी रूप से उन गाँवों की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।

दूसरे, मैं यहाँ पर फ्लड कमीशन की बात करना चाहता हूं। सारण जिले की ड्रेनेज स्कीम बहुत दिनों से लम्बित पड़ी हुई है। अच्छी बात है कि आप एक प्रोपोजल बना कर, वहाँ के लिए एक नेशनल प्रोजेक्ट बना रहे हैं। परन्तु जो छोटी-छोटी स्कीम्स वाटर कमीशन के पास लम्बित पड़ी हुई हैं, हम आपसे उनकी स्वीकृति जल्दी दिए जाने के लिए आग्रह करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे यहां जो क्षेत्र प्रभावित हैं, वहां पर एन० आर० पी० का काम करवायें। इस स्थिति से निपटने के लिए हमारी बिहार सरकार ने जितनी 226 करोड़ रुपये की सहायता की माँग की है, उस सहायता को दीजिए ताकि राज्य सरकार इस भयंकर सूखे की स्थिति का सामना करने में सफलता पा सके। इसके साथ ही, जितने गल्ले के आवंटन की माँग की गई है, उसको भी दीजिए ताकि उससे प्रभावित क्षेत्रों में सस्ते रेट की दुकानों के जरिए लोगों को राहत पहुंचाई जा सके, उनको भूख से बचाया सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री दलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं यहां खास कर सुखाड़ के बारे में बोलना चाहता हूं। हमारे देश में काफी वर्षा होती है। अभी माननीय मंत्री जी ने यहां पर आंकड़े प्रस्तुत किए। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन वह सारा क्लाइमेट पर ही डिपेंड करता है। जब तक हम क्लाइमेट पर ही निर्भर रहेंगे, उससे लड़कर, संघर्ष करके, प्राकृतिक विपदाओं का सामना नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, वह ऐसी ही बनी रहेगी। हमारे देश में हर तीन वर्ष के अन्दर किसी न किसी साल

अकाल पड़ता है। कहीं अकाल पड़ता हैं, कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं तूफान आता है। कहीं बरसात ज्यादा होती है। यदि हम इन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित एरियाज में कोई स्कीम बनाकर राहत कार्यों को चलायें तो संभव है हम क्लाइमेट के विरुद्ध लड़कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी योजना मन्त्री जी को बनानी पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, जिन क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा होती है, फ्लड आता है, उसका मेन कारण हमारे पहाड़ों पर वृक्षों का काटा जाना है। आज सारे पहाड़ नंगे हो गए हैं, जिसके कारण हमारी नदियों में पानी पूरे बहाव के साथ आता हैं और नदियों का पानी बाढ़ का कारण बनता है। यदि हम पहाड़ों पर वृक्ष लगायें तो संभव है काफी हद तक बाढ़ को रोका जा सकता है। जितनी वृक्षों की पत्तियाँ सड़ेंगी, उतना ही किसानों के लिए खाद बनेगा और अच्छी पैदावार हो सकती हैं। इसलिए मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि वे इस सम्बन्ध में कोई प्लान तैयार करें, ताकि हम अधिक से अधिक पेड़ों को लगाकर बरबादी को रोकें।

ऐसे ही, हमारे यहां कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जहां प्रति तीन वर्ष में एक बार औसत सूखा पड़ता है। कहीं-कहीं 5 साल में और कहीं 10 साल में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब तक आप इन इलाकों के लिए कोई परमानेंट प्लान नहीं बनायेंगे, तब तक समस्या हर बार हमारे सामने आती रहेगी और उसका समाधान नहीं होगा। मेरे डिस्ट्रिक्ट झाबुआ में बहुत से आदिवासी रहते हैं और पिछले 10 सालों से लगातार सूखा पड़ता आ रहा है। वहाँ की आबादी 8 लाख है, जिसमें से एक लाख लोग मजदूरी के लिए बाहर चले जाते हैं। यदि ऐसे डिस्ट्रिक्ट के आप कोई परमानेंट प्लान नहीं बनायेंगे, तब तक सूखे की समस्या हल नहीं हो सकती। वहाँ पर एक महानदी है। वह बहुत ट्राइबल एरिया है, आदिवासी क्षेत्र है, इन्दौर से दाहद तक रेलवे लाइन भी बनी है लेकिन वहाँ हर साल सूखा पड़ता रहता है। मैं चाहूंगा कि आप उस नदी पर डैम बनाने का कार्य आरम्भ करें ताकि वहाँ के लोगों को मजदूरी मिले। आज उनके सामने पेट भरने का सवाल है, मजदूरी का सवाल है। वे आपसे कोई कालेज या कृषि फार्म नहीं माँग रहे हैं। बल्कि हम तो आपसे सिर्फ दो टाइम का खाना मांगते हैं। हमें जैसी मक्की की रोटी खाते हैं, हमको वही मिल जाए। उसकी मन्त्री जी व्यवस्था करवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

राज्यसभा में एक स्टेटमैंट देते हुए हमारे मन्त्री जी ने—सूखे के बारे में आंकड़े दिए, मगर उसमें मध्य प्रदेश का वर्णन नहीं हैं। उन्होंने मध्य प्रदश के सूखे के बारे में कुछ नहीं कहा। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 50 प्रतिशत जिले सूखे से प्रभावित हैं। वैसे अभी हमारे माननीय सदस्यों ने मध्य प्रदेश के बारे में बताया। वहाँ जिन स्थानों में सूखा पड़ता है, वे क्षेत्र हरिजन और आदिवासी लोगों के हैं। वे लोग पहाड़ों पर खेती करते हैं। यदि किसी वर्ष बरसात नहीं होती तो उनकी सारी की सारी फसल सूख जाती है। करीब-करीब वह सारा एरिया सूखे का शिकार रहता है। इसलिए जब तक वहां पर सरकार की ओर से किसी प्रकार राहत कार्य आरंभ

नहीं किए जाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरी बात में सरल डैपलपमैंट के बारे में कहना चाहता हूं। आधे से अधिक जिले सूखे से प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश के पहाड़ी एरिए में बहुत सूखा पड़ता है। हरिजन और आदिवासी लोग पहाड़ों में खेती करते हैं वहां सारी की सारी फसल सूख गई है। हमेशा ही यह फसल सूख जाती है। मेरे तो सारे के सारे एरिये में सूखा पड़ा हुआ है। जब तक आप उस एरिए में निर्माण कार्य शुरू नहीं करेंगे तब तक उन लोगों का काम नहीं चलेगा, उन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा।

रूरल डवलपमैंट की जो स्कीमें हैं उनमें बहुत सारे ग्राम पंचायत के लोगों को काम दिया गया है। मगर वहां पर गरीबों के लिये जो पैसा भेजा जाता है। वह गरीबों के पास न पहुंच कर दूसरों की जेब में जाता है जब तक आप इस पैसे को प्लान और योजना बना कर खर्च नहीं करेंगे तब तक गरीबों का विकास नहीं हो सकता है। हमारा आज तक का अनुभव है कि हम गरीबों के नाम से जो पैसा देते हैं वह पैसा कहां-कहां और किस-किस की जेब में जाता है। इस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए तभी उन लोगों का भला हो सकता है, किसानों का भला हो सकता है, गरीबों का भला हो सकता है।

आज बिजली की बात भी आयी कि किसानों को बिजली मिले। जब तक आप किसानों को टाइम पर बिजली नहीं देंगे तब तक किसान फसल नहीं बो सकता है और उसका भला नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से आप किसानों को ऋण देते हैं लेकिन किसान की जब इकोनोमी ही ठीक नहीं है, वह पैदा ही कुछ नहीं कर पा रहा है तो वह कर्ज की अदायगी कैसे करेगा। आप उसके कर्ज का कवर्शन कर देते हैं लेकिन जब उसकी खेती में पैदावार ही नहीं होगी और उसकी इकोनोमी ही ठीक नहीं रहेगी तो वह कर्जा कैसे चुका सकता है। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उनका कर्जा माफ करें, तभी किसानों का भला हो सकता है।

मैं आप से यह भी कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में आपको तीन सर्वे टीम भेजनी चाहिएं। वहां के शासन ने जो रिपोर्ट आपको भेजी है और उसमें जितना पैसा मध्य प्रदेश शासन ने मांगा है उतना पैसा आपको मध्य प्रदेश शासन को सूखे से निबटने के लिए देना चाहिए।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री गोदिल प्रसाद अनुरागी (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान बिलासपुर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी एक, दो और तीन अक्तूबर को मैं अपने क्षेत्र बिलासपुर जिले में गया था। वहां पर मुझे सब गरीब लोग मिले, साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं भी मिलीं। वे मुझे यह कहने लगीं कि हम पहाड़ से कड़ुवा कांदा लाकर और उसे ऊसन कर खाते हैं और इससे गर्भवती

महिलाओं का गर्भपात होने और उनके मरने का डर है। अभी माननीय मन्त्री जी कह रहे थे कि भूख से कोई नहीं मरा है। मन्त्री जी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि भूख से हम किसी को मरने नहीं देंगे। मैं अपने क्षेत्र की शंका आपके सामने रख रहा हूं कि वहां गर्भवती महिलाओं की क्या हालत हो रही है इस कड़ुवा कांडा को खाने से। मैं कल फिर वहां अपने क्षेत्र में जा रहा हूं।

आपने मुझे तीन मिनट दिए हैं इसमें मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। आप मुख्य-मन्त्री श्री अर्जुन सिंह को तत्काल यह आदेश दीजिए कि वे युद्धस्तर पर जहां-जहां भयंकर अकाल है राहत कार्य खोलें। दूसरे मेरा सुझाव है कि देश की सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए खुडिया टैंक और खुदाघाट टैंक की क्षमता को अहिरन नदी का डाइवर्ट करके बढ़ा दिया जाए इससे सिंचाई में बढ़ोतरी होगी। तीसरे महानदी, हसदेव, अरपा एवं हाप, को मिलाकर एक कम्पोजिट योजना बनायी गयी है जिसके प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के माध्यम से विश्व बैंक को भेजे जा चुके हैं, विश्व बैंक के विशेषज्ञों के अनेक दल इन योजनाओं का निर्धारण कर चुके हैं और वे राज्य शासन द्वारा की गई कार्यवाही से पूरी तरह संतुष्ट हैं। इस योजना के लिए आप 150 करोड़ रुपये की मंजूरी देने की कृपा करें ताकि इस कार्य को पूरा किया जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं वहां पर लोगों को आश्वासन देकर आया हूं कि आप लोगों के लिए जरूर कुछ न कुछ किया जाएगा। अगर भूख से एक भी आदमी मर गया तो यह उचित नहीं होगा। मुझे धीरज नहीं है, मैं अधीर हो रहा हूं। मुझे आशंका है कि उन सैकड़ों गर्भवती महिलाओं के गर्भ की रक्षा कैसे हो सकेगी। वे गर्भवती महिलाएं कह रही थी कि हमारे गर्भ की रक्षा करिए, कड़ुआ कांदा से हमें बचाइए। मैंने उस कड़ुए कांदे को प्रधानमंत्री जी की टेबल पर भी रखा है और उनसे भी निवेदन किया है कि आप युद्धस्तर पर राहत कार्य शुरू करवाइए।

मैंने तीन मिनट का समय मांगा था और अपने वचन का पालन कर रहा हूं और इस आशा के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि सरकार बिलासपुर जिले में राहत कार्य प्रारम्भ करवाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि श्री मल्लु भी पांच मिनट का समय लेने का ध्यान रखेंगे।

श्री अनन्त रामुलु मल्लू (नगरकुलूनूल) : मैं अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष महोदय को इस विशेष विषय पर विशेष चर्चा की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। सूखा हमारे देश की रोजाना की और सदा की समस्या बन गई है। इस सभा में हम लोग इस समस्या पर हर साल वाद-विवाद करते हैं और भाषण देते हैं तथा माननीय

मंत्री जी द्वारा भी अनेक आश्वासन दिए जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जा रहा है। किन्तु, इसके साथ-साथ हमें हर वर्ष वही अनुरोध दोहराना पड़ता है।

देश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कोई स्थायी उपाय किया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लगातार सूखा पड़ता है। वर्षा का नब्बे प्रतिशत पानी बेकार होकर समुद्र में लौट जाता है। उस बरसाती पानी को एकत्र कर रखने के लिए कोई समुचित योजना बनाई जानी चाहिए थी।

मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि मैं अन्य राज्यों की समस्याओं की चर्चा करता रहूं। जहाँ तक मेरे राज्य आंध्र प्रदेश का प्रश्न है, आंध्र प्रदेश अपना ज्ञापन बहुत पहले ही दे चुका है। वहाँ की स्थिति बड़ी ही भयावह है और समाचार पत्रों में अनेक लेख छप चुके हैं किन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्रीय दल ने अभी तक वहाँ का दौरा नहीं किया है। और मैंने समाचार पत्र में पढ़ा है कि केन्द्रीय दल एक या दो दिन में आंध्र प्रदेश का दौरा करने वाला है। किन्तु यह समाचार प्रकाशित नहीं हो गया है। यह गत एक माह से प्रकाशित हो रहा है। हर रोज हमें समाचार पत्र में पढ़ने को मिलता है कि आंध्र प्रदेश सूखे से बुरी तरह प्रभावित है। हमारे माननीय उपमंत्री, श्री मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश के महबूब नगर से निर्वाचित हुए हैं, ने आंध्र प्रदेश का दौरा किया था और उन्होंने इस मामले पर रिपोर्ट भी दे दी है। दुर्भाग्यवश, बार-बार अभ्यावेदन देने तथा राज्य सरकार द्वारा ज्ञापन दिए जाने के बावजूद केन्द्रीय सरकार ने विशेष राज्य की सहायता के लिए पेशकश नहीं की है।

रायलसीमा हर रोज की समस्या बन गया है। मुझे कृषि मंत्री का उत्तर प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि बिहार और अन्य राज्यों ने भी ज्ञापन दिए हैं किन्तु आंध्र प्रदेश ने नहीं दिया है। किन्तु उन्होंने यह भी बताने की कृपा की थी कि केन्द्रीय दल ने अन्य राज्यों का दौरा किया था—किंतु आंध्र प्रदेश का नहीं। मुझे आज भी परेशानी है। मेरा इतना ही अनुरोध है कि आंध्र प्रदेश की स्थिति को समझने की चेष्टा करें। आन्ध्र प्रदेश 'अन्नपूर्णा' कहलाता है।

मैं कृषि मंत्री जी से विशेष रूप से यह कहना चाहूंगा कि आन्ध्र प्रदेश ने 200 करोड़ रुपए की मांग की है। जब कभी भी देश में सूखा या बाढ़ अथवा कोई अन्य स्थिति होती है, तब भारत सरकार आम तौर पर योजना निधि से धन मुक्त करती है और इसके बाद राज्य के लिए नियत की राशि से उसे काट लेती है। इस विशेष प्रयोजन के लिए जब तक आपके पास विशेष निधि नहीं होगी तब तक स्थिति से निपटने के लिए आवश्यकताओं और मांगों को पूरा करना नितांत असम्भव होगा। भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विचार करें और नियमित नियतन के अलावा विशेष निधि का नियतन करने की चेष्टा करें अन्यथा लोगों की मांगों को पूरा करना असम्भव होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले को आप वित्त आयोग के साथ उठायें ।

श्री अनन्त रामुलु मल्लू : मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं इस मामले में वित्त आयोग से बात-चीत कर सकूं । मेरे माननीय कृषि मंत्री, श्री राव बीरेन्द्र सिंह इस मामले में अग्रणी हैं । वह एक कृषक भी रहे हैं । उन्हें समस्या के बारे में पता है । मुझे विश्वास है कि वह इस मामले को वित्त आयोग के साथ उठायेंगे और इस बात का प्रयत्न करेंगे कि इस सम्बन्ध में कुछ हो जाए ।

रायल सीमा के सम्बन्ध में पशु पालन की स्थिति बहुत ही बुरी है । इस सभा में मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं । पशुओं को बूचड़खानों को भेजा जा रहा है । कुछ बड़े किसान, जो अपने पशुओं को वहाँ भेजना पसंद नहीं करते, अन्य लोगों से अपने पशु लेने जाने का अनुरोध कर रहे हैं । रायलसीमा और मेरे जिले महबूब नगर की यह स्थिति है ।

तेलांगना जिले का एक भाग सूखे से अत्यधिक प्रभावित है । समस्या बहुत ही जटिल हो गई है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 2—3 किलो मीटर दूर से पानी लाकर लोगों को दिया जाता है । इस समय यह समस्या बनी हुई है । हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि गर्मी आने पर लोगों की क्या स्थिति होगी ।

कृषक श्रमिकों की समस्या भी बड़ी विषम है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र, जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, को सूखा पीड़ित क्षेत्र घोषित किया गया है । जिले में डी०पी०ए० कार्यक्रम चलाया जा रहा है । आरम्भ से इस जिले को सूखा पीड़ित जिला घोषित किया गया है । कृष्णा और तुंग भद्रा नदियाँ मेरे जिले से होकर बहती है । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कृष्णा नदी के एक बूंद पानी का भी उपयोग हम लोग नहीं कर सकते । आंध्र प्रदेश सरकार इस विशेष समस्या को उठाती रही है । कृषक सम्मेलनों, श्रमिक सम्मेलनों में हमने सरकार को अनेक अभ्यावेदन दिये । मैंने स्वयं भी माननीय प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था । उन्होंने कृपापूर्वक माननीय सिंचाई मन्त्री को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने जिले में परियोजना चालू करने को कहा था । मैं विशेषकर आंध्र प्रदेश की भीमा और जुराला परियोजनाओं का उल्लेख कर रहा हूं । जुराला परियोजना का शिलान्यास भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री अन्जैया ने किया था । उन्होंने कहा कि वह परियोजना निश्चित रूप से चालू करेंगे और वह 15 साल में पूरी हो जाएगी । किन्तु इस वर्ष एक करोड़ रुपए का भी नियतन नहीं किया गया है । यदि ऐसी स्थिति रही तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि परियोजना 100 साल में भी पूरी हो जाएगी । भीमा परियोजना एक संयुक्त परियोजना है । जब कभी हम आंध्र प्रदेश से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि हमने मामले के बारे में कर्नाटक सरकार को लिख दिया है और कर्नाटक सरकार का कहना है कि वे इस समस्या पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं । चाहे पानी का उपभोग वे करें अथवा हम किन्तु इस अन्तराल में तो पानी बेकार जा रहा है । ऐसी

दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अन्यथा, यह एक बड़ी जटिल समस्या है, विशेष करके इस जिले में एक भी परियोजना नहीं है। इस वर्ष, कोयल सागर और सरल सागर जैसी छोटी परियोजनाएं वहां हैं। किन्तु वे भी सूख गई हैं।

आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री विजय भास्कर ने हाल ही में मेरे जिले का भी दौरा किया था। मैं उन्हें निर्वाचन क्षेत्र के सभी गांवों में ले गया था। मैंने उन्हें स्थिति से अवगत करा दिया था। मेरा जिला मेहनत करने के लिए प्रसिद्ध है। आपने शायद पालामूर श्रमिक का नाम सुना होगा। महबूब नगर का दूसरा नाम पालामूर है। क्यों ? हमारे पास कोई काम नहीं है और काम दिखाने की स्थिति में नहीं हैं। मेरे निर्वाचन की यह दयनीय स्थिति है। जब तक सरकार इस पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देगी, तब तक हमारे क्षेत्र के लोगों की रक्षा नहीं हो सकेगी जो केवल मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रह रहे हैं बल्कि मेरे जिले और मेरे राज्य में भी रह रहे हैं। आप लोगों की दयनीय दशा को समझने की चेष्टा कर सकते हैं।

हम लोग जनता के पेय जल के लिये, चाहे राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार की ओर से, लाखों रुपयों का नियतन कर रहे हैं किन्तु इंजीनियरी स्टाफ कुओं की बरमाई के कार्य में अपनी दुष्टता दिखा रहे हैं। वे लोग 50 फुट की खुदाई करते हैं और 100 फुट रिकार्ड करते हैं। दूसरे दिन हमें पानी नहीं मिलता है। इसकी जांच समुचित ढंग से की जानी चाहिये। अन्यथा लाखों रुपया व्यय करने का कोई लाभ न होगा। यह बड़ी ही गंभीर समस्या है जो जारी है।

हम लोग जबकि सूखे की गम्भीर स्थिति के दौर से गुजर रहे हैं, तब सरकारी मशीनरी को भी इसका एहसास करना चाहिए और लोगों की रक्षा करनी चाहिए। जब तक इसके बारे में ढंग से समझा नहीं जायेगा, तब तक इसे सुलझाना बहुत कठिन होगा। पिछड़े इलाके, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए अंशदान देना नितांत असम्भव है।

हमसे पानी की सप्लाई के लिए अंशदान देने की अपेक्षा की जाती है। जब कभी हम लोग अभ्यावेदन देते हैं, सरकार हमसे अंशदान देने को कहती है। हम लोग अपने भोजन के लिए भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं। मामला तो यह है, मुआवजा देने का प्रश्न ही कहां उठता है ? जनता के अंशदान पर आश्रित रहने के बजाय पिछड़े इलाकों अथवा कम से कम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को निश्चित योजनायें आरम्भ करने के निदेश देने होंगे।

जहां तक संसाधनों का प्रश्न है, मैं विशेष कर अपने जिले के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। मैं पिछड़े जिले का हूं। हमारे यहां कोई परियोजना नहीं है। किन्तु कुछ उद्योग

आरम्भ किए जा सकते हैं, जहाँ हम श्रमिकों को कुछ काम दे सकते हैं, वहाँ हम श्रमिक नियुक्त कर सकते हैं। ऐसा करना होगा। श्रम साध्य उद्योग, विशेष कर इन क्षेत्रों में आरम्भ करने होंगे। सामान्यत: सरकार को इन समस्याओं की जानकारी है। आंध्र प्रदेश में सूखे की वही स्थिति है, जो गत वर्ष थी और गत वर्ष से पूर्व थी।

मेरा एक अनुरोध है। छोटे किसानों, सीमांत किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण देना होगा। ऋण की वापसी को टालने मात्र से समस्या सुलझ नहीं पायेगी। मेरा सुझाव है कि सरकार इन ऋणों को बट्टे खाते डालने का निर्णय ले। पिछड़े इलाकों में लगातार सूखा पड़ रहा है। मेरा कृषि मन्त्री से अनुरोध है कि वह कृपा करके इस मामले की ओर ध्यान दें तथा कमजोर वर्ग के लोगों, छोटे किसानों और पिछड़े वर्ग के लोगों को दिए जाने वाले ऋण को बट्टे खाते डालने के लिए राज्य सरकार को निदेश दें। इन जिलों में सूखा-राहत कार्यक्रम कार्यान्वित न करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को विशेष और कड़ी सजायें दी जायें। कार्यक्रम को कार्यान्वित न किए जाने के लिये अधिकारियों को भी उत्तरदायी ठहराया जाय। जहाँ तक भारतीय खाद्य निगम का प्रश्न है, जैसा कि श्री नरसिम्हा रेड्डी कह चुके हैं, पर्याप्त भण्डार उपलब्ध करा देने मात्र से समस्या का समाधान नहीं हो जाता। चावल तथा अन्य खाद्यान्न खरीदने के लिए कुछ राज सहायता भी दी जानी चाहिए। अधिक समय लेने के लिये मुझे खेद है। धन्यवाद !

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल प्रात: 11 बजे तक स्थगित रहेगी।

मध्याह्न पश्चात् 9·38 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 15 अक्तूबर, 1982/23 आश्विन, 1904 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, दिल्ली